Special Education

DEDU506

LOVELY PROFESSIONAL UNIVERSITY

LOVELY PROFESSIONAL UNIVERSITY

विशिष्ट शिक्षा

SPECIAL EDUCATION

Copyright © 2012
All rights reserved with publishers

Produced & Printed by
USI PUBLICATIONS
2/31, Nehru Enclave, Kalkaji Extn.,
New Delhi-110019
for
Lovely Professional University
Phagwara

पाठ्यक्रम (SYLLABUS)

विशिष्ट शिक्षा

(Special Education)

उद्देश्यः 1. विद्यार्थियों को विशिष्ट शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से परिचित करवाना।

2. विद्यार्थियों को सभी प्रकार की विशिष्टताओं और उनके परस्पर संबंधों एवं उनके उद्देश्यों से परिचित करवाना।
3. विद्यार्थी भारत में विशिष्ट शिक्षा संबंधी नीतियों एवं कानून की जानकारी हासिल करने में समर्थ होंगे।

Objectives:

1. To acquaint the learner with the historical perspective of special education
2. To promote in the learner an extensive purview of the knowledge about all exceptionalities and comprehend their inter-relatedness
3. To enable the learner to understand the policies and legislation in special Education in India.

Sr. No.	Content
1	Special Education: Concept , Nature, Objectives, Need , Scope & Types
2	Physically challenged: definition, types, characteristics, Identification, causes, problems of Physically challenged, Preventions and teaching strategies
3	Visually impaired: definition, types, characteristics, Identification, causes, problems of Visually impaired, Prevention and teaching strategies
4	Speech and Hearing impaired: definition, types, characteristics, Identification, causes, problems of Speech and Hearing impaired, Preventions and teaching strategies
5	Mentally retarded: definition, types, characteristics, Identification, causes, problems of Mentally retarded, Preventions and teaching strategies
6	Learning disabilities: definition, types, characteristics, Identification, causes, problems of Learning disabilities, Prevention and teaching strategies
7	Gifted children: definition, types, characteristics, Identification, causes, problems of Gifted children, teaching strategies
8	Backward and delinquent children: definition, types, characteristics, Identification, causes, problems of Backward and delinquent children, Preventions and teaching strategies
9	Policies and provisions: Constitutional Provisions for Group of Children with special learning Needs, Disability Act 1995, IED scheme, Inclusive education and Mainstreaming,
10	Apex Bodies on Special Education: RCI, NIMH, NIVH, NIOH, Rehabilitation of exceptional children: role of peers, role of family, role of community and role of government.

विषय-सूची

इकाई (Units) **(CONTENTS)** **पृष्ठ संख्या (Page No.)**

1.	विशिष्ट शिक्षाः अवधारणा और प्रकृति (Eucational Management : Concept, Nature and Scope)	1
2.	विशिष्ट शिक्षाः उद्देश्य एवं आवश्यकता (Special Education : Objectives and Need)	11
3.	विशिष्ट शिक्षाः क्षेत्र एवं प्रकार (Special Education : Scope and Types)	21
4.	शारीरिक चुनौतियाँ: परिभाषा, प्रकार एवं विशेषताएँ (Physically Challenged : Definition, Types and Characteristics)	29
5.	शारीरिक चुनौतियाँ: पहचान, कारण एवं समस्याएँ (Indentification, Causes and Problems of Physically Challenged)	36
6.	शारीरिक चुनौतियाँ: शिक्षण आव्यूह एवं निवारण (Physically Challenged: Prevention and Teaching Strategies)	43
7.	दृष्टि बाधितः परिभाषा, प्रकार एवं विशेषताएँ (Visually Impaired : Definition, Types, Characteristics)	52
8.	दृष्टि बाधितः पहचान, कारण एवं समस्याएँ (Visually Impaired : Identificaion, Causes and Problems)	60
9.	दृष्टि बाधितः शिक्षण आव्यूह एवं निवारण (Visually Impaired : Prevention and Teaching Strategies)	66
10.	वाणी एवं श्रवण बाधितः परिभाषा, प्रकार एवं विशेषताएँ (Speech and Hearing Impaired : Definition, Types, Characteristics)	73
11.	वाणी एवं श्रवण बाधितः पहचान, कारण एवं समस्याएँ (Identification, Causes and Problems of Speech and Hearing Impaired)	86
12.	वाणी एवं श्रवण बाधित-शिक्षणः आव्यूह एवं निवारण (Speech and Hearing Impaired : Prevention and Teching Strategies)	97
13.	मानसिक मंदितः परिभाषा, प्रकार एवं विशेषताएँ (Mentally Retarded : Definition, Types and Characteristics)	112
14.	मानसिक मंदितः पहचान, कारण एवं समस्याएँ (Identification, Causes, Problems of Mentally Retarded)	120
15.	मानसिक मंदितः शिक्षण आव्यूह एवं निवारण (Mentally Retarded : Prevention and Teaching Strategies)	127
16.	अधिगम असमर्थताः परिभाषा, प्रकार एवं विशेषताएँ (Learning disabilities : definition, Types, Characteristics)	137
17.	अधिगम असमर्थताः पहचान, कारण एवं समस्याएँ (Identification, Causes and Problems of Learning Disabilities)	149
18.	अधिगम असमर्थताः शिक्षण आव्यूह एवं निवारण (Learning Disabilities : Prevention and Teeching Strategies)	156
19.	प्रतिभाशाली बालकः परिभाषा, प्रकार एवं विशेषताएँ (Gifted Children: Identification, Types, Characteristics)	174

20.	प्रतिभाशाली बालक: पहचान, कारण एवं समस्याएँ (Gifted Children : Identification, Causes and Problems)	184
21.	प्रतिभाशाली बालक: शिक्षण आव्यूह (Gifted Children: Teaching Strategies)	194
22.	पिछड़े एवं अपराधी बालक: परिभाषा, प्रकार एवं विशेषताएँ (Backword and Delinquent Children : Definition, Types, Charecteristics)	202
23.	पिछड़े हुए एवं अपराधी बालक: पहचान, कारण एवं समस्याएँ (Identification, Causes, Problems of Backword and Deliuquent Children)	211
24.	पिछड़े हुए एवं अपराधी बालक: शिक्षण आव्यूह एवं निवारण (Backword and Delinquent Children: Prevention and Teaching Strategies)	225
25.	अशक्तता अधिनियम – 1995 (Disability Act— 1995)	239
26.	विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा (Integrated Education for Disabled Children (IEDC)	244
27.	मुख्यधारा से जुड़ाव एवं सम्मिलित शिक्षा (Inclusive Education and Mainstreming)	252
28.	विशिष्ट शिक्षा के शीर्ष निकाय RCI, NIMH (Apex Bodies on Special Educaton : RCI, NIMH)	266
29.	विशिष्ट शिक्षा के शीर्ष निकाय: राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान (Apex Bodies on Special Educaton: NIVH, NIOH)	270
30.	विशिष्ट बालकों का पुनर्वास: समाज की भूमिका सरकार की भूमिका (Rehabilitation of Exceptional Children: Role of Community, Role of Government)	274

नोट

इकाई–1: विशिष्ट शिक्षा: अवधारणा और प्रकृति
(Special Education: Concept, Nature and Scope)

अनुक्रमणिका (Contents)

उद्देश्य (Objectives)
प्रस्तावना (Introduction)
1.1 विशिष्ठ शिक्षा की अवधारणा (Concept of Special Education)
1.2 विशिष्ठ शिक्षा का अर्थ (Meaning of Special Education)
1.3 विशिष्ठ शिक्षा-शिक्षण के रूप में (Special Education-As Teaching)
1.4 विशिष्ठ शिक्षा के उद्देश्य (Objectives of Special Education)
1.5 विशिष्ठ शिक्षा के सिद्धांत (Theories of Special Education)
1.6 विशिष्ठ शिक्षा की आवश्यकताएँ (Needs of Special Education)
1.7 सारांश (Summary)
1.8 शब्दकोश (Keywords)
1.9 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)
1.10 सन्दर्भ पुस्तकें (Further Readings)

उद्देश्य (Objectives)

विद्यार्थी इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् सक्षम होंगे–

- विशिष्ठ शिक्षा की अवधारणा से परिचित होंगे।
- विशिष्ठ शिक्षा की आवश्यकताओं से परिचित होंगे।

प्रस्तावना (Introduction)

'शिक्षा' शब्द अधिक व्यापक है। परन्तु इस शब्द का उपयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। शिक्षा और जीवन का निकट का सम्बन्ध है। 'शिक्षा' शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है, उनमें से कुछ प्रमुख अर्थों का उल्लेख यहाँ किया जाता है।

1. शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया (Education as Process of Development)
2. शिक्षा एक अध्यापक–प्रशिक्षण (Education as Teachers—Training)
3. शिक्षा एक पाठ्य–वस्तु (Education as Content or Subject)
4. शिक्षा एक विनियोग (Education as an Investment)
5. शिक्षा एक सामाजिक परिवर्तन एवं नियन्त्रण का यन्त्र (Education is an instrument of Social change and Social control)

नोट

6. शिक्षा सामाजीकरण की एक प्रक्रिया (Education as a Creature and Creator of society), तथा
7. शिक्षा एक छलनी (Education as a Filtering process)।

इन सभी अर्थों का संक्षिप्त विवेचन अधोलिखित पंक्तियों में किया जाता है । शोध की दृष्टि से तीसरा अर्थ अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ अनुशासन का अर्थ एक स्वतन्त्र-अध्ययन (अध्ययन का विषय) का क्षेत्र माना गया है–

(1) शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया (Education is a Process of Development)–अतीत काल से शिक्षा को एक विकास की प्रक्रिया के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ज्ञान प्रदान करने वाली सभी संस्थाओं को शिक्षण संस्था कहते हैं, चाहे वहाँ शिक्षाशास्त्र विषय पढ़ाया जाता हो अथवा न पढ़ाया जाता हो । महान शिक्षाशास्त्रियों तथा दार्शनिकों ने शिक्षा की जो परिभाषाएँ दी हैं उनमें शिक्षा को विकास की प्रक्रिया ही माना है। यहाँ पर कुछ परिभाषाएँ दी जा रही हैं जिसमें यह और अधिक स्पष्ट हो जाता है–

फोर्बेल–"शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की आन्तरिक शक्तियों को बाहर लाया जाता है।"

"Education is a process by a child makes his internal, an external."—*Forbel*

गाँधी–"शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के रूपों का सर्वांगीण विकास करें।"

"By education I mean all round drawing out the best in child and man-body, mind and soul."
—*M.K. Gandhi*

इतना ही नहीं अपितु शिक्षा प्रक्रिया के रूपों का भी उल्लेख किया जाता है। शिक्षा प्रक्रिया के निम्न रूप माने जाते हैं–

(अ) शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है (Education is dynamic process)

(ब) शिक्षा एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है (Education is continuos process)

(स) शिक्षा एक त्रि-पदी प्रक्रिया है, तथा (Education is a tripolar process)

(द) शिक्षा एक सोद्देश्य प्रक्रिया है (Education is a purposeful process)

इस सन्दर्भ में शिक्षा एक ज्ञान प्रदान करने वाली विकासात्मक प्रक्रिया मानी जाती है।

(2) शिक्षा एक अध्यापक प्रशिक्षण (Education as a Teacher Training)–अध्यापक को प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं को शिक्षा-महाविद्यालय (College of Education) के नाम से सम्बोधित किया जाता है। इन प्रशिक्षण के शिक्षण में सिद्वान्त तथा शिक्षण के अभ्यास पर अधिक बल दिया जाता है। इन विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य प्रभावशाली शिक्षक तैयार करना है। बी.एड. तथा एम. एड. कक्षाओं की व्यवस्था करने वाली संस्थाओं में शिक्षा-विभाग पृथक रूप में होते हैं। इन शिक्षा विभागों का भी उद्देश्य शिक्षकों को प्रशिक्षण देना है। इन सन्दर्भ में शिक्षा शब्द को शिक्षक-प्रशिक्षण अथवा अध्यापक-शिक्षा के अर्थ में प्रयोग किया जाता है।

(3) शिक्षा एक पाठ्य वस्तु (Education As a Content or Discipline)–'शिक्षा' शब्द का प्रयोग, इण्टर, बी.ए. तथा एम.ए. के पाठ्यक्रमों को एक पृथक विषय के रूप में किया जाता है। एम.ए. की उपाधि अन्य विषयों की भाँति 'शिक्षाशास्त्र' में भी दी जाती है। बी.ए. तथा इण्टर में भी पृथक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है।

(4) शिक्षा एक विनियोग (Education As an Investment)–विनियोग शब्द अर्थशास्त्र एवं वाणिज्यशास्त्र का है। इस विनियोग से तात्पर्य लागत से अधिक उत्पादन हो। विनियोग का अर्थ होता है किसी मद में जो व्यय किया जाये अथवा लागत लगाई जाये और उस मद से अधिक पूँजी प्राप्त हो तो उसे विनियोग (Investment) कहते हैं। शिक्षा पर अभिभावक इस लिये व्यय करता है क्योंकि उसके बदले में उसे जो प्राप्त होता है। वह लागत से कहीं अधिक होता है। प्रत्येक माता-पिता अपने बालकों एवं बालिकाओं की शिक्षा पर व्यय करने के लिए तत्पर रहते है। शिक्षा द्वारा जो लाभांश प्राप्त होता है वह गुणात्मक एवं परिमाणात्मक होता है।

(5) शिक्षा सामाजिक परिवर्तन एवं नियंत्रण का एक यंत्र (Education is an instrument for social change and social control)–अतीत में सामाजिक परिवर्तन युद्ध एवं महायुद्धों से होते थे । महाभारत में नये समाज के निर्माण

की आशा की थी। परन्तु आज यदि सामाजिक परिवर्तन लाना हो तो शिक्षा के द्वारा लाया जा सकता है तथा सामाजिक समस्याओं का नियंत्रण भी शिक्षा द्वारा किया जाता है। गाँधी जी छुआ-छूत को समाज से दूर नहीं कर सके आज परन्तु शिक्षा द्वारा यह सम्भव हो सका है। नारी शिक्षा द्वारा सामाजिक रूढ़िवाद का अन्त हुआ। पति-पत्नी की शिक्षा और दोनों की नौकरी से बच्चों के सामाजीकरण की समस्या को पूर्व प्राथमिक कक्षाओं की सुविधा देकर दूर किया जा रहा है। अत: शिक्षा एक सामाजिक परिवर्तन का यंत्र है।

(6) शिक्षा सामाजीकरण की एक प्रक्रिया (Education is the Creator and Creature of the Socciety)– शिक्षा द्वारा नये समाज का निर्माण होता है और समाज शिक्षा की व्यवस्था इसी लिए करता है। राजीव गाँधी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) का स्वरूप इसलिये दिया कि 21वीं शताब्दी में किस प्रकार के नागरिक चाहिये, इसके लिये शिक्षा का रूवरूप विकसित करना चाहिये। शिक्षा की प्रकृति भविष्य केन्द्रित (Future Oriented) होती है। शिक्षा, सदैव भविष्य के लिए तैयार की जाती है तथा भविष्य के लिये ही प्रदान की जाती है। इस प्रकार यह समाज निर्माण की एक प्रक्रिया है।

(7) शिक्षा एक छलनी (Education as a Filtering Process)–प्रजातंत्र में नागरिकों द्वारा ही शासन किया जाता है तथा वे नागरिकता का मार्ग दर्शन करते हैं और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करते हैं। उन्हें शिक्षा भी देते हैं। देश में सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है परन्तु यह भी ध्यान देने योग्य है कि प्राथमिक कक्षाओं की पाँचवी कक्षा में कितने प्रतिशत पास कर पाते हैं और उसके बाद उनमें से माध्यमिक की आठवीं कक्षा को कितने प्रतिशत पास कर पाते हैं। पास करने वालो में से कितने हाई स्कूल की परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। इस प्रकार इण्टर, स्नातक तथा परास्नातक परीक्षाओं में प्रतिशत बहुत कम होता जाता है। विद्यार्थी परीक्षाओं द्वारा छंटते जाते हैं। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वालों का प्रतिशत बहुत कम होता है। यही व्यक्ति नेतृत्व तथा मार्ग दर्शन देने में सक्षम होते हैं। अन्य पदों के लिये परीक्षाओं की व्यवस्था है। इस प्रकार प्रजातंत्र में शिक्षा एक छलनी का कार्य करती है।

इस प्रकार शिक्षा एक प्रक्रिया एवं प्रशिक्षण के अतिरिक्त अन्य विषयों की भाँति एक अध्ययन का स्वतंत्र अनुशासन (discipline) भी है। शिक्षा विषय को 'कला' तथा 'विज्ञान' दोनों ही माना जाता है।

1.1 विशिष्ट शिक्षा की अवधारणा (Concept of Special Education)

शब्द 'विशिष्ट शिक्षा' के अन्तर्गत उन पक्षों को सम्मिलित किया जाता है जो विशिष्ट बालकों पर लागू होता है। यह शिक्षा शारीरिक, मानसिक और प्रतिभाशाली अथवा विशिष्ट गुण सम्पन्न बालकों के लिए अपनायी जाती है। विशिष्ट शिक्षा का इतिहास का क्षेत्र दीर्घ है। जाति व्यवस्था का प्रचीन काल में स्वीकृत आधाार शिक्षा के प्रत्यय से सम्बन्धित है। प्राचीन काल से ब्राह्मण शिक्षा के क्षेत्र में और क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र में निपुण माने जाते हैं। इसी प्रकार वैश्यों एवं शूद्रों के प्रशिक्षण भी उनके कार्य क्षेत्र के अनुरूप अलग-अलग थे। इस प्रकार का वर्गीकरण मूल रूप से विभिन्न प्रतिभाओं के मनुष्यों को भिन्न-भिन्न श्रेणियों में रखने के दृष्टिकोण से किया गया था।

छात्रों की प्रतिभाओं को माता-पिता अथवा अध्यापकगण पहचानते थे, जो उन्हें शिक्षण प्रविधियों में भी विशिष्ट बालकों की शिक्षा के क्षेत्र में इसी प्रकार की प्रक्रियाओं का अनुसरण किया जाता है। शिक्षाविद् सामान्य तथा शारीरिक रूप से बाधित बालकों पर विशेष ध्यान देने के कारण विशिष्ट बालकों की आवश्यकता पर कम ध्यान दे पाते हैं। विशिष्ट शिक्षा के बारे में विभिन्न विचार विवादास्पद हैं। ये विचार बालकों की शिक्षा की मुख्यधारा से भिन्न हैं। जिसके कारण विशिष्ट बालकों को विशेष तथा अधिक अवसर प्रदान करने के पक्ष में है।

साधारणत: यह समझा जाता है कि विशिष्ट शिक्षा सम्पूर्ण कार्यक्रम नहीं है जो सामान्य बालकों की शिक्षा से सर्वथा भिन्न है। इस क्षेत्र में शिक्षा के ऐसे घटक भी सम्मिलित हैं, जो सभी बालकों के कार्यक्रमों के साथ-साथ विशिष्ट भी हैं। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे कुछ विकसित देशों में इस प्रकार की शिक्षण संस्थाएँ अधिकतर आवासीय शिक्षण विद्यालयों के रूप में कार्यरत हैं। परन्तु भारत जैसे विकासशील देश में आवासीय शिक्षण संस्थायें सामान्यत नहीं दिखाई देतीं। इस प्रकार के बालकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए भारत के महानगरों में ऐसी शिक्षा संस्थाओं पर अब ध्यान दिया जा रहा है।

नोट

1.2. विशिष्ट शिक्षा का अर्थ (Meaning of Special Education)

विशिष्ट शिक्षा के स्वरूप की रचना प्रतिभाशाली बालकों की विशेष आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बाधिताओं से सम्बन्धित सेवाएँ जैसे यातायात, चिकित्सा, मनौवैज्ञानिक निर्धारण, भौतिक, शारीरिक तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा परामर्श आदि की भी आवश्यकता होती है। विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में उपरोक्त संसाधन आवश्यक हैं, जो शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाने में सक्षम है।

1.3 विशिष्ट शिक्षा–शिक्षण के रूप में (Special Education—As Teaching)

विशिष्ट शिक्षा के स्वरूप को कौन क्या कहाँ आदि जैसे शब्दों में देखा जा सकता है। विशिष्ट शिक्षा के अर्थ को विलक्षण बालकों की विशिष्ट आवश्यकता, योग्यता तथा अनेक व्यक्तिगत शिक्षा-प्रणाली के रूप में देखा जा सकता है। विभिन्न कार्य क्षेत्रों के विशेषज्ञ, शिक्षाविद् शिक्षक, मनोवैज्ञानिक, वाणी प्रशिक्षक, जन्तु वनस्पति विज्ञानी, चिकित्सा आदि प्रतिभाशाली बालकों की आवश्यकताओं के अनुरूप सहायता करने का उत्तदायित्व रखते हैं।

विशिष्ट शिक्षा को पाठ्यक्रम के आधार पर कई बार सामान्य शिक्षा से पृथक किया जाता है। जैसे क्या पढ़ाया जाता है। उदाहरणार्थ स्वयं सहायता में चातुर्य और निपुणता का शिक्षण, 'ब्रेल' भाषा पढ़ने व लिखने का प्रशिक्षण दृष्टि बाधित बालकों के लिये पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग है। विशिष्ट शिक्षा संस्थाओं में छात्रों को दिए जाने वाले ज्ञान से भिन्न होता है क्योंकि विशिष्ट शिक्षा का पाठ्यक्रम वैयक्तिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। विशिष्ट शिक्षा का स्वरूप चूंकि सामान्य शिक्षा से भिन्न होता है। विशिष्ट शिक्षा संसाधन युक्त कक्षों, विशेष शिक्षा पद्वति आदि सामान्य शिक्षा की पद्धति से भिन्न है। इसीलिए विशिष्ट शिक्षा को सरलता से पहचाना जा सकता है। विशिष्ट शिक्षा के अन्तर्गत, शिक्षाविद् छात्रों को समझाने के लिये सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। अन्य क्षेत्र में शिक्षाविद् मन्दबुद्धि छात्रों को शिक्षण हेतु कार्य विश्लेषण और कुशल प्रशिक्षण का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य विशिष्ट शिक्षक अधिगम-अयोग्य बालक की शिक्षा के लिए प्रक्रिया-प्रशिक्षण और विभिन्न ज्ञान या बहुमुखी संचालित प्रविधियों का प्रयोग कर सकते हैं।

(1) **सुधार हेतु प्रयास** (Preventive Efforts)–बालकों के गम्भीर रूप से बाधित होने पर संभावित समस्या के स्वरूप को रखना।

(2) **सुधार हेतु कार्यक्रम** (Remedial Programmes)–बालकों को शारीरिक दोषों से शिक्षण या प्रशिक्षण के द्वारा छुटकारा दिया जा सकता है।

(3) **पूरक प्रयास** (Compensatory Eforts)–बालकों को शारीरिक बाधिता से उबरने के लिए नये साधन देने का प्रयास करना।

नोट्स विशिष्ट शिक्षा संसाधन युक्त कक्षों, विशेष शिक्षा संस्थाओं या आवासीय शिक्षण केंद्रों में दी जाती है।

1.4 विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य (Objectives of Special Education)

विशिष्ट शिक्षा तथा सामान्य शिक्षा के उद्देश्य समान होते हैं–जैसे बालकों को उपयुक्त शिक्षा के माध्यम से मानवीय संसाधनों का उत्थान, देश का विकास, समाज का पुनर्गठन, नागरिक विकास, व्यवसायिक कार्य कुशलता आदि प्रदान करना। इन उद्देश्यों के अतिरिक्त विशिष्ट शिक्षा के कुछ निम्नलिखित विशेष उद्देश्यों के अतिरिक्त विशिष्ट शिक्षा के कुछ निम्नलिखित विशेष उद्देश्य भी हैं–

(1) शारीरिक दोषयुक्त बालकों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्व पहचान तथा निर्धारण करना।

नोट

(2) शारीरिक दोष की दशा मे इससे पहले कि वे गम्भीर स्थिति को प्राप्त हों, उनकी रोकथाम के लिये पहले से ही उपाय करना। बालकों के सीखने की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करने की नवीन विधियों द्वारा बालकों को शिक्षा देना।

(3) शारीरिक बाधित बालकों के माता-पिता को निपुणता तथा कार्यकुशलताओं के बारे में समझाना तथा बालकों की उत्पन्न समस्याओं एवं कमियों के बारे में सुरक्षा तथा रोकथाम के उपाय करना।

(4) शारीरिक रूप से बाधित बालकों की शिक्षण समस्याओं की जानकारी देना तथा सुधार हेतु सामूहिक संगठन तैयार करना।

(5) शारीरिक रूप से बाधित बालकों का पुर्नवास करना।

(6) शिक्षा की राष्ट्रीय नीति (National Policy of Education— 1986-92) में स्वयं एवं जीवनयापन के आव्यूहों का क्रमबद्धता से निर्धारण करना।

टास्क विशिष्ट शिक्षा के उन कार्यक्रमों का उल्लेख कीजिए जो सामान्य बालकों के साथ-साथ विशिष्ट भी हों।

1.5 विशिष्ट शिक्षा के सिद्धान्त (Principles of Special Education)

विशिट शिक्षा निम्नलिखित सिद्धान्तों पर आधारित है–

(1) व्यक्तिगत भिन्नता दो प्रकार की होती है–

(क) दो व्यक्तियों में अन्तर (ख) मनुष्य का स्वयं से भेद होना। दूसरे शब्दों में, कुछ छात्र अन्य छात्रों से अधिकांश गुणों में सर्वथा भिन्न होते हैं, जो शिक्षा के माध्यम से पूरी करनी चाहिए।

(2) **कोई भी निरस्त नही (No one is Rejected)**–शारीरिक रूप से बाधित सभी बालकों को नि:शुल्क शिक्षा मिलनी चाहिये। सामान्य शिक्षा संस्थाओं में किसी बालक को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का विकल्प किसी विद्यालय की व्यवस्था में नहीं है।

(3) **पक्षपात रहित शिक्षा (Non-Diserininatory Education)**–ऐसे विद्यार्थियों की पहिचान करनी चाहिये जो विशिष्ट शिक्षा की आवयकता का अनुभव करते हैं जिससे उन्हें दी जाने वाली शिक्षा का उपयुक्त स्वरूप सुनिश्चित किया जा सके। प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत रूप से परीक्षा होनी चाहिये। इसके पश्चात् सभी छात्रों विशिष्ट शिक्षा के कार्यक्रम से जोड़कर रखा जाना चाहिये। समय-समय पर ऐसे बालकों की कठिनाइयों, समस्याओं तथा उनकी प्रगति का परीक्षण भी किया जाना चाहिये।

(4) **वैयक्तिक शिक्षा कार्यक्रम (Individualized Education Programmes)**–जिन विद्यार्थियों को विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता है उन्हें व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम या तो विशिष्ट कक्षाओं में दिया जाये या उनसे सम्बन्धित शिक्षा उन बालकों की वर्तमान कार्य-प्रणाली और विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिये। अभिक्रमित अनुदेश को भी प्रयुक्त किया जा सकता है।

(5) **नियंत्रित वातावरण (Restrictive Environment)**–जहाँ तक सम्भव हो शारीरिक रूप से बाधित बालकों तथा सामान्य बालकों की शिक्षा एक ही कक्ष में साथ-साथ होनी चाहिये। यह कक्षा सामान्य हो सकती है। सामान्य कक्ष विकलांग छात्रों को न्यूनतम विध्न डालने वाला वातावरण प्रदान करता है।

(6) **विशिष्ट प्रक्रिया (Special Process)**–यह प्रक्रिया प्रदर्शित करती है कि शारीरिक रूप में बाधित बालकों के माता-पिता को विद्यालय की व्यवस्था का निर्धारण तथा विश्लेषण करने का पूर्ण अधिकार है जहाँ पर बालकों को उनकी आवश्यकतानुसार शिक्षा दी जा रही है। यदि माता-पिता संस्था की कार्य-प्रणाली से असन्तुष्ट

नोट

हैं तो वह बालकों को उस संस्था से निकालकर किसी अन्य विशिष्ट शिक्षा संस्था में प्रवेश दिला सकते हैं। जहाँ पहली संस्था की अपेक्षा शिक्षा के कार्यक्रम उपयुक्त बालकों की आवश्यकता के अनुरूप हों।

(7) **माता-पिता का सहयोग (Parental Participation)**—यदि शारीरिक रूप से बाधित बालकों के माता-पिता भी शिक्षण कार्यक्रमों में रूचि लेते हैं तो विशिष्ट शिक्षण कार्यक्रमों को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है।

क्या आप जानते हैं सामान्य शिक्षा संस्थाओं में शारीरिक रूप से अशक्त किसी भी बालक को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का विकल्प नहीं है।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

दिए गए कथनो के सामने सही (✓) अथवा गलत (✗) का निशान लगाएँ—(State whether the followings statements are 'True' or 'False')

1. विशिष्ट शिक्षा, शारीरिक मानसिक और प्रतिभाशाली अथवा विशिष्ट गुण संपन्न बालकों पर अपनाई जाती है। ☐
2. सरकार ने सभी महाविद्यालयों में विशिष्ट शिक्षा को अनिवार्य किया है। ☐
3. शारीरिक रूप से अशक्त बालकों के माता-पिता को विद्यालय व्यवस्था का निर्धारण तथा विश्लेषण का पूरा अधिकार है। ☐
4. श्रवण बाधित बालकों के लिए श्रवण यंत्र उपलब्ध कराना शिक्षण संस्थाओं की जिम्मेदारी है। ☐

1.6 विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकताएँ (Needs of Special Education)

यह सत्य है कि पिछड़े हुए एवं प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु विशेष सुविधाओं तथा साधनों की आवश्यकता है। इसलिये विशिष्ट शिक्षा के महत्व को समझा जा सकता है।

(1) विशिष्ट कक्षायें (Special Classes) विकलांग बालकों के लिये आवश्यक हैं क्योंकि उनकी शिक्षा के लिये विशिष्ट विधियों तथा प्रविधियों की आवश्यकता होती है।

(2) प्रतिभाशाली बालकों का बुद्धि स्तर सामान्य बालकों की अपेक्षा ऊँचा होता है। इसलिये प्रतिभाशाली बालकों, को सामान्य बालकों के साथ समायोजन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सामन्यत: ऐसा पाया जाता है कि शिक्षक अपनी गति से शिक्षा देता है जो सामान्य बालकों के लिये उपयुक्त है। लेकिन प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों की अपेक्षा शीघ्र ही अपनी कार्य समाप्त कर लेता है। ऐसी परिस्थिति में यह समस्या आती है कि प्रतिभाशाली बालक अपना समय कैसे व्यतीत करे जबकि शिक्षक सामान्य बालकों के साथ उसी कार्य को पूरा कराने में व्यस्त रहता है। सामान्यत: प्रतिभाशाली बालक ऐसी परिस्थिति में अनुशासनहीनता तथा उद्दण्डता करने लगते हैं। सामान्य बालकों का पाठ्यक्रम इतना साधारण होता है कि प्रतिभाशाली बालक नीरस हो जाता है तथा कार्य में रुचि खो देता है। ऐसी स्थिति में प्रतिभाशाली बालक कार्य के प्रति प्रेरित नहीं हो पाते।

(3) प्रतिभाशाली बालकों को सामाजिक तथा वैयक्तिक आवश्यकताओं को ग्रहण करने के लिये अतिरिक्त सुविधाओं तथा साधनों की आवश्यकता होती है। इसलिये ऐसी सुविधायें प्रतिभाशाली बालकों को उनकी कार्य करने की क्षमता से अवगत कराती हैं, तथा शारीरिकि रूप से बाधित बालकों में उनके दोषों को कम करने का प्रयास करती है। ऐसी परिस्थिति में उत्कृष्ट बालक अपनी प्रतिभा के अनुरूप कार्य करने का अवसर पाते हैं। सामान्य कक्षाओं में बुद्धिमान बालक अपने आपको कार्य करने में बाधित पाता है। वह थोड़ी सी इच्छाशक्ति से प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में स्थान बना सकता है एवं अपने स्तर को ऊँचा कर सकता है। यह अपने

स्थान पर उचित है कि अधिक तीव्र प्रगति कुछ सीमा तक कमी तथा कमजोरी होती है।

(4) प्रयोगात्मक आँकड़े बताते हैं कि सामान्य शिक्षण संस्थाओं में प्रतिभाशाली बालकों के साथ सामाजिक कुप्रंबन्ध उग्र रूप में पाया जाता है। प्रतिभाशाली बालक कार्य कम होने या कभी-कभी न होने से खाली बैठे रहते हैं, क्योंकि या तो उन पर कार्य का बोझ नही होता अथवा वे कार्य को शीघ्र ही समाप्त कर लेते हैं। ऐसी परिस्थितियों में उनका व्यक्तिगत व्यवहार स्वीकार करने योग्य नहीं होता। क्योंकि वे स्वयं को उद्दंडता के कार्यों में शामिल कर लेते हैं।

(5) विशिष्ट कक्षाओं में बुद्धिमान छात्रों को अग्रसर होने का अवसर मिलता है लेकिन शिक्षक को ऐसे बालकों को सामान्य कक्षा में कार्य के प्रति प्रेरित करने में समस्या तथा बाधाओं का सामना करना पड़ता है। सामान्यत: विलक्षण बालक अन्य सामान्य बालकों की अपेक्षा संवेदनशील होते हैं। उनकी सोचने की क्षमता अधिक तथा तीव्र होती है। वे कार्य के प्रति सावधान होते हैं, इसलिये उनके शिक्षण में विशेष विधियों व प्रविधियों की आवश्यकता होती है।

(6) प्रतिभाशाली बालकों की कक्षाओं में प्रत्येक बालक यह जानता है कि केवल कक्षा में वह ही एक बुद्धिमान विद्यार्थी नहीं है बल्कि और भी कई विद्यार्थी हैं। यह विचार बालकों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करता है। विशिष्ट कक्षायें बालकों में अधिक सीमा तक शिक्षण विशेष धाराओं में मार्ग दर्शक के रूप में अग्रसर होने का अवसर भी प्रदान करती है। उसी समूह में कुछ बालक, कविता, नाटक, खेल-कूद तथा सामान्य ज्ञान जैसी शाखाओं में रूचि लेते हैं। आगे आने वाले समय में बालकों के लिये उपयुक्त प्रशिक्षण तथा विशिष्ट शिक्षा के कार्यक्रम उनके विकास में सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

(7) विशिष्ट शिक्षा के द्वारा चयनित स्थानापन्न (Selective Placement) किया जाता है। विभिन्न शाखाओं के विशेषज्ञों द्वारा बालकों का पूर्ण रूप से सामाजिक वातावरण में विभिन्न श्रेणियों में विश्लेषण, मूल्यांकन तथा निर्धारण किया जाता है। भौतिक परीक्षण तथा मूल्य निर्धारण भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों जैसे मानसिक, चिकित्सक श्रवण, नेत्र, मस्तिष्क, अस्थि तथ शिक्षाविदों आदि द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के चयनित स्थानापन्न के लिये अतिआवश्यक है।

(8) विशिष्ट शिक्षा को अन्य सेवाओं की भी आवश्यकता होती है। जैसे अस्थि-अपंग बालकों का शारीरिक, व्यवसायिक तथा नियमित रूप से शारीरिक परीक्षण। कुछ प्रतिभाशाली बालकों को चिकित्सा, देख-रेख की निश्चित तथा नियमित रूप से भी आवश्यकता होती है। समय-समय पर अन्धे बालकों और श्रवण-अपंग बालकों को परीक्षण की आवश्यकता हो सकती है। कुछ विशिष्ट बालकों को व्यवसायिक और शारीरिक मानसिक, मनोवैज्ञानिक तथा सेवायें अतिआवश्यक हैं।

यह कहाना उचित है कि कुछ विशेष उपकरण तथा अतिरिक्त प्रशिक्षण शिक्षाविदों के लिये आवश्यक है और कई बार यह काफी महंगा भी होता है। लेकिन वास्तव में शारीरिक रूप से अपंग तथा विशिष्ट बालकों की देखभाल में कमी करना उपयुक्त प्रशिक्षण की अपेक्षा अधिक महंगा पड़ता है।

(9) विशिष्ट बालकों का महत्व सामान्य कक्षा में आने वाली परेशानियों से समझाा जा सकता है जिसका शिक्षाविदों को सामना करना पड़ता है। सामान्य कक्षा में अपंग तथा सामान्य व अन्य विभिन्न श्रेणी के बालक होते हैं। वे शारीरिक रूप से बाधित और साधारण या प्रतिभाशाली और सामान्य होते हैं। शिक्षाविदों को ऐसी विधियाँ उन्हें शिक्षित करने के समय अपनानी पड़ती हैं, जो उपरोक्त विभिन्न श्रेणियों के बालकों के लिये उपयुक्त हो। लेकिन बालकों को शिक्षा देते समय कक्षा में शिक्षाविदों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि विद्यार्थियों को उन्हें दिया जाने वाला अनुदेशन समझने में समस्या आती है। कुछ विद्यार्थी अनुदेशन की सार्थकता की माप को कम समझते हैं। ऐसी अवस्था में विशिष्ट कक्षाओं की आवश्यकता को गम्भीर रूप से समझा जाता है। एक प्रकार से विशिष्ट शिक्षा का अर्थ प्रतिभाशाली बालकों की सहायता ही नहीं अपितु सामान्य कक्षा अध्यापकों के लिये किसी परिणाम पर भी पहुँचना है।

नोट

(10) ऐसा कहा जाता है कि शिक्षा उस स्थान से शुरू होती है जहाँ पर औषधियों का अन्त होता है। श्रवण बाधित बालक को श्रवण यन्त्र उपलब्ध कराना चिकित्सा विज्ञान का कार्य है। परन्तु बालकों की देखने व सुनने की सामर्थ्य का उपयोग करना निसन्देह शिक्षा का कार्य क्षेत्र है। यदि श्रवण बाधाओं को ठीक किया जाता है तो ये चिकित्सा का कार्य क्षेत्र है, और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो यह शिक्षा की चिन्ता का विषय है। इसके विषय में शिक्षाविदों को सोचना है, कि क्या किया जा सकता है? जैसे पूर्णतया अन्धे बालकों के लिये 'ब्रेल' (Braile) या इससे संबन्धित संसाधन उपलब्ध कराना, यात्रा के माध्यम से प्रशिक्षण तथा विचार विमर्श द्वारा समझाना आदि, विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से शिक्षा विशषज्ञो की सेवाओं द्वारा प्रदान की जाती है।

दुर्भाग्यवश लगभग 5 प्रतिशत शारीरिक रूप से बाधित बालक (अन्धे, बहरे) विशिष्ट शिक्षा केन्द्रों में शिक्षा ग्रहण करते हें। उनकी शिक्षा के लिये शिक्षाविद विशिष्ट ध्यान रखते हैं तथा उन्हें विभिन्न कार्य क्षेत्रों में शिक्षा दी जाती है। लेकिन अधिकांश ऐसी शिक्षण संस्थायें महानगारों या नगरों में स्थित हैं। ऐसी शिक्षण संस्थाओं में ग्रामीण क्षेत्र के बालक शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं जा पाते। इससे यह समझा जा सकता है कि इन बालकों की शिक्षा के लिए विशिष्ट शिक्षा केन्दों की अति आवश्यकता है।

विशिष्ट शिक्षा को सर्वप्रथम विलक्षण बालकों की पहिचान करने की आवश्यकता है। इसके लिये शिक्षाविदों द्वारा निश्चित कुछ बिन्दुओं को समझाना होता है। विशिष्ट शिक्षा सामान्य कक्षाओं में दी जा सकती है। चाहे वह विशिष्ट रूप में अलग-अलग अथवा साथ-साथ हों। पहले तो यह मूल रूप से विशिष्ट कक्षाओं में ही था, लेकिन अब विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रमों का उत्थान सामान्य शिक्षा का अंग बन गया है।

विशिष्ट बालकों को विशिष्ट शिक्षा के लिये निम्नलिखित तीन प्रमुख बिन्दु हैं–

(अ) प्रशिक्षित शिक्षाविद्, अध्यापक, मनोवैज्ञानिक (Physiotherapists) तथा अन्य विशेषज्ञों की आवश्यकता।

(ब) विभिन्न श्रेणियों के बालकों के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों की आवश्यकता है। जैसे मन्द बुद्धि, विलक्षण, प्रतिभाशाली, सामान्य, अन्धे, बहरे तथा शारीरिक रूप से बाधित एवं भावनात्मक तथा सामाजिक समस्या आदि।

(स) कुछ विशेष सुगमताएँ जैसे– विशेष शिक्षा की इमारत, पठन-लेखन सामग्री तथा उपकरण विशिष्ट शिक्षण के लिये उपलब्ध कराना।

1.7 सारांश (Summary)

- शब्द 'विशिष्ट शिक्षा' के अन्तर्गत उन पक्षों को सम्मिलित किया जाता है जो विशिष्ट बालकों पर लागू होता है। यह शिक्षा शारीरिक, मानसिक और प्रतिभाशाली अथवा विशिष्ट गुण सम्पन्न बालकों के लिए अपनायी जाती है। विशिष्ट शिक्षा का इतिहास का क्षेत्र दीर्घ है। जाति व्यवस्था का प्रचीन काल में स्वीकृत आधाार शिक्षा के प्रत्यय से सम्बन्धित है। प्राचीन काल से ब्राह्मण शिक्षा के क्षेत्र में और क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र में निपुण माने जाते हैं। इसी प्रकार वैश्यों एवं शूद्रों के प्रशिक्षण भी उनके कार्य क्षेत्र के अनुरूप अलग-अलग थे। इस प्रकार का वर्गीकरण मूल रूप से विभिन्न प्रतिभाओं के मनुष्यों को भिन्न-भिन्न श्रेणियों में रखने के दृष्टिकोण से किया गया था।
- छात्रों की प्रतिभाओं को माता-पिता अथवा अध्यापकगण पहचानते थे, जो उन्हें शिक्षण प्रविधियों में भी विशिष्ट बालकों की शिक्षा के क्षेत्र में इसी प्रकार की प्रक्रियाओं का अनुसरण किया जाता है। शिक्षाविद् सामान्य तथा शारीरिक रूप से बाधित बालकों पर विशेष ध्यान देने के कारण विशिष्ट बालकों की आवश्यकता पर कम ध्यान दे पाते हैं। विशिष्ट शिक्षा के बारे में विभिन्न विचार विवादास्पद हैं। ये विचार बालकों की शिक्षा की मुख्यधारा से भिन्न हैं। जिसके कारण विशिष्ट बालकों को विशेष तथा अधिक अवसर प्रदान करने के पक्ष में है।
- विशिष्ट शिक्षा के स्वरूप की रचना प्रतिभाशाली बालकों की विशेष आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बाधिताओं से सम्बन्धित सेवाएँ जैसे यातायात, चिकित्सा, मनौवैज्ञानिक निर्धारण, भौतिक, शारीरिक तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा परामर्श आदि की भी आवश्यकता होती है। विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में उपरोक्त संसाधन आवश्यक हैं, जो शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाने में सक्षम है।

नोट

- विशिष्ट शिक्षा को पाठ्यक्रम के आधार पर कई बार सामान्य शिक्षा से पृथक किया जाता है। जैसे क्या पढ़ाया जाता है। उदाहरणार्थ स्वयं सहायता में चातुर्य और निपुणता का शिक्षण, 'ब्रेल' भाषा पढ़ने व लिखने का प्रशिक्षण दृष्टि बाधित बालकों के लिये पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग है।
- विशिष्ट शिक्षा संसाधन युक्त कक्षों, विशेष शिक्षा पद्वति आदि सामान्य शिक्षा की पद्धति से भिन्न है। इसीलिए विशिष्ट शिक्षा को सरलता से पहचाना जा सकता है। विशिष्ट शिक्षा के अन्तर्गत, शिक्षाविद् छात्रों को समझाने के लिये सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। अन्य क्षेत्र में शिक्षाविद् मन्दबुद्धि छात्रों को शिक्षण हेतु कार्य विश्लेषण और कुशल प्रशिक्षण का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य विशिष्ट शिक्षक अधिगम-अयोग्य बालक की शिक्षा के लिए प्रक्रिया-प्रशिक्षण और विभिन्न ज्ञान या बहुमुखी संचालित प्रविधियों का प्रयोग कर सकते हैं।
- विशिष्ट शिक्षा तथा सामान्य शिक्षा के उद्देश्य समान होते हैं—जैसे बालकों को उपयुक्त शिक्षा के माध्यम से मानवीय संसाधनों का उत्थान, देश का विकास, समाज का पुनर्गठन, नागरिक विकास, व्यवसायिक कार्य कुशलता आदि प्रदान करना।
- विशिट शिक्षा निम्नलिखित सिद्धान्तों पर आधारित है–
  (1) शारीरिक रूप से बाधित सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिये।
  (2) **पक्षपात रहित शिक्षा**—ऐसे विद्यार्थियों की पहिचान करनी चाहिये जो विशिष्ट शिक्षा की आवयकता का अनुभव करते हैं जिससे उन्हें दी जाने वाली शिक्षा का उपयुक्त स्वरूप सुनिश्चित किया जा सके।
  (3) **वैयक्तिक शिक्षा कार्यक्रम**—जिन विद्यार्थियों को विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता है उन्हें व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम या तो विशिष्ट कक्षाओं में दिया जाये या उनसे सम्बन्धित शिक्षा उन बालकों की वर्तमान कार्य-प्रणाली और विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिये।
  (4) **नियंत्रित वातावरण**—जहाँ तक सम्भव हो शारीरिक रूप से बाधित बालकों तथा सामान्य बालकों की शिक्षा एक ही कक्ष में साथ-साथ होनी चाहिये।
  (5) **विशिष्ट प्रक्रिया**—यह प्रक्रिया प्रदर्शित करती है कि शारीरिक रूप में बाधित बालकों के माता-पिता को विद्यालय की व्यवस्था का निर्धारण तथा विश्लेषण करने का पूर्ण अधिकार है जहाँ पर बालकों को उनकी आवश्यकतानुसार शिक्षा दी जा रही है।
  (7) **माता-पिता का सहयोग**—यदि शारीरिक रूप से बाधित बालकों के माता-पिता भी शिक्षण कार्यक्रमों में रूचि लेते हैं तो विशिष्ट शिक्षण कार्यक्रमों को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है।
- विशिष्ट कक्षायें (Special Classes) विकलांग बालकों के लिये आवश्यक हैं क्योंकि उनकी शिक्षा के लिये विशिष्ट विधियों तथा प्रविधियों की आवश्यकता होती है।
- प्रतिभाशाली बालकों का बुद्धि स्तर सामान्य बालकों की अपेक्षा ऊँचा होता है। इसलिये प्रतिभाशाली बालकों, को सामान्य बालकों के साथ समायोजन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
- प्रतिभाशाली बालकों को सामाजिक तथा वैयक्तिक आवश्यकताओं को ग्रहण करने के लिये अतिरिक्त सुविधाओं तथा साधनों की आवश्यकता होती है। इसलिये ऐसी सुविधायें प्रतिभाशाली बालकों को उनकी कार्य करने की क्षमता से अवगत कराती हैं, तथा शारीरिकि रूप से बाधित बालकों में उनके दोषों को कम करने का प्रयास करती है।
- विशिष्ट कक्षाओं में बुद्धिमान छात्रों को अग्रसर होने का अवसर मिलता है लेकिन शिक्षक को ऐसे बालकों को सामान्य कक्षा में कार्य के प्रति प्रेरित करने में समस्या तथा बाधाओं का सामना करना पड़ता है। वे कार्य के प्रति सावधान होते हैं, इसलिये उनके शिक्षण में विशेष विधियों व प्रविधियों की आवश्यकता होती है।
- विशिष्ट शिक्षा को अन्य सेवाओं की भी आवश्यकता होती है। जैसे अस्थि-अपंग बालकों का शारीरिक, व्यवसायिक तथा नियमित रूप से शारीरिक परीक्षण। कुछ प्रतिभाशाली बालकों को चिकित्सा, देख-रेख की निश्चित तथा नियमित रूप से भी आवश्यकता होती है।

नोट

- विशिष्ट शिक्षा को सर्वप्रथम विलक्षण बालकों की पहिचान करने की आवश्यकता है। इसके लिये शिक्षाविदों द्वारा निश्चित कुछ बिन्दुओं को समझाना होता है। विशिष्ट शिक्षा सामान्य कक्षाओं में दी जा सकती है। चाहे वह विशिष्ट रूप में अलग-अलग अथवा साथ-साथ हों।

1.8 शब्दकोश (Keywords)

1. **घटक**–प्रस्तुत करने वाला, बनाने वाला, रचने वाला, तत्त्व।
2. **अनुदेश**–संकेत, निर्देश, शिक्षा।

1.9 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

1. विशिष्ट शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए।
2. विशिष्ट शिक्षा के सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए।
3. विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकताएँ समझाइए।

उत्तर : स्व-मूल्यांकन (Answer: Self Assessment)

1. (✓) 2. (×) 3. (✓) 4. (×)।

1.10 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

पुस्तकें

1. *विशिष्ट शिक्षा* – कुमार संजीव, जानकी प्रकाशन, पटना।
2. *विशिष्ट बालक* – आभारानी विष्ट, अग्रवाल प्रकाशन, आगरा।
3. *विशिष्ट शिक्षा का प्रारूप* – डॉ. आर. लाल. शर्मा, आर. लाल. बुक डिपो, आगरा।

नोट

इकाई–2: विशिष्ट शिक्षा: उद्देश्य एवं आवश्यकता (Special Education : Objectives and Need)

अनुक्रमणिका (Contents)

उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तावना (Introduction)

2.1 विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य (Objectives of Special Education)

2.2 विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता (Need of Special Education)

2.3 सारांश (Summary)

2.4 शब्दकोश (Keywords)

2.5 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

2.6 सन्दर्भ पुस्तकें (Further Readings)

उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् विद्यार्थी योग्य होंगे–

- विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य एवं उसकी आवश्यकता से परिचित होंगे।

प्रस्तावना (Introduction)

सृष्टि के सृजन से आज तक यह मान्यता रही है कि दो प्राणी समान नहीं होते और न ही वे एक जैसा व्यवहार करते है। व्यक्तिगत भिन्नता के मनोविज्ञान के विकास से पूर्व समस्त बालकों को सामान्य बालकों की श्रेणी में रखा जाता था। केवल वे थोड़े से बालक जो सामान्य से अत्यधिक भिन्न थे उन्हें असामान्य माना जाता था। परंतु मानसिक मापन तथा सांख्यिकी के विकास के साथ उन बालकों की ओर ध्यान गया जो सामान्य से किसी भी रूप में भिन्न थे। परिणामस्वरूप आज विशिष्ट बालक की एक समुचित अवधारणा है तथा विशिष्ट शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण विषय है।

2.1 विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य (Objectives of Special Education)

जो शिक्षा के उद्देश्य सामान्य बालकों के लिए हैं, वे ही विशिष्ट बालकों के लिए भी हैं; साथ ही, उनके लिए कुछ विशेष उद्देश्य भी हैं, क्योंकि उनकी शिक्षा विशेष है, अध्यापक विशेष है तथा पाठ्य-सामग्री व सहायक-सामग्री भी विशेष है। अत: विशेष शिक्षा के लिए विशेष दर्शन, विधि तथा विशेष अभ्यास की आवश्यकता है। इनकी शिक्षा में विस्तृत तथा नयी विचारधारा को रखना चाहिए।

विशेष शिक्षा के लिए प्रशासन एवं निरीक्षण के सिद्धान्त

योजनाओं से सिद्धान्त निकलते हैं तथा सिद्धान्तों पर लोग अमल करते हैं। विशेष शिक्षा की सफलता के लिए आवश्यक है कि एक उचित प्रशासन एवं निरीक्षण की योजना बनायी जाय। इसके लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं–

1. विशेष शिक्षा का उत्तरदायित्व निश्चित कर लेना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो विशेष शिक्षा के

नोट

लिए इमारत, सामान, अध्यापक आदि का प्रबन्ध कर सके। कभी-कभी शिक्षा निर्देशक इस बात के लिए उत्तरदायी होते हैं। छोटे-छोटे शहरों में अधीक्षक ही ये काम कर सकते हैं।

2. बालकों/बालिकाओं के संरक्षकों को विशेष शिक्षा के प्रोग्राम के उद्देश्यों तथा कार्यों से परिचित कराना चाहिए, उन्हें इसके लाभों से अवगत कराना चाहिए तथा यह बताना चाहिए कि विशेष शिक्षा कोई दण्ड नहीं है।
3. प्रबन्धकर्त्ताओं को इस बात को अवश्य मानना चाहिए कि विशेष शिक्षा से आवश्यकता से अधिक खर्च होगा; जैसे-माता-पिता का अपने अक्षम बालक की शिक्षा पर अधिक खर्च होता है। अत: जिले व राज्य को भी अधिक खर्च करना चाहिए।
4. स्कूल प्रशासन का उत्तरदायित्व है कि बालकों का उचित निरीक्षण करवाये तथा उन्हें उचित कक्षा में रखवाये। उन्हें बालकों की आवश्यकताओं का विस्तृत अध्ययन करना चाहिए। यह निश्चित करने के लिए कि किस बालक को विशेष शिक्षा की अत्यन्त आवश्यकता है, प्रशिक्षित आदमी होने चाहिए। डाक्टरी निरीक्षण को प्रोत्साहन देना चाहिए।
5. प्रशासन को आवश्यक रूप से उचित इमारत व सामान का प्रबन्ध करना चाहिए।
6. प्रशासन के पास बालकों/बालिकाओं को विशेष कक्षा में भेजने के लिए विशेष नीति होनी चाहिए। माता-पिता को इसका कारण बता देना चाहिए। ऐसे विद्यार्थियों की शिक्षा कब समाप्त होगी, यह भी निश्चित कर लेना चाहिए।
7. प्रशासन को चाहिए कि वह सभी बालकों की रुचि के अनुसार योजना बनाये ताकि विद्यार्थी विशेष कक्षा में कुसमायोजन न अनुभव करे।
8. प्रशासन को एक ऐसी योजना बनानी चाहिए कि सभी विशेष कक्षा के बालक अन्य बालकों, जो कि औसत हैं, से सम्बन्ध स्थापित कर सकें।
9. प्रोग्राम में पैत्रिक-शिक्षा का प्लान भी होना चाहिए। समाज तथा समुदाय को इसे समझाना चाहिए।
10. बालकों के सामाजिक तथा व्यावसायिक सामंजस्य पर विशेष जोर देना चाहिए।
11. प्रशासन को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि विशेष शिक्षा का आयोजन व्यक्तिगत रुचियों व आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

क्या आप जानते हैं विकलांग कल्याण विभाग किसी भी रूप में शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए सहायता स्वरूप योजनाएँ चलाता है। जिसमें दुकान आदि खोलने के लिए उन्हें 20,000 रुपए तक की सहायता राशि दी जाती है।

स्थानीय स्तर पर विशेष शिक्षा का आयोजन

स्थानीय स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में विशेष शिक्षा से सम्बन्धित अपने उत्तरदायित्व को पूर्णत: निभाना चाहिए। स्थानीय स्तर के जो उत्तरदायित्व हैं, वे इस प्रकार हैं-

(1) **उत्तरदायित्व का निर्धारण**—छोटे जिलों में इसका भार मुख्य प्रशासन अधिकारी के ऊपर होना चाहिए। जैसे-जैसे जिले का आकार बढ़ता है, वैसे-वैसे विशेष शिक्षा का प्रोग्राम जटिल होता जाता है। बड़े जिलों में इसके लिए अधिक उत्तरदायी अधिकारी होने चाहिए।

(2) **विशेष बालकों की आवश्यकताओं की खोज**—विशेष बालक-बालिकाओं की शिक्षा आधारभूत सामाजिक सिद्धान्तों पर आधारित है। सामान्य बालक को औसत बालक से भिन्न नहीं समझना चाहिए। उनकी भी वे सब आवश्यकताएँ है जोकि अन्य बालकों की हैं। सभी लोगों को विशेष शिक्षा के मूल्य का ज्ञान होना चाहिए।

नोट

अध्यापकों को वे विधियाँ बता देनी चाहिए जिनके द्वारा पढ़ाया जायेगा। उन विधियों का पुनर्परीक्षण और पुनर्निरीक्षण करवाना चाहिए। जब बालकों/बालिकाओं को और अधिक विशेष शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती तो उन्हें सामान्य कक्षा में भेज देना चाहिए। पृथक्कीकरण का दर्शन विद्यार्थी, माता-पिता तथा अध्यापकों को बताना चाहिए। कक्षा का आकार निश्चित करना चाहिए। यह सब बालकों की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए।

(3) **बालकों की पहचान**—प्रशासन को बालकों की पहचान के लिए विभिन्न विशेष एजेन्सियों की सहायता लेनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग शारीरिक रूप से अयोग्य बालकों की पहचान कराने में सहायता कर सकता है। जब बालक/बालिकाओं की पहचान हो जाती है, तो उनका गहन अध्ययन करना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो उन्हें मनोवैज्ञानिकों, आँख-नाक-कान के विशेषज्ञों को दिखाना चाहिए। बालक के विषय में पूर्ण रिकार्ड, रखने चाहिए।

(4) **अध्यापकों का चुनाव**—अध्यापकों को विशेष बालकों को पढ़ाने का प्रशिक्षण भी देना चाहिए। साधारण बालकों को पढ़ाने का अनुभव विशेष बालकों के अध्यापक के लिए बहुत आवश्यक है। एक अच्छे कुशल अध्यापक के लिए केवल प्रशिक्षण की ही आवश्यकता नहीं होती। इस बात की ओर भी ध्यान देना चाहिए कि उसका व्यक्तित्व अच्छा हो; उसे विशेष बालकों में रुचि हो। विशेष बालकों की समस्याओं को समझने के लिए उसमें सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण हो। चूँकि एक अध्यापक बालकों को कई वर्ष तक पढ़ाता है तथा कई तरह के बालक एक कक्षा में रहते हैं, अध्यापक को विशेष शिक्षा के अभिमुखीकरण (Orientation) कोर्स को पूरा करना चाहिए।

(5) **विशेष कक्षाओं का निरीक्षण**—छोटे शहरों में विशेष कक्षा के निरीक्षण का कार्य एक सहायक या प्राइमरी निरीक्षक को देना चाहिए। बड़े नगरों में प्रत्येक स्कूल का एक निरीक्षक होना चाहिए। उसे इस क्षेत्र में प्रशिक्षित भी होना चाहिए। इस निरीक्षक को पढ़ाने का अनुभव, इस क्षेत्र में विशिष्टीकरण तथा कम से कम मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसके कार्य-प्रशासन तथा निरीक्षण, दोनों ही हैं। इसे पाठ्यक्रम को तैयार करना, सामान का प्रबन्ध करना, अध्यापकों की नियुक्ति तथा स्थानान्तरण आदि का प्रबन्ध करना चाहिए। इन निरीक्षकों को विशेष शिक्षा के क्षेत्र में हुए प्रत्येक परिवर्तन व विकास से अवगत होना चाहिए। इससे वे अपने प्रोग्राम को यथोचित रूप में विकसित कर सकते हैं। विशेष स्कूल के प्रधानाध्यापक को भी विशेष शिक्षा दी जानी चाहिए। अध्यापकों को विशेष वेतन व भत्ते देने चाहिए। उन्हें स्कूल के प्रधानाध्यापक के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। वे सब कर्त्तव्य निभाने चाहिए जो कि साधारण कक्षा में होते हैं ताकि बालक अपने से औरों को भिन्न न समझे। अध्यापकों के लिए सेवा प्रशिक्षण (In-Service Training) तथा विस्तार सेवा (Extension Service) होना चाहिए।

(6) **निर्देशन**—यद्यपि विभिन्न प्रकार के विलक्षण बालकों की आवश्यकताएँ भिन्न-भिन्न होती है, उनका उद्देश्य एक है—अच्छा सामाजिक एवं व्यक्तिगत सामंजस्य, नागरिक उत्तरदायित्व तथा व्यावसायिक क्षमता। निर्देशन देते समय बालक से सम्बन्धित हर पहलू पर ध्यान देना चाहिए; जैसे—(1) शारीरिक दशा, (2) सीखने की क्षमता, (3) स्कूल रिकार्ड, (4) सामाजिक सामंजस्य, (5) रुचि, ध्यान आदि।

(7) **पाठ्यक्रम**—विशेष बालकों की शिक्षा के उद्देश्य भिन्न होते हैं, अत: उनके पाठ्यक्रम को विशेष रूप से तैयार करना पड़ता है। यह पाठ्यक्रम प्रत्येक बालक के लिए उसकी आवश्यकतानुसार भिन्न होता है। अत: ये सुझाव दिये गये है कि औसत बालकों के कार्यक्रम में विशेष बालक को भाग लेना चाहिए। एक अध्यापक के लिए यह अत्यन्त कठिन है कि वह हर भिन्न आयु के बालक के लिए पूर्ण रूप से विशेष शिक्षा का प्रोग्राम बनाये। बालकों को समूह कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अध्यापक को औसत बालकों के अध्यापक से ही सहायता लेनी चाहिए। विभिन्न प्रकार के समूहों के लिए भिन्न-भिन्न कोर्स तथा पाठ्यक्रम-सामंजस्य होते हैं। बालकों को, जो अन्धे हैं, टंकण-लेखन (Type-Writing) या हस्तलिपि (Manuscript) लिखना सिखाते हैं। अपाहिज बालकों को विभिन्न प्रकार के कार्य; जैसे—बुनना, कातना जेवर बनाना आदि बताया जाता है। बहरे बालकों को भाषा का ज्ञान दिया जाता है।

नोट

(8) **इमारत**–इसके लिए अलग इमारत का भी निर्माण कराया जा सकता है। इमारत हवादार और खुली होनी चाहिए। प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इमारत उसी प्रकार की हो, जैसी सामान्य बालकों के लिए है। उसमें बिजली का प्रबन्ध, खिड़कियाँ, अच्छा फर्नीचर तथा खेलने का मैदान अवश्य होना चाहिए। बालक को विशेष शिक्षा के लिए एक पुरानी इमारत में भेजने से न तो बालक पर ही और न माता-पिता पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। राज्य के शिक्षा विभाग को इमारत बनाने तथा सामान का प्रबन्ध करने में बालकों की समस्त आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। बालकों की खाने की समस्या का भी समाधान होना चाहिए। यदि बालक बहुत दूर से आते हैं तो दिन में उनके नाश्ते का प्रबन्ध करना चाहिए। इसके लिए माता-पिता की सलाह व सहायता भी ली जा सकती है। बालकों को स्कूल में आने-जाने की सुविधा भी दी जानी चाहिए। इसके लिए स्कूल बस का प्रबन्ध होना चाहिए।

(9) **गाँव के विशिष्ट बालक**–इन बालकों को भी विशेष शिक्षा की उतनी ही आवश्यकता है जितनी उन विशिष्ट बालकों को जो शहरों में रहते हैं। पर गाँवों में ये सेवाएँ पहुँचाना बड़ा कठिन है। इन महँगी सेवाओं को गाँवों में दो या तीन बालकों के लिए नियोजित करना कठिन हो जाता है। माता-पिता भी अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए दूर नहीं भेजते हैं। ऐसी दशा में-(1) गाँव के बालकों के लिए शहरों में छात्रावास का प्रबन्ध करना चाहिए। (2) उन्हें स्कूल ले जाने के लिए बसों का प्रबन्ध होना चाहिए जो प्रतिदिन विद्यार्थियों को घर वापस छोड़कर भी आये। राज्य सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

स्व-मूल्यांकन (Self-Assessment)

रिक्त स्थानों की पूर्ति करे (Fill in the blanks)

1. अन्धे या बहरें बालकों की कक्षा में .... बालक तथा मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की कक्षा में .... बालक होने चाहिए।
2. विशेष बालक की शिक्षा .... पर आधारित है।
3. विशिष्ट बालकों हेतु स्थापित विद्यालय को .... कहा जाता है।
4. दुकान निर्माण के लिए विकलांगों को दी जाने वाली 20000 रु. की सहायता राशि में .... रुपए अनुदान तथा शेष अल्पदर पर ऋण के रूप में होता है।

राज्य स्तर पर विशेष शिक्षा का आयोजन

(1) राज्य का उत्तरदायित्व–राज्य के प्रमुख का यह कर्त्तव्य है कि वह बालकों की आवश्यकताओं का पता लगाए। उसके अनुसार सुनिश्चित पढ़ाई की योजना बनवाये। राज्य स्थानीय स्तर पर प्रबन्धित स्कूलों को धन से सहायता प्रदान करे। राज्य को प्रोग्राम का निरीक्षण तथा निर्देशन करना चाहिए। स्थानीय जिले के विशेष शिक्षा के प्रोग्राम को राज्य से अधिक सहायता मिलती है और इससे स्थानीय स्तर की क्षमता का विकास होता है।

(2) प्रबन्ध तथा निरीक्षण सेवाएँ–राज्य को स्थानीय स्तर पर कार्य करने वाली इकाई को धन देना चाहिए। प्रबन्ध निरीक्षण के सम्बन्ध में विभिन्न देशों में विभिन्न प्रबन्ध हैं। अधिकतर देशों में राज्य के शिक्षा अधिकारी को प्रोग्राम देखना पड़ता है। राज्य के इस क्षेत्र में उत्तरदायित्व इस प्रकार हैं–

(*i*) कक्षा में भर्ती हाने वाले बालकों की रिपोर्ट तथा प्रोग्राम के विषय में जानकारी प्राप्त करना।

(*ii*) बालकों को भर्ती करने के नियम, उनका पाठ्यक्रम, अध्यापक के गुण, कक्षा का आकार, कक्षा का विशेष सामान आदि निश्चित करना।

(*iii*) मनोवैज्ञानिक व मेडिकल देख-रेख के नियम बनाना।

(*iv*) विशेष कक्षा के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षित करना।

विकलांग कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएँ

1. **पेशन योजना**–ऐसे निराश्रित विकलांग व्यक्ति, जिनकी मासिक आय रु. 225/- से कम है, को रु. 125/- प्रतिमाह की दर से भरण-पोषण अनुदान दिया जाता है। वर्तमान में इस योजना से लगभग 1.40 लाख विकलांग व्यक्ति लाभान्वित हो रहे हैं।
2. **छात्रवृत्ति योजना**–अध्ययनरत विकलांग बच्चों, जिनके अभिभावकों की मासिक आय रु. 2000/- से कम है, को कक्षा 1-5 में रु. 25/- प्रतिमाह, कक्षा 6-8 में रु. 40/-प्रतिमाह, कक्षा 9-12 में 85/- रु. प्रतिमाह, स्नातक कक्षाओं में रु. 125/- प्रतिमाह तथा स्नातकोत्तर एवं अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों को रु. 170/- प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति प्रदान कर लगभग 20,200 छात्रों को प्रति वर्ष लाभान्वित किया जा रहा है।
3. **कृत्रिम अंग/सहायता उपकरण**–विभिन्न श्रेणी के विकलांगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार रु. 1000/- की सीमा तक के कृत्रिम अंग/सहायता उपकरण प्रदान किये जा रहे हैं। ऐसे विकलांग व्यक्तियों को यह सुविधा देय है। जिनकी आय रु. 300/- से कम है।
4. **विकलांग से शादी करने पर पुरस्कार**–इस योजना के अन्तर्गत विवाहित जोड़े में से यदि पति विकलांग है, तो रु. 11000/- एवं पत्नी अथवा पति-पत्नी दोनों विकलांग हैं, तो रु. 14000/- की धनराशि अनुदान के रूप में प्रोत्साहन-स्वरूप प्रदान की जाती है।
5. **दुकान निर्माण योजना**-उद्यमी विकलांगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रु. 20,000/- तक की धनराशि दुकान निर्माण हेतु दी जाती है जिसमें रु. 5000/- अनुदान एवं अल्प दर पर रु. 15,000/- का ऋण सम्मिलित है।
6. **विशिष्ट विकलांग को राज्य स्तरीय पुरस्कार**–प्रदेश के प्रतिभाशाली विशिष्ट विकलांगों को सम्माननीय राज्यपाल के कर-कमलों से प्रति वर्ष विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है।
7. **विभागीय संस्थाएँ**–विकलांग कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में विभिन्न श्रेणी के विकलांगों के लिए कुल 12 विद्यालय है। जिसमें शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए 2, दृष्टि बाधित बच्चों के लिए 4,मूक बधिर बच्चों के लिए 4, एवं मानसिक मंदित बच्चों के लिए 2 विद्यालय प्रदेश के विभिनन जनपदों में संचालित हैं।

इसी प्रकार विभाग द्वारा शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए 6, मूक-बधिर व्यक्तियों के लिए 1, एवं दृष्टि-बाधित व्यक्तियों के लिए 3, कुल 10 प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र भी संचालित हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा विकलांगता के कई क्षेत्र में कार्यरत कई गैर-सरकारी संस्थाओं को भी राज्य सरकार के माध्यम से प्रस्ताव प्रेषित किये जाने पर अनुदान प्रदान किया जाता है।

विकलांग जन अधिनियम–1995: समग्र विकलांग कल्याण की दिशा में एक ठोस कदम

विकलांग व्यक्ति भी समाज का एक अंग है। जिनहें सहानुभूति नहीं, समान अनुभूति की आवश्यकता है। विकलांग व्यक्ति के लिए समग्र कल्याण एवं पुनर्वास सुनिश्चित करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अगस्त, 1995 विकलांग कल्याण विभाग की स्वतन्त्र रूप से स्थापना की गई है। विभाग द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएँ चलायी जा रही हैं। जिनमें निराश्रित विकलांग भरण-पोषण अनुदान छात्रवृत्ति, कृत्रिम अंग एवं सहायता उपकरण हेतु अनुदान, दुकान निर्माण हेतु आर्थिक सहायता विकलांग व्यक्ति से विवाह करने पर प्रोत्साहन, राज्य स्तरीय पुरस्कार आदि प्रमुख है। विभाग द्वारा विकलांग जन समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया जा रहा है।

नोट

2.2 विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता (Need of Special Education)

विशिष्ट बालकों की पहली आवश्यकता यह होती है कि उनको उनके विशिष्ट गुणों, क्षमताओं और कमियों के आधार पर उनके अनुकूल शिक्षा व प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय, ताकि वे समाज में अपने आपको समोयोजित कर सकें और समाज उनसे लाभान्वित हो सके। विशिष्ट बालकों की विशेष शिक्षा का प्रारम्भ सर्वप्रथम विद्यालय से ही होता है और विद्यालय भी ऐसा जिसे 'विशिष्ट विद्यालय' कहा जाता है क्योंकि यही वह स्थान होता है जहाँ पर शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य पिछड़े, अपराधी, असामान्य, सृजनात्मक, वंचित, कुसमायोजित बालक आ जाते हैं और उनके लिये अलग से विद्यालयों की व्यवस्था राज्य व समाज को करनी पड़ती है। अब तक भारत सरकार ने अनेक प्रयास किये हैं ताकि किसी भी प्रकार के अयोग्य, पिछड़े व कुसमायोजित बालकों के लिये सुव्यवस्थित व व्यावहारिक शिक्षा योजना तैयार की जाय व ऐसे विशिष्ट बालकों को समाज में उपयुक्त स्थान मिल सके।

प्रत्येक स्कूल में कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। ऐसे विद्यार्थियों को विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। ऐसे बालक स्कूल प्रोग्राम से समन्जित नहीं हो सकते। इनमें से कुछ शारीरिक रूप से अक्षम, अन्धे, बहरे लँगड़े आदि होते हैं। कुछ मानसिक रूप से भिन्न होते हैं। या तो वे मानसिक रूप से पिछड़े होते हैं या प्रतिभावान। कुछ संवेगात्मक क्षेत्र में कुसमन्जित होते हैं। इनमें कुछ बालक गम्भीर व्यवहार सम्बन्धी समस्या उत्पन्न करते हैं, इससे वे असामान्य व्यक्तित्व वाले तथा अपराधी मनोवृत्ति वाले बन जाते हैं। ये सभी 'विशिष्ट बालक' कहलाते हैं। अत: विशिष्ट बालक शब्द उन बालकों की ओर संकेत करता है– "जो उन बालकों से जोकि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक या सामजिक गुणों में औसत हैं, भिन्न हैं। इस सीमा तक भिन्न हैं कि उन्हें अपनी क्षमताओं के अनुरूप विकास के लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता है।" शैक्षिक अध्ययन राष्ट्रीय समिति ने विशिष्ट की परिभाषा इस प्रकार दी है–"विशिष्ट बालक वे होते हैं जोकि औसत बालकों से शारीरिक मानसिक संवेगात्मक अथवा सामाजिक लक्षणों में इतनी मात्रा में भिन्न होते हैं कि अपनी अधिकतम क्षमताओं के विकास के लिए उन्हें विशेष शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकता होती है।" **क्रो** तथा **क्रो** के मतानुसार– "विशिष्ट शब्द ऐसे गुणों या व्यक्ति, जिनमें वह गुण हैं, के लिए प्रयोग किया जाता है जो साधारण व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित उन्हीं गुणों से इस सीमा तक विभिन्नता लिए होते हैं जिसके कारण व्यक्ति-विशेष की ओर उसके साथियों को ध्यान देना पड़ता है या दिया जाता है और उसके कारण उसकी व्यावहारिक प्रतिक्रियाएँ तथा कार्य प्रभावित हो जाते हैं।"

विशेष सैनिक सेवाओं से तात्पर्य हर प्रकार की सेवा से है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि अध्यापक द्वारा बिस्तर में पड़े बालक को पढ़ाना। इसका तात्पर्य यह भी हो सकता है कि विशेष अध्यापक द्वारा अन्य अध्यापकों की सहायता लेना और विशेष कक्षा का आयोजन करना अथवा इसका तात्पर्य एक पूर्णतया पृथक कक्षा से भी हो सकता है।

सभी विशिष्ट बालक एक ही समूह के नहीं होते ये विभिन्न क्षेत्रों में मिलते हैं। विशिष्ट बालकों के विभिन्न समूहों में निम्नलिखित प्रमुख हैं–

1. शारीरिक अक्षमता वाले बालक
   (*i*) अपाहिज बालक
   (*ii*) अन्धे, बहरे बालक
   (*iii*) बोलने की अक्षमता वाले
   (*iv*) दूसरे प्रकार की अक्षमता; जैसे-क्षय रोग
2. मानसिक अक्षमता वाले बालक
   (*i*) अत्यधिक कम बुद्धि वाले
   (*ii*) कम बुद्धि वाले

3. मानसिक रूप से तीव्र बालक (प्रतिभावान)
4. संवेगात्मक रूप से अस्थिर बालक
5. सामाजिक रूप से कुसमायोजित बालक।

इन बालकों की पहचान विभिन्न परीक्षणों द्वारा की जा सकती है। इनमें कुछ प्रमुख निम्नलिखित है–

1. समूह सेवाएँ तथा निरीक्षण
   (अ) समूह निष्पत्ति परीक्षण
   (ब) मानसिक परीक्षण
   (स) स्वास्थ्य परीक्षण
   (द) नियन्त्रित व स्वतन्त्र निरीक्षण
2. व्यक्तिगत पहचान।

नोट्स विशिष्ट बालकों के लिए विशेष निर्देशन की आवश्यकता होती है। इसके लिए ज़रूरी है कि उनकी कक्षाएँ छोटी हों जैसे-अंधे या बहरों की कक्षा मे 6 से 8 तथा मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की कक्षा में 15 से 20 बालक होने चाहिए।

विशेष शिक्षा

सामान्य बालकों को दी जाने वाली शिक्षा से विलक्षण बालक लाभान्वित नहीं होते हैं। विद्यालय में इनके लिए काफी संख्या में कक्षाएँ नहीं हैं, न ही छोटी-छोटी कक्षाएँ हैं और न ही योग्य प्रशिक्षित अध्यापक हैं। अत: यदि हम चाहते हैं कि विशिष्ट बालक को अपनी क्षमताओं के विकास का पूर्ण अवसर मिले तो विशेष शिक्षा अनिवार्य है। एक बालक, जिसकी आँख खराब है, उसे पढ़ाने का तरीका बिल्कुल भिन्न है उस बालक से, जिसकी आँखे सामान्य हैं। यह तथ्य विशेष शिक्षा के महत्त्व की ओर इंगित करता है।

विशेष शिक्षा का आधुनिक दर्शन

(1) **विशिष्ट बालक मूलत: अन्य बालकों के समान**–विशिष्ट बालकों की शिक्षा के भी वे ही उद्देश्य हैं जो साधारण बालक के लिए हैं। एक अक्षम बालक भी बालक है और उसकी वे सब आवश्यकताएँ हैं जो एक साधारण बालक की हैं। अन्तर केवल इस बात में है कि वह सुन नहीं सकता, या बोल नहीं सकता, या देख नहीं सकता। अत: आवश्यक है कि उसके लिए विशेष शिक्षा का आयोजन किया जाय। उसके लिए विशेष शिक्षा का प्रोग्राम बनाते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए–(*i*) साधारण बालकों के प्रति उसका झुकाव, (*ii*) उसकी विशेष आवश्यकताएँ। यह विशिष्ट बालकों की शिक्षा का आधुनिक उपागम है।

(2) **विशिष्ट बालकों के लिए व्यक्तिगत निर्देशन आवश्यक**–कक्षा के सभी विशिष्ट बालकों को निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। अन्धों या बहरों की कक्षा में 6 से 8 बालक तथा मानसिक रूप से पिछड़े व्यक्तिगत हो सकता है। बड़ी कक्षा में यह कठिन हो जाता है।

(3) **पहचान अनिवार्य**–बालकों को विशेष शिक्षा तभी देनी चाहिए जबकि विशेषज्ञ द्वारा उनकी मानसिक तथा शारीरिक दशाओं का निरीक्षण करके उन्हें विशेष शिक्षा के योग्य बताया गया हो।

टास्क सामान्य बालक तथा विशिष्ट बालक की शिक्षा एक साथ हो अथवा अलग-अलग तर्क सहित अपनी राय दें।

नोट

विशेष शिक्षा से तात्पर्य

विशिष्ट बालकों के पूर्ण पृथक्कीकरण (Segregation) पर विद्वानों में बहुत वाद-विवाद हुआ है। अतः विशेष शिक्षा के आयोजन पर बल दिया गया। विशेष शिक्षा से तात्पर्य अनेक परिस्थितियों से है, जो इस प्रकार हो सकती हैं–

1. सामान्य कक्षा के बालकों के साथ शिक्षित करना, समय-समय पर विशेषज्ञ निरीक्षण करके बालकों की सहायता करता है।
2. साामन्य कक्षा के उपरान्त, अन्य समय विशिष्ट बालकों को देना।
3. विशिष्ट बालक अधिक समय विशेष अध्यापक के साथ व्यतीत करें और कुछ समय सामान्य छात्रों के साथ।
4. बालक का पूर्णतः विशेष कक्षा में रहना।

यह विभिन्न प्रकार की विशेष शिक्षा बालक की रुचि के अनुसार दी जानी चाहिए। यदि बालक सामान्य कक्षा से ही लाभान्वित हो सकता है, तो उसे वहीं रखना चाहिए, अर्थात बालक को वहीं रखना चाहिए जहाँ पर उसकी अधिकतम उन्नति हो सके।

एक अच्छे शैक्षिक प्रोग्राम के लिए आवश्यक बातें

(*i*) सभी प्रकार के विशिष्ट बालकों के लिए विशेष शिक्षा का आयोजन होना चाहिए।

(*ii*) गाँव तथा शहर-दोनों ही जगह पर ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए।

(*iii*) बालकों को पहले से ही ढूँढ़ निकालना चाहिए।

(*iv*) यह विशेष शिक्षा अनिवार्य रूप से प्राइमरी से माध्यमिक तक होनी चाहिए।

(*v*) एक अच्छी निर्देशन सेवा भी विशेष सेवा का ही भाग है।

(*vi*) विशेष शिक्षा का क्षेत्र न केवल स्कूल होना चाहिए बल्कि घर तथा अस्पताल भी होना चाहिए।

(*vii*) विलक्षण बालकों तथा अक्षम बालकों के माता-पिता को भी निर्देशन देना चाहिए।

(*viii*) अध्यापकों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

(*ix*) स्कूल तथा समुदाय के साधनों में सहयोग होना चाहिए।

(*x*) इस विशेष सेवा में समुदाय, राष्ट्र तथा राज्य-सभी को भाग लेना चाहिए।

2.3 सारांश (Summary)

- जो शिक्षा के उद्देश्य सामान्य बालकों के लिए हैं, वे ही विशिष्ट बालकों के लिए भी हैं; साथ ही, उनके लिए कुछ विशेष उद्देश्य भी हैं, क्योंकि उनकी शिक्षा विशेष है, अध्यापक विशेष है तथा पाठ्य-सामग्री व सहायक-सामग्री भी विशेष है। अतः विशेष शिक्षा के लिए विशेष दर्शन, विधि तथा विशेष अभ्यास की आवश्यकता है। इनकी शिक्षा में विस्तृत तथा नयी विचारधारा को रखना चाहिए।
- विशेष शिक्षा की सफलता के लिए आवश्यक है कि एक उचित प्रशासन एवं निरीक्षण की योजना बनायी जाय। इसके लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं–
    1. विशेष शिक्षा का उत्तरदायित्व निश्चित कर लेना चाहिए।
    2. बालकों/बालिकाओं के संरक्षकों को विशेष शिक्षा के प्रोग्राम के उद्देश्यों तथा कार्यों से परिचित कराना चाहिए, उन्हें इसके लाभों से अवगत कराना चाहिए तथा यह बताना चाहिए कि विशेष शिक्षा कोई दण्ड नहीं है।
    3. प्रबन्धकर्त्ताओं को इस बात को अवश्य मानना चाहिए कि विशेष शिक्षा से आवश्यकता से अधिक खर्च होगा।

नोट

4. स्कूल प्रशासन का उत्तरदायित्व है कि बालकों का उचित निरीक्षण करवाये तथा उन्हें उचित कक्षा में रखवाये।
5. प्रशासन को आवश्यक रूप से उचित इमारत व सामान का प्रबन्ध करना चाहिए।
6. प्रशासन के पास बालकों/बालिकाओं को विशेष कक्षा में भेजने के लिए विशेष नीति होनी चाहिए।
7. प्रशासन को चाहिए कि वह सभी बालकों की रुचि के अनुसार योजना बनाये ताकि विद्यार्थी विशेष कक्षा में कुसमायोजन न अनुभव करे।
8. बालकों के सामाजिक तथा व्यावसायिक सामंजस्य पर विशेष जोर देना चाहिए।

- स्थानीय स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में विशेष शिक्षा से सम्बन्धित अपने उत्तरदायित्व को पूर्णत: निभाना चाहिए। स्थानीय स्तर के जो उत्तरदायित्व हैं, वे इस प्रकार हैं-
  - छोटे जिलों में इसका भार मुख्य प्रशासन अधिकारी के ऊपर होना चाहिए।
  - विशेष बालक-बालिकाओं की शिक्षा आधारभूत सामाजिक सिद्धान्तों पर आधारित है। सामान्य बालक को औसत बालक से भिन्न नहीं समझना चाहिए। उनकी भी वे सब आवश्यकताएँ है जोकि अन्य बालकों की हैं। सभी लोगों को विशेष शिक्षा के मूल्य का ज्ञान होना चाहिए।
- प्रशासन को बालकों की पहचान के लिए विभिन्न विशेष एजेन्सियों की सहायता लेनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग शारीरिक रूप से अयोग्य बालकों की पहचान कराने में सहायता कर सकता है।
- अध्यापकों को विशेष बालकों को पढ़ाने का प्रशिक्षण भी देना चाहिए। साधारण बालकों को पढ़ाने का अनुभव विशेष बालकों के अध्यापक के लिए बहुत आवश्यक है।
- चूँकि एक अध्यापक बालकों को कई वर्ष तक पढ़ाता है तथा कई तरह के बालक एक कक्षा में रहते हैं, अध्यापक को विशेष शिक्षा के अभिमुखीकरण (व्तपमदजंजपवद) कोर्स को पूरा करना चाहिए।
- छोटे शहरों में विशेष कक्षा के निरीक्षण का कार्य एक सहायक या प्राइमरी निरीक्षक को देना चाहिए। बड़े नगरों में प्रत्येक स्कूल का एक निरीक्षक होना चाहिए।
- यद्यपि विभिन्न प्रकार के विलक्षण बालकों की आवश्यकताएँ भिन्न-भिन्न होती है, उनका उद्देश्य एक है—अच्छा सामाजिक एवं व्यक्तिगत सामंजस्य, नागरिक उत्तरदायित्व तथा व्यावसायिक क्षमता। निर्देशन देते समय बालक से सम्बन्धित हर पहलू पर ध्यान देना चाहिए; जैसे—(1) शारीरिक दशा, (2) सीखने की क्षमता, (3) स्कूल रिकार्ड, (4) सामाजिक सामंजस्य, (5) रुचि, ध्यान आदि।
- विशेष बालकों की शिक्षा के उद्देश्य भिन्न होते हैं, अत: उनके पाठ्यक्रम को विशेष रूप से तैयार करना पड़ता है। यह पाठ्यक्रम प्रत्येक बालक के लिए उसकी आवश्यकतानुसार भिन्न होता है। बालकों को समूह कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अध्यापक को औसत बालकों के अध्यापक से ही सहायता लेनी चाहिए।
- इसके लिए अलग इमारत का भी निर्माण कराया जा सकता है। इमारत हवादार और खुली होनी चाहिए।
- बालकों को स्कूल में आने-जाने की सुविधा भी दी जानी चाहिए। इसके लिए स्कूल बस का प्रबन्ध होना चाहिए।
- इन बालकों को भी विशेष शिक्षा की उतनी ही आवश्यकता है जितनी उन विशिष्ट बालकों को जो शहरों में रहते हैं।

  (1) गाँव के बालकों के लिए शहरों में छात्रावास का प्रबन्ध करना चाहिए।

  (2) उन्हें स्कूल ले जाने के लिए बसों का प्रबन्ध होना चाहिए जो प्रतिदिन विद्यार्थियों को घर वापस छोड़कर भी आये। राज्य सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।
- **विकलांग कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएँ**—1. पेंशन योजना; 2. छात्रवृत्ति योजना; 3. कृत्रिम अंग/सहायता उपकरण; 4. विकलांग से शादी करने पर पुरस्कार; 5. दुकान निर्माण योजना; 6. विशिष्ट विकलांग को राज्य स्तरीय पुरस्कार; 7. विभागीय संस्थाएँ।

नोट

- विशिष्ट बालकों की पहली आवश्यकता यह होती है कि उनको उनके विशिष्ट गुणों, क्षमताओं और कमियों के आधार पर उनके अनुकूल शिक्षा व प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय, ताकि वे समाज में अपने आपको समोयोजित कर सकें और समाज उनसे लाभान्वित हो सके। विशिष्ट बालकों की विशेष शिक्षा का प्रारम्भ सर्वप्रथम विद्यालय से ही होता है और विद्यालय भी ऐसा जिसे 'विशिष्ट विद्यालय' कहा जाता है क्योंकि यही वह स्थान होता है जहाँ पर शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य पिछड़े, अपराधी, असामान्य, सृजनात्मक, वंचित, कुसमायोजित बालक आ जाते हैं और उनके लिये अलग से विद्यालयों की व्यवस्था राज्य व समाज को करनी पड़ती है।

2.4 शब्दकोश (Keyword)

1. **समंजित**–जोड़ बैठाया हुआ, मेल मिलाना
2. **कुसमायोजित**–जो सामंजस्य स्थापित करने में असमर्थ हो
3. **निराश्रित**–जिसका कोई सहारा न हो
4. **अनुदान**–आर्थिक सहायत।

2.5 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

1. विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए।
2. विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता समझाइए।

उत्तर : स्व-मूल्यांकन (Answer: Self Assessment)

1. 6 से 8 तथा 15 से 20,
2. आधारभूत सामाजिक सिद्धांत,
3. विशिष्ट विद्यालय
4. 5000 रू.।

2.6 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

पुस्तकें

1. *विशिष्ट शिक्षा* – कुमार संजीव, जानकी प्रकाशन, पटना।
2. *विशिष्ट बालक* – आभारानी विष्ट, अग्रवाल प्रकाशन, आगरा।
3. *विशिष्ट शिक्षा का प्रारूप* – डॉ. आर. लाल. शर्मा, आर. लाल. बुक डिपो, आगरा।

नोट

इकाई–3: विशिष्ट शिक्षा: क्षेत्र एवं प्रकार (Special Education: Scope and Types)

अनुक्रमणिका (Contents)

उद्देश्य (Objectives)
प्रस्तावना (Introduction)
3.1 विशिष्ठ शिक्षा का क्षेत्र (Scope of Special Education)
3.2 विशिष्ठ शिक्षा के प्रकार (Types of Special Education)
3.3 सारांश (Summary)
3.4 शब्दकोश (Keywords)
3.5 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)
3.6 सन्दर्भ पुस्तकें (Further Readings)

उद्देश्य (Objectives)

विद्यार्थी इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् सक्षम होंगे–

- विशिष्ठ शिक्षा के क्षेत्र एवं प्रकारों से अवगत होंगे।

प्रस्तावना (Introduction)

विशिष्ट शिक्षा का क्षेत्र हमारे देश से नया स्वरूप लिये हुए है परन्तु अन्य स्थानों पर भी शोध का ठोस स्वरूप देखने में आता है जिसकी उत्पत्ति मूल रूप से पहले ही हो चुकी थी। अब वह समय है जब अपने अध्ययनों के बारे में सोचना है तथा कहना है कि क्या अपने स्थान पर आधारित तथा विभिन्न संस्थाओं पर आधारित किसी भी प्रकार से उत्तम है। इस पर भी विचार करना है कि परिवार से सम्बन्धित अध्ययन तथा पुनर्वासन के आधार पर सामुदायिक प्रभावों के विचार से विशिष्ट व्यवस्था और समन्वित व्यवस्था में कौन उत्तम है। विभिन्न जानकारी एवं समाज में जागृति पैदा करने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से जन सामान्यों का व्यवहारों, स्वीकृतियों तथा ज्ञान का भी निर्धारण करना है, क्योंकि समाज के नकारात्मक व्यवहार, एवं अभिमान के कारण प्राय: घरों में सुख और शान्ति नहीं दिखाई देती है।

शोध एवं विकास से सम्बन्धित क्रियाएँ विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में गत वर्षो से विचार करने का क्षेत्र बन गया है। असमर्थता के विभिन्न क्षेत्रों में जो कुछ भी शोध किये गये हैं वे संगठनात्मक एवं संस्थाओं से सम्बन्धित हैं। इसलिए यह शिक्षा से सम्बन्धित अभ्यासों के क्षेत्र में बहुत छोटे-छोटे टुकड़ों के समान है जो न ही तो हमारे सामाजिक संस्कृति के आधार पर मुख्य विचार देते हैं और न ही व्यावहारिक रूप से अपनाने की सम्भावनाओं के बारे में मार्ग दर्शन करते हैं। चिकित्सा से सम्बन्धित शोधकर्ता विशेषत: जो मानसिक मन्दिता से सम्बद्ध है। इनके अतिरिक्त शोध मुख्यतया व मानसिक रूप से बाधित बालकों की कक्षा एवं उनके कार्य में आने वाली समस्याओं से पर्याप्त सम्बन्ध नहीं रखते। कुछ ही शोधकर्ताओं ने बालकों के व्यवहार विश्लेषण एवं व्यवहार के परिवर्तन से सम्बन्धित क्षेत्रों में कार्य किया। इस प्रकार ऐसा कहा जा सकता है कि शारीरिक एवं मानसिक रूप से बाधित बालकों की वैयक्तिक एवं शिक्षाण कक्ष से सम्बन्धित समस्याओं

नोट

के बारे में चिकित्सा के क्षेत्र में तथा अन्य क्षेत्रों में शोधकर्ता अपेक्षित सीमा तक अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह नहीं कर पाये।

शैक्षिक शोध अध्ययनों का सर्वेक्षण (Survey of Educational Research Studies)

शिक्षा के क्षेत्र में चतुर्थ एवं पंचम शोधों की समीक्षा प्रभावशाली है तथा स्वयं में एक प्रमाण का कार्य करती है। यह स्वरूप उस समय का है जब हम भारत में विशेषत: शोध और विकास के बारे में सोचते हैं। इसके लिए उत्तरदायी कुछ अवरोध निम्नलिखित हैं–(1) प्रशिक्षित मानव संसाधनों की कमी, (2) शैक्षिक संस्थाओं की सहायता की कमी, (3) इस विचार को पहिचानने में देरी करना कि शारीरिक व मानसिक रूप से बाधित बालक का असमर्थता स्तर कम है अथवा शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण के योग्य है, तथा (4) अन्य सामाजिक सांस्कृतिक अवरोध। यह परिस्थितियाँ कुछ सीमा तक बदली है। परन्तु विकास एवं अध्ययन से सम्बन्धित क्रिया क्षेत्रों में कम और अधिक मात्रा में सामान्जस्य की परिस्थितियों के अनुरूप नहीं कही जा सकती है। इसका मुख्य कारण बाधित बालकों के सम्बन्धित क्षेत्रों में विशेषज्ञों के प्रयासों में कमी है। शोध के बारे में कठिनाई से विचार विमर्श किया जाता है। तथा शोधकर्ता इस बारे में एक मत नहीं है। यह कहा जा सकता है कि 1980 के पश्चात विभिन्न राष्ट्रीय संस्थान जो शारीरिक तथा मानसिक रूप से बाधित बालकों के विभिन्न दोषों से सम्बन्धित है जैसे दृष्टिहीन, बधिर, श्रवण बाधित, अस्थि बाधित, मानसिक मन्दित आदि एवं वाणी तथा श्रवण संस्थान, बी.एम. संस्थान (मानसिक स्वास्थ्य) आदि संस्थान अपना ध्यान शोधों और शोध पर आधारित विकास कार्यों पर दे रहे हैं। यह इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है इसके अतिरिक्त, *जामिया मिलिया* विश्वविद्यालय बनारस, आर.के. मिशनरी संस्थान कोइम्बेटूर और आन्ध्र विश्वविद्यालय आदि ने विशिष्ट शिक्षा के विभाग प्रारम्भ कर दिये हैं।

3.1 विशिष्ट शिक्षा का क्षेत्र (Scope of Special Education)

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (NCERT) में विशिष्ट शिक्षा का एक विभाग सामान्य अध्यापकों के पाठ्यक्रम में शारीरिक रूप से बाधित बालकों के विभिन्न समस्यायुक्त क्षेत्रों को सम्मिलित किया है। ऐसे क्षेत्र दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, मानसिक मन्दित, अस्थि बाधित बालकों से सम्बन्धित हैं। फिर भी इस प्रकार के प्रयासों के प्रशिक्षण के उद्देश्यों के सम्बन्ध में परीक्षण करने की आवश्यकता होगी। बाधित बालकों के प्रशिक्षण के उद्देश्यों के सम्बन्ध में परीक्षण की आवश्यकता होगी। बाधित बालकों की शिक्षा हेतु पुनर्वास परिषद् ने पाठ्यक्रम निश्चित कर दिया है, जिसके अन्तर्गत अनुकूलित पाठ्यक्रम शिक्षा हेतु चयन किये गये हैं।

क्योंकि इस समय भाषा सम्बन्धी असमर्थता को अलग क्षेत्र नहीं चुना गया है। कोई भी व्यक्ति यह कहने से मना नहीं कर सकता कि भाषा का शिक्षा के अधिगम तथा ग्रहण करने में विशेष योगदान होता है तथा बालक शिक्षा तथा अन्य कार्यकर्ताओं में कौशल, निपुणता आदि भाषा के माध्यम से ग्रहण करता है। भाषा सम्बन्धी ज्ञान की कमी अन्य कमियों की अपेक्षा शारीरिक व मानसिक रूप से बाधित बालकों की शिक्षा में मुख्य भूमिका रखती है। असमर्थी बालकों की शिक्षा में सम्प्रेषण और भाषा निपुणता के अंतर के लिए भाषा निर्धारक के विकास का अध्ययन करना होगा। जो भाषा सम्बन्धी कार्यक्रमों के विकास करने में निर्धारक के विकास का अध्ययन करना होगा। जो भाषा सम्बन्धी कार्यक्रमों के विकास करने में सहायक होगा जिसके माध्यम से विभिन्न दोषों से बाधित बालक भाषा सीख सकें।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् (NCERT) ने अपने विशिष्ट क्षेत्रीय विद्यालयों तथा इसके मुख्यालयों पर स्थिति इकाइयों के माध्यम से शोध कार्य को क्रमबद्ध विधि से प्रारम्भ करने की चुनौती को स्वीकार किया है। इसके साथ-साथ अध्यापकों का प्रशिक्षण तथा बाधित बालकों के लिए मुख्य क्षेत्रों में अनुदेशनात्मक सामग्री के विकास का कार्य भी *राष्ट्रीय अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद्* (NCERT) ने प्रारम्भ किया है। शिक्षाविदों को विदेशों से भी प्रशिक्षण दिलाया गया है। इसलिए यह अति आवश्यक है कि इन समस्याओं को दूर करने के लिए शोध कार्यों की योजनाएँ बनानी चाहिए। इस प्रक्रिया को समझने के लिए विस्तृत आंकड़े उपलब्ध कराये जाने चाहिए। इससे सम्बन्धित सम्भावनाएँ अर्थात यह किस सीमा तक उपयुक्त है तथा इसको व्यवहारिक रूप से लागू करने में योगदान मिलना चाहिए। विशेषत: यह

कार्य भारत में बाधितों की शिक्षा एवं उनके लिए आवश्यक प्रशिक्षण का चित्र हमारे समक्ष रखने के योग्य होगा। यह शोध कार्य मिलजुलकर राष्ट्रीय स्तर पर होगा। जहाँ पर आयाम संस्थागत और सामान्य है तथा जहाँ पर आवश्यकता विशिष्ट प्रकार की है। इन सब लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए कुछ संकेतों के माध्यम से शोध कार्य का चित्र दिया गया है। सामान्यतया विभिन्न क्षेत्र जिनमें शोध की आवश्यकता है तथा इससे सम्बन्धित रुचिकर विषय चुने जा सकते हैं।

बड़े अथवा छोटे शोध संस्थानों की अपेक्षा विभिन्न शोधकर्ताओं के वैयक्तिक स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन देखने में आते हैं तथा शोधकर्ताओं ने मार्ग दर्शन भी किया है एवं अपना योगदान भी दिया है। ऐसे शोधकर्ताओं में *ए.के. सन* तथा *ए. सेन* जो दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बन्धित है उनके द्वारा दिये गये योगदान के परिप्रेक्ष्य में उल्लेखनीय है। इन्होंने मानसिक मन्दित तथा विशेषत: अधिगम तथा स्मृति क्रियाओं तथा शारीरिक एवं मानसिक रूप से बाधित बालकों की मनोवैज्ञानिक समन्वयता से सम्बन्धित कार्य पर शोध किये। इन्हीं के साथ-साथ कुछ शोधकर्ताओं तथा उनके कार्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं जिनके कार्य तथा योगदान सराहनीय हैं–

शोधकर्त्ता	*शोध क्षेत्र*	*वर्ष*
1. *के.सी. रानाडे*	*अनुक्रिया को धनात्मक पुनर्बलन*	1995
2. *नारायण*	साथियों का प्रारूप	1992
3. *राव*	अस्थि बाधितों की समन्वित शिक्षा	1993
4. *साहू*	श्रवण बाधित का ज्ञानात्मक विस्तृत पठन	1995
5. *खान*	दृष्टि बाधित के व्यक्तित्व की बनावट	1990
6. *पाण्डा*	अधिगम पर एकान्त का प्रभाव	1995

मानसिक मन्दितों में कौशल निपुणताओं के विकास के सम्बन्ध में (NIMH) ने भी सराहनीय शोध कार्य किये। नेत्र हीन सहायता संगठन राष्ट्रीय नेत्र हीन (NIVH) आदि ने दृष्टि बाधित एवं दृष्टि हीनों से सम्बन्धित क्षेत्रों में अनेक शोध कार्य किये। इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में व्यक्तिगत रूप से भी शोध कर्ताओं ने कार्य किये। (पनिक्कर 1978, पाण्डा तथा पाण्डा 1995) पिछले दस वर्षों में मानसिक मन्दिता, दृष्टि बाधित प्रतिभाशाली बालक, श्रवण बाधित तथा अधिगम असमर्थिता आदि क्षेत्र शोध कर्ताओं के ध्यान को आकर्षित करते रहे हैं, परन्तु इस सम्बन्ध में शोधों की संख्या बहुत कम है। गुणवत्ता के आधार पर ये शोध केवल असमर्थी अथवा बाधित बालकों की समस्याओं को समझने में ही योगदान दे पाये।

शोध का कार्य क्षेत्र अधिगम, स्मृति, ध्यान व्यक्तित्व, सामुदायिक व्यवहार तथा व्यवस्थाओं से सम्बन्धित रहा परन्तु अधिगम के क्षेत्र में मुश्किल से ही योगदान दे पाया। राष्ट्रीय संस्थान भारतीय शिक्षा अनुसन्धान परिषद्, विश्वविद्यालयों के विभाग शोध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर पाये परन्तु बाधित बालकों के व्यवहार से सम्बन्धित अध्यापकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सराहनीय सहयोग दिया है।

क्या आप जानते हैं प्रभावशाली शिक्षण पर अध्ययन अभी प्रारंभ हुए हैं। परंतु विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में यह अभी प्राथमिक स्तर पर ही है।

विशिष्ट शिक्षा के नवीन क्षेत्र (New Areas of Special Education)

शोध के क्षेत्र में निम्नलिखित बिन्दु सम्मिलित हैं–निर्धारण परीक्षण, असमर्थता के प्रत्येक क्षेत्र में अवरोधक सूची, इनका क्षेत्रीय अनुवाद था अनुकूलन, क्रियात्मक व्यवहारों में मानकीकरण, पश्चिमी देशों से अनुकूलन दशाएं, प्रशिक्षण के फलस्वरूप बाधित बालकों की उन्नति का मापन, परिस्थितिक मध्यस्थता, माता-पिता का सहयोग, चिकित्सा के

नोट

सांस्कृतिक मानकों की स्थापना तथा शोधात्मक उपयोग, बाधितों की समस्याओं के परिणाम तथा ग्रामीण तथा शहरी परिवेश में बाधित बालकों का रहन-सहन, आदि।

शोधकर्ता के प्रयत्नों के अतिरिक्त तुलनात्मक अध्ययन को मुख्य केन्द्र बनाना चाहिए, यह तुलनात्मक अध्ययन विभिन्न क्षेत्रों में हो सकते हैं, जैसे विभिन्न उपचार पद्धतियाँ तथा अभ्यास, विकास प्रक्रिया के प्रारम्भ होने की प्रथम अवस्था में इन्दिय विकास का अनुमान तथा विकासात्मक गुणांक को जानने के लिये प्रभावपूर्ण रीति का प्रयोग करना, अनुसंधानों का प्रारम्भिक केन्द्र न केवल बौद्धिक परिवर्तन, योग्यता तथा कौशल होंगे। बल्कि इनमें सामाजिक वैयक्तिक समायोजन को प्राथमिकता दी जायेगी ताकि बालकों को विद्यालय हेतु तैयार किया जा सके। ऐसे अनुसंधान क्षेत्र कठिनाई देने वाले तथा चुनौतीपूर्ण तो हैं परन्तु ये अध्ययन करने योग्य तथा महत्वपूर्ण हैं।

देश में विशिष्ट शिक्षा नया क्षेत्र है परन्तु इस क्षेत्र में अन्य स्थानों पर बहुत से शोध सामान्यीकरण किया जा चुके हैं। वर्तमान समय में मध्यस्थता की समस्याओं की अपेक्षा हस्तक्षेप को महत्व दिया जाता है। अपेक्षा समन्वित व्यवस्था बनाम विशिष्ट व्यवस्था को महत्वपूर्ण माना जाता है। समुदायिक पुनर्वास तथा पारिवारिक अध्ययन, स्वीकारात्मकता एवं जागरूकता महत्वपूर्ण है, क्योंकि बालकों में पायी जाने वाली बाधिताओं का ज्ञान तो घर में हो जाता है। परन्तु समाज के नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण इस प्रकार के बालकों में हीन भावना आ जाती है।

3.2 विशिष्ट शिक्षा के प्रकार (Types of Special Education)

यद्यपि भिन्न प्रकार की विशिष्टताओं वाले बालकों के लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था भी भिन्न प्रकार से की जाती है, तथापि इसकी आधारभूत प्रणालियाँ निम्नलिखित हैं–

(1) **विशेष परिभ्रामी अध्यापकों, समाज-सेवियों, विशेषज्ञों द्वारा शिक्षण एवं निर्देशन (Teaching and Guidance by Special Visiting, Teachers, Social Workers and Experts)**–विशिष्ट बालकों को सामान्य कक्षाओं में ही रहकर विशेष शिक्षा की व्यवस्था विशेष परिभ्रामी अध्यापकों, समाज-सेवियों, विभिन्न दोषों के सुधारकों एवं विषय विशेषज्ञों की सेवाएँ प्राप्त करके की जा सकती हैं। ऐसे व्यक्ति समय-समय पर विद्यालयों में आकर अध्यापक व अभिभावकों से मिलकर विभिन्न विशिष्ट बालकों को पहचानने, उन्हें शिक्षा व निर्देशन देने में सहायक हो सकते हैं।

इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था में विशिष्ट बालक को शिक्षित करने की मुख्य जिम्मेदारी कक्षा अध्यापक की ही होती है किन्तु उसको अपनी निर्योग्यताओं को दूर करने, क्षमताओं को विकसित करने व उचित समायोजन बनाने के लिए कुछ समय वे लिए (सप्ताह में एक या दो बार) इन विशेष व्यक्तियों से सहायता व निर्देशन मिलता रहता है। यह व्यवस्था उन विद्यालयों व क्षेत्रों में उपयोगी रहती है जिनमें विशिष्ट बालकों की संख्या बहुत कम होती है या बालकों में विशिष्टता का स्तर निम्न होता है; उदाहरणार्थ–सामान्य कक्षा में शिक्षा पा रहे बालक की भाषा को भाषा सुधारक के उचित निर्देशन व अभ्यास से सुधारा जा सकता है। किसी विषय विशेष में कमजोर या विशेष योग्यता रखने वाले बालक समय-समय पर प्राप्त विशेष शिक्षकों की सहायता से उस विषय में उन्नति कर सकते हैं जबकि एक चक्षुहीन या मन्दबुद्धि बालक निश्चित रूप से भिन्न प्रकार की पृथक् शिक्षा व्यवस्था में ही लाभान्वित हो सकता है।

(2) **अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था (Extra Class Planning)**–सामान्य विद्यालयों में ही विशिष्ट बालकों को उनकी विशिष्टता के क्षेत्र स्तर के अनुरूप वर्गीकृत करके उनके लिए अतिरिक्त कक्षा योजनाएँ भी बनाई जा सकती हैं जिसमें बालक अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण, प्रशिक्षण एवं निर्देशन प्राप्त कर अपनी निर्योग्यताओं, समस्याओं, शंकाओं आदि को दूर करने के प्रयास कर सकता है। इस प्रकार इन बालकों का शिक्षण सामान्य कक्षाओं में ही होता है और उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति इन अतिरिक्त कक्षाओं में हो जाती है। इस प्रकार की योजना इन विशिष्ट बालकों के भावात्मक एवं सामाजिक समंजन की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण रहती है।

नोट

नोट्स अतिरिक्त कक्षा योजना कभी-कभी बालक व शिक्षक के लिए भार बन जाती है क्योंकि यह अतिरिक्त कक्षा योजना निश्चित अवधि या कक्षा-शिक्षण के अलावा चलायी जाती है। यदि इसको नियमित कार्यक्रम के साथ समायोजित कर दिया जाये तो इस व्यावहारिक समस्या से बचा जा सकता है।

(3) **विशेष कक्षा योजना (Special Class Planning)**—ऐसे विद्यालय में जहाँ विशिष्ट बालकों की संख्या अधिक होती है या उनमें शिक्षा का स्तर इतना उच्च होता है (जैसे—शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली बालक, शारीरिक रूप से विकलांग बालक आदि में) कि उनको सामान्य बालकों के साथ शिक्षा देना असम्भव या निरर्थक होता है, विशेष कक्षा योजना को सफलतापूर्वक अपनाया जा सकता है। इन कक्षाओं में विशेष रूप से अशिक्षित अध्यापकों, विषय विशेषज्ञों व निर्देशकों द्वारा शिक्षण व निर्देशन कार्य किया जाता है तथा बालकों के लिए आवश्यक सहायक सामग्री एवं यन्त्रों की व्यवस्था की जाती है। एक निश्चित अवधि के पश्चात् मूल्यांकन एवं परिमार्जित विधियों द्वारा अनुवर्तन (folow-up) किया जाता है।

यद्यपि कुछ विद्वान मनोवैज्ञानिक कारणों से इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था का विरोध करते हैं, अभ्यास एवं अनुभवों की दृष्टि से यह एक ससशक्त योजना है। प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर इसे सफलतापूर्वक चलाया जा सकता है। पृथक्ककरण पर आधारित अन्य व्यवस्थाओं जैसे विशेष या आवासीय विद्यालयों की तुलना में यह कम खर्चीली होती है तथा बालक को अपने समान आयु-वर्ग के सामान्य बालकों से साथ खेलने व अन्य क्रिया-कलापों में भाग लेने के अवसर भी मिलते हैं। विशेष कक्षा की योजना बनाते समय विद्यार्थियों की संख्या उनके और अध्ययन काल पर ध्यान देना आवश्यक है। टारगेसन और अन्य ने अपने अध्ययनों में इस बात को स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों की संख्या 8 या 10 तथा शैक्षिक समय 3 घण्टे से अधिक नहीं होना चाहिए उसमें भी आवश्यकतानुसार अन्तराल भी आवश्यक है।

(4) **विशेष विद्यालय (Special School)**—विशिष्ट बालकों के लिये पृथक् विशेष विद्यालयों की व्यवस्था पूर्वकाल में ही देखने को मिलती है। विशेष रूप से ऐसे बालक, जो सामान्य विद्यालयों में किसी भी प्रकार अपने को समायोजित नहीं कर पाते और प्रचलित शिक्षण प्रविधियों से शिक्षा ग्रहण करने में अक्षम होते हैं, इन विद्यालयों में शिक्ष प्राप्त करते हैं। उदाहरणार्थ—चक्षुहीन, बहरे व गूँगे, बाल अपराधी कुसमायोजित, उच्च प्रतिभा सम्पन्न आदि। इस प्रकार की व्यवस्था यद्यपि अधिक खर्चीली होती है तथा सभी स्थानों में उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है, विशिष्ट बालकों के पूर्ण विकास एवं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है।

इन विद्यालयों में विशेष कक्षों व भवनों का निर्माण किया जाता है तथा आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित व योग्य अध्यापक, चिकित्सक एवं निर्देशक नियुक्त किये जाते है जो विशेष सहायक सामग्री व यन्त्रों के उपयोग से इन बालकों को औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से शिक्षा प्रदान करते हैं। इन विशेष विद्यालयों में विशिष्ट बालकों को शिक्षित करने के साथ-साथ उनको उनकी विशिष्टता के अनुरूप किसी व्यवसाय का प्रशिक्षण प्रदान करना और भी अधिक उपयोगी हो सकता है। साथ ही अभिभावकों, समाजसेवियों, अध्यापकों व प्रशासन के समंजन (Co-ordination) से इस प्रकार की व्यवस्था को सही अर्थों में विशिष्ट बालकों के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है।

टास्क आपकी दृष्टि में विशिष्ट बालकों हेतु विशेष कक्षा योजना कितनी कारगर हो सकती है? उसे किस प्रकार बेहतर तरीके से नियोजित किया जा सकता है।

नोट

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

दिए गए कथनों के सामने सही (✓) अथवा गलत (×) का निशान लगाएँ– (State whether the following statements are 'True' or 'False')

1. भारत में विशिष्ट शिक्षा का प्रचार-प्रसार मैकाले की शिक्षा-नीति में भी शामिल था। ☐
2. भारत में विशिष्ट शिक्षा का विषय नया क्षेत्र है। ☐
3. विशिष्ट बालकों के लिए अतिरिक्त कक्षा योजना उनमें हीन भावना को जन्म देती है। ☐
4. विशेष कक्षा योजना आवासीय विद्यालयों की तुलना में कम खर्चीली होती है। ☐
5. विशिष्ट बालकों हेतु ☐

(5) आवासीय विद्यालय (Resisdential Schools)–विशिष्ट बालकों के लिए प्राचीनतम शिक्षा व्यवस्था आवासीय विद्यालयों के रूप में ही देखने को मिलती है। यह प्रविधि पूर्ण पृथक्कीकरण पर आधारित है। इन विद्यालयों में सभी प्रकार के गम्भीर रूप से विकलांग (जैसे–चक्षुहीन, बहर, विकृत शरीर वाले, बाल अपराधी, मानसिक रूप से विकलांगग व मन्द बुद्धि, सांवगिक रूप से असन्तुलित) तथा प्रतिभाशाली बालकों को विशेष रूप से शिक्षित एवं प्रशिक्षित किया जाता है। आवासीय विद्यालयों में शिक्षण एवं प्रशिक्षण केवल कक्षाओं तक सीमित नहीं रहता वरन् बालकों द्वारा किये जाने वाले प्रत्येक कार्य में उन्हें उचित निर्देशन के साथ अभ्यास कराया जाता है। उन्हें विशेष सहायक यन्त्रों व सामग्री का उचित उपयोग करने, अपने अतिरिक्त समय का सदुपयोग करने व अनुशासन का भी अभ्यास व प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

इस प्रकार की पूर्ण पृथक्कीकृत शिक्षा व्यवस्था से बहुत से विद्वान सहमत नहीं होते हैं क्योंकि इनमें बालक घर व समाज से विलग हो जाता है, उसकी विशिष्टता पर अधिक ध्यान दिये जाने से वह उसके प्रति अनावश्यक रूप से सचेत रहने लगता है तथा एक ऐसा विद्यालयीय जीवन व्यतीत करता है जिसमें कम विविधता देखने को मिलती है। फिर भी ये आवासीय विद्यालय उन बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति सफलतापूर्वक कर सकते हैं जिनको अपनी विशिष्टता के कारण कुछ अधिक समय के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त इन विद्यालयों का उपयोग विद्यालयों के पूरक के रूप में भी किया जा सकता है जिसमें बालक अपनी विकलांगता या निर्योग्यता को अधिकतम सीमा तक दूर करने का प्रशिक्षण ग्रहण करने के लिये कुछ अवधि के लिए स्थानान्तरित किया जा सके।

3.3 सारांश (Summary)

- विशिष्ट शिक्षा का क्षेत्र हमारे देश से नया स्वरूप लिये हुए है परन्तु अन्य स्थानों पर भी शोध का ठोस स्वरूप देखने में आता है जिसकी उत्पत्ति मूल रूप से पहले ही हो चुकी थी।
- शोध एवं विकास से सम्बन्धित क्रियाएँ विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में गत वर्षों से विचार करने का क्षेत्र बन गया है। असमर्थता के विभिन्न क्षेत्रों में जो कुछ भी शोध किये गये हैं वे संगठनात्मक एवं संस्थाओं से सम्बन्धित हैं। इसलिए यह शिक्षा से सम्बन्धित अभ्यासों के क्षेत्र में बहुत छोटे-छोटे टुकड़ों के समान है जो न ही तो हमारे सामाजिक संस्कृति के आधार पर मुख्य विचार देते हैं और न ही व्यावहारिक रूप से अपनाने की सम्भावनाओं के बारे में मार्ग दर्शन करते हैं। चिकित्सा से सम्बन्धित शोधकर्ता विशेषत: जो मानसिक मन्दिता से सम्बद्ध है। इनके अतिरिक्त शोध मुख्यतया व मानसिक रूप से बाधित बालकों की कक्षा एवं उनके कार्य में आने वाली समस्याओं से पर्याप्त सम्बन्ध नहीं रखते। कुछ ही शोधकर्ताओं ने बालकों के व्यवहार विश्लेषण एवं व्यवहार के परिवर्तन से सम्बन्धित क्षेत्रों में कार्य किया।
- **विशिष्ट शिक्षा का क्षेत्र**–राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (NCERT) में विशिष्ट शिक्षा का एक विभाग सामान्य अध्यापकों के पाठ्यक्रम में शारीरिक रूप से बाधित बालकों के विभिन्न समस्यायुक्त क्षेत्रों को

नोट

सम्मिलित किया है। ऐसे क्षेत्र दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, मानसिक मन्दित, अस्थि बाधित बालकों से सम्बन्धित हैं। फिर भी इस प्रकार के प्रयासों के प्रशिक्षण के उद्देश्यों के सम्बन्ध में परीक्षण करने की आवश्यकता होगी। बाधित बालकों के प्रशिक्षण के उद्देश्यों के सम्बन्ध में परीक्षण की आवश्यकता होगी। बाधित बालकों की शिक्षा हेतु पुनर्वास परिषद् ने पाठ्यक्रम निश्चित कर दिया है, जिसके अन्तर्गत अनुकूलित पाठ्यक्रम शिक्षा हेतु चयन किये गये हैं।

- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् (NCERT) ने अपने विशिष्ट क्षेत्रीय विद्यालयों तथा इसके मुख्यालयों पर स्थिति इकाइयों के माध्यम से शोध कार्य को क्रमबद्ध विधि से प्रारम्भ करने की चुनौती को स्वीकार किया है। इसके साथ-साथ अध्यापकों का प्रशिक्षण तथा बाधित बालकों के लिए मुख्य क्षेत्रों में अनुदेशनात्मक सामग्री के विकास का कार्य भी *राष्ट्रीय अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद्* (NCERT) ने प्रारम्भ किया है। शिक्षाविदों को विदेशों से भी प्रशिक्षण दिलाया गया है। इसलिए यह अति आवश्यक है कि इन समस्याओं को दूर करने के लिए शोध कार्यों की योजनाएँ बनानी चाहिए। इस प्रक्रिया को समझने के लिए विस्तृत आंकड़े उपलब्ध कराये जाने चाहिए। इससे सम्बन्धित सम्भावनाएँ अर्थात यह किस सीमा तक उपयुक्त है तथा इसको व्यवहारिक रूप से लागू करने में योगदान मिलना चाहिए।
- **विशिष्ट शिक्षा के प्रकार**—यद्यपि भिन्न प्रकार की विशिष्टताओं वाले बालकों के लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था भी भिन्न प्रकार से की जाती है, तथापि इसकी आधारभूत प्रणालियाँ निम्नलिखित हैं—

(1) **विशेष परिभ्रामी अध्यापकों, समाज-सेवियों, विशेषज्ञों द्वारा शिक्षण एवं निर्देशन**—विशिष्ट बालकों को सामान्य कक्षाओं में ही रहकर विशेष शिक्षा की व्यवस्था विशेष परिभ्रामी अध्यापकों, समाज-सेवियों, विभिन्न दोषों के सुधारकों एवं विषय विशेषज्ञों की सेवाएँ प्राप्त करके की जा सकती हैं। ऐसे व्यक्ति समय-समय पर विद्यालयों में आकर अध्यापक व अभिभावकों से मिलकर विभिन्न विशिष्ट बालकों को पहचानने, उन्हें शिक्षा व निर्देशन देने में सहायक हो सकते हैं।

(2) **अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था**—सामान्य विद्यालयों में ही विशिष्ट बालकों को उनकी विशिष्टता के क्षेत्र स्तर के अनुरूप वर्गीकृत करके उनके लिए अतिरिक्त कक्षा योजनाएँ भी बनाई जा सकती हैं जिसमें बालक अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण, प्रशिक्षण एवं निर्देशन प्राप्त कर अपनी निर्योग्यताओं, समस्याओं, शंकाओं आदि को दूर करने के प्रयास कर सकता है।

(3) **विशेष कक्षा योजना**—ऐसे विद्यालय में जहाँ विशिष्ट बालकों की संख्या अधिक होती है या उनमें शिक्षा का स्तर इतना उच्च होता है (जैसे—शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली बालक, शारीरिक रूप से विकलांग बालक आदि में) कि उनको सामान्य बालकों के साथ शिक्षा देना असम्भव या निरर्थक होता है, विशेष कक्षा योजना को सफलतापूर्वक अपनाया जा सकता है।

(4) **विशेष विद्यालय**—विशिष्ट बालकों के लिये पृथक् विशेष विद्यालयों की व्यवस्था पूर्वकाल में ही देखने को मिलती है। विशेष रूप से ऐसे बालक, जो सामान्य विद्यालयों में किसी भी प्रकार अपने को समायोजित नहीं कर पाते और प्रचलित शिक्षण प्रविधियों से शिक्षा ग्रहण करने में अक्षम होते हैं, इन विद्यालयों में शिक्ष प्राप्त करते हैं।

(5) **आवासीय विद्यालय**—विशिष्ट बालकों के लिए प्राचीनतम शिक्षा व्यवस्था आवासीय विद्यालयों के रूप में ही देखने को मिलती है। यह प्रविधि पूर्ण पृथक्कीकरण पर आधारित है। इन विद्यालयों में सभी प्रकार के गम्भीर रूप से विकलांग (जैसे—चक्षुहीन, बहर, विकृत शरीर वाले, बाल अपराधी, मानसिक रूप से विकलांगग व मन्द बुद्धि, सांवगिक रूप से असन्तुलित) तथा प्रतिभाशाली बालकों को विशेष रूप से शिक्षित एवं प्रशिक्षित किया जाता है।

नोट

3.4 शब्दकोश (Keyword)

1. **प्रतिदर्श**–नमूना।
2. **अपभ्रंश**–नीचे गिरना, बिगाड़, शब्द का विक्रत रूप, प्राकृत से उद्भूत आर्यभाषा।
3. **परिमाण**–मात्रा।

3.5 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

1. विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र का विवेचन कीजिए।
2. विशिष्ट शिक्षा के प्रकारों का विस्तार से वर्णन करें।

उत्तर : स्व-मूल्यांकन (Answer: Self Assessment)

1. 2. 3. (×) 4.
5. ।

3.6 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

पुस्तकें

1. *विशिष्ट शिक्षा* – कुमार संजीव, जानकी प्रकाशन, पटना।
2. *विशिष्ट बालक* – आभारानी विष्ट, अग्रवाल प्रकाशन, आगरा।
3. *विशिष्ट शिक्षा का प्रारूप* – डॉ. आर. लाल. शर्मा, आर. लाल. बुक डिपो, आगरा।

नोट

इकाई–4: शारीरिक चुनौतियाँ: परिभाषा, प्रकार एवं विशेषताएँ (Physically Challenged: Definition, Types and Characteristics)

अनुक्रमणिका (Contents)

उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तावना (Introduction)

4.1 शारीरिक रूप से विकलांग बालक– अर्थ एवं परिभाषा (Physically Handicapped Children—Meaning and Definiion)

4.2 शारीरिक रूप से विकलांग बालकों के प्रकार (Types of Physically Handicapped Chidren)

4.2.1 दृष्टि बाधित बालक

4.2.2 श्रवण विकलांग बालक

4.2.3 वाक् विकलांग बालक

4.2.4 विरूपित बालक

4.2.5 शारीरिक रूप से अस्वस्थ बालक

4.2.6 प्रमस्तिष्कीय क्षति

4.2.7 मिरगी

4.2.8 लकवा

4.3 शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की विशेषताएँ

4.4 सारांश (Summary)

4.5 शब्दकोश (Keywords)

4.6 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

4.7 सन्दर्भ पुस्तकें (Further Readings)

उद्देश्य (Objectives)

विद्यार्थी इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् सक्षम होंगे–

- शारीरिक रूप से विकलांग बालकों के विशेष अर्थ से परिचित होंगे।
- शारीरिक रूप से विकलांग बालकों के विभिन्न प्रकार एवं उनकी विशेषताओं से परिचित होंगे।

प्रस्तावना (Introduction)

शारीरिक विकलांगता कोई अभिशाप नहीं है। यह किसी भी कारण जैसे आनवांशिक, माता-पिता की अज्ञानता, दुर्घटनाओं अथवा कभी-कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण हो जाती है। विकलांगताओं के कारण कभी-कभी इनकी

नोट

सामाजिक एवं मानसिक आधारों में अन्तर आ जाते हैं परन्तु इन्हें स्पर्धात्मक स्थितियों का आभास और लाभ का ज्ञान करा कर सामान्य अथवा उच्च सामान्य बालकों के समक्ष किया जा सकता है क्योंकि विकलांग व्यक्ति की भी अपनी कुछ विशेषताएँ एवं उपयोगिताएँ होती हैं। कुछ समय पूर्व उन्हें मात्र दया का पात्र या पाप का उदाहरण समझा जाता था किन्तु जैसे-जैसे सामाजिक जागृति बढ़ती गई विकलांगों के प्रति लोगों का दृष्टिकोण भी बदलता गया। आज के युग में इन्हीं विकलांग व्यक्तियों को समाज के अन्य सामान्य व्यक्तियों के समान समझा जाने लगा है। उनको शिक्षा, प्रशिक्षण एवं निर्देशन प्रदान करने के लिये विभिन्न संस्थाओं की स्थापना की गई है जिससे वे अन्य सामान्य व्यक्तियों के समान अपनी उपयोगिता सिद्ध कर सकें।

4.1 शारीरिक रूप से विकलांग बालक– अर्थ एवं परिभाषा (Physicaly Handicapped Children— Meaning and Definition)

कुछ बालक जन्म से ही कुछ शारीरिक दोष लेकर उत्पन्न होते हैं, जबकि कुछ अन्य का किसी दुर्घटना, चोट अथवा बीमारी के कारण कोई अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है। ऐसे बालकों को बिकलांग बालक कहा जाता है। इन बालकों में यह दोष अथवा क्षति इतनी अधिक होती है कि ये सभी अथवा किसी कार्य विशेष को सामान्य ढंग से नहीं कर पाते हैं।

क्रो एवं क्रो (Crow and Crow) ने ऐसे बालकों को परिभाषित करते हुए कहा है–"एक व्यक्ति जिसको कोई ऐसा शारीरिक दोष होता है, जो किसी भी प्रकार से उसे सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है, अथवा उसे सीमित रखता है, उसे हम शारीरिक न्यूनताग्रस्त या विकलांग व्यक्ति कह सकते हैं।"

'राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्' (NCERT) का स्रोत ग्रन्थ (Source book) में विकलांगता को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया गया है–

"A handicap is restrictions imposed upon, or acquired by the chid, which affects the efficiency of his/her day to day life."

परिभाषा का विश्लेषण–उपरोक्त परिभाषा का विश्लेषण करने पर विकलांग बालकों के संबंध में निम्नलिखित तत्य होते हैं–

1. विकलांगता से तात्पर्य किसी अंग विशेष की कार्यक्षमता पर अंकुश लग जाता है, अर्थात् वह सीमित हो जाती है।
2. यह विकलांगता जन्मजात भी हो सकती है अथवा जन्म के बाद वातावरण के प्रभाव से अर्जित भी हो सकती है।
3. कार्यक्षमता पर अंकुश इतना होता है कि उससे बालक की दिन प्रतिदिन की क्रियाएँ प्रभावित होती हैं।

"A individual who is affected with a physical impairment that in any way limits of inhibits his participation in normal activities may be refered to as physically handicapped."

परिभाषा का विश्लेषण–उपरोक्त परिभाषा का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं।–

1. विकलांग व्यक्तियों में किसी प्रकार की शारीरिक निर्बलता (Impairment) होती है।
2. विकलांगता के कारण व्यक्ति किसी कार्य को या तो पूरी तरह से नहीं कर पाता अथवा सीमित रूप से कर सकता है।

4.2 शारीरिक रूप से विकलांग बालकों के प्रकार (Types of Physically Handicapped Chidren)

4.1.1 दृष्टि बाधित बालक (Visually Impaired Children)

पूर्व काल से ही शारीरिक विकलांगता के क्षेत्र में सर्वाधिक दुखद अवस्था दृष्टिहीनों को स्वीकार की जाती रही है। सदा से ही उनका जीवन समाज में दया, सहानुभूति व भिक्षा वृत्ति पर आश्रित रहा है, तथापि, इतिहास ने हमको सूरदास

नोट

जैसे प्रख्यात भक्त कवि दिए हैं जो जन्मान्ध थे। लुई ब्रेले, जिन्होंने दृष्टिहीनों को स्पर्श के माध्यम से पढ़ाने हेतु सफल विधि देकर दृष्टिहीनों पर बड़ा उपकार किया, स्वयं दृष्टिहीन थे।

दृष्टिहीन एक सरलतापर्वक पहचानी जा सकने वाली विकलांगता है। आयुर्विज्ञान में दृष्टिहीनता का तात्पर्य नेत्रों से कुछ भी न देख पा सकने की स्थिति है। शैक्षिक दृष्टि से "दृष्टिहीनता एक ऐसा दृष्टि विकार है जिसके परिणामस्वरूप दृश्य-सामग्री के प्रयोग से शिक्षण आंशिक रूप से सम्भव न हो सके।" दृष्टिहीनता को चिकित्सा विज्ञान के आधार 20/200 सीमा के अतिरेक के आधार पर परिभाषित किया गया है, अर्थात् एक सामान्य व्यक्ति किसी पृष्ठभूमि में 20◦ तक तथा 200 फीट तक अथवा उससे कम स्पष्ट रूप से देख सकता है। सामान्य दृष्टि क्षमता 20/70 से 20/200 के मध्य अच्छी मानी गयी है।

क्या आप जानते हैं आज दृष्टिहीन विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण ग्रहण करने के अतिरिक्त क्रिकेट व पैराशूट द्वारा वायुयान से कूदने जैसे अद्भूत प्रदर्शन करने लगे हैं।

4.1.2 श्रवण विकलांग (Aurally Impaired)

श्रवण, मौखिक संदेश वाहकता (oral communication) व भाषा विकास (language development) का मुख्य ज्ञानेन्द्रीय मार्ग है। श्रवण बोध (hearning) दोष युक्त होने पर बालक को शाब्दिक अभिव्यक्ति का विकास भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। इसके अतिरिक्त श्रवण अधिगम व मानसिक परिपक्वता के विभिन्न पक्षो ंको भी प्रभावित करता है।

'कानों के द्वारा सुनने में बाधा' से उत्पन्न अयोग्यता व्यक्ति विशेष को श्रवण विकलांग बनाती है। शैक्षिक दृष्टि से, "श्रवण विकलांगता ऐसी शारीरिक निर्योग्यता है जो बालक को मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा शिक्षा ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न करती है।" सामान्यत: शिक्षण की प्रक्रिया में मौखिक विद्या का एक अपना महत्त्व है। इसलिए श्रवण-विकलांग बालकों को भी अतिरिक्त सहायता (उपकरण) या विशिष्ट शिक्षण की आवश्यकता होती है।

4.1.3 वाक् अथवा वाणी विकलांग (Speech Handicapped or Dumb)

वाक् सौष्ठव मौखिक अभिव्यक्ति की आधारशिला है। एक एकमात्र साधन है जिस पर भाषा का विकास पूर्णत: अवलम्बित है। मनोभावों एवं अनुभवों को वाणी द्वारा प्रगट करना, दृश्यों एवं स्थलों का वर्णन, घटनाओं का उल्लेख, पूछे गये प्रश्नों के उत्तर आदि में भाषा का प्रयोग स्वाभाविक है। इसी भाषा का अर्थपूर्ण व स्पष्ट रूप वाक् शुद्धता पर निर्भर करता है।

सामान्य वाक् ध्वनि का न होना ही, जिसमें वक्ता का मन्तव्य श्रोता न समझ सके या अस्पष्टता से या विलंब से समझे, वाक् विकलांगता है। वाक् दोष, अस्पष्ट उच्चारण, असंगत ध्वनि, हकलाना, तुतलाना आदि विकास वाक् विकलांगता की श्रेणी में आते हैं। शैक्षिक दृष्टि से 'वाक् विकलांगता' एक ऐसा वाणी विकार है जिसमें वाणी अस्पष्ट, अनयिमित और शब्दों के स्थान पर केवल ध्वनि के रूप में प्रगट होती है। वाणी को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है-"वाणी मुख भाषा के ध्वनि की क्रमबद्ध एवं व्यावहारिक अभिव्यक्ति है।"

(हालाहम एवं काफमैन, 1988)।

4.1.4 विरूपित बालक (Crippled or Orthopaedically Impaired Children)

कुछ बालक विभिन्न अक्षम अंगों के कारण समाज में अपना समायोजन नहीं कर पाते हैं। यह आंगिक अक्षमता वाले जैसे-शारीरिक रूप से विकलांग, विकृत हडिड्यों वाले लूले-लंगड़े या विषमांग बालक, विरूपित बालक (crippled children) कहलाते हैं। इन बालकों की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु परिवर्द्धित एवं संशोधित विधियों को प्रयुक्त किया जाता है।

विरूपित बालक, औसत बालक की तुलना में शारीरिक सशक्तता में कम होते हैं। यह सामान्य रूप से सम्पन्न हो

सकने वाले कार्यों में बाधा का अनुभव करते हैं। इसके अतिरिक्त इन बालाकों में कुपोषण, बीमारी पक्षाघात (paralysis), यक्ष्मा (leprosy), रक्ताल्पता (anaemia) या अन्य शारीरिक असमानताओं के कारण अथवा सहजत: जीवन शक्ति मन्द होती है। इनके शिक्षण व्यवस्था करते समय विशेष उपकरण एवं निर्देशन के अतिरिक्त अनुकूल संवेगात्मक एवं भावात्मक परिवेश की भी आवश्यकता होती है। सामान्य रूप से विरूपित बालकों को दो वर्गों में रखा जा सकता है–

1. पंगुता अथवा शारीरिक विकृति,
2. रोगों से ग्रसित होने के कारण विकृति।

दोनों ही अवस्थाएँ कभी-कभी समान रूप से साथ-साथ चलती हैं। ऐसी अवस्था में चिकित्सा, शिक्षण एवं सीखने की क्षमता तीनों में साम्यता (co-ordination) अत्यन्त आवश्यक होती है।

4.1.5 अस्वस्थ विकलांग बालक (Unhealthy Impaired Children)

अस्वस्थ विकलांग बालक वे बालक होते हैं जो शारीरिक अस्वस्थता व शक्तिहीनता के कारण पढ़ाई में अपेक्षाकृत कमजोर होते हैं तथा जिनके लिए स्कूल में विशेष स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था करनी आवश्यक होती है। मिर्गी (epilepsy), तपैदिक (tuberculosis), हृदय रोग (cardiac anomalies), सूखा रोग (berry berry), श्वास-रोग (asthama), रक्त-अल्पता (anaemia) आदि रोगों से ग्रसित बालक इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। उनका शारीरिक विकास रुक जाता है तथा वे शारीरिक श्रम नहीं कर पाते हैं। शीघ्र होने वाली शारीरिक व मानसिक थकान के कारण वे अपना ध्यान पढ़ाई में केन्द्रित नहीं कर पाते हैं।

विद्यालय में ऐसे बालकों को सदैव अन्य बालकों के साथ सामाजिक कार्य, खेलकूद आदि में उनकी शारीरिक व मानसिक क्षमता के अनुसार भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उचित स्वास्थ्य-सेवा व देख-रेख में बालक को स्वतंत्र वातावरण में कार्य करने का अवसर देने से स्वास्थ्य लाभ व आत्म-निर्भतरता का विकास शीघ्र ही हो सकता है। इसके अतिरिक्त उनके लिए सन्तुलित भोजन, व्यायाम आदि की भी व्यवस्था घर तथा विद्यालय में होनी चाहिए।

नोट्स अस्वस्थ विकलांग बालक सदैव अस्वस्थ रहने के कारण चिड़चिड़े व दुर्बल हो जाते हैं। समय पर उपचार न होने पर इन रोगों को दूसरों में फैलने का भय भी बना रहता है।

4.1.6 प्रमस्तिष्कीय क्षति (Cerebral Palsy)

इस बात का धीरे-धीरे अनुभव होने लगा है कि समुचित देखभाल, सही प्रशिक्षण और मौके दिए जाने पर विकलांग व्यक्ति भी समाज के योग्य सदस्य बन सकते हैं, जिन्हें समाज के अयोग्य माना जाता है। पिछले बीस वर्षों में कई स्वयंसेवी संस्थाओं ने विकलांग बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए ऐसे केन्द्रों की स्थापना की है जिनमें इन बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है। लेकिन सेरिब्रल पौल्सी के कारण अभी भी इस प्रकार के केन्द्रों की कमी है जहाँ इन विकलांग बच्चों का पुनर्वा हो सके।

शरीर का विकलांग केन्द्र अर्थात् मस्तिष्क का कोई भाग जो शरीर संचालन से सम्बद्ध है, उसमें यदि किसी कारणवश चोट आ जाए तो सेरेब्रल की अवस्था पैदा होती है। सेरेब्रल पौल्सी से पीड़ित बच्चों में अधिकतर बहु-विकलांगता पाई जाती है। इससे पीड़ित व्यक्ति असंतुलित अंग-संचालन के साथ-साथ ठीक से बोलने में, सुनने में और समझने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। इन्हें कुछ सीखने में भी समय लगता है। भारतवर्ष में 30 लाख से भी अधिक लोग हैं जो इससे रोगग्रस्त हैं। अत: इनके लिए अति शीघ्र ऐसी सेवाओं को शुरू करने की जरूरत है जो उन्हें सही ढंग से मदद कर सकें। इन सेवाओं को कोई भी शुरू कर सकता है जैसे–माता-पिता, रिश्तेदार, प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति, इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले लोग या इस समस्या का निदान ढूँढ़ने वाले समाजसेवी। आप खुद भी इस दिशा में कदम उठा सकते हैं।

नोट

4.1.7 मिरगी (Epilepsy)

हमारे शरीर का नियंत्रणकर्ता हमारा मस्तिष्क (दिमाग) है। यह मस्तिष्क ही दिमाग को चलाता है। इस मस्तिष्क को कभी-कभी सामान्य-सा आघात लग जाता है तो यह अपना सामान्य कार्य करना बन्द कर देता है, इससे पूरे शरीर का सन्तुलन बिगड़ जाता है। इस अवस्था को मिरगी या (अपस्मार) कहते हैं। मिरगी सेरीब्रल पालसी से पीड़ित बच्चों में अधिकतर पायी जाती हैं क्योंकि यह बच्चे अपने मस्तिष्क में किसी न किसी प्रकार से आघात सहे हाते हैं।

4.1.8 लकवा (Paraplegia)

जीवन निरोगी रहे यही सब की कामना रहती है। लेकिन शरीर जब किसी रोग से पीड़ित हो जाता है तब जीवन में सब कुछ होते हुए भी कुछ अच्छा नहीं लगता।

जब किसी दुर्घटना या बीमारी के कारण किसी व्यक्ति का शरीर काम करने योग्य नहीं रहता है, अथवा दोनों पैर या शरीर का निचला भाग पूरी तरह से सुन्न हो जाता है–इस प्रकार की अवस्था से गुजरते हुए रागी को 'पैराप्लेजिक' कहते हैं। दुर्घटना या किसी अन्य कारण से अगर रीढ़ के बीचोंबीच या निचल भाग में गहरी चोट लग जाए, आप पैर न हिला सकें, चोट ऊपर की तरफ लगने से हाथ पैर दोनों हिलाने में असमर्थ हो जाएँ, पैर किसी भी प्रकार काम न कर सकें तो उसेस 'लकवा' या 'पैराप्लेजिया' कहा जाता है। दोनों हाथ भी काम न कर सकें तो तब उसे 'कोवाड्रीप्लेजिया' कहा जाता है।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

दिए गए कथन के सामने सही (✓) अथवा गलत (×) का निशान लगाइए– (State whether the following statements are 'True' or 'False')

1. सामान्य दृष्टि क्षमता 20/70 से 20/200 के मध्य उत्तम मानी गई है। ☐
2. मिरगी संक्रामक रोग है। ☐
3. विरूपित बालक अपने अक्षम अंगों के कारण समाज में समायोजन नहीं कर पाते। ☐
4. दृष्टि बाधित होने के कारण ही सूरदास प्रख्यात भक्त कवि बन सके। ☐
5. श्रवण बाधितों के लिपि बेल लिपि का उपयोग किया जाता है। ☐

4.3 शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की विशेषताएँ (Characteristics of Physically Handicapped Childrens)

शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की कुछ सामान्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं।

शारीरिक विकलांगों के संदर्भ में प्राय: तीन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है–

(1) शारीरिक निर्बलता (Physical Impairment)

(2) शारीरिक अक्षमता (Physical Disability)

(3) शारीरिक विकलांगता (Physical Handicappedness)

यह तीनों प्रत्यय प्राय: एक ही संदर्भ में प्रयुक्त किये जाते हैं, परन्तु इन तीनों में थोड़ा अंतर है–

(1) **शारीरिक निर्बलता**–शारीरिक निर्बलता से तात्पर्य है किसी अंग विशेष का न होना अथवा उसकी संरचना में किसी प्रकार की असामान्यता अथवा विकृति का होना। उदाहरण के लिए हाथ में हथेली अथवा उँगलियों का न होना, रेटीना क्षतिग्रस्त होना अथवा टाँग न होना इत्यादि।

(2) **शारीरिक अक्षमता**–शारीरिक अक्षमता, शारीरिक निर्बलता का परिणाम है। शारीरिक निर्बलता के फलस्वरूप उस अंग विशेष की कार्यक्षमता (Functioning ability) में कमी आ जाती है। जैसे हाथ में उँगलियाँ न होने की स्थिति में बच्चा किसी वस्तु को पकड़ नहीं सकता अथवा कान में कोई दोष होने पर बच्चा आवाज को भली प्रकार नहीं सुन सकता।

नोट

(3) **शारीरिक विकलांगता**–शारीरिक विकलांगता, शारीरिक अक्षमता का परिणाम है। शारीरिक अक्षमता के फलस्वरूप बच्चा कुछ कार्यों को भली प्रकार नहीं कर सकता, जो उसके विकास को प्रभावित करती है। जैसे जो आवाज को भली प्रकार नहीं सुन सकता वह विभिन्न आवाजों में अंतर नहीं कर सकता, संगीत का आनन्द नहीं उठा सकता, आवाज के आधार पर व्यक्ति अथवा किसी जीव को पहचान नहीं सकता इत्यादि। इन सबके कारण उसका विकास बाधित होता है।

4.3 सारांश (Summary)

- कुछ बालक जन्म से ही कुछ शारीरिक दोष लेकर उत्पन्न होते हैं, जबकि कुछ अन्य का किसी दुर्घटना, चोट अथवा बीमारी के कारण कोई अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है। ऐसे बालकों को बिकलांग बालक कहा जाता है। इन बालकों में यह दोष अथवा क्षति इतनी अधिक होती है कि ये सभी अथवा किसी कार्य विशेष को सामान्य ढंग से नहीं कर पाते हैं।
- क्रो एवं क्रो (Crow and Crow) ने ऐसे बालकों को परिभाषित करते हुए कहा है–"एक व्यक्ति जिसको कोई ऐसा शारीरिक दोष होता है, जो किसी भी प्रकार से उसे सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है, अथवा उसे सीमित रखता है, उसे हम शारीरिक न्यूनताग्रस्त या विकलांग व्यक्ति कह सकते हैं।"
- 'राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्' (NCERT) का स्रोत ग्रन्थ (Source book) में विकलांगता को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया गया है–

  "A handicap is restrictions imposed upon, or acquired by the chid, which affects the efficiency of his/her day to day life."
- **शारीरिक रूप से विकलांग बालकों के प्रकार–दृष्टि बाधित बालक**–दृष्टिहीन एक सरलतापर्वक पहचानी जा सकने वाली विकलांगता है। आयुर्विज्ञान में दृष्टिहीनता का तात्पर्य नेत्रों से कुछ भी न देख पा सकने की स्थिति है। शैक्षिक दृष्टि से "दृष्टिहीनता एक ऐसा दृष्टि विकार है जिसके परिणामस्वरूप दृश्य-सामग्री के प्रयोग से शिक्षण आंशिक रूप से सम्भव न हो सके।" दृष्टिहीनता को चिकित्सा विज्ञान के आधार 20/200 सीमा के अतिरेक के आधार पर परिभाषित किया गया है, अर्थात् एक सामान्य व्यक्ति किसी पृष्ठभूमि में 20◦ तक तथा 200 फीट तक अथवा उससे कम स्पष्ट रूप से देख सकता है। सामान्य दृष्टि क्षमता 20/70 से 20/200 के मध्य अच्छी मानी गयी है।
- **श्रवण विकलांग**–'कानों के द्वारा सुनने में बाधा' से उत्पन्न अयोग्यता व्यक्ति विशेष को श्रवण विकलांग बनाती है। शैक्षिक दृष्टि से, "श्रवण विकलांगता ऐसी शारीरिक निर्योग्यता है जो बालक को मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा शिक्षा ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न करती है।" सामान्यत: शिक्षण की प्रक्रिया में मौखिक विद्या का एक अपना महत्त्व है। इसलिए श्रवण-विकलांग बालकों को भी अतिरिक्त सहायता (उपकरण) या विशिष्ट शिक्षण की आवश्यकता होती है।
- **वाक् अथवा वाणी विकलांग**–सामान्य वाक् ध्वनि का न होना ही, जिसमें वक्ता का मन्तव्य श्रोता न समझ सके या अस्पष्टता से या विलंब से समझे, वाक् विकलांगता है। वाक् दोष, अस्पष्ट उच्चारण, असंगत ध्वनि, हकलाना, तुतलाना आदि विकास वाक् विकलांगता की श्रेणी में आते हैं।
- **विरूपित बालक**–कुछ बालक विभिन्न अक्षम अंगों के कारण समाज में अपना समायोजन नहीं कर पाते हैं। यह आंगिक अक्षमता वाले जैसे–शारीरिक रूप से विकलांग, विकृत हडिड्यों वाले लूले-लंगड़े या विषमांग बालक, विरूपित बालक (crippled children) कहलाते हैं।
- **अस्वस्थ विकलांग बालक**–अस्वस्थ विकलांग बालक वे बालक होते हैं जो शारीरिक अस्वस्थता व शक्तिहीनता के कारण पढ़ाई में अपेक्षाकृत कमजोर होते हैं तथा जिनके लिए स्कूल में विशेष स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था करनी आवश्यक होती है। मिर्गी (epilepsy), तपैदिक (tuberculosis), हृदय रोग (cardiac anomalies), सूखा रोग

नोट

(berry berry), श्वास-रोग (asthama), रक्त-अल्पता (anaemia) आदि रोगों से ग्रसित बालक इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं।

- **प्रमस्तिष्कीय क्षति**—शरीर का विकलांग केन्द्र अर्थात् मस्तिष्क का कोई भाग जो शरीर संचालन से सम्बद्ध है, उसमें यदि किसी कारणवश चोट आ जाए तो सेरेब्रल की अवस्था पैदा होती है। सेरेब्रल पौल्सी से पीड़ित बच्चों में अधिकतर बहु-विकलांगता पाई जाती है। इससे पीड़ित व्यक्ति असंतुलित अंग-संचालन के साथ-साथ ठीक से बोलने में, सुनने में और समझने में कठिनाई का अनुभव करते हैं।
- **मिरगी**—हमारे शरीर का नियंत्रणकर्ता हमारा मस्तिष्क (दिमाग) है। यह मस्तिष्क ही दिमाग को चलाता है। इस मस्तिष्क को कभी-कभी सामान्य-सा आघात लग जाता है तो यह अपना सामान्य कार्य करना बन्द कर देता है, इससे पूरे शरीर का सन्तुलन बिगड़ जाता है। इस अवस्था को मिरगी या (अपस्मार) कहते हैं।
- **लकवा**—जीवन निरोगी रहे यही सब की कामना रहती है। लेकिन शरीर जब किसी रोग से पीड़ित हो जाता है तब जीवन में सब कुछ होते हुए भी कुछ अच्छा नहीं लगता।
- जब किसी दुर्घटना या बीमारी के कारण किसी व्यक्ति का शरीर काम करने योग्य नहीं रहता है, अथवा दोनों पैर या शरीर का निचला भाग पूरी तरह से सुन्न हो जाता है—इस प्रकार की अवस्था से गुजरते हुए रागी को 'पैराप्लेजिक' कहते हैं।
- **शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की विशेषताएँ**—शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की कुछ सामान्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं। शारीरिक विकलांगों के संदर्भ में प्राय: तीन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है—

(1) शारीरिक निर्बलता; (2) शारीरिक अक्षमता; (3) शारीरिक विकलांगता।

4.4 शब्दकोश (Keywords)

1. **स्पर्धात्मक**—प्रतियोगिता संबंधित, चुनौती संबंधित।
2. **जन्मांध**—जन्म के समय से अंधे होना।
3. **भिक्षावृत्ति**—भीख मांगने की आदत।

4.5 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

1. शारीरिक रूप से विकलांग बालक का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसकी परिभाषा दीजिए।
2. शारीरिक रूप से विकलांग बालक कितने प्रकार के होते हैं।
3. शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की विशेषताएं बताइए।

उत्तर : स्व-मूल्यांकन (Answer: Self Assessment)

1. 2. (×) 3. 4. (×)

5.

4.6 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

पुस्तकें

1. *शारीरिक रूप से विकलांग बालक* – योगेन्द्र कुमार शर्मा, कनिष्क पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
2. *विशिष्ट शिक्षा* – कुमार संजीव, जानकी प्रकाशन, पटना।
3. *विशिष्ट बालक* – आभारानी विष्ट, अग्रवाल प्रकाशन, आगरा।

नोट

इकाई–5: शारीरिक चुनौतियाँ: पहचान, कारण एवं समस्याएँ (Indentification, Causes and Problems of Physically Challenged)

अनुक्रमणिका (Contents)

उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तावना (Introduction)

5.1 शारीरिक चुनौतियों की पहचान (Idenfification of Physically Challenged)

5.2 शारीरिक विकलांगता के कारण (Causes of Physically Challenged)

5.2.1 जन्म के साथ शारीरिक विकलांगता (By Birh Handicapedness)

5.2.2 जन्म के बाद शारीरिक विकलांगता (After Birh Handicapedness)

5.3 शारीरिक विकलांग की समस्याएँ (Problems of Physicay Handicapped)

5.4 सारांश (Summary)

5.5 शब्दकोश (Keywords)

5.6 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

5.7 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

उद्देश्य (Objectives)

विद्यार्थी इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् सक्षम होंगे–

- शारीरिक रूप से विकलांगों की पहचान उसके कारण एवं समस्याओं से परिचित होंगे।

प्रस्तावना (Introduction)

शारीरिक विकलांगता कोई अभिशाप नहीं है। यह किसी भी कारण जैसे आनुवांशिक, माता-पिता की अज्ञानता, दुर्घटनाओं अथवा कभी-कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण हो जाती है। विकलांगताओं के कारण कभी-कभी इनके सामाजिक एवं मानसिक आधारों में अन्तर आ जाता है परन्तु इन्हें स्पर्धात्मक स्थितियों का आभास और लाभ का ज्ञान कराकर सामान्य अथवा उच्च सामान्य बालकों के समक्ष किया जा सकता है क्योंकि विकलांग व्यक्ति की भी अपनी कुछ विशेषताएँ एवं उपयोगिताएँ होती हैं। कुछ समय पूर्व उन्हें मात्र दया का पात्र या पाप का उदाहरण समझा जाता था। किन्तु जैसे-जैसे सामाजिक जागृति बढ़ती गई विकलांगों के प्रति लोगों का दृष्टिकोण भी बदलता गया। आज के युग में इन्हीं विकलांग व्यक्तियों को समाज के अन्य सामान्य व्यक्तियों के समान समझा जाने लगा है। उनको शिक्षा, प्रशिक्षण एवं निर्देशन प्रदान करने के लिये विभिन्न संस्थाओं की स्थापना की गई है जिससे वे अन्य सामान्य व्यक्तियों के समान अपनी उपयोगिता सिद्ध कर सकें।

नोट

"विकलांगता एक ऐसी स्थिति है जो किसी भी व्यक्ति को किसी भी अवस्था में उसके सामान्य व्यवहार, कार्यशक्ति, विचार एवं नियमित कृत्य को न्यूनाधिक प्रभावित कर आंगिक, मानसिक, सामाजिक व भावात्मक असन्तुलन उत्पन्न कर देती है।" **बाल गोविन्द तिवारी** के इस कथन के अनुसार विकलांगता एक असन्तुलन की स्थिति है जो कि व्यक्ति विशेष के व्यवहार को प्रभावित कर उसको सामान्य व्यक्ति से अलग दर्शाती है।

शैक्षिक दृष्टि से विकलांग किसी भी प्रकार की निर्योग्यता हो सकती है जो बालक विशेष की औसत बालकों की भांति शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ बनाती है। ऐसे बालक सामान्य शिक्षा पद्धति से लाभान्वित नहीं हो पाते। उनके लिए अतिरिक्त सहायता व विशिष्ट शिक्षण की आवश्यकता होती है।

विकलांग बालकों के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि विकलांग बालक औसत बालक से सर्वथा भिन्न नहीं होते। कोई पक्ष विशेष ही ऐसा होता है जिसे सीखने की स्थिति में विचलन (deviation) उत्पन्न हो जाता है। विकलांग बालक दूसरे विकलांग बालकों से विकलांगता के स्वरूप में विकलांगता की सीमा की दृष्टि से भिन्न होते हैं। सेमुअल ए. किर्क के अनुसार विभिन्न विकलांग बालकों को तीन श्रेणियों–(1) मानसिक विकलांग (mentally handicapped), (2) सामाजिक रूप से कुसमायोजित (socially maladjusted) तथा (3) शारीरिक विकलांग (physically handicapped)—में विभक्त किया जा सकता है।

नोट्स विकलांग बालकों के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि विकलांग बालक औसत बालक से सर्वथा भिन्न नहीं होते। कोई पक्ष विशेष ही ऐसा होता है जिसे सीखने की स्थिति में विचलन (deviation) उत्पन्न हो जाता है।

5.1 शारीरिक चुनौतियों की पहचान (Idenfification of Physically Challenged)

जन्म के तुरन्त बाद बच्चा अभिभावकों के सम्पर्क में आता है अत: जन्म से पूर्व की विकलांगता का सबसे पहले उन्हें ही आभास होता है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत 'राष्ट्रीय न्यास' अभिभावकों से विकलांगता की पहचान तथा विकलांग बच्चे के प्रति उनके कर्त्तव्य के संबंध में निम्न अपील की है–

प्रिय अभिभावक,

आप यह जानने वाले सम्भवत: पहले व्यक्ति होंगे कि आपके बच्चे के साथ कुछ गड़बड़ है। हो सकता है जैसे आप सोचते हों उस हिसाब से वह अपना सिर न उठा पा रहा हो या हिल-डुल नहीं पा रहा हो। हो सकता है, यह बच्चा आपके दूसरे बच्चे जैसा नहीं लग रहा हो, जिन बच्चों को आप देखते हो उनकी तरह नजर नहीं हा रहा हो। हो सकता है कुछ निश्चित नजर न आ रहा हो, बस आप कुछ अंदाजा लगा रहे हों। हो सकता है आप जो महसूस कर रहे हों, वह विकासमूलक समस्या हो।

विकास से जुड़ी एक समस्या मांसपेशियों के नियंत्रण को प्रभावित करती है और इसका मतलब प्रमष्तिष्क अंगघात से हो सकता है या विकास से जुड़ी कोई और परेशानी हो सकती है।

शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे जिन्हें माँसपेशियों के नियंत्रण में कठिनाई हो, उनकी उन गतिविधियों को सीखने की रफ्तार धीमी होती है, जिन्हें दूसरे बच्चे बिना सिखाए बड़ी आसानी से जान जाते हैं। इस तरह की शारीरिक चुनौतियों का सामना कर रहे बच्चों को अक्सर उनकी कुछ या सभी समस्याओं से उबरने में मदद की जा सकती है। यह याद रखना महत्त्वपूर्ण है कि शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों की बुद्धि ज्यादा, सामान्य या कम हो सकती है।

नोट

अगर आप अपने बच्चे की माँसपेशियों के नियंत्रण को लेकर चिन्तित हैं तो संकोच मत कीजिए और जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलकर उन्हें सारी स्थितियों से अवगत कराइए। डॉक्टर भलीभांति जानते हैं कि माता-पिता की चिन्ताएँ कितनी महत्त्वपूर्ण होती हैं। वे इस बारे में आपके साथ चर्चा करके खुश होंगे।

बच्चा अपनी पूरी क्षमता हासिल करे, इसके लिए पूरे परिवार का रवैया और प्रतिबद्धता महत्त्व रखती है।

5.2 शारीरिक विकलांगता के कारण (Causes of Physically Handicapedness)

शारीरिक विकलांगता किसी बालक की उस अवस्था को दर्शाती है जिसमें किसी भी प्रकार की शारीरिक निर्योग्यताओं के कारण वह औसत बालक की भांति स्कूल के कार्य-कलापों में विशेष उन्नति नहीं कर पाता है। इस शारीरिक निर्योग्ता विशेष को नियंत्रित करने के लिए इन बालकों को अतिरिक्त सहायता (उपकरण) व विशिष्ट शिक्षण की आवश्यकता होती है।

दृष्टि बाधिता (blindness), मूक-बधिरता (deaf and dumb) और अंग-भंगता (crippledness) आदि शारीरिक विकलांगता का मुख्य कारण होती है। इसके अतिरिक्त शारीरिक विकृति (physical deformity) व अस्वस्थता (ill-health) के कारण उत्पन्न विकलांगता भी इसी वर्ग में आती है। शारीरिक विकलांगता में बालक का कोई अंग या तंत्र विशेष ही प्रभावित होता है अन्यथा बालक सामान्य होता है। इस प्रभावित अंग या तंत्र विशेष को साधारण उपकरणों की सहायता से कुछ सीमा तक कार्य-सक्षम बनाया जा सकता है। असाधारण रूप से शारीरिक विकलांग बालकों (जैसे-नेत्रहीन) को विशेष शिक्षण या अलग व्यवस्था देनी आवश्यक होती है।

किसी भी बालक में शारीरिक विकलांगता का क्या कारण है? इस दिशा में अध्ययन की रूपरेखा बनाते समय कारणों को मूलत: दो अंशों में बांटा जा सकता है- एक जन्म के साथ शारीरिक विकलांगता और दूसरे, जन्म के बाद शारीरिक विकलांगता।

5.2.1 जन्म के साथ शारीरिक विकलांगता (By Birh Handicapedness)

जन्म के साथ शारीरिक विकलांगता (congenital amomalies) यदि उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर 3% ही जीवित बालकों की संख्या बतायी गयी है परन्तु ये असामान्यताएँ बच्चों के मानसिक धरातल को पूरी तरह से नष्ट अथवा अव्यवस्थित कर देती हैं। इन असामान्यताओं के प्रमुख रूप से गुणसूत्रों का असामान्य संयोग और भ्रूणावस्था में माँ के शरीर पर दवाओं, X-किरणों (X-Rays) और अन्य जीवाणुओं जैसे-चेचक तथा वर्तमान में अति संवेदनशील AIDS-Virus (HIV + Ve) शारीरिक विकलांगता उत्पन्न करने में सहायक सिद्ध होती हैं। इस तरह के बच्चों को टीरेटोजेन्स (teratogens) कहा जाता है। इस स्थिति में माँ के संक्रमित होने का विशेष प्रभाव प्रलक्षित होता है। इन संक्रमणों से मूलत: जो शारीरिक विकलांगताएँ देखने को मिलता है वे हैं- पैरों के आकार अति छोटे होना आथवा कभी-कभी न होना। इस प्रकार के बच्चों को फोकोमेलिया (phocomelia) कहा जाता है। गर्भाधान के समय माँ का शराब एवं अन्य नशीले पदार्थों का सेवन मुख्य रूप से बच्चों में मानसिक विकलांगता, मस्तिष्क क्षतिग्रस्ता (brain damage), अति क्रियाशीलता (hyperactivity) के साथ शारीरिक विकलांगता जैसे चेहरे की असामान्य बनावट, हृदय गति में आमान्यता (**विलस्नैक, कैसेन** एवं **विलस्नैक 1994; आवे** एवं **हंसजर्गम** 1979; **विस्नेस्की** एवं **लूपित** 1979)।

क्या आप जानते हैं माँ के संक्रमित होने पर जन्म लेने वाले बच्चे में उसका विशेष प्रभाव लक्षित होता है जैसे- पैरों का आकार अति छोटा होना अथवा न होना। इस प्रकार के बच्चों को 'फोकोमेलिया' कहा जाता है।

5.2.2 जन्म के बाद शारीरिक विकलांगता (After Birh Handicapedness)

जन्म के बाद शारीरिक विकलांगता को अर्जित शारीरिक विकलांगता (Acquired Anomalies) के अंतर्गत रखा जाता है। यह विकलांगता किसी दुर्घटना, प्राकृतिक आपदाओं और कभी-कभी माता-पिता की अज्ञानता के कारण हो जाती है। इन विकलांगताओं में प्रमुखत: शरीर के किसी अंग में अपंगता (दुर्घटना के कारण), पोलियो, अन्धापन (माँ-बाप द्वारा विटामिन "ए") से युक्त खाद्य-पदार्थों को उपलब्ध न कराना, अति शोरगुलपूर्ण वातावरण के कारण श्रवण क्षमता का ह्रास होना, आदि-आदि। जन्म के बाद विकलांगता का सही समय पर उपचार के माध्यम से प्राय: स्थायी समाधान हो जाता है परन्तु कभी-कभी इसके आंशिक लक्षण दिखायी पड़ते हैं। स्थायी समाधानों में से अनेक वृद्धावस्था अथवा प्राकृतिक परिवर्तनों के फलस्वरूप अपने प्रभावों को व्यक्त करते हैं जिससे व्यक्ति में शारीरिक अपंगता आ जाती है।

आंगिक असामान्यता के कारण शारीरिक विकलांग बालकों को सरलता से पहचाना जा सकता है। यह असामान्यता उनके व्यवहार, शारीरिक आकृति, चलना, उठना-बैठना आदि के अतिरिक्त उनकी कार्य-क्षमता, कार्य-विधि, कार्य-परिणाम आदि से स्पष्ट जानी जा सकती है। इनमें से अधिकांश सामान्य शिक्षण पद्धति से ही लाभान्वित हो सकते हैं। इनको केवल अतिरिक्त सहायता सामग्री व शिक्षक द्वारा अधिक ध्यान व समय देने की आवश्यकता होती है। किसी भी बालक में विकलांगता का क्या कारण है? इस दिशा में अध्ययन की रूपरेखा बनाते समय कारणों को मूलत: दो अंशों में बांटा जा सकता है—एक, जन्म से शारीरिक विकलांगता और दूसरे, जन्म के बाद शारीरिक विकलांगता। शारीरिक रूप से विकलांग बालकों को उनके प्रभावित अंगों व तंत्रों के आधार पर निम्न वर्गों में रखा जा सकता है—

1. दृष्टि-विकलांग (Visually handicapped) बालक
2. श्रवण-विकलांग (Aurally handicapped) बालक
3. वाक्-विकलांग (Speech handicapped) बालक
4. विरूपित (Crippled) बालक
5. शारीरिक रूप से अस्वस्थ (Unhealhy) बालक
6. प्रमस्तिष्कीय क्षति (Cerebral palsy)
7. मिरगी (Epilepsy)
8. लकवा (Paraplegia)

टास्क पोलियो के कारण भारत में होने वाली विकलांगता पर एक नोट लिखें।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

सही विकल्प चुनिए— (Choose the correct option)—

1. 'राष्ट्रीय न्यास' निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है—
   (क) समाज कल्याण मंत्रालय (ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय
   (ग) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
2. जन्म के पश्चात् शारीरिक विकलांगता में पोलियो व अंधेपन के प्रमुख कारणों में एक है—
   (क) विटामिन 'ए' की कमी (ख) विटामिन 'बी' की कमी
   (ग) विटामिन 'सी' की कमी

नोट

3. जन्म के बाद की विकलांगता को कहते हैं–
   (क) मानसिक विकलांगता (ख) अपंगता
   (ग) अर्जित विकलांगता
4. भ्रूणावस्था में माँ के शरीर पर X-Rays अन्य जीवाणुओं, चेचक तथा AIDS आदि के कारण शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को कहते हैं–
   (क) फोकोमेलिया (ख) टीरेटोजेंस
   (ग) डिस्लैक्सिया

5.3 शारीरिक विकलांग की समस्याएँ (Problems of Physically Handicapped)

विकलांग बालकों की एक प्रमुख समस्या उनका शारीरिक दोष होती है। परन्तु इस दोष के कारण उनके व्यक्तित्त्व के दूसरे पक्षों का विकास भी प्रभावित होता है। अपनी विकलांगता के कारण बच्चे को जीवन में अनेक स्थानों पर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनमें से कुछ प्रमुख समस्याएँ निम्न हैं–

(1) **शारीरिक अपर्याप्तता (Physical Insufficiency)**—शरीर के प्रत्येक अंग का कुछ न कुछ विशेष कार्य एवं महत्त्व होता है। किसी भी कार्य को सम्पन्न करने में हम अपने अंगों को उपकरणों की भांति प्रयोग करते हैं। यदि किसी व्यक्ति में कोई शारीरिक दोष (Physical defect) है, तो इसका तात्पर्य है कि किसी कार्य को करने के लिए उसके पास पर्याप्त उपकरण नहीं है। स्पष्ट है कि वह या तो उस कार्य को नहीं कर पाएगा अथवा सीमित रूप में कर पाएगा। विकलांग बालकों को कई बार अपनी इस शारीरिक अपर्याप्तता का सामना करना पड़ता है।

(2) **सामान्य व्यवसायों के लिए अनुपयुक्त (Unfit for Normal Vocations)**—विकलांग बालक प्राय: सामान्य व्यवसायों में सफल हो सकते हैं। अपनी विकलांगता की प्रकृति के अनुसार ये कुछ ही व्यवसायों में सफल हो सकते हैं। कुछ विकलांग बच्चे तो किसी व्यवसाय विशेष को अपना ही नहीं सकते जैसे–नेत्रहीन बालक चित्रकार अथवा फोटोग्राफर नहीं बन सकता तथा एक अस्थि-विकलांग (Orthoaedic hancidapped) केवल उसी व्यवसाय में सफल हो सकता है, जो एक स्थान पर बैठकर किया जा सके।

(3) **हीन-भावना (Inferiority Complex)**—विकलांग बच्चों का शरीर अंसामान्य अथवा कुरूप होता है। इस कारण इनके मन में हीन भावना होती है। सामान्य क्रियाकलापों को कर पाने में असफलता इस हीन भावना को बढ़ाती है। प्राय: सामान्य बच्चे भी अपने व्यवहार से विकलांग बच्चों को अपने से नीचे होने का अहसास कराते रहते हैं।

(4) **सामाजिक समायोजन में समस्याएँ (Problem in Social Adjustment)**—विकलांग बालकों का समाज में आना-जाना तथा दूसरे व्यक्तियों के साथ अन्त:क्रियाएँ काफी सीमित होती हैं; अत: इनमें सामाजिक गुणों का विकास अपेक्षाकृत कम हो पाता है। किसी भी नई परिस्थिति में ये स्वयं आसानी से समायोजित नहीं कर सकते।

(5) **भावात्मक समस्याएँ (Emotional Problems)**—विकलांग बालक प्राय: अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। अपनी विकलांगता तथा उसके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अक्षमता एवं असफलता प्राय: इन्हें निराशावादी (Passimistic) बना देती है।

(6) **विद्यालय में समस्याएँ (Problems at School)**—कक्षा में इनकी विकलांगता के फलस्वरूप कोई सहपाठी इन्हें अपने साथ खेलकूद अथवा अन्य क्रियाओं में सम्मिलित नहीं करता। अपनी विकलांगता के कारण ये शैक्षिक क्रियाओं में भी पिछड़े होते हैं, अत: विद्यालय में इनका समायोजन अच्छा नहीं होता है।

नोट

(7) **परिवार में समस्याएँ (Problems at Home)**—परिवार में प्राय: माता-पिता या तो विकलांग बच्चे को उपेक्षित करते हैं, उसे बोझ समझते हैं अथवा उसकी विकलांगता को अपनी गलती का परिणाम समझ कर उसके सारे कार्य स्वयं करते हैं। यह दोनों ही स्थितियाँ बच्चे के स्वाभाविक विकास को प्रभावित करती हैं। प्राय: इन बच्चों पर माता-पिता द्वारा विशेष ध्यान दिए जाने के कारण इनके अन्य भाई-बहन (Sibings) उनसे ईर्ष्या करते हैं। यह सारी स्थितियाँ परिवार में इनके समायोजन को प्रभावित करती हैं।

5.4 सारांश (Summary)

- "विकलांगता एक ऐसी स्थिति है जो किसी भी व्यक्ति को किसी भी अवस्था में उसके सामान्य व्यवहार, कार्यशक्ति, विचार एवं नियमित कृत्य को न्यूनाधिक प्रभावित कर आंगिक, मानसिक, सामाजिक व भावात्मक असन्तुलन उत्पन्न कर देती है।" **बाल गोविन्द तिवारी** के इस कथन के अनुसार विकलांगता एक असन्तुलन की स्थिति है जो कि व्यक्ति विशेष के व्यवहार को प्रभावित कर उसको सामान्य व्यक्ति से अलग दर्शाती है।
- शैक्षिक दृष्टि से विकलांग किसी भी प्रकार की निर्योग्यता हो सकती है जो बालक विशेष की औसत बालकों की भांति शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ बनाती है। ऐसे बालक सामान्य शिक्षा पद्धति से लाभान्वित नहीं हो पाते। उनके लिए अतिरिक्त सहायता व विशिष्ट शिक्षण की आवश्यकता होती है।
- **शारीरिक चुनौतियों की पहचान**—जन्म के तुरन्त बाद बच्चा अभिभावकों के सम्पर्क में आता है अत: जन्म से पूर्व की विकलांगता का सबसे पहले उन्हें ही आभास होता है।
- शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे जिन्हें माँसपेशियों के नियंत्रण में कठिनाई हो, उनकी उन गतिविधियों को सीखने की रफ्तार धीमी होती है, जिन्हें दूसरे बच्चे बिना सिखाए बड़ी आसानी से जान जाते हैं। इस तरह की शारीरिक चुनौतियों का सामना कर रहे बच्चों को अक्सर उनकी कुछ या सभी समस्याओं से उबरने में मदद की जा सकती है। यह याद रखना महत्त्वपूर्ण है कि शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों की बुद्धि ज्यादा, सामान्य या कम हो सकती है।
- **शारीरिक विकलांगता के कारण**—शारीरिक विकलांगता किसी बालक की उस अवस्था को दर्शाती है जिसमें किसी भी प्रकार की शारीरिक निर्योग्यताओं के कारण वह औसत बालक की भांति स्कूल के कार्य-कलापों में विशेष उन्नति नहीं कर पाता है। इस शारीरिक निर्योग्ता विशेष को नियंत्रित करने के लिए इन बालकों को अतिरिक्त सहायता (उपकरण) व विशिष्ट शिक्षण की आवश्यकता होती है।
- किसी भी बालक में शारीरिक विकलांगता का क्या कारण है? इस दिशा में अध्ययन की रूपरेखा बनाते समय कारणों को मूलत: दो अंशों में बांटा जा सकता है– एक जन्म के साथ शारीरिक विकलांगता और दूसरे, जन्म के बाद शारीरिक विकलांगता।
- **शारीरिक विकलांग की समस्याएँ**—अपनी विकलांगता के कारण बच्चे को जीवन में अनेक स्थानों पर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनमें से कुछ प्रमुख समस्याएँ निम्न हैं–(1) शारीरिक अपर्याप्तता; (2) सामान्य व्यवसायों के लिए अनुपयुक्त; (3) हीन-भावना; (4) सामाजिक समायोजन में समस्याएँ; (5) भावात्मक समस्याएँ; (6) विद्यालय में समस्याएँ; (6) विद्यालय में समस्याएँ; (7) परिवार में समस्याएँ।

5.5 शब्दकोश (Keywords)

1. **प्रमस्तिष्क**—मस्तिष्क के सामने का बड़ा भाग।
2. **आंगिक**—अंग या अंगों से संबंधित।
3. **अस्थि विकलांगता**—हडिड्यों से जुड़ी विकलांगता।

नोट

5.6 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

1. शारीरिक विकलांगता की पहचान कैसे करेंगे?
2. शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की समस्याओं पर प्रकाश डालिए।
3. शारीरिक विकलांगता के कारण समझाइए।

उत्तर : स्व-मूल्यांकन (Answer: Self Assessment)

1. (ग) 2. (क) 3. (ग) 4. (ख)

5.7 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

पुस्तकें

1. *शारीरिक रूप से विकलांग बालक* – योगेन्द्र कुमार शर्मा, कनिष्क पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
2. *विशिष्ट शिक्षा* – कुमार संजीव, जानकी प्रकाशन, पटना।
3. *विशिष्ट बालक* – आभारानी विष्ट, अग्रवाल प्रकाशन, आगरा।

नोट

इकाई–6: शारीरिक चुनौतियाँ: शिक्षण आव्यूह एवं निवारण (Physically Challenged: Prevention and Teaching Strategies)

अनुक्रमणिका (Contents)

उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तावना (Introduction)

6.1 शारीरिक चुनौतियाँ: शिक्षण आव्यूह (Physically Challenged: Teacher Strategies)

6.2 शारीरिक विकलांगता के सहायतार्थ उपाय (Measures to Help the Physically Handicapped)

6.3 सारांश (Summary)

6.4 शब्दकोश (Keywords)

6.5 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

6.6 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

उद्देश्य (Objectives)

विद्यार्थी इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् सक्षम होंगे–

- शारीरिक रूप से विकलांगों हेतु शिक्षण रणनीति से परिचित होंगे।
- शारीरिक रूप से विकलांगों की समस्याओं के निवारण हेतु सरकार द्वारा किए गए उपायों से परिचित होंगे।

प्रस्तावना (Introduction)

विकलांग बच्चे समाज के एक अंग होते हैं, अत: उन्हें भी उनकी क्षमता के अनुसार शिक्षण-प्रशिक्षण प्रदान करें। यथासंभव आत्मनिर्भर बनाना कल्याणकारी राज्य का उत्तरदायित्व है ताकि वे परिवार तथा समाज के द्वारा उपेक्षित व्यवहार का शिकार न हों। शारीरिक विकलांगा भी अनेक प्रकार की होती है। जैसे– श्रवण क्षतियुक्त विकलांग, वाणी दोष विकलांग, दृष्टिदोष युक्त विकलांग और अस्थि विकलांग आदि। शारीरिक रूप से विकलांग में शारीरिक दोषों के अतिरिक्त और कोई दोष नहीं होता। उनके शारीरिक दोषों को देखकर उन्हें अनुकूल शिक्षा देनी चाहिए। ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए जो उनके शारीरिक दोषों के बावजूद उन्हें कुछ सीखने में मदद करे। यहाँ विकलांग बालकों की समस्याओं के निवारण तथा उनके शैक्षिक प्रावधान पर प्रकाश डाला गया है।

6.1 शारीरिक चुनौतियाँ: शिक्षण आव्यूह (Physically Challenged: Teacher Strategies)

एक विकलांग बालक तथा एक बीमार बालक एक सामान्य बालक से भिन्न होता है तथापि उसे उचित प्रयासों द्वारा शिक्षित किया जा सकता है। शिक्षा में ऐसे बालकों को शिक्षित करने हेतु कुछ विशेष प्रावधान करना और कुछ

नोट

विशेष सुविधाएँ देना अनिवार्य है। ये प्रावधान और सुविधाएँ अक्षमता तथा बीमारी के अनुसार भिन्न हो सकती हैं। सामान्यतया कुछ वशेष प्रावधान किए जाने चाहिए; जो निम्नलिखित हैं–

(1) **उपचार सुविधा (Treatment Facility)**– अपंग तथा बीमार बालकों के उपचार के लिए समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्हें योग्य व कुशल चिकित्सक को समय-समय पर दिखाना चाहिए। ऐसे बालकों के उपचार के लिए धन की व्यवस्था यदि की जा सके तो यह अति उत्तम होगा। ऐसे बालकों को समय-समय पर चिकित्सालय में भर्ती करने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में उन्हें विद्यालय से समय-समय पर अनुपस्थित होना पड़ सकता है। अत: उपस्थिति संबन्धी छूट उन्हें दी जानी चाहिए। इस अनुपस्थिति का प्रभाव उनके शैक्षिक ज्ञान, सीखना और उपलब्धि पर नकारात्मक रूप से पड़ सकता है।

अत: ऐसे बालकों के लिए सफलता के मापदण्ड सामान्य बालक के समान नहीं बनाने चाहिए। ये मापदण्ड बालक की अक्षमता तथा रोग की गम्भीरता के अनुसार निश्चित किए जाने चाहिए। साथ ही ऐसे बालकों की अपंगता और बीमारी उनको सामान्य बालकों के करीब नहीं आने देती। यह स्थिति उनके सामाजिक विकास को ही नहीं संवेगात्मक विकास को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।

अत: इन बालकों के समुचित सामाजिक और संवेगात्मक विकास की ओर ध्यान देना शिक्षक का कर्त्तव्य बन जाता है। इसके लिए उसे सामान्य बालकों में अपंग बालकों तथा रोगी बालकों के प्रति एक जागरुकता तथा समझ का विकास करना चाहिए ताकि सामान्य बालक अपंग व रोगी बालकों के नजदीक जाने में न हिचकिचाएँ। साथ ही, न केवल उनका साथ दें वरन् उनमें हीनभावना न आने दें।

(2) **विशेष अध्यापक (Special Teacher)**– एक सामान्य बालक को पढ़ाने हेतु प्रशिक्षित अध्यापक विकालांगता अक्षम तथा रोगी बालकों को शिक्षित करने की विशेष कला से अवगत नहीं होता है। वह ऊपरी तौर पर ऐसे बालकों की सेवा कर सकता है और शिक्षा दे सकता है जबकि इन बालकों को एक ऐसे अध्यापक की आवश्यकता होती है जो इनके मनोविज्ञान को समझते हुए किसी ठोस दर्शन के आधार पर न केवल इनको शिक्षित करे बल्कि इनके सामाजिक, संवेगात्मक और शारीरिक विकास की ओर ध्यान दे।

यदि ऐसे विशेष प्रशिक्षित अध्यापक प्रत्येक विद्यालय में हों तो अति उत्तम है। यदि ऐसा संभव नहीं है तो एक विशेष परिभ्रामी अध्यापक (Special Visiting Teacher) की नियुक्ति की जानी चाहिए जो एक जिले में समस्त विद्यालयों का समय-समय पर भ्रमण कर इस प्रकार के विशिष्ट बालकों को शिक्षित कर सके। इस परिभ्रामी अध्यापक को चाहिए कि वह विभिन्न विद्यालयों के अध्यापकों को इन विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं तथा शैक्षिक प्रावधानों से अवगत कराता रहे। गोष्ठी आदि का आयोजन कर विशिष्ट परिभ्रामी अध्यापक सामान्य बालकों हेतु नियुक्त अध्यापकों का अभिमुखीकरण इस प्रकार के विशिष्ट बालकों के शैक्षिक प्रावधानों की ओर कर सकता है।

(3) **विशेष कक्षा (Special Class)**– कुल विकलांग तथा रोगी बालक ऐसे होते हैं जो सामान्य बालकों के साथ बैठकर संपूर्ण शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसे बालकों के लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन किया जाता है और विद्यालय में अलग कक्षा में बैठकर कुछ प्रशिक्षित शिक्षक इन बालकों को पढ़ाते हैं। कभी-कभी इन्हें कुछ समय के लिए ही विशेष कक्षा में रखा जाता है। बाद में नियमित कक्षाओं में ही बैठकर ये अध्ययन करते हैं जैसे, एक चिरकालिक रोगी बालक का उपचार यदि हो जाता है तो वह नियमित कक्षाओं में बैठकर पढ़ सकता है।

(4) **अतिरिक्त कक्षा (Extra Class)**– अतिरिक्त कक्षा उन अपंग तथा रोगी बालकों के लिए आयोजित की जा सकती है जो नियमित कक्षाओं से पूर्णतया लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। इस प्रकार के विद्यार्थियों को सामान्य कक्षाओं के साथ-साथ कुछ अतिरिक्त ध्यान की आवश्यकता होती है अत: ऐसा विकलांग बालकों तथा रोगी बालकों के लिए स्कूल के उपरान्त अथवा छुट्टियों के दिनों में भी थोड़े समय के लिए कक्षाओं का आयोजन करना चाहिए। इस प्रकार अध्यापक बालकों की व्यक्तिगत सामाजिक तथा संवेगात्मक समस्याओं को समझ कर उन्हें हल कर सकेगा।

(5) **विशेष विद्यालय (Special School)**– कुछ विकलांगता अक्षम तथा रोगी बालकों की विकलांगता तथा रोग इतना अधिक होता है कि व सामान्य कक्षाओं से तो कदापि लाभान्वित नहीं हो पाते। विशेष कक्षाएँ तथा अतिरिक्त

नोट

कक्षाएँ भी उन्हें लाभ नहीं पहुँचा पातीं। ऐसी स्थिति में विशेष विद्यालय के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय इन बालकों को शिक्षित करने के लिए नहीं हैं। विशेष विद्यालय मुख्यत: विकलांग तथा चिरकालिक रोगी बालकों के लिए ही नाए जाते हैं। ये विद्यालय पूर्णतया अक्षम तथा रोगी बालकों को ध्यान में रखकर बनाए जाने चाहिए। निम्नलिखित विशेष सुविधाएँ इन विशेष विद्यालयों में उपलब्ध होनी चाहिए–

(*i*) शारीरिक उपचार कक्ष (Physical therapy room) होना चाहिए। यहाँ चिकित्सक तथा आवश्यक दवाइयाँ होनी चाहिए।

(*ii*) बालकों की शारीरिक अक्षमता को ध्यान में रखते हुए व्यायामशाला (Gymnasium) होनी चाहिए जो बालकों का मनोरंजन करने के साथ उनका उपचार भी कर सके।

(*iii*) एक रोगी कार्यशाला (Workshop) होनी चाहिए जहाँ अक्षम बालकों की आवश्यकतानुसार उपकरण बनते हों, जैसे–विशेष जूते, गेलिस (Braces) आदि।

(*iv*) विद्यालय की इमारत यह ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए कि वह विशिष्ट बालक के अनुरूप है अथवा नहीं। उदाहरणार्थ लकवे के पीड़ित बालक की कक्षाएँ पहली मंजिल में ही आयोजित की जानी चाहिए। अधिकतर अक्षम बालक सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते। दरवाजे काफी बड़े होने चाहिए जिससे पहियादार कुर्सी (Wheel chair) आसानी से अन्दर जा सके। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए सुविधाजनक दरवाजे आदि बनाए जाने चाहिए। यदि इमारत दो या उससे अधिक मंजिल की है तो उत्थापक (elevator) की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए।

(*v*) कक्षा-कक्ष (Classrooms) की व्यवस्था भी विकलांग तथा रोगी बालक की आवश्यकतानुसार होनी चाहिए। श्यामपट्ट, कुर्सी, मेज आदि का रूप तथा ऊँचाई इन विशेष बालकों के कद तथा अन्य विशेषताओं को ध्यान में रखकर बनायी जानी चाहिए।

(*vi*) विद्यालय में एक विश्राम कक्ष (Rest room) अवश्य होना चाहिए। यहाँ विभिन्न प्रकार की विकलांगता तथा रोगों को ध्यान में रखकर आराम कुर्सियाँ, मेज, बिस्तर तथा अन्य विश्राम उपकरण होने चाहिए।

(*vii*) पानी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। एक पहिएदार कुर्सी में बैठा बालक सामान्य बालकों हेतु बने नल से पानी नहीं पी सकता है। अत: पानी पीने के लिए बनाए गए नल बालकों की अक्षमता को ध्यान में रखकर बनाए जाने चाहिए।

(*viii*) आवासीय सुविधा हेतु छात्रावास का निर्माण किया जाना चाहिए। ये छात्रावास भी विकलांग तथा रोगी बालकों की विशेष आवश्यकतानुसार बनाए जाने चाहिए।

(*ix*) बालकों को शिक्षित करने के लिए सभी अध्यापक प्रशिक्षित तथा कुशल होने चाहिए।

(*x*) एक अच्छा पुस्तकालय होना चाहिए।

(6) पाठ्यक्रम (Curriculum)– विकलांग तथा रोगी बालकों हेतु पाठ्यक्रम में कुछ परिवर्तन लाना अति अनिवार्य है। वह पाठ्यक्रम जो सामान्य बालक के लिए है, एक विकलांग बालक के लिए भी उपर्युक्त होगा ऐसा नहीं है। चूँकि इन विशिष्ट बालकों के कुछ अंग ढंग से कार्य नहीं करते हैं, वे इनका प्रयोग नहीं करते हैं।

अत: पाठ्यक्रम में उन अंशों का समावेश नहीं होना चाहिए जिनके अध्ययन हेतु उन अंगों की आवश्यकता है। बालक का हाथ यदि नहीं है तो वह लिख नहीं सकता।

नोट्स विकलांग बालकों हेतु पाठ्यक्रम ऐसा बनाया जाना चाहिए जो बालक को स्वावलंबी बनाए, उसे भविष्य में रोजगार प्राप्ति में सहायता कर सके।

(7) अभिवृत्ति परिवर्तन (Attitude Change)– विकलांग बालकों को प्राय: हेय दृष्टि से देखा जाता है। उन्हें दया योग्य, भार, दान योग्य, मजाक का पात्र समझा जाता है। साथ ही यह भाव भी समझा जाता है कि वे हर

नोट

प्रकार के तिरस्कार को सह लेंगे। इस प्रकार की भावना विकलांग तथा रोगी बालकों में हीन भावना व निराशा भर देती है। अत: यह अनिवार्य है कि जन मानस में व्याप्त इस अभिवृत्ति में परिवर्तन लाया जाए। जन मानस में परिवर्तन आने से उनका व्यवहार इन विशिष्ट बालकों के प्रति परिवर्तित होगा। इस परिवर्तित व्यवहार से विकलांग तथा रोगी बालकों की मानसिकता में सुखद परिवर्तन आएगा।

स्ट्राउड ने इस प्रकार के विशिष्ट बालकों के मनोविज्ञान का अच्छा वर्णन किया है। उसने इन बालकों की भग्नाशाओं, आवश्यकताओं तथा योग्यताओं के विषय में बताया है। इस प्रकार के साहित्य का ज्ञान प्राप्त कर शिक्षक इन विशिष्ट बालकों के माता-पिता, मित्र तथा समाज के लोगों में एक सकारात्मक अभिवृत्ति परिवर्तन ला सकता है। साथ ही, विकलांग तथा रोगी बालकों को अपने को समझने तथा अपने को नए रूप में देखने में सहायक हो सकता है।

(8) प्रशासनिक परिवर्तन (Administrative Change)– अपंग और रोगी बालकों के लिए कुछ प्रशासनिक परिवर्तन करना अनिवार्य है। एक औपचारिक विद्यालय में प्रशासनिक व्यवस्था सामान्य बालक के अनुरूप बनाई जाती है। परन्तु इस व्यवस्था में परिस्थिति को देखते हुए कुछ परिवर्तन अपरिहार्य हो जाते हैं।

उदाहरणार्थ–

(*i*) सफलता के आधारों को सरल बनाना चाहिए। यदि सामान्य बालक 33% अंक प्राप्त करने पर ही सफल घोषित होता है तो एक चिरकालिक रोगी बालक को इससे कहीं कम अंकों में सफल घोषित किया जाना चाहिए।

(*ii*) अपंग बालक को यदि लिखने में कठिनाई होती है अथवा वह बिल्कुल नहीं लिख पाता है तो उसके सहयोग हेतु एक लेखक की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(*iii*) रोगी बालक को विश्राम की आवश्यकता होती है। अत: दिन में निर्धारित घण्टों की पढ़ाई में उसके लिए कुछ छूट देना अनिवार्य है।

(*iv*) विकलांग बालकों अथवा रोगी बालकों को चिकित्सालय में भर्ती भी होना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में उन्हें उपस्थिति की छूट देनी चाहिए।

(*v*) परीक्षाओं में उन्हें सामान्य बालकों को दिए समय से अधिक समय देने की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही, परीक्षा के दौरान विश्राम भी करने देना चाहिए। **फेयर** एवं **बर्च** ने अपने अध्ययन में देखा कि यदि चिरकालिक रोगी बालक को परीक्षाओं के दौरान बीच-बीच में आराम करने दिया जाता है तो उनके परीक्षा अंकों में काफी वृद्धि होती है।

(*vi*) परीक्षा प्रश्न-पत्रों को भी अपंग बालकों तथा रोगी बालकों की आवश्यकतानुसार बदला जाना चाहिए। इन प्रश्न-पत्रों का प्रारूप किस प्रकार का हो इस क्षेत्र में शैक्षिक परीक्षण सेवा (Educational Testing Service) न्यूजर्सी अमेरिका ने काफी कार्य किया। वहाँ हुए अनुसंधानों से प्राप्त निष्कर्षों का उपयोग प्रश्न-प्रत्रों के निर्माण में किया जाना चाहिए।

(9) अन्य अधिगम अनुभव (Other Learning Experiences)– विकलांग तथा रोगी बालकों को पाठ्यक्रम के ज्ञान के अतिरिक्त कुछ अन्य अधिगम अनुभव होने भी अनिवार्य हैं। ये अनुभव उनके सामंजस्य में सहायता करते हैं। इन बालकों को यौन शिक्षा (Sex Education) जीवनोपयोगी कौशल आदि सिखाए जाने चाहिए। जीवन को सहज रूप में बिताना आदि भी सिखाना चाहिए।

(10) समाजीकरण (Socialization)– विकलांग और रोगी बालकों का समाजीकरण अनिवार्य है। इसके लिए उन्हें ऐसे अवसर प्रदान किए जाने चाहिए जिनके कारण वे अपने हमउम्र तथा अन्य लोगों से हिलमिल सकें। पाठेत्तर क्रियाओं द्वारा यह कार्य संभव हो सकता है। नाना प्रकार की मनोरंजक क्रियाएँ करवाई जानी चाहिए। इन विशिष्ट बालकों को किसी क्लब का सदस्य अवश्य बनाना चाहिए जहाँ प्रतिदिन शाम को यह लोग अपने अनुरूप खेल खेलने जाया करें। इससे वे संसार के निकट आ सकेंगे और अपने ज्ञान तथा सोच की सीमा को विस्तृत कर सकेंग। हारागूची द्वारा कुछ ऐसे प्रोग्राम बताए गए हैं। शिक्षक इनका लाभ उठा सकते हैं।

विकलांग व रोगी बालकों के मनोरंजन के लिए कभी-कभी कुछ विशेष प्रोग्राम- संमेलन, गोष्ठी, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। व्यक्तिगत संस्थाओं को भी इस क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए। शिक्षकों को चाहिए कि वे व्यक्तिगत संस्थाओं को इसके लिए प्रोत्साहित करें।

(11) पुनर्वास योजना (Rehabilitation Programme)– एक विकलांग और चिरकालिक रोगी बालक दया का पात्र बन जाता है और यह समझा जाने लगता है कि वह अपनी विकलांगता तथा रोग के कारण कोई भी कार्य करने योग्य नहीं है। वस्तुस्थिति इससे भिन्न है। ऐसे बालक दया नहीं अपितु सहानुभूति तथा उचित अवसर के योग्य हैं। ऐसे बालक एक क्षेत्र में अक्षम होते हुए भी अन्य कुछ विशेषताएँ तथा योग्यताएँ रखते हैं। इन योग्यताओं और विशेषताओं के अनुरूप रोजगार दिलवाना उनके प्रति एक आवश्यक कर्त्तव्य है।

भारत में विकलांगों हेतु व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र (Vocational Rehabilitation Centre) खोले गए हैं। ये केन्द्र विकलांगों की विभिन्न आवश्यकताओं का अध्ययन करते हैं। परीक्षणों द्वारा इनकी रुचि, अभिवृत्ति, अभियोग्यता, व्यक्तित्व का मापन कर उनकी योग्यतानुसार व्यवसाय का चयन करते हैं। चयनित व्यवसाय से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। इन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है ताकि बालक प्रशिक्षण सुचारु रूप से प्राप्त कर सकें। प्रशिक्षण के उपरान्त ये केन्द्र व्यवसाय में इन्हें व्यवस्थित करते हैं और यह भी देखते हैं कि वे अपने-अपने व्यवसाय में भली प्रकार व्यवस्थित हैं अथवा नहीं। भली प्रकार व्यवस्थित न होने की अवस्था में इन्हें निर्देशन देने की व्यवस्था की जाती है।

इस प्रकार विकलांगों तथा चिरकालिक रोगी बालक के मनोविज्ञान को समझकर उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। विकलांग बालकों के लिए न केवल राज्य अथवा राष्ट्र के स्तर पर कार्य हो रहें हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कार्य चल रहे हैं। यह निम्नलिखित बातों से स्पष्ट होता है–

(क) प्रतिवर्ष मार्च का तृतीय रविवार विश्व विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह निर्णय सन् 1959 में 20 सितम्बर को ज्यूरिक संमेलन में लिया गया।

(ख) यूनेस्को (UNESCO) ने वर्ष 1982 को विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया।

(ग) विकलांगों के लिए एक चिह्न (Symbol) प्रदान किया गया है।

भारतवर्ष में भी विकलांगों हेतु कई कार्यक्रम बनाए गए हैं। विभिन्न सेवाओं में उन्हें 3% आरक्षण प्रदान किया गया है। 1982 को राष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित किया गया। इनकी समुचित शिक्षा के लिए अनेक नए प्रावधान किए गए हैं।

चिरकालिक रोगी बालक के लिए भी इसी प्रकार के प्रयास न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अति वांछनीय हैं ताकि वे भी अपनी-अपनी योग्यतानुसार व्यवसाय पाकर अपना जीवन सफल बना सकें और किसी के दया के पात्र न रहकर एक सन्तुष्ट जीवन व्यतीत कर सकें।

टास्क आपके नजरिए से विकलांग बालकों हेतु पाठ्यक्रम तैयार करते समय किन विशेष बातों का ध्यान रखना श्रेयस्कर होगा?

6.2 शारीरिक विकलांगता के सहायतार्थ उपाय (Measures to Help the PHysically Handicapped)

(1) भारतीय संविधान– भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है कि संविधान लागू होने के पश्चात् से 10 वर्षों के अंतर्गत सभी राज्य 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लए नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। अपनी आर्थिक क्षमता के अंतर्गत विकलांग बालकों के लिए जीवनयापन, शिक्षा एवं रोजगार की व्यवस्था करेंगे।

नोट

(2) राष्ट्रीय शिक्षा-नीति– इसके अंतर्गत बालकों व विकलांग बालकों के लिए किए गए प्रावधान का वर्णन किया गाय है– "जो बच्चे विकलांग हों या विक्षिप्त भावनाओं वाले हों या जिनका मानसिक विकास कम हुआ हो, उनको विशेष उपचार, शिक्षा, पुन: स्थापन और देखभाल की सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी।"

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बालकों व विकलांग बालकों के लिए प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद ने मानवतावादी आदर्शों की पुन: स्थापना करने का निश्चय दोहराया है। अनुमानत: 5 प्रतिशत विकलांग बच्चे ही विशेष विद्यालयों में शिक्षा एवं रोजगार हेतु सुविधाएँ पाते हैं, अत: इस नीति के अनुसार इन्हें सामान्य बालकों के साथ सहभागी के रूप में समन्वयन करके उन्हें सामान्य विकास के लिए तैयार करना है, जिससे वह "शिक्षा की मुख्यधारा में सबके साथ तैर सकें।"

(3) बालकों के अधिकारों का घोषणापत्र– 20 नवम्बर 1959 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में 78 देशों के प्रतिनिधियों की एक बृहद सभा ने बालकों के अधिकारों के घोषणा-पत्र को पारित किया व 9 दिसंबर 1975 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने विकलांग व्यक्तियों के घोषणा-पत्र को पारित किया।

(4) विकलांग वर्ष– सन् 1981 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता वर्ष घोषित किया था। विकलांगों की आवश्यकताओं व समस्याओं की गहनता एवं विस्तार को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1981 को विकलांगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के हित में सरकार व समाजसेवी संस्थाओं द्वारा अनेक योजनाएँ व कल्याणकारी कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए।

(5) विश्व विकलांग दिवस– विकलांगों की बहुमुखी समस्याओं एवं आवश्यकताओं के प्रति समस्त विश्व में चेतना लाने के उद्देश्य से 20 दिसंबर, 1959 में ज्यूरिक संमेलन में 'विश्व विकलांग दिवस' का शुभारम्भ हुआ। तब से मार्च के तृतीय रविवार को यह दिवस विश्व के अनेक राष्ट्रों में मनाया जाता है। इसके प्रमुख उद्देश्य विकलांग बालकों की उपलब्धियों व विकास पर ध्यान देना व योजनाओं पर प्रकाश डालना है। भारत में यह दिवस सर्वप्रथम (Genearl Rehabilitation in India) द्वारा वर्ष 1982 में मनाया गया था। तब से यह प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा मनाया जाता है।

(6) दृष्टिहीन विद्यालय– स्वतंत्रता के पश्चात् शिक्षा-विभाग तथा समाज-कल्याण विभाग को स्वतंत्रता के पश्चात् विकलांगों की शिक्षा का भार सौंपा गया। भारत में अन्धों के लिए ब्रैले-लिपि (Braille Cade) का प्रचलन सन् 1949 ई. में किया गया। इससे पूर्व अन्धों की शिक्षा कुछ हस्तशिल्पों के प्रशिक्षण तक ही सीमित थी।

सबसे पहले देहरादून में अन्धों के लिए एक विद्यालय खोला गया। विकास-योजनाओं के अंतर्गत इसे केन्द्रीय विद्यालय का रूप प्रदान किया गया। इसमें एक मुद्रण-प्रेस की स्थापना की गई, अन्धों के केन्द्रीय पुस्तकालय की स्थापना की गई तथा नेत्रहीनों के लिए समुचित साहित्य के प्रकाशन की व्यवस्था की गई। कालान्तर में दिल्ली स्थित लेडी नोयस विद्यालय का विकास किया गया, जिसमें बहरों तथा गूँगों की व्यवस्था की जाती है।

सन् 1959 ई. में देहरादून के विद्यालय के साथ एक आदर्श विद्यालय (Model School) संबंधित किया गया। आजकल देहरादून विद्यालय के साथ नेत्रहीन स्त्री-शिक्षा विभाग को भी संबंधित कर दिया गया है। 1955 ई. में देहरादून के ब्रैले प्रेस का विकास किया गया। इस प्रेस ने अब तक 273 नवीन प्रकाशन किए हैं, तथा 83 प्रकाशनों का पुनर्मुद्रण किया है।

(7) भारतीय बाल कल्याण बोर्ड– सन् 1952 ई. में 'भारतीय बाल-कल्याण बोर्ड' की स्थापना की गई, जो विभिन्न प्रकार के विकलांगों की अनेक शैक्षिक तथा व्यावसायिक समस्याओं का समाधान करता है। विकलांग बालकों के लिए कल्याणकारी कार्य करने की दृष्टि से 'समाज कल्याण बोर्ड' भी अनक सराहनीय कार्य कर रहा है। इसकी स्थापना 1953 ई. में की गई थी।

(8) राष्ट्रीय सलाहकार परिषद्– केन्द्रीय सरकार को शिक्षा, प्रशिक्षण तथा नियोग संबंधी मामलों पर परामर्श प्रदान करने हेतु एक 'राष्ट्रीय सलाहकार परिषद्' का भी गठन किया गया। विकलांगों की रोजगार संबंधी समस्याओं

नोट

का समाधान करने हेतु दिल्ली, हैदराबाद, मद्रास, जालन्धर, कानपुर, अहमदाबाद, बंगलौर तथा कलकत्ता में विशेष नियोजन कार्यालय स्थापित किए गए।

(9) मन्द बुद्धि बालकों को शिक्षा– मानसिक रूप से दुर्बल बालकों की शिक्षा व्यवस्था के लिए बंगाल के दोनों ही विद्यालयों का विकास किया गया। इन बालकों के बुद्धि-स्तर का पता लगाने हेतु इलाहाबाद की मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला ने अनेक मनोवैज्ञानिक परीक्षाएँ कीं। 1952 के बाद से इन बालकों को विशेष छात्रवृत्तियाँ देने की व्यवस्था की गई। 1955-56 तक विकलांगों की शिक्षा पर किए जाने वाले व्यय का 50 प्रतिशत भार केन्द्रीय सरकार तथा शेष राज्य सरकार वहन करती थी, किन्तु इसके बाद समस्त भार केन्द्रीय सरकार वहन करने लगी।

क्या आप जानते हैं विकलांग बालकों के सहायतार्थ जो 'समाज कल्याण बोर्ड' कार्यरत् है उसकी स्थापना सन् 1953 में की गई थी।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

रिक्त स्थानों की पूर्ति करें (Fill in the blanks)—

1. भारतीय सरकार ने विकलांगों हेतु जो कार्यक्रम बनाए हैं उनके तहत विभिन्न सेवाओं में विकलांगों को .... आरक्षण प्रदान किया गया है।
2. विश्व स्तर की संस्था यूनेस्को ने वर्ष .... को विकलांगों का अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया।
3. सन् .... देहरादून में ब्रैले प्रेस का विकास किया गया।
4. मुंबई के दृष्टिबाधितों हेतु राष्ट्रीय संघ .... नाम से पत्रिका प्रकाशित करती है।

(10) राज्य सरकारों के प्रयास– इस दिशा में केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त अनेक राज्य सरकारें तथा अनेक मानव-सेवा संघ भी उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। पंजाब में चण्डीगढ़ में विकलांगों के लिए एक गृह (Home) की स्थापना की है, उत्तर प्रदेश ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी की व्यवस्था कर रहा है। मुंबई की 'अन्धों के लिए राष्ट्रीय संघ' 'अन्ध-कल्याण' (Blind Welfare) एक पत्रिका प्रकाशित करती है, कलकत्ता के बहरे तथा गूँगे बालकों का विद्यालय 'बहरे' नामक पत्रिका प्रकाशित करता है। प्राय: प्रत्येक राज्य सरकार ने रैन बसेरे तथा बाल-अवकाश गृह स्थापित कर रखे हैं।

(11) बहरे-गूँगों की शिक्षा– हैदराबाद में बहरे तथा गूँगों के लिए ठीक उसी स्तर के विद्यालय का विकास हो रहा है, जैसा कि देहरादून में अन्धों का विद्यालय है। इन बालकों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था में अनेक परमार्थ सेवा संघों ने भी सराहनीय कार्य किए हैं। इन कार्यों में फॉर दी ब्लाइन्ड की स्थापना उल्लेखनीय है।

वर्तमान भारत में अन्धों के लिए अनेक विद्यालय तथा प्रशिक्षण केन्द्र है। देहरादून के प्रशिक्षण केन्द्र में 150 पुरुष तथा 35 महिलाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। कई विद्यालय बहरे तथा गूँगों को शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। हैदराबाद का प्रशिक्षण केन्द्र 6 प्रमुख उद्योगों में प्रशिक्षण प्रदान करता है। देश में अन्धों के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षित करने हेतु दिल्ली, मुम्बई तथा नरेन्द्रपुर में एक-एक प्रशिक्षण विद्यालय है।

6.4 सारांश (Summary)

- विकलांग बच्चे समाज के एक अंग होते हैं, अत: उन्हें भी उनकी क्षमता के अनुसार शिक्षण-प्रशिक्षण प्रदान करें। यथासंभव आत्मनिर्भर बनाना कल्याणकारी राज्य का उत्तरदायित्व है ताकि वे परिवार तथा समाज के द्वारा उपेक्षित व्यवहार का शिकार न हों। शारीरिक विकलांगा भी अनेक प्रकार की होती है। जैसे– श्रवण क्षतियुक्त विकलांग, वाणी दोष विकलांग, दृष्टिदोष युक्त विकलांग और अस्थि विकलांग आदि। शारीरिक रूप से विकलांग

नोट

में शारीरिक दोषों के अतिरिक्त और कोई दोष नहीं होता। उनके शारीरिक दोषों को देखकर उन्हें अनुकूल शिक्षा देनी चाहिए। ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए जो उनके शारीरिक दोषों के बावजूद उन्हें कुछ सीखने में मदद करे।

- शिक्षा में ऐसे बालकों को शिक्षित करने हेतु कुछ विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए; जो निम्नलिखित हैं–

(1) **उपचार सुविधा–** अपंग तथा बीमार बालकों के उपचार के लिए समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्हें योग्य व कुशल चिकित्सक को समय-समय पर दिखाना चाहिए।

(2) **विशेष अध्यापक–** बालकों को एक ऐसे अध्यापक की आवश्यकता होती है जो इनके मनोविज्ञान को समझते हुए किसी ठोस दर्शन के आधार पर न केवल इनको शिक्षित करे बल्कि इनके सामाजिक, संवेगात्मक और शारीरिक विकास की ओर ध्यान दे।

(3) **विशेष कक्षा–** कुल विकलांग तथा रोगी बालक ऐसे होते हैं जो सामान्य बालकों के साथ बैठकर संपूर्ण शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसे बालकों के लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन किया जाता है और विद्यालय में अलग कक्षा में बैठकर कुछ प्रशिक्षित शिक्षक इन बालकों को पढ़ाते हैं।

(4) **अतिरिक्त कक्षा–** अतिरिक्त कक्षा उन अपंग तथा रोगी बालकों के लिए आयोजित की जा सकती हैं जो नियमित कक्षाओं से पूर्णतया लाभान्वित नहीं हो पाते हैं।

(5) **विशेष विद्यालय–** कुछ विकलांगता अक्षम तथा रोगी बालकों की विकलांगता तथा रोग इतना अधिक होता है कि व सामान्य कक्षाओं से तो कदापि लाभान्वित नहीं हो पाते। ऐसी स्थिति में विशेष विद्यालय के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय इन बालकों को शिक्षित करने के लिए नहीं हैं।

(6) **पाठ्यक्रम–** विकलांग तथा रोगी बालकों हेतु पाठ्यक्रम में कुछ परिवर्तन लाना अति अनिवार्य है। वह पाठ्यक्रम जो सामान्य बालक के लिए है, एक विकलांग बालक के लिए भी उपर्युक्त होगा ऐसा नहीं है।

(7) **अभिवृत्ति परिवर्तन–** विकलांग बालकों को प्राय: हेय दृष्टि से देखा जाता है। उन्हें दया योग्य, भार, दान योग्य, मजाक का पात्र समझा जाता है। अत: यह अनिवार्य है कि जन मानस में व्याप्त इस अभिवृत्ति में परिवर्तन लाया जाए। इस परिवर्तित व्यवहार से विकलांग तथा रोगी बालकों की मानसिकता में सुखद परिवर्तन आएगा।

(8) **प्रशासनिक परिवर्तन–** अपंग और रोगी बालकों के लिए कुछ प्रशासनिक परिवर्तन करना अनिवार्य है।

(9) **अन्य अधिगम अनुभव–** विकलांग तथा रोगी बालकों को पाठ्यक्रम के ज्ञान के अतिरिक्त कुछ अन्य अधिगम अनुभव होने भी अनिवार्य हैं।

(10) **समाजीकरण–** विकलांग और रोगी बालकों का समाजीकरण अनिवार्य है। इसके लिए उन्हें ऐसे अवसर प्रदान किए जाने चाहिए जिनके कारण वे अपने हमउम्र तथा अन्य लोगों से हिलमिल सकें।

(11) **पुनर्वास योजना–** भारत में विकलांगों हेतु व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र (Vocational Rehabilitation Centre) खोले गए हैं। ये केन्द्र विकलांगों की विभिन्न आवश्यकताओं का अध्ययन करते हैं।

- इस दिशा में केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त अनेक राज्य सरकारें तथा अनेक मानव-सेवा संघ भी उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं।
- हैदराबाद में बहरे तथा गूँगों के लिए ठीक उसी स्तर के विद्यालय का विकास हो रहा है, जैसा कि देहरादून में अन्धों का विद्यालय है। इन बालकों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था में अनेक परमार्थ सेवा संघों ने भी सराहनीय कार्य किए हैं। इन कार्यों में फॉर दी ब्लाइन्ड की स्थापना उल्लेखनीय है।

नोट

6.5 शब्दकोश (Keywords)

- **विक्षिप्त–** पागल, मानसिक रूप से अस्वस्थ।
- **उत्थापक–** लिफ्ट।

6.6 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

1. शारीरिक रूप से विकलांगों हेतु शैक्षिक व्यवस्था का विश्लेषण कीजिए।
2. शारीरिक रूप से विकलांगों के सहायतार्थ सरकार एवं समाज सेवी संस्थाओं द्वारा किए जा रहे कार्यों पर प्रकाश डालिए।

उत्तर : स्व-मूल्यांकन (Answer: Self Assessment)

1. 3 प्रतिशत 2. वर्ष 1982 3. 1955 में 4. अंध कल्याण (Blind Welfare)

6.7 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

पुस्तकें

1. *शारीरिक रूप से विकलांग बालक* – योगेन्द्र कुमार शर्मा, कनिष्क पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
2. *विशिष्ट शिक्षा* – कुमार संजीव, जानकी प्रकाशन, पटना।
3. *विशिष्ट बालक* – आभारानी विष्ट, अग्रवाल प्रकाशन, आगरा।

नोट

इकाई–7: दृष्टि बाधित: परिभाषा, प्रकार एवं विशेषताएँ (Visually Impaired : Definition, Types, Characteristics)

अनुक्रमणिका (Contents)

उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तावना (Introduction)

7.1 दृष्टि बाधित बालक– अर्थ एवं परिभाषा (Visually Handicapped Children— Meanings and Definition)

7.2 दृष्टि बाधित बालकों की विशेषताएँ (Characteristics of Visually Impaired Children)

7.3 दृष्टि बाधित बालकों के प्रकार (Types of Visually Handicapped Children)

7.4 सारांश (Summary)

7.5 शब्दकोश (Keywords)

7.6 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

7.7 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

उद्देश्य (Objectives)

विद्यार्थी इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् सक्षम होंगे–

- दृष्टि बाधित बालकों की विशेषताओं एवं उनकी अलग-अलग श्रेणियों से परिचित होंगे।

प्रस्तावना (Introduction)

मानव को ईश्वर ने पाँच इन्द्रियों से विभूषित किया है लेकिन यदि इनमें उसकी कोई एक इन्द्रिय कार्य नहीं करती तो उसे बहुत कष्ट होता है, इन इन्द्रियों में दृष्टि इन्द्रिय का महत्वपूर्ण स्थान है। यह मानव की अमूल्य निधि है। इसके दोषपूर्ण होने पर या न होने पर व्यक्ति स्वयं को अपूर्ण महसूस करता है।

विश्व के बारे में मनुष्य इन्द्रियों द्वारा ही जानता है। अधिकतर सूचनाएँ दृष्टि द्वारा मस्तिष्क में पहुँचती हैं। अत: दृष्टि की छोटी-सी अक्षमता अत्यन्त महत्व रखती है। दृष्टि सम्बन्धी दोष बालक के मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, शैक्षिक तथा व्यवसायिक क्षेत्रों पर प्रभाव डालता है। अत: अन्धेपन और अन्य नेत्र सम्बन्धी दोषों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। नेत्र सम्बन्धी दोषों से युक्त बालकों के विकास का प्रयत्न करना चाहिए।

7.1 दृष्टि बाधित बालकों का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition of Visually Handicapped Children)

दृष्टि बाधित बालक वे बालक होते हैं जो ठीक प्रकार से देख पाने में असमर्थ होते हैं। कुछ दृष्टि बाधित बालक मोटे छापे की पुस्तक अथवा पठन सामग्री पढ़ पाने में समर्थ होते हैं। ऐसी परिस्थिति में वे काम कर सकते हैं।

नोट

इसके अतिरिक्त कुछ बालक गम्भीर रूप से दृष्टि बाधित होते हैं। उनमें देखने की क्षमता पर्याप्त रूप से कम होती है। ऐसे बालक देखने की विधियों द्वारा शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। दृष्टि बाधित को *स्नेलन चार्ट* के माध्यम से मापन किया जाता है। ऐसे बालकों की दृष्टि क्षमता का परिमाण आंशिक अथवा पूर्ण रूप से भी हो सकता है, जो पूर्ण रूप से दृष्टि क्षमता खो देते हैं वह अन्धेपन रोग से प्रभावित होते हैं तथा वे कुछ भी नहीं देख पाते।

आंशिक रूप से दृष्टि बाधित वे बालक होते हैं जो मोटे अथवा बड़े छापे की पठन सामग्री अथवा पुस्तकों को पढ़ने के योग्य होते हैं। ऐसे बालकों के नेत्रों में प्रतिबिम्ब की तीव्रता बहुत कम होती है। मध्यम रूप में ऐसे दृष्टि बाधितों के नेत्रों के देखने की क्षमता 20/70 होती है। इसका अर्थ यह है कि सामान्य बालक यदि 70 फीट दूर से किसी वस्तु को देख सकता है तो ऐसे दृष्टि बाधित बालक केवल 20 फीट पर रखी हुई वस्तु को देखने के योग्य होते हैं। उनकी नेत्रों की ज्योति का ह्रास पास की वस्तु, दूर की वस्तु देखने में होता है अथवा यह कहा जा सकता है कि वह वस्तुओं को देखने में बाधित होते हैं। जिसका मुख्य कारण नेत्र रोग, नेत्र–तारे की कमजोरी अथवा नेत्र से सम्बन्धित माँसपेशियों का ठीक प्रकार से कार्य न करना होता है। दृष्टि बाधित (अन्धे) वे बालक होते हैं जो मौखिक अथवा ब्रेल के माध्यम से शिक्षा पाने की आवश्यकता रखते हैं। ऐसे बालकों की देखने की क्षमता का परिमाण 2/20 तक भी हो सकता है। ऐसे बालकों को सामान्य स्कूल में प्रवेश पाने तथा स्कूली शिक्षा ग्रहण करने से पहले प्रारम्भिक शिक्षा (Pre-academic) के लिये तैयार रहना चाहिए उनके शिक्षा ग्रहण करने स्कूल में प्रवेश पाने से पहले विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ऐसे बालकों का (mobility) प्रशिक्षण तथा अधिकांश मौखिक अनुदेशन उनकी दृष्टि की क्षमता पर निर्भर करता है।

दृष्टि बाधित बालक ऐसे बालक होते हैं जो ठीक प्रकार से देखने में समर्थ नहीं होते हैं। कुछ बालक मोटे छापे की पुस्तकें पढ़ सकते हैं तथा वे सामान्य वातावरण में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं।

नोट्स गम्भीर रूप से दृष्टि बाधित बालक जो वस्तुओं को देखने में असमर्थ होते है वे दृश्य (अपेनंस) विधियों द्वारा शिक्षित नहीं किये जा सकते। उनकी देखने की क्षमता *स्नैलन चार्ट* की सहायता से मापी जाती है।

दृष्टि बाधितों की परिभाषा दृष्टि–दोष के रूप में की जाती है। आँखों की दृष्टि योग्यता से तात्पर्य दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप में देख सके। इसका परीक्षण 'स्नैलन चार्ट' द्वारा किया जाता है। इस चार्ट का विकास हर्बट स्नैलन ने किया था। यह फ्रांस निवासी डाक्टर थे। इस चार्ट का आरम्भ बड़े 'E' अक्षर से होता है। इससे सामान्य दृष्टि वाला 200 फीट दूरी से स्पष्ट देख सकता है। यदि कोई व्यक्ति 20 फीट की दूरी स्पष्ट देख सकता है तब उसे वैधानिक रूप से पूर्ण दृष्टि बाधित कहते हैं। यदि किसी की दृष्टि का आकलन 20/200 हो तो उसे उत्तम दृष्टि वाला मानते हैं। दृष्टि बाधित से तात्पर्य उसकी दृष्टि की स्थिति से है कि उसके देखने की क्षमता कितनी है। विद्यालय के कार्यों को करने में कितना प्रभावित करती है। दूसरे शब्दों में कह सकते है कि विद्यालय के पढ़ने लिखने के कार्यों को कितनी शुद्धता से कर लेता है। यदि देखने का क्षेत्र सीमित है और उसकी दृष्टि 20/200 उत्तम है जब उसे 'ट्यूनल दृष्टि' कहते हैं। दृष्टि सक्षमता का अर्थ होता है कि वह अपनी दृष्टि का उपयोग भली-भाँति कितना कर सकता है। जिन वस्तुओं को देखता है उन सभी सूचनाओं का कितना विश्लेषण करके अर्थापन कर लेता है, इसे प्रत्यक्षीकरण भी कहते हैं।

दृष्टि बाधित व्यावहारिक रूप में विभिन्न समस्याओं को उत्पन्न करता है। जिन बालकों की निम्न दृष्टि होती है वे बड़े-बड़े अक्षरों को पढ़ सकते हैं उन्हें दृष्टि–यन्त्रों का लाभ पढ़ने-लिखने में नहीं होता है। इनकी दृष्टि 20/70 से अधिक नहीं होती है।

निम्न दृष्टि की परिभाषा के लिए देखने की स्पष्टता स्नैलन चार्ट से दूरी के रूप में की जाती है।

शैक्षिक दृष्टि से पूर्ण रूप से दृष्टि बाधित उनको कहते हैं जिन्हें ब्रेल लिपि से सीखने में सुगमता होती है। आंशिक रूप से दृष्टि बाधित उन्हें कहते हैं जो मुद्रित पाठ्वस्तु का लाभ उठा लेते हैं। इन्हें मुद्रित बाधित भी कहते हैं।

नोट

दृष्टि बाधिता की परिभाषा डाक्टरों ने की है इन्होंने दृष्टि क्षमता के परीक्षण को आधार माना है। कानूनी परिभाषा भी दी गई है कि कानून की दृष्टि से किन को दृष्टि बाधित माना जाता है।

अमेरिका के मैडिकल संघ (1934) में कानूनी परिभाषा दी थी जिसे सभी देश स्वीकार करते हैं। परिभाषा इस प्रकार है–

"A legally blind person is said to be one (i) who has visual acquity of 20/200 or less in the better eye even with correction, (ii) or whose field of vision is so restricted that it subtends an angle of 20° or less in the better eye after correction."

"कानूनी दृष्टि से पूर्ण दृष्टि बाधित उन्हें मानते हैं–(1) जिनकी दृष्टि क्षमता 20/200 तथा इससे कम हो उनकी आँखों में सुधार के बाद उत्तम हो। (2) अथवा जिनका दृष्टि का क्षेत्र सीमित हो और 20° का कोण बनाती है। उनकी आँखे सुधार के बाद उत्तम हो।"

भारतवर्ष सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय ने (1987) में दृष्टि बाधितों की परिभाषा दी, वह इस प्रकार है।

(अ) अपनी पूर्ण दृष्टि खो चुके हों,

(ब) दृष्टि बाधित 6/60 या 20/20 से अधिक न हो और चश्में के प्रयोग से आँख उत्तम हो। स्नैलन चार्ट से परीक्षण हो।

(स) दृष्टि का क्षेत्र सीमित हो और 20° का कोण बनता हो।

इन परिभाषाओं के आधार पर दृष्टि बाधित बालकों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है।

(1) पूर्ण रूप से दृष्टि बाधित या अन्धे बालक तथा

(2) आंशिक रूप से या निम्न दृष्टि बाधित

शिक्षा की दृष्टि से दृष्टि बाधित बालकों की परिभाषा दी गई है–दृष्टि बाधित बालक उन्हें कहते है जिनकी दृष्टि खो चुकी हो और ब्रेललिपि, तथा अन्य श्रवण शिक्षा सामग्री का लाभ उठा सकते हैं उन्हें आंशिक रूप से बाधित बालक कहते हैं जो चश्मे की सहायता से मुद्रित पाठ्यवस्तु तथा दृश्य शैक्षिक सामग्री का उपयोग कर लेते हैं।

दृष्टि बाधित छात्रों की योग्यता एवं अनुभवों का क्षेत्र अधिक विस्तृत होता है। इनकी विद्यालय में विभिन्न प्रकार की समस्यायें होती हैं। इन्हें चलने-फिरने, पढ़ने, दृश्य सहायक सामग्री के उपयोग में कठिनाई होती है वह सुनकर और स्पर्श करके ही अनुभव करते हैं।

क्या आप जानते हैं ब्रेल लिपि पूर्ण रूप से दृष्टि बाधित को सीखने में सहायक है।

7.2 दृष्टि बाधित बालकों की विशेषताएं (Charasteristics of Visually Impaired Children)

दृष्टि का मनुष्य के लिये सबसे अधिक उपयोग है। ज्ञानात्मक पक्ष का विकास दृष्टि के अनुभवों पर ही आधारित होता है। बाधिता से व्यक्ति तीन प्रकार से सीमित हो जाता है। दृष्टि बाधित निरीक्षण के विविध अनुभवों से वंचित रहता है। उसकी योग्यताएं भी सीमित रहती है क्योंकि वे चल फिर नहीं सकते हैं। वे अपने वातावरण को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं उनके सम्बन्ध भी सीमित रहते हैं। सामाजिक वातावरण का लाभ नहीं उठा पाते हैं। सामुदायिक अभिवृत्ति और व्यवहार परम्पराओं, विश्वासों एवं संस्कृति पर निर्भर करते हैं। विकास तथा समाज कल्याण के प्रयासों से इस दिशा में प्रगति हुई है। दृष्टि बाधितों को समाज में कोई महत्व नहीं दिया जाता है। इनका स्व-प्रत्यय, व्यक्ति उपलब्धि भी सामान्य निम्न स्तर की होती है।

नोट

दृष्टि बाधित बालकों की विशेषताओं को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है–

(1) भाषा का विकास (Language Development)

(2) मानसिक योग्यता (Intellectual ability) तथा

(3) सामाजिक तथा कार्य समायोजन (Social and work adjustment)

(1) भाषा का विकास (Language Development)—दृष्टि विकलांगता में भाषा का दोष नहीं होता है क्योंकि वह सुन सकते है तथा बोल सकते हैं। बोलना और सुनना भाषा के मुख्य कौशल माने जाते हैं। यह भाषा सीखने के लिए अधिक उत्साहित रहते हैं। भाषा के माध्यम से अपनी बात माता-पिता तथा साथियों से कह सकते हैं। इनमें सम्प्रेषण सक्षमता होती है।

सामान्य बालकों से इनके भाषा सीखने का ढंग भिन्न होता है। क्योंकि सामान्य बालक देखकर अनुकरण करके अधिक सीखते है। दृष्टि बाधित इस प्रकार के अनुभवों से वंचित रहते हैं। यह शाब्दिक अभिव्यक्ति ही कर पाते है। शाब्दिक अभिव्यक्ति में वास्तविकता नहीं होती क्योंकि ज्ञान इन्द्रियों से अनुभव नहीं होता है। दृष्टि बाधित सुनकर ही शब्दों का चयन करता है क्योंकि दृष्टि-इन्द्रिय क्रियाशील नहीं होती है। समस्त जानकारी तथा ज्ञान श्रवण-इन्द्रिय पर आधारित होता है। किसी वस्तु का सही प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पाता है। तथ्यों को भाषा से प्रगट करता है। उसे रंगों को कोई बोध नहीं हो सकता है। इनकी शाब्दिक अभिव्यक्ति आन्तरिक नहीं होती है। इनके अनुभव पूर्ण नहीं होते है, उनका प्रत्यक्षीकरण सुनने तथा स्पर्श तक ही सीमित रहता है।

(2) मानसिक योग्यता (Intellectual Ability)—दृष्टि बाधित बालक मानसिक योग्यता की दृष्टि से सामान्य बालकों से कम नहीं होते हैं। शोध कार्यों से यह विदित हुआ कि यदि इन्हें समुचित शिक्षा दी जाय अथवा शिक्षा का अवसर मिल सके तब इनकी बुद्धि-लब्धि अचानक अधिक बढ़ जाती है।

ज्ञानात्मक योग्यतायें भी सामान्य से कम नहीं होती हैं। यद्यपि इनके सीखने तथा प्रत्यक्षीकरण का ढग भिन्न होता है। प्रत्यक्षीकरण के विकास में कमी रहती है और समुचित अधिगम अनुभवों का अभाव रहता है।

दृष्टि बाधित बालक 'दूरी' को बोधगम्य नहीं कर पाते हैं क्योंकि वे दूरी नहीं देख सकते हैं। इनमें 'दूरी का प्रत्यय' विकसित नहीं होता है। 'दूरी के प्रत्यय' का बोध दृष्टि इन्द्रिय के स्थान पर अन्य इन्द्रियों का उपयोग करते है। इनमें कभी-कभी दूरी की सौन्दर्यानुभूति का भाव विकसित हो जाता है। यह समय से दूरी का अनुभव लगाते है। स्पर्श से भी इन्हें दूरी का बोध होता है। किसी आकाशीय पिण्ड का सही बोध नहीं हो पाता है। तारे, चन्द्रमा आदि का बोध नहीं कर पाते हैं। इन्हें हाथी का बोध कराना भी कठिन है। पहाड़ नदियों, झरने तथा भौगोलिक इकाइयों का ज्ञान नहीं दिया जा सकता है। इसी प्रकार अधिक सूक्ष्म जीव जन्तु का भी बोध नहीं होता है। इन्हें सापेक्षिक रूप में इनका ज्ञान दिया जा सकता है तथा बोध कराया जाता है।

दृष्टि बाधित बालकों में प्रत्ययों का विकास स्पर्श अनुभव से होता है। स्पर्श अनुभव दो भिन्न प्रकार होते है *प्रथम* विश्लेषण स्पर्श अनुभव तथा *द्वितीय* संश्लेषण स्पर्श अनुभव से होता है–

(1) विश्लेषण स्पर्श अनुभव के अन्तर्गत दृष्टि बाधित किसी वस्तु को विभिन्न अंगों का स्पर्श करके मानसिक स्तर पर प्रत्यक्षीकरण करता है।

(2) संश्लेषण स्पर्श अनुभव के अन्तर्गत दृष्टि बाधित अपने हाथों से छोटी-छोटी वस्तुओं को अपने एक अथवा दोनों हाथों से स्पर्श करके अनुभव करता है। भौतिक वस्तुएं बड़ी होती है; इसलिए संश्लेषण स्पर्श अनुभव उपयोगी होती है। सामान्य दृष्टि वाला बालक वस्तु को सम्पूर्ण रूप में भी देखता है और उसको विभिन्न खण्डों में देखता है। दृष्टि बाधित को विश्व ज्ञान तथा बोध करना कठिन होता है।

दृष्टि बाधित बालकों में एकाग्रता का विकास अधिक होता है देखने से एकाग्रता प्रभावित होती है। सुनने का कौशल उत्तम है। इससे ज्ञानात्मक विकास में स्थानापन्न कई प्रकार से होता है।

नोट

(3) **सामाजिक और कार्य समायोजन** (Social and Work Adjustment)—दृष्टि बाधितों के व्यक्तित्व की समस्यायें आन्तरिक नहीं होती हैं। इन बालकों में असमायोजन की समस्या सामाजिक कारणों से होती है। यह बालक अपने समायोजन को सुनिश्चित करते हैं।

इनके साथी इन्हें स्वीकार नहीं करते हैं। गम्भीर रूप से दृष्टि बाधितों को अक्सर स्वीकार कर लेते है परन्तु कम दृष्टि बाधितों को स्वीकार नहीं करते हैं। बाधित की गम्भीरता के परिणाम स्वरूप सहानुभूति बढ़ जाती है। मध्यम रूप से दृष्टि बाधितों के व्यवहार अन्य बालकों के प्रति नकारात्मक होते है। यह आवश्यक नहीं कि यह बालक पूर्ण दृष्टि बाधितों की भाँति दूसरों पर अधिक निर्भर हों। आश्रित और असहाय होने के कारण समाज का दृष्टिकोण सहानुभूति पूर्ण होता है और इन्हें स्वीकार करते हैं।

टास्क कानूनी रूप से पूर्णतया दृष्टि बाधित किसे माना गया है?

7.3 दृष्टि बाधित बालकों का वर्गीकरण (Classification of Visually Handicapped Children)

दृष्टि बाधित बालकों का वर्गीकरण डाक्टरी परीक्षण के आधार पर किया जाता है। इनका वर्गीकरण निम्नांकित तालिका में दिया गया है–

दृष्टि बाधितों का वर्गीकरण (Visually Impaired Categories)

वर्ग स्तर	*उत्तम आँख*	*क्षतिपूर्ण आँख*	*विकलांगता की प्रतिशत*
स्तर–द	6/9 से 6/18	6/24 से 6/36	20 प्रतिशत
वर्ग–I	6/18 से 6/36	6/60 से शून्य	40 प्रतिशत
वर्ग–II	6/36 से 6/60 या दृष्टि का क्षोभ (100-20)	3/60 से शून्य	75 प्रतिशत
वर्ग–III	3/60 से 1/60	1 से शून्य	100 प्रतिशत
वर्ग–IV	1 से शून्य	दृष्टि क्षेत्र 100	100 प्रतिशत

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

रिक्त स्थानों की पूर्ति करें (Fill in the blanks)–

1. शैक्षिक दृष्टि से पूर्ण रूप से बाधित उनको कहते हैं जिन्हें ········· से सीखने में सुगमता होती है।
2. आंशिक रूप से दृष्टि बाधित उन्हें कहते हैं जो ········· पाठ्यवस्तु का लाभ उठा लेते हैं।
3. गंभीर रूप से दृष्टि बाधित बालक की दृष्टि क्षमता ········· होती है।
4. पूर्ण रूप से दृष्टि बाधित की समस्त जानकारी तथा ज्ञान ········· पर आधारित होता है।

दृष्टि बाधित बालकों को प्रमुख रूप से दो वर्गों में विभाजित किया है।

(1) आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बालक तथा

(2) गम्भीर रूप से दृष्टि बाधित बालक

(1) आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बालक–आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बालक उन्हें कहते है जो बड़े अक्षरों में मुद्रित पाठ्यवस्तु को या उतल दर्पण की सहायता से पढ़ सकते हैं। इनकी दृष्टि क्षमता (20 से 70) उत्तम आँख में होती है। यह 20 फीट की दूरी तक देख सकते हैं। सामान्य बालक 70 फीट की दूरी तक देख सकता है। दृष्टि क्षमता किसी बीमारी के कारण कम हो जाती है।

आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बालक वह है जो कि यद्यपि दृष्टि से गम्भीरतापूर्वक असमर्थी हैं तथापि वह पढ़ सकते हैं। इस समूह के बालकों को चार भागों में विभाजित किया जा सकता है–

(1) ऐसे बालक, जिनकी दृष्टि एक्यूटी (Visual Acuity) 20/70 तथा 20/200 के मध्य होती है।

(2) ऐसे बालक, जो गम्भीर तथा बढ़ने वाली दृष्टि सम्बन्धी कठिनाइयों से पीड़ित होते हैं।

(3) ऐसे बालक, जो नेत्र सम्बन्धी रोगों से पीड़ित हैं या ऐसे रोगों से, जो दृष्टि को प्रभावित करते हैं।

(4) ऐसे बालक, जो कि उपरोक्त बालकों में सम्मिलित नहीं हैं और जिनके पास औसत मस्तिष्क है तथा जो डाक्टरों तथा शिक्षाशास्त्रियों के अनुसार कम देखने वाले बालकों को दिये गये साधनों तथा सामान द्वारा अधिक लाभान्वित हो सकते हैं।

आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बालकों का उपचार–(1) इसकी सबसे अच्छी विधि है कि सभी बालकों का अच्छा मेडिकल परीक्षण किया जाये। साथ ही आँखों का भी परीक्षण हो। ये परीक्षण स्कूल में प्रवेश से पहले करना चाहिए। प्रवेश के उपरान्त भी करना चाहिए। (2) जहाँ उपर्युक्त विधि नहीं अपनायी जा सकती, वहाँ पर दृष्टि बाधित (Visual Screeing) परीक्षा भी ली जा सकती है। यह कार्य डाक्टर, नर्स, अध्यापक कर सकते हैं। यह स्कूल स्वास्थ्य, सेवा विभाग का कर्त्तव्य है कि परीक्षण की व्यवस्था कराये। बच्चे की प्रतिक्रिया भी देखी जानी चाहिए। (3) माता-पिता को भी चाहिए कि वे अपने बच्चे का डाक्टरी परीक्षण करा लें। यदि वह ऐसा नहीं करते तो स्कूल स्वास्थ्य विभाग इस ओर दिशा-निर्देश दे कि बच्चों का व्यापक स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए।

(2) गम्भीर रूप से दृष्टि बाधित बालक–गम्भीर रूप से दृष्टि बाधित बालक ब्रेल लिपि से पढ़ सकते है और श्रव्य यंत्रों का भी उपयोग किया जाता है दृष्टि क्षमता 2/20 होती है। चलने में छड़ी का उपयोग करते हैं।

बालक शैक्षिक कार्य के लिए नेत्रहीन तब समझे जाते हैं जब उनकी दृष्टि एक्यूटी 20/200 होती है। इससे कम होने पर अथवा इसी प्रकार की कोई अन्य असमर्थता होने पर भी बालक अन्धे समझे जाते हैं। अन्धे बालक को पूर्णतया अपनी श्रवण इन्द्रियों पर निर्भर रहना पड़ता है। जिन बालकों में बहुत कम दृष्टि होती है वे रंगों का भेद कर सकते हैं। एक बालक को तभी पूर्ण रूप से दृष्टि बाधित (अन्धा) मानना चाहिए जबकि डाक्टर ने उसकी ऐसी स्थिति बतायी हो। डाक्टर द्वारा बताये गये चश्मे को पहनने से इनकी दृष्टि में सुधार हो सकता है। समय-समय पर आँखों की परीक्षण करा लेना भी जरूरी है। इससे ज्ञात होता है कि आँखों की दशा में सुधार आया या नहीं। अध्यापक को अवश्य देखना चाहिए कि बालक ने चश्मा पहन रखा है अथवा नहीं; चश्मा ठीक दशा में है अथवा नहीं। यदि बालक की आँखें ऑपरेशन द्वारा ठीक हो सकती हैं, तो उसका ऑपरेशन कराना चाहिए। चूँकि अन्धा बालक हमेशा अपनी अन्य इन्द्रियों पर निर्भर रहता है, अत: उसकी अन्य इन्द्रियों के स्वास्थ्य की परवाह करनी चाहिए।

7.4 सारांश (Summary)

- दृष्टि बाधित बालक वे बालक होते हैं जो ठीक प्रकार से देख पाने में असमर्थ होते हैं। कुछ दृष्टि बाधित बालक मोटे छापे की पुस्तक अथवा पठन सामग्री पढ़ पाने में समर्थ होते हैं। ऐसी परिस्थिति में वे काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ बालक गम्भीर रूप से दृष्टि बाधित होते हैं। उनमें देखने की क्षमता पर्याप्त रूप से कम होती है। ऐसे बालक देखने की विधियों द्वारा शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। दृष्टि बाधित को *स्नेलन चार्ट* के माध्यम से मापन किया जाता है। ऐसे बालकों की दृष्टि क्षमता का परिमाण आंशिक अथवा पूर्ण रूप से भी हो सकता है, जो पूर्ण रूप से दृष्टि क्षमता खो देते हैं वह अन्धेपन रोग से प्रभावित होते हैं तथा वे कुछ भी नहीं देख पाते।

नोट

- दृष्टि बाधित व्यावहारिक रूप में विभिन्न समस्याओं को उत्पन्न करता है। जिन बालकों की निम्न दृष्टि होती है वे बड़े-बड़े अक्षरों को पढ़ सकते हैं उन्हें दृष्टि-यन्त्रों का लाभ पढ़ने-लिखने में नहीं होता है। इनकी दृष्टि 20/70 से अधिक नहीं होती है।
- *अमेरिका के मैडिकल संघ* (1934) में कानूनी परिभाषा दी थी जिसे सभी देश स्वीकार करते हैं। परिभाषा इस प्रकार है–
- "A legally blind person is said to be one (i) who has visual acquity of 20/200 or less in the better eye even with correction, (ii) or whose field of vision is so restricted that it subtends an angle of 20° or less in the better eye after correction."
- "कानूनी दृष्टि से पूर्ण दृष्टि बाधित उन्हें मानते हैं–(1) जिनकी दृष्टि क्षमता 20/200 तथा इससे कम हो उनकी आँखों में सुधार के बाद उत्तम हो। (2) अथवा जिनका दृष्टि का क्षेत्र सीमित हो और 20° का कोण बनाती है। उनकी आँखे सुधार के बाद उत्तम हो।"
- दृष्टि बाधित बालकों की विशेषताओं को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है–
  (1) **भाषा का विकास** (Language Development)–दृष्टि विकलांगता में भाषा का दोष नहीं होता है क्योंकि वह सुन सकते है तथा बोल सकते हैं। बोलना और सुनना भाषा के मुख्य कौशल माने जाते हैं। यह भाषा सीखने के लिए अधिक उत्साहित रहते हैं। भाषा के माध्यम से अपनी बात माता-पिता तथा साथियों से कह सकते हैं। इनमें सम्प्रेषण सक्षमता होती है।
  (2) **मानसिक योग्यता** (Intellectual Ability)–दृष्टि बाधित बालक मानसिक योग्यता की दृष्टि से सामान्य बालकों से कम नहीं होते हैं। शोध कार्यों से यह विदित हुआ कि यदि इन्हें समुचित शिक्षा दी जाय अथवा शिक्षा का अवसर मिल सके तब इनकी बुद्धि-लब्धि अचानक अधिक बढ़ जाती है।
- दृष्टि बाधितों के व्यक्तित्व की समस्यायें आन्तरिक नहीं होती हैं। इन बालकों में असमायोजन की समस्या सामाजिक कारणों से होती है। यह बालक अपने समायोजन को सुनिश्चित करते हैं।
- **आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बालक**–आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बालक उन्हें कहते है जो बड़े अक्षरों में मुद्रित पाठ्यवस्तु को या उतल दर्पण की सहायता से पढ़ सकते हैं। इनकी दृष्टि क्षमता (20 से 70) उत्तम आँख में होती है।
- **गम्भीर रूप से दृष्टि बाधित बालक**–गम्भीर रूप से दृष्टि बाधित बालक ब्रेल लिपि से पढ़ सकते है और श्रव्य यंत्रों का भी उपयोग किया जाता है दृष्टि क्षमता 2/20 होती है। चलने में छड़ी का उपयोग करते हैं।

7.5 शब्दकोश (Keywords)

- **इंद्रिय**– शरीर के ज्ञान एवं कर्म के साधन रूप अंग (जैसे–आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा)।
- **प्रत्यक्षीकरण**– प्रत्यक्ष रूप देना, इंद्रिय द्वारा ज्ञान कराना।
- **संश्लेषण**– जोड़ना।
- **विश्लेषण**– अलग करना, छानबीन करना, जाँच करना।

7.6 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

1. दृष्टि बाधित का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसकी परिभाषा दीजिए।
2. दृष्टि बाधित बालकों की विशेषताएँ बताइए।
3. दृष्टि बाधित बालकों का वर्गीकरण समझाइए।

उत्तर : स्व-मूल्यांकन (Answer: Self-Assessment)

नोट

1. ब्रेल लिपि   2. मुद्रित   3. 2/20   4. श्रवण-इंद्रियाँ।

7.7 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

पुस्तकें

1. *विशिष्ट बालक*– एल. बी. बाजपेयी, अमिता बाजपेयी, भारत बुक सेंटर, नई दिल्ली।
2. *विशिष्ट बालक-शिक्षा एवं पुनर्वास*– महेश भार्गव, एच. पी. भार्गव बुक हाउस, आगरा।
3. *विशिष्ट शिक्षा का प्रारूप*– डॉ. आर. लाल. शर्मा, आर. लाल. बुक डिपो, आगरा।

नोट

इकाई–8: दृष्टि बाधितः पहचान, कारण एवं समस्याएँ (Visually Impaired Identificaion, Causes and Problems)

अनुक्रमणिका (Contents)

उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तावना (Introduction)

8.1 दृष्टि बाधित बालकों की पहचान (Identification of Visually Impaired Children)

8.2 बालकों के दृष्टि बाधित होने के कारण (Causes of Visually Impaired Children)

8.3 दृष्टि बाधित बालकों की समस्याएँ (Problems of Visually Impaired Children)

8.4 सारांश (Summary)

8.5 शब्दकोश (Keywords)

8.6 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

8.7 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

उद्देश्य (Objectives)

विद्यार्थी इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् सक्षम होंगे–

- दृष्टि बाधित बालकों की पहचान, उसके कारण एवं समस्याओं से परिचित होंगे।

प्रस्तावना (Introduction)

पूर्व काल से ही शारीरिक विकलांगता के क्षेत्र में सर्वाधिक दुखद अवस्था दृष्टिहीनों को स्वीकार की जाती रही है। सदा से ही उनका जीवन समाज में दया, सहानुभूति व भिक्षा वृत्ति पर आश्रित रहा है, तथापि, इतिहास ने हमको सूरदास जैसे प्रख्यात भक्त कवि दिए हैं जो जन्मान्ध थे।

8.1 दृष्टि बाधित बालकों की पहचान (Identification of Visually Impaired Children)

दृष्टि बाधित बालकों की पहचान को प्राथमिकता दी जाय; इसके लिये अन्तराल परीक्षण किये जाते रहना आवश्यक है। इनके लिए समुचित शैक्षिक सुविधाओं की व्यवस्थ की जाय। उनकी पहचान के बाद इनकी आवश्यकताओं को महत्व दिया जाय। इनकी पहचान के लिए स्नैलन चार्ट का उपयोग किया जाय। यह सबसे सरल परीक्षण है। यह दृष्टि बाधितों को पहचान की सरल विधि है। शिक्षक द्वारा इस चार्ट का प्रयोग किया जा सकता है। इस चार्ट की कुछ सीमाएँ भी है यह अधिक व्यवहारिक नहीं है। दृष्टि बाधितों की पहचान उनके व्यवहारिक लक्षणों से भी की जा सकती है।

नोट

जो बालक जन्म से अन्धे होते हैं उनकी पहचान माता-पिता द्वारा ही कर ली जाती है। जो आंशिक रूप से बाधित होते हैं उनकी पहचान पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में हो जाती है। विद्यालय के कार्यों जैसे पढ़ने, लिखने से पहचान हो जाती है।

प्रशिक्षित अध्यापकों की सहायता से इनकी पहचान की जाती है। कुछ बालकों की आँखे सामान्य दिखाई देती है और चेहरा भी सामान्य प्रतीत होता है, इनकी पहचान अधिक समय में हो पाती है। एक शिक्षक सामान्य रूप से दृष्टि-बाधित बालकों की पहचान कर लेता है। इसके लिये व्यवहार सूची का उपयोग करता है। इस व्यवहार सूची को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ने बनाया है। यह ध्यान रखा जाय कि इनमें किसी एक व्यवहार से पहचान नहीं की जा सकती है। यदि एक से अधिक व्यवहार के मिलने पर ऐसे बालकों का डाक्टरी परीक्षण कराया जाय।

दृष्टि बाधित बालकों की पहचान के लिए निम्नांकित प्रश्नावली का उपयोग करना चाहिए–

(1) सिर दर्द को अक्सर बतलाते हैं और दर्द के बाद आँखे बन्द कर लेता है।

(2) बार-बार पलकें झपकता है।

(3) जब श्यापट्ट की पाठ्यवस्तु लिखता है तब वह अन्य बालकों से ज़ोर से पढ़ने को कहता है।

(4) पुस्तक तथा अन्य वस्तुओं को अपनी आँखों के पास ले जाता है।

(5) एक आँख को बन्द करके सिर को ऊपर उठाता है।

(6) अक्सर आँखों को मलता रहता है।

(7) आँखों की पलक छोटी होना और आँख लाल रहना।

(8) आँखों का आकार भिन्न प्रकार का होना।

(9) प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशील रहता है।

(10) जब दूर की वस्तुओं को देखता है तब शरीर में तनाव होता है।

(11) पढ़ने के समय अनुदेशन सामग्री नहीं रहती है।

(12) आँखों से पानी बहना।

(13) चलने पर गलत पैर रखता है।

(14) आँखों में टेढ़ापन या तिरछा होना अथवा आँखे भैंगी हो।

क्या आप जानते हैं समय से पूर्व जन्म हो जाने पर बच्चों मे कमी प्रकार शारीरिक एवं मानसिक कमियाँ आ जाने की संभावना रहती है। ऐसा बच्चा दृष्टि बाधित भी हो सकता है।

दृष्टि बाधित बालकों के लक्षण (Signs of Visually Impaired Children)

दृष्टि बाधित बालकों के कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं जो इस प्रकार हैं–

(1) पलकों पर खुजली होना और सूजन होना।

(2) आँखे तिरछी होना।

(3) प्रकाश के प्रति क्रियाशील होता है।

(4) सिर की अवस्था असमान्य रहती है।

(5) प्रकाश के प्रति अनावश्यक रूप से संवेदनशील रहना।

(6) पढ़ने तथा लिखने की समस्याएँ रहती हैं–

(अ) श्यापट्ट पर लिखे हुए को नहीं पढ़ पाता है।

नोट

(ब) पाठ्यवस्तु को पास रखकर ही पढ़ता है।

(स) वाक्यों के ऊपर व नीचे के शब्दों का चयन कर लेता है।

(द) पढ़ते समय वर्तनी तथा अक्षरों में भ्रम होता है।

8.2 बालकों के दृष्टि बाधित होने के कारण (Causes of Visualy Impaired Children)

दृष्टि बाधिता का कारण वातावरण तथा वंशानुक्रम दोनों ही हो सकते हैं। दृष्टि बाधिता का कारण आवासीय समस्या होती है। इसका मुख्य कारण **मायोपिया** की समस्या होती है। **मायोपिया** से तात्पर्य निकट दृष्टि-बाधिता का होना। दृष्टि बाधितों में दूर की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है और पास की वस्तुओं को देख लेते हैं। आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बालकों का कारण **मायोपिया** का होना है। **हाइपरपिया** के कारण निकट की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है और दूर की वस्तुओं को देख लेते हैं। कुछ बीमारियों से मुखाकृति की समस्या होती है जिससे दृष्टि सामान्य नहीं रहती है।

आवासीय समस्या या समायोजित समस्या का आधार वंशानुक्रम होता है। इनका सुधार दर्पण अथवा चश्मे के उपयोग से हो जाता है इसके लिए सम्पर्क चश्मे का उपयोग किया जाता है और आँख के आपरेशन से भी समस्या का समाधान हो जाता है। इनका कारण संक्रमण नहीं रहता है। साधारणत: इसका उपचार कठिन होता है।

आँख के बालस की गति के कारण भी दृष्टि बाधित हो जाती है द्विप्रतिबिम्ब के दोष के कारण गहन प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पाता है। केन्द्रीयकरण (Convergence) की समस्या का उपचार नहीं होता है। इस प्रकार गम्भीर समस्या से पूर्णरूप से दृष्टि बाधित होने की सम्भावना रहती है। अनेक परिस्थितियां हैं जिनसे आँखों में केन्द्रीकरण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य बीमारियों के कारण आँखों का केन्द्रीकरण आन्तरिक अथवा बाह्य हो जाता है जैसे–इसोफोनिया एक्सोफोनिया आदि। केन्द्रीकरण का कारण वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों ही होता है। कुछ कारण शारीरिक होते हैं जैसे–सिकुड़ना, गिलायोकोमा यह भी वंशानुक्रम और वातावरण के कारण होते हैं।

आंशिक रूप से दृष्टि बाधित तीन प्रकार के होते हैं–

(1) जन्म से पूर्व अवस्था अथवा गर्भ के समय से ही होते हैं माँ प्रबल औषद्वियों का सेवन करने से, असन्तुलित आहार के कारण मानसिक रोग के कारण, आवासीय स्थान ठीक न होना आदि।

(2) बालक का जन्म शल्य द्वारा किया जाये, बेहोशी की दवाओं के कारण, समय से पूर्व जन्म हो जाना आदि के प्रभाव से भी दृष्टि बाधित हो जाता है।

(3) जन्म के बाद चेचक के कारण, संक्रामक बीमारियों के कारण आँख में चोट लगना, गलत दवा डालने से केंसर या फोड़ा होने तथा विष के खाने आदि कारणों से बालक दृष्टि बाधित हो जाता है।

टास्क दृष्टि बाधितों के प्रति समाज के रवैय्ये का विश्लेषण कीजिए।

8.3 दृष्टि बाधित बालकों की समस्याएँ (Problems of Visually Impaired Children)

दृष्टि बाधित बालकों की अनेक समस्याएँ होती है जैसे–व्यवहारिक समस्याएँ, अधिगम की समस्याएँ, स्थानापन्न की समस्या, समाज में समायोजन की समस्या, कभी-कभी जीवकोपार्जन की समस्या भी होती है। यहाँ पर कुछ समस्याओं का विवरण दिया गया है–

नोट

(1) बुद्धि–लब्धि स्तर कम होना (Poor Intelligence)
(2) शैक्षिक मन्दिता (Educationally Retardation)
(3) मन्द वाणी विकास (Slow Speech Development)
(4) व्यक्तित्व विक्षिप्त होना (Personality Disorder)
(5) सामाजिक समायोजन की समस्याएं (Problem of Social Adjustment)।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

दिए गए कथनों के सामने सही (✓) अथवा गलत (×) का निशान लगाएँ– (State whether the following statements are 'True' or 'False')

1. दृष्टि बाधित की पहचान के लिए स्नैलन चार्ट का प्रयोग किया जाता है। ☐
2. सभी प्रकार के दृष्टि बाधित बालकों की पहचान उनके माता पिता स्वयं घर में कर लेते हैं। ☐
3. पूर्ण रूप से दृष्टि बाधित धीरे-धीरे श्रवण बाधित भी हो जाते हैं। ☐
4. दृष्टि बाधित बालक द्वारा बेल लिपि का उपयोग करने पर भी सामान्य बालकों की तुलना में उनकी शैक्षिक उपलब्धि कम रहती है। ☐

इन समस्याओं का संक्षिप्त विवरण यहाँ पर दिया गया है।

(1) बुद्धि–लब्धि स्तर कम होना (Poor Intelligence)–शोध अध्ययनों से यह बात स्पष्ट हुई कि दृष्टि बाधित बालकों का बुद्धि स्तर भी सामान्य से कम होता है। इसलिए समुचित वातावरण तथा अवसर खोजने में भी असमर्थ रहते हैं। बुद्धि परीक्षण पर यह अच्छा नहीं कर पाते हैं। क्योंकि इनका बुद्धि-लब्धि स्तर कम होता है। अधिकांश बुद्धि परीक्षण से ज्ञान, अनुभव तथा सूचनाओं पर आधारित प्रश्न होते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से इनकी कार्यशैली सामान्य से निम्न स्तर की होती है।

(2) शैक्षिक मन्दिता (Educationally Retardation)–दृष्टि बाधित बालकों के ब्रेल लिपि का उपयोग करने पर भी सामान्य बालकों से शैक्षिक उपलब्धि कम रहती है। दृष्टि बाधित बालक सामान्य बालक से एक या दो वर्ष मन्दित रहते हैं तथा शैक्षिक निष्पत्ति कम रहती है। यह बालक मन्द गति से तथ्यों तथा सूचनाओं को बोधगम्य कर पाते हैं क्योंकि यह अवलोकन नहीं कर सकते और न ही अनुकरण कर सकते हैं। ज्ञान के श्रोत श्रव्य तथा स्पर्श इन्द्रियों तक सीमित रहते हैं। पढ़ने की गति मन्द होती है अनुदेशनात्मक प्रक्रिया में सम्बन्ध स्थापित नहीं कर पाते हैं।

(3) मन्द वाणी विकास (Slow Speech Development)–पूर्ण रूप से दृष्टि बाधित बालक वाणी की कला और कौशल का अनुकरण नहीं कर सकते हैं। जो उन्होंने सुना है उसी से वाणी का विकास होता है। वाणी का विकास सार्थक रूप में नहीं होता है। शोध अध्ययन से स्पष्ट होता है कि शब्दों के उपयोग एवं उच्चारण में कठिनाई का अनुभव करते हैं।

(4) व्यक्तित्व विक्षिप्त होना (Personality Disorder)–व्यक्तित्व के विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण का विशेष महत्व तथा योगदान होता है। यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि, जीवन के अनुभवों से इसमें सुधार होता रहता है। दृष्टि-बाधित बालकों का समुचित वातावरण और जीवन के अनुभव से उनके व्यक्तित्व का विकास अपने ही प्रकार से होता है जो पूर्णत: सामान्य बालकों से भिन्न प्रकार का होता है। इनके विकास में नाड़ी संस्थान, उनके अनुभव तथा मानसिकता का गहन प्रभाव होता है। इनमें असुरक्षा तथा विक्षिप्ता अधिक रहती है जो व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करती है।

(5) सामाजिक समायोजन की समस्याएँ (Problems of Social Adjustment)–समाज में दृष्टि बाधितों को हेय दृष्टि से देखा जाता है क्योंकि वह समाज की सहायता चाहते हैं। इन्हें व्यक्तिगत तथा सामाजिक समस्याएँ

नोट

रहती हैं। इनमें हीन भावना आ जाती है और समाज में समायोजन की कठिनाई भी आती है। मनोवैज्ञानिक इनके समायोजन की समस्याओं के सम्बन्ध में एक मत नहीं हैं। कुछ शोध अध्ययनों का निष्कर्ष है कि इस प्रकार के बालकों का विद्यालय में समायोजन नहीं होता है। अन्य शोध निष्कर्षों में पाया कि विद्यालय में इनका समयोजन उत्तम होता है। उनके साथी तथा सहयोगी पर्याप्त सहायता करते हैं।

नोट्स दृष्टिबाधित को समायोजन में भी कठिनाई आती है क्योंकि वह आसानी से समाज का हिस्सा नहीं बन पाता है उसमें अकसर हीन भावना आ जाती है।

8.4 सारांश (Summary)

- दृष्टि बाधित बालकों की पहचान को प्राथमिकता दी जाय; इसके लिये अन्तराल परीक्षण किये जाते रहना आवश्यक है। इनके लिए समुचित शैक्षिक सुविधाओं की व्यवस्थ की जाय। उनकी पहचान के बाद इनकी आवश्यकताओं को महत्व दिया जाय। इनकी पहचान के लिए स्नैलन चार्ट का उपयोग किया जाय। यह सबसे सरल परीक्षण है। यह दृष्टि बाधितों को पहचान की सरल विधि है। शिक्षक द्वारा इस चार्ट का प्रयोग किया जा सकता है। इस चार्ट की कुछ सीमाएँ भी है यह अधिक व्यवहारिक नहीं है। दृष्टि बाधितों की पहचान उनके व्यवहारिक लक्षणों से भी की जा सकती है।
- जो बालक जन्म से अन्धे होते हैं उनकी पहचान माता-पिता द्वारा ही कर ली जाती है। जो आंशिक रूप से बाधित होते हैं उनकी पहचान पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में हो जाती है। विद्यालय के कार्यों जैसे पढ़ने, लिखने से पहचान हो जाती है।
- दृष्टि बाधित बालकों के कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं जो इस प्रकार हैं–

  (1) पलकों पर खुजली होना और सूजन होना।

  (2) आँखे तिरछी होना।

  (3) प्रकाश के प्रति क्रियाशील होता है।
- दृष्टि बाधिता का कारण वातावरण तथा वंशानुक्रम दोनों ही हो सकते हैं। दृष्टि बाधिता का कारण आवासीय समस्या होती है। इसका मुख्य कारण **मायोपिया** की समस्या होती है। **मायोपिया** से तात्पर्य निकट दृष्टि-बाधिता का होना। दृष्टि बाधितों में दूर की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है और पास की वस्तुओं को देख लेते हैं। आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बालकों का कारण **मायोपिया** का होना है। **हाइपरपिया** के कारण निकट की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है और दूर की वस्तुओं को देख लेते हैं। कुछ बीमारियों से मुखाकृति की समस्या होती है जिससे दृष्टि सामान्य नहीं रहती है।
- दृष्टि बाधित बालकों की अनेक समस्याएँ होती है जैसे–व्यवहारिक समस्याएँ, अधिगम की समस्याएँ, स्थानापन्न की समस्या, समाज में समायोजन की समस्या, कभी-कभी जीवकोपार्जन की समस्या भी होती है। यहाँ पर कुछ समस्याओं का विवरण दिया गया है– (1) बुद्धि–लब्धि स्तर कम होना; (2) शैक्षिक मन्दिता।

8.5 शब्दकोश (Keywords)

- **लब्धि–** प्राप्ति, भागफल।
- **विक्षिप्त–** पागल, परेशान।

नोट

8.6 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

1. दृष्टि बाधित बालकों की पहचान कैसे की जाती है?
2. बालकों में दृष्टि बाधा उत्पन्न होने के कारणों पर प्रकाश डालिए।
3. दृष्टि बाधित बालकों की समस्याओं पर प्रकाश डालिए।

उत्तर : स्व-मूल्यांकन (Answer: Self Assessment)

1. 2. (×) 3. 4. ।

8.7 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

पुस्तकें

1. *विशिष्ट बालक*– एल. बी. बाजपेयी, अमिता बाजपेयी, भारत बुक सेंटर, नई दिल्ली।
2. *विशिष्ट बालक-शिक्षा एवं पुनर्वास*– महेश भार्गव, एच. पी. भार्गव बुक हाउस, आगरा।
3. *विशिष्ट शिक्षा का प्रारूप*– डॉ. आर. लाल. शर्मा, आर. लाल. बुक डिपो, आगरा।

नोट

इकाई–9: दृष्टि बाधितः शिक्षण आव्यूह एवं निवारण (Visually Impaired— Prevention and Teaching Strategies)

अनुक्रमणिका (Contents)

उद्देश्य (Objectives)
प्रस्तावना (Introduction)
9.1 दृष्टि बाधितः शिक्षण आव्यूह एवं निवारण (Visually Impaired : Prevention and Teaching Strategies)
9.1.1 शैक्षिक माध्यम तथा संसाधन व्यवस्था (Educational Medium and Resource System)
9.1.2 अध्यापक की भूमिका (Role of Teacher)
9.1.3 शिक्षा की मुख्यधारा में कक्षा प्रबंधन (Classroom Management in Mainsteaming)
9.1.4 शिक्षण सहाय उपकरणों का उपयोग (Use of Teaching Equipments)
9.1.5 सामाजिक कौशल का विकास (Development of Social Skills)
9.1.6 इंद्रियों का प्रशिक्षण (Sensory Training)
9.2 सारांश (Summary)
9.3 शब्दकोश (Keywords)
9.4 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)
9.5 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

उद्देश्य (Objectives)

विद्यार्थी इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् सक्षम होंगे–

- दृष्टिबाधितों हेतु शिक्षण नीति से परिचित होंगे;
- दृष्टिबाधितों के समस्या निवारण में अध्यापक की भूमिका से अवगत होंगे।

प्रस्तावना (Introduction)

दृष्टि बाधित विकलांग बालकों के विषय में धारणा है कि यह लोग स्वयं अपनी देखभाल व अपनी जीविका नहीं चला सकते हैं। अन्य व्यक्ति इन्हें परिवार व समाज के लिए भार समझते हैं, परन्तु आज हम देखते हैं कि अनेक अन्धे लोग उपयोगी काम-धन्धों में लगे हुए हैं। इसके लए आवश्यक है कि इन्हें समुचित शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।

नोट

9.1 दृष्टि बाधितः शिक्षण आव्यूह एवं निवारण (Visually Impaired : Prevention and Teaching Strategies)

दृष्टि बाधित बालकों को शिक्षा देने का सबसे अच्छा तरीका विशेष कक्षाओं का आयोजन है। एक विद्यालय में ऐसे बालकों की संख्या 1 से 500 तक होती है अध्यापक इस बात का निर्णय कर सकता है कि क्या उनके लिए विशेष कक्षा का आयोजन किया जाय तथा कौन-कौन-सी सुविधाएँ प्रदान की जाएँ । एक कक्षा में स्कूल, समुदाय तथा समाज का कार्य हो सकता है। इस कक्षा में विभिन्न श्रेणियों के बालक हो सकते हैं। गाँवों में भी आंशिक रूप से देखने वाले बालकों के लिए विशेष कक्षा का प्रबन्ध होना चाहिए। अनेक गाँव मिलकर इस कक्षा का निर्माण कर सकते है। गाँव के बालक नजदीक के शहर भी जा सकते हैं और अगर सम्भव व आवश्यक हो तो छात्र छात्रावास में भी रह सकते हैं। राज्य के शिक्षा निदेशक को चाहिए कि गाँवों में ऐसे अध्यापकों की सहायता करें, जिनकी कक्षा में आंशिक रूप से देखने वाले बालक हैं। यदि राज्य द्वारा शिक्षा का प्रबन्धन नहीं है तो समाज सेवक इसका प्रबन्ध कर सकते हैं। आवश्यक शैक्षिक सामान शिक्षा विभाग द्वारा दिया जा सकता है। बड़े विद्यालयों में प्रत्एक कक्षा में कम से कम एक बालक कम देखने वाला होता है। ऐसी अवस्था में सबसे पहले प्राथमिक श्रेणियों के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का आयोजन करना चाहिए। क्योंकि जितनी जल्दी कम देखने वाले बालकों को शैक्षिक सुविधाएँ दी जाजाएँ गी, उतनी ही अधिक सफलता प्राप्त होगी।

कक्षा व्यवस्था की विधि—चूँकि पृथक्कीकरण अब आधुनिक शैक्षिक सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं है, अत: एक सहकारिता योजना का विकास किया गया है, जिसके द्वारा कम देखने वाले बालक अपने कार्य एक विशेष सामान से युक्त कक्षा में एक योग्य शिक्षक के अन्तर्गत करते हैं। अन्य कार्यक्रमों के लिए से अन्य औसत बालकों के साथ मिल जाते हैं।

सहकारिता—यदि उपर्युक्त योजना सफलतापूर्वक चलती है, तो बालक के स्वास्थ्य तथा शिक्षा का उत्तरदायित्व अधीक्षक, प्रधानाध्यापक, स्कूल स्वास्थ्य सेवा, अध्यापक तथा विशेष कक्षा के अध्यापक एवं बालक के माता-पिता पर है। इस सहयोग को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि प्रत्एक को शिक्षा के विशेष उद्देश्य से परिचित होना चाहिए। इन सभी को समस्या समाधान में पूर्ण सहयोग देना चाहिए। आंशिक रूप से देखने वाले बालक का विशेष कक्षा तथा सामान्य कक्षा में भली प्रकार स्वागत करना चाहिए। इससे वह अपनी कठिनाइयों पर विजय पाने में सफल होगा।

नोट्स कम देखने वाले और औसत बालकों का पाठ्यक्रम एक-सा होता है। अध्यापकों को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि ऐसा कोई भी कार्य अधिक नही करवाया जाएजिससे आँखों पर अधिक ज़ोर पड़े।

9.1.1 शैक्षिक माध्यम तथा संसाधन व्यवस्था (Educational Medium and Resource System)

ऐसे बालक जो दृष्टि बाधित होते है, उनसे देखने वाले कार्य कम कराने चाहिए। रोशनी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय हैं—

(1) **शैक्षिक माध्यम**—ऐसे बालकों के लिऐ शैक्षिक माध्यम एक बड़े पैमाने पर है। एक औसत बालक के लिए किताब 10 या 12 अंक के टंकण में होती है, पर आंशिक देखने वाले कारकों के लिए 18 या 24 अंक के टंकण में होती है। प्रिन्ट साफ तथा विस्तृत होना चाहिए। दो शब्दों के बीच जगह होनी चाहिए। हाशिया होना चाहिए। मानचित्र तथा चित्र होने चाहिए। बड़े सफेद या क्रीम रंग के कागजों पर मोटी तथा गहरी लीड वाली पेन्सिल प्रयोग करनी चाहिए। आर्ट तथा क्राफ्ट के लिए ऐसा सामान प्रयुक्त होना चाहिए कि आँखों पर अधिक

नोट

ज़ोर न पड़े। मशीनी तरीके; जैसे–टाइप राइटर, रेडियो आदि बड़ी मात्रा में प्रयोग होने चाहिए। टाइपराइटर के दूने की विधि को उपयोग करना चाहिए।

(2) **रोशनी**–प्राकृतिक तथा बनावटी दोनों प्रकार की रोशनी सभी बालकों के लिए महत्व रखती है। यह कम देखने वाले बालकों के लिए और भी अधिक महत्व रखती है। ऐसे बालकों का कमरा पूर्णरूप से हर स्थान से रोशनीयुक्त होना चाहिए। कक्षा की छतें, सफेद तथा दीवारें हल्के रंगी होनी चाहिए तथा उनमें चमक नहीं होनी चाहिए। भूरे तथा हरे बोर्ड में परावर्तन अधिक होता है। अत: उनका प्रयोग करना चाहिए।

(3) **फर्नीचर**–एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकने वाला फर्नीचर अधिक अच्छा होता है। इन्हें बालक किसी भी स्थान पर ले जाकर बैठ सकते हैं। फर्नीचर इस प्रकार का हो जो पढ़ते हुए बालक के लिए उपयुक्त हो। इसका रंग हल्का होना चाहिए।

परिवेक्षण व्यवस्था

दृष्टि बाधित बालकों की कक्षा के परिवेक्षण में मेडिकल तथा शैक्षिक परिवेक्षण प्रमुख रूप से सहयोग प्रदान करते हैं–

(1) **मेडिकल परीक्षण**–यह विद्यालय के डाक्टर या क्लीनिक द्वारा हो सकता है। आँख सम्बन्धी परीक्षणा, सामान्य स्वास्थ्य, आँख की बीमारियों का इलाज, शरीर की बीमारियों का इलाज तथा चश्मा दिलवाने से सम्बन्धित होना चाहिए। आँख के डाक्टर को बालकों के स्वास्थ्य तथा आँखों के स्वास्थ्य का एक रिकार्ड बनाना चाहिए। इन्हें ऐसा आलेख तैयार करना चाहिए जिसमें वह बालक को आँख के अभ्यास तथा इलाज के सुझाव दे। उन्हें यह बताना चाहिए कि बालक को नियमित रूप से चश्मा पहनना चाहिए। अध्यापक को अकसर इन निरीक्षकों से सम्बन्ध रखाना चाहिए। आँख के डाक्टर को विशेष कक्षा में परीक्षण के लिए जाते रहना चाहिए तथा बालकों के माता-पिता से भी सम्बन्ध रखना चाहिए।

(2) **शैक्षिक पर्यवेक्षण**–शैक्षिक पर्यवेक्षण स्थानीय तथा राजकीय, दोनों हो सकता है। एक राजकीय निरीक्षक को विशेष शैक्षिक सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। उसे शैक्षिक तथा सामाजिक कठिनाइयाँ दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए।

9.1.2 अध्यापक की भूमिका (Role of Teacher)

सार्वभौमिक परिदृश्य में यदि देखा जाए तो अध्यापक का अत्यन्त महत्व है। दृष्टि बाधित बालकों के अध्यापकों को आँख की बनावट, सफाई, आँख की सामान्य बीमारियों तथा कठिनाइयों से परिचित होना चाहिए। उसे दवाइयों, रोशनी, शारीरिक सामान तथा शैक्षिक सामान का प्रबन्धन करना चाहिए। पढ़ाई की उचित विधि से परिचित होना चाहिए। उसे मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षिक कठिनाइयों के साथ-साथ संवेगात्मक कठिनाइयों को पहचानना चाहिए। उसे बालक की वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं को पहचानना चाहिए। उसे बालक की वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं को पहिचानना चाहिए। उसे बालकों को समस्या सुलझाने की शिक्षा देनी चाहिए। एक अध्यापक बालक में ऐसे गुणों का विकास कर सकता है जिससे वह अच्छा सामाजिक, शैक्षिक तथा व्यावसायिक समायोजन कर सके। उसे बालक में ऐसी क्षमता उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए कि वह अपनी शारीरिक कमजोरी के हीन विचार को मन में न लाए। उसे बालको के माता-पिता से भी मिलना चाहिए।

दृष्टि बाधित बालक अब सामान्य विद्यालयों की कक्षाओं में पढ़ने लगे हैं। इन बालकों के लिएपाठ्यक्रम में थोड़ा सुधार किया जाता है। सामान्य विद्यालयों में स्रोत शिक्षक तथा स्रोत कक्ष की व्यवस्था की जाती है। दृष्टि बाधि त बालकों की शिक्षा का उत्तरदायित्व सामान्य शिक्षक और स्रोत शिक्षक दोनों का होता है। वास्तव में यह उत्तरदायित्व सामान्य शिक्षक का ही होता है स्रोत शिक्षक तो उन की कठिनाइयों और समस्याओं के समाधान में सहायता करता है। इसलिएसामान्य शिक्षक को यह ज्ञान तथा कौशल होना चाहिए कि दृष्टि बाधित बालकों को किस प्रकार पढ़ाया जाएइस संबंध में सामान्य शिक्षक को निम्नलिखित बातों का बोध होना आवश्यक है–

(1) दृष्टि बाधित बालक को शिक्षा ग्रहण करने का भी वही अधिकार होता है जितना एक सामान्य बालक को होता है। शिक्षा के समान अवसरों की सुविधा "संवैधानिक प्रवधान" है। तब उन्हें सामान्य विद्यालयों में प्रवेश न देने का कोई औचित्य नहीं बनता है।

(2) दृष्टि बाधित बालक को सामान्य विद्यालय में प्रवेश देने से पूर्व स्रोत शिक्षक से परामर्श करना चाहिए। शिक्षा के नियोजन हेतु विशिष्ट शिक्षा, विशिष्ट विधियों व प्रविधियों के निर्देशन की आवश्यकता होती है।

(3) सामान्य शिक्षक को दृष्टि बाधित बालकों हेतु शिक्षण सहायक सामग्री की व्यवस्था करनी चाहिए। इस दिशा में उसे प्रयासरत भी रहना चाहिए।

(4) शिक्षक को सामान्य बालकों से कहना चाहिए कि दृष्टि बाधित बालकों की प्रत्एक प्रकार की सहायता करनी चाहिए। पढ़ने-लिखने के अतिरिक्त उन्हें चलने-फिरने में भी कठिनाई होती है।

(5) दृष्टि बाधित बालकों को सामान्य बालकों की भाँति अधिगम अनुभव प्रदान किएजाए। समस्याओं का समाधान अलग से किया जाए।

(6) शिक्षक को सामान्य और दृष्टि बाधित बालकों में अन्तःक्रिया हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए तथा उनसे सम्बन्धों को बढ़ावा देना चाहिए।

(7) जहाँ तक सम्भव हो विद्यालय की सभी क्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएऔर अवसर भी दिया जाए।

(8) दृष्टि बाधितों को सामान्य बालकों जैसे गृह कार्य भी दिएजाजाएँ ।

(9) शिक्षक को इन बालकों हेतु कक्षा में समुचित वातावरण और बैठने की सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। कक्षा में प्रकाश का ध्यान रखा जाए, ऐसे बालकों को आगे की कुर्सियों पर बैठाया जाय। शिक्षण सहायक सामाग्री का उपयोग समुचित ढंग से किया जाएतथा श्यामपट्ट पर बड़े अक्षर लिखे जाजाएँ । इन्हें थकावट जल्दी हो जाती है इसलिए अवधि भी अपेक्षाकृत छोटा होना चाहिए।

(10) कक्षा शिक्षण में अधिकांश शिक्षक हाव-भाव, संकेतों तथा अशाब्दिक भाषा उपयोग अधिक करते हैं। दृष्टि बाधित बालक अशाब्दिक भाषा का लाभ नहीं उठा सकते इसलिएपढ़ाए जाने वाले वषय की उनकी अभिव्यक्ति शब्दों में भी की जाय।

व्यावसायिक निर्देशन–दृष्टि बाधित बालकों का शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन आपस में सम्बन्धित है। एक सफल शैक्षिक निर्देशन के लिए आवश्यक है कि बालक के व्यक्तित्व की प्रत्एक बात ध्यान में रखनी चाहिए; उदाहरणार्थ–शारीरिक तथा मानसिक योग्यताएँ तथा अयोग्यताएँ , उसका संवेगात्मक विकास, सामाजिक, गुण, इच्छाएँ , रूचियाँ, अभिवृत्तियाँ आदि। यह भी देखना चाहिए कि बालक की इच्छाएँ अपनी हैं अथवा किसी अन्य द्वारा प्रभावित है। व्यवसायिक निर्देशन देने के लिए विभिन्न परीक्षण लेने चाहिए। एक सफल निर्देशन के लिए माता-पिता/अभिभावक, अध्यापक, डाक्टर, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक तथा निर्देशक में सहयोग अनिवार्य है।

क्या आप जानते हैं दृष्टि बाधित बलक–जज, वकील, शिक्षक, व्यापारी कुछ भी बन सकते हैं अतः इनके विकास को रोका न जाएव इन्हें पूर्णरूपेण प्रोत्साहित किया जाए।

9.1.3 शिक्षा की मुख्य धारा में कक्षा प्रबन्धन (Classroom Management in Mainsteaming)

दृष्टि बाधित बालकों की शिक्षा सामान्य विद्यालयों की कक्षा में दी जा सकती है। परन्तु दृष्टि बाधित बालक सुनकर तथा स्पर्श करके ही ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं जबकि पाठ्यक्रम समान ही होता है। परन्तु धनात्मक (अतिरिक्त) पाठ्यक्रम को विशेष महत्व दिया जाए। इनके लिएशिक्षण विधियाँ ऐसी हों जिससे बहुइन्द्रिय अनुभव किया जा सके।

नोट

दृष्टि बाधित बालकों हेतु धनात्मक पाठ्यक्रम का उपयोग किया जाएजिससे उन्हें सीखने में सहायता मिलती है और उनके लिएसुविधाजनक होता है। अतिरिक्त पाठ्यक्रम का उपयोग न किया जाए। कौशलों के विकास से सीखने में सरलता होती है। धनात्मक पाठ्यक्रम के मुख्य क्षेत्र निम्नलिखित होते हैं–

1. ब्रेल लिपि प्रणाली
2. सहायक सामग्री का उपयोग
3. चलने फिरने का प्रशिक्षण देना
4. सामाजिक कौशलों का विकास
5. कौशलों का विकास तथा
6. इन्द्रियों का प्रशिक्षण।

पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में मानसिक क्रियाओं जैसे–संगीत, अन्य शैक्षिक प्रतियोगिताओं में सम्मलित किया जाए। शारीरिक तथा मानसिक क्रियाओं का अभ्यास कराया जाए। नृत्य कौशल भी विकसित किएजा सकते हैं। इन बालकों प्रशिक्षण समन्वित परिस्थितियों में ही दिया जाए।

9.1.4 शिक्षण सहायक उपकरणों का उपयोग (Use of Teaching Equipments)

दृष्टि बाधित बालकों के शिक्षण में शिक्षण तकनीकी के विकास ने महत्वपूर्ण योगदान किया है। आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बालकों को विशेष लाभ मिलता है। अनेक प्रकार के गणना यन्त्रों, घड़ियों, श्रव्य सामग्री यन्त्रों का विकास हुआ है। उत्तल दर्पण, चश्मे अथवा दृष्टि यन्त्रों का भी उपयोग किया जाता है। आकृतियों, अक्षरों चित्रों को बड़ा प्रदर्शित करने वाले यन्त्रों का विकास किया गया है। दृष्टि कैमरा, चलायमान टेलिसकोप का भी उपयोग करते हैं।

उपरोक्त विशिष्ट उपकरणों की सहायता से दृष्टि बाधित बालक विद्यालय के वातावरण पर स्वामित्व कर लेते हैं। इन्हें निम्नांकित दिशा में प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

1. विद्यालय तथा कक्षा में चलने में निर्देशन दिया जाता है। जिससे वे आराम से अपनी गतिविधि कर सकें।
2. अपनी आवश्यकतानुसार वह कक्षा तथा कक्षा से बाहर व अन्दर स्वयं बिना सहायता के आ जा सकें।
3. विद्यालय के अन्य स्थानों पर आने जाने के निर्देशन दिए जाएँ ।
4. एक समय में एक ही गतिविधि को नियन्त्रित करें।
5. इन से सभी गतिविधियों का अभ्यास कराया जाए।
6. इन्हें विशिष्ट विवरण दिया जाएइनकी स्मरण शक्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है। व्यक्ति को उसके बोलने मात्र से ही पहचान लेते हैं।
7. अन्य सहयोगी और साथियों को नाम से ही बुलाना चाहिए क्योंकि वह देख नहीं सकते कि किसे संकेत किया जा रहा है।
8. जब वह बाहर एँ तब उन्हें सहायक निर्देशका (Buddy) दी जानी चाहिए।
9. विद्यालय में कोई परिवर्तन किया गया है तो उन्हें उसकी पूरी जानकारी देनी चाहिए।

9.1.5 सामाजिक कौशल का विकास (Development of Social Skills)

इनमें सामाजिक कौशलों का भी अभाव होता है। अच्छे सामाजिक व्यवहारों के लिएप्रोत्साहित किया जाएऔर शब्दिक अभिप्रेरणा भी दी जाए, उन्हें अपेक्षित सामान्य व्यवहारों का प्रशिक्षण दिया जाए। कक्षा में बोलने का अवसर दिया जाए इससे उनमें आत्मविश्वास का विकास होगा। उत्तम आचरण का प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए।

9.1.6 इन्द्रियों का प्रशिक्षण (Sensory Training)

बहुइन्द्रिय सहायक सामग्री का उपयोग करने से दृष्टि बाधितों को लाभ होता है। इन्द्रियाँ प्रशिक्षित होती हैं कौशलों का विकास होता है। इसमें दूरदर्शन का महत्वपूर्ण योगदान है। इस प्रकार असमर्थी बालकों को कम्प्यूटर से भी सहायता मिलती है। दृष्टि बाधितों में प्रत्येक का अपना व्यक्तित्व होता है और अपनी ही आवश्यकताएँ और समस्याएँ होती हैं। प्रत्एक की अपनी विशेषताएँ तथा दोष होते है। उसके विकास में उनकी बाधिता शिक्षण में बाधा नहीं होती है।

नोट

आंशिक रूप से दृष्टि बाधित तथा पूर्ण रूप से दृष्टि बाधित बालकों के शिक्षण में निम्नलिखित अभ्यास कराए जाए—

(1) विभिन्न प्रकार के प्रकाशों में रखा जाए तथा उनके सम्बन्ध में कुछ कहने और देखने को प्रोत्साहित किया जाए जिससे शब्दावली में वृद्धि होगी।

(2) वस्तु के निरीक्षण में पर्याप्त समय दिया जाय और रंगीन प्रकाश दिया जाए। आकर्षक खिलौनों को पहचानने के लिए दिया जाए।

(3) उनसे चित्रों, आकृतियों को बनाने के लिए कहा जाए।

(4) वस्तुओं के आकार के बोध हेतु स्पर्श कराया जाए और लम्बाई और चौड़ाई का ज्ञान दिया जाए।

(5) स्मृति के विकास में संकेतों का प्रयोग किया जाए जटिलता को कम करने के लिए विशिष्ट क्रम में रखा जाए।

(6) गेंद को फेंकने तथा पकड़ने का अभ्यास कराया जाए।

(7) उन्हें आकृति और पृष्ठभूमि का शिक्षण दिया जाए। प्रस्तुतीकरण का सरलीकरण हो।

(8) दृष्टि इन्द्रिय में सहयोग का अभ्यास कराया जाए—कागज की आकृति मिट्टी के बर्तन, खिलौने, रस्सी खींचना आदि।

(9) प्रत्ययों का शिक्षण दिया जाए।

(10) तथ्यों एवं घटनाओं का भी बोध कराया जाए।

इन क्रियाओं के अभ्यास से इनमें अधिगम की सक्षमता का विकास होगा और विद्यालय में उनकी उपलब्धि होगी। सामान्य शिक्षण द्वारा उन्हें प्रोत्साहित करने के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करे इससे उनके शैक्षिक आकांक्षा स्तर में वृद्धि हो सकती है।

टास्क ब्रेल लिपि का अविस्कार किसने किया?

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

दिए गए कथनों के सामने सही (✓) अथवा गलत (×) का निशान लगाएँ –

(State whether the following statements are 'True' or 'False')

1. दृष्टिबाधितों हेतु शिक्षा का प्रबंध यदि राज्य सरकार द्वारा नहीं है तो समाज सेवक इसका प्रबंध कर सकते हैं।
2. दृष्टिबाधितों की शिक्षा में छात्रावास की कमी एक बड़ी समस्या है।
3. आंशिक रूप से देखने वाले बालक को विशेष कक्षा में ही रखना उचित होगा।
4. एक औसत बालक के लिए पुस्तक की छपाई 10 या 12 अंक के टंकण में होती है पर आंशिक रूप से देखने वाले बालकों के लिए यह 18 से 24 अंक के टंकण में होनी चाहिए।
5. दृष्टिबाधितों को सामान्य बालकों जैसे गृह-कार्य भी दिए जाएँ ।

9.2 सारांश (Summary)

- **दृष्टि बाधितः शिक्षण आव्यूह एवं निवारण—** दृष्टि बाधित बालकों को शिक्षा देने का सबसे अच्छा तरीका विशेष कक्षाओं का आयोजन है। एक विद्यालय में ऐसे बालकों की संख्या 1 से 500 तक होती है अध्यापक इस बात का निर्णय कर सकता है कि क्या उनके लिए विशेष कक्षा का आयोजन किया जाय तथा कौन-कौन-सी सुविधाएँ प्रदान की जाएँ । एक कक्षा में स्कूल, समुदाय तथा समाज का कार्य हो सकता है। इस कक्षा में विभिन्न श्रेणियों के बालक हो सकते हैं। गाँवों में भी आंशिक रूप से देखने वाले बालकों के लिए विशेष कक्षा का प्रबन्ध होना चाहिए। अनेक गाँव मिलकर इस कक्षा का निर्माण कर सकते है। गाँव के बालक नजदीक के शहर भी जा

नोट

सकते हैं और अगर सम्भव व आवश्यक हो तो छात्र छात्रावास में भी रह सकते हैं। राज्य के शिक्षा निदेशक को चाहिए कि गाँवों में ऐसे अध्यापकों की सहायता करें, जिनकी कक्षा में आंशिक रूप से देखने वाले बालक हैं। यदि राज्य द्वारा शिक्षा का प्रबन्धन नहीं है तो समाज सेवक इसका प्रबन्ध कर सकते हैं।

- **शैक्षिक माध्यम तथा संसाधन व्यवस्था–** ऐसे बालक जो दृष्टि बाधित होते है, उनसे देखने वाले कार्य कम कराने चाहिए। रोशनी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय हैं–

(1) **शैक्षिक माध्यम**–ऐसे बालकों के लिऐ शैक्षिक माध्यम एक बड़े पैमाने पर है। एक औसत बालक के लिए किताब 10 या 12 अंक के टंकण में होती है, पर आंशिक देखने वाले कारकों के लिए 18 या 24 अंक के टंकण में होती है। प्रिन्ट साफ तथा विस्तृत होना चाहिए।

(2) **रोशनी**–प्राकृतिक तथा बनावटी दोनों प्रकार की रोशनी सभी बालकों के लिए महत्व रखती है। यह कम देखने वाले बालकों के लिए और भी अधिक महत्व रखती है। ऐसे बालकों का कमरा पूर्णरूप से हर स्थान से रोशनीयुक्त होना चाहिए।

(3) **फर्नीचर**–एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकने वाला फर्नीचर अधिक अच्छा होता है। इन्हें बालक किसी भी स्थान पर ले जाकर बैठ सकते हैं। फर्नीचर इस प्रकार का हो जो पढ़ते हुए बालक के लिए उपयुक्त हो।

- **अध्यापक की भूमिका–** सार्वभौमिक परिदृश्य में यदि देखा जाए तो अध्यापक का अत्यन्त महत्व है। दृष्टि बाधित बालकों के अध्यापकों को आँख की बनावट, सफाई, आँख की सामान्य बीमारियों तथा कठिनाइयों से परिचित होना चाहिए। उसे दवाइयों, रोशनी, शारीरिक सामान तथा शैक्षिक सामान का प्रबन्धन करना चाहिए। पढ़ाई की उचित विधि से परिचित होना चाहिए। उसे मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षिक कठिनाइयों के साथ-साथ संवेगात्मक कठिनाइयों को पहचानना चाहिए। उसे बालक की वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं को पहचानना चाहिए।
- उसे बालक में ऐसी क्षमता उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए कि वह अपनी शारीरिक कमजोरी के हीन विचार को मन में न लाए। उसे बालको के माता-पिता से भी मिलना चाहिए।

9.3 शब्दकोश (Keywords)

1. **धनात्मक–**जोड़कर, जोड़ने के पश्चात्।
2. **उत्तल–**फैला हुआ, स्पष्ट, उर्ध्वमुख, जिसका तल उठा हो।

9.4 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

1. दृष्टिबाधित बालकों हेतु शिक्षण आव्यूह एवं उनके निवारण पर प्रकाश डालिए।
2. दृष्टिबाधितों के शिक्षण में अध्यापक को भूमिका का उल्लेख करें।

उत्तर : स्व-मूल्यांकन (Answer: Self Assessment)

1. सही 2. गलत 3. गलत 4. सही 5. सही।

9.5 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

पुस्तकें

1. *विशिष्ट बालक–* एल. बी. बाजपेयी, अमिता बाजपेयी, भारत बुक सेंटर, नई दिल्ली।
2. *विशिष्ट बालक: शिक्षा एवं पुनर्वास–* महेश भार्गव, एच. पी. भार्गव बुक हाउस, आगरा।
3. *विशिष्ट शिक्षा का प्रारूप–* डॉ. आर. लाल. शर्मा, आर. लाल. बुक डिपो, आगरा।

नोट

इकाई–10: वाणी एवं श्रवण बाधितः परिभाषा, प्रकार एवं विशेषताएँ (Speech and Hearing Impaired: Definition, Types, Characteristics)

अनुक्रमणिका (Contents)

उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तावना (Introduction)

10.1 वाणी एवं श्रवण बाधित का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition of Speech and Hearing Impaired)

10.1.1 वाणी बाधित का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and definition of Speech Impaired)

10.1.2 श्रवण बाधित का अर्थ (Meaning of Hearing Impaired)

10.2 वाणी एँव श्रवण बाधितें के प्रकार (Types of Speech and Hearing Impaired Children)

10.2.1 वाणी बाधित बालकों के प्रकार (Types of Speech Impaired)

10.2.2 श्रवण बाधित बालकों के प्रकार (Types of Hearning Impaired)

10.3 वाणी एवं श्रवण बाधितें की विशेषताएँ (Characteristics of speech and Hearing Impaired children)

10.3.1 वाणी बाधित बालकों की विशेषताएँ (Characteistics of Speech Impaired Children)

10.3.2 श्रवण बाधित बालकों की विशेषताएँ (Charastristics of Hearing Impaired Children)

10.4 सारांश (Summary)

10.5 शब्दकोश (Keywords)

10.6 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

10.7 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

उद्देश्य (Objectives)

विद्यार्थी इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् सक्षम होंगे–

- वाणी एवं श्रवण बाधित बालकों के विषय में विभिन्न प्रकार की महत्त्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

प्रस्तावना (Introduction)

श्रवण मौखिक संदेशवाहकता (Oral communication) व भाषा विकास (Language development) का मुख्य ज्ञानोंद्रिय मार्ग है। श्रवण बोध (Hearing) दोष-युक्त होने पर बालक की शाब्दिक अभिव्यक्ति का विकास भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। इसके अतिरिक्त श्रवण अधिगम व मानसिक परपक्वता के विभिन्न पक्षों को भी प्रभावित करता है।

कानों द्वारा सुनने में बाधा से उत्पन्न अयोग्यता व्यक्ति विशेष को श्रवण विकलांग बनाती है। शैक्षिक दृष्टि से, "श्रवण विकलांगता ऐसी शारीरिक नियोग्यता है जो बालक को मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा शिक्षा ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न

नोट

करती है।" सामान्यत: शिक्षण की प्रक्रिया में मौखिक विद्या का अपना महत्त्व है। इसलिए श्रवण विकलांग बालकों को भी अतिरिक्त सहायता (उपकरण) या विशिष्ट शिक्षण की आवश्कता होती है।

वाक् सौष्ठव (बोलने की कला) मौखिक अभिव्यक्ति की आधार शिलाा है। यह एक मात्र साधन है जिसपर भाषा का विकास पूर्णत: अवलंबित है। मनोभावों एवं अनुभावों को वाणी द्वारा प्रगट करना, दृश्यों एवं स्थलों का वर्णन, घटनाओं का उल्लेख पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आदि में भाषा का प्रयोग स्वाभाविक है। इसी भाषा का अर्थपूर्ण व स्पष्ट रूप वाक् शुद्धता पर निर्भर करता है।

10.1 वाणी एवं श्रवण बाधित का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition of Speech and Hearing Impaired)

10.1.1 वाणी बाधित का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and definition of Speech Impaired)

वाणी बाधित से अभिप्राय है भाषा तथा वाणी (बोलने) में समस्या होना। सामान्य कक्षाओं में वाणी बाधित और सामान्य रूप से भाषा में बाधित बालक होते हैं। ऐसे बालक कभी-कभी अध्यापक का ध्यान भी आकर्षित नहीं कर पाते तथा सरलता से ऐसे बालकों में किसी प्रकार का दोष नही मालूम पड़ता। ऐसे बालक बोलते या लिखते समय शब्दों का प्रयोग तोड़-मरोड़ कर, अपंभ्रश करके, कुछ शब्द अपनी तरफ से जोड़कर अथवा दूसरे शब्दों अथवा अक्षरों का विस्थापन करके अपना कार्य करते हैं। ऐसे बालक किसी वाक्य को रुक-रुक कर बोलते हैं। दो या तीन शब्दों के बीच बोलने में सामान्यतया अधिक समय लेते हैं अथवा कभी-कभी बोलते-बोलते चुप भी हो जाते हैं। ऐसे बालकों की समस्या को सुधारना आवश्यक है। इससे पहले कि उन्हें सामान्य स्कूल में शिक्षा के लिए प्रवेश दिलाया जाएँ। बालक की वाणी असमर्थता (Speech disorders) मुख्यतया तीन प्रकार की होती है–

(अ) बालक की आवाज का व्यवस्थित न होना,

(ब) बालक के उच्चारण में अस्पष्टता तथा

(स) बालक के बोलने में धारा प्रवाह अभिव्यक्ति का न होना।

'वाणी बाधित' वे बालक हैं जो मुख की आवाज, बोले गये शब्दों में तालमेल, तथा शब्दों को संयोजित करने में कठिनाई का सामना करते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि वे बोलते समय शब्दों को छोड़ देते हैं, बदल देते है, तोड़-मरोड़ देते हैं या अपनी ओर से कुछ जोड़ देते हैं। ऐसे बालक शब्द अथवा वाक्य को ठीक प्रकार से नहीं बोल सकते। यह समस्याएँ शरीर के अंगों में कमी के कारण होती हैं। शब्दों को ठीक प्रकार से संयोजित न कर पाने के कारण उनकी भाषा के स्वरूप को भी दूषित कर देती है। ऐसे बालकों के बोलने में कुछ शब्दों पर जोर देकर उनको बोलना, बोलते-बोलते रुक जाना, उनकी आवाज कभी धीमी, कभी तेज हो जाना आदि आसानी से कोई भी देख सकता है। जो सामान्य बालकों के बोलने के ढंग से सर्वथा भिन्न होता है। बाधित बालकों के बोलने की लय तथा क्रम टूट जाता है तथा उनकी आवाज में हकलाहट होती है अर्थात बोलते समय बालक हकलाता है। यह (Fluency disorder) धारा प्रवाह बोलने की अक्षमता कहलाती है।

राइंपर (1978) के अनुसार–"बालक जिसको संप्रेषण में समस्या होती है और उसका स्वर या वाणी अन्य सामन्य बालकों से भिन्न प्रकार की होती है। वह स्वयं भी सजग होता है कि वह अपनी बात कहने में असमर्थ है। उसकी वाणी मधुर नहीं होती है।"

पारकिन्सन (1977) के अनुसार–"वाणी बाधित तभी माना जाता है जब व्याकरण की दृष्टि से सांस्कृतिक रूप से असतोषजनक हो क्योंकि वाणी अंग क्षतिग्रस्त है। इसका संप्रेषण दोषयुक्त होता है।"

जॉन डिसेनसन के अनुसार–"जब कोई बालक बोलता है और श्रोता की दृष्टि से समुचित संप्रेषण नहीं होता है ध्यान देने पर भी स्पष्ट नहीं होता तब वाणी बाधित अथवा भाषा का दोष मानते हैं।"

पिन्टर आट सेन्सन के अनुसार–"वाणी को दोषयुक्त तब मानते है जब वे सरलता से नहीं सुन पाते हैं। वाणी बाधित

का स्वर भी अच्छा नहीं होता है। बालक संमप्रेषण उसकी आयु और बुद्धि स्तर के अनुरूप नहीं होता है। शारीरिक विकास की अवस्था से निम्न स्तर का होता है।"

वाणी बाधित का सीधा संबन्ध संप्रेषण के स्वरूप और भाषा से होता है। उससे संप्रेषण के कठिनाई होती है तथा श्रोता को अच्छा नहीं लगता है।"

10.1.2 श्रवण बाधित का अर्थ (Meaning of Hearing Impaired)

श्रवण बाधित बालक ऐसे बालक हैं जिनकी सुनने की क्षमता नष्ट हो जाती है तथा बोलने और भाषा में परेशानी का सामना करते हैं। ऐसे बालकों को किसी अन्य व्यक्ति की भाषा सुनने तथा समझने में पेरशानी होती है क्योंकि ये सुनने की क्षमता खो चुके होते हैं। सभी बालकों के श्रवण बाधित की क्षमता समान नहीं होती है। जो बालक सुनने की क्षमता को पूर्ण रूप से खो देते हैं वे अन्य बालकों की अपेक्षा गम्भीर रूप से कठिनाइयों का सामना करते हैं। इस प्रकार श्रवण बाधित बालक या तो बहुत कम सुन पाते हैं या पूर्णतया नहीं सुन पाते, वे बहरे होते हैं।

कम सुनने वाले बालक वे हैं जो श्रवण क्षमता को कुछ सीमा तक खो देते हैं। ऐसे बालक जोर से की गई ध्वनि अथवा बोली गई आवाज को सुन सकते हैं। इस प्रकार की आवाज को सुनने के लिए उन्हें श्रवण यन्त्र की आवश्यकता नहीं होती है। श्रवण यन्त्र यदि इन्हें उपलब्ध हो तो आवाज को और अच्छी प्रकार से सुन सकेंगे। ऐसे बालकों को सामान्य स्कूलों में तथा सामान्य बालकों के साथ शिक्षा देने में कठिनाई नहीं आती। ऐसे अधिकांश बालक सामान्य शिक्षा कक्ष में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। गम्भीर श्रवण बाधित वे बालक हैं जो जोर से बोली गई आवाज को भी सुनने में असमर्थ हैं। ऐसे बालकों को विशिष्ट प्रविधियों द्वारा प्रारम्भिक निपुणता की आवश्यकता होती है तथा इसके पश्चात बालकों का सामान्य स्कूल में शिक्षा के लिए प्रवेश कराया जा सकता है। श्रवण यन्त्र उन्हें सुनने तथा कार्य करने में सहायक होता है।

श्रवण बाधित अथवा श्रवण दोषयुक्त बालक को श्रवण प्रशिक्षण तथा श्रवण यन्त्र की विशेष रूप से आवश्यकता होती है। शिक्षण परिस्थितियों में उसे सुनने की अपेक्षा, वस्तुओं को दिखाकर शिक्षा दी जानी चाहिए। ऐसे बालकों की कुछ विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विशेषज्ञों जैसे ऑडियोलोजिस्ट तथा नाक, कान गले के चिकित्सक उपलब्ध होने चाहिए। ऐसे बालकों की विशिष्ट आवश्यकताएँ उनकी श्रवण क्षमता के कम होने की सीमा तथा प्रकार पर निर्भर करती है। विशेषज्ञों की आवश्यकता बालक के द्वारा घर पर अथवा स्कूल में दिए गये प्रशिक्षण पर भी निर्भर करती है।

जब किसी बालक के श्रवण अंगों में कोई दोष होता है तब उसे श्रवण बाधित कहते हैं। ये दोष कान के बाहर, अन्दर तथा मध्य में भी हो सकता है। श्रवण बाधित से बालक सुनने में असमर्थ हो जाता है। जिसे श्रवण असमर्थता भी कह सकते हैं। कुछ व्यक्ति पूर्ण रूप से बहरे होते हैं या उन्हें बहुत कम सुनाई देता है। कुछ बालक जन्म से ही श्रवण बाधित होते हैं तथा कुछ जन्म के बाद किसी रोग से पीड़ित होने के परिणाम स्वरूप श्रवण बाधित हो जाते हैं। साधारणत: श्रवण बाधित बालक में वाणी का भी दोष होता है। इस प्रकार वो दोनों श्रवण और वाणी बाधित होते हें। श्रवण बाधित बालक की श्रवण इन्द्रिय सामान्य रूप से कार्य नहीं करती। इसलिए उन्हें सुनने में कठिनाई होती है और वह सहायक यन्त्रों का प्रयोग करके अपना काम चला लेते हैं। ऐसे बालक सामान्य बालकों के साथ पढ़ लिख सकते हैं।

10.2 वाणी एवं श्रवण बाधितें के प्रकार (Types of Speech and Hearing Impaired Children)

10.2.1 वाणी बाधित बालकों के प्रकार (Classification of Speech Impaired children)

बोलने के दोष में आशु उच्चारण, हकलाना, आवाज की समस्या तथा अंगी दोष आदि आते हैं जो विद्यालय के लिए समस्या बनते हैं और विद्यालय व्यवस्था में अशुद्ध उच्चारण व हकलाने आद की समस्या अधिकांशत: रहती है जिसका मूल कारण यह है कि शुरू की शैशवास्था में यह दोष बालपन के कारण नजरअंदाज कर दिये जाते हैं। लेकिन बाद

नोट

में यह एक समस्या के रूप में अवतरित होते हैं। वैसे सामान्य पाठ्यक्रम में यह बच्चे चल जाते हैं लेकिन सामान्य शैक्षिक प्रविधि में यह बालक नहीं चल पाते और इनको कोई बात या उच्चारण दोष सामान्यत: सही रूप में समझ नहीं आता। वाणी दोष के कुछ प्रमुख प्रकार यहाँ दिए गए हैं–

(1) प्रक्रियात्मक उच्चारणात्मक दोष (Functional Articulatory Defect)

(2) हकलाना (Stammering)

(3) आवाज की समस्या (Voice Problems)

(4) अंगीय वाणी के दोष (Organic Speech Defects)

(5) कम सुनने वाले बालकों के साथ वाणी की समस्या

(6) देर से बोलने का विकास (Retarded Speech Development)

(1) प्रक्रियात्मक उच्चारण दोष (Functional Articulatory Defect)

यह दोष अधिकतर बालकों में पाया जाता है। यदि बालक कुछ ध्वनियाँ नहीं निकाल पाता; जैसे-'तोता' शब्द को 'तो' कहता है और 'ता' शब्द उच्चारित नहीं कर पाता, तो उसमें उच्चारणात्मक दोष है। एक ध्वनि के लिए दूसरी ध्वनि देना भी इसी प्रकार का दोष है; जैसे-'तोता' शब्द को 'टोटा' कहना। इस प्रकार के दोष वाले बालक कभी कोई ध्वनि बहुत धीरे से हकलाते हैं या किसी ध्वनि को टेढ़ा करके उच्चरित करते हैं। किसी ध्वनि पर रुक जाना भी उच्चारणात्मक दोष कहलाता है। बालक द्वारा त्रुटिपूर्ण उच्चाराणात्मक ध्वनि निकालने पर इसे पढ़ाने का दोष या व्याकरण संबन्धी दोष नहीं समझना चाहिए। प्रक्रिया उच्चारणात्म दोष के दो मुख्य कारण हैं–(अ) त्रुटि पूर्ण अधिगम, (ब) अंगीय दोष, जैसे– मुँह की बनावट का दोषपूर्ण होना अथवा सुनने में दोष होना। अधिकतर बालकों में अंगीय दोष नहीं होता है। उन्हें यह सीखना चाहिए कि लोगों को बोलते समय ध्यानपूर्वक सुनें।

इस प्रकार के दोष वाले बालक 70 से 85 प्रतिशत होते हैं। इनमें आधे बालक स, श, ष की ध्वनि भली प्रकार नहीं निकल पाते। 6 वर्ष की आयु में एक बालक 90 प्रकार की आवाजें निकाल सकता है।

नोट्स यदि बालक केवल 10 ध्वनियाँ गलत उच्चारित कर पाता है, तो उसे गम्भीर उच्चाराणात्मक दोष नहीं समझाना चाहिए। यह वास्तव में अक्षमता नहीं है। अपितु भाषा दोष हो सकता है।

(2) हकलाना (Stammering)

1000 बालकों में 6 से 10 बालक हकलाने वाले होते हैं। यह बोलने के भय का विस्तृत रूप है। हकलाने में बालक बोलने में हिचकिचाता है, बोलने में रुकावट का अनुभव करता है, शब्दों को दोहराता है। बोलने में उसे उलझन महसूस होती है। कभी-कभी मुँह पर भी उलझन के भाव आते हैं, जैसे–आँख बन्द करना, शरीर के अंगों को हिलाना, डुलाना। इस समस्या का मुख्य भाग है– बालक का भय कि वह वाक्य शुरूकर पाएगा या नहीं। वाक्य को पूरा न कर पाने की चिन्ता भी रहती है। कभी-कभी बालक बचपन में ठीक से नहीं बोल पाता है। इसका कारण गति की अयोग्यताये हैं जो बोलने को प्रभावित करती हैं और स्नायु वाणी बन्द (Neurotic Speech Blockage) हो सकता है। ऐसी स्थिति में इसे हकलाने संबन्धी दोष नहीं समझना चाहिए। हकलाना स्कूल आयु से पहले 3 वर्ष की आयु से आरम्भ होता है। हकलाने पर अनुसन्धान हुए हैं। *हिल* के द्वारा 150 मनोवैज्ञानिक तथा बाइकेमिकल अध्ययन किये गये हैं। *जॉनसन* ने भी इस क्षेत्र में अनुसन्धान किए हैं। इन अनुसन्धानों तथा अन्य कई अध्ययनों से पता चलता है कि हकलाना चिन्ता-प्रेरित-व्यवहार (Anxiety-motivate-Behavior) का ही रूप है। अक्सर माता-पिता तथा अध्यापक इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। डॉक्टर कहते हैं– हकलाना बन्द करो। इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसका कारण है कि डाँट या आज्ञा से बालक उलझन में पड़ जाते हैं भय से वे कम बोलते हैं। फलस्वरूप अधिक हकलाने लगते हैं। माता-पिता और चिन्तित होते हैं। बालक और अधिक अच्छा बनने का प्रयत्न करते हैं और अधिक हकलाने लगते हैं। यह प्रक्रिया चलती

रहती है। कभी-कभी हकलाना परिवार में होता है। एक परिवार में हकलाने के दो कारण हो सकते हैं–(अ) व्रशानुक्रम तथा (ब) वातावरण। यदि घर में बड़े व्यक्ति हकलाते हैं तो बच्चे भी हकलाना शुरू कर देते हैं।

पहले यह समझा जाता था कि एक बायें हाथ वाले को यदि दायें हाथ वाला बनाने का प्रयत्न किया जाएँ तो वह हकलाना शुरू कर देता है। वास्तव में ऐसा नहीं है। यह हो सकता है कि माता-पिता तथा अध्यापक इस संबन्ध में उसे इतना परेशान करें जिससे वह हकलाना शुरू कर दे। अत: उन्हें स्नेह द्वारा दायें हाथ से कार्य करने की शिक्षा देनी चाहिए। यदि तब भी बालक बाये हाथ पर ही बल देते हैं तो उन्हें वैसा ही रहने देना चाहिए। अनुसन्धानों से हकलाने का कोई अंगीय (Organic) कारण नहीं पता चलता है। अत: यही कहा जा सकता है कि माता-पिता का व्यवहार इसका बहुत बड़ा कारण है।

(3) आवाज की समस्या (Voice problem)

आवाज की समस्या भी एक बड़ी समस्या है क्योंकि सामान्यत: इसे दोष नहीं माना जाता, जबकि कर्टिस ने इस पर एक विस्तृत अध्ययन किया है। *कर्टिस* (Curtis) के अनुसार– "Estimates vary but probably from 1 to 2 percent of school children present significant voice problem."

मनुष्य की आवाज का स्वर स्तर, उच्चता, तथा गुण द्वारा किया जा सकता है। इन्हीं से संबन्धित आवाज के दोष हैं, जो इस प्रकार हैं–

(अ) *स्वर के दोष*– बहुत ऊँचा बोलना या बहुत धीरे बोलना या एक स्वर में बोलना। एक प्राकृतिक स्वर स्तर होता है। यदि कोई व्यक्ति इस स्तर से बहुत अधिक ऊँचा या नीचा बोलता है तो उसका स्वर दोषपूर्ण होता है।

(ब) *एक आवाज*– जो बहुत ऊँची अथवा धीमी है या बिना उतार-चढ़ाव वाली है, यह भी दोषपूर्ण मानी जाएँगी। ये प्रवृत्तियाँ उन बालकों में होती हैं जो शर्मीले प्रकृति के होते हैं। कभी-कभी बालक दूसरों को आकर्षित करने के लिए भी ऐसा करते हैं। इसका कारण स्वर यन्त्र में लम्बे समय से सूजन (Chronic Laryngitis) भी हो सकता है।

(स) *गुण संबन्धी दोष मुख्यत:*–(*i*) नाक से बोलना, (*ii*) साँस ले-ले कर बोलना, (*iii*) आवाज में भारीपन, (*iv*) आवाज में कसीलापन। नाक से बोलने का कारण कम मुँह खोलना तथा होठों को कम चलाना है। साँस ले-लेकर बोलने का कारण स्वर तन्त्रों (Vocal Cords) में अधिक हवा का आना-जाना है। यह भय अथवा अन्य गलत आदतों के कारण होता है। भारीपन का कारण स्वर यन्त्र तथा स्वर तन्त्र में सूजन है। यह जुकाम या स्वर यन्त्र में सूजन के कारण हो सकता है। स्वर में कसीलेपन का कारण बोलने में अधिक जोर देना है। अध्यापक को किशोरावस्था में होने वाले आवाज के परिवर्तन से परिचित होना चाहिए ताकि वह इस परिवर्तन को आवाज के विभिन्न गुण संबन्धी दोष न समझ ले। उसे गम्भीर गुण संबन्धी दोषों के लिए बालक को डाक्टर को दिखाना चाहिए। उसके कान, नाक तथा गले का इलाज करना चाहिए।

(4) अंगीय बोलने के दोष (Organic Speech Impaired)

सन् 1800 में 1 बालक प्राय: *हेरलिप* (Harelip) या *तालु प्लेट* (Cleft Plate) द्वारा पीड़ित होता है। तालु प्लेट में वायु मुँह तथा नाक के छेद से बिना रुकावट के आती-जाती है। अत: बालक नाक से बोलने लगता है। प्राय: ऐसी स्थिति में प, ब, ट, ड, क, ज वह नाक से बोलते हैं। अन्य शब्द भी नाक से बोल सकता है। *हैरलिप* को जन्म के बाद शल्य चिकित्सा द्वारा ठीक किया जा सकता है। कठोर अथवा मुलायम तालु को भी शल्य चिकित्सा द्वारा ठीक किया जा सकता है। अगर इस प्रकार ठीक नहीं होता तो औबट्यूरेटर्स का, जोकि कृत्रिम प्लेट में मिलते हैं, का प्रयोग किया जाता है। परन्तु न तो शल्य चिकित्सा और न ही औबट्रेटर्स बोलने के दोष को पूर्णत: दूर कर सकता है। फिर भी अंगीय दोषों को दूर करने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। उनके सामाजिक समायजोजन की ओर भी ध्यान देना चाहिए। मानसिक पक्षाघात को कुछ लोग संक्रामक लकवा मानते हैं। यह अनेक प्रकार के होते हैं, जिनमें से निम्नलिखित प्रमुख हैं–(*i*) संक्रामक (Spastic), (*ii*) शारीरिक (Athetotic), (*iii*) गति विभ्रम (Ataxic) । प्राय: 75 प्रतिशत मस्तिष्कीय

नोट

पालसी से पीड़ित बालकों को पढ़ाया जा सकता है। इसके लिए उन्हें शारीरिक रूप से ठीक होना चाहिए। असन्तुलित भोजन, गर्भाश्य के समय के दोष, पैदा होते समय की चोट तथा बचपन का आघात मस्तिष्कीय पालसी रोग का कारण हो सकते हैं। प्राय: ऐसे बालकों, जिन्हें मस्तिष्कीय पालसी होती है, का बोलना अस्पष्ट, धीमा, जोर देकर तथा झटके वाला होता है। इनकी ध्वनि अनियन्त्रित होती है। ऐसे बालकों के साथ सामाजिक तथा शैक्षिक सामंजस्य की समस्या होती है।

(5) कम सुनने वाले बालकों के साथ बोलने की समस्या

बोलने की समस्या कभी-कभी कम सुनने वाले बालकों के साथ भी होती है। यह दोष सुनने के दोष पर निर्भर रहता है। कानो द्वारा बोलना सीखते है। जब बालक ठीक से नहीं सुन पाता तो वह अनुमान लगाता है कि बोलने वाले ने क्या बोला होगा? कभी वह स्वयं की आवाज ठीक से नहीं सुन पाता इस कारण उसे पता नहीं चलता कि उसकी आवाज ठीक से निकली है अथवा नहीं। 100 में से तीन विद्यार्थियों की सुनने की शक्ति कम होती है। अनेक बालकों में सुनने के दोष, जिससे बोलने के दोष उत्पन्न होते हैं, बचपन में हुए जुकाम, इन्फ्ल्यूएन्जा तथा अन्य सामान्य बीमारियों के कारण हो जाते हैं। इसके प्रभाव स्थायी होते हैं। यदि प्रारम्भ में ही चिकित्सा की ओर ध्यान नही दिया गया तो बालकों में गम्भीर सुनने से संबन्धित दोष उत्पन्न हो सकते हैं। इसके फलस्वरूप बालक बोलने के गम्भीर दोषों से पीड़ित हो सकता है। इस संबन्ध में प्रशिक्षण कार्यक्रम होना चाहिए। बालकों को सुनने की मशीन द्वारा सुनना सिखाना चाहिए।

(6) मन्दित वाणी का विकास (Retarded Speech Development)

100 बालकों में से 5 बालकों में देर से बोलन का विकास होता है। निम्नलिखित क्षेत्र बोलने से संबन्धित वे क्षेत्र हैं जिनमें देर से उन्नति देखी जाती है- (1) बचपन में बोलने के खेल की संख्या, (2) पहला शब्द या पहला वाक्य कहने की अवस्था, (3) सही उच्चारण, (4) बोलने की सामान्य बुद्धि, (5) उत्तर देने में देरी, (6) शब्दों की संख्या, (7) बोलने का अभयास, (8) सही ध्वनि प्रयोग। देर से बोलने के सामान्य कारण हैं–(*i*) मानसिक असामान्यता, (*ii*) बीमारी या शारीरिक अयोग्यता, (*iii*) बोलने के उद्दीपन का अभाव, (*iv*) माता-पिता का चुप रहना, (*v*) माता-पिता द्वारा कठोर व्यवहार देना या डाँटना तथा (*vi*) सदैव, क्रोध या शर्म करना, अथवा संकोची होना।

10.2.2 श्रवण बाधित बालकों के प्रकार

वे समस्त बालक जिन्हें सुनने के संबन्ध में कोई कठिनाई है श्रवण बाधित बालक कहलाते हैं। ध्वनि का परिसर 1से 130 डेसिबल्स (Decibles) होता है। 130 डेसीबल्स के ऊपर की ध्वनि दर्द की संवेदना देती है। ध्वनि के परिसर के अनुसार श्रवण बाधित बालकों को चार भागों मे बाँटा जा सकता है–

(1) **कम श्रवण बाधित बालक (Mild Hearning Loss Child)–** सामान्य बातचीत का स्तर 65 डेसीबल्स होता है। किंचित श्रवण बाधित बालकों को 35-51 डेसीबल्स का श्रवण बाधित होता है, अर्थात ये बालक 54 डी. वी. तक की ध्वनि को नहीं सुन पाते हैं यदि सामान्य स्तर पर बातचीत की जाए तो ये बालक आसानी से सुन लेते हैं परन्तु उससे धीमे स्तर से बोलने पर ये बालक नहीं सुन पाते हैं।

(2) **मन्द श्रवण बाधित बालक (Moderate Hearning Loos Child)–** ये बालक 55-69 डेसीबल्स का क्षय रखते हैं अत: सामान्य स्तर, अर्थात 65 डेसिबल्स स्तर पर बोलने पर ये बालक सामान्यत: नहीं सुन पाते। थोड़ा ऊँचा बोलने पर सुन पाते हैं।

(3) **गम्भीर रूप से श्रवण बाधित बालक (Severely Hearning Impaired Child)–** इन बालकों में 70-89 डेसीबल्स श्रवण बाधित होती है और ये काफी ऊँचा बोलने पर जो सामान्यत: कठिन होता है सुन पाते हैं।

(4) **पूर्ण श्रवण बाधित बालक (Profoundly Hearning Impaired Child)–** ऐसे बालकों को श्रवण बाधित 90 और इससे आगे डेसीबल्स स्तर का होता है। ये बहुत ऊँचा बोलने पर भी कुछ ही शब्द सुन पाते हैं अथवा कुछ अक्षर सुन लेते हैं तो कुछ बालक कुछ भी नही सुन पाते हैं। ये बधिर (Deaf) हैं। इस वर्गीकरण को सारांश रूप में निम्नलिखित तालिका में दिया गया है–

नोट

श्रवण बाधित का वर्गीकरण

(Classification of Hearing Impairment)

स्तर	श्रवण बाधित के प्रकार	डेसीबल्स स्तर	बाधित प्रतिशत
1	कम बाधित बालक	35 से 51 डी. बी. तक	40 प्रतिशत
2	मन्द बाधित बालक	55 से 69 डी.बी. तक	40 से 50 प्रतिशत
3	गम्भीर बाधित बालक	70 से 89 डी. बी. तक	50 से 75 प्रतिशत
4	पूर्ण/गहन बाधित बालक	90 से 100 डी. बी तक	100 प्रतिशत

उपरोक्त वर्गीकरण का मुख्य आधार बाधित का प्रतिशत और डी. बी. का स्तर है। अन्य प्रकार से श्रवण बाधितें को वर्गीकृत किया गया है। जिसमें भाषा का अनुभव, गतिविधि की समस्याएँ और केन्द्रीय श्रवण बाधित मुख्य हैं।

आचरण में श्रवण बाधित को चार वर्गों में विभाजित किया है–

(1) आधुनिक विशेषज्ञों ने श्रवण बाधित (Conductive Hearning Loss)

(2) नाड़ी संस्थान श्रवण बाधित (Sensori-neural Hearning Loss)

(3) मनोजैविक श्रवण बाधित (Psychogenic Hearning Loss)

(4) केन्द्रीय श्रवण दोष (Central Auditory Defects)

(1) **आचरण श्रवण बाधित (Conductive Hearning Loss)–** साधारणत: इस प्रकार के बाधित बालकों में आचरण दोष होता है। इस प्रकार के दोष कानों में किसी प्रकार के रोग के कारण उत्पन्न होते है। इन दोषों का चिकित्सा द्वारा उपचार किया जाता है और बालक सामान्य रूप से व्यवहार करने लगते हैं। कभी-कभी गलत चिकित्सा द्वारा इसका प्रभाव विपरीत पड़ता है जिससे वह पहले की अपेक्षा अधिक बाधित हो जाता है और सामान्य व्यवहार नहीं कर पाता है।

(2) **नाड़ी संस्थान श्रवण बाधित (Sensory-neural Hearning Loss)–** कुछ बालकों के आन्तरिक नाड़ी संस्थान में श्रवण दोष आ जाता है और इसका कोई उपचार किसी प्रकार संम्भव नहीं होता। ऐसे बालक श्रवण यन्त्र का प्रयोग करने से सुनने लगते हैं और अपना व्यवहार करने लगते हैं। ऐसे बालकों के शिक्षा प्रवधान के लिए इस तरह के उपायों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाता है और होठो से भाषा सीखने का प्रशिक्षण दिया जाता है। गम्भीर रूप से बाधित बालकों को विशिष्ट विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है।

(3) **मनोजैविक श्रवण बाधित (Psychogenic Hearning Loss)–** इस प्रकार के बालकों के श्रवण बाधित होने का कारण पूर्णत: मनोवैज्ञानिक है। ऐसे बालक अपनी कठिनाइयों को बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत करते हैं। कान में कोई रोग होने की वजह से भी श्रवण दोष आ जाता है। कभी-कभी अचेतन रूप से भी श्रवण बाधित का अनुभव करने लगते हैं और वह कहते हैं कि मेरा कष्ट असहनीय है। ऐसे परिस्थिति में ये पहचानना कठिन हो जाता है कि दोष मनोवैज्ञानिक है या जैविक है। इस प्रकार के बालकों के उपचार में बड़ी सावधानी तथा निदान की आवश्यकता होती है। निदान के आधार पर ही उपचार किया जाना चाहिए।

(4) **केन्द्रीय श्रवण दोष (Central Auditory Defects)–** इस प्रकार की श्रवण बाधित अधिक जटिल होती है, इनका कारण पूर्णत: पैथोलॉजी पर आधारित होता है। इस तरह के बालक ध्वनि के बारे में जानकारी रखते हैं परन्तु उनके अर्थ को नहीं समझ पाते। ऐसे बालकों की संप्रेषण की गम्भीर समस्या होती है। बाल्यकाल में इस प्रकार का दोष अधिक होता है कुछ दवाइयों के कारण इस प्रकार के श्रवण दोष आ जाते हैं। इस तरह के बालकों के उपचार में अधिक कठिनाई होती है क्योंकि सुधार हेतु अधिक समय चाहिए।

नोट

10.3 वाणी एवं श्रवण बाधितें की विशेषताएँ (Characteristics of speech and Hearing Impaired children)

10.3.1 वाणी बाधित बालकों की विशेषताएँ (Characteistics of Speech Impaired Children)

वाणी बाधित उस समय होती है जब सामान्य बालकों से उनकी बोल-चाल भिन्न होती है, जैसे (1) संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होती है, (2) बोलते समय उसे बहुत ही एकाग्र होना पड़ता है, (3) बोलने वाले सुनने वाले दोनों को कठिनाई होती है।

इस प्रकार के जो बालक होते हैं उनकी श्वसन क्रिया असामान्य होती है और उनकी आवाज भी हल्की होती है। जो बोलते है वो स्पष्ट नहीं होता बोलने में संकोच करते हैं तथा धाराप्रवाह नहीं बोल सकते है। इसकी मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं–

1. इनकी आवाज में मधुरता नहीं होती। उनके स्वर का विस्तार असामान्य होता है उनकी आयु के अनुकूल नहीं होता वह जोर से बोलते हैं। इसका कारण यह है कि उनकी स्वर नली में दोष होता है और उनके बोलने में तारतम्य नहीं होता है। कहीं शब्दों को छोड़ते हैं कहीं शब्दों को जोड़ते हैं। शब्दों को तोड़-मोड़ कर भी बोलते हैं, जैसे–लता को यता कहते हैं। स्वर नली में दोष, अंगों तथा नाड़ी दोष के कारण होता है।
2. इस प्रकार के बालक बोलने में शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं उनमें स्वर का दोष हेाता है इसका कारण उनकी जीभ जुड़ी होती है या लम्बी होती है तथा तालु और जबड़े में भी दोष होता है। इस प्रकार का दोष इसलिए भी होता है कि उनका विकास देर से या धीमी गति से होता है। इस प्रकार के दोष गलत सीखने से मनोवैज्ञानिक समायोजन न होने के कारण वातावरण और सांस्कृतिक भिन्नता के कारण भी होता है।
3. कुछ बालकों में स्रोत प्रक्रिया में दोष होना अथवा नाक के स्वर में बोलना जिससे उनमें नासिका का दोष होता है। जिसके कारण वह नाक के स्वर से बोलते है और सुनने वालों को समझने में कठिनाई होती है। इसके अनेक कारण होते हैं– संक्रामक रोग, टॉनसिल्स में सूजन होने के कारण स्वर में इस तरह का दोष आता है।
4. कुछ बालक बोलने में तुतलाते हैं। धारा प्रभावह बोलने में उन्हें कठिनाई होती है, रुक-रुक करके बोलते हैं। इस प्रकार का दोष भी गले और जीभ में दोष के कारण होता है। इन्हें बोलने में संकोच होता है। परन्तु बल पूर्वक बोलते हैं।

टास्क बच्चों में हकलाने के दोष के कारण समसझाइए।

10.3.2 श्रवण बाधित बालकों की विशेषताएँ (Charastristics of Hearing Impaired Children)

श्रवण बाधित बालकों में व्यवहारिक लक्षणों के साथ अन्य गुण भी प्रभावित होते हैं। यदि दृष्टि हीन और बहरे व्यक्ति में से चयन करना हो तो बहरे का चयन किया जाएँगा क्योंकि वह चलने फिरने में और अपनी सांकेतिक भाषा से अपनी बात कह लेता है, क्योंकि श्रवण बाधित अधिक क्रियाशील होते हैं। ऐसे बालकों की कुछ मनोवैज्ञानिक विशेषताएँ पाँच प्रकार की होती हैं–

(1) भाषा तथा वाणी का विकास

(2) बौद्धिक योग्यताओं का विकास

(3) शैक्षिक निष्पत्ति का विकास

(4) सामाजिक और व्यवसायिक समायोजन, तथा

नोट

(5) अन्य विशेषताएँ

(1) भाषा या वाणी का विकास (Language and Speech Development)

(1) श्रवण बाधित बालकों को भाषा सीखने और बोलने के कौशल पर गम्भीर प्रभाव होता है।

(2) इनके गहन प्रशिक्षण के द्वारा भाषा का सामान्य विकास हो पाता है।

(3) श्रवण बाधित बालक की भाषा के उच्चारण में अधिक दोष होता है।

(4) जो बालक जन्म से ही बहरा होता है उसे विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।

(5) ऐसे बालकों की अभिवृत्ति ऐसे होती है कि वो अपने को बोलने में अयोग्य समझने लगते हैं परन्तु यह कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है।

(6) गम्भीर रूप से श्रवण बाधित बालकों की बड़ी कठिनाई यह होती है कि उनमें भाषा का सामान्य विकास नहीं होता है।

(7) ऐसे बालक बहुत कम ही भाषा का प्रयोग पाते हैं।

(8) श्रवण बाधित बालकों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा नहीं दी जा सकती। इनके लिए विशिष्ट विद्यालय, विशिष्ट कक्षा तथा विशिष्ट अध्यापक की आवश्यकता होती है। ऐसे बालक होठों की गतिविधि से समझने का प्रयास करते हैं। इनके शिक्षण में सांकेतिक भाषा का अधिक प्रयोग होता है।

(2) बौद्धिक योग्यता का विकास (Intellectual Development)

(1) श्रवण बाधित बालकों का मानसिक विकास सामान्य बालकों के समान ही होता है।

(2) श्रवण बाधित बालकों की चिन्तन शक्ति सामान्य बालकों के जैसी ही होती है।

(3) ऐसे बालकों में मानसिक मन्दता नहीं होती भाषा के अतिरिक्त अन्य सभी समस्याओं एवं परिस्थितियों को वे समझ लेते हैं।

(4) ऐसे बालकों के बौद्धिक कार्य सामान्य बालकों के जैसे ही होते हैं।

(5) भाषा कौशल की दृष्टि से इन्हें मन्दत बुद्धि बालक कहा जा सकता है। परन्तु इनकी अशाब्दिक भाषा (सांकेतिक भाषा) जिसे शारीरिक भाषा भी कहते हैं। ये अशाब्दिक भाषा द्वारा बौद्धिक कार्य करने में सक्षम होते हैं।

(6) बौद्धिक अशाब्दिक परीक्षा (non-verbal intelligent test) में इनकी बुद्धि लब्धि उच्च स्तर की होती है।

(3) शैक्षिक निष्पत्ति का विकास (Academic Achievement Performance)

(1) शैक्षिक निष्पत्ति की दृष्टि से ऐसे बालकों में अधिक भिन्नता पाई जाती है।

(2) ऐसे बालकों को पढ़ने में भी कठिनाई होती है क्योंकि भाषा का सही विकास नहीं हो पाता।

(3) ऐसे बालकों का बौद्धिक स्तर ऊँचा होता है परन्तु फिर भी शैक्षिक उपलब्धि अधिक नहीं हो पाती है।

(4) ऐसे कुछ ही बालक भाषा को बोद्धगम्य कर पाते हैं और पुस्तकों का अध्ययन कर लेते हैं।

(5) ऐसे बालकों की शैक्षिक निष्पत्ति की स्थिति अच्छी नहीं होती क्योंकि शैक्षिक निष्पत्ति में शाब्दिक योग्यता की अहम् भूमिका होती है।

(4) सामाजिक तथा व्यवसायिक समायोजन (Social and Occupational Adjustment)

(1) श्रवण बाधित बालकों के सामाजिक और व्यक्तित्व संबन्धी विशेषताएँ सामान्य बालकों से भिन्न होती हैं।

(2) ऐसे बालकों में पारस्परिक संप्रेषण की समस्या होती है और शाब्दिक अन्त:प्रक्रिया नहीं होती है।

(3) संप्रेषण की समस्याओं के कारण समाज में इनकी अन्त:प्रक्रिया नहीं हो पाती है। जिससे ये अलग दुनिया में रहते हैं।

नोट

(4) ऐसे बालकों में इच्छाएँ बड़ी प्रबल होती हैं कि उन्हें सामाजिक मान्यता मिले और सामाजिक अन्त:प्रक्रिया भी हो। इस इच्छा की पूर्ति न होने के कारण उनमें हीन भावना का विकास होता है।

(5) इस प्रकार के बालक अपने ही समूह में रहना पसन्द करते हैं और उनसे ही संबन्ध बनाते हैं उनकी रुचियां भी समान होती हैं।

(6) आज बड़ी संख्या में श्रवण बाधित व्यक्ति विभिन्न व्यवसायों में नौकरियाँ कर रहे हैं। कुछ की शैक्षिक योग्यता भी अधिक होती है और वे उच्च पदों पर कार्यरत हैं। परन्तु यह प्रबन्धन व्यवस्था में अधिक सफल होते हैं क्योंकि ये काम में लग रहते हैं। क्यों, क्या और कैसे प्रश्नों में नहीं उलझते।

(7) श्रवण बाधित बालक भावानात्मक समायोजन में सामान्य बालकों के समान होते हैं। सामान्य बालकों की तरह वातावरण के घटक उनके भावात्मक पक्ष को प्रभावित करते हैं।

क्या आप जानते हैं श्रवण बाधित बालक सामान्य बालकों से स्वयं को अलग महसूस करते हैं जिससे उनकी व्यवहारिक समस्याएँ और बढ़ जाती हैं और उनके व्यक्तित्त्व का विकास नहीं पाता।

(5) अन्य विशेषताएँ (Other Charasteristics)

कुछ शोध अध्ययनों द्वारा यह विदित होता है कि श्रवण बाधित बालकों की मानसिक योग्यता कम होती है तथा शैक्षिक योग्यता एवं समायोजन भी अच्छा नहीं होता। इसका मुख्य कारण यह है कि ऐसे बालकों मे भाषा का अभाव रहता है क्योंकि उन्हें सुनने और बोलने में कठिनाई होती है। इन छात्रों में हीन भावना आ जाती है। श्रवण बाधितें की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को निम्नलिखित छ: भागों में विभाजित किया गया है–

(अ) सामाजिक रूप से बाधित

(ब) व्यक्तिगत तथा सामाजिक विकास की समस्याएँ

(स) व्यक्तित्व की समस्याएँ

(द) मनोवैज्ञानिक विशेषाएँ

(य) भाषा की कठिनाई

(र) असमान्य संवेगात्मक व्यवहार

(अ) सामाजिक रूप से बाधित (Socially Handicapped)– इस प्रकार के बालक समाज में भली प्रकार अपना सामायोजन नहीं कर पाते। इन्हें वातावरण में स्वयं को सामायोजित करने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप ऐसे बालकों का व्यक्तित्व का सन्तुलन नहीं रहता उनमें कई प्रकार के दोष आ जाते हैं। क्योंकि इन बालकों की संप्रेषण क्षमताएँ भी सामान्य नहीं होतीं और वह दूसरों को भी अपनी बात नहीं समझा पाते।

(ब) व्यक्तिगत तथा समाजिक विकास की समस्याये (Problems in personal and Social Development)– इन बालकों में सबसे बड़ी कठिनाई भाषा की होती है जो उनके सामाजिक विकास की प्रक्रिया समुचित ढंग से नहीं हो पाती है और वे समाज में अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं कर पाते और न ही कोई स्थान बना पाते हैं। ये बालक दूसरों पर ही निर्भर रहते हैं। इसलिए इनमें हीन भावना अधिक होती है।

(स) व्यक्तित्व की समस्याये (Problem of Personality)– ऐसे बालकों में श्रवण बाधित होने के कारण व्यक्तित्व की अनेक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। और आंशिक रूप से बाधित बालक प्रयास करते हैं कि वह सामान्य बालकों की तरह व्यवहार करें लेकिन बाधित होने के कारण वह ऐसा करने में असमर्थ जिससे उनके व्यक्तित्व का विकास प्रभावित होता है।

(द) **मनोवैज्ञानिक विशेषताएँ (Psychological Charastristics)–** श्रवण बधित बालकों में व्यवहारिक समस्याएँ अधिक होती हैं क्योंकि वह जब दूसरों की बातें नहीं सुन पाते तो कभी-कभी उन बातों का गलत अर्थ लगाते हैं तथा तदनुकूल अपना व्यवहार करते हैं। जिससे सामान्य बालकों की उनके प्रति सहानुभूमि कम हो जाती है। तथा तब सामान्य बालक उनकी सहायता नहीं करते।

(य) **भाषा की कठिनाई (Problems of Language)–** सामान्यत: इस प्रकार के बालकों में भाषा की कठिनाई अधिक होती है क्योंकि उने सुनने तथा बोलने दोनों में कठिनाई होती है, जिससे सामान्य बालकों से समुचित शाब्दिक अन्त:प्रक्रिया नहीं होती। इनकी शब्दावली भी सीमित होती है, उन्हें सांकेतिक भाषा का सहारा लेना पड़ता है तथा वे सामान्य बालकों की बात को भी नहीं समझ पाते। इस प्रकार के दोष के कारण भाषा की कठिनाई रहती है और भाषा का लाभ नहीं उठा पाते।

(र) **असामान्य भावात्मक व्यवहार (Abnormal Emotional Behaviour)–** अकसर इस प्रकार के बालक भावात्मक व्यवहार में असामान्य होते हैं क्योंकि दूसरों की बात को नहीं समझ पाते जिससे उनमें तनाव उत्पन्न हो जाता हैं और उनका स्वभाव चिड़-चिड़ा या हठी हो जाता है। अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए वो असामान्य व्यवहार भी करने लगते हैं।

स्व-मूल्यांकन (Answers: Self Assessment)

सही विकल्प चुनिए (Choose the Correct Options)—

1. वाणी बाधित बालकों का संबंध होता है–

   (क) भाषा बाधित (ख) अधिगम असमर्थ

   (ग) श्रवण बाधित (घ) उपरोक्त सभी

2. टॉनसिल में सूजन आ जाने के कारण बच्चे में जो दोष आता है–

   (क) हकलाना (ख) तुतलाना

   (ग) नाक से बोलना (घ) शब्दों का गलत उच्चारण

3. ध्वनि का परिसर होता है–

   (क) 1 से 20 डेसिबल (ख) 1-30 डेसिबल

   (ग) 65 डेसिबल (घ) 54 डेसिबल

4. पूर्ण श्रवण बाधित बालकों का डेसिबल स्तर होता है–

   (क) 70 से 89 तक (ख) 55 से 89 तक

   (ग) 90 से 100 तक (घ) 35 से 51 तक

2.4 सारांश (Summary)

- कानों द्वारा सुनने में बाधा से उत्पन्न अयोग्यता व्यक्ति विशेष को श्रवण विकलांग बनाती है। शैक्षिक दृष्टि से, "श्रवण विकलांगता ऐसी शारीरिक नियोग्यता है जो बालक को मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा शिक्षा ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न करती है।" सामान्यत: शिक्षण की प्रक्रिया में मौखिक विद्या का अपना महत्त्व है। इसलिए श्रवण विकलांग बालकों को भी अतिरिक्त सहायता (उपकरण) या विशिष्ट शिक्षण की आवश्कता होती है।
- वाक् सौष्ठव (बोलने की कला) मौखिक अभिव्यक्ति की आधार शिलाा है। यह एक मात्र साधन है जिसपर भाषा का विकास पूर्णत: अवलंबित है। मनोभावों एवं अनुभावों को वाणी द्वारा प्रगट करना, दृश्यों एवं स्थलों का वर्णन, घटनाओं का उल्लेख पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आदि में भाषा का प्रयोग स्वाभाविक है। इसी भाषा का अर्थपूर्ण व स्पष्ट रूप वाक् शुद्धता पर निर्भर करता है।

नोट

- **वाणी बाधित का अर्थ एवं परिभाषा–** 'वाणी बाधित' वे बालक हैं जो मुख की आवाज, बोले गये शब्दों में तालमेल, तथा शब्दों को संयोजित करने में कठिनाई का सामना करते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि वे बोलते समय शब्दों को छोड़ देते हैं, बदल देते है, तोड़-मरोड़ देते हैं या अपनी ओर से कुछ जोड़ देते हैं। ऐसे बालक शब्द अथवा वाक्य को ठीक प्रकार से नहीं बोल सकते। यह समस्याएँ शरीर के अंगों में कमी के कारण होती हैं।
- *पारकिन्सन* (1977) के अनुसार–"वाणी बाधित तभी माना जाता है जब व्याकरण की दृष्टि से सांस्कृतिक रूप से असतोषजनक हो क्योंकि वाणी अंग क्षतिग्रस्त है। इसका संप्रेषण दोषयुक्त होता है।"
- **श्रवण बाधित का अथ–** श्रवण बाधित बालक ऐसे बालक हैं जिनकी सुनने की क्षमता नष्ट हो जाती है तथा बोलने और भाषा में परेशानी का सामना करते हैं।
- जो बालक सुनने की क्षमता को पूर्ण रूप से खो देते हैं वे अन्य बालकों की अपेक्षा गम्भीर रूप से कठिनाइयों का सामना करते हैं। इस प्रकार श्रवण बाधित बालक या तो बहुत कम सुन पाते हैं या पूर्णतया नहीं सुन पाते, वे बहरे होते हैं।
- **वाणी बाधित बालकों के प्रकार–**

  (1)प्रक्रियात्मक उच्चारणात्मक दोष (Functional Articulatory Defect); (2) हकलाना (Stammering); (3) आवाज की समस्या (Voice Problems); (4) अंगीय वाणी के दोष (Organic Speech Defects); (5) कम सुनने वाले बालकों के साथ वाणी की समस्या; (6) देर से बोलने का विकास (Retarded Speech Development)
- **श्रवण बाधित बालकों के प्रकार–** वे समस्त बालक जिन्हें सुनने के संबन्ध में कोई कठिनाई है श्रवण बाधित बालक कहलाते हैं। ध्वनि का परिसर 1से 130 डेसिबल्स (Decibles) होता है। 130 डेसीबल्स के ऊपर की ध्वनि दर्द की संवेदना देती है। ध्वनि के परिसर के अनुसार श्रवण बाधित बालकों को चार भागों मे बाँटा जा सकता है–(1) कम श्रवण बाधित बालक; (2) मन्द श्रवण बाधित बालक; (3) गम्भीर रूप से श्रवण बाधित बालक; (4) पूर्ण श्रवण बाधित बालक।
- **वाणी बाधित बालकों की विशेषताएँ–** इस प्रकार के जो बालक होते हैं उनकी श्वसन क्रिया असामान्य होती है और उनकी आवाज भी हल्की होती है। जो बोलते है वो स्पष्ट नहीं होता बोलने में संकोच करते हैं तथा धाराप्रवाह नहीं बोल सकते है।
- **श्रवण बाधित बालकों की विशेषताएँ–** श्रवण बाधित बालकों की कुछ मनोवैज्ञानिक विशेषताएँ पाँच प्रकार की होती हैं–(1) भाषा तथा वाणी का विकास; (2) बौद्धिक योग्यताओं का विकास; (3) शैक्षिक निष्पत्ति का विकास; (4) सामाजिक और व्यवसायिक समायोजन, तथा (5) अन्य विशेषताएँ।

2.5 शब्दकोश (Keywords)

- **डेसिबल–** ध्वनि मापने का पैमाना।
- **किंचित–** थोड़ा, कम।
- **बधिर–** बहरा।
- **विस्थापन–** हटाना।

10.6 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

1. वाणी एवं श्रवण दोष का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसकी परिभाषा दीजिए।

2. वाणी एवं श्रवणदोष के प्रकार बताइए।
3. वाणी एवं श्रवण बाधित बालकों की विशेषताएँ बताइए।

उत्तर : स्व-मूल्यांकन (Answer: Self Assessment)

1. उपरोक्त सभी 2. नाक से बोलना 3. 1-30 डेसिबल 4. 90 से 100 तक।

10.7 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

पुस्तकें

1. *विशिष्ट बालक*– एल. बी. बाजपेयी, अमिता बाजपेयी, भारत बुक सेंटर, नई दिल्ली।
2. *विशिष्ट बालक: शिक्षा एवं पुनर्वास*– महेश भार्गव, एच. पी. भार्गव बुक हाउस, आगरा।
3. *विशिष्ट बालक*– आभारानी बिष्ट, अग्रवाल प्रकाशन, आगरा।
4. *विशिष्ट शिक्षा का प्रारूप*– डॉ. आर. लाल. शर्मा, आर. लाल. बुक डिपो, आगरा।

नोट

इकाई–11: वाणी एवं श्रवण बाधितः पहचान, कारण एवं समस्याएँ (Identification, Causes and Problems of Speech and Hearing Impaired)

अनुक्रमणिका (Contents)

उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तावना (Introduction)

11.1 वाणी एवं श्रवण बाधित की पहचान (Identification of Speech and Hearning Impaired)

11.1.1 वाणी बाधित की पहचान (Identification of Speech Impaired Children)

11.1.2 श्रवण बाधित की पहचान (Identification of Hearning Impaired)

11.2 वाणी एवं श्रवण बाधिता के कारण (Causes of Speech and Hearning Impaired)

11.2.1 वाणी बाधित के कारण (Etiology or Causes of Speech Impaired Children)

11.2.2 श्रवण बाधित के कारण (Causes of Hearning Impaired Children)

11.3 वाणी एवं श्रवण बाधित की समस्याएँ (Probems of Speech and Hearning Impaired)

11.3.1 वाणी बाधित की समस्याएँ (Probems of Speech Impaired)

11.3.2 श्रवण बाधित की समस्याएँ (Problems of Hearning Impaired)

11.4 सारांश (Summary)

11.5 शब्दकोश (Keywords)

11.6 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

11.7 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

उद्देश्य (Objectives)

विद्यार्थी इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् सक्षम होंगे–

- वाणी एवं श्रवण बाधितों की पहचान से संबधित लक्षणों से परिचित होंगे।
- वाणी एवं श्रवण बाधित के कारणों से परिचित होंगे।
- वाणी एवं श्रवण बाधितों की समस्याओं से परिचित होंगे।।

प्रस्तावना (Introduction)

अनुसन्धानों द्वारा प्राप्त जानकारी हेतु हकलाने तथा वाणी बाधित वाले बालकों की श्रेणी में वह बालक आते हैं जो नाक से बोलते हैं, धीरे-धीरे बोलते हैं, कर्कश स्वर में बोलते हैं, तुतलाते या हकलाते हैं। वाणी संबन्धी दोषों का कारण त्रुटिपूर्ण अनुकरण तथा माता-पिता की लापरवाही है। हकलाने का कारण सांवेगिक होता है। ऐसे बालकों का परिवेश मानसिक तनाव से मुक्त होना चाहिए। ध्वनि-विज्ञान के आधार पर उन्हें ठीक बोलने का अभ्यास कराया जाये तथा उन्हें अच्छे शिक्षकों का अनुकरण करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर शल्य क्रिया की सहायता भी

नोट

ली जा सकती है। भारतीय विद्यालयों में इस प्रकार के आने वाले बच्चों की संख्या अधिक होती है जिसका मूल कारण है माता-पिता का अशिक्षित या अल्प-बोध होना। इसके कारण बच्चों का उच्चारण शैशवास्था से ही बिगड़ जाता है और विद्यालय में प्रवेश के उपरान्त यदि शिक्षिक व साथियों का अच्छा प्रभाव न पड़े तो जीवनपर्यन्त बोलने का दोष स्थायी हो जाता है।

विद्यालय के बालकों में बोलने की अक्षमता वाले बालकों की संख्या काफी होती है। यह एक महत्त्वपूर्ण तथ्य है कि अक्षमता प्रशासन की नीतियों, कक्षा तथा अध्यापक के व्यक्तित्व से काफी प्रभावित होती है। बच्चे तथा युवक लिखने से अधिक बोलते हैं। समाज में संबन्ध स्थापति करने के लिए बोलने की आवश्यकता पड़ती है। अत: बोलने से संबन्धित दोषों को दूर करने के लिए विद्यालयों को महत्वपूर्ण प्रयास करना चाहिए।

विद्यालय में कुछ बालक ऐसे होते हैं जिन्हें किसी-न-किसी प्रकार का और किसी-न-किसी स्तर का श्रवण दोष होता है। नेत्र और कान दो ऐसे तन्त्र हैं जिनके बिना शिक्षण देने और ग्रहण करने दोनों में बड़ी कठिनाई उत्पन्न होती है। श्रवण शक्ति बालक को अध्यापक द्वारा कही बातों को सुनाती है। श्रवण शक्ति मौखिक सन्देशवाहकता (Oral Communication) अधिगम, मानसिक विकास और भाषा विकास का सबसे सशक्त साधन है। कक्षा में बैठे ऐसे बालक, जो श्रवण क्षतियुक्त हैं, को उन विधियों से शिक्षा या तो दी ही नहीं जा सकती या प्रभावशाली ढंग से नहीं दी जा सकती जिनसे हम सामान्य श्रवण योग्यता वाले बालकों को देते हैं। अत: श्रवण क्षतियुक्त बालकों के विषय में जानकर उनकी उचित शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए।

11.1 वाणी एवं श्रवण बाधित की पहचान (Identification of Speech and Hearning Impaired)

11.1.1 वाणी बाधित की पहचान (Identification of Speech Impaired)

वाणी बाधित बालकों के मुख्य व्यवहारिक लक्षण इस प्रकार हैं–

(1) सबसे पहले कक्षा शिक्षण में अध्यापक का यह कर्त्तव्य है कि उच्चारण दोष एवं हकलाने वाले बच्चों को अलग करे व उनकी सही पहचान कर उनकी सही परामर्श चिकित्सा की व्यवस्था करे।

(2) कक्षा शिक्षण के समय आवाज के दोष वाले बालकों को पहचान ले जो बालक नाक से बोलते हों, या जिनकी आवाज में भारीपन है या जो बहुत धीमे या तेज बोलते हों।

(3) अंगीय बोलने के दोष के कारण की पहचान की जा सकती है लेकिन इसकी व्यवस्था में गलत शब्दों के बोलने में गिरावट आती है।

(4) कम सुनने वाले बालकों व देर से बोलने वालों की समस्या भी सामान्य रूप से कक्षा शिक्षण में आती है। ये बालक कम सुनने व देर से बालेने वाले होते हैं और कभी-कभी इनमें उच्चारण दोष व हकलाना भी पाया जाता है। मूलत: यह बालक किसी भी कक्षा में पाए जा सकते हैं।

(5) इसके अतिरिक्त भय, सदमा, क्रोध व शर्म के कारण भी कभी-कभी बालक सामान्य से असामान्यत की स्थिति में आ जाता है और हकलाने या फिर शब्दों के संसयोजन में गड़बड़ी या व्यवधान करने लगता है।

11.1.2 श्रवण बाधित की पहचान (Identification of Hearning Impaired)

श्रवणदोष एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी आयु में हो सकती है। जिस व्यक्ति को श्रवणदोष होता है उसे दूसरे की बातचीत समझने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और वातावरण की आवाजें भी उसे ठीक तरह से सुनाई नहीं देतीं।

श्रवणदोष जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि हम कैसे सुनते हैं–(1) आवाज की तरंगें हमारे बाह्यकर्ण में जाती हैं, (2) ये आवाज की तरेंगें कान के पर्दे में कंपन्न उत्पन्न करती हैं, (3) तीन सूक्ष्म हड्डियाँ कान के पर्दे के कंपन्न को आगे भेजती हैं, (4) और कोकलिया में आंतरकर्ण (Inner ear) स्थित तरल पदार्थ में गति प्रदान करती

नोट

हैं, (5) उसके बाद तरल पदार्थ की गति से ये नाड़ी द्वारा मस्तिष्क तक पहुँचती हैं और (6) इससे हमें इस बात का पता चलता है कि हमने क्या सुना।

अगर श्रवणदोष जन्म से होता है तब बच्चे के हर तरह के विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण:–

वाणी का विकास– हम दूसरों की बातें सुन-सुनकर बोलना सीखते हैं। इसलिए जब सुनने में परेशानी होती है तब वाणी पर असर होता है और उसकी वाणी भी साफ नहीं होती है।

सामाजिक विकास– श्रवणदोष की वजह से बच्चा दूसरों के साथ ठीक प्रकार से बातचीत नहीं कर सकता और उसके सामाजिक विकास में परेशानी आती है और दूसरे बच्चों के साथ अच्छे संबन्ध नहीं बन पाते।

पाठ पढ़ना– श्रवणदोष की वजह से बच्चे को पाठ पढ़ने और सीखने में बेहद परेशानी होती है और वह ठीक तरह से उन्नति नहीं कर पाता है।

श्रवणदोष का पता जल्दी से जल्दी लगाने से इलाज ठीक प्रकार से होता है और ज्यादा प्रभावकारी होता है। माता-पिता का कर्तव्य है कि स्कूल जाने वाले बच्चों में श्रवणदोष जल्दी से जल्दी पता लगा लें। अगर श्रवणदोष ज्यादा मात्रा में हो तो उसका पता लगाना काफी आसान है और श्रवणदोष कम मात्रा में हो तो पता लगाना मुश्किल है। जिस बच्चे को ठीक से सुनाई नहीं देता और दूसरों की बात समझने में पेरशानी होती है, उस बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता। अगर अध्यापक उस बच्चे के माता-पिता से शिकायत करते हैं तो उन्हें पूरा ध्यान देना जरूरी है। श्रवणदोष का कान में या दोनों कानों में हो सकता है। श्रवणदोष एक कान में ज्यादा और दूसरे कान में कम भी हो सकता है, बच्चा उस कान का इस्तेमाल ज्यादा करता है जिस कान में श्रवणदोष कम होता है। वह बच्चा इस तरह बैठता है जिससे उसे सुनाई देने वाला कान बोलने वाले की तरफ हो। अगर आपका बच्चा किसी एक कान को बोलने वाले की तरफ करके बैठता है तो लक्षण को ध्यान से देखें और नोट करें।

अगर आप अपने बच्चे के पीछे खड़े होकर बात करते हैं, तब क्या वह बातचीत ठीक प्रकार समझ पाता है। जिस बच्चे को ठीक प्रकार से सुनने में तकलीफ होती है, वह बातचीत को ठीक प्रकार से समझने में चेहरे को ठीक प्रकार से लगातार देखता है और चेहरे के हावभावों को इस्तेमाल करता है। इसलिए जब बोलने वाले का चेहरा बच्चे के सामने नहीं होता तो बच्चा ठीक से बात न समझने के कारण चुपचाप रहता है और ठीक से जवाब नहीं दे पाता। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा तब सुनता है जब उसका मन करता है। जिस बच्चे में श्रवणदोष होता है उसे बच्चे के सुनने या ध्यान देने के तरीके में बदलाव आता रहता है, जब आवाज ऊँची और स्पष्ट हो तभी बच्चा उस आवाज को ठीक प्रकार से समझ सकता है और उसका ठीका जवाब भी दे पाता है। आवाज धीमी होने से बच्चे का रुझान उस ओर से हट जाता है क्योंकि ठीक से सुनाई न देने के कारण वह बात नहीं समझ पाता। यदि बच्चे को बार-बार जुकाम होता है और गला खराब रहता है जिसके कारण मध्यकर्ण और गले को जोड़ने वाली नली हमेशा बन्द रहती है जो कि खाना खाते या छींक आने से यही नली खुल जाती है जिससे कि बच्चे को सुनाई देने लगता है। परन्तु जब यह नली बन्द होती है उस समय बच्चे को ठीक से सुनाई नहीं पड़ता।

बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि या तो बालक बहुत ऊँची आवाज में बात करता है या बहुत ही धीमी आवाज में बात करता है। यदि बाहरी कर्ण (Outer ear) या मध्यकर्ण (middle ear) की खराबी से श्रवणदोष हुआ हो तो बालक बहुत धीरे से बात करता है क्योंकि उसे अपनी आवाज ही बहुत ऊँची सुनाई देती है। अगर श्रवणदोष का कारण नस की खराबी या आंतरकर्ण हो तो यह बालक ऊँची आवाज में बात करता है, क्योंकि उसे अपनी आवाज बहुत धीमी सुनाई देती है। अगर ऐसे बदलाव आप अपने शिशु की आवाज में अक्सर देखते हैं तो संभवत: उसका कारण श्रवणदोष हो। अक्सर ऐसा देखा गया है कि अगर हम बस में, ट्रेन में सफर कर रहें हो या भीड़-भाड़ के माहौल में हों तो हमें ऊँची आवाज में बात करनी पड़ती है। अगर हम पुस्तकालय, कक्षा या शयन कक्ष में हों तो हम धीमी आवाज में बात करते हैं। हम वातावरण के अनुकूल अपनी आवाज का उपयोग करते हैं, कभी ऊँची आवाज का या कभी धीमी आवाज का इस्तेमाल करना पड़ता है। श्रवणदोषयुक्त बालक वातावरण से ठीक प्रकार से तालमेल नहीं कर पाता और

नोट

अपनी आवाज में आवश्यकतानुरूप बदलाव नहीं ला पाता। श्रवणदोषयुक्त बालक अक्सर बहुत तेजी से बोलता है और उसके संभाषण का कोई तालमेल नहीं होता और लय की कमी होती है। (He lacks modulation of voice) । इस तरह के बच्चों को शब्द सीखने में परेशानी होती है और उनका उच्चारण भी अस्पष्ट होता है। जैसे वह "प" की जगह "ब" सुनता है ओर "ब" ही बोलता है। स्वर की अपेक्षा व्यंजन सीखने में इस तरह के बच्चे को काफी ज्यादा समय लगता है। अगर बच्चा सात साल का होने पर भी अस्पष्ट उच्चारण करता है और ठीक से जवाब नहीं दे पाता है तो इसका अर्थ कि उस बच्चे में श्रवणदोष है।

> *नोट्स* यदि आप बच्चे की आवाज में असाधारण परिवर्तन और अस्पष्ट ध्वनि उच्चारण देखते हैं तो नोट करें और (Audiologist) को बताएँ क्योंकि यह सूचना रोग के निदान (diagnosis) में सहायता करेगी।

यदि बालक बहुत ऊँची आवाज में टेप रिकार्डर या रेडियो या टी. वी. सुनता है तो भी उसमें श्रवणदोष हो सकता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि बच्चों को जो कार्यक्रम ज्यादा अच्छा लगता है वह ऊँची आवाज में सुनना पसन्द करता है। श्रवणदोषयुक्त बालक टीवी या रेडियो या टेप की आवाज बहुत ऊँची रखता है जिससे वह ठीक प्रकार से सुन सके, परन्तु इससे दूसरों को बेहद पेरशानी होती है।

क्या आपका बच्चा आपके पूछे गये प्रश्नों के सही जवाब देता है? ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि आसपास की आवाजें बहुत ऊँची होती हैं या फिर बच्चा अपने ही विचारों में खो जाता है, तब वह पूछे हुए सवाल का उत्तर देने में असमर्थ होता है। बार-बार पूछे जाने के बाद भी जब वह बच्चा तर्कसंगत बात नहीं करता है, उसकी तरफ ध्यान देना जरूरी हो जाता है क्योंकि यह एक श्रवणदोष का लक्षण है। जिस बच्चे का श्रवणदोष होता है वह धीमी आवाज में कही हुई बात या पीछे खड़े होकर कही हुई बात ठीक से नहीं समझ सकता है और तर्क संगत बात नहीं करता है।

क्या आपका बच्चा अपने मित्रों के साथ नहीं खेलता और उनसे दूर रहता है? ज्यादातर बच्चे अपने आयु के बच्चों के साथ खेलना पसन्द करते हैं। श्रवणदोषयुक्त बच्चे को दूसरों की बात समझने में परेशानी होती है, इसलिए उसे खेलों के नियम और उसके बारे में ठीक जानकारी नहीं होती। बातचीत के कुछ शब्दों से वह बच्चा वंचित रह जाता है और उसे काफी तकलीफ होती है। उस बात को ससमझाने के लिये बार-बार बोलना पड़ता है जिससे बाकी बच्चे श्रवणदोषयुक्त बालक पर हँसते हैं या उसे उसकी नकलें बनाकर चिढ़ाने लगते हैं, इस कारण से उस बच्चे को अपनी विकलांगता के कारण हीनभावना, शर्म और परेशानी का एहसास होता है, जिसकी वह से वह दूसरे बच्चों के साथ खेलना-कूदना, मिलना-जुलना समाप्त कर देता है। ऐसा करने से बच्चे का सामाजिक विकास रुक जाता है। माता-पिता, भाई-बहन, अध्यापकों को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

अपने बच्चे को दूसरे कमरे से बुलाने पर क्या वह उचित प्रतिक्रिया दिखाता है? अक्सर देखा गया है कि बच्चे किसी एक कमरे में खेलते रहते हैं और माता रसोई में भोजन बनोने में लगी रहती है। जैसे ही भोजन तैयार हो जाता है तो माँ बच्चों को रसोई में बुलाती है। कभी-कभी बच्चे खेल मे इतने व्यस्त होते हैं कि माँ के बुलाने की तरफ ध्यान ही नहीं देते। परन्तु श्रवणदोषयुक्त बच्चा अपनी माँ की बात नहीं सुन सकता है, अगर कोई बात कुछ दूर से की गई है तो वह बिल्कुल भी समझ नहीं पाता है। बच्चा यह निश्चित नहीं कर पाता कि आवाज किस दिशा से आई है। उस समय माँ खुद जाकर बच्चे को बुलाती है, अगर ऐसा लगातार कई बार हो जाता है तो कुछ करना बहुत आवश्यकता हो जाता है।

क्या किसी बात को पूछने या कहने पर ही आपका बच्चा उसे समझता है? जिस बच्चे में श्रवणदोष की मात्रा होती है उसे धीमी आवाज सुनाई नहीं देती और ऊँची आवाज में बोलना पड़ता है। अगर आवाज धीमी हो तो वह आपको संभाषण दोहराने के लिये कहता है। यदि श्रवणदोष की मात्रा ज्यादा हो तो वह कुछ भी नहीं समझता और

नोट

बार-बार पूछता है कि, "आपने क्या कहा"। अगर आप बार-बार ऐसा महसूस करते हैं तो उसकी ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है।

अगर ऐसे संकेत बच्चे में मौजूद हैं, तब बच्चे की तरफ भली-भाँति ध्यान, दीजिये, हो सकता है कि बच्चे को श्रवणदोष हो। बच्चे की श्रवणशक्ति को श्रवणदोष विशेषज्ञ की मदद से जाँच करवाएँ और उनकी सलाह के अनुसार बच्चे की सहायता करें।

क्या आप जानते हैं वायले ने छोटे बालकों के लिए एक मापनी विकसित की, जिसकी सहायता से श्रवण बाधित बालकों की पहचान कर समस्या का निदान कर दिया जाता है।

11.2 वाणी एवं श्रवण बाधिता के कारण (Causes of Speech and Hearning Impaired)

11.2.1 वाणी बाधित के कारण (Etiology or Causes of Speech Impaired Children)

वाणी बाधित बालकों का एक कारण नही होता अपितु अनेक कारण होते हैं जैसे—वंशानुक्रम, नाड़ी संस्थान का दोष, शारीरिक असामान्यता, वाणी यन्त्रों का दोष और देरी से विकास होना, सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण का प्रभाव होता है विशिष्ट कारणों का उल्लेख इनकी विशेषताओं में किया गया है।

वाणी बाधित बालकों के मुख्य कारण इस प्रकार हैं—

(1) जैविक कारण या अंगों के दोष के कारण (Organic Causes)

(2) व्यावहारिक तथा कार्य कारण (Functional Causes)

(3) मनोजैविक कारण (Psychorgenic Causes)

(4) मनोवैज्ञानिक कारण (Psychological Causes)

(5) सुनने की क्षमता के ह्रास के कारण (Loss of Hearning)

(6) सामाजिक वातावरण का प्रभाव (Social Influence) तथा

(7) मानसिक आघात के कारण या मानसिक आघात (Cerebral Palsy)

(1) **जैविक कारण (Organic Causes)**— जैविक दोष कई प्रकार के होते हैं जो वाणी दोष उत्पन्न करते हैं—तालु में असामान्यता, दाँतों में अनियमिता का दोष, फालिज पड़ना जीभ में असामान्यता का होना। इसके अतिरिक्त जबड़ों तथा होठों में असामान्यता का होना। स्वर संबन्धी अंगों में दोष होने से बोलने में कठिनाई होती है।

(2) **व्यवहारिक या कार्य करने के दोष का कारण (Functional Causes)**— कुछ बालकों को वाणी अंगों में कोई दोष नहीं होता परन्तु बोलने तथा स्वर में दोष होता है। यह दोष अपने बड़ों के तथा साथियों के अनुकरण से आ जाता है। यह सत्य है कि हम बोलना सुनकर तथा अनुकरण करके ही सीखते हैं। अत: माता-पिता तथा शिक्षकों को शब्दों का सही उच्चारण करना चाहिए।

(3) **मनोजैविक कारण (Psychorgenic Causes)**— शोध अध्ययनों द्वारा यह निष्कर्ष प्राप्त हुए कि वाणी बाधिता का कारण मनोजैविक भी होता है। जब वाणी दोष का कारण जैविक तथा व्यावहारिक माता-पिता घर के वातावरण के कारण वाणी बाधित होते हैं। घर के अन्दर बोलने की भाषा शुद्ध नहीं होती तथा उच्चारण अशुद्ध होता है। बालक इसी प्रकार की भाषा बोलने का अनुकरण कर लेता है। यह दोष असमायोजन के कारण भी आ जाता है। माता-पिता के अवांछित व्यवहार भी वाणी दोष के कारण होते हैं। परिवार के सदस्यों को शब्दों का सही उच्चारण करना चाहिए।

नोट

(4) **मनोवैज्ञानिक कारण (Psychological Causes)**– वाणी दोष भावात्मक तथा मनोवैज्ञानिक कारणों से भी आता है। वाणी की सक्षमता स्वर अंगों के साथ बालक की स्वयं की परिपक्वता पर निर्भर करती है। स्वयं की अभिप्रेरणा तथा अभिवृत्ति प्रभावित करते है। मनोवैज्ञानिकों का मत है कि वाणी दोष भावों एवं विचारों की विक्षिप्तता के कारण आता है।

(5) **श्रवण का ह्रास (Hearning Lose)**– वाणी विकास में श्रवण प्रणाली की आवश्यकता होती है। यदि बालक श्रवण बाधित है तो वह वाणी बाधित भी होगा। वाणी कौशल के अभाव में बालक का विकास भी सामान्य नहीं होता है। बालक को दोषयुक्त पृष्ठपोषण मिलने के कारण वाणी-दोष आ जाता है। श्रवण बाधिता, भाषा तथा वाणी दोष उत्पन्न करती है। नकारात्मक पृष्ठपोषण का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

(6) **सामाजिक वातावरण का प्रभाव (Social Influence)**– भाषा संप्रेषण का प्रभावशाली साधन है। इसके विकास में सामाजिक वातावरण उनको उच्चारण की परिस्थिति प्रदान करता है। भाषा कौशल का विकास घर, विद्यालय तथा सामाजिक वातावरण में संप्रेषण से होता है। घर के अच्छे वातावरण में बालक की भाषा का विकास आरम्भ में ही हो जाता है।

(7) **मानसिक आघात के कारण (Cerebral Palsy)**– मानसिक दोष के कारण भी श्रवण-बाधिता हो जाती है। इस प्रकार का दोष का निरीक्षण द्वारा पहचाना जा सकता है। अनेक उच्चारण में दोष होता है। उनके बोलने में लय या निरन्तरता नहीं होती, वे रुक-रुक कर के बोलते हैं। इस स्तर में उतार चढ़ाव अस्वाभाविक रूप में होता है।

11.2.2 श्रवण बाधित बालकों के कारण (Causes of Hearning Impaired Children)

श्रवण बाधित बालकों के कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं–

जन्म से पूर्व और जन्म के समय के कारण (Prenatal and Natal Causes)

श्रवण बाधिता कुछ बालकों में जन्मजात होती है। इसके पीछे जो कारण कार्य करते हैं, वे इस प्रकार हैं–

(1) **जननिक कारण (Genetic Causes)**– श्रवण संबन्धी दोषों का एक प्रमुख कारण आनुवंशिकता है। यह साधारणतया देखा जाता है कि जिन बालकों के माता-पिता बहरे होते हैं उन्हें श्रवण दोष होता है। यह भी देखा गया है कि यदि अत्यन्त निकट संबन्धी आपस में विवाह करते है तो उनके बच्चों में श्रवण दोष होने की संभावना रहती है। प्राय: जननिक कारण को महत्त्व तब नहीं दिया जाता जब माता-पिता दोनों में से किसी को भी श्रवण दोष न हो। ऐसी स्थिति में अन्य संबन्धियों में विद्यमान यह दोष उपेक्षा भाव से देखा जाता है। परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। जन्मजात श्रवण दोष का कारण जननिक तब भी हो सकता है जब माता-पिता और अन्य भाई-बहिनों में यह दोष न हो, क्योंकि यहाँ श्रवण दोष का कारण माँ या पिता या दोनों में विद्यमान वंशानुगत हो सकते हैं। इन जीन्स की निम्नलिखित विशेषताएँ श्रवण दोष का कारण होती हैं–

(अ) माता और पिता दोनों में विद्यमान एक अपगामी जीन्स।

(ब) माता और पिता दोनों में से किसी एक में विद्यमान निर्धारक जीन्स।

(स) लिंग संबन्धित जीन्स जो केवल माँ में होता है। और केवल पुत्र को ही प्रभावित करता है।

(2) **जर्मन खसरा (German Measles)**– 1980 में जर्मन खसरा महामारी के रूप में फैला। यह देखा गया है कि जो गर्भवती माताएँ इस बीमारी से पीड़ित हुई उनकी सन्तानें श्रवण बाधित हुई। इससे चिकित्सकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि जर्मन खसरा श्रवण विकलांगता का एक कारण है।

(3) **गर्भावस्था में श्रवण बाधिता (Hearing Impairedness During Pregnancy)**– बालक जब गर्भावस्था में होता है तब भी श्रवण दोष उत्पन्न होने की संभावना रहती है। ऐसा तब होता है जब माँ कोई जहरीले पदार्थ

नोट

का सेवन कर ले, शराब का सेवन करे, असन्तुलित भोजन ग्रहण करे, दूषित भोजन करे अथवा बीमार रहे।

(4) **असामायिक प्रसव (Premature delivery)**– असामयिक प्रसव से श्रवण दोष उत्पन्न होता है। यह अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि आसमयिक प्रसव इसका कारण है या वे कारण हैं जो असामायिक प्रसव कराते हैं।

(5) **असुरक्षित प्रसव (Unsafe delivery)**– यदि प्रसव के समय रक्तप्रवाह अधिक हो जाय, रक्त का विकृति संचार हो, ऑक्सीजन का अभाव हो तो बालक के श्रवण यन्त्र प्रभावित हो सकते हैं।

(6) **सन्तुलित भोजन (Malnutrition)**– इस अवस्था में जब माँ को सन्तुलित भोजन नहीं मिलता तो बालक के विकास पर प्रभाव पड़ता है। और वह विभिन्न रोगों से पीड़ित भी होने लगता है। जिसके प्रभाव से इन्द्रियों का समुचित विकास नहीं हो पाता।

(7) **दवाओं का उपयोग (Drugs)**– कुछ शोध कार्यो द्वारा यह विवित हुआ है कि गर्भावस्था के समय उन्हें अधिक दवाओं के सेवन करने से या किसी तेज दवा के सेवन से भी बालक के विकास और उसके अंगों को प्रभावित करती है।

जन्म के पश्चात के कारण (Post Natal Causes)

बहुधा ऐसा होता है कि बालक जन्म के समय सामान्य होता है, परन्तु विकास क्रम में बाद में वह श्रवण दोष से युक्त हो जाता है। ऐसा निम्नलिखित कारणों से होता है–

(1) **बीमारी (Illness)**– कुछ बिमारियाँ ऐसी हैं जो श्रवण दोष उत्पन्न करती हैं। इन बीमारियों के नाम इस प्रकार हैं–

(अ) कनफड़ा (Mumps)	(ब) खसरा (Measles)
(स) चेचक (Small Pox)	(द) मोतीझरा (Typhoid)
(य) कुकर खाँसी (Whooping cough)	(र) कान में मवाद (Pus in ear)

(2) **दुर्घटना (Accident)**– कोई भी दुर्घटना श्रवण तन्त्र को हानि पहुँचा सकती है जिससे श्रवण दोष उत्पन्न हो सकता है। किसी लकड़ी या पिन से कान का मैल निकालते समय भी बालक अनजाने में कर्ण पटल (Internal Ear Membrance) को नुकसान पहुँचा देता है।

(3) **उच्च ध्वनि (High Sound)**– कभी जोर का धमाका कर्ण पटल को फाड़ देता है। इसी प्रकार निरन्तर उच्च ध्वनि को सुनते रहते से कान उच्च ध्वनि को ही पकड़ पाते हैं। सामान्य व धीमी गति में बोले गये शब्द कान भली प्रकार नहीं सुन पाते। इस प्रकार उच्च ध्वनि श्रवण दोष उत्पन्न करती है।

(4) **आयु (Age)**– वृद्धावस्था में शारीरिक तन्त्र कमजोर पड़ने लगते हैं। अत: सुनाई कम पड़ता है। यह कारण बालकों पर लागू नहीं होता है। क्योंकि उनका शरीर विकास करता है न कि क्षीण होता है।

(5) **असन्तुलित आहार (Imbalanced Food)**– यदि बालक को सन्तुलित आहार नहीं मिलता है तो भी उसकी श्रवण शक्ति विपरीत रूप से प्रभावित हो सकती है। इसका कारण यह है कि बालक के श्रवण तन्त्र के कोमल तन्तुओं को जीवित रहने और विकास करने के लिए ऊर्जा नहीं मिलती है।

11.3 वाणी एवं श्रवण बाधित की समस्याएँ (Probems of Speech and Hearning Impaired)

11.3.1 वाणी बाधित की समस्याएँ (Problem of Speech Impaired Children)

कुछ महत्त्वपूर्ण समस्याओं का उल्लेख यहाँ किया गया है जो समस्याएँ इस प्रकार हैं–

नोट

(1) इस प्रकार के बालकों को असमायोजन की समस्याएँ रहती हैं। इस प्रकार के बालकों को उत्तेजना, उत्सुकता एवं भय की भावना होती है।

(2) सामान्य बालकों की अपेक्षा इनमें पढ़ने संबन्धी हीन भावना अधिक होती है। विद्यालय में इनका निष्पत्ति स्तर नीचा होता है। सामान्य व्यवहार भी नहीं कर पाते हैं।

(3) अन्य बालक उन्हें चिढ़ाते हैं उनकी हँसी उड़ाते हैं क्योंकि वे शब्दों का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हैं। इसलिए इनमें विद्यालय से पलायन की प्रवृत्ति आ जाती है। इसी कारण इनका समाजीकरण नहीं हो पाता है। अपने साथियों में नेतृत्व के गुणों का विकास नहीं होता है।

(4) इन बालकों का मानसिक विकास धीमी गति से होता है, यह वाणी बााधिता की गम्भीरता पर निर्भर करता है।

(5) यह बालक अपनी बाधिता के प्रति अक्सर सजग होते हैं। उन्हें अपने संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव होता है वे अपनी बात दूसरों से नहीं कह पाते है और सांकेतिक भाषा तथा शारीरिक भाषा (हाव-भाव) की सहायता लेते हैं। यह बालक खेल-कूद में भी भाग नहीं लेते हैं। सामूहिक क्रियाओं में भी संमलित नहीं होते। इन्हें ऐसे कार्यों के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

(6) स्वर अंगों के दोष के कारण उनका उचचारण शुद्ध नहीं होता है। इसलिए शब्दों की वर्तनी और शब्दों को नहीं पहचान पाते हैं। इसलिए वाणी बाधितों में भाषा का दोष होना स्वाभाविक है।

11.3.2 श्रवण बाधित की समस्याएँ (Problems of Hearning Impaired Children)

बालक के श्रवण बाधित होने के परिणामस्वरूप कई कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। इन्हें शैक्षिक और व्यक्तिगत-सामाजिक दो भागों मे रखा जा सकता है। ये इस प्रकार हैं–

1. शैक्षिक समस्याएँ (Educational Problem)

(1) बोलने का विकास नहीं हो पाता है।

(2) भाषा का विकास नहीं हो पाता है।

(3) कक्षा-कक्ष में पढ़ाई गयी बातों का अधिगम अत्यन्त कठिन हो जाता है।

(4) शैक्षिक उपलब्धि निम्न हो जाती है।

(5) परीक्षणों का प्रयोग भली प्रकार नहीं किया जा सकता है।

2. व्यक्तिगत-सामाजिक समस्याएँ (Personal-Social Problem)

(1) सामंजस्य की समस्या उत्पन्न होती है। बालक सामान्य छात्रों के साथ हिल-मिल नहीं पाता है।

(2) बालक के मन में नकारात्मक स्वबोध उत्पन्न होता है।

(3) बालक कुंठाग्रस्त होता है।

(4) उसमें भावना ग्रंथियाँ जन्म लेती हैं।

(5) आत्मविमोह उत्पन्न होता है।

(6) बालक विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापों में पिछड़ जाता है।

(7) बालक में स्वभाव संबन्धी झल्लाहट आ जाती है।

(8) जीवन के प्रति निषेधात्मक अभिवृत्ति उत्पन्न होती है।

(9) प्रत्याहार या पलायन की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है।

(10) श्रवण बाधित बालक का व्यवहार कुछ सीमा तक अनुचित हो जाता है। व्यक्तित्व का समुचित विकास नहीं होने देते हैं। यह देखा गया है कि ऐसे बालक बहुधा संभ्रान्तिपूर्ण व्यक्तित्व वाला हो जाता हैं।

नोट

स्व-मूल्यांकन (Self-Assessment)

दिए गए कथनो के सामने सही (✓) अथवा गलत (✗) का निशान लगाएँ–(State whether the followings statements are True or False)

1. श्रवणदोष कम मात्रा में हो तो पता लगाना मुश्किल होता है। ☐
2. 80 प्रतिशत बालक अपने जन्म के समय से ही श्रवण दोष से ग्रस्त होते हैं। ☐
3. वाणी बाधित बालक अपनी समस्या के प्रति अकसर सजग रहते हैं वे अपनी बात कहने के लिए सांकेतिक भाषा तथा शारीरिक हाव-भाव का प्रयोग करते हैं। ☐
4. समाजिक असमायोजन के कारण बालकों में वाणी-दोष उत्पन्न होता है। ☐
5. श्रवण बाधित बालक स्वाभाविक रूप से वाणी बाधित होता हे। क्योंकि कोई ध्वनि न सुनने के कारण वह बोलना नहीं सीख पाता। ☐

11.4 सारांश (Summary)

- वाणी संबन्धी दोषों का कारण त्रुटिपूर्ण अनुकरण तथा माता-पिता की लापरवाही है। हकलाने का कारण सांवेगिक होता है। ऐसे बालकों का परिवेश मानसिक तनाव से मुक्त होना चाहिए। ध्वनि-विज्ञान के आधार पर उन्हें ठीक बोलने का अभ्यास कराया जाये तथा उन्हें अच्छे शिक्षकों का अनुकरण करना चाहिए।
- विद्यालय में कुछ बालक ऐसे होते हैं जिन्हें किसी-न-किसी प्रकार का और किसी-न-किसी स्तर का श्रवण दोष होता है। नेत्र और कान दो ऐसे तन्त्र हैं जिनके बिना शिक्षण देने और ग्रहण करने दोनों में बड़ी कठिनाई उत्पन्न होती है।
- **वाणी बाधित की पहचान–** वाणी बाधित बालकों के मुख्य व्यवहारिक लक्षण इस प्रकार हैं–
  (1) सबसे पहले कक्षा शिक्षण में अध्यापक का यह कर्त्तव्य है कि उच्चारण दोष एवं हकलाने वाले बच्चों को अलग करे व उनकी सही पहचान कर उनकी सही परामर्श चिकित्सा की व्यवस्था करे।
  (2) कम सुनने वाले बालकों व देर से बोलने वालों की समस्या भी सामान्य रूप से कक्षा शिक्षण में आती है। ये बालक कम सुनने व देर से बालेने वाले होते हैं और कभी-कभी इनमें उच्चारण दोष व हकलाना भी पाया जाता है। मूलत: यह बालक किसी भी कक्षा में पाए जा सकते हैं।
- **श्रवण बाधित की पहचान–** श्रवणदोष एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी आयु में हो सकती है। जिस व्यक्ति को श्रवणदोष होता है उसे दूसरे की बातचीत समझने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
- अगर श्रवणदोष ज्यादा मात्रा में हो तो उसका पता लगाना काफी आसान है और श्रवणदोष कम मात्रा में हो तो पता लगाना मुश्किल है। जिस बच्चे को ठीक से सुनाई नहीं देता और दूसरों की बात समझने में पेरशानी होती है, उस बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता।
- श्रवणदोष एक कान में ज्यादा और दूसरे कान में कम भी हो सकता है, बच्चा उस कान का इस्तेमाल ज्यादा करता है जिस कान में श्रवणदोष कम होता है। वह बच्चा इस तरह बैठता है जिससे उसे सुनाई देने वाला कान बोलने वाले की तरफ हो। अगर आपका बच्चा किसी एक कान को बोलने वाले की तरफ करके बैठता है तो लक्षण को ध्यान से देखें और नोट करें।
- अगर आप अपने बच्चे के पीछे खड़े होकर बात करते हैं, तब क्या वह बातचीत ठीक प्रकार समझ पाता है। जिस बच्चे को ठीक प्रकार से सुनने में तकलीफ होती है, वह बातचीत को ठीक प्रकार से समझने में चेहरे को ठीक प्रकार से लगातार देखता है और चेहरे के हावभावों को इस्तेमाल करता है। इसलिए जब बोलने वाले का चेहरा बच्चे के सामने नहीं होता तो बच्चा ठीक से बात न समझने के कारण चुपचाप रहता है और ठीक से जवाब नहीं दे पाता।

नोट

- **वाणी बाधित के कारण–** वाणी बाधित बालकों का एक कारण नही होता अपितु अनेक कारण होते हैं जैसे–वंशानुक्रम, नाड़ी संस्थान का दोष, शारीरिक असामान्यता, वाणी यन्त्रों का दोष और देरी से विकास होना, सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण का प्रभाव होता है।
- वाणी बाधित बालकों के मुख्य कारण इस प्रकार हैं–
  (1) जैविक कारण या अंगों के दोष के कारण (Organic Causes)
  (2) व्यावहारिक तथा कार्य कारण (Functional Causes)
  (3) मनोजैविक कारण (Psychorganic Causes)
  (4) मनोवैज्ञानिक कारण (Psychological Causes)
  (5) सुनने की क्षमता के ह्रास के कारण (Loss of Hearning)
  (6) सामाजिक वातावरण का प्रभाव (Social Influence) तथा
  (7) मानसिक आघात के कारण या मानसिक आघात (Cerebral Palsy)
- **श्रवण बाधित बालकों के कारण–** श्रवण बाधित बालकों के कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं–

  जन्म से पूर्व और जन्म के समय के कारण–श्रवण बाधिता कुछ बालकों में जन्मजात होती है। इसके पीछे जो कारण कार्य करते हैं, वे इस प्रकार हैं–(1) जननिक कारण; (2) जर्मन खसरा; (3) गर्भावस्था में श्रवण बाधिता; (4) असामायिक प्रसव; (5) असुरक्षित प्रसव; (6) सन्तुलित भोजन; (7) दवाओं का उपयोग।
- **जन्म के पश्चात के कारण–** (1) बीमारी; (2) दुर्घटना; (3) उच्च ध्वनि; (4) आयु; (5) असन्तुलित आहार।
- **वाणी बाधित की समस्याएँ–**

  इस प्रकार के बालकों को असमायोजन की समस्याएँ रहती हैं। इस प्रकार के बालकों को उत्तेजना, उत्सुकता एवं भय की भावना होती है।

  अन्य बालक उन्हें चिढ़ाते हैं उनकी हँसी उड़ाते हैं क्योंकि वे शब्दों का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हैं। इसलिए इनमें विद्यालय से पलायन की प्रवृत्ति आ जाती है। इसी कारण इनका समाजीकरण नहीं हो पाता है। अपने साथियों में नेतृत्व के गुणों का विकास नहीं होता है।
- **श्रवण बाधित की समस्याएँ–** बालक के श्रवण बाधित होने के परिणामस्वरूप कई कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। इन्हें शैक्षिक और व्यक्तिगत-सामाजिक दो भागों मे रखा जा सकता है।

11.5 शब्दकोश (Keywords)

1. **अंगीय–** अंग से संबंधित।
2. **पृष्ठपोषण–** सहायता करना।
3. **आंतरकर्ण–** कान का भीतरी भाग।

11.6 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

1. वाणी एवं श्रवण बाधित बालकों की पहचान कैसे करेंगे?
2. बालकों में वाणी एवं श्रवण बाधिता के क्या कारण होते हैं?
3. वाणी एवं श्रवण बाधितों को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है?

नोट

उत्तर : स्व-मूल्यांकन (Answer: Self-Assessment)

1.
2. (×)
3.
4. (×)
5.

11.7 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

पुस्तकें

1. *विशिष्ट बालक*– एल. बी. बाजपेयी, अमिता बाजपेयी, भारत बुक सेंटर, नई दिल्ली।
2. *विशिष्ट बालक: शिक्षा एवं पुनर्वास*– महेश भार्गव, एच. पी. भार्गव बुक हाउस, आगरा।
3. *विशिष्ट बालक*– आभारानी बिष्ट, अग्रवाल प्रकाशन, आगरा।
4. *विशिष्ट शिक्षा का प्रारूप*– डॉ. आर. लाल. शर्मा, आर. लाल. बुक डिपो, आगरा।

नोट

इकाई–12: वाणी एवं श्रवण बाधित-शिक्षण: आव्यूह एवं निवारण (Speech and Hearing Impaired: Prevention and Teching Strategies)

अनुक्रमणिका (Contents)

उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तावना (Introduction)

12.1 वाणी श्रवण बाधित बालकों की समस्याओं का निवारण एवं शिक्षण आव्यूह (Prevention and Teaching Strategies of Speech and Hearing Impaired Children)

12.1.1 वाणी बाधित बालकों की समस्याओं का निवारण एवं शिक्षण आव्यूह (Prevention and Teaching strategies of Speech Impaired Children)

12.1.2 श्रवण बाधित बालकों की समस्याओं का निवारण एवं शिक्षण आव्यूह (Prevention and Teaching strategies of Hearing Impaired Children)

12.2 सारांश (Summary)

12.3 शब्दकोश (Keywords)

12.4 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

12.5 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

उद्देश्य (Objectives)

विद्यार्थी इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् सक्षम होंगे–

- वाणी एवं श्रवण बाधित बालकों की समस्याओं के निवारण एवं उनके लिए की जाने वाली शैक्षिक व्यवस्था से अवगत होंगे।

प्रस्तावना (Introduction)

श्रवण बाधित अथवा श्रवण दोष युक्त बालक को श्रवण प्रशिक्षण तथा श्रवण यंत्र की विशेष रूप से आवश्यकता होती है। शिक्षण परिस्थितियों में उसे सुनने की अपेक्षा वस्तुओं को दिखाकर शिक्षा दी जानी चाहिए। ऐसे बालकों की कुछ विशिष्ट आवश्यकताओं की पूति हेतु विशेषज्ञों जैसे– ऑडियोलॉजिस्ट तथा नाक कान गले के चिकित्सक उपलब्ध होने चाहिए। ऐसे बालकों की कुछ विशिष्ट आवश्यकताएँ उनकी श्रवण क्षमता के कम होने की सीमा तथा प्रकार पर निर्भर करती है। विशेषज्ञों की आवश्यकता बालक के द्वारा घर पर अथवा स्कूल में दिए गए प्रशिक्षण पर निर्भर करती है।

विद्यालय के बालकों में बोलने की अक्षमता वाले बालकों की संख्या काफी होती है। यह एक महत्त्वपूर्ण तथ्य है कि उनकी अक्षमता प्रशासन की नीतियाँ कक्षा तथा अध्यापक के व्यक्तित्व से बहुत अधिक प्रभावित होती है। बच्चे तथा युवक लिखने से अधिक बोलते हैं। समाज में संबंध स्थापित करने के लिए बोलने की आवश्यकता पड़ती है।

नोट

अतः बोलने से संबंधित दोषों को दूर करने के लिए विद्यालयों को महत्त्वपूर्ण प्रयास करना चाहिए। प्रस्तुत इकाई मे श्रवण एवं वाक् बाधित बालकों की समस्याओं के निवारण हेतु उपाय तथा संबंधित शिक्षण आव्यूह पर प्रकाश डाला गया है।

12.1 वाणी श्रवण बाधित बालकों की समस्याओं का निवारण एवं शिक्षण आव्यूह (Prevention and Teaching Strategies of Speech and Hearing Impaired Children)

बालकों में वाणी सुधार के प्रयास के तहत एक वाणी सर्वेक्षण कराना चाहिए। वाणी में सुधार कार्यक्रम (Speech Correction Programme) बनाना चाहिए। यह कार्यक्रम तभी सफल हो सकता है जब साथ-साथ बालकों का उपचार भी होता जाए। यदि वाणी के दोष रखने वाले बालकों का पता लगा लिया जाए परन्तु उनका उपचार न किया जाए तो निम्नलिखित हानियाँ हो सकती हैं–

(1) बालकों को दोषपूर्ण बता दिया जाता है, परन्तु इस संबन्ध में उन्हें विस्तृत जानकारी नहीं दी जाती और न ही इलाज का प्रयत्न किया जाता है। इससे माता-पिता चिन्तित रहते हैं। बालक भी हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं।

(2) यदि एक वर्ष में सर्वेक्षण का कार्य होता है परन्तु उसी साल से उपचार आरम्भ नहीं होता है तब बालक के एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाने की संभावनाएँ हैं, वे अगली कक्षा में चले जाते हैं। नये विद्यार्थी भी आ जाते हैं। यह भी संभव हो सकता है कि कुछ बालकों का दोष कुछ ठीक हो गया हो तथा कुछ अधिक दोषों से पीड़ित हो सकते हैं।

(3) वणी सुधारक भी बदल सकता है।

(4) बालक बेकार की आशाएँ लगाये रखते हैं। उनमें विक्षिप्तता घर कर ले लेती है।

(5) इस प्रकार के कार्यक्रम से माता-पिता में भी व्यर्थ की आशा जागृत होती है।

सर्वेक्षण के तुरन्त पश्चात् ही उपचार का कार्य आरम्भ हो जाना चाहिए। सर्वेक्षण प्रत्येक कक्षा का होना चाहिए। दोषपूर्ण बालकों का पता लगा लेने के पश्चात् जब दूसरी कक्षा का सर्वोक्षण शुरू होता है तो पहली कक्षा के बालकों का उपचार शुरू हो जाना चाहिए। प्रत्येक विद्यालय के लिए एक वाणी सुधार कार्यक्रम बनाना चाहिए। 4000 बालकों में एक वाणी सुधारक होना चाहिए। केवल 5 प्रतिशत विद्यार्थियों में ही महत्वपूर्ण तथा गम्भीर बोलने का दोष होता है। कुछ तो अध्यापक द्वारा भी ठीक हो सकते हैं। वाणी सुधारक को प्रत्येक वर्ष बालकों का पुनः निरीक्षण करना चाहिए तथा नये बालकों का पता लगाना चाहिए जिनको इसकी अधिक जरूरत है। वाणी सुधारक को स्वयं प्रत्येक बालक का देखना चाहिए। कक्षा अध्यापक से सहयोग लेना चाहिए। अध्यापक का कर्त्तव्य है कि वह अपनी कक्षा के वाणी के दोष वाले बालकों की सूची तैयार करके वाणी सुधारक के समक्ष प्रस्तुत करे। इसके अतिरिक्त उसका स्वयं का भी कर्त्तव्य है कि वह इन बच्चों को अपने ढंग से मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करे कि बालक शुद्ध बोलने का प्रयास करें।

वाणी सुधार कार्यक्रम में केवल भली प्रकार शिक्षित व्यक्तियों को ही भाग लेना चाहिए। यदि एक भली प्रकार संगठित विस्तृत कार्यक्रम की व्यवस्था नहीं हो सकती तो विद्यालय के अध्यापक इस क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। अतः उन्हें इस विषय का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। सेवा प्रशिक्षण का भी प्रबन्ध किया जा सकता है। अध्यापकों को इस क्षेत्र में अभिविन्यास (Orientation) करने के लिए वाणी सुधारक के भाषण समय-समय पर करवाने चाहिए। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अध्यापक को बालकों के माता-पिता को भी बालकों के विषय में बताना चाहिए। उन्हें विशेष तथा मैडिकल सहायता से अवगत कराना चाहिए।

नोट

क्या आप जानते हैं अमेरिका में प्राथमिक कक्षाओं के अध्यापकों के अध्यापन प्रशिक्षण के दौरान उन्हें 'वाणी सुधार पाठ्यक्रम' भी कराया जाता है। भारत में भी इसे अध्यापक प्रशिक्षण के समय किया जा सकता है।

वाणी बाधित बालकों के उपचार– उपचार के संबन्ध में मूल रूप से तीन लोगों की अधिक जिम्मेदारी होती है– 1. अभिभावक (माँ तथा पिता) 2. शिक्षण 3. परिवारजन व मित्रजन। यह उपचार की अवधि की व्यवस्था को प्रभावित करता है व उनको सहयोग प्रदान करते हैं कि कैसे बालक अपनी वाक् क्षमता को सुधारता है व नवीन क्षमता उत्पन्न करता है। क्योंकि बोलने का दोष एक संपूर्ण व्यक्ति को प्रभावित करता है और इस कार्य में अवरोध से उसका पूरा व्यक्तित्व ही अल्पविकसित रह जाता है। अत: बालकों को बोलने के दोषों से बचाने के लिए तथा उनका उपचार करने के लिए दो बातों को ध्यान में रखना चाहिए–

(1) बालकों को बोलने का प्रशिक्षण तथा पुन: प्रशिक्षण देना।

(2) ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करना जो बोलने में सहायक हों।

अधिकतर बोलने के दोष विद्यालय से आरम्भ होते हैं। बालकों को बोलने के दोषों से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं–

(1) आवाज संबन्धी समस्याओं से इस प्रकार सुधारा जा सकता है–

(क) स्वर तन्त्र को अशुद्ध प्रकार से प्रयोग से बचाना।

(ख) एक अच्छे आधारभूत स्कूल कार्यक्रम का प्रबन्धन करना।

(ग) किशोरावस्था में होने वाले आवाज परिवर्तन की ओर सहानुभूतिपूर्ण विचार रखना शिक्षकों को इससे परिचित होना चाहिए।

(घ) बाल्यकाल में होने वाले असामायोजन की ओर ध्यान देना। इससे उनमें भय आदि संवेग नहीं उत्पन्न होंगे।

(2) सुनने की क्षमता कम होने के कारण उत्पन्न होने वाले दोषों से बचने के लिए आवश्यक है कि सुनने के दोषों से बचा जाए। सुनने के परिक्षण होने चाहिए। अमेरिका में नेत्र विज्ञान तथा *स्वर:यन्त्र विज्ञान समिति* ने यह सुझाव दिये हैं–

(क) बालकों का परीक्षण प्रत्येक तीसरे वर्ष होना चाहिए।

(ख) विद्यालय मे प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी का परीक्षण होना चाहिए।

(ग) केवल आधुनिक मशीनें व उपकरण ही प्रयोग में लाने चाहिए।

(घ) विस्तृत सुनने के कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए।

(3) बहुत से बालक विद्यालय में आने से पहले ही हकलाना आरम्भ कर देते हैं। हकलाने से बचने के लिए आवश्यक है कि घर और विद्यालय का वातावरण शान्त हो। इसके लिए एक योग्य और कुशल अध्यापक, जो कि बालक का संमान करे। इसके साथ ही अभिभावकों का सहयोग लेकर ज्ञात करें कि क्या बच्चा पहले भी हकलाता था या केवल घर में या केवल विद्यालय में हकलाता है या केवल पढ़ाई के समय ही हकलाता है। सामान्यत: कुछ बालक पढ़ाई के दौरान ही हकलाना प्रदर्शित करते हैं।

(4) किसी भी कक्षा अध्यापक को कभी भी किसी बालक को हकलाने वाले की श्रेणी में स्वयं नहीं रखना चाहिए। यदि बालक का परिवार, पड़ोसी, अन्य अध्यापक व साथी उसे हकलाने वाला नहीं मानते तो उसे हकलाने वालों की श्रेणी में रखना हानिकारक हो सकता है।

नोट

उपचार के सिद्धान्त

उपचार के सिद्धान्त बनाने से पहले आवश्यक से है कि इसकी रूपरेखा भली प्रकार से सुनिश्चित कर ली जाए क्योंकि बोलने के उपचार वाणी दोष को पूर्ण रूप से हटाने के लिए चिकित्सीय व पारिवारिक दोनों ही प्रकार के परामर्श व सहयोग की आवश्यकता होती है। बोलने के दोष वाले बालकों के उपचार के संबन्ध में चार प्रमुख सिद्धान्त हैं–

(1) बोलना-हास्य विनोद का विषय होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक अनुसन्धानों से पता लगता है कि बालक तभी अधिक सीखता है जब उसे सीखने के लिए पुनर्बलन प्रदान किया जाए। अत: जब बालक भली प्रकार बोलना सीखता है तो उसे पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। इससे उनमें सुधार जल्दी होता है और बोलना सरल हो जाता है। अध्यापक प्राय: बालकों की प्रशंसा न करके उनकी आलोचना करते हैं, इससे बालकों में भय उत्पन्न होता है और भय से उनका दोष और भी बढ़ जाता है। अध्यापक को बोलने के दोष वाले बालकों के प्रति सहानुभूमिपूर्ण दृष्टिकोण रखना चाहिए।

(2) अधिक बोलने के लिए बालकों को प्रेरित करना चाहिए। सीखने के लिए अभ्यास की जरूरत है। अत: बोलना सीखने के लिए भी बार-बार बोलना अति आवश्यक है। बोलने के दोष वाला बालक जितना अधिक बोलेगा उतना ही उसके बोलने में सुधार होगा। विभिन्न प्रकार से बालकों को बोलने के लिए उत्साहित करना तथा बोलने की परिस्थितियाँ उत्पन्न करना अध्यापक का कर्त्तव्य है।

(3) बोलने के लिए बालकों को संवेगात्मक रूप से तैयार करना चाहिए।

(4) बोलने को अशुद्ध रूप से प्रभावित करने वाली परिस्थितियों को कम करना चाहिए। वे दशाएँ जो बोलने को निरुत्साहित करती हैं, बालक में असन्तोष उत्पन्न करती हैं। अत: कक्षा में पूर्ण स्वतन्त्रता का वातावरण उत्पन्न करना चाहिए। बोलने को भली प्रकार प्रभावित करने वाली दशाओं को अधिक से अधिक उत्पन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस संबन्ध में माता-पिता से सहयोग भी लेना चाहिए। साथ ही स्कूल के डाक्टर, मनोवैज्ञानिक व मनोचिकित्सक से सहायता भी लेनी चाहिए।

उपचार के कुछ अन्य नियम व सूत्र इस प्रकार हैं–

(1) बालक, उसके अध्यापक तथा माता-पिता को समस्या के विषय में ठीक ज्ञान होना चाहिए।

(2) यदि बच्चा किसी की हकलाने की नकल करता है तो उसे तुरन्त रोका जाना चाहिए व उस पर नियन्त्रण तथा ध्यान रखा जाए।

(3) बालक द्वारा किये सुधार की प्रशंसा करनी चाहिए।

(4) अंगीय दोषों की दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए।

(5) बालकों के समक्ष एक अच्छा बोलने वाले बालक का प्रतिमान व आदर्श रखना चाहिए।

(6) आमोद-प्रमोद के साधन उपलब्ध कराने चाहिए।

(7) सामाजिक-प्रमोद के साधन उपलब्ध कराने चाहिए।

(8) बालकों को वाद-विवाद व अन्य संभाषण प्रतियोगिता में भाग दिलाना चाहिए जिससे वे धाराप्रवाह बोलें व इस अविधि में की गयी त्रुटियों का समाधान किया जा सके।

(9) अभिभावकों व शिक्षकों का कर्त्तव्य है कि ऐसे बालकों के साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार न अपनायें, बल्कि सुधार के लिए प्रोत्साहित करें।

उपरोक्त सिद्धान्तों का अनुसरण अध्यापकों को, जहाँ तक संभव हो, करना चाहिए। इसके अतिरिक्त परिवारजनों व अभिभावाकों का कर्त्तव्य भी है कि ऐसे बालकों की समस्याओं की समुचित चिकित्सा व परामर्श द्वारा उपचार किया जाए जिससे समाज को स्वस्थ व्यक्ति मिल सकें और बालक का समुचित विकास हो सके।

नोट

वाक् विकलांग बालकों की शिक्षा (Education of Speech Defective Children)

यदि हम वाक् विकलांगों पर उचित ध्यान दें तो शैक्षिक और सुधारात्मक क्रियाकलापों से बहुत लाभ उठा सकते हैं। ऐसे बालकों को उनके लिए चलाई जाने वाली कक्षाओं में उपस्थित रहना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें मनोचिकित्सकों एवं कण्ठ रोग विशेषज्ञों के पास उपचार व परामर्श के लिए ले जाना चाहिए।

शिक्षकों को वाक् विकलांग बालकों को शिक्षा देते समय कुछ तत्वों पर ध्यान देना चाहिए जो कि निम्नलिखित हैं–

1. **पर्याप्त अभिप्रेरणा (Adequate Motivation)–** शिक्षकों को सर्वप्रथम चाहिए कि वह विकलांग बालकों को वाणी सुधार के लिए प्रेरित करें। बालक को शीघ्रातिशीघ्र यह अनुभव कराना चाहिए कि वाणी में जल्दी सुधार करने से ही उसे लाभ होगा। जितनी गहराई से बालक इस बात को समझेगा उतनी ही उत्सुकता से वह सुधारात्मक पाठों को ग्रहण कर उनका अभ्यास करेगा।
2. **विकलांगता पर अत्यधिक बल देने से बचना (Avoidance of over Emphasis on Handicapped)–** शिक्षक को विकलांगता के स्तर एवं मात्रा पर अधिक बल नही देना चाहिए। यदि बालक को यह अनुभव हुआ कि वह अपनी वाणी में सुधार नहीं कर सकता तब वह हतोत्साहित हो जाएगा और उसका आत्मविश्वास बिखर जाएगा। यह स्थिति उसके लिए दुगुनी हानिकारक हो जाएगी।
3. **सही निदान करना (Correct Diagnosis)–** किसी को भी शिक्षा देने से पहले उसमें निदान आवश्यक है। वाक् विकलांगों के दोष का क्या कारण है, दोष का स्तर क्या है, इन सब को पता लगाना निदान द्वारा ही संभव है, इसीलिए निदान बहुत सावधानी से, गहराई व सच्चाई से करना चाहिए। जल्दबाजी में किया गया निदान गलत निष्कर्षों पर पहुँचा देता है। फलस्वरूप सुधार के स्थान पर हानि होने की संभावना अधिक होती है।
4. **उपयुक्त वाक् अभ्यास (Suitable Speech Exercise)–** वाक् विकलांग बालकों को समुचित एवं पर्याप्त वाक् अभ्यास देना चाहिये। बालक के लिए कौन-सा अभ्यास उपयुक्त रहेगा, इसका पता निदान द्वारा चल जाता है। शिक्षक को बालक के सामने सही गलत दोनों तरह से बोलकर समझाना चाहिए। साथ ही दोनों में अन्तर भी स्पष्ट करना चाहिए।
5. **चिन्ता से बचना (Avoidance of Anxiety)–** 70 से 80 प्रतिशत व्यक्ति हकलाहट या तुतलाहट से ग्रसित होते हैं। यह दोष अधिकतर सांवेगिक कारणों जैसे-चिन्ता, लज्जा, ग्लानि, दुश्चिन्ता आदि के कारण उत्पन्न होते हैं। इसीलिए शिक्षकों को चाहिए कि कक्षा का वातावरण, आनन्दपूर्ण, सुखप्रद, मैत्री भावना से परिपूर्ण और स्वस्थ रखें। अत: शिक्षक का व्यवहार व कक्षा का वातावरण ऐसा होना चाहिए जिसमें बालकों में चिन्ता उत्पन्न न हो।
6. **लज्जा एवं घबराहट से बचाव (Avoidance of Embarrassement)–** शिक्षकों को चाहिए कि वह वाक् विकलांग बालकों की कक्षाओं में ऐसी परिस्थिति को दूर करे जो लज्जा व घबराहट उत्पन्न करती हो। अधिकतर सामान्य कक्षाओं में सामान्य बालक इन बालकों को हँसी-मजाक का केन्द्र बना लेते हैं। इस प्रकार की परिस्थिति इन विकलांगों की अपंगता को और अधिक बढ़ा देती है। इसीलिए शिक्षक को इस परिस्थिति को ढंग से सँभालना चाहिए। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि वाक् विकलांग बालकों को शिक्षा देते समय उनका पूरा ध्यान देना चाहिए। यदि उनकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है तो चिढ़ाने के पात्र बन जाते हैं, फलस्वरूप उनकी स्थिति और भी दायनीय हो जाती है। वाक् विकलांग मनोवैज्ञानिक कारणों से ग्रसित रहते हैं न कि शारीरिक कारणों से। अत: उन बालकों का उपचार मुख्यत: मनोविज्ञान एवं शिक्षाशास्त्र पर आधारित होना चाहिए। जहाँ तक संभव हो बालक के दोषों का पता बाल्यकाल में लगाकर उपचार कराना चाहिए। उपचार के साथ-साथ उन्हें सामान्य बच्चों के साथ समायोजन स्थापित करने की शिक्षा भी देनी चाहिए। उन्हें सामान्य बच्चों के साथ रहने के अवसर भी प्रदान करने चाहिए।

नोट

अलीयाबर राष्ट्रीय मूक बधिर संस्थान, मुम्बई–1982 (Aliyabar National Institute of Deaf and Dumb, Mumbai, 1982)

चूँकि मूक बधिर की श्रेणी भी विकलांगता के क्षेत्र में एक जटिल समस्या है, अत: यह संस्थान इस श्रेणी के विकलांगों को शिक्षा एवं व्यवसाय के लिए पुनर्वसित करने के लिए प्रयत्नशील है। जैसा कि सर्वविदित है कि मूक बधिर अपनी सुनने तथा बोलने की अक्षमता के आधार पर समाज तथा परिवेश के लिए एक समस्या हैं, अत: यह संस्था अपनी विशेष पद्धति द्वारा उन्हें शिक्षित-प्रशिक्षित करती है और उन्हें सामान्य कार्यों में प्रशिक्षण देकर आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाती है। इन्हें ओष्ठ (Lip) पद्धति द्वारा सामान्य कार्यों में दक्ष किया किया जाता है। यदि उन्हें विशेष प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए तो इस प्रकार के बालक तकनीकी कार्य के लिए पूर्ण सक्षम हैं। यह संस्थान इन लोगों को प्रशिक्षण देने तथा रोजगार दिलाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर वचनबद्ध है। इसी प्रकार की एक संस्था ''All India Institute of Speech and Hearing'', Manasgangotri, Mysore—570 006 में भी इस प्रकार के विकलांगों के हितार्थ कार्यरत है।

टास्क भारत में श्रवण बाधित एवं वाणी बाधितों की शिक्षा पर एक टिप्पणी लिखिए।

स्व-मूल्यांकन (Self-Assessment)

सही विकल्प चुनिए (Choose the correct options)

1. अलीयाबर राष्ट्रीय मूक-बधिर संस्थान कहाँ स्थित है?
   (क) दिल्ली (ब) मुंबई
   (ग) मैसूर
2. निम्नलिखित किन ध्वनियों को उच्चरित करते समय होंठ लगभग समान गति से हिलते हैं–
   (क) क, द्, ज, झ, य (ख) ट, ढ़, ख, घ
   (ग) प, ब, भ, अ, क, त
3. बालकों में गंभीर रूप से वाणी दोष का प्रतिशत होता है–
   (क) 3 प्रतिशत (ख) 5 प्रतिशत
   (ग) 8 प्रतिशत
4. स्वर विज्ञान समिति का संबंध है–
   (क) जिनेवा से (ख) भारत से
   (ग) अमेरिका से

12.1.1 श्रवण बाधित बालकों की समस्याओं का निवारण एवं शिक्षण आव्यूह (Prevention and Teaching strategies of Speech Impaired Children)

श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। जा इस प्रकार है–

1. संप्रेषण तकनीकी (Communicaton Techniques)

श्रवण बाधित बालक के संबन्ध है में जो सबसे बड़ी कठिनाई है वह संप्रेषण के संबंध में है। बालक सुन नहीं सकता है अत: कक्षा में पढ़ाई जाने वाली बातों का सही व पूर्ण अधिगम नही ंकर सकता है। अत: उसे भली प्रकार शिक्षित करने के लिए कुछ विशेष संप्रेष्ण तकनीक अपनायी जानी चाहिए। कुछ संप्रेषण तकनीकी निम्नलिखित हैं–

(अ) चिह्न भाषा (Sign Language)– बधिर और अत्यधिक ऊँचा सुनने वाले बालकों के लिए चिह्न भाषाओं का प्रचलन है, जैसे (1) चिह्नित अंग्रेजी, (2) अमेरिकन चिह्न भाषाएँ एक-दूसरे से भिन्न होती हैं। अब

नोट

विशेषज्ञ चिह्न भाषा को प्रमाणित (Standardize) कर रहे हैं ताकि उसे अधिकतर स्कूलों में बोला जा सके और सामान्य बातचीत में तथा टेलीविजन में उसका प्रयोग हो सके। चिह्न भाषा में शब्दों वर्णों के लिए चिह्न बने रहते हैं।

(ब) **ओष्ठ पठन (Lip Reading)–** ओष्ठ पठन में बालकों को होठों के हिलने और गति के आधार पर वर्णों और शब्दों को पढ़ने की शिक्षा दी जाती है। ओष्ठ पठन की कुछ कमियाँ हैं, जैसे–

(1) एक बधिर बालक एक सामान्य गति से बोले गये वाक्य को केवल 25 प्रतिशत ही समझा सकता है।

(2) कुछ ध्वनियों को उच्चरित करते समय होठ लगभग समान गति से हिलते हैं, जैसे–प, ब, भ, अ, क, त आदि

(3) बालक का ध्यान विभाजित हो जाता है, क्योंकि वह आधा ध्यान होठों की गतियों पर और आधा ध्यान कही गई बात पर केन्द्रित करता है। फलस्वरूप वह संपूर्ण बात को नहीं समझाता है।

(स) **संकेत भाषा (Cue language)–** संकेत भाषा में होठों को पढ़ने के साथ हाथ में मुँह के पास ही संकेत दिये जाते हैं। संकेत उसी भाषा के होते हैं जिसमें कि बोला जाता है। संकेत भाषा के लाभ निम्नलिखित हैं–

(1) इसमें उसी व्याकरण का प्रयोग होता है जो बोली जाती है।

(2) इससे बालक आसानी से सुनने वाले भागों के साथ संप्रेषण कर सकता है।

प्रभावशाली ओष्ठ पठन और संकेत भाषा के लिए छोटे-छोटे वाक्य, मुहावरे आदि धीरे-धीरे साफ-साफ बोलने चाहिए। बोली गयी विषय-वस्तु सार्थक होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में बालक शीघ्र कही गयी बात समझना सकेगा।

(द) **स्पर्श विधि (Touch Method)–** इसमें स्पर्श द्वारा कही गयी बात को समझने का प्रावधान होता है।

(य) **गति विधि (Movement Method)–** इसमें शरीर से विभिन्न गतियाँ करावाकर बधिर बालकों को संप्रेषण से सहायता दी जाती है।

(र) **प्रवर्धक प्रयोग (Use of Amplifiers)–** ध्वनि प्रवर्द्धक यन्त्रों का प्रयोग भी संप्रेषण के लिए किया जाता है, परन्तु यह केवल उन बालकों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है जो सामान्य से थोड़ा ऊँचा सुनते हैं। बधिर बालकों के लिए यह बेकार है।

यह एक वाद-विवाद का विषय है कि संप्रेषण के इन विभिन्न प्रकारों में से किसका प्रयोग किया जाए। कुछ विशेषज्ञ एक और कुछ दो या दो से अधिक के प्रयोग पर बल देते हैं। वास्तव में, यह इस बात पर निर्भर करता है कि बालक का श्रवण दोष कितना है और वह किन परिस्थितियों में रह रहा है। कक्षा व्यवस्था भी संप्रेषण में सहायक होती है। श्रवण बाधित बालकों के लिए सामान्य बालकों से अधिक ऊँची कुर्सियों की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वे अध्यापक के ओठों की गति को पढ़ सकें। यदि कक्षा गोलाकार रूप से बैठायी जाए तो यह अति उत्तम होगा। इससे बालक दूसरे बालकों के होठों की गति भी देख सकता है। साथ ही उसमें अन्य बालकों से भिन्न होने की अनुभूति भी नहीं आयेगी जो उसमें कम मनोवैज्ञानिक समस्याएँ उत्पन्न करती है।

2. शिक्षण तकनीकी (Teaching Technology)

श्रवण बाधित बालकों के लिए अग्रलिखित शिक्षण तकनीक अपनायी जानी चाहिए–

(1) शिक्षण विषय-वस्तु को सहायक सामग्री की सहायता से पढ़ाया जाना चाहिए। जो सहायक सामग्री प्रयोग की जा सकती है, वह इस प्रकार है– आकृतियाँ, चित्र संकेत, शब्द मॉडल, मानचित्र, इशारे।

(2) शिक्षण के बीच-बीच में प्रश्न पूछना अनिवार्य है। प्रश्न पूछने से यह पता लग सकता है कि बालक पढ़ायी गयी बात को कितना समझ रहा है।

(3) श्रवण बाधित बालक को एक नोट लेने वाला व्यक्ति (note-taker) प्रदान किया जाना चाहिए। इसकी कुछ अनिवार्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं–

नोट

(क) श्रवण बाधित बालक के प्रति भावुक हो।

(ख) विषय का अच्छा ज्ञान रखता हो।

(ग) सामान्य से अच्छी शैक्षिक उपलब्धि हो।

(घ) दिशा और व्यवस्था को स्वीकार करने की इच्छा हो।

(ड.) कक्षा-कक्ष अध्यापक से कार्य लेने में आत्म-विश्वास का अनुभव करता हो।

(च) अपनी आलोचना या दिखावे के लिए प्रदर्शित बुरी भावना को स्वीकार करने की इच्छा हो।

(4) यदि नोट लेने वाले व्यक्ति की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो श्रवण बाधित बालक के किसी सहपाठी से कहा जा सकता है कि वह जो नोट्स लेता है उसकी कार्बन कापी निकाला करे। कार्बन कापी का प्रयोग श्रवण बाधित बालक कर सकता है।

(5) श्रवण बाधित बालकों के लिए एक विशेष अध्यापक (Special teacher) जो प्रशिक्षण प्राप्त हो नियुक्त किया जाना चाहिए। इसका कार्य अन्य अध्यापकों और माता-पिता से मिलकर बालकों की पढ़ाई की व्यवस्था करना होगा।

(6) श्रवण बाधित बालकों की अधिगम कमियों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यह देखना चाहिए कि वे शब्दों को ठीक लिखते और बोलते हैं अथवा नहीं। प्रारम्भिक अवस्था में ही सुधार कर लेना बालक के हित में होगा।

(7) आजकल श्रवण बाधित बालक के शिक्षण के लिए कम्प्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग परीक्षण और पुनर्वास के लिए सफलतापूर्वक किया जा सकता है जैसा कि *लेविट* ने देखा है। इनका प्रयोग कम्प्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन (Computer Assisted Instruction) के लिए भी किया जाता है। *गोल्डबर्ग* ने दिखाया है।

(8) श्रवण बाधित बालकों के लिए कुछ तकनीकी कार्यक्रम (Technical Programmes) बनाने चाहिए। रोचेस्टर तकनीक विज्ञान संस्था (Rochestor Institute of Technology) में स्थित बधिर राष्ट्रीय तकनीकी संस्था में इस प्रकार के कार्यक्रम उपलब्ध हैं। इन्हें भारतीय संस्कृति के अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है और सर्वथा नवीन कार्यक्रम भी बनाये जा सकते हैं।

3. श्रवण बाधित बालकों हेतु शैक्षिक सुविधाएँ (Educational Facilities for Hearning Impaired Children)

श्रवण बाधित बालकों का दिन-प्रतिदिन के क्रियाकलाप भी प्रकार से करने में सहायता देने के लिए कुछ सुविधाएँ दी जानी चाहिए। ये सुविधाएँ उनके ज्ञान को निश्चित रूप से विकसित करेंगी। ये सुविधाएँ तथा साधन निम्नलिखित हैं–

(1) श्रवण सहायक उपकरण का उपयोग (Use of Hearning Aids)

(2) व्यवसायिक प्रशिक्षण (Vocational Training)

(3) श्रवण प्रशिक्षण (Auditory Education)

(4) पूर्व प्राथमिक शिक्षा (Nurcery Education)

(5) कक्षा का समुचित प्रबन्धन (Classroom Management)

(6) बोलने व पढ़ने का प्रशिक्षण (Speech and Reading Training)

(7) माता पिता की भूमिका (Role of Pareants)

(8) विद्यालय की भूमिका (Role of School)

(9) अध्यापक की भूमिका (Role of Teacher)

(1) दृश्य-श्रव्य संकेत सामग्री श्रवण बाधित बालक के लिए अत्यन्त लाभदायक सिद्ध हो सकती है। जैसे टेलीफोन में ध्वनि प्रवर्धक या विस्तारक लगाने से बालक टेलीफोन पर बातचीत कर सकते हैं। टेलीफोन में लगी टिमटिमाती रोशनी बालक को टेलीफोन घण्टी को सूचना दे सकती है। आजकल बालकों के लिए टेलीफोन, टाइपराइर और कम्प्यूटर यन्त्र

नोट

बनाया गया है। इसमें टेलीफोन पर वार्ता टाइप होकर स्क्रीन में देखी जाती है। इसमें बधिर बालक टेलीफोन पर वार्ता कर सकते हैं। इसी प्रकार के अन्य यन्त्र भी विद्यालयों में उपलब्ध कराये जा सकें तो वे श्रवण बाधित बालकों के लिए अत्यन्त लाभप्रद होंगे। (2) वीडियो टेप्स का प्रयोग लाभकारी सिद्ध होगा। (3) फिल्म का प्रयोग किया जाना चाहिए। (4) अनुशीर्षक (Captioned) कार्यक्रम जो टेलीफोन पर दिखाये जाते हैं वे अधिक और प्रभावशाली होने चाहिए। (5) कक्षा-कक्ष में समुह श्रवण सहायक (Group Hearing Aids) उन सभी बालकों को प्रदान किये जाने चाहिए जो किसी भी प्रकार की श्रवण बाधिता से पीड़ित हैं। इन सब सहायकों का एक ही प्रवर्धक होता है। (6) श्रवण सहायक बन्दी (Hearning Aids Vests) तथा ध्वनि कान (phonicear) का प्रयोग किया जाना चाहिए। (7) टेप रिकार्डर में अध्यापक का व्याख्यान टेप करके श्रवण बाधित बालकों को दिया जाना चाहिए ताकि समय मिलने पर सुविधानुसार वे अपनी गति के अनुसार पाठ समझ सकें। (8) अध्यापक द्वारा यदि ओवरहेड योजना (Overhead projector) का प्रयोग किया जाता है तो यह अत्यन्त अच्छा होगा। (9) श्रवण बाधित बालकों को अजाएबघर, ऐतिहासिक इमारतें, प्रसिद्ध स्थान, मिल आदि सूचनाप्रद स्थानों पर घुमाने अवश्य ले जाना चाहिए और प्रत्येक बालक का ध्यान विशेष वस्तुओं की ओर आकर्षित किया जाना चाहिए। शैक्षिक पर्यटन की व्यवस्था की जाए।

4. पृथक कक्षाएँ (Segregated Classes)

कुछ श्रवण बाधित बालक ऐसे होते है जो श्रवण विकलांगता से पीड़ित जन्म के कुछ वर्षो बाद होते हैं तथा जो भाषा ज्ञान प्राप्त कर चुके होते हैं। ऐसे बालकों को शिक्षित करना अपेक्षाकृत सरल है। साथ ही ऐसे बालकों को भी शिक्षित करना सरल है जो बाधिर अथवा गम्भीर रूप में बाधिता से पीड़ित हैं। कम गम्भीर रूप से पीड़ित बालक अपनी शिक्षा को सामान्य कक्षा में प्राप्त कर सकते हैं बशर्ते उन्हें कुछ विशेष सुविधाएँ यथा नोट लेने वाले सहायक, ध्वनि प्रवर्धक यन्त्र, प्रशिक्षित अध्यापक आदि प्रदान किए जाएँ। इन बालकों की अधिगम कमियों को पृथक कक्षाएँ आयोजित करके दूर किया जा सकता है। इन पृथक कक्षाओं में प्रशिक्षित अध्यापक अन्य अध्यापकों के सहयोग से अपना कार्य करते हैं।

5. पृथक विद्यालय (Segregated School)

जो बालक जन्म से श्रवण बाधित है अथवा बधिर है, उन्हें सामान्य बालकों के साथ बैठाकर शिक्षा नहीं दी जा सकती है। अत: उनके लिए पृथक विद्यालय बनाये जाने चाहिए जहाँ बधिरों को शिक्षित करने संबन्धी सभी उपकरण, सामग्री सुविधा और प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था हो।

6. शिशु कार्यक्रम (Infant Programme)

एक श्रवण बाधित बालक की शिक्षा तब आरम्भ होती है जब वह स्कूल में प्रवेश लेने आता है। वास्तव में, उसकी शिक्षा तब से आरम्भ होनी चाहिए जब से वह इस कमी से पीड़ित हुआ है। अत: विद्यालयों के कर्त्तव्य क्षेत्र के अन्तर्गत यह भी आता है कि वह शिशुओं के लिए कार्यक्रम बनाये ताकि विद्यालय में प्रवेश के समय एकाएक समस्या उत्पन्न न हो।

7. प्रगतिक्रम (Progression)

श्रवण बाधित बालक की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य उसे सामान्य शिक्षा की धारा में लाना है। यदि वह एक पृथक विद्यालय में अथवा पृथक कक्षा में पढ़ता है तो उसकी शैक्षिक प्रगति इस पर निर्भर करती है कि वह कब तक इस योग्य हो जाता है कि सामान्य कक्षा में बैठकर लाभान्वित हो सके। यह संभावना है कि बधिर और गहन रूप से पीड़ित बालक पूर्ण रूप से सामान्य कक्षा में नही बैठ सकता। साथ ही यह भी आवश्यक है कि उसे सामान्य कक्षाओं और सामान्य बालक से अन्त:क्रिया का अनुभव मिले। अत: कुछ विषयों जिन्हें वह सामान्य बालकों के साथ पढ़ सकता है, यथा— कला, शारीरिक प्रशिक्षण में उसे सामान्य कक्षा में बैठाया जाए जिससे वह मुख्य धारा में आ सके।

8. शैक्षिक और व्यवसायिक निर्देशन (Educational and Vocational Guidance)

श्रवण बाधित बालकों की अभिरुचि, अभियोग्यता को ध्यान में रखकर उन्हें शैक्षिक निर्देशन दिया जाना चाहिए। ऐसे बालकों के व्यवसाय की योजना पूर्व में बनाना अनिवार्य है। इन्हें ऐसे व्यवसायों की आवश्यकता है जिनमें कम से कम

नोट

शाब्दिक संप्रेषण होता हो। अत: पेटिंग, बिजली संबन्धी कार्य, कौशलयुक्त लकड़ी आदि का कार्य, खाना पकाने का कार्य, कलात्मक कार्य, बढ़ईगीरी, आदि कार्य इनके लिए उपयुक्त होते हैं। शोध कार्य, हिसाब-किताब का कार्य भी श्रवण बाधित बालक भली प्रकार कर सकते हैं। आजकल व्यवसायों में वृद्धि के साथ श्रवण बाधित बालक के लिए अपने अनुरूप व्यवसाय पाना उतना जटिल नहीं रह गया है जितना पहले था जब ऐसे बालकों को समाज में एक भार माना जाता था।

इस प्रकार की कुशलतापूर्वक आयोजित व्यवस्था श्रवण बाधित बालकों को न केवल शिक्षित करने में सहायक होगी बल्कि उनके भविष्य को भी सुरक्षित रखने में सफल होगी। इस बात का स्पष्ट प्रभाव ऐसे बालकों के सन्तुलित व्यक्तित्व विकास पर स्पष्ट दृष्टिगोचर होगा।

इन तकनीकों के अतिरिक्त समाज, राष्ट्र व परिवार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे ऐसे छात्रों को सामयोजित करें व उनकी इस कमी को दूर करें या सुधार कर उनको किसी कलात्मक व रचनात्मक कार्य की ओर प्रेरित करे जिससे वे भविष्य में सफल व्यक्ति बन सकें व अपनी आजीविका स्वयं चला सकें।

अध्यापक की भूमिका (Role of Teacher)

सामान्य शिक्षक की कक्षा में भी श्रावण बाधित बालक प्रवेश ले लेते हैं। इसलिए शिक्षक का यह उत्तरदायित्व होता है कि शिक्षक ऐसे बालकों पर ध्यान दें और उन्हें समुचित सहायता प्रदान करें। इस सन्दर्भ में निम्नलिखित भुमिकाओं का निर्वाह करना होता है–

(1) ऐसे बालकों के व्यवहार के आधार पर उनकी पहचान करें और सामान्य कक्षा में उन्हें आगे की सीटों पर बैठाने की व्यवस्था करें। साथ ही उनके माता-पिता को इसकी सुचना दें जिससे वो उनका चिकित्सा परीक्षण कराएँ और उपचार की व्यवस्था करें।

(2) कक्षा में इस प्रकार के बालकों का प्रतिशत बहुत कम होता है। अन्य सामान्य बालकों की तुलना में उनकी आवश्यकता को भी ध्यान में रखना होता है। इसलिए शिक्षक कक्षा से अलग उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनकी सहायता करें जिससे वह कक्षा में कठिनाई का अधिक अनुभव न करें।

(3) शिक्षक को उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए और उनके प्रति सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करना चाहिए।

(4) शिक्षक को कक्षा में ऐसे बालकों को पढ़ाने और लिखने का अधिक ध्यान देना चाहिए और शिक्षक से इनकी दूरी अधिक नहीं होनी चाहिए।

(5) शिक्षक को यह भी देखना चाहिए कि बालक श्रवण यन्त्रों का उपयोग नियमित रूप से करते हैं। क्योंकि आरम्भ में यन्त्रों की सहायता लेने में बालकों को कठिनाई का अनुभव होता है।

(6) शिक्षक को बड़े स्वभाविक रूप में बोलना चाहिए और बोलने की गति भी तीव्र न हो क्योंकि श्रवण बाधित बालक धीमी गति से ही सुन और समझ पाते हैं।

(7) शिक्षक को बोलते समय एक ही स्थान पर खड़ा रहना चाहिए क्योंकि बोलते समय चलने-फिरने से ऐसे बालकों को अधिक कठिनाई होती है, क्योंकि शिक्षक की वाणी में उतार-चढ़ाव आ जाता है।

(8) शिक्षक को श्यामपट्ट कार्य के बाद यह देखना चाहिए कि इन बालकों ने श्यामपट्ट से सही लिख लिया है या नहीं।

(9) शिक्षकों को नयी शब्दावली को पढ़ाने में सावधानी बरतनी चाहिए। बोलना और लिखना दोनों ही कार्यो की सहायता लेनी चाहिए।

(10) शिक्षकों को ऐसे बालकों को अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए और अपनी पाठ्यवस्तु में पुनर्रावृत्ति भी करनी चाहिए। शब्दों के उच्चारण में सामुहिक उच्चारण प्रविधि की सहायता लेनी चाहिए। शिक्षक को जहाँ तक संभव हो अपनी पाठ्यवस्तु के प्रस्तुतीकरण में दृश्य सहायक सामग्री का अधिक प्रयोग करना चाहिए। शिक्षण

नोट

के महत्वपूर्ण बिन्दुओं को श्यामपट्ट पर अंकित करना चाहिए। शिक्षक को पढ़ाते समय अनुकूलित आव्यूहों का प्रयोग करना चाहिए जिससे श्रवण बाधित शिक्षण का पूरा लाभ उठा सकें।

(11) शिक्षक को पाठ्य–सहगामी क्रियाओं में श्रवण बाधित बालकों की भागीदारी का अवसर देना चाहिए। जो उनके रुचि और योग्यताओं के अनुरूप हो।

(12) एक सामान्य शिक्षक श्रवण बाधितों की सभी कठिनाइयों को हल नहीं कर सकता इसलिए उसे स्रोत शिक्षक की भी सहायता लेनी चाहिए।

श्रवण बाधित एवं शिक्षा की मुख्यधारा (Mainstreaming and Hearning Impaired Children)

प्राथमिक शिक्षा के लिए अधिगम की सहायक सामग्री और समुचित श्रवण यन्त्रों का उपयोग करके यह बालक भली प्रकार पढ़-लिख सकते हैं और इन्हें सामान्य बालकों के साथ शिक्षा की मुख्यधारा में प्रवेश दिया जाता है। श्रवण क्षमता के अभाव में महत्व ने देकर सामान्य शिक्षा दी जाती है। गम्भीर रूप से बाधित बालक भी सामान्य विद्यालयों में सफलता पूर्वक शिक्षा पा लेते हैं। परन्तु अन्य श्रावण बाधित बालक सामान्य बालकों के साथ नहीं पढ़ लिख सकते हैं। इस प्रकार प्रत्येक देश में परिस्थितयाँ अलग अलग होती हैं। पश्चिमी जर्मनी में इन बालकों के लिए विशिष्ट विद्यालय होते हैं। गम्भीर रूप से श्रवण बाधितों की शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। इटली इस प्रकार के बालकों को शिक्षा की मुख्यधारा में ही पढ़ने लिखने का अवसर दिया जाता है। विकासशील देशों में विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जानी है। इन देशों में शिक्षा की मुख्यधारा में प्रवेश देते हैं परन्तु विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना में प्रयत्नशील है।

श्रवण बाधितों के लिए 'सांकेतिक भाषा' का विकास किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में श्रवण बाधितों की आवश्यकताओं और समस्याओं के लिए शिक्षा द्वारा उन्हें सहायता प्रदान की जाती है। इन शैक्षिक परिस्थितियों से इस प्रकार के बालक लाभ उठाते हैं। सांकेतिक भाषा के साथ अर्थापन के स्वरूप का प्रशिक्षण दिया जाता है। कुछ देशों में मौखिक अर्थापन को महत्त्व दिया जाता है और वाणी के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं।

गत वर्षो में शिक्षा की मुख्यधारा की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है। आरम्भिक अवस्था में वाणी और श्रवण का प्रशिक्षण दिया जाता है। जिससे इस प्रकार के बालकों को शिक्षा तथा भाषा की कठिनाई नहीं होती है। शोध कार्यो में यह पाया गया कि श्रवण बाधित बालक स्नातक स्तर तक पहुँचकर भाषा के पढ़ने का स्तर माध्यमिक स्तर का ही होता है। अन्य शोध परिणामों में पाया गया कि श्रवण बाधित प्रथम भाषा को अन्य भाषाओं की अपेक्षा सीखने में कम कठिनाई का अनुभव करते हैं।

सांकेतिक भाषा यांत्रिक होती है क्योंकि संपूर्ण संप्रेषण का दर्शन प्रयुक्त नहीं होता है। श्रवण बाधित बालक सभी प्रकार के संप्रेषणों को सीख लेते हैं और भाषा की सक्षमता का विकास कर लेते हैं। समस्त संप्रेषणों के मुख्य प्रकार बालक द्वारा विकसित हाव-भाव, वाणी, औपचारिक सांकेतिक भाषा, उंगलियों की वर्तनी, लिखना, पढ़ना तथा इसके अतिरिक्त अन्य विधियों का विकास किया गया। प्रत्येक श्रवण व वाणी बाधित को पढ़ने, सीखने तथा लिखने की स्वतन्त्रता देनी चाहिए तथा समुचित अवसर भी प्रदान किए जाए। जहाँ तक संभव हो श्रवण यन्त्रों के उपयोग की सुविधा प्रदान की जाए। समस्त संसार में तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में संपूर्ण संप्रेषण के सिद्धान्त को बढ़ावा दिया जा रहा है। माता-पिता भी चाहते हैं कि उनके बालकों को सांकेतिक भाषा के साथ वाणी का भी प्रशिक्षण दिया जाए। संकेतों तथा वाणी के संयुक्त रूप को 'द्विप्रतिमान संप्रेषण' (Bimodal Communication) की संज्ञा दी जाती है।

श्रवण बाधितों के लिए पाठ्यक्रम सामान्य बालकों का ही रहना चाहिए। जिस से वह हीन भाव न उत्पन्न हो, यद्यपि उनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य बालकों के समान नहीं हो सकती है। पाठ्यक्रम को श्रवण बाधितों की आवश्यकता एवं क्षमताओं के आधार पर अनुकूलित किया जाए।

नोट

श्रवण बाधितों को वाणी तथा भाषा का प्रशिक्षण देना चाहिए। वाणी की अनुभूति तथा अभ्यास, शब्दावली का विकास, भाषा के उपयोग तथा स्वरूप का विकास करना चाहिए। यह शिक्षण कार्यक्रम बालक क्षमताओं के अनुरूप ही होना चाहिए।

श्रवण बाधितों को वाणी प्रत्यक्षीकरण का प्रशिक्षण देना चाहिए। जिससे वह ध्वनियों को सुन सके, उन्हें बोधगम्य कर सके, अन्तर कर सके। वाणी प्रत्यक्षीकरण की अनुभूति, होठों की गति पढ़ सके जिससे समायोजन कौशल का विकास हो। नवीन शब्दावली को सिखाने के लिए निरन्तर प्रस्तुतीकरण करते रहना चाहिए। लिखित प्रस्तुतीकरण में मौखिक प्रस्तुतीकरण का अनुसरण किया जाए।

नोट्स शब्दावली को विभिन्न सन्दर्भो में प्रस्तुत किया जाए। श्रवण बाधितों को भाषा के स्वरूप का प्रशिक्षण दिया जाए– शब्द का रूप, शब्द का क्रम जिससे उसका अर्थ प्रभावित होता है ऐसे कथन तथा वाक्य प्रस्तुत किये जाने चाहिए।

श्रवण बाधित बालकों हेतु शिक्षण आव्यूह (Teaching Strategies for Hearning Impaired Children)

श्रवण बाधित बालकों के शिक्षण हेतु कुछ सामान्य शिक्षण आव्युह का उपयोग किया जाता है। इन बालकों के शिक्षण में निम्नलिखित प्रवधियों को प्रयोग किया जाता है–

(1) दृश्य प्रस्तुतीकरण मौखिक पाठ्यवस्तु को संमलित करना।
(2) छात्रों की एकाग्रता पर ध्यान देना।
(3) पाठ के मुख्य अंश का शिक्षण करना।
(4) प्रस्तुतीकरण का संक्षेपीकरण करना।
(5) शाब्दिक प्रस्तुतीकरण स्पष्ट तथा सूक्ष्म करना।
(6) पाठ्यवस्तु की पुनरावृत्ति करना।
(7) बोधगम्यता के आंकलन हेतु प्रश्न पूछना तथा
(8) बहुइन्द्रिय आयाम का उपयोग करना।

श्रवण बाधित बालकों के लिए भाषा के कौशल का विकास करना चाहिए और भाषा संबन्धी समुचित अधिगम अनुभव प्रदान किए जाए। संप्रेशण कौशल तथा भाषा की गतिवृद्धि हेतु निरन्तर नियमित रूप से विद्यालय में अभ्यास कराया जाए। जिससे भाषा की क्षमताओं, बोधगम्यता तथा संप्रेषण कौशल का विकास किया जा सके। भूमिका निर्वाह, सामूहिक अभ्यास, चित्र कार्ड, उदाहरण, अभ्यास पुस्तिका, ध्वनि यन्त्रों का उपयोग करना चाहिए। भाषा के प्रशिक्षण हेतु किट्स उपलब्ध हैं उनका भी उपयोग किया जा सकता है।

अभिव्यक्ति तथा लिखित बोधगम्यता के विकास हेतु सरल वाक्यों के लिखने तथा प्रस्तुतीकरण का अभ्यास कराया जाए। चित्र कार्डो को व्यवस्थित करने का अवसर दिया जाए। समतुल्य प्रश्नों की सहायता से क्या, कब, कहाँ तथा कैसे प्रश्नों का अभ्यास कराया जाए। कक्षा में टंगे हुए चार्टो की सहायता से भाषा में गति का विकास किया जा सकता है।

गणित की योग्यता के विकास हेतु प्रशिक्षण में सिक्कों, प्लास्टिक विकल्पों, बाक्स, रेखाएँ, अर्ध-अमूर्त सामग्री का अधिगम में सुविधा हेतु उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार के बालक संख्यात्मक योग्यता, अमूर्त चिन्तन तथा प्रत्यात्मक योग्यता में सामान्य बालकों से कम नहीं होते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति मन्द होती है।

वाणी के उपचार में बन्द संप्रेषण का उपयोग अधिक प्रभावशाली होता है। श्रवण यन्त्रों के उपयोग से कक्षा में सामान्य बालकों के साथ पढ़ लिख सकते हैं तथा पाठ्यवस्तु का बोधगम्य करते हैं। कक्षा शिक्षण में सामूहिक तथा व्यक्तिगत रूप में श्रवण यन्त्रों का उपयोग किया जा सकता है।

नोट

श्रवण बाधित बालकों हेतु सुझाव (Suggestions for Hearning Impaired Children)

श्रवण बाधित बालकों का स्थानापन्न आकलन के आधार पर करना चाहिए। यहाँ स्थानापन्न का तात्पर्य यह है कि श्रवण बाधित बालक को किस प्रकार के विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाए जिससे उसका प्रशिक्षण क्रमबद्ध रूप से किया जा सके और उसकी देख भाल तथा समुचित विकास किया जा सके। श्रवण बाधित बालकों के स्थानापन्न के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों की व्यवस्था की जाती है–

(1) धन पर आधारित कार्यक्रम,

(2) विशिष्ट विद्यालय में स्थानापन्न,

(3) आंशिक समय में विशिष्ट विद्यालय में स्थानापन्न,

(4) समन्वित शिक्षा परिस्थिति में स्थानापन्न, तथा

(5) व्यवसायिक स्थानापन्न।

(1) घर पर आधारित कार्यक्रम (Home Based Programme)– छोटे बालकों के घर पर आधारित शैक्षिक कार्यक्रम अधिक प्रभावशाली होते हैं। यदि माता-पिता को अपने बालक पर सन्देह होता है और डाक्टरी परीक्षण पहचान हो जाती है कि बालक श्रवण बाधित है तब माता-पिता उसके सुधार तथा उपचार हेतु बहुत कुछ कर सकते है। उसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने लगते हैं और समुचित वातावरण द्वारा प्रोत्साहित करते रहते है। उसे श्रवण यन्त्रों को उपयोग कराया जाता है और समुचित अभ्यास कराया जाता है। यह कार्यक्रम व्यक्तिगत होता है। बालक की आवश्यकताओं एवं समस्याओं के अनुरूप कार्यक्रम का नियोजन किया जाता है। माता-पिता के लगाव तथा अन्त:क्रिया से सामान्य विकास होता है।

(2) विशिष्ट विद्यालय में स्थानापन्न (Placement in Special School)– जब बालक गम्भीर रूप से श्रवण बाधित होता है उसकी पहचान कई बार की अवस्था में हो पाती है और माता-पिता भी उसे कोई भी प्रशिक्षण नहीं दे पाते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे बालकों को विशिष्ट विद्यालय में प्रवेश दिलाकर स्थानापन किया जाता है। ऐसे विद्यालय में पाठ्यक्रम सामान्य बालकों के समान होता है। यदि बालक पाठ्यक्रम का अनुसरण नहीं कर पाता ऐसी परिस्थिति में पाठ्यक्रम में परिवर्तन कर लिया जाता है। इसके लिए अनुकूलित पाठ्यक्रम का उपयोग किया जाता है।

(3) समन्वित विद्यालय में स्थानापन्न (Placement in Integrated School)– कुछ श्रवण बाधित बालक इस प्रकार के होते है उन्हें पर्याप्त अभिप्रेरणा देकर संप्रेषण कौशल तथा शैक्षिक तैयारी की क्षमताओं का विकास कर लिया जाता है। इन बालकों तथा माध्यम स्तर के श्रवण बाधित बालकों का स्थानापन्न समन्वित विद्यालय में किया जाता है। यह सामान्य बालकों के समान ही पढ़ते लिखते हैं।

(4) आंशिक समय में विशिष्ट कक्षा में स्थानापन्न (Placement in Special Class in part-time)– इस प्रकार के अधिकांश श्रवण बाधित बालक होते है तो सामान्य बालकों की कक्षा में लिख पढ़ सकते हैं। सामान्य शिक्षा का लाभ उठा सकते हैं। उन्हें सामाजिक तथा व्यक्तिगत परिपक्वता की आवश्यकता होती है। और अभिप्रेरणा की भी आवश्यकता होती है। इनमें संप्रेषण कौशल विकास किया जा सकता है। इस प्रकार के श्रवण बाधित बालक के लिए आधे समय सामान्य विद्यालयों और आधे विशिष्ट विद्यालयों के स्थानापन्न की व्यवस्था करनी चाहिए। विशिष्ट शिक्षा के स्रोत शिक्षा के रूप में इनकी कठिनाइयों में सहायता करता है जिससे वह सामान्य कक्षा में पढ़-लिख सके।

(5) व्यवसायिक स्थानापन्न (Vocational Placement)– किशोरो तथा युवकों को व्यवसायिक स्थानापन्न की आवश्यकता होती है जिससे वे अपनी जीविका हेतु किसी व्यवसाय में जा सके। इस प्रकार के बालकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। उनके बुद्धि स्तर तथा रूचियों के अनुरूप व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाए। उच्च माध्यमिक स्तर पर उन्हें व्यवसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। अनुकूलता एवं संप्रेषण कौशलों को भी रखा जाए।

नोट

12.2 सारांश (Summary)

- श्रवण बाधित अथवा श्रवण दोष युक्त बालक को श्रवण प्रशिक्षण तथा श्रवण यंत्र की विशेष रूप से आवश्यकता होती है। शिक्षण परिस्थितियों में उसे सुनने की अपेक्षा वस्तुओं को दिखाकर शिक्षा दी जानी चाहिए। ऐसे बालकों की कुछ विशिष्ट आवश्यकताओं की पूति हेतु विशेषज्ञों जैसे– ऑडियोलॉजिस्ट तथा नाक कान गले के चिकित्सक उपलब्ध होने चाहिए। ऐसे बालकों की कुछ विशिष्ट आवश्यकताएँ उनकी श्रवण क्षमता के कम होने की सीमा तथा प्रकार पर निर्भर करती है। विशेषज्ञों की आवश्यकता बालक के द्वारा घर पर अथवा स्कूल में दिए गए प्रशिक्षण पर निर्भर करती है।
- **वाणी श्रवण बाधित बालकों की समस्याओं का निवारण एवं शिक्षण आव्यूह–** बालकों में वाणी सुधार के प्रयास के तहत एक वाणी सर्वेक्षण कराना चाहिए। वाणी में सुधार कार्यक्रम (Speech Correction Programme) बनाना चाहिए। यह कार्यक्रम तभी सफल हो सकता है जब साथ-साथ बालकों का उपचार भी होता जाए।
- सर्वेक्षण प्रत्येक कक्षा का होना चाहिए। दोषपूर्ण बालकों का पता लगा लेने के पश्चात् जब दूसरी कक्षा का सर्वोक्षण शुरू होता है तो पहली कक्षा के बालकों का उपचार शुरू हो जाना चाहिए। प्रत्येक विद्यालय के लिए एक वाणी सुधार कार्यक्रम बनाना चाहिए। 4000 बालकों में एक वाणी सुधारक होना चाहिए। केवल 5 प्रतिशत विद्यार्थियों में ही महत्वपूर्ण तथा गम्भीर बोलने का दोष होता है। कुछ तो अध्यापक द्वारा भी ठीक हो सकते हैं।
- अध्यापक का कर्त्तव्य है कि वह अपनी कक्षा के वाणी के दोष वाले बालकों की सूची तैयार करके वाणी सुधारक के समक्ष प्रस्तुत करे। इसके अतिरिक्त उसका स्वयं का भी कर्त्तव्य है कि वह इन बच्चों को अपने ढंग से मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करे कि बालक शुद्ध बोलने का प्रयास करें।
- **वाक् विकलांग बालकों की शिक्षा–** यदि हम वाक् विकलांगों पर उचित ध्यान दें तो शैक्षिक और सुधारात्मक क्रियाकलापों से बहुत लाभ उठा सकते हैं। ऐसे बालकों को उनके लिए चलाई जाने वाली कक्षाओं में उपस्थित रहना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें मनोचिकित्सकों एवं कण्ठ रोग विशेषज्ञों के पास उपचार व परामर्श के लिए ले जाना चाहिए।
- **श्रवण बाधित बालकों की समस्याओं का निवारण एवं शिक्षण आव्यूह–** श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। जा इस प्रकार है–1. संप्रेषण तकनीकी; 2. शिक्षण तकनीकी; 3. श्रवण बाधित बालकों हेतु शैक्षिक सुविधाएँ; 4. पृथक कक्षाएँ; 5. पृथक विद्यालय; 6. शिशु कार्यक्रम; 7. प्रगतिक्रम; 8. शैक्षिक और व्यवसायिक निर्देशन;
- **श्रवण बाधित बालकों हेतु शिक्षण आव्यूह–**श्रवण बाधित बालकों के शिक्षण हेतु कुछ सामान्य शिक्षण आव्युह का उपयोग किया जाता है। इन बालकों के शिक्षण में निम्नलिखित प्रवधियों को प्रयोग किया जाता है–

  (1) दृश्य प्रस्तुतीकरण मौखिक पाठ्यवस्तु को संमलित करना।
  (2) छात्रों की एकाग्रता पर ध्यान देना।
  (3) पाठ के मुख्य अंश का शिक्षण करना।
  (4) प्रस्तुतीकरण का संक्षेपीकरण करना।
  (5) शाब्दिक प्रस्तुतीकरण स्पष्ट तथा सूक्ष्म करना।
  (6) पाठ्यवस्तु की पुनरावृत्ति करना।
  (7) बोधगम्यता के आंकलन हेतु प्रश्न पूछना तथा
  (8) बहुइन्द्रिय आयाम का उपयोग करना।

नोट

12.3 शब्दकोश (Keywords)

- **आमोद-प्रमोद**–भोग विलास, सुख-चैन।
- **प्रवर्धक**– बढ़ाने वाला, वृद्धि करने वाला।
- **ओष्ठ**– होंठ।
- **वार्ता**– बातचीत।

12.4 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

1. वाणी एवं श्रवण बाधित की समस्याओं के निवारण हेतु उपाय समझाइए।
2. वाणी एवं श्रवण बाधितों हेतु शिक्षण-आव्यूह पर प्रकाश डालें।

उत्तर : स्व-मूल्यांकन (Answer: Self Assessment)

1. (ख) 2. (ग) 3. (ख) 4. (ग)।

12.5 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

पुस्तकें

1. *विशिष्ट बालक*– एल. बी. बाजपेयी, अमिता बाजपेयी, भारत बुक सेंटर, नई दिल्ली।
2. *विशिष्ट बालक: शिक्षा एवं पुनर्वास*– महेश भार्गव, एच. पी. भार्गव बुक हाउस, आगरा।
3. *विशिष्ट बालक*– आभारानी बिष्ट, अग्रवाल प्रकाशन, आगरा।
4. *विशिष्ट शिक्षा का प्रारूप*– डॉ. आर. लाल. शर्मा, आर. लाल. बुक डिपो, आगरा।

नोट

इकाई–13: मानसिक मंदित: परिभाषा, प्रकार एवं विशेषताएँ (Mentally Retarded : Definition, Types and Characteristics)

अनुक्रमणिका (Contents)

उद्देश्य (Objectives)
प्रस्तावना (Introduction)
13.1 मानसिक मंदित– अर्थ एवं परिभाषा (Mentally Retarded Meaning and Definition)
13.2 मानसिक रूप से अक्षम बालकों के प्रकार (Types of Mentally Retarded Children)
13.2.1 मंदित बालक (Mentally Retarded Children)
13.2.2 मंद गति से सीखने वाले बालक (Slow Learner Children)
13.3 मानसिक रूप से अक्षम बालकों की विशेषताएँ (Characteristics of Mentally Retardation)
13.4 सारांश (Summary)
13.5 शब्दकोश (Keywords)
13.6 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)
13.7 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

उद्देश्य (Objectives)

विद्यार्थी इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् सक्षम होंगे–

- मानसिक रूप से अक्षम बालकों के प्रकार एवं विशेषताओं से परिचित होंगे।

प्रस्तावना (Introduction)

एक सम्प्रत्यय के रूप में 'मन्दित' की धारणा को शोधकर्त्ताओं ने अनेक परिप्रेक्ष्यों में विश्लेषित किया है। इसके अन्तर्गत एक व्यापक सामान्य से कम बौद्धिक योग्यता का बोध होता है जिसमें ऐसे बालक भी होते हैं जिनकी पूरी तौर पर देख-रेख नहीं होती है तथा ऐसे अन्य बालक भी शामिल हैं जो सामान्य स्तर से थोड़ा नीचे होते हैं, और जिनकी विद्यालय के सन्दर्भ में विशेष प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। ऐसे बालक बिना किसी कठिनाई के प्रौढ़ समाज से अपना समायोजन कर लेते हैं।

व्यक्तिगत विभिन्नताओं ने बुद्धि लब्धि के आधार पर सर्वप्रथम यह घोषित किया कि विशिष्ट बालकों में एक प्रकार मन्दित बालकों का भी है जो प्रतिभाशाली बालकों की अपेक्षा सर्वथा भिन्न होते हैं। इनकी मानसिक योग्यता औसत से कम होती है। मानसिक मन्दित वाले बालकों की बुद्धि-लब्धि, साधारण बालकों की बुद्धि-लब्धि से कम होती है व इनमें विभिन्न मानसिक शक्तियों में न्यूनता होती है। *स्किनर* ने इन्हें मन्दित, अल्पबुद्धि, विकलांग बुद्धि, मन्द गति से सीखने वाले, पिछड़े हुए और मूढ़ की संज्ञा दी है।

नोट

सन् 1921 तक मन्दित और पिछड़े हुए बालकों में किसी प्रकार का अन्तर नहीं किया जाता था लेकिन इसी वर्ष इंग्लैण्ड में मानसिक मन्दित एक्ट आया, और मनोवैज्ञानिकों ने इस पर अध्ययन करना शुरू किया व सामान्य तथा मन्दित बालकों को सरकारी परिभाषा में इस प्रकार उल्लेख किया–

"मानसिक मन्दित औसत से निम्न मानसिक कार्यक्षमता का उल्लेख करता हैं इसका आरम्भ बालक वे विकास की अवधि में होता है और यह निम्नलिखित में से एक या अधिक से अनुकूल व्यवहार की कमी द्वारा सम्बन्धित रहती है–(1) परिपक्वता (2) अधिगम और (3) सामाजिक समायोजन।

13.1 मानसिक मंदित– अर्थ एवं परिभाषा (Mentally Retarded Meaning and Definition)

यहाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय बात यह है कि 'मन्दित' एक अवस्था है न कि राज–यक्ष्मा या कैंसर जैसी कोई बीमारी। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने मानसिक दोष तथा मानसिक मन्दित पदों का समानार्थक रूपों में प्रयोग किया है। तथापि इनमें भेद करना सम्भव है। मानसिक मन्दित से सम्बन्धित अमेरिकन एसोसिएशन ने 'मन्दित' शब्द की जो परिभाषा गठित की है, उसे शिक्षा एवं शिक्षण की दृष्टि से यह कार्य व्यावहारिक माना जा सकता है। यह परिभाषा इस प्रकार है–

"मानसिक मन्दित से तात्पर्य उस असामान्य साधारण बौद्धिक कार्य क्षमता से है जो व्यक्ति की विकासात्मक अवस्थाओं में प्रगट होती है तथा उसके अनुकूलित व्यवहार में ह्रास से संबन्धित होती है।"

परिभाषा के अनुसार बौद्धिक स्तरों के मापन हेतु गठित परीक्षाओं द्वारा व्यक्त बौद्धिक कार्य क्षमताएँ सामान्य से इतना कम होती हैं कि यह बालक की बुद्धि के एक या कई क्षेत्रों यथा, अधिगम, परिपक्वता एवं सामाजिक समायोजन में ह्रास ला सकती है।

अधिगम क्षमता में ह्रास सामान्य से कम सीखने की गति तथा अनुभवों द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की सीमित योग्यता से संबन्धित है। यहाँ ध्यान देना होगा कि यह ह्रास तब स्पष्ट होता है जब बालक को विद्यालयों में पढ़ने के लिए भेजा जाता है और उसमें अपने अन्य साथियों की अपेक्षा सीखने के स्वरूपों एवं निष्पत्तियों में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। **परिपक्वता** के अन्तर्गत बालक की बैठने, खड़े होने, रेंगने, बात करने, चलने तथा सामाजिक अन्त:क्रिया सम्बन्धी कुशलताओं के क्रमिक विकास शामिल हैं। पूर्व प्राथमिक स्तर पर विलम्बित परिपक्वता का यह अर्थ लगाया जाता है कि बालक का चिकित्सात्मक एवं मनोवैज्ञानिक परीक्षण आवश्यक है। सामाजिक समायोजन की क्षमता का तात्पर्य बालक की उस क्षमता से है जिसके द्वारा वह अपने साथियों, माता-पिता तथा अन्य प्रौढ़ों के साथ मिल-जुल कर रहने के लिए अपना व्यवहार अनुकूलित कर लेता है। *मेरिअन जे. इरिक्सन* की दृष्टि में समायोजन की क्षमता व्यवहार के एक या अधिक क्षेत्रों में ह्रास का घटित होना इस बात का प्रतीक है कि बालक को विशिष्ट सेवाओं की आवश्यकता है। 'मानसिक मन्दिता' से ग्रस्त व्यक्तियों में प्राय: तीनों ही क्षेत्रों यथा, अधिगम क्षमता, परिपक्वता एवं सामाजिक समायोजन में ह्रास का कुछ न कुछ अंश अवश्य पाया जाता है।

'मानसिक मन्दित' की चिकित्सात्मक परिभाषाओं के अन्तर्गत मन्दिता को अनुत्क्रमणीय तथा अचल माना जाता है। इसके विपरीत 'अमेरिकन एसोसिएशन आफ मेन्टल डेफिशिएन्सी' ने इस शब्द को अधोलिखित ढंग से परिभाषित किया है–

"मानसिक मन्दित से व्यक्ति की प्रकार्यात्मकता एवं समायोजन व्यवहार से सम्बन्धित वर्तमान स्थिति का बोध होता है। परिणामस्वरूप, व्यक्ति किसी समय मानसिक मन्दित के मानदण्डों पर सही उतर सकता है जबकि किसी अन्य समय पर नहीं भी। कहने का आशय यह है कि व्यक्ति की सामाजिक स्थिति या दशाओं में परिवर्तन या बौद्धिक प्रकार्यात्मकता में कुशलता आने से उसकी सामान्य स्थिति बदल सकती है।" (अनूदित, 1975)

स्किनर–प्रत्येक कक्षा के छात्रों को एक वर्ष में शिक्षा का एक निश्चित कार्यक्रम पूरा करना पड़ता है। जो छात्र उसे पूरा कर लेते हैं उनको 'सामान्य छात्र' कहा जाता है जो छात्र उसे पूरा नहीं कर पाते, उनको मन्दित छात्रों की संज्ञा दी जाती है। विद्यालयों में यह धारणा बहुत लम्बे समय से चली आ रही है और अब भी यही धारण है।"

नोट

आधुनिक समय में मन्दित बालकों से सम्बन्धित पूर्व अवधारणा में परिवर्तन हुआ है, जिस पर *पोलक* व *पोलक* ने लिखा–"मन्दित बालकों को अब क्षीण बुद्धि बालकों के समूह में नहीं रखा जाता है, इनके लिये कुछ भी नहीं किया जा सकता है। अब यह स्वीकार करते हैं कि उनके व्यक्तित्व के उतने ही विभिन्न पहलू होते हैं, जितने सामान्य बालकों के व्यक्तित्व के होते हैं।"

नोट्स मन्दित बालक मूढ़ होता है इसलिए उसमें सोचने, समझने और विचार करने की शक्ति कम होती है। *क्रो* और *क्रो* के शब्दों में "जिन बालकों की बुद्धि-लब्धि 70 से कम होती है, उन्हें मानसिक मन्दित बालक कहते हैं।"

13.2 मानसिक रूप से अक्षम बालकों के प्रकार (Types of Mentally Retarded Children)

मन्दित बालकों से तात्पर्य यह माना गया कि मूल रूप से ये बालक दो प्रकार के होते हैं–(क) मन्दित बालक, (ख) धीमी गति से सीखने वाले बालक।

13.2.1 मंदित बालक (Mentally Retarded Children)

साधारण रूप से जिन बालकों की बुद्धि-लब्धि 60 से कम होती है उन्हें अल्प मानसिक न्यूनता ग्रन्थियों की श्रेणी में रखते हैं। किन्तु इस श्रेणी में हम यहाँ सामान्य से नीचे बुद्धि वाले की भी गणना करते हैं। इसमें जड़, मूढ़ व मूर्ख बुद्धि आती है। बहुत से अभिभावक इस बात पर विश्वास नहीं करते कि उनके बालक मानसिक रूप से पूर्ण नहीं हैं। उनका विचार यह होता है कि यदि बालक अच्छी प्रकार से अध्ययन नहीं कर पा रहा है तो वह उतनी मेहनत से नहीं पढ़ता, जितनी अपेक्षित है तो वह उस पर क्रोधित होने लगते है। ऐसा बालक साधारण ज्ञान को प्राप्त करने में असमर्थ रहता है अत: अध्यापक का प्रथम कर्त्तव्य है कि वह अभिभावकों को उनके बालकों के मानसिक विकास के सम्बन्ध में अवगत कराये। जिससे वे अपने बच्चों की उचित शिक्षा की व्यवस्था कर सकें। मन्दित बालकों का समायोजन, प्रतिभाशाली व साधारण बालकों की अपेक्षा कठिन व भिन्न है। इनके प्रति व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण व धैर्यपूर्ण होना चाहिए।

विद्यालय में मूर्ख बालक कम होते हैं, किन्तु अल्पबुद्धि के बहुत से बालक हो सकते हैं। यदि मानसिक न्यूनता ग्रसित बालक को साधारण पाठशाला में पढ़ाई आरम्भ करवा दी जाती है तो वे निम्न श्रेणी का परिणाम देंगे। जबकि उनके अभिभावक उनसे अच्छे परिणाम की आशा करते हैं जिसके परिणामस्वरूप वे मानसिक क्षोभ का शिकार हो जाते हैं।

यूनेस्को ने एक प्रकाशन में विद्यालय में विभिन्न श्रेणी के मन्दित बालकों के अनुपात की तालिका दी है, यह तालिका इस प्रकार है–

विद्यालय में विभिन्न श्रेणी के मन्दित बालकों का अनुमानित स्तर

मानसिक न्यूनता की श्रेणी	शब्द जो उनके लिए प्रयोग होता है	लगभग बुद्धि-लब्धि स्तर	विद्यालय में लगभग लगभग प्रतिशत आयु	
गम्भीर मन्दिता	जड़ बुद्धि	0–19	0.06	
साधारण मन्दिता	हीन बुद्धि	20–49	0.24	2.56
मध्यम मन्दिता	दुर्बल बुद्धि	50–69	2.26	
मन्द मन्दिता	मन्द या पिछड़ा	70–85/90	19.00	

नोट

इस तालिका से स्पष्ट है कि विद्यालय में लगभग 2.56 प्रतिशत बालक 70 से कम बुद्धि-लब्धि के होंगे। इन बालकों की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अत: आवश्यक है कि मन्दिता को विद्यालय में उचित शिक्षा का अवसर देना चाहिए साथ ही पाठ्य-सामग्री रोचक हो तथा व्यावसायिक शिक्षा भी देनी चाहिए ताकि वे अपनी जीविका चला सकें। जिनकी बुद्धि-लब्धि 55 से कम है उनके लिये विशेष स्कूल खोले जाने चाहिए ताकि वे 'करके सीखने' की विधि से सीखें व एक सफल नागरिक के रूप में विकसित किये जाएँ क्योंकि अधिकतर मन्दिता कुसमायोजित रहते हैं। शिक्षा द्वारा वह बालक अच्छी प्रकार समाज में समायोजित हो सकता है जो अपनी सेवाओं को अच्छी सामाजिक योजनाओं में लगा सकता है। इस प्रकार के बालक दूसरे व्यक्तियों की सहानुभूति प्राप्त कर सकते हैं, उनके कार्यों में सहायता कर सकते हैं तथा अपने अच्छे स्वभाव के कारण वह अच्छी मित्रता उत्पन्न कर सकते हैं तथा सामाजिक क्रियाओं में अपने कार्यक्रमों द्वारा सहयोग भी दे सकते हैं।

अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेण्टल डेफीशियेन्सी (AAMD) ने मन्दित बालक की यह परिभाषा दी है—"मन्दिता मुख्य रूप से औसत से कम बौद्धिक कार्य निष्पादन का संकेत देती है जो कि अनुकूलन व्यवहार सम्बन्धी दोषों के साथ-साथ ही पायी जाती है और जो विकास कार्य के समय स्पष्ट होती है। (AAMD) मन्दिता शब्द का प्रयोग उन बालकों के लिये करता है जिनका बुद्धि-लब्धि स्तर 67 अथवा इससे कम है। इसके अनुसार 67 से कम बुद्धि-लब्धि का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है।

1. कम मन्दित	बुद्धि-लब्धि	67 और 52 के बीच
2. साधारण मन्दित	बुद्धि-लब्धि	51 और 36 के बीच
3. गम्भीर मन्दित	बुद्धि-लब्धि	19 और इससे कम

वह बालक, जिनकी बुद्धि-लब्धि 67 से ऊपर होती है किन्तु वे अपने सहपाठियों की तुलना में धीमी गति से सीखते हैं, उन्हें धीमा सीखने वाला या सीमान्त बालक कहा जाता है। धीमी गति से सीखने वालों की बुद्धि-लब्धि की ऊपरी सीमा 85 होती है। यहाँ यह आवश्यक है कि एक कक्षा में 90 से कम बुद्धि-लब्धि वाले बालक धीमी गति से सीखने वाले ही कहलाते हैं।

टास्क अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि किस कक्षा तक पहुँचकर बालक अपने साथी के मानसिक रूप सं मंदित व्यवहार को पहचान जाता है और कैसे?

13.2.2 मंद गति से सीखने वाले बालक (Slow Learner Children)

वह बालक, जिनकी बुद्धि-लब्धि औसत से कम होती है, वह भी उन विकास प्रतिमानों का अनुसरण करते हैं जिनकी बुद्धि-लब्धि उच्च स्तर की होती है। इनकी एक विशेषता यह होती है—

1. वह अपने समान आयु वाले साथियों की तुलना में अपरिपक्व प्रतीत होते हैं।
2. इनमें कम आत्म-विश्वास और निम्न स्तर की आत्म-प्रतिष्ठा हो सकती है।

13.3 मानसिक रूप से अक्षम बालकों की विशेषताएँ (Characteristicsof Mentally Retardation)

'मानसिक मन्दिता' तथा 'मानसिक न्यूनता' शब्दों को अब तक कई रूपों में परिभाषित किया जा चुका है। इन परिभाषाओं के आधार पर संपन्न शोधों के माध्यम से 'मानसिक मन्दित' की अधोलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है—

नोट

(1) 'मानसिक मन्दित' के अन्तर्गत एक प्रकार के निम्न बुद्धि स्तर का बोध होता है, किन्तु इसके द्वारा इन्हें विशुद्ध कहना सम्भव नहीं है कि 'ह्रास' की मात्रा कितनी है या व्यक्ति अपने सामाजिक एवं व्यक्तिगत निपुणता की दृष्टि से कितनी सामर्थ्य रखता है।

(2) 'मानसिक मन्दित' के स्तर को प्रगट करने के लिए बालकों के दो वर्गों का निरूपण किया जाता है। प्रथम शैक्षिक मानसिक मन्दिता बालक जिनकी बुद्धि-लब्धि 50 से 75 के मध्य होती है तथा जिनकी अधिगम सम्बन्धी विशेषताओं एवं सामाजिक समायोजन को दृष्टिगत रखकर एक विशेष प्रकार की सेवाओं एवं विद्यालय समायोजन की आवश्यकता का अनुभव किया जाता है। उपयुक्त प्रशिक्षण द्वारा ऐसे बालक अपनी सामाजिक एवं व्यावसायिक क्षमता हेतु अपेक्षित बुनियादी कौशलों को सीख सकते हैं। द्वितीय प्रशिक्षणीय मानसिक मन्दित बालक जिनमें इस हद तक ह्रास होता है कि वे सामान्य विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा से लाभ नहीं उठा सकते। ऐसे बालक प्राय: 50 से कम बुद्धि-लब्धि वाले होते हैं। यद्यपि ये व्यक्तिगत रूप से कुशल या आत्मनिर्भर नहीं पाए जाते किन्तु इन्हें अपने परिवार तथा विद्यालय में भली प्रकार समायोजित होने की दृष्टि से अपेक्षित सहायता दी जा सकती है तथा कुछ मामलों में उन्हें आंशिक रूप से सक्षम बनाया जा सकता है।

(3) अधिगम, व्यवहार, संवेगों, सामाजिक समायोजन तथा शारीरिक विकास के क्षेत्रों में किए गए अध्ययनों द्वारा इस बात की पुष्टि नहीं हो सकती है कि एक विशेष वर्ग के रूप में मन्दित बालकों में अन्य बालकों की अपेक्षा किसी प्रकार की विशेषता होती है।

(4) अनुसन्धानों के अन्तर्गत यह प्राय: निष्कर्ष निकाला गया है कि बौद्धिक प्रकार्यात्मकता के क्रम में मन्दित बालक निचले स्तर पर होते हुए भी अपने समूह के अन्य बालकों के गुणों में समानता रखते हैं।

(5) मन्दित वर्ग के बालकों में अधिगम सम्बन्धी कठिनाइयों के अतिरिक्त सामान्य तौर पर शारीरिक एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएँ, असंतोषजनक भाषा के विकास, उदासीनता या बोध की कमी के कारण न्यून अभिप्रेरण स्तर सामाजिक समायोजन या सुरक्षा के अभाव के कारण व्यवहार सम्बन्धी समस्याएँ, निर्बल आत्म संप्रत्यय तथा सीमित अनुभव की क्षमताएँ पाई जाती हैं।

(6) उपर्युक्त विशेषताओं के बारे में यह कहना कठिन है कि ये व्यक्ति की आन्तरिक न्यूनताओं के कारण अथवा उसकी सांस्कृतिक एवं सांवेगिक पर्यावरण के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है।

(7) मन्दित बालकों के विकासात्मक स्वरूपों में एक विशेष प्रकार की समरूपता देखने को मिलती है। पूर्व-प्राथमिक स्तर पर स्वरूप मात्रा में मन्दित से ग्रस्त बालक को पहचानना सरल नहीं है क्योंकि उसका सामान्य व्यवहार अपने अन्य साथियों जैसा होता है। जब वह विद्यालय में प्रवेश लेता है और अपनी पढ़ाई प्रारम्भ करता है तो उसमें मन्दिता के लक्षण स्पष्ट दिखाई पड़ने लगते हैं और उसका विकास प्राय: अपर्याप्त पाया जाता है। जैसे-जैसे वह ऊँची कक्षाओं में जाता है तथा उसके द्वारा पढ़े जाने वाले विषयों में अमूर्त चिन्तन, सामान्यीकरण एवं सम्प्रत्ययात्मक कौशलों की जरूरत होती है, उसकी 'न्यूनता' और अधिक स्पष्ट हो जाती है। ये न्यूनताएं उसके समायोजन के लिए बाधक सिद्ध होती हैं। विकासात्मक स्वरूप का यह लक्षण इस बात का सूचक है कि बालक की न्यूनता शैक्षिक क्षेत्रों तक होती है अथवा उसकी मानसिक रूप से मन्दिता के कारण उसकी प्रकार्यात्मकता पर संचित प्रभाव डालती है।

क्या आप जानते हैं गंभीर रूप से मंदित बालक की बुद्धि-लब्धि 0-9 तथा मंदबुद्धि की बुद्धि-लब्धि 70-85/90 तक अनुमानित की गई है।

नोट

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

रिक्त स्थानों की पूर्ति करें (Fill in the Blanks)

1. सन् .... मंदित और पिछड़े हुए बालकों में अंतर नहीं किया जाता था।
2. अमेरिकन एसोसिएशन (AAMD) का पूरा नाम है .... ।
3. AAMD 'मंदित' शब्द का प्रयोग बालकों के लिए करता है जिनकी बुद्धि-लब्धि .... अथवा इससे कम होती है।
4. प्रथम शैक्षिक मानसिक मन्दित बालक की बुद्धि-लब्धि .... के मध्य होती है।
5. .... पर स्वरूप एवं मात्रा में मंदिता से ग्रस्त बालक को पहचानना आसान नहीं है।

मन्दित बालकों की विशेषताएँ उनकी पहिचान के काम में आती हैं, और विभिन्न लेखकों ने मन्दित बालक की विभिन्न प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया है–

डूल के अनुसार (1941) विशेषताएँ

मानसिक मन्दित बालकों की परिभाषा सर्वप्रथम डूल ने की थी और उनकी कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया था। वो विशेषताएँ इस प्रकार हैं–

(1) सामाजिक अक्षमता होती है।

(2) मानसिक रूप से मन्दित बालक, सामान्य बालकों से निम्न स्तर के होते हैं।

(3) इनकी कमजोरियों का सम्बन्ध विकास से जुड़ा होता है।

(4) मानसिक मन्दिता पूर्णत: परिपक्वता स्तर पर होती है।

(5) मानसिक मन्दिता मूल रूप में शारीरिक संरचना से सम्बन्धित होती है, तथा

(6) इसमें सुधार या उपचार का कोई अवसर नहीं होता।

क्रो तथा क्रो के अनुसार विशेषताएँ

(1) दूसरों को मित्र बनाने की अधिक इच्छा होती है।

(2) दूसरों के द्वारा मित्र बनाये जाने की कम इच्छा रहती है।

(3) विद्यालय में असफलताओं के कारण निराशा रहती है।

(4) संवेगात्मक और सामाजिक असमायोजन रहता है।

स्किनर के अनुसार विशेषताएँ

(1) सीखी हुई बात को नयी परिस्थितियों में प्रयोग करने में कठिनाई होना।

(2) व्यक्ति और घटनाओं के प्रति ठोस और विशिष्ट प्रतिक्रियाएँ करना।

(3) मान्यताओं के सम्बन्ध में अटल विश्वास करना।

(4) दूसरों की चिन्ता न करके केवल अपनी चिन्ता करना।

(5) किसी बात का निर्णय करने में परिस्थितियों की अवहेलना करना। उदाहरणार्थ धन की चोरी बुरी बात, पर भोजन और अन्य वस्तुओं की चोरी बिल्कुल ठीक बात नहीं हैं।

फ्रेंडसन के अनुसार विशेषताएँ

(1) आत्मविश्वास का अभाव होना।

(2) 50 से 70 या 75 तक बुद्धि-लब्धि होती है।

नोट

(3) विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार का व्यवहार, जैसे–प्रेम, भय, मौन, चिन्ता, विरोध, पृथकता या आक्रमण पर आधारित व्यवहार करना।

(4) बहुधा भावावेशपूर्ण व्यवहार करना।

13.4 सारांश (Summary)

- यहाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय बात यह है कि 'मन्दित' एक अवस्था है न कि राज–यक्ष्मा या कैंसर जैसी कोई बीमारी। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने मानसिक दोष तथा मानसिक मन्दित पदों का समानार्थक रूपों में प्रयोग किया है। तथापि इनमें भेद करना सम्भव है। मानसिक मन्दित से सम्बन्धित अमेरिकन एसोसिएशन ने 'मन्दित' शब्द की जो परिभाषा गठित की है, उसे शिक्षा एवं शिक्षण की दृष्टि से यह कार्य व्यावहारिक माना जा सकता है। यह परिभाषा इस प्रकार है–"मानसिक मन्दित से तात्पर्य उस असामान्य साधारण बौद्धिक कार्य क्षमता से है जो व्यक्ति की विकासात्मक अवस्थाओं में प्रगट होती है तथा उसके अनुकूलित व्यवहार में ह्रास से संबन्धित होती है।"
- परिभाषा के अनुसार बौद्धिक स्तरों के मापन हेतु गठित परीक्षाओं द्वारा व्यक्त बौद्धिक कार्य क्षमताएँ सामान्य से इतना कम होती हैं कि यह बालक की बुद्धि के एक या कई क्षेत्रों यथा, अधिगम, परिपक्वता एवं सामाजिक समायोजन में ह्रास ला सकती है।
- 'मानसिक मन्दित' की चिकित्सात्मक परिभाषाओं के अन्तर्गत मन्दिता को अनुत्क्रमणीय तथा अचल माना जाता है। इसके विपरीत 'अमेरिकन एसोसिएशन आफ मेन्टल डेफिशिएन्सी' ने इस शब्द को अधोलिखित ढंग से परिभाषित किया है।
- "मानसिक मन्दित से व्यक्ति की प्रकार्यात्मकता एवं समायोजन व्यवहार से सम्बन्धित वर्तमान स्थिति का बोध होता है। परिणामस्वरूप, व्यक्ति किसी समय मानसिक मन्दित के मानदण्डों पर सही उतर सकता है जबकि किसी अन्य समय पर नहीं भी। कहने का आशय यह है कि व्यक्ति की सामाजिक स्थिति या दशाओं में परिवर्तन या बौद्धिक प्रकार्यात्मकता में कुशलता आने से उसकी सामान्य स्थिति बदल सकती है।" (अनूदित, 1975)
- **स्किनर**–प्रत्येक कक्षा के छात्रों को एक वर्ष में शिक्षा का एक निश्चित कार्यक्रम पूरा करना पड़ता है। जो छात्र उसे पूरा कर लेते हैं उनको 'सामान्य छात्र' कहा जाता है जो छात्र उसे पूरा नहीं कर पाते, उनको मन्दित छात्रों की संज्ञा दी जाती है। विद्यालयों में यह धारणा बहुत लम्बे समय से चली आ रही है और अब भी यही धारण है।"
- **मानसिक रूप से अक्षम बालकों के प्रकार**–मन्दित बालकों से तात्पर्य यह माना गया कि मूल रूप से ये बालक दो प्रकार के होते हैं–(क) मन्दित बालक, (ख) धीमी गति से सीखने वाले बालक।
- साधारण रूप से जिन बालकों की बुद्धि-लब्धि 60 से कम होती है उन्हें अल्प मानसिक न्यूनता ग्रन्थियों की श्रेणी में रखते हैं। किन्तु इस श्रेणी में हम यहाँ सामान्य से नीचे बुद्धि वाले की भी गणना करते हैं। इसमें जड़, मूढ़ व मूर्ख बुद्धि आती है। बहुत से अभिभावक इस बात पर विश्वास नहीं करते कि उनके बालक मानसिक रूप से पूर्ण नहीं हैं। उनका विचार यह होता है कि यदि बालक अच्छी प्रकार से अध्ययन नहीं कर पा रहा है तो वह उतनी मेहनत से नहीं पढ़ता, जितनी अपेक्षित है तो वह उस पर क्रोधित होने लगते है।
- उनके अभिभावक उनसे अच्छे परिणाम की आशा करते हैं जिसके परिणामस्वरूप वे मानसिक क्षोभ का शिकार हो जाते हैं।
- **मंद गति से सीखने वाले बालक**–वह बालक, जिनकी बुद्धि-लब्धि औसत से कम होती है, वह भी उन विकास प्रतिमानों का अनुसरण करते हैं जिनकी बुद्धि-लब्धि उच्च स्तर की होती है।
- **मानसिक रूप से अक्षम बालकों की विशेषताएँ**–'मानसिक मन्दिता' तथा 'मानसिक न्यूनता' शब्दों को अब तक कई रूपों में परिभाषित किया जा चुका है। इन परिभाषाओं के आधार पर संपन्न शोधों के माध्यम से 'मानसिक मन्दित' की अधोलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है।

नोट

- 'मानसिक मन्दित' के अन्तर्गत एक प्रकार के निम्न बुद्धि स्तर का बोध होता है, किन्तु इसके द्वारा इन्हें विशुद्ध कहना सम्भव नहीं है कि 'ह्रास' की मात्रा कितनी है या व्यक्ति अपने सामाजिक एवं व्यक्तिगत निपुणता की दृष्टि से कितनी सामर्थ्य रखता है।
- अधिगम, व्यवहार, संवेगों, सामाजिक समायोजन तथा शारीरिक विकास के क्षेत्रों में किए गए अध्ययनों द्वारा इस बात की पुष्टि नहीं हो सकती है कि एक विशेष वर्ग के रूप में मन्दित बालकों में अन्य बालकों की अपेक्षा किसी प्रकार की विशेषता होती है।
- मन्दित वर्ग के बालकों में अधिगम सम्बन्धी कठिनाइयों के अतिरिक्त सामान्य तौर पर शारीरिक एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएँ, असंतोषजनक भाषा के विकास, उदासीनता या बोध की कमी के कारण न्यून अभिप्रेरण स्तर सामाजिक समायोजन या सुरक्षा के अभाव के कारण व्यवहार सम्बन्धी समस्याएँ, निर्बल आत्म संप्रत्यय तथा सीमित अनुभव की क्षमताएँ पाई जाती हैं।

13.5 शब्दकोश (Keywords)

1. **किंकर्तव्यविमूढ़–**भौंचक्का, जो यह न समझ सके कि अब क्या करना चाहिए।
2. **बहुधा–**अकसर, प्रायः।

13.6 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

1. मानसिक मंदित किसे कहते हैं? परिभाषा देकर समझाइए?
2. मानसिक मंदित कितने प्रकार के होते हैं?
3. मानसिक मंदित की विशेषताएँ बताइए।

उत्तर : स्व-मूल्यांकन (Answer: Self Assessment)

1. 1921 तक	2. अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ़ मेडिकल डेफ़िशिएंसी	
3. 67	4. 50 से 75	4. पूर्व प्रथमिक स्तर।

13.7 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

पुस्तकें

1. *शारीरिक रूप से विकलांग बालक–* योगेन्द्र कुमार शर्मा, कनिष्क पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
2. *विशिष्ट बालक–* अवधारणा, विकास एवं शिक्षा, के. के. पब्लिकेशंस, नई दिल्ली।
3. *विशिष्ट बालक: शिक्षा एवं पुनर्वास–* महेश भार्गव, एच. पी. भार्गव बुक हाउस, आगरा।
4. *विशिष्ट बालक–* आभारानी बिष्ट, अग्रवाल प्रकाशन, आगरा।

नोट

इकाई–14: मानसिक मंदितः पहचान, कारण एवं समस्याएँ (Identification, Causes, Problems of Mentally Retarded)

अनुक्रमणिका (Contents)

उद्देश्य (Objectives)
प्रस्तावना (Introduction)
14.1 मानसिक रूप से अक्षम बालकों की पहचान (Identification of Mentally Retarded Children)
14.2 मानसिक मंदित के कारण (Causes of Mentally Retardation)
14.3 मानसिक रूप से अक्षम बालकों की समस्याएँ (Problems of Mentally Retarded Children)
14.4 सारांश (Summary)
14.5 शब्दकोश (Keywords)
14.6 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)
14.7 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

उद्देश्य (Objectives)

विद्यार्थी इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् सक्षम होंगे–

- मानसिक रूप से अक्षम बालकों की पहचान एवं उनकी समस्याओं से परिचित होंगे।

प्रस्तावना (Introduction)

मानसिक मन्दिता मानव व्यक्तित्व की एक ऐसी ऋणात्मक विशिष्टता है जोकि किसी क्षेत्र या देश-विशेष के लिए ही नहीं, अपितु समस्त मानव जाति (human race) के लिए एक महत्त्वपूर्ण चुनौती (challenge) बनी हुई है। बाल्यावस्था तथा बाल विकास के क्रम (developmental period) में यह समस्या मुख्य रूप से अभिभावकों, शिक्षाविदों तथा चिकित्सकों के ध्यान एवं रुचि का विषय हैं मानसिक मन्दिता से प्रभावित बालक अपने समान आयु के सामान्य बालकों से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पिछड़ जाता है। इन्हें सम्प्रेषण कौशलों (communication skills) में कठिनाई होती है जिसके फलस्वरूप वे सामार्जिक रूप से प्रायः वंचित रह जाते हैं।

बालक की इस मानसिक अक्षमता या दुर्बलता को असाध्य मानकर घर, विद्यालय तथा समाज अपने उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार के बालकों के प्रति शिक्षक तथा माता-पिता का कर्त्तव्य है कि वे इनकी उपयुक्त ढंग से पहचान कर तथा उनमें मानसिक मन्दता की सीमा को ज्ञात कर उन्हें उनकी क्षमताओं एवं आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न पारिवारिक, शैक्षिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय कार्यों को करने में सक्षम बनायें। लगभग पिछले 40 वर्षों से इस प्रकार के बालकों की पहचान करने, उनकी मन्दता के कारण जानने तथा उपचार हेतु विभिन्न शिक्षाविदों, मनोवैज्ञानिकों, समाजशात्रियों, चिकित्सकों तथा मनोचिकित्सकों (psychiratrists) द्वारा

निरन्तर प्रयास एवं शोध कार्य किये जा रहे हैं जिससे उनकी योग्यताओं को अधिक से अधिक समझा एवं विकसित किया जा सके और समाज के लिए उपयोगी बनाया जा सके।

14.1 मानसिक रूप से अक्षम बालकों की पहचान (Identification of Mentally Retarded Children)

निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर मानसिक मंदित की पहचान की जा सकती है–

(1) अध्यापक शैक्षिक निष्पत्ति के आधार पर इनकी पहचान कर सकते हैं।

(2) ऐसे बालक प्राय: शारीरिक रूप से अयोग्य होते हैं।

(3) संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं।

(4) बुद्धि-लब्धि द्वारा भी पहचान की जा सकती है। इस प्रकार से की गयी पहचान सही होती है।

(5) शैक्षिक तथा शारीरिक आलेख पत्र (Cu mmulative Records) भी सहायक हो सकते हैं।

(6) व्यक्ति-वृत्त अध्ययन (case study) भी महत्वपूर्ण है।

(क) शैक्षिक लक्षण

(1) ऐसे बालक सूक्ष्म चिन्तन के योग्य नहीं होते हैं।

(2) शैक्षिक क्षमता में वह अपने आयु समूह से बहुत नीचे होते हैं।

(ख) सामाजिक लक्षण

(1) सामाजिक व्यवहार में कुशल नहीं होते है।

(2) व्यक्तिगत व सामाजिक उत्तरदायित्वों को निर्वाह नहीं कर पाते हैं।

(ग) व्यवहारिक लक्षण

(1) अधिगम की क्षमता कम होती है।

(2) संवेदनात्मक दोष होता है।

जब मानसिक रूप से मन्दित बालकों का पता चल जाता है तो उन्हें एक योग्य मनोवैज्ञानिक द्वारा मनोवैज्ञानिक परीक्षण दिया जाना चाहिए। इससे यह पता चल सकता है कि बालक शिक्षा देने योग्य है अथवा नहीं। वह यह बता सकता है कि बालक मानसिक रूप से मन्दित है अथवा मन्द अधिगमी है। यह उसका उत्तरदायित्व है कि वह यह बतायें कि कैसे शैक्षिक कार्यक्रमों को बनाया जाये तथा किस प्रकार से बालकों की अधिकतर सहायता की जाये।

नोट्स मानसिक रूप से अक्षम बालकों की सोचने की शक्ति क्षीण होने के कारण वे किसी गंभीर विषय पर सोचने के योग्य नहीं होते।

14.2 मानसिक मंदित के कारण (Causes of Mentally Retardation)

यह स्पष्ट है कि 'मानसिक मन्दित' एक ऐसा जटिल प्रत्यय है जिसकी व्याख्या अनेक कारकों द्वारा सम्भव है। मानसिक दृष्टि से 'मन्दित बालकों' का समूह सजातीय न होकर विजातीय होता है। इसीलिए अलग-अलग उप-समूहों द्वारा मन्दित के कारणों का निदान किया गया है।

ट्रेडगोल्ड ने मानसिक मंदित को दो वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया है। प्रथम, प्रसव-पूर्व कालिक कारण (Primary amentia) जो जन्मजात होती है। द्वितीय, प्रसवोत्तर कालिक कारण (Secondary amentia) जो बाह्य कारकों यथा, बीमारी या अन्य परिस्थितियों से उत्पन्न होती है।

नोट

(1) **प्रसवपूर्व कालिक कारण–** जन्म से पूर्व पैदा होना अर्थात 7 माह का बालक, या फिर जन्मपूर्व गर्भ के रोग, जैसे पोलियो, किसी ग्रन्थि में विकार आदि जिसके कारण अपरिपक्व शिशु पैदा होते हैं।

(2) **प्रसवोत्तर कालिक कारण–** इसमें जन्म के समय मस्तिष्क में सूजन आना, मस्तिष्क पर आघात लगना आदि, इसमें कभी मस्तिष्क कैंसर व ट्यूमर की समस्या भी होती है जोकि मस्तिष्क कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण मन्दित होती है।

टास्क मनोवैज्ञानिक 'किर्क' द्वारा दिए गए मानसिक मंदित के कारणों का उल्लेख कीजिए।

डोल के अनुसार मानसिक मन्दित के दो कारण हो सकते हैं *प्रथम,* अंतर्जात कारक (endogenous causes) जो मनोवैज्ञानिक अपर्याप्तता के वंशानुगत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण के फलस्वरूप पाए जाते हैं। *द्वितीय,* बहिर्जात कारक जो सामान्य विकास में हुए विकारों से सम्बन्धित परिवर्तनों तथा अपेक्षाकृत विरले वंशनुगत प्रकार की ऐसी व्याधिकीय अकारिकी (pathological morphology) में प्रगट होते हैं जिसका प्रतिनिधान नैदानिक रूप की मानसिक न्यूनता में देखा जा सकता है।

डैवेनपोर्ट ने विकासात्मक अवस्थाओं के अनुसार 'मानसिक मन्दित' के कारणों को सात वर्गों में रखा जो इस प्रकार है–जनन जीवाणु में पाए जाने वाले दोष, अण्डाणु के निषेचन के समय उत्पन्न दोष; रोपण से सम्बन्धित दोष, भ्रूणावस्था के समय उत्पन्न दोष, भ्रूण में पाए जाने वाले दोष, प्रसवकालीन आघातों से संबन्धित दोष तथा शैशव एवं बाल्यावस्था के समय उत्पन्न दोष।

किर्क ने 'मानसिक मन्दिता' के कारणों को तत्वों को तीन वर्गों में बाँटा है–जैविक, आनुवंशिक, तथा सांस्कृतिक। जैविक रूप में उत्पन्न मानसिक मन्दिता की मुख्य विशेषता यह है कि इसके अन्तर्गत केन्द्रीय स्नायु संस्थान से सम्बन्धित कोई निश्चित विकार पाया जाता है। यह विकार जन्म से पूर्व, जन्म के समय या जन्म के बाद चोट, बीमारी या मादक दशाओं के कारण आ सकता है। आनुवंशिक कारकों में मुख्य है–मंगोलीयता, जन्मजात, चयापचयी दोष जिसे 'फैनिलकीटोन-मेह' कहा जाता है, अनियमित प्रभावी आनुवंशिकता जिसे 'तंत्रिका तंतु अर्बुदता' कहा जाता है तथा वांशानुगत जैविक परिवर्तन जिसे 'परिवारगत मानसिक न्यूनता' के नाम से पुकारा जाता है।

क्या आप जानते हैं मानसिक मंदित के सांस्कृतिक कारकों में वे कारणभूत तत्व शामिल किए जाते है जो व्यक्ति के सामाजिक पर्यावरण में होते हैं।

किर्क ने 'मन्दित' बालकों को प्रभावित करने में पर्यावरण के प्रभावों का उल्लेख करते हुए कतिपय शोध परिणामों में संकेत किया है। इस सन्दर्भ में उन्होंने चार प्रकार के अध्ययनों का विवरण दिया है। *प्रथम,* एकल अध्ययन जिसमें वंचित पर्यावरण यथा, *इटार्ड* द्वारा एविरान के जंगली बालक का अध्ययन किया गया है। इस प्रकार के व्यक्तिगत अध्ययन कुछ स्पष्ट परिणाम नहीं प्राप्त कर पाये हैं तथा उनके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि पर्यावरण में परिवर्तन लाने से व्यक्ति की स्थिति स्पष्टत: बदल जाती है। *द्वितीय* प्रकार के शोध आयामों में बालकों को पोष्य परिवारों में रखकर उनके पर्यावरण को परिवर्तित किया जाता है। ऐसे शोधों के अन्तर्गत सामान्यत: यह पाया गया है कि बालकों का बौद्धिक विकास उनके परिवार से सम्बन्धित पर्यावरण से प्रभावित होता है। *तृतीय* प्रकार के अध्ययनों में विभिन्न पर्यावरणों में पले बच्चों के बौद्धिक स्तरों की तुलना की गई है। इन शोधों द्वारा कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं प्राप्त किए जा सके हैं क्योंकि इनमें निहित अनेक महत्वपूर्ण चरों को नियंत्रित नहीं किया जा सका

नोट

है। *चतुर्थ* प्रकार के शोधों के अन्तर्गत पर्यावरण जन्म संवर्धन तथा विद्यालय कार्यक्रमों का मन्दित बालकों के विकास पर प्रभाव पाया गया है। इस सम्बन्ध में किए गए अध्ययन भी पर्याप्त विवादास्पद रहे हैं, क्योंकि कुछ ही लोग इस परिणाम पर पहुंच सके हैं कि पर्यावरणजन्य संवर्धन एवं विद्यालय द्वारा बालक के विकास में परिवर्तन लाना सम्भव है।

अशिक्षित माता-पिता आज तक भी मानसिक हीनता का कारण 'गर्भकाल' (Preganancy) में होने वाली घटनाओं से जोड़ते हैं। मनोविज्ञान के विकास ने इन सब धारणाओं को गलत सिद्ध कर दिया है और निष्कर्ष निकाला है कि गर्भकाल में प्रत्येक घटना का प्रभाव भ्रूण (Fetus) पर नहीं पड़ता है। माता के पढ़ने और चिन्तन करने का भ्रूण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मानसिक हीनता को पूर्व संस्कारों का परिणाम माना जाता है। आज इस प्रकार के विचार नहीं रहे हैं। कई कारण मानसिक हीनता को प्रभावित करते हैं। ये कारण इस प्रकार हैं।

1. **वंश-परम्परा–** कुछ विद्वानों का मत है कि बुद्धिहीनता का कारण वंश-परम्परा है। यदि माता-पिता या पूर्वजों में बुद्धि-हीनता है तो वह बच्चों में भी हस्तान्तरित हो जाती है। इस प्रकार लगभग 50% बालकों में बृद्धिहीनता का कारण वंश-परम्परा है।

2. **मानसिक आधात–** जन्म से बच्चे का मानसिक विकास ठीक ढंग से होता है किन्तु मानसिक आधात से विकास रुक जाता है। एक पाँच वर्ष का बच्चा बड़ा बुद्धिमान था, किन्तु एक बार पतंग उड़ाते हुए वह छत से गिर गया और उसके सिर में चोट आई जिसके कारण उसका मानसिक विकास रुक गया और उसमें समायोजन की क्षमता नहीं रही।

3. **जन्म के समय आधात–** कुछ लोगों का मत है कि बहुत से बच्चों में मानसिक हीनता का कारण जन्म के समय आधात है। भारत में नर्स और दाई का काम करने वाली औरतों को वैज्ञानिक विधियों का ज्ञान नहीं होता। अतः जन्म के समय कई प्रकार की कठिनाई होने की सम्भावना रहती है। अतः इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रसव प्रशिक्षित हाथों से हो। इससे भविष्य की शंकाओं का निवारण हो जाता है।

4. **बीमारी और अपरिपक्व जन्म–** कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनका प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है। बीमारी के प्रभाव से मानसिक विकास रुप से रुक जाता है। इसके अतिरिक्त जो बच्चे समय से पूर्व पैदा हो जाते हैं, उनके बुद्धिहीन होने की सम्भावना भी अधिक होती है।

5. **ग्रन्थियों का विकार–** जिन बच्चों की नलीविहीन ग्रन्थियां ठीक ढंग से कम नहीं करती हैं, उनमें विकास की असामान्यता उत्पन्न हो जाती है।

6. **रक्त ठीक न बनना–** जिन बच्चों में भोजन के रस से रक्त बनने की क्रिया ठीक प्रकार से नहीं चलती है, उसका विकास रुक जाता है जो अप्रत्यक्ष रूप से बुद्धि के विकास को प्रभावित करता है।

7. **निर्धनता–** निर्धनता सब दु:खों की जड़ है। गरीब माँ-बाप अपने बच्चों को ठीक प्रकार का वातावरण नहीं दे पाते, जिसके कारण उनका शरीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास रुक जाता है। गरीब घरों में हर समय बच्चों के मस्तिष्क में द्वन्द्व तथा संघर्ष बने रहते हैं, जो बच्चों के विकास पर बुरा प्रभाव डालते हैं।

8. **प्रेरणा की कमी–** जिन बच्चों को वातावरण में नई क्रिया करने की प्रेरणा नहीं मिलती, उनकी बुद्धि का विकास नहीं हो पाता है। वातावरण इस प्रकार का होना चाहिए कि बालकों को नई क्रिया सीखने की प्रेरणा स्वतः मिले।

9. **विद्यालय का गन्दा वातावरण–** विद्यालय के वातावरण का बच्चों के मानसिक विकास पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। जिन विद्यालयों का वातावरण गन्दा है, जहाँ पर बच्चों को उपयुक्त शिक्षण द्वारा नहीं पढ़ाया जाता तथा अन्य सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होती हैं, ऐसे विद्यालयों में बच्चों की बुद्धि का उचित विकास नहीं होता है।

नोट

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

सही विकल्प चुनिए (Multiple Choice Questions)–

(*i*) अध्यापक मानसिक रूप से अक्षम बालकों की पहचान कर सकते हैं–

(*a*) कक्षा में बालक के हाव-भाव से (*b*) शैक्षिक निष्पत्ति के आधार पर

(*c*) कक्षा में उनकी उपस्थिति के आधार पर।

(*ii*) ट्रेडगोल्ड ने मानसिक मंदितों को निम्नलिखित किन दो भागों में विभाजित किया है–

(*a*) प्रसवपूर्व-प्रसवोत्तर (*b*) पढ़ाई से पूर्व तथा बाद में

(*c*) प्राथमिक स्तर-माध्यमिक स्तर।

(*iii*) किर्क ने मानसिक मंदितों के संबंध में पर्यावरण के प्रभावों का उल्लेख करते हुए कितने प्रकार के अध्ययन का विवरण दिया है–

(*a*) दो प्रकार (*b*) चार प्रकार

(*c*) पाँच प्रकार।

(*iv*) डेवेनपोर्ट ने विकासात्मक अवस्थाओं के अनुसार मानसिक मंदितों के कितने कारण बताए हैं–

(*a*) चार (*b*) सात

(*c*) तीन।

14.3 मानसिक रूप से अक्षम बालकों की समस्याएँ (Problems of Mentally Retarded Children)

मानसिक दृष्टि से हीन बालकों के लिए जीवन एक समस्या बना जाता है। बुद्धि के अभाव में वे समाज में समायोजित होने में असफल रहते हैं। ऐसे बालक स्वयं अपने तथा समाज के लिए भार होते हैं। इनकी मुख्य समस्याएँ इस प्रकार हैं–

1. **समायोजन की समस्या–** मानव किसी न किसी रूप में अपने वातावरण में समायोजन करता रहता है। इस क्रिया में बुद्धि मानव को सहयोग देती है, जो व्यक्ति बुद्धि की दृष्टि से जितना पिछड़ा हुआ होता है, वह समायोजन में उतनी ही अधिक कठिनाई अनुभव करता है। हीन-बुद्धि बालकों को कई क्षेत्रों में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
2. **परिवार–** माता-पिता अपने बच्चों को बुद्धिमान तथा खूबसूरत समझते हैं। वे यह बात कभी स्वीकार नहीं करते हैं कि उनका बालक हीन-बुद्धि है। बल्कि वे विद्यालय में बार-बार असफलता का कारण बालक की लापरवाही मानते हैं। माता-पिता अपने बच्चों से बड़ी-बड़ी आशाएँ रखते हैं। वे उनके लिए सुन्दर भविष्य की कल्पना करते हैं लेकिन जब ये बच्चे माता-पिता की आकांक्षाओं के अनुरूप उन्नति नहीं कर पाते तो माता-पिता की सब आशाएँ धूल में मिल जाती हैं तथा बच्चे के प्रति उनका दृष्टिकोण बदल जाता है। वे बच्चे को बुरा-भला कहते हैं। जिससे दूसरे सदस्य भी बात-बात में उनको डांटते हैं, जिससे बच्चों में असमान्य व्यवहार बालकों के व्यक्तित्व और उनकी कार्य निष्पत्ति को प्रभावित करता है।
3. **समाज–** समाज में दूसरे बच्चे उनके साथ बात करना तथा खेलना पसन्द नहीं करते तथा उन्हें बुद्धू इत्यादि कहकर चिढ़ाते हैं। जिसका परिणाम यह होता है कि हीन-बुद्धि बालक में सामाजिकता के गुणों का विकास नहीं हो पाता है। उनमें पृथकत्व की भावना व्याप्त रहती है।
4. **विद्यालय–** ऐसे बच्चे साधारण कक्षा-अध्यापन से लाभ नहीं उठा पाते। अध्यापक तथा कक्षा के दूसरे छात्रों का दृष्टिकोण उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण नहीं होता है। अध्यापक उनको उचित विकास न करने पर डांटते हैं तथा छात्र उनको चिढ़ाते हैं। विद्यालय के किसी कार्य में भाग लेने के लिए इनको प्रेरित नहीं किया जाता। फलतः कक्षा और अध्यापक के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती है।

नोट

5. **संवेगात्मक अस्थिरता–** घर व समाज और विद्यालय में उचित वातावरण और देख-रेख के अभाव में संवेगों का प्रशिक्षण नहीं हो पाता है। कठिन परिस्थिति आने पर रो पड़ना, भय से भागना इत्यादि, इनमें बहुत पाया जाता है। इस प्रकार की संवेगात्मक अस्थिरता के कारण उनमें अनेक दोष आ जाते हैं जिनके कारण वे अपने समाज में समायोजित नहीं हो पाते।
6. **शारीरिक व मानसिक विकास की समस्या–** इन बच्चों का शरीरिक तथा मानसिक विकास उचित नहीं हो पाता है, जिसके कारण कई प्रकार की समायोजन की कठिनायां उत्पन्न हो जाती हैं। नाक बहना, कम सुनना, भैंगापन, बैठने के गलत आसन आदि दोषों से इनकी समायोजन की स्थिति का पता चलता है।

14.4 सारांश (Summary)

- **मानसिक रूप से अक्षम बालकों की पहचान–**निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर मानसिक मंदित की पहचान की जा सकती है–
  (1) अध्यापक शैक्षिक निष्पत्ति के आधार पर इनकी पहचान कर सकते हैं।
  (2) ऐसे बालक प्राय: शारीरिक रूप से अयोग्य होते हैं।
  (3) संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं।
  (4) बुद्धि-लब्धि द्वारा भी पहचान की जा सकती है। इस प्रकार से की गयी पहचान सही होती है।
- **मानसिक मंदित के कारण–** यह स्पष्ट है कि 'मानसिक मन्दित' एक ऐसा जटिल प्रत्यय है जिसकी व्याख्या अनेक कारकों द्वारा सम्भव है। मानसिक दृष्टि से 'मन्दित बालकों' का समूह सजातीय न होकर विजातीय होता है। इसीलिए अलग-अलग उप-समूहों द्वारा मन्दित के कारणों का निदान किया गया है।
- **प्रसवपूर्व कालिक कारण–** जन्म से पूर्व पैदा होना अर्थात 7 माह का बालक, या फिर जन्मपूर्व गर्भ के रोग, जैसे पोलियो, किसी ग्रन्थि में विकार आदि जिसके कारण अपरिपक्व शिशु पैदा होते हैं।
- **प्रसवोत्तर कालिक कारण–** इसमें जन्म के समय मस्तिष्क में सूजन आना, मस्तिष्क पर आघात लगना आदि, इसमें कभी मस्तिष्क कैंसर व ट्यूमर की समस्या भी होती है जोकि मस्तिष्क कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण मन्दित होती है।
- **मानसिक रूप से अक्षम बालकों की समस्याएँ–** मानसिक दृष्टि से हीन बालकों के लिए जीवन एक समस्या बना जाता है। बुद्धि के अभाव में वे समाज में समायोजित होने में असफल रहते हैं। ऐसे बालक स्वयं अपने तथा समाज के लिए भार होते हैं। इनकी मुख्य समस्याएँ इस प्रकार हैं–
  1. **समायोजन की समस्या–** जो व्यक्ति बुद्धि की दृष्टि से जितना पिछड़ा हुआ होता है, वह समायोजन में उतनी ही अधिक कठिनाई अनुभव करता है। हीन-बुद्धि बालकों को कई क्षेत्रों में सामना करना पड़ता है।
  2. **परिवार–** माता-पिता अपने बच्चों से बड़ी-बड़ी आशायें रखते हैं। वे उनके लिए सुन्दर भविष्य की कल्पना करते हैं लेकिन जब ये बच्चे माता-पिता की आकांक्षाओं के अनुरूप उन्नति नहीं कर पाते तो माता-पिता की सब आशायें धूल में मिल जाती हैं तथा बच्चे के प्रति उनका दृष्टिकोण बदल जाता है। वे बच्चे को बुरा-भला कहते हैं। जिससे बच्चों में असमान्य व्यवहार बालकों के व्यक्तित्व और उनकी कार्य निष्पत्ति को प्रभावित करता है।
  3. **समाज–** समाज में दूसरे बच्चे उनके साथ बात करना तथा खेलना पसन्द नहीं करते तथा उन्हें बुद्धू इत्यादि कहकर चिढ़ाते हैं। जिसका परिणाम यह होता है। उनमें पृथकत्व की भावना व्याप्त रहती है।
  4. **विद्यालय–** ऐसे बच्चे साधारण कक्षा-अध्यापन से लाभ नहीं उठा पाते। अध्यापक तथा कक्षा के दूसरे छात्रों का दृष्टिकोण उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण नहीं होता है। फलत: कक्षा और अध्यापक के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती है।

नोट

5. **संवेगात्मक अस्थिरता–** घर व समाज और विद्यालय में उचित वातावरण और देख-रेख के अभाव में संवेगों का प्रशिक्षण नहीं हो पाता है। इस प्रकार की संवेगात्मक अस्थिरता के कारण उनमें अनेक दोष आ जाते हैं जिनके कारण वे अपने समाज में समायोजित नहीं हो पाते।
6. **शारीरिक व मानसिक विकास की समस्या–** इन बच्चों का शरीरिक तथा मानसिक विकास उचित नहीं हो पाता है, जिसके कारण कई प्रकार की समायोजन की कठिनायां उत्पन्न हो जाती हैं।

14.5 शब्दकोश (Keywords)

- **चयापचयी**–(कुछ) चुन लेना, (कुछ) छोड़ देना।
- **बिरले**–अपवाद, बहुत कम मिलने वाले।
- **निषेचन**–गर्भ धारण करना, सींचना, छिड़कना।
- **अर्बुदता**–गाँठ का फोड़ा, 1 अरब सौ करोड़ की संख्या, आबू पर्वत।

14.6 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

1. मानसिक मंदित बालकों की पहचान कैसे करेंगे?
2. बालकों में मानसिक रूप में अक्षमता के कारण बताइए।
3. मानसिक रूप से अक्षम बालकों की समस्यएँ बताइए।

उत्तर : स्व-मूल्यांकन (Answer: Self-Assessment)

(*i*) (ख) (*ii*) (क) (*iii*) (ख) (*iv*) (ख)

14.7 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

पुस्तकें

1. *विशिष्ट शिक्षा*– कुमार संजीव, जानकी प्रकाशन, पटना।
2. *विशिष्ट बालक*– एल. बी. बाजपेयी, अमिता बाजपेयी, भारत बुक सेंटर, नई दिल्ली।
3. *विशिष्ट बालक: शिक्षा एवं पुनर्वास*– महेश भार्गव, एच. पी. भार्गव बुक हाउस, आगरा।
4. *विशिष्ट शिक्षा का प्रारूप*– डॉ. आर. लाल. शर्मा, आर. लाल. बुक डिपो, आगरा।

नोट

इकाई–15: मानसिक मंदित: शिक्षण आव्यूह एवं निवारण (Mentally Retarded : Prevention and Teaching Strategies)

अनुक्रमणिका (Contents)

उद्देश्य (Objectives)
प्रस्तावना (Introduction)
15.1 मानसिक मंदित बालकों हेतु शिक्षण आव्यूह (Teaching Strategies for Mentally Retarded Children)
15.1.1 मानसिक मन्दित बालकों हेतु अध्यापक की भूमिका (Role of Teacher to Mentallly Retarded Children)
15.1.2 मानसिक मन्दित बालकों हेतु शैक्षिक प्रावधान (Education for Mentally Retarded Children)
15.1.3 शैक्षिक मन्दित बालकों के लिए शिक्षा की सुविधाएँ (Provisions for Educable Mental Retarded Children)
15.1.4. प्रशिक्षण योग्य मानसिक मन्दित बालक (Trainable Mentally Retarded Children)
15.1.5 मानसिक मन्दित बालकों पर शोध निष्कर्ष (Conclusions of Research on Mentally Retarded Children)
15.2 मानसिक मंदित बालकों की समस्याओं के निवारण हेतु सुझाव (Suggestions for Mentally Retarded Children)
15.3 सारांश (Summary)
15.4 शब्दकोश (Keywords)
15.5 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)
15.6 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

उद्देश्य (Objectives)

विद्यार्थी इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् सक्षम होंगे–

- मानसिक मंदित बालकों हेतु शिक्षण आव्यूह एवं उनकी समस्याओं के निवारण संबंधी सुझावों से अवगत होंगे।

प्रस्तावना (Introduction)

मानसिक मन्दित बालकों की शिक्षा अध्यापकों एवं अभिभावकों के समक्ष अत्यन्त चुनौतीपूर्ण समस्या के रूप में उपस्थित होती है। इन बालकों की विशिष्ट आवश्यकताओं पर पूरी तरह ध्यान देने और पहल के कारण इस पूरी व्यवस्था को 'विशिष्ट शिक्षा' के नाम से अभिहित किया जाता है। कहना न होगा कि इस प्रकार की विशिष्ट शिक्षा का प्रवधान करने के लिए अपेक्षित साज-सज्जा, सामग्री एवं साधनों को जुटाने हेतु पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था करना समाज का उत्तरदायित्व है। स्मरण रहे कि मन्दित बालकों की शिक्षा का निर्देशन 'वैयक्तिकता' के सिद्धान्त पर निर्भर है।

नोट

15.1 मानसिक मंदित बालकों हेतु शिक्षण आव्यूह (Teaching Strategies for Mentally Retarded Children)

कुछ महत्त्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों ने मानसिक मंदित बालकों हेतु अलग-अलग सिद्धांतों का उल्लेख किया है–

ऑलिवर पी. कोलेस्टो (1970) ने मानसिक मन्दित बालकों के लिए अधिगम कार्य गठित करने हेतु कुछ विशेष सिद्धान्तों का उल्लेख किया है जो इस प्रकार हैं–

(1) अधिगम कार्य जटिल नहीं होना चाहिए। नवीन अधिगम कार्यों में कम से कम तत्वों का समावेश होना आवश्यक है और इनमें से अधिकांश तत्व परिचित होने चाहिए।

(2) अधिगम कार्य छोटा होना चाहिए जिससे बालक उनकी उपेक्षा न कर सके।

(3) अधिगम कार्य में निहित सोपानों को क्रमिक रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक है। साथ ही, इन सोपानों का आकार अपेक्षाकृत छोटा होना चाहिए जिससे बालक त्रुटि न कर सके।

(4) अधिगम प्रक्रिया के अन्तर्गत बालक को प्रतलिएक प्रयास पर सफलता का अनुभव कराना सर्वथा अपेक्षित है, जिससे उसकी रूचि एवं अभिप्रेरणा बनी रहे।

(5) प्रतलिएक पाठ में अत्यधिगम की व्यवस्था स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए। इसमें क्रीड़ापरक अभ्यासों के प्राविधान द्वारा बालकों की रूचि को घटने से रोका जा सकता है।

(6) अधिगम कार्यों को बालकों के दैनिक पर्यावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं, समस्याओं तथा परिस्थितियों से स्वाभाविक रूप से सम्बन्धित कार्य करने चाहिए। इससे बालक को दिए गलिए कार्य के औचित्य एवं महत्व को समझने में कोई कठिनाई नहीं होती है।

(7) मन्दित बालकों के लिए अभिकल्पित अनेक शैक्षिक कार्यक्रमों में अभिक्रमित अधिगम पर आधारित अध्ययन सामग्रियों के अनुप्रयोग करने की संस्तुति की जाती है। अभिक्रमित अधिगम में लघु पदों द्वारा सूचना प्रस्तुत करने, अनुक्रिया उत्पन्न करने तथा प्रबलता प्रदान कराने पर बल दिया जाता है। इसमें अधिगम सामग्री इस प्रकार गठित होती है कि अधिगमकर्त्ता बिना त्रुटि किए हुए अभीष्ट अन्य व्यवहार को सीख ले सकें।

(8) अभिक्रमित अधिगम के अतिरिक्त विशिष्ट रूप से गठित अध्ययन सामग्री जो छात्र की आवश्यकता को दृष्टिगत रखकर प्रस्तुत की जाती है तथा सुधारात्मक पाठ्यक्रमों को विशिष्ट कक्षाओं में लागू किया जाता है। इन विशिष्ट पाठ्यक्रमों का उद्देश्य है–व्यावसायि सक्ष्मता विकसित करना तथा संप्रेषणात्मक कौशल लाना जिसमें मौखिक, लिखित, श्रवण एवं वाचन की निपुणता शामिल हैं।

(9) अत्यन्त व्यापक रूप से विचार करने पर मन्दित बालकों की शिक्षा के अधोलिखित लक्ष्य निरूपित किए जा सकते हैं–

(अ) सामाजिक कुशलता विकसित करना जिसका तात्पर्य यह है कि बालक में अपने साथियों के साथ मिल-जुल कर कार्य करने की योग्यता आ जाए।

(ब) व्यक्तिगत पर्याप्तता लाना जिसका अर्थ है अपने संतुलन रखते हुए अपने जीवन का निर्वाह कर सकना।

(स) व्यवसायिक निपुणता अर्जित करना जिसका यह आशय है कि बालक किसी अनुत्पादक कार्य में अपने को लगाकर आंशिक या पूर्ण रूप में आत्म-निर्वाह कर सकने की कुशलता प्राप्त कर ले।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि 'मन्दित' बालकों की शिक्षा हेतु 'विशिष्ट' संगठनात्मक व्यवस्था सर्वथा अपेक्षित है।

किर्क तथा *जॉनसन* ने इन बालकों को दृष्टिगत रखकर विशिष्ट कक्षाओं के आयोजन के लिए अधोलिखित सिद्धान्तों का उल्लेख किया है–

1. मानसिक मन्दित बालक जितनी ही कम आयु के हों, कक्षा का आकार उतना ही छोटा होना चाहिए।

नोट

2. मानसिक मन्दित बालकों का वर्ग जितना ही विजातीय (heterogenous) हो, कक्षा का उतना ही लघु आकार होना चाहिए है।
3. मानसिक मन्दित बालकों की विशिष्ट कक्षाओं का आयोजन सामान्य कोटि के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में ही होना चाहिए।
4. मानसिक मन्दित बालकों के प्रशिक्षण की जिम्मेवारी विशिष्ट रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों को ही सौंपनी चाहिए।
5. विशिष्ट कक्षाओं में मन्दित बालकों को रखने से पूर्व उनकी निदानात्मक जांच-पड़ताल अत्यन्त सावधानीपूर्वक कर लेनी चाहिए।
6. मन्दित बालकों के अभिभावकों का सहयोग बड़ी सूझ-बूझ के साथ प्राप्त करना आवश्यक है।
7. विशिष्ट कक्षाओं में शिक्षक को बालकों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं के अनुकूल पाठ्यक्रमों को गठित एवं क्रियान्वित करने हेतु अपेक्षित स्वतंत्रता एवं लचीलापन उपलब्ध होना चाहिए।
8. विशिष्ट कक्षाओं में स्थान के पूर्व मन्दित बालकों का विशिष्ट निदान यथा, चिकित्सात्मक, मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक कर लेना चाहिए।

स्किनर के अनुसार अमेरिका में निम्न पाठ्यक्रम की व्यवस्था की गयी–

(1) शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य की शिक्षा की व्यवस्था की जाए।

(2) पौष्टिक भोजन, सफाई और आराम की आदतों के साथ वास्तविक आत्म मूल्यांकन की शिक्षा दी जाए।

(3) सुरक्षा, प्राथमिक चिकित्सा और आचरण सम्बन्धी नियमों की शिक्षा दी जाए।

(4) सुनने, निरीक्षण करने, बोलने और लिखने की शिक्षा दी जाए।

(5) निष्क्रिय और सक्रिय मनोरंजन की शिक्षा दी जाए।

(6) स्थानीय यात्राओं को कुशलता से करने की शिक्षा दी जाए।

(7) मान्यताओं और विवेकपूर्ण नियमों की शिक्षा दी जाए।

(8) विभिन्न वस्तुओं का मूल्य आँकने की शिक्षा दी जाए।

(9) धन, समय और वस्तुओं का उचित प्रबन्धन करने की शिक्षा दी जाए।

(10) कार्य उत्तरदायित्व एवं साथियों और निरीक्षकों से मिलकर रहने की शिक्षा दी जाए।

मानसिक रूप से मन्दित बालकों की शिक्षा के लिए निम्न व्यवस्था होनी चाहिए–

1. विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना की जाए,
2. विशिष्ट कक्षाओं की स्थापना की जाए,
3. अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति की जाए,
4. छोटे समूहों में शिक्षा दी जाए,
5. विशेष पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए,
6. विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना की जाए,
7. अध्ययन के विषय को सुनिश्चित किया जाए,
8. हस्तशिल्पों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण दिया जाए,
9. सांस्कृतिक विषयों की शिक्षा दी जाए,
10. विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए।

नोट

> *नोट्स* मानसिक रूप से मंदित बालकों की अलग-अलग विशेषताएँ होती हैं, इसलिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से सीखने का अवसर देना चाहिए। तत्पश्चात् उन्हें समूह के साथ सामाजिक समायोजन हेतु शिक्षित किया जाए।

15.1.1 मानसिक मन्दित बालकों हेतु अध्यापक की भूमिका

मानसिक मन्दबुद्धि बालकों की शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि उनके लिए विशिष्ट विद्यालय हों तथा शिक्षक प्रशिक्षित हों। इसके अतिरिक्त भी शिक्षकों में कुछ विशेषताएँ होनी चाहिए कि वे मन्दित बालकों को सहज व उपयोगी शिक्षा दे सकें। इसके लिए अध्यापक का विशेष प्रशिक्षित व व्यवहारिक होना आवश्यकता है।

1. अध्यापक को बालकों का सम्मान करना चाहिए।
2. शिक्षकों को बालकों की सहायता, परामर्श और निर्देशन देने के लिए तैयार रहना चाहिए।
3. शिक्षकों को बालकों को एक या दो हस्तशिल्पों का प्रशिक्षण देने में कुशल होना चाहिए।
4. शिक्षक को स्वयं शारीरिक श्रम को महत्व देना चाहिए व बालकों को श्रम का महत्त्व सामूहिक विधि से सिखाए।
5. शिक्षक को धीमी गति से पढ़ाना चाहिए व अपने पढ़ालिए हुए पाठ को बार-बार दोहराना चाहिए।
6. शिक्षक में बालकों के प्रति प्रेम, सहानुभूति और सहनशीलता का व्यवहार करने का गुण होना चाहिए।
7. शिक्षक को बालकों के स्वास्थ्य, समस्याओं और सामाजिक दशाओं का व्यक्तिगत रूप से ज्ञान होना चाहिए व उनको हल करने के प्रयास करने चाहिए।
8. मन्दबुद्धि व पिछड़े बच्चों को पढ़ने के लिए सरल विधियों, मूर्त वस्तुओं और सामूहिक क्रियाओं का प्रयोग करना चाहिए तथा शिक्षण को रोचक बनाने के लिए सभी प्रकार की दृश्य-श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए।
9. शिक्षक को बालकों में संवेगात्मक सन्तुलन और सामाजिक समायोजन के गुणों का विकास करना चाहिए।
10. शिक्षक में इतना आत्मविश्वास हो कि उसे बालक की कमियों का पूर्ण ज्ञान है तथा वह उनमें प्रगति कर सकता है तथा उसमें धैर्य व संकल्प के गुण हो ताकि वह बालकों की मन्दगति से हतोत्साहित न हो।

निष्कर्ष के रूप में कुप्पूस्वामी ने ऐसे शिक्षक की कल्पना की है–"मन्दित बालकों के शिक्षकों को उनको शिक्षा देने के लिए विशिष्ट कुशलता और प्रशिक्षण से सुसज्जित होने के अलावा बहुत धैर्यवान, सहनशील और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए।"

15.1.2 मानसिक मन्दित बालकों हेतु शैक्षिक प्रावधान (Education for Mentally Retarded Children)

जब बालक न पढ़ने के योग्य देखा जाता है अर्थात् वह सामान्य स्कूल पाठ्यक्रम से किसी भी प्रकार से लाभान्वित नहीं होता तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। इसका कारण होता है–उनकी बहुत कम मानसिक योग्यता। इन मानसिक अक्षम बालकों के सामाजिक समायोजन को टूटे घर, अनुचित वातावरण प्रभावित करता है। इसे प्राय: आवासीय स्कूल में भेजा जाता है जहाँ एक भली प्रकार बनायी गयी निर्देशन योजना उनके सामाजिक सामान्जस्य को प्रभावित करती है। इस प्रकार के बालकों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम उतने ही सावधानी से तैयार करना चाहिए जितना कि उन बालकों के लिए, जो विशेष कक्षाओं में रखे जाते हैं।

मानसिक रूप से मन्दित बालकों के लिए शैक्षिक व्यवस्था स्पष्ट, प्रबन्धित तथा भली प्रकार निर्देशित होनी चाहिए। जहाँ पर पढ़ाई का प्रतलिएक सामान उपलब्ध होना चाहिए। अच्छी कक्षाओं का प्रबन्धन होना चाहिए। विशेष कक्षा के लिए जिले में योजना इस प्रकार होनी चाहिए–

नोट

15.1.3 शैक्षिक मन्दित बालकों के लिए शिक्षा की सुविधाएँ (Provisions for Educable Mental Retarded Children)

शैक्षित मन्दित बालकों को सामान्य विद्यालयों में शिक्षा देने में कठिनाई होती है, ऐसा सभी ने अनुभव किया है। आरम्भ की शिक्षा में इनके लिए शिक्षा की सम्पूर्ण व्यवस्था पृथक रूप से होनी चाहिए जिससे वह सीखने में कठिनाई का अनुभव न करे। इसके लिए विशिष्ट शिक्षण विधि, प्रविधि, तथा पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए। इनके लिए मुख्य सुविधाओं का उल्लेख यहाँ किया गया है–

(1) व्यक्तिगत शिक्षा की व्यवस्था
(2) करके सीखने की प्रविधि
(3) सीखने की तत्परता की आवश्यकता
(4) पाठ्यक्रम का स्तरीकरण
(5) पुनरावृत्ति तथा अभ्यास करना
(6) कालांश अवधि कम हो, तथा
(7) योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाए।

(1) **व्यक्तिगत शिक्षा** (Individualisation)—शैक्षिक मन्दित बालकों के लिए आवश्यक है कि उन्हें अपने ढंग से सीखने का अवसर दिया जाए क्योंकि इनकी अपनी आवश्यकतालिएँ तथा सीखने की गति अलग-अलग होती है, जिससे वो सीखने में रुचि ले सकें और अपना विकास कर सकें। तत्पश्चात् उन्हें समूह में सीखने का अवसर दिया जाए जिससे उनमें सामाजिक गुणों का विकास हो सके।

(2) **कार्य करके सीखना** (Learning by Doing)—कार्य करके सीखने का सिद्धान्त शिक्षण अधिगम में अधिक प्रभावशाली होता है। जिस काम को बालक करता है उसे सुगमता से सीख लेता है। विशिष्ट शिक्षा में इस सिद्धान्त को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि कार्य करने में एकाग्रता करनी होती है और सीखने में रुचि लेता है। उससे सीखने में कठिनाई का अनुभव भी नहीं होता। छात्रों से ऐसे कार्य करा लिए जाएँ जो उनके लिए रुचिकर हों।

(3) **अधिगम तत्परता की आवश्यकता** (Needs for Learning Readiness)—सीखने का यह दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धान्त है कि बालक सीखने के लिए तत्पर हो तभी वो सीख सकता है इसके लिए उन्हें अभिप्रेरित करना चाहिए। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि छात्रों में सीखने की ललक पैदा करनी चाहिए। इसके लिए बालक को मनोवैज्ञानिक ढंग से तैयार करना होगा।

(4) **पाठ्यक्रम का अनुकूलन** (Graded Curriculums)—यह सत्य है कि मानसिक रूप से मन्दित बालक सामान्य बालकों की अपेक्षा धीरे सीखते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि पाठ्यवस्तु का अनुकूलन किया जाए, जिससे लिए बालक सुगमता से पाठ्यक्रम को पूरा कर सकें। सरल से कठिन की तरफ पाठ्यवस्तु को व्यवस्थित करना चाहिए।

(5) **पुनरावृत्ति का अभ्यास** (Repetition of Practice)—मानसिक रूप से मन्दित बालकों की स्मृति कमजोर होती है। इसलिए शिक्षण की विधियाँ ऐसे होनी चाहिए जिसमें उन्हें अभ्यास का अवसर दिया जाए जिससे उसे वह अवधारण कर सकें। और उनकी स्मृति का विस्तार हो सके इसके लिए उन्हें अभिप्रेरणा देनी चाहिए और प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षक को सार्थक (अर्थपूर्ण) पाठ्यवस्तु को अधिक महत्व देना चाहिए।

(6) **कालांश की अवधि** (Periods of Short Duration)—मानसिक रूप से मन्दित बालक शीघ्र ही थकान का अनुभव करने लगते हैं। इसलिए इनकी कालांश अवधि अपेक्षाकृत कम होनी चाहिए। पाठ्यवस्तु को भी छोटे-छोटे पदों में छोटी अवधि में प्रस्तुत करना चाहिए।

(7) **योजना विधि** (Project Method)—मानसिक रूप से मन्दबुद्धि बालकों के लिए योजना विधि का भी प्रयोग किया जा सकता है। उनके जीवन से सम्बन्धित कुछ कार्यों को योजना के रूप में दिया जाए जिससे वह समूह में रह करके उसे पूरा करने का प्रयास करें। इससे बालक का सामाजीकरण होगा और सीखने में कार्य करने के सिद्धान्त का अनुसरण करेंगे।

नोट

मानसिक रूप से मन्दित बालकों की विशिष्ट शिक्षा में अधोलिखित नियमों का अनुसरण करना चाहिए–

(1) शारीरिक, सामाजिक, तथा मानसिक, एवं भावात्मक परिपक्वता को परोत्साहित करने के लिए समुचित साधनों का प्रयोग किया जाए।

(2) शिक्षक को कक्षा में सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, जिससे ऐसे बालकों में भय, उत्सुकता तथा निराशा का भाव उत्पन्न न हो सके। शिक्षक को ऐसे छात्रों को सरल गृह कार्य देने चाहिए।

(3) ऐसे बालकों को भविष्य की तैयारी के लिए प्रेरित करना चाहिए और उसके अनुरूप सीखने की स्वतन्त्रता भी देनी चाहिए।

(4) ऐसे बालकों के लिए विशिष्ट कक्षाएँ तथा विशिष्ट विद्यालय की स्थापना की जाए जिससे वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें।

विद्यालय में परामर्श और निर्देशन की सेवाओं की सुविधा होनी चाहिए जिससे उनकी समस्याओं का मनोवैज्ञानिक ढंग से समाधान किया जा सके।

टास्क मानसिक रूप से अक्षम बालकों को सामाजिक प्रशिक्षण देने हेतु क्या उपाय लाभकारी होंगे?

15.1.4. प्रशिक्षण योग्य मानसिक मन्दित बालक (Trainable Mentally Retarded Children)

मानसिक मन्दित बालकों को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है–शैक्षिक, प्रशिक्षण, तथा पूर्ण रूप से मन्दित। इन बालकों की पहिचान विद्यालयों में नहीं हो पाती है और छात्रों को कक्षा शिक्षण का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है इसलिए यह नितान्त आवश्यक है कि आरम्भ में ही मानसिक परीक्षण द्वारा पहिचान कर ली जाए। क्योंकि सामान्य माध्यमिक शिक्षा द्वारा इनका कुछ भला नहीं हो सकता। शैक्षिक मन्दित बालक कुछ अतिरिक्त सुविधाओं तथा साधनों ने सामान्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण करने लगते हैं। परन्तु जो प्रशिक्षण योग्य मन्दित बालकों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा देने से अव्यय या अवरोधन होता है। इसके लिए माता-पिता और समुदाय समान रूप से उत्तरदायी होते हैं।

माध्यमिक कक्षा में प्रवेश से पूर्व मानसिक बुद्धि परीक्षण किया जाना चाहिए। (25-55) बुद्धि-लब्धि बालकों को शिक्षण वर्ग में सम्मिलित करना चाहिए और इन्हें शिक्षा की मुख्यधारा से अलग प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। इन्हें किसी हस्तकारी सम्बन्धी व्यवसाय का प्रशिक्षण दिया जाए जिससे वो कार्य करने की कुशलता का विकास कर सकें। इसके अतिरिक्त उन्हें अपने आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यकुशलताओं का भी विकास करना चाहिए जैसे–कपड़े पहिनना, भाजन करना, नहाना-धोना आदि नित्य क्रियाएँ। ऐसे बालकों के लिए ऐसे पाठ्यक्रमों का विकास किया जाए जिससे वो निम्नांकित कार्यों को कर सकें–

(1) स्वयं की देख-भाल
(2) सामाजिक प्रशिक्षण
(3) ज्ञानेन्द्रियों का प्रशिक्षण,
(4) भाषा का विकास,
(5) संगीत और कला का प्रशिक्षण आदि।

(1) स्वयं की देख-भाल (Self Care)–प्रशिक्षण योग्य बालकों के पाठ्यक्रम का कार्यक्रम ऐसा हो जिससे इनमें साधारण आदतों का प्रशिक्षण दिया जा सके जिससे वह अपने स्वयं की सहायता कर सकें और नित्य प्रति की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। प्रशिक्षण में ऐसे विधियों का प्रयोग किया जाए जो जीवन के वास्तविक अनुभवों से सम्बन्धित हों।

(2) सामाजिक प्रशिक्षण (Social Training)–इनके प्रशिक्षण में सामुहिक क्रियाओं जैसे–खेल-कूद, नाटक, कहानी कहना, आदि को महत्व दिया जाए जिससे उन में सामाजिक और सहयोग की भावनाओं का विकास किया जा सके।

नोट

(3) **ज्ञानेन्द्रियों का प्रशिक्षण** (Sensory Training)—इनके प्रशिक्षण तथा अनुदेशन में ऐसी विधियों व प्रविधियों का प्रयोग किया जाए जिससे वे अपनी ज्ञानेन्द्रियों का जीवन में पूर्ण उपयोग कर सकें।

(4) **भाषा का विकास** (Development of Language)—इन बालकों को भाषा संबन्धी कौशलों के विकास पर भी बल दिया जाए जिससे वह भली प्रकार बोल सकें तथा भाषा को सुनकर समझ सकें एवं लिख-पढ़ सकें।

(5) **संगीत और कला का कार्य** (Craft work and Music)—इनके पाठ्यक्रम में ऐसे कार्यों को बढ़ावा दिया जाए जिससे उनमें आत्म विश्वास का विकास हो और जीविका अर्जन कर सकें। जैसे—साधारण कला का कार्य—बुनना, सीना, टोकरी बनाना, आदि। हाथ के कार्य कुछ सीखने से वह अपनी जीविका अर्जन कर सकें।

प्रशिक्षण योग्य मन्दित बालकों के लिए कुछ व्यक्तिगत केन्द्र भी स्थापित किए गए हैं जिनमें ऐसे छात्रों का निदान करके कुछ उपचार भी दिए जाते हैं। जिससे उनकी मन्दता कुछ कम हो सके। और व्यक्तिगत कार्यक्रम का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। यद्यपि इस प्रकार के कार्यों में अधिक समय लगता विकसित देखों में ही उनके लिए व्यक्तिगत केन्द्रों की स्थापना की गई और शोध कार्य भी किलिए जा रहे हैं।

15.1.5 मानसिक मन्दित बालकों पर शोध निष्कर्ष (Conclusions of Research on Retarded Children)

विभिन्न प्रकार का मूल्यांकन करने हेतु *किर्क* ने अनुदैर्ध्य अध्ययन (longitudinal study) किया जिसमें पूर्व प्राथमिक स्तर की शिक्षा का 'शैक्षिक मन्दित' बालकों के विकास पर प्रभाव देखा गया। उन्होंने 81 ऐसे बालकों का अध्ययन किया जिनकी बुद्धि-लब्धि प्रारम्भ में 45 से 80 के बीच थी। एक समुदाय में 28 बालकों को पूर्व प्राथमिक स्कूल में प्रवेश दिया गया जबकि 26 बालकों का परीक्षण लिया गया लेकिन उन्हें किसी पूर्व प्राथमिक विद्यालय में नहीं रखा गया। इसी प्रकार *किर्क* ने 15 बालकों को किसी संस्था में प्रशिक्षित किया और उनकी परीक्षा भी ली जबकि 12 बालकों को असंस्थागत रूप में बिना प्रशिक्षण के परीक्षण लिया गया। 6 वर्ष की आयु में लिए सभी बच्चे संस्था या समुदाय में प्रविष्ट हुए। इसके बाद इन्हें एक से चार वर्ष की अवधि तक अनुवर्ती रूप में अध्ययन कर विषय बनाया गया। इस अध्ययन के फलस्वरूप अधोलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए—

(1) विद्यालय पूर्व प्रशिक्षण मन्दित बालकों की विकास दर को बढ़ा देता है।

(2) जैविक विकार वाले पचास प्रतिशत बच्चों की विकास-दर में अभिवृद्धि देखी गई किन्तु बिना जैविक विकार वाले बच्चों की तुलना में उनमें कम ही सुधार पाया गया।

(3) मनो-सामाजिक रूप से वंचित परिवार के बच्चों में विकास-दर सामान्य रही या विद्यालयकाल अथवा विद्यालयोपरान्त उसमें अभिवृद्धि पाई गई। जबकि विद्यालय से पूर्व प्रशिक्षण नहीं प्राप्त कर सकने वाले बालकों ने या तो विद्यालय छोड़ दिया या अपनी विकास-दर की दृष्टि से यथावत् रहे।

(4) संस्थाओं में प्रवेश उन बालकों ने जिन्हें विद्यालय से पूर्व प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया था अपने वृद्धि दर में भारी लाभांश प्रदर्शित किया जबकि वे बालक जिन्हें संस्थाओं में नहीं रखा गया तथा विद्यालय से पूर्व प्रशिक्षण नहीं उपलब्ध कराया गया था, उनकी बुद्धि दर में ह्रास पाया गया।

(5) परिवारों तथा विद्यालय से पूर्व व्यवस्थाओं में शामिल किए गए बालकों की वृद्धि दरों में भारी परिवर्तन देखा गया।

(6) अपेक्षाकृत सम्पन्न परिवार के बच्चे जिन्हें विद्यालय से पूर्व अनुभव नहीं उपलब्ध कराया गया था, विद्यालय में प्रविष्ट होने पर उनकी वृद्धि दर में अभिवृद्धि हो जाती है। इससे यह संकेत मिलता है कि विकास-दर को बढ़ाने की दृष्टि से 6 वर्ष की आयु को ठीक ही माना जा सकता है, जबकि यह बालक सम्पन्न परिवार के हों।

क्या आप जानते हैं किर्क ने जिन 81 मंदित बालकों का अध्ययन किया था उनकी बुद्धि-लब्धि 45 से 80 के बीच थी।

नोट

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

रिक्त स्थानों की पूर्ति करें (Fill in the Blanks)

1. मानसिक रूप से अक्षम बालकों की जिम्मेवारी विशिष्ट रूप से ········ को ही सौंपनी चाहिए।
2. मानसिक रूप से अक्षम बालकों की ········ बहुत कमज़ोर होती है।
3. मानसिक मंदित बालकों के विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन करने हेतु किर्क ने ········ किया जिसमें पूर्व प्राथमिक स्तर की शिक्षा का शैक्षिक मंदित बालकों के विकास पर प्रभाव देखा गया।
4. किर्क ने 81 ऐसे बालकों का अध्ययन किया जिनकी बुद्धि लब्धि ········ के बीच होती थी।

15.2 मानसिक मंदित बालकों की समस्याओं के निवारण हेतु सुझाव (Suggestions for Mentally Retarded Children)

मानसिक रूप से मन्दित बालकों के सम्बन्ध में बड़ी कठिनाईयाँ होती हैं कि उनके माता-पिता उनकी दुर्बलताओं को नहीं पहिचान पाते और उन्हें सामान्य बालकों की तरह ही व्यवहार करते हैं और उन से भी सामान्य बालकों की तरह अपेक्षा करते हैं। ऐसे बालकों का लालन-पालन भी सामान्य बालकों की तरह ही किया जाता है। जब ऐसे बालक अपेक्षित व्यवहार नहीं कर पाते तो माता पिता को बड़ी निराशा होती है। कुछ माता-पिता तो मन्दित बालकों को विद्यालय में प्रवेश भी दिला देते हैं। और छात्र जब विद्यालय का कार्य नहीं कर पाता तो उससे समुचित व्यवहार नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पर ऐसे बालकों के लिए कुछ सुझाव दिए गलिए हैं जो इस प्रकार हैं–

(1) ऐसे बालकों के प्रशिक्षण में माता-पिता और परिवार की अहम् भूमिका होती है। जब बालक सामान्य जैसा व्यवहार न करे तो मनोवैज्ञानिकों से परामर्श लेना चाहिए और उनका बुद्धि परीक्षण कराया जाए। जिससे उनकें इस व्यवहार के कारण ही पहचान हो जाएगी और उन्हीं के अनुरूप उनका उपचार किया जाए।

(2) इस प्रकार के माता-पिता को तथा परिवार के अन्य सदस्यों को निराश नहीं होना चाहिए और न ही धैर्य खोना चाहिए। अपितु उसके उपचार हेतु प्रयास करना चाहिए, डॉक्टरों, मनोवैज्ञानिकों, तथा शिक्षकों से परामर्श लेना चाहिए।

(3) परिवार के वयोवृद्धों के अनुभवों का भी लाभ उठाना चाहिए। इस सम्बन्ध में वृद्ध महिलाओं का अधिक ज्ञान होता है। उन्हें यह अनुभव होने लगता है कि बालक का विकास धीमी गति से हो रहा है, और व्यवहार में असमान्यता भी है। इसका कारण शारीरिक और मानसिक दोष हो सकता है। इसके लिए बाल मनोवैज्ञानिकों या बाल चिकित्सकों की सलाह लेनी चाहिए।

(4) परीक्षणों के बाद यह पहचान की जा सकती है कि बालक शिक्षा योग्य है, या प्रशिक्षण योग्य है, अथवा पूर्ण रूप से मन्दित है। तद्नकूल उपचार के उपाय करने चाहिए। यदि शिक्षा योग्य है तो ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाएँ जिससे बालक में कुछ कौशलों का विकास हो और वह समाज में समायोजन कर सके। लिखने, पढ़ने, बोलने के कौशलों का विकास किया जाए। यदि वह प्रशिक्षण योग्य बालक है तो उसे ऐसे कार्यो को करने का प्रशिक्षण दिया जाए जो उसके घर के कार्यक्रमों पर आधारित हैं।

15.3 सारांश (Summary)

- मानसिक मन्दित बालकों की शिक्षा अध्यापकों एवं अभिभावकों के समक्ष अत्यन्त चुनौतीपूर्ण समस्या के रूप में उपस्थित होती है। इन बालकों की विशिष्ट आवश्यकताओं पर पूरी तरह ध्यान देने और पहल के कारण इस पूरी व्यवस्था को 'विशिष्ट शिक्षा' के नाम से अभिहित किया जाता है। कहना न होगा कि इस प्रकार की विशिष्ट शिक्षा का प्रवधान करने के लिए अपेक्षित साज-सज्जा, सामग्री एवं साधनों को जुटाने हेतु पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था करना समाज का उत्तरदायित्व है। स्मरण रहे कि मन्दित बालकों की शिक्षा का निर्देशन 'वैयक्तिकता' के सिद्धान्त पर निर्भर है।

नोट

- कुछ महत्त्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों ने मानसिक मंदित बालकों हेतु अलग-अलग सिद्धांतों का उल्लेख किया है—*ऑलिवर पी. कोलेस्टो* (1970) ने मानसिक मन्दित बालकों के लिए अधिगम कार्य गठित करने हेतु कुछ विशेष सिद्धान्तों का उल्लेख किया है जो इस प्रकार हैं—
  (1) अधिगम कार्य जटिल नहीं होना चाहिए। नवीन अधिगम कार्यों में कम से कम तत्वों का समावेश होना आवश्यक है और इनमें से अधिकांश तत्व परिचित होने चाहिए।
  (2) अधिगम कार्य छोटा होना चाहिए जिससे बालक उनकी उपेक्षा न कर सके।
  (3) अधिगम कार्य में निहित सोपानों को क्रमिक रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक है। साथ ही, इन सोपानों का आकार अपेक्षाकृत छोटा होना चाहिए जिससे बालक त्रुटि न कर सके।
- *स्किनर* के अनुसार अमेरिका में निम्न पाठ्यक्रम की व्यवस्था की गयी—
  (1) शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य की शिक्षा की व्यवस्था की जाए।
  (2) पौष्टिक भोजन, सफाई और आराम की आदतों के साथ वास्तविक आत्म मूल्यांकन की शिक्षा दी जाए।
  (3) सुरक्षा, प्राथमिक चिकित्सा और आचरण सम्बन्धी नियमों की शिक्षा दी जाए।
- **मानसिक मन्दित बालकों हेतु अध्यापक की भूमिका**—मानसिक मन्दबुद्धि बालकों की शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि उनके लिए विशिष्ट विद्यालय हों तथा शिक्षक प्रशिक्षित हों।
- मानसिक रूप से मन्दित बालकों के लिए शैक्षिक व्यवस्था स्पष्ट, प्रबन्धित तथा भली प्रकार निर्देशित होनी चाहिए। जहाँ पर पढ़ाई का प्रतलिएक सामान उपलब्ध होना चाहिए। अच्छी कक्षाओं का प्रबन्धन होना चाहिए। विशेष कक्षा के लिए जिले में योजना इस प्रकार होनी चाहिए।
- **शैक्षिक मन्दित बालकों के लिए शिक्षा की सुविधाएँ**—शैक्षित मन्दित बालकों को सामान्य विद्यालयों में शिक्षा देने में कठिनाई होती है, ऐसा सभी ने अनुभव किया है। आरम्भ की शिक्षा में इनके लिए शिक्षा की सम्पूर्ण व्यवस्था पृथक रूप से होनी चाहिए जिससे वह सीखने में कठिनाई का अनुभव न करे। इसके लिए विशिष्ट शिक्षण विधि, प्रविधि, तथा पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए। इनके लिए मुख्य सुविधाओं का उल्लेख यहाँ किया गया है—
  (1) व्यक्तिगत शिक्षा की व्यवस्था
  (2) करके सीखने की प्रविधि
  (3) सीखने की तत्परता की आवश्यकता
  (4) पाठ्यक्रम का स्तरीकरण
  (5) पुनरावृत्ति तथा अभ्यास करना
  (6) कालांश अवधि कम हो, तथा
  (7) योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाए।
- **प्रशिक्षण योग्य मानसिक मन्दित बालक**—मानसिक मन्दित बालकों को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है—शैक्षिक, प्रशिक्षण, तथा पूर्ण रूप से मन्दित। इन बालकों की पहिचान विद्यालयों में नहीं हो पाती है और छात्रों को कक्षा शिक्षण का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है इसलिए यह नितान्त आवश्यक है कि आरम्भ में ही मानसिक परीक्षण द्वारा पहिचान कर ली जाए।
- माध्यमिक कक्षा में प्रवेश से पूर्व मानसिक बुद्धि परीक्षण किया जाना चाहिए। (25-55) बुद्धि-लब्धि बालकों को शिक्षण वर्ग में सम्मिलित करना चाहिए और इन्हें शिक्षा की मुख्यधारा से अलग प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। इन्हें किसी हस्तकारी सम्बन्धी व्यवसाय का प्रशिक्षण दिया जाए जिससे वो कार्य करने की कुशलता का विकास कर सकें। इसके अतिरिक्त उन्हें अपने आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यकुशलताओं का भी विकास करना चाहिए जैसे—कपड़े पहिनना, भाजन करना, नहाना-धोना आदि नित्य क्रियाएँ। ऐसे बालकों के लिए ऐसे पाठ्यक्रमों का विकास किया जाए जिससे वो निम्नांकित कार्यों को कर सकें—
  (1) स्वयं की देख-भाल
  (2) सामाजिक प्रशिक्षण
  (3) ज्ञान्द्रियों का प्रशिक्षण,
  (4) भाषा का विकास,
  (5) संगीत और कला का प्रशिक्षण आदि।

नोट

- ऐसे बालकों के प्रशिक्षण में माता-पिता और परिवार की अहम् भूमिका होती है। जब बालक सामान्य जैसा व्यवहार न करे तो मनोवैज्ञानिकों से परामर्श लेना चाहिए और उनका बुद्धि परीक्षण कराया जाए। जिससे उनकें इस व्यवहार के कारण ही पहचान हो जाएगी और उन्हीं के अनुरूप उनका उपचार किया जाए।
- इस प्रकार के माता-पिता को तथा परिवार के अन्य सदस्यों को निराश नहीं होना चाहिए और न ही धैर्य खोना चाहिए। अपितु उसके उपचार हेतु प्रयास करना चाहिए, डॉक्टरों, मनोवैज्ञानिकों, तथा शिक्षकों से परामर्श लेना चाहिए।

15.4 शब्दकोश (Keywords)

- **पुनरावृत्ति–** दोहराना।
- **जीविका अर्जन–** रोज़ी-रोटी के साधन प्राप्त करना।।

15.5 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

1. मानसिक रूप से अक्षम बालकों हेतु शिक्षण आव्यूह का विवेचन कीजिए।
2. मानसिक रूप से अक्षम बालकों की समस्याओं के निवारण हेतु कुछ सुझाव दीजिए।

उत्तर : स्व-मूल्यांकन (Answer: Self Assessment)

1. प्रशिक्षित शिक्षकों 2. स्मृति 3. अनुदैध्य अध्ययन 4. 45 से 80।

15.6 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

पुस्तकें

1. *शारीरिक रूप से विकलांग बालक–* योगेन्द्र कुमार शर्मा, कनिष्क पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
2. *विशिष्ट बालक–* अवधारणा, विकास एवं शिक्षा, के. के. पब्लिकेशंस, नई दिल्ली।
3. *विशिष्ट शिक्षा–* श्याम सिंह गौड़, साहित्य प्रकाशन, आगरा।
4. *विशिष्ट बालक–* आभारानी बिष्ट, अग्रवाल प्रकाशन, आगरा।

नोट

इकाई–16: अधिगम असमर्थता: परिभाषा, प्रकार एवं विशेषताएँ (Learning disabilities : definition, types, Characteristics)

अनुक्रमणिका (Contents)

उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तावना (Introduction)

16.1 अधिगम असमर्थित की अवधारणा (Concept of Learning Diability)

16.2 अधिगम असमर्थ बालक का अर्थ (Meaning of Learning Diability Children)

16.3 अधिगम असमर्थ की परिभाषा (Definition of Learning Disabled)

16.4 अधिगम असमर्थ बालकों की विशेषताएँ (Characteristics of Learning Disability)

16.5 अधिगम असमर्थ बालकों का वर्गीकरण (Cassification of Learning Disabed)

16.6 अधिगम असमर्थ बालकों के प्रकार (Types of Learning Disabled)

16.7 सारांश (Summary)

16.8 शब्दकोश (Keywords)

16.9 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

16.10 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

उद्देश्य (Objectives)

विद्यार्थी इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् सक्षम होंगे–

- अधिगम असमर्थ बालकों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

प्रस्तावना (Introduction)

सन् (1963) के पश्चात् विद्वानों ने अधिगम असमर्थता को परिभाषित करने का प्रयास किया है लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी व्यापक परिभाषा विकसित करने में सक्षम नहीं हो पाये जिसे प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार कर सके। अमेरिका में जन सामान्य कानून के अन्तर्गत सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक रूप से बाधित बालकों के शिक्षा संबन्धी कानून को (1975) में सम्मिलित किया गया जिसके अनुसार–

शब्द "अधिगम असमर्थ बालक का तात्पर्य ऐसे बालकों से है जो भाषा को बोलने या समझने में शारीरिक व मानसिक अथवा दोनों के कारण असमर्थ है। अर्थात बोलने व समझने की क्रिया में किसी भी प्रकार के दोष बालकों में पाये जाते हैं। जिसके अन्य प्रभाव जैसे भाषा, लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, संबन्धी गणना करना पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से भी सम्मिलित है। यह शब्द गम्भीर रूप से शारीरिक व मानसिकता बाधिता, मस्तिष्क में चोट, मस्तिष्क का सुचारु रूप से कार्य न कर पाना अजीर्ण रोग से गस्त होना भी सम्मिलित है।

नोट

इस शब्द में ऐसे बालक सम्मिलित नहीं है। जो अधिगम संबन्धी समस्या से पीड़ित है लेकिन इसका मुख्य कारण दृष्टि, श्रवण बाधिता, हाथ या पैर से कार्य न कर पाना, मानसिक मन्दिता, भावनात्मक विक्षोभ या वातावरण विक्षिप्तता अथवा सांस्कृतिक या आर्थिक दोष हैं। सन् (1975) में कानून भी बना। अधिगम असमर्थता बालक में अन्य विस्तृत क्षेत्रों में अयोग्यताएँ पैदा कर सकती हैं। मनोविज्ञान से सम्बन्धित इस प्रकार के 10 क्षेत्रों का चयन इस अध्याय में सम्मिलित किया गया है। किसी भी एक क्षेत्र में अथवा अधिक क्षेत्रों में दोष होने का अर्थ अधिगम संबन्धी समस्या है।

कुछ बालक अधिकांश क्षेत्रों में सामान्य दिखाई पड़ते हैं। कभी-कभी ऐसे बालकों को अधिगम संबन्धी समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसे बालकों को भाषा सीखने में भी कठिनाई होती है। ऐसे बालकों को शिक्षण क्षेत्र में लिखने, सुनने, समझने, पढ़ने में, गणितीय संख्याएँ बोलने तथा सम्प्रेषण में कठिनाई होती है।

16.1 अधिगम असमर्थता की अवधारणा (Concept of Learning Disability)

अधिगम असमर्थता का तात्पर्य अधिगम संबन्धी ऐसी समस्याओं से है जो बालकों के सुनने, समझने बोलने, लिखने, पढ़ने या गणितीय संख्याओं में बालक की अयोग्यता आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से प्रदर्शित करते हैं अर्थात उपरोक्त कार्य क्षेत्र में बालक मापदण्डों के आधार पर निपुणता प्राप्त नहीं कर पाता। कभी-कभी बालक में श्रवण, दृष्टि, शारीरिक, मानसिक मन्दिता संबन्धी दोष नहीं होते हैं और ना ही बालक आर्थिक रूप से पिछड़ी श्रेणी में पाया जाता है। ऐसे बालकों में भाषा का प्रयोग करने अथवा समझने में मनोविज्ञान संबन्धी प्रक्रियाओं में अभाव और दोषों का होना मुख्य कारण होता है।

किर्क (1962) के अनुसार—अधिगम असमर्थता का तात्पर्य बालक का मंद गति से विकास होना अथवा मापदण्डों से अधिक समय लगने से सम्बन्धित है। विकास में मन्दता की दर का बालक के बोलने, पढ़ने, भाषा संबन्धी शब्दों के विभिन्न *वर्तनी* अक्षर करके पढ़ने लिखने अथवा एक से अधिक क्रियाओं के करने में बालक कठिनाइयों का अनुभव करता है। इस प्रकार की समस्याओं एवं कठिनाई का कारण भावानात्मक, व्यवहारिक विक्षोभ अथवा सम्भवतः (cerebral dysfunction) मानसिक दोष होता है। इसका कारण मानसिक मन्दता, शारीरिक इन्द्रियों में कमी अथवा दोष नहीं होता है। इसका कारण सांस्कृतिक अथवा अनुदेशात्मक दोष भी नहीं होते हैं।

Kirk (1962) has defined: "Learning disability refers to a retardation disorder, or delayed development in one or more of the process of speech, language, reading, spelling, writing or arithmetic skills resulting from a possible cerebral dysfunction and emotional or behavioural distrubance and not from mental retardation, sensory deprivation, cultural or instructional factors."

16.2 अधिगम असमर्थ बालक का अर्थ (Meaning of Learning Disabled Children)

बालकों की शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार की कठिनाई एक रहस्य है अर्थात एक गूढ़ रहस्य है। यह समस्या शिक्षाविदों के लिए नई नहीं है परन्तु अधिगम असमर्थता के प्रत्यय का अधूरा इतिहास है। कुछ बालक सामान्य प्रतीत होते हैं परन्तु लगभग प्रत्येक अवधि में वह अधिगम संबन्धी समस्याएँ बतलाते हैं। वह अक्षरों के क्रम को भली प्रकार से नहीं लिख पाते परन्तु उसे उलट पलट कर लिख देते हैं। जैसे खाना को नाखा, राम को मरा आदि लिखते हैं। ऐसे बालक शब्दों पर अपना ध्यान एकाग्र नहीं कर पाते। यदि बालकों के आस-पास शोर अथवा कोलाहल हो तो बालक पूर्ण रूप से एकाग्रचित न होने के कारण त्रुटियों की सभावना अधिक हो जाती है। अमेरिका में बाधित बालकों से सम्बन्धित राष्ट्रीय सलाहकार समिति ने गम्भीर असमर्थता को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है—

"अधिगम असमर्थ बालक एक अथवा एक से अधिक मनोवैज्ञानिक क्रियाओं में दोष दर्शाते हैं। यह दोष भाषा के लिखने, बोलने अथवा समझने से सम्बन्धित होते है। दोषों का आधार सुनना, सोचना, सम्प्रेषण, पढ़ना, लिखना, वर्तनी करना, भाव व्यक्त करना तथा गणित संबन्धी अंकों आदि का होता है। इसमें बालक की ऐसी अवस्थाएँ भी

नोट

सम्मिलित होती हैं जो मस्तिष्क में चोट, मस्तिष्क का सुचारू रूप से कार्य न करना, *डिलैक्सिया* (क्लेसमगपं) अथवा *अफैसिया* (ंचींपं) का बढ़ाना आदि समस्याओं से सम्बन्धित होते है। इसमें अधिगम समस्याएँ सम्मलित नहीं होती है। जो बालक की शारीरिक, श्रवण, दृष्टि, मानसिक मन्दिता, हाथ पैरों का सुचारू रूप से कार्य न करना, भावानात्मक विक्षोभ अथवा वातावरण में किसी प्रकार की कमी अथवा अनुपयुक्त आदि समस्याएं किसी भी प्रकार से प्रभावशाली नहीं होती है। अर्थात् ऐसे बालकों में उपरोक्त समस्याएं नहीं पाई जाती है।"

"LD children exhibit disorder in one or more basic psychological process involved in understanding and in using spoken or written language. The disorders manifested in listening, thinking, talking, reading, writing, spelling, and arithmetic skills. They include conditions which are referred to as perceptual problems, brain injury, minimal brain dynfunction, dyslexia, developmental aphasia etc. They do not include learning problems which are primarily due to visual, hearing, or motor handicapps, mental retardation, emotional disturbance, or the environmental disadvantages."

ऐसे बालकों की अधिक संख्या है जिन्हें किसी विशेष विषय के अधिगम में समस्याएँ होती है। सामान्यत: अधिगम सम्बन्धित समस्याएँ निम्नलिखित कारणों में एक अथवा एक से अधिक का पाया जाना होता है–

(1) बुद्धि स्तर में कमी
(2) मानसिक मन्दता
(3) आर्थिक कठिनाईयाँ
(4) हाथ/पैर संबन्धी दाव
(5) दृष्टि बाधिता
(6) सांस्कृतिक ह्रास
(7) समुचित अनुदेशन का अभाव

उपरोक्त कारणों से अधिगम संबन्धी समस्याएँ अधिगम असमर्थता में नहीं समझी जाती हैं। उदाहरण के लिए, एक मानसिक मन्दित बालक को स्कूल द्वारा पढ़ाये जाने वाले प्रत्येक विषय में समस्या होती है। मानसिक मन्दित बालक की अधिगम संबन्धी समस्याओं का कारण अधिगम असमर्थता नहीं होती परन्तु उसकी समस्या का कारण बुद्धि, स्तर में कमी का पाया जाना होती है। इसी प्रकार दृष्टिहीन बालक की अधिगम समस्या का कारण दृष्टि बाधिता अथवा दृष्टि क्षति से सम्बन्धित होता है यह अधिगम असमर्थता नहीं है।

टास्क डिस्लेक्सिया पर आधारित आमिर खान द्वारा निर्देशित एवं अभिनीति फिल्म कौन सी थी? फिल्म के सहकलाकारों के नाम भी बताइए।

16.3 अधिगम असमर्थता की परिभाषा (Definition of Learning Disability)

अमेरिका (1968) की अपंगों की राष्ट्रीय सलाहकार समिति के अनुसार "अधिगम असमर्थता" की परिभाषा इस प्रकार दी हैं–"बालकों की विशिष्ट अधिगम असमर्थता बालक के द्वारा भाषा को लिखने या बोलने में, मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में एक अथवा एक से अधिक सुचारू रूप से प्रणाली का कार्य न कर पाना होता है।"

इस प्रकार की कमियों का मुख्य आधार सुनने, बोलने, समझने, विचार करने, पढ़ने, लिखने, गणना करने तथा शब्दों के विभिन्न वर्तनी दोष करने में कमजोरी का पाया जाना होता है। इस प्रकार की असमर्थता में शारीरिक बाधिता जैसे डायलैक्सिया (dyslexia) अथवा अफैसिया (aphasia) का विकसित होने की दशा से भी तात्पर्य है जिसे इसमें सम्मिलित किया गया है। इसमें अधिगम संबन्धी समस्याएँ सम्मिलित नहीं है जो मुख्यतया–दृष्टि, अधिगम, हाथ/पैर, मानसिक मन्दिता, भावानात्मक विक्षोम अथवा वातावरण का समुचित न होने के कारण होती है। अमेरिका की (1981) अधिगम असमर्थता की सहायक राष्ट्रीय समिति ने अधिगम असमर्थता की निम्नलिखित परिभाषा दी है जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी राष्ट्रों ने एकमत से स्वीकार किया है–

नोट

"अधिगम असमर्थता जाति अथवा समुदाय से सम्बन्धित शब्द है जिसका तात्पर्य विभिन्न प्रकार की कमियों से है इनका आधार सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना तथा गणितीय योग्यता के प्रयोग में और उनके प्राप्त करने में होने वाली महत्त्वपूर्ण कठिनाइयों से सम्बन्धित है। यह कमियों किसी व्यक्ति के लिए आन्तरिक होती है जिनका मुख्य कारण शरीर के विभिन्न अंगों तथा नाड़ी संस्थान की व्यवस्थाओं का सुचारु रूप से न कर पाना होता है। यद्यपि अधिगम असमर्थता अन्य शारीरिक अथवा मानसिक दोषों के कारण भी हो सकती है। जैसे इन्द्रियों का क्षतिग्रस्त होना, मानसिक मन्दिता, सामाजिक तथा संवेगात्मक विक्षोभ या वातावरण के दुष्प्रभाव (जैसे सांस्कृतिक भेदभाव, अनुपयुक्त या अपर्याप्त अनुदेशन, मानसिक कारण) इन दशाओं का या प्रभाव का फल सीधा नहीं पड़ता है।

दोनों ही परिभाषाएं काफी सीमा एक समान है। इसके आधार पर यह माना जा सकता है कि अधिगम असमर्थता का कारण शरीर के अंगों अथवा नाड़ियों से सुचारू रूप से कार्य कर पाना अथवा न कर पाना हो सकता है। अधिगम असमर्थ बालक को शिक्षण क्षेत्र में निपुणता को ग्रहण करने में अधिक समस्याएँ होती हैं। यह समस्याएँ अन्य शारीरिक अथवा मानसिक बाधिताओं के कारण नहीं होती।

कुछ बालकों की उपलब्धियों उनकी सक्षमताओं से निम्न स्तर पर होने के कारण उन्हें मस्तिष्क अथवा मानसिक आघात (Brain Injured) की श्रेणी में रखा गया। ऐसे बालकों में यह पाया गया कि यह नाड़ी तथा मस्तिष्क का सुचारु रूप से कार्य न कर पाने से पीड़ित है। सन् (1963) में सर्वप्रथम *किर्क* ने शब्द "अधिगम असमर्थताएँ" सुझाया। यह शब्द बालक के शरीर के केन्द्रीय अंगों का सुचारु रूप से कार्य प्रणाली में किसी भी प्रकार के विक्षिप्त होने को भली-भांति स्पष्ट करता है तथा बालक के व्यवहारिक लक्षणों भी होते हैं। यह शब्द ऐसे बालकों के समूह के बारे में बतलाता है अथवा वर्णन करता है जिनकी भाषा, वाणी, पढ़ना, सम्प्रेषण निपुणता आदि के विकास में त्रुटियाँ होती हैं और वह समाज से विचार विमर्श, सम्बन्ध बनाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं।" भावानात्मक विक्षेपित बाधित बालक तथा हाथ/ पैर के सुचारू रूप से कार्य में अक्षम बालक इस श्रेणी से अलग हैं जो इसमें सम्मिलित नहीं किये गये हैं।

शब्द "अधिगम असमर्थ" का तात्पर्य उन दशाओं से है जो मस्तिष्क में चोट लगने, मस्तिष्क का सुचारू रूप से कार्य करने में अक्षम होना, किसी के द्वारा बोले गये शब्दों को समझने में अक्षम होना, बोलने में असमर्थता शब्दों का ठीक प्रकार से दिखलाई न देने की दशा में पढ़ने में असमर्थता, गणितीय संख्याओं में कठिनाई, लिखने में अक्षम आदि से सम्बन्धित है। ऐसे बालक जो उपरोक्त दशाओं में से किसी एक अथवा एक से अधिक कारणों से अधिगम में कठिनाई का सामना करता है अथवा सुचारु रूप से अक्षम है तो उसे अधिगम असमर्थ कहा जा सकता है।

नोट्स अधिकांश अधिगम असमर्थ बालकों का बुद्धि स्तर सामान्य से भी कम होता है। बहुत से बालकों का बुद्धि स्तर सामान्य से अधिक भी होता है और कई बार तो यह प्रतिभाशाली बालकों के बुद्धि स्तर के बाहर होता है।

16.4 अधिगम असमर्थ बालकों की विशेषताएँ (Characteristics of Learning Disabled)

अधिगम असमर्थ बालकों के मुख्य गुणों का वर्गीकरण करने हेतु अनेक प्रयास किये गये हैं। *कलेमेन्टस* ने (1966) में अधिगम असमर्थ बालकों का अध्ययन विस्तृत रूप में किया। उन्होंने यह अनुमान लगाया कि अधिगम असमर्थता मानसिकता तथा नाड़ियों के दोषों अथवा नाड़ी संस्थान में किसी प्रकार की क्षति के कारण होती है। ऐसे बालकों में अधिकांश रूप से निम्न विशेषताएँ पायी गयी जो निम्नलिखित हैं–

(1) अतिक्रिया (Hyperactivity)

(2) संवेगात्मक योग्यता (Emotional ability)

(3) अवधान में कमी (Disorder of attention)

नोट

(4) स्मृति और चिन्तन में कमी (Disorder of memory and thinking)

(5) शारीरिक अंग जैसे-हाथ-पैर का सुचारू रूप से कार्य करने में बाधित होना

(6) विभिन्न इन्द्रियों के आपसी समंजन में कमी,

(7) संवेगात्मक प्रतिरोध (Inpulsivity) तथा

(8) विशिष्ट अधिगम असमर्थता।

(1) अधिगम असमर्थ बालकों की वाणी तथा भाषा (Language and Speech of Learning Disabled Children)

अधिगम असमर्थ बालकों की भाषा को समझने तथा भाव व्यक्त करने में कठिनाई आती है। भाषा के भाव व्यक्त करने में भाषा सीखने की अपेक्षा अधिक कठिनाई होती है। अधिगम असमर्थ बालकों को सुनने तथा स्पष्ट रूप से शब्दों को बोलने में कठिनाई नहीं होती है। परन्तु ऐसे बालकों को वाक्यों को बनाने अथवा वाक्यों को संयुक्त करने में कठिनाई होती है। ऐसे बालक विस्तृत वाक्यों के अर्थ अथवा भाव को समझने अथवा सर्वनाम का प्रयोग करने में कठिनाई नहीं होती। उन्हें कर्म वाच्य (Passive) वाक्यों को समझने तथा प्रयोग करने, नकारात्मक तथा भूतकाल वाक्यों में कठिनाई होती है। इसके अतिरिक्त विशेषण तथा क्रिया विशेषण में भी कठिनाई होती है। वह बातचीत करने में असफल रहते हैं तथा तर्क करना या प्रश्न पूछना आदि में भी संकोच करते हैं। जहाँ तक लिखित भाषा का सम्बन्ध है उन्हें हस्तलिखित कार्य करने में भी कठिनाई होती है। उन्हें शब्दों की वर्तनी तथा व्याकरण संबन्धी कार्य में भी अधिगम असमर्थ बालकों को सामान्य बालकों की अपेक्षा अधिक कठिनाई होती हैं जबकि उनका बुद्धि स्तर पर नियन्त्रण रहता है।

(1) अधिगम असमर्थ बालकों की श्रवण तथा शब्दों को ग्रहण करना, भावों को समझना, यदि कोई विचार या शब्द समझ में ना आये तो उसके दोहराने के लिए शिक्षक से कहने आदि का सहास नहीं होता है।

(2) शब्द ग्रहण तथा देखने में भी कठिनाई होती है अर्थात् बोलकर पढ़ना तथा बिना भावों को समझकर पढ़ने में भी कठिनाई होती है।

(3) उनमें भावों को बोलकर समझाने की योग्यता नहीं होती अर्थात वाक्यों या शब्दों को संयुक्त करना तथा अपने विचारों को व्यक्त करने में भी ऐसे बालक सक्षम नहीं होते हैं।

(4) उनमें शारीरिक अंगों (हाथ/पैर) की समस्या स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। शब्द की वर्तनी कला, शब्दों को पूर्ण रूप से भूल जाना, अक्षरों का क्रम आदि समझने की योग्यता इस प्रकार के बालकों में नहीं होती है। भाषा कौशलों का अभाव रहता है।

(2) अधिगम असमर्थ बालकों में प्रत्यक्षीकरण तथा कार्य क्षमता (Perceptual and Motor Ability)

लर्नर (1985) ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि अधिगम असमर्थ बालकों में स्थान संबन्धी तथा विभिन्न स्थानों में सम्बन्ध, चित्रों तथा गणित की संख्याओं को देखने में भेद करना, शब्दों या वाक्यों को सुनकर उन्हें क्रमबद्ध करना तथा सुनी हुई बातों को याद करना आदि। कार्यों में भी उन्हें समस्या होती है। इसके अतिरिक्त *लर्नर* ने अधिगम असमर्थ बालकों के बारे में यह भी तथ्य दिया कि ऐसे बालक सामाजिक ज्ञान तथा इससे सम्बन्धित बोध का न होना भी हैं।

ऐसे बालक शारीरिक कौशल, कलात्मक तथा शारीरिक प्रतिबिम्ब में समस्या होती है तथा ज्यामितिय रचानाओं का अनुकरण नहीं कर सकते।

(1) ऐसे बालक इन्द्रियों द्वारा किसी वस्तु को पहचानने, भिन्नता तथा अर्थ समझने में आयोग्य होते हैं।

(2) ज्यामितिय आकृति को बनाने में असमर्थ होते हैं अर्थापन में कठिनाई होती है।

नोट

(3) ध्वनि की पहिचान नहीं कर पाते आवाज सुनकर समझने में कठिनाई होते हैं, किसी वस्तु को छूकर पहचान करने में भी असमर्थ होते हैं।

(4) इन्द्रियों द्वारा बोध करने में अयोग्य होते हैं। जगह का अभिविन्यास, दिशाएं, वस्तुओं के सामंजस्य (co-ordination) एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, किसी वस्तु के बारे में विचार करने, भाषा ग्रहण करने की योग्यता आदि के क्षेत्र में ऐसे बालक असमर्थ होते हैं।

(क) शारीरिक क्रिया (Motor Activity)—इन विशेषताओं में शारीरिक क्रिया के अनुसार परिवर्तन होता है।

(ख) संवेगात्मक क्रिया (Hyper Activity)—भावात्मक रूप से स्थिर नहीं रहते है। एक ही दशा में शान्त रहने में आयोग्य, कक्षा में बहुत अधिक बातें करना अथवा बोलना, काम के प्रति लापरवाही भावात्मक क्रिया के विपरीत शब्द-आलसी, शान्त, उदासीन।

(ग) शारीरिक अंगों में असामन्जस्य (Inco-ordination)—शारीरिक रूप से विकृत, हाथ/पैर अथवा शारीरिक अंगों की समन्विता में कमी, दौड़ने, चलने के कार्यो में कमी, किसी वस्तु को पकड़ने, कूदने, लिखने आकृति बनाने, कला आदि में कमी। चलने में फिसलना अथवा गिर जाना तथा दूसरे से अनुचित व्यवहार करना।

(घ) संचयीकरण (Preservation)—अस्वेछापूर्ण व्यवहार का जारी रहना, इस प्रकार का व्यवहार बोलने, लिखने, कला, मौखिक पढ़ना, शब्दों की वर्तनी में दोष तथा त्रुटियों को बार-बार दोहराना देखा जा सकता है।

(3) अधिगम असमर्थ बालकों की सामाजिक तथा संवेगात्मक विशेषताएँ (Social and Emotional Characteristics of Learning Disabled Children)

ऐसे बालक अन्य व्यक्तियों की तरफ आसानी से आकर्षित नहीं होते हैं तथा यह अपने आपको पीछे भी हटा लेते हैं। ऐसे बालकों को सामाजिक व्यक्तियों के साथ-साथ अपने माता-पिता तथा अध्यापकों के साथ विचार विमर्श करने में समस्या होती है। ऐसे बालकों में सामाजिक निपुणता तथा उनके व्यवहार मे भी समस्या होती है। अधिकांश अधिगम असमर्थ बालक अपनी निजी समस्याओं के प्रति आन्तरिक चेतना बहुत कम होती है तथा उन्हें भाग्य के ऊपर छोड़ दिया जाता है। ऐसे बालकों में सोचने समझने का स्तर कम होता है। आगे बढ़ने अथवा जीवन में प्रगति करने के विचारों का स्तर निम्न कोटि का होता है तथा बाहरी व्यक्तियों, वस्तुओं की सहायता लेकर जीवन पथ पर चलते हैं।

(1) ऐसे बालक शान्त तथा आज्ञकारी होते हैं यह पढ़ नहीं सकते हैं तथा दिन में स्वप्न भी देखते हैं।

(2) किसी स्पष्ट कारण के न होते हुए भी ऐसे बालकों को क्रोध अधिक आता है। जो विस्फोट का रूप धारण कर सकता है।

(3) ऐसे बालक शारीरिक रूप से शिथिल होते हैं तथा उन्हें किसी विशेष बिन्दु पर ध्यान स्थिर करने में कठिनाई होती है।

(4) ऐसे बालक एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर शीघ्र बदलते है तथा दूसरों के द्वारा किये जा रहे कार्यो पर अपना ध्यान रखते हैं, लेकिन स्वयं पर ध्यान नहीं देते हैं।

(5) वह स्वयं नियन्त्रण के बारे में बातें करते हैं परन्तु अन्य बालकों के साथ कार्य नहीं कर सकते हैं।

(6) वह भावनात्मक रूप से अस्थिर स्वभाव के होते हैं।

ऐसे बालकों में भावुकता होने का प्रमुख कारण माता-पिता पर निर्भर होना तथा बाह्य संसार में संबन्धों में कमी होना पाया जाता है। इसके कारण बालकों में घुटन का भाव रहता है।

अधिगम असमर्थ बालक विषमांगी समूह बनाते हैं। कुछ बालकों को पढ़ने में समस्या होती है और कुछ को लिखने में कठिनाई होती है। जहाँ कुछ बालक समझने तथा विस्तृत बातों में समस्या का सामना करते हैं तो कुछ बालकों को समय व्यतीत करने में तथा मानचित्र में किसी स्थान को खोजने में समस्या होती है। इस प्रकार इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि अधिगम असमर्थ बालकों की समस्याओं की विशेषताएँ सरलता से नहीं बताई जा सकती हैं। सामान्य रूप से ऐसे बालकों की समस्याएं निम्नलिखित होती हैं—

नोट

(1) **योग्यता स्तर** (Ability Level)—ऐसे बालकों का योग्यता स्तर औसत के लगभग होता है। यह बालक सामान्य योग्यता स्तर के नीचे तथा ऊपर भी हो सकता है।

(2) **क्रियात्मक स्तर** (Activity Level)—अधिगम असमर्थ बालकों में क्रियात्मक स्तर या तो बहुत अधिक होता है अथवा बहुत कम। यदि कोई बालक का क्रियात्मक स्तर बहुत अधिक है तो उसके व्यवहार की विशेषताएँ अग्रलिखित हैं। बिना रुके हाथ/पैर अथवा शरीर का कोई अन्य अंग गतिशील रहता है। ऐसे बालक शान्त नहीं बैठ सकते, कक्षा में एक सीट से दूसरी सीट पर बैठते हैं, हाथ या पैर उंगलियों को थपथपाते रहते हैं, एक कार्य को छोड़कर दूसरा कार्य करना प्रारम्भ कर देते है और यदि किसी बालक का क्रियात्मक स्तर इसके विपरीत है अर्थात बालक निम्न कोटि के क्रियात्मक स्तर का है तो वह बालक पूर्णतया शान्त रहता है, किसी कार्य के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता, तथा प्रत्येक कार्य बहुत धीमी गति से करता है।

(3) **अवधान संबन्धी समस्या** (Attention Problems)—अधिगम असमर्थ बालक का ध्यान किसी कार्य क्षेत्र पर बहुत कम समय के लिए केन्द्रित होता है। अधिक अवधि के लिए किसी भी कार्य पर उनका मस्तिष्क केन्द्रित नहीं रह सकता है। उनका ध्यान समय-समय पर भटकता है। उनका ध्यान किसी ऐसे कार्य पर केन्द्रित हो जाता है जिसे बार-बार किया जाये। यह कार्य मौखिक अथवा शारीरिक अंग से संबन्धित हो सकता है।

(4) **हाथ/पैर अथवा शारीरिक अंग की क्रियात्मक समस्या**—अधिगम असमर्थ बालक कुरूप विकृत होते हैं। उनके हाथ, पैर, शरीर के अंगों का सामंजस्य भली प्रकार से कार्य नहीं कर पाता। ऐसे बालकों की कला तथा हस्तलेखन बहुत अस्पष्ट होता है। वह व्यवहार तथा नीति में कुशल नहीं होते तथा उन्हें स्पर्श करने की अधिक आवश्यकता होती है।

(5) **दृष्टि प्रत्यक्षीकरण समस्या** (Visual Perceptual Problems)—अधिगम असमर्थ बालक विभिन्न वस्तुओं में अन्तर नहीं देख पाते। यदि दो वस्तुएं उन्हें दिखाई जाएँ जो एक समान न हों तो वे दोनों वस्तुओं में भेद समझ पाने में असमर्थ होते हैं। उन्हें आकृति का भी बोध ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। आकृति एवं पृष्ठ भूमि ऐसे बालकों को किसी शब्द अथवा किसी वस्तु का कोई भाग यदि हटाकर दिखाया जाये अर्थात आधी वस्तु या शब्द दिखाया जाये तो वे उसे पूरा करने में असमर्थ होते हैं। दृश्य समीपता वह वस्तुओं को याद रखने तथा उन्हें विभिन्न वस्तुएं किसी क्रम में दिखाई जाएँ तो उन्हें वस्तुओं का क्रम भी याद नहीं रहता तथा दृश्य स्मृति भी कम होती है।

(6) **श्रवण प्रत्यक्षीकरण समस्या** (Auditory Perceptual Problem)—अधिगम असमर्थ बालक विभिन्न ध्वनियों में भेद स्पष्ट नहीं कर पाते। वह बोले गये शब्दों का अर्थ निकालने में भी असमर्थ होते हैं। वातावरण में विभिन्न प्रकार की आवाजों को पहचानने के आयोग्य होते हैं। यदि विभिन्न वस्तुएं जो ध्वनि उत्पादक हो उनमें से कोई एक उनके समक्ष रखी जाये तथा शेष सभी वस्तुएं छुपाकर रखी जाएँ तब भी वह ध्वनि में भेद नहीं कर पाते। यदि किसी शब्द का कुछ भाग बोला जाये तो ऐसे बालक उस शब्द को पूरा नहीं पढ़ सकते है। वह किसी सुने गये शब्द अथवा वस्तु की ध्वनि को स्मरण करने में असमर्थ होते हैं तथा विभिन्न ध्वनियों के स्तर याद नहीं कर पाते हैं।

(7) **भाषा संबन्धी समस्याएँ** (Language Problems)—अधिगम असमर्थ बालकों के द्वारा शब्दों को बोलने का विकास बहुत मन्द होता है अथवा अधिक समय के पश्चात् होता है। वह शब्दों को स्पष्ट बोलने में असमर्थ होते हैं तथा शब्दों को लययुक्त करके वाक्य बनाने के योग्य नहीं होते है। वह दो अथवा दो से अधिक वाक्यों को लययुक्त करने में असमर्थ होते हैं।

(8) **सामाजिक संवेगात्मक व्यवहार संबन्धी समस्याएँ** (Social Emotional Behaviour Problems)—अधिगम असमर्थ प्रकृति से संवेगात्मक होते हैं वे अपने व्यवहार के परिणाम के बारे में सोचने तथा समझने में असफल होते हैं। कभी-कभी ऐसे बालकों का व्यवहार संवेगात्मक होता है अर्थात वे वस्तुओं को उठाकर फेंक सकते

नोट

है अथवा तोड़ फोड़ कर सकते हैं। उनमें सामाजिक समायोजन की भावना कम होती है। ऐसे बालकों की आयु तथा योग्यता को ध्यान में रखते हुए, उनमें समाज के साथ व्यवहारिता बहुत निम्न कोटि की होती है। वे परिस्थितियों के परिवर्तन होने पर अपने आपको परिस्थितियों के अनुकूल नहीं बदल सकते है। ऐसे बालकों का व्यवहार, सोच आदि समय-समय पर जल्दी-जल्दी बदलते रहते हैं।

(9) **अभिविन्यास संबन्धी समस्याएँ** (Orientation Problems)—अधिगम असमर्थ बालकों में स्थान प्रत्यय के विकास की गति बहुत मन्द होती है। उन्हें वस्तुओं के आकार आकृति में भेद करना, दो वस्तुओं के बीच की दूरी का अनुमान लगाना, किसी वस्तु के दाएँ तथा बाएँ भाग के बारे में समझने में कठिनाई होती है। उन्हें समय संबन्धी शब्दों का (जैसे पहले, बाद में और अब, तब अथवा आज और कल) पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होता तथा इसमें कठिनाई अनुभव करते है।

(10) **कार्य संबन्धी आदतें** (Work Habits)—अधिगम असमर्थ बालकों को कार्य संयोजन अथवा कार्य व्यवस्था में समस्या होता है तथा कार्य व्यवस्था में यह बालक कमजोर होते हैं। वह मन्द गति से कार्य करते हैं। कार्य करते-करते उस कार्य करने की दिशा से भटक जाते हैं तथा कार्य को लापरवाही से करते हैं।

(11) **शैक्षिक असमर्थता** (Academic Disability)—अधिगम असमर्थ बालकों, को पढ़ने लिखने, गणित की संख्याओं, शब्दों की वर्तनी, व समय बताने तथा मानचित्र में कोई स्थान ढूंढने आदि कार्य में समस्या आती है।

सामान्य रूप से ऐसा कहा जा सकता है कि अधिगम असमर्थ बालकों को अधोलिखित विशेषताएँ होती हैं। परन्तु सभी अधिगम असमर्थ बालकों की उपरोक्त विशेषताएं नहीं होती हैं। कुछ बालकों में एक अथवा एक से अधिक ऐसी विशेषताएं हो सकती हैं।

क्या आप जानते हैं

अधिगम असमर्थित बालक दो या दो से अधिक व्याक्यों को आसानी से नहीं जोड़ पाते। तथा उन्हें एक साथ बोल पाने में भी असमर्थ होते हैं।

16.5 अधिगम बाधित बालकों का वर्गीकरण (Classification of Learning Disabled Children)

दृश्य तथा श्रव्य ज्ञान के दस क्षेत्र होते हैं।

(1) नेत्र व हाथ की क्रिया में समंजस्य का अभाव (Eye-Hand-Co-ordination) {EHC}

(2) आकृति पृष्ठभूमि संबन्धी प्रत्यक्षीकरण (Figure Ground Perception {FG})

(3) आकृति स्थिरता (Figure Constancy {FC})

(4) आकृति में दूरी (Position in Space {SP})

(5) स्थान संबन्धी वर्णन (Spatial Relations {SR})

(6) श्रव्य प्रत्यक्षकरण (Audiotory Perception {AP})

अन्तिम चार क्षेत्र क्रिया के आधारों पर विभाजित किए गए हैं जैसे—

(7) स्मृत्ति (Memory {M})

(8) ज्ञानात्मक योग्यता (Cognitive Abilities {CA})

(9) भाषा बोधगम्यता (Receptive Language {RL}) तथा

(10) भाषा की अभिव्यक्ति (Expressive Language {EL})।

नोट

विश्लेषण तथा लक्षणों के आधार पर ज्ञानात्मक तथा बोधात्मक क्षेत्रों को विभाजित कर सकते हैं तथापि उनकी समस्याओं को स्पष्ट करने वाले दो विस्तृत वर्ग नहीं समझाना चाहिए, निम्नांकित गद्यांशों में इस दस चुने गये क्षेत्रों का वर्णन किया गया है।

(1) **नेत्र व हाथ की क्रियाओं में सामंजस्य का अभाव** (Eye-Hand Coordination)—इस क्षेत्र के अन्तर्गत दृश्य के साथ हाथों के प्रभावपूर्ण प्रयोग की गति की संचालन करने की योग्यता को सम्मिलित किया जाता है। नेत्र व हाथ की क्रियाशीलता की समस्या से ग्रस्त बालक को धारा प्रवाह लेखन के लिये आवश्यक गति नियन्त्रण में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। ऐसा बालक अच्छी तरह पढ़ सकता है, उच्चारण कर सकता है, समझ सकता है तथा अन्य मौखिक कार्यो में भी अच्छा होता है फिर भी नेत्र व हाथ की कार्यक्षमता की समस्या के कारण बालक को दृश्य प्रत्यक्षीकरण कम हो जाता है जिससे उसका विद्यालयी क्रियाएँ बाधित होती हैं कभी-कभी इसके बहुत नाकारात्मक परिणाम होते हैं।

(2) **आकृति पृष्ठ-भूमि संबन्धी प्रत्यक्षीकरण** (Figure Ground Perception {FG})—इसको चयनात्मक ध्यान भी कहा जा सकता है। इसके अन्तर्गत एक समय में उसी एक उद्दीपन पर ध्यान दिया जाता है जिस पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है तथा अर्थपूर्ण अनुभव प्राप्त करने के लिये वहाँ उपस्थित अन्य उद्दीपन को नकार दिया जाता है।

आकृति संबन्धी बोध कमजोर बालक को अपने ज्ञान का क्षेत्र संकीर्ण लग सकता है क्योंकि वह उन प्रासंगिक से उद्दीपन को नहीं अलग कर पाता है। कभी-कभी बालक को क्रमानुसार उद्दीपन का सामना करना पड़ता है और इसका कोई अर्थ नहीं होता, उसकी बोधात्मक अवस्था भी भ्रमित हो जाती है। ऐसा बालक परिश्रम नहीं कर पाता इसका परिणाम या तो अव्यवस्थित क्रियाएँ होती हैं या फिर उसकी शैक्षिक असफलता होती है।

(3) **आकृति स्थिरता** (Figure constancy {FC})—इसके अन्तर्गत बालक की प्रतीक आकृति तथा आकार को इसकी निर्देशन दिशा तथा स्थिति में बदलाव के आधार पहचानने की योग्यता को सम्मिलित किया जाता है। चित्रों, आकार, रेखाचित्र, शब्द प्रतीक तथा आकृतियों को समझने की योग्यता को भी इस क्षेत्र में सम्मलित किया जाता है।

आकृति की स्थिरता बालक के बोध का स्तर ठोस होता है वह सूचना को एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में स्थानान्तरित नहीं कर पाता, उसका ध्यान तथ्यों पर आधारित है वह तथ्यों को उसके वास्तविक रूप में ही पहचानता है यदि किसी वस्तु या चित्र को बदल दिया जाये तो वह उसे नहीं पहचान पाता है।

(4) **आकृति की दूरी** (Position in Space {SP})—यह निरीक्षण तथा वस्तु के स्थान के बीच संबन्ध को जानने की योग्यता से सम्बन्धित है जैसे यह देखने वाले व्यक्ति के आगे, पीछे तथा सामने हो सकती है। अन्तर संबन्धी स्थिति से प्रभावित बालक को किसी भी तथ्य का सही क्रम जानने में कठिनाई हो सकती है। उसे सही आकृतियाँ बनाने में कठिनाई हो सकती है। उसकी 'म' और 'य' एवं 'प' और 'फ', '14' तथा '41' के बीच अन्तर नहीं मालूम होता है। यह नकारात्मकता उसकी पठन योग्यता को प्रभावित करती है। जिसके परिणाम स्वरूप उसकी समझने तथा विषय को प्रगट करने की योग्यता अवरूद्ध हो जाती है।

(5) **स्थान संबन्धित** (Spatial Relation {SR})—यह दे या दो से अधिक वस्तु के अपने तथा एक दूसरे के बीच सम्बन्धों को समझने की योग्यता पर आधारित है जिस, बालक को स्थान सम्बन्धित कठिनाई होती है उसे कार्य करने में शिक्षा के सन्दर्भ में पढ़ने, लिखने, उच्चारण करने तथा निर्देशन न समझ में आने संबन्धी समस्याएँ हो सकती हैं।

(6) **श्रव्य प्रत्यक्षीकरण** (Auditory Perception {AP})—इसके अन्तर्गत बालक की श्रव्य उद्दीपन को पहचानने तथा सूचना को ग्रहण करने एवं क्रमागत योग्यता को सम्मिलित किया जाता है। श्रव्यात्मक बोध में श्रव्यात्मक अन्त तथा बालक के स्तरों की व्यवस्था तथा उसकी मौखिक भाषा प्रवाह तथा शब्दों का आकार एवं स्वरूप का संगठन करने की योग्यता भी श्रव्य बोध के अन्तर्गत सम्मिलित की जाती है।

(7) **ज्ञानात्मक योग्यता** (Cognitive Abilities {CA})—इस क्षेत्र का सम्बन्ध बालक के उद्दीपन को विपरीत क्रम में मिलाने की योग्यता से है और यह ज्ञानात्मक क्रियात्मक तथा भावात्मक पक्ष के लिये भी है। बालकों की स्वयं को समझने की प्रक्रिया के स्तर को विभिन्न समूहों में विभाजित करने की योग्यता के लिये आवश्यक है। ज्ञानात्मक योग्यता के क्षेत्र के अन्तर्गत बालक को समझने की प्रक्रिया में अनुभव के आधार पर स्मृति तथा जोड़ने को भी सम्मिलित किया जाता है। बालक की उच्च स्तर की प्रक्रियाओं की योग्यताओं तथा उपयुक्त कार्य करने के लिये यह आवश्यक है कि बालक सामान्य वर्ग में सूक्ष्म अन्तर को समझ सके।

(8) **स्मृति** (Memory {M})—यह समस्त अधिगम का आवश्यक घटक है यह जो अधिगम किया गया है उसे याद करने की योग्यता से सम्बन्धित होता है।

(9) **भाषा बोधगम्यता** (Receptive Language {EL})—भाषा बोधगम्यता के अन्तर्गत दृश्य उद्दीपन की प्रक्रिया के प्रयोग को सम्मिलित किया जाता है।

(10) **भाषा की अभिव्यक्ति** (Expressive Language)—इसके अन्तर्गत बालक की भाषा के सही संकेतों को प्रयोग करने व उसकी भाषा कौशलों के स्वरूप की जानकारी को सम्मिलित किया जाता है। बालक के ग्राह्य बोध को भी भावपूर्ण भाषा के क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित करते हैं।

16.6 अधिगम बाधित के प्रकार (Types of Learning Disabled Children)

अधिगम बाधिता विभिन्न प्रकार की हो सकती है जैसे पठन संबन्धी, बाधिता लेखन संबन्धी एवं समझने संबन्धी तथा संख्यात्मक बाधिता आदि।

(1) **पठन संबन्धी बाधिता** (Reading Disability)—पठन संबन्धी बाधिता से ग्रसित बालक पढ़ नहीं पाते यह बाधिता दो प्रकार की होती है। जब यह सूक्ष्म रूप से होती है तब व्यक्ति को पढ़ने में कठिनाई होती है लकिन जब यह गम्भीर होती है तो व्यक्तित्व की पठन योग्यता बिल्कुल समाप्त हो जाती है यह नाम 'शब्द बाधित' नाम से भी प्रचलित है। इस बाधिता से सूक्ष्म रूप से प्रभावित बालक सामान्य कक्षा में पाये जाते हैं यदि इस बाधिता की पहिचान आरम्भ में ही हो जाये तो उन बालकों को कक्षा के अन्य सामान्य साथियों के सहयोग से उनकी सहायता सरलता से की जा सकती है।

(2) **लेखन संबन्धी बाधिता** (Writing Disability)—इस बाधिता से प्रभावित बालक स्वयं तुरन्त नहीं लिख पाते हैं यह क्षति दो प्रकार की होती है—सामान्य तथा गम्भीर। जिन बालकों में यह बाधिता सामान्य रूप में पायी जाती है वह साफ व स्पष्ट नहीं लिख पाते हैं। वह सामान्य विद्यालयों में पढ़ते हैं यदि उनकी इस समस्या को आरम्भ में ही तथा समयानुसार समझ लिया जाये तो उनकी सहायता करके उनकी इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। जो इस क्षति से गम्भीर रूप से प्रभावित होते हैं। वह बिना अशुद्धियों के अनुकरण कर सकते हैं लेकिन स्वयं लिख नहीं सकते। लिखने में अयोग्यता के आधार पर ही उनको पहचाना जा सकता है।

बालकों को सुधारात्मक अभ्यास की आवश्यकता होती है तथा वह शैक्षिक क्षेत्रों में स्वयं को समन्वित करने में कठिनाई अनुभव करते हैं।

(3) **सम्प्रेषण में ग्राह्य करने संबन्धी समस्या** (Problem in Comprehanding Communication)—इस समस्या से प्रभावित बालक लिखकर, बोलकर या पढ़कर अपने विचारों के सम्प्रेषण में बाधिता रखता है, वह सम्प्रेषण नहीं कर पाते। जिन बालकों में यह समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस समस्या से गम्भीर रूप से प्रभावित बालक न बातों को और लिखित भाषा को समझ पाता है और न ही लिख बोल तथा पढ़ सकता है। ऐसे बालकों की समस्या के निराकरण में बहुत कठिनाई होती है उन्हें सघन सुधारात्मक प्रयासों की आवश्यकता पड़ती है।

(4) **संख्यात्मक योग्यता की समस्या** (Problem in Numerical Ability)—इस समस्या से ग्रसित बालक संख्याओं के सम्बन्धों को व्यक्त नहीं कर पाता है इसलिये वे गणना तथा सामान्य अंकगणित करने में भी

समस्याओं का अनुभव करते हैं। संख्यात्मक अयोग्यता दो प्रकार की होती है—सामान्य या गम्भीर। संख्यात्मक अयोग्यता की समस्या से प्रभावित बालक को सामान्य संख्यात्मक समस्या भी कठिन प्रतीत होती है, जबकि एक सामान्य बालक के लिये वे संख्यात्मक समस्या हल करना बिल्कुल आसान होता है। इस अयोग्यता से सामान्य रूप से ग्रसित बालक सामान्य कक्षाओं में पाये जाते हैं। ऐसे बालक प्रारम्भिक अवस्था में नहीं पहचाने जाते हैं।

यदि इस समस्या को समय पर पहचान कर इसका सही उपचार कर दिया जाये तो वह बालक नियमित कक्षाओं में पढ़ सकते हैं परन्तु यदि यह समस्या गम्भीर है तो बालक न तो संख्याएँ, गिनती याद कर सकता है और न ही संख्याओं तथा गिनती के बीच सम्बन्ध को समझ सकता है। गम्भीर मामलों में इस समस्या का समाधान करना कठिन होता है इस समस्या के समाधान के लिए सुधार करने हेतु अभ्यास की आवश्यकता होती है।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

दिए गए कथनों के सामने सही (✓) अथवा गलत (✗) का निशान लगाएँ—

(State whether the following statements are True or False)

1. ऐसे बालकों की संख्या बहुत न्यून है जिन्हें किसी विशेष विषय के अधिगम में कठिनाई आती है।
2. अधिगम असमर्थ बालक को शिक्षण क्षेत्र में निपुणता को ग्रहण करने में अधिक समस्या होती है।
3. डिस्लैक्सिया के शिकार बच्चों में अधिगम असमर्थता पाई जाती है।
4. अधिगम असमर्थ बालक भावनात्मक स्तर पर बहुत मज़बूत होते हैं।

16.7 सारांश (Summary)

- शब्द "अधिगम असमर्थ बालक का तात्पर्य ऐसे बालकों से है जो भाषा को बोलने या समझने में शारीरिक व मानसिक अथवा दोनों के कारण असमर्थ है। अर्थात बोलने व समझने की क्रिया में किसी भी प्रकार के दोष बालकों में पाये जाते हैं। जिसके अन्य प्रभाव जैसे भाषा, लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, संबन्धी गणना करना पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से भी सम्मिलित है। यह शब्द गम्भीर रूप से शारीरिक व मानसिकता बाधिता, मस्तिष्क में चोट, मस्तिष्क का सुचारु रूप से कार्य न कर पाना अजीर्ण रोग से गस्त होना भी सम्मिलित है। इस शब्द में ऐसे बालक सम्मिलित नहीं है। जो अधिगम संबन्धी समस्या से पीड़ित है लेकिन इसका मुख्य कारण दृष्टि, श्रवण बाधिता, हाथ या पैर से कार्य न कर पाना, मानसिक मन्दिता, भावनात्मक विक्षोभ या वातावरण विक्षिप्तता अथवा सांस्कृतिक या आर्थिक दोष हैं। सन् (1975) में कानून भी बना। अधिगम असमर्थता बालक में अन्य विस्तृत क्षेत्रों में अयोग्यताएँ पैदा कर सकती हैं। मनोविज्ञान से सम्बन्धित इस प्रकार के 10 क्षेत्रों का चयन इस अध्याय में सम्मिलित किया गया है। किसी भी एक क्षेत्र में अथवा अधिक क्षेत्रों में दोष होने का अर्थ अधिगम संबन्धी समस्या है।
- अधिगम असमर्थता का तात्पर्य अधिगम संबन्धी ऐसी समस्याओं से है जो बालकों के सुनने, समझने बोलने, लिखने, पढ़ने या गणितीय संख्याओं में बालक की अयोग्यता आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से प्रदर्शित करते हैं।
- ***किर्क*** (1962) के अनुसार—अधिगम असमर्थता का तात्पर्य बालक का मंद गति से विकास होना अथवा मापदण्डों से अधिक समय लगने से सम्बन्धित है। विकास में मन्दता की दर का बालक के बोलने, पढ़ने, भाषा संबन्धी शब्दों के विभिन्न *वर्तनी* अक्षर करके पढ़ने लिखने अथवा एक से अधिक क्रियाओं के करने में बालक कठिनाइयों का अनुभव करता है। इस प्रकार की समस्याओं एवं कठिनाई का कारण भावानात्मक, व्यवहारिक विक्षोभ अथवा सम्भवत: (cerebral dysfunction) मानसिक दोष होता है। इसका कारण मानसिक मन्दता, शारीरिक इन्द्रियों में कमी अथवा दोष नहीं होता है। इसका कारण सांस्कृतिक अथवा अनुदेशात्मक दोष भी नहीं होते हैं।

नोट

- अमेरिका (1968) की अपंगों की राष्ट्रीय सलाहकार समिति के अनुसार "अधिगम असमर्थता" की परिभाषा इस प्रकार दी हैं–"बालकों की विशिष्ट अधिगम असमर्थता बालक के द्वारा भाषा को लिखने या बोलने में, मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में एक अथवा एक से अधिक सुचारू रूप से प्रणाली का कार्य न कर पाना होता है।"
- अमेरिका की (1981) अधिगम असमर्थता की सहायक राष्ट्रीय समिति ने अधिगम असमर्थता की निम्नलिखित परिभाषा दी है जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी राष्ट्रों ने एकमत से स्वीकार किया है।
- ऐसे बालकों में अधिकांश रूप से निम्न विशेषताएँ पायी गयी जो निम्नलिखित हैं–
  (1) अतिक्रिया (Hyperactivity)
  (2) संवेगात्मक योग्यता (Emotional ability)
  (3) अवधान में कमी (Disorder of attention)
  (4) स्मृति और चिन्तन में कमी (Disorder of memory and thinking)
  (5) शारीरिक अंग जैसे-हाथ-पैर का सुचारू रूप से कार्य करने में बाधित होना
  (6) विभिन्न इन्द्रियों के आपसी समंजन में कमी,
  (7) संवेगात्मक प्रतिरोध (Inpulsivity) तथा
  (8) विशिष्ट अधिगम असमर्थता।

16.8 शब्दकोश (Keywords)

- **समंजन**–जोड़ बैठाना, हिसाब-किताब बराबर करना, मेल मिलाना
- **अवधान**–ध्यान, मनोयोग, मन की एकाग्रता, देख-रेख, प्रभार

16.9 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

1. अधिगम असमर्थ की अवधारणा समझाइए।
2. अधिगम असमर्थ का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसकी परिभाषा दीजिए।
3. अधिगम असमर्थ बालकों की विशेषताएँ बताइए।
4. अधिगम असमर्थ बालक कितने प्रकार होते हैं? विस्तार से समझाइए।

उत्तर : स्व-मूल्यांकन (Answer: Self-Assessment)

1. (✗) 2. (✓) 3. (✓) 4. (✗)

16.10 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

पुस्तकें

1. *शारीरिक रूप से विकलांग बालक*– योगेन्द्र कुमार शर्मा, कनिष्क पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
2. *विशिष्ट बालक*– एल. बी. बाजपेयी, अमिता बाजपेयी, भारत बुक सेंटर, नई दिल्ली।
3. *विशिष्ट बालक: शिक्षा एवं पुनर्वास*– महेश भार्गव, एच. पी. भार्गव बुक हाउस, आगरा।
4. *विशिष्ट बालक*– आभारानी बिष्ट, अग्रवाल प्रकाशन, आगरा।

नोट

इकाई–17: अधिगम असमर्थता: पहचान, कारण एवं समस्याएँ (Identification, Causes, Problems of Learning Disabilities)

अनुक्रमणिका (Contents)

उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तावना (Introduction)

17.1 अधिगम : असमर्थित बालकों की पहचान (Identification of Learning Disable Children)

17.2 बालकों में अधिगम असमर्थता के कारण (Causes of Learning Disable Children)

17.3 अधिगम असमर्थित बालकों की समस्याएँ (Problems of Leaning Disable Children)

17.4 सारांश (Summary)

17.5 शब्दकोश (Keywords)

17.6 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

17.7 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

उद्देश्य (Objectives)

विद्यार्थी इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् सक्षम होंगे–

- अधिगम असमर्थत बालकों की पहचान, अधिगम असमर्थता के कारण एवं उसकी समस्याओं से परिचित होंगे।

प्रस्तावना (Introduction)

सीखना एक कला है और इसके जरिये व्यक्ति के व्यवहार में आमूल चूल परिवर्तन होता है। अनुभव से उनका व्यवहार परिष्कृत होता है। कोई बच्चा कितना सीखता है इसका आकलन तो आसान है। लेकिन यह भी अवलोकन करना जरूरी है कि बच्चा कितना जल्दी सीखता है? वह कम स कम समय में सीखता है या देर से। हमारे समाज में ढ़ेर सारेऐ बच्चे हैं जो सामान्य बच्चों की तुलना में पढ़ना-लिखना और बोलना देर से सीखते हैं। उनके सीखने की गति (Learning Speed) काफी कम होती है। बच्चों के सीखने की यही असमर्थता कभी-कभी उनके माता-पिता, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए समस्या का कारण बन जाते हैं। इसी समस्या को तकनीकी रूप से अधिगम अक्षमता (Learning Disability) कहा जाता है। बौद्धिक क्रियाकलाप में ये बच्चे सामान्य बच्चे की तरह ही हाते हैं। उनमें कोई बौद्धिक कमी नहीं होती है बल्कि वर्तनी शुद्धता व गणितीय संगणना में उन्हें कठिनाई होती है। इनके मस्तिष्क में किसी गड़बड़ी या मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया संबंधी किसी दोष के कारण ऐसा होता है न कि मानसिक पिछड़ेपन के कारण।

वास्तव में सीखन की असमर्थता एक काम चलाऊ शब्द है जो सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने, गणितीय कैलकुलेशन एवं तर्क करने में कमजोरी जैसी गड़बड़ियों की ओर इंगित करता है। यह शब्द उन संवेदी असमर्थताओं वाले बच्चों पर लागू नहीं होता जिनके सीखने की प्रक्रिया सामान्य होती है। लेकिन इससे कुछ अलग, किसी एक असमर्थता

नोट

के कारण एक पहलू बाधित होता है तो दूसरा संवेदी आयाम काफी सशक्त। सीखने की प्रक्रिया पर ज्ञानेन्द्रियों, मस्तिष्क एवं संवेगात्मक घटकों का सीधा प्रभाव पड़ता है। इनके अनुभव मस्तिष्क में संचित हो जाते हैं और ये बाद में सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं।

17.1 अधिगम असमर्थ बालकों की पहचान (Identification of Learning Disabled Children)

जब विद्यालय में बालक के संमुख पढ़ने लिखने समझने तथा संख्यात्मक अयोग्यता संबन्धी समस्याएँ आती हैं तब उनकी अधिगम बाधिता परिलक्षित होती है। ऐसे बालकों को कुछ कहानी सुनने की प्रक्रिया के आधार पर बहुत से परीक्षण किये गए हैं। अधिगम बाधिता तीन संकेतो के आधार पर पहचानी जा सकती है। अधिगम बाधित बालकों को निम्न आधारों पर पहचाना जा सकता है।

(1) अधिगम बाधित बालक को समय बताने, दिनों को सही महीनों तथा वस्तुओं को याद करने में कठिनाई होती है।

(2) बालक को अपने कार्य को करने में कठिनाई होती है तथा कक्षा-कार्य को देर से पूरा करता है।

(3) ऐसा बालक देखने में सुस्त दिखाई देता है तथा प्रश्नों का उत्तर ढंग से नहीं दे पाता है।

(4) यदि उससे मौखिक अनुदेशों को दोहराने के लिए कहा जाए तो वह उन्हें सही-सही नहीं दोहरा पाता है।

(5) घर तथा कक्षा में दिए गए अनुदेशों को समझ नहीं पाता है तथा उन्हें दोहराने के लिए कहता है।

(6) कार्यों में बहुत अनियमितता दिखाता है कभी-कभी प्रतिभावान प्रतीत होता है लेकिन विद्यालय में तथा कक्षा कार्य में उसकी क्रियायें-निम्न स्तर की होती है।

(7) ऐसे बालक थोड़े से परिवर्तन से परेशान हो जाते हैं।

(8) बायें तथा दायें के बीच अन्तर करने में भ्रमित हो जाते हैं।

(9) अधिगम असमर्थ बालक इतना अधिक उत्तेजित होता है कि वह कक्षा में थोड़े समय भी शान्त नहीं बैठ पाता है।

(10) पढ़ते समय पंक्तियों को छोड़ देता है या उन्हें दो बार पढ़ देता है।

(11) शब्दों की वर्तनी के अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाने में कठिनाई का अनुभव करता है अधिगम बाधित बालक b/e/g/ तो कह सकता है परन्तु (Beg) नहीं कह पाता है वह (Beg) के स्थान पर (Bed) बोल सकता है।

(12) शब्दों का असंगत अनुमान लगाता है चाहे उनका सही अर्थ हो या न हो उदाहरणार्थ 'भूख' के लिए 'मुख' कहता है तथा 'क्या' शब्द के लिए 'किया' शब्द का प्रयोग करता है।

(13) शब्द के उलटे अक्षर पढ़ता है (उदाहरण के लिए नम को मन पढ़ता है तथा 'लता' को 'यता' पढ़ता है)

(14) अक्षरों को गलत क्रम में रखता है (जैसे–'लटक' का 'यटक' तथा 'पाठ' को 'पाट' पढ़ता है।

(15) शब्दों को छोटा कर देता है जैसे–'झटपट' को 'पट', तथा 'रमण' को 'मण' पढ़ता है।

(16) जो शब्द देखने में एक जैसे प्रतीत होते हैं उनको अधिगम बाधित बालक अशुद्ध पढ़ता है जैसे–'नटखट' को 'सटनक' पढ़ता है।

(17) स्वयं शब्दों को संकलित करने तथा सही वाक्य बनाने में कठिनाई अनुभव करता है।

(18) संख्याओं को गलत पढ़ता है (36 को 63 तथा 3 को 8 पढ़ता है) तथा अक्षरों को गलत क्रम में पढ़ता है। नमक को मनक पढ़ता है।

(19) लिखने में अशुद्धियाँ करता है।

(20) शब्दों के अक्षरों को उल्टा लिख देता है।

(21) शब्दों के अक्षरों में लिखने में अशुद्धियाँ करता है।

नोट

(22) अक्षर कम कर देता है जैसे–'टपक' को 'टक' पढ़ता है।

(23) अतिरिक्त अक्षर जोड़ देता है जैसे–'बन्द' को बदन पढ़ता है।

(24) यदि ध्वनि के आधार पर शब्द लिखने के लिए कहा जाता है तो ध्वनि के अनुरूप अक्षर नहीं लिख पाता है।

(25) जब अक्षरों को बोलने के लिए कहा जाता है तो वर्णमाला से अक्षर नहीं निकाल पाता है।

(26) यदि अक्षरों का मिलान करने के लिए कहा जाता है तो वह शब्दों का मिलना नहीं कर पाता है।

(27) शैक्षिक विषयों को समझने में भी अधिगम बाधित बालक को कठिनाई आती है। बालक एक विषय या एक से अधिक विषयों में कमजोर हो सकता है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (NCERT) नई दिल्ली ने अध्यापकों के प्रयोग हेतु व्यवहारिक आकलन के लिए निर्देशिका उपलब्ध कराया है। अधिगम बाधित बालकों की पहचान तथा आकलन करके उनकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण हेतु उन्हें उपयुक्त वातावरण प्रदान किया जाना चाहिये। सामान्य रूप से बाधित बालक संसाधन कक्षों से युक्त नियमित कक्षाओं में पढ़ सकते हैं। अधिक बाधित बालकों की कक्षाओं में नहीं पढ़ाया जा सकता है उसकी शिक्षा व उनके प्रशिक्षण के लिए विशिष्ट अध्यापकों तथा विशिष्ट कक्षाओं की आवश्यकता होती है।

यदि अध्यापक को ऐसा प्रतीत हो कि कोई बालक अधिगम बाधित है तो उपरोक्त तथ्यों के आधार विशेषज्ञों की सहायता से अध्यापक अधिगम बाधित बालक की पहचान कर सकते हैं। इसके लिए चिकित्सक तथा मनोचिकित्सक की सहायता भी ली जा सकती है परन्तु अधिकांश बालकों में अधिगम बाधित बालकों की चिकित्सकीय तथा मनोवैज्ञानिक पहचान करने के लिए चिकित्सक तथा मनोचिकित्सक नहीं मिल पाते हैं। ऐसे बाधिता के लिए अध्यापक व्यवहार आकलन की सहायता ले सकते हैं। व्यवहार आकलन को चिकित्सीय तथा मनोवैज्ञानिक निर्धारण का स्थानापन्न नहीं कह सकते हैं। व्यावहारिक आकलन से इस तथ्य से अवगत किया जा सकता है कि बालक क्या कर सकता है तथा क्या नहीं कर सकता है? क्रियात्मक आकलन (Functional Assessment) के आधार पर अध्यापक अधिगम बाधित बालकों की समस्याओं के निराकरण के लिए योजना बना सकते हैं तथा ऐसे बालकों को विशेष सहयोग करके विद्यालय में उसकी सहायता कर सकते हैं।

क्या आप जानते हैं अधिक अधिगम बाधित बालकों को कक्षाओं में नहीं पढ़ाया जा सकता है उनकी शिक्षा व प्रशिक्षण के लिए विशिष्ट अध्यापकों तथा विशिष्ट कक्षाओं की आवश्यकता होती है।

17.2 बालकों में अधिगम असमर्थता के कारण (Causes of Learning Disable Children)

अधिगम बाधिता के कारणों की जैविक कारण, वंशानुगत कारण तथा वातावरणीय कारणों से स्पष्ट किया जा सकता है–

(1) **जैविक कारण** (Organic Causes)–अधिगम बाधिता न्यूनतम मानसिक अपक्रिया (dysfunction) के कारण होती है यह अपक्रिया केन्द्रीय स्नायु तन्त्र (जिसका संबन्ध मस्तिष्क तथा सुषुमना नाड़ी से होता है) में उत्पन्न होता है मस्तिष्क का सुचारू रूप से कार्य न कर पाना किसी क्षति के कारण न होकर मस्तिष्क की अपक्रियाओं के कारण होता है।

(2) **वंशानुगत कारण** (Genetic Causes)–परिवारों में अधिगम समस्याएँ तथा भावात्मक क्रिया होती है। लगभग 20 प्रतिशत भावात्मक बालकों का कोई एक अभिभावक (माता या पिता) भावात्मक होता है। डाउन सिन्ड्रोम वाले बालकों में अधिगम बाधित होने की संभावनाएँ अधिक रहती है।

नोट

(3) वातावरणीय कारण (Environmental Causes)–कुछ वातावरण संबन्धी तथ्य जिनके नकारात्मक प्रभाव अधिक होते हैं अधिक बाधिता के कारण बन जाते हैं इनके अन्तर्गत, नशीली दवाओं का प्रयोग मद्यपान, तथा गर्भवस्था के दौरान उलझने जैसे (आक्सीजन की कमी) जन्म के समय मस्तिष्क को क्षति पहुँचाने वाली चोट लगने से है। जिन बालकों की बहुत अधिक मानसिक क्षति होती है उनका ध्यान रखा जाता है। वह भी अधिगम बाधित हो जाते हैं, अधिगम बाधित अपर्याप्त पूर्व अनुभवों तथा उद्दीपनों के कारण भी उत्पन्न हो जाती है। इसका एक अन्य कारण अनुपयोगी तथा कठिन अनुदेशन भी हो सकता है।

17.3 अधिगम बाधित बालकों की समस्याएँ (Problems of Learning Disabled Children)

बालक के व्यक्तिगत क्रियाकलापों पर ध्यान दिया जाए तो ज्ञात होता है कि यह सामान्य बालकों के समान ही होते हैं। वह मन्द बुद्धि नहीं होते और न ही उन्हें देखने या सुनने में कोई कठिनाई होती है। परन्तु उनकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं विशेषकर बोध में कठिनाइयों के कारण उन्हें बोलने में, पढ़ने में, लिखने में तथा अंकों को सुनने तथा समझने में समस्या होती है। यह समस्या मानसिक मन्द क्रियाओं, भावनात्मक तथा व्यवहार संबन्धी कारण हो सकते हैं। लेकिन यह मानसिक मन्दित इन्द्रियों के प्रयोग करने तथा सांस्कृतिक अनुदेशनात्मक अभ्यास के कारण नहीं होती है। बालकों को सामान्य बाधित तथा गम्भीर रूप से बालकों की श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है।

सामान्य अधिगम बाधित बालक नियमित विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं ऐसे बालक नियमित विद्यालयों में पढ़ना पसन्द करते हैं ऐसे बालकों को प्रारम्भिक अवस्था में पहचानना कठिन होता है उनको पढ़ाई में समस्याएँ होती हैं। समस्याएँ अधिगम योग्यता के एक क्षेत्र में हो सकती हैं या एक से अधिक क्षेत्रों में भी हो सकती है परन्तु यह सामान्य प्रभाव की होती हैं।

नोट्स यदि बालकों में अधिगम बाधित समस्या सामान्य प्रकार से है तो उनको सही अभ्यास तथा प्रशिक्षण देकर इस समस्या से छुटकारा दिलाया जा सकता है तथा पाठ्यक्रम में कुछ समायोजन करके सामान्य अधिगम बाधित बालकों को उच्च कक्षाओं में भी सामान्य बालकों के साथ पढ़ाया जा सकता है।

जिन बालकों में अधिगम बाधिता गम्भीर होती है वे पढ़ लिख नहीं सकते हैं उनकी यह समस्या मस्तिष्क की मन्द क्रिया के कारण हो सकती है। ऐसे बालकों को सामान्य विद्यालयों में परीक्षा देना बहुत कठिन होता है। अधिगम बाधित बालकों की व्यवहार संबन्धी विशेषतायें भी भिन्न-भिन्न होती हैं लेकिन उन सबकी बौद्धिक योग्यता तथा उपलब्धि के बीच सामंजस्यता का अभाव होता है। यह समस्या उनकी होती है लेकिन उनके सामने अन्य समस्याएँ जैसे–भावानात्मक तथा प्रारम्भिक कुशलता एवं समाज में पूर्ण रूप से समायोजित न हो पाना, भी होती हैं। इन समस्याओं का वर्णन निम्नलिखित है–

(1) अवधान का अभाव (Attention Disorders of LD)–ध्यान की समस्या अधिगम बाधिता के साथ-साथ उत्पन्न होती है। उन बालकों का ध्यान बहुत कम समय में केन्द्रित होता है ध्यान केन्द्रित होने की समस्या विद्यार्थी की परीक्षा देने की योग्यता को प्रभावित करती है।

(1) वह दिए गए समय तक अपना ध्यान नहीं केन्द्रित कर पाते हैं।

(2) वह उपयुक्त को समझ नहीं पाते हैं तथा अनुपयुक्त को नकार नहीं पाते। वे अपने चारों ओर के उद्दीपनों की ओर आकर्षित होते रहते हैं।

(3) वह एक विषय से ध्यान हटाकर दूसरे विषय पर अपना ध्यान लगा लेते हैं।

(4) वह कम महत्वपूर्ण व्याख्याओं पर बहुत ध्यान देते हैं, तथा आवश्यक तथ्यों को कोई महत्व नहीं देते हैं।

नोट

(2) स्मृति समस्या (Memory Problem)—अधिकांश अधिगम बाधित बालक मन्त गति से सीखते हैं। ऐसे बालक न तो कार्य योजना बना पाते हैं और न ही उनको क्रियान्वयन कर पाते हैं। उनकी कुछ विशेषताएं जो स्मृति से संबन्धित होती है–

(1) स्मृति संबन्धी दोष वाले बालकों को सूचनाओं को एकत्र करने तथा पुन: प्राप्त करने में कठिनाई होती है। उनको देखने, सुनने तथा अन्य अधिगम प्रक्रियाओं में भी कठिनाई होती है।

(2) अधिगम बाधित बालकों को लय में पढ़ने से अंकों को क्रमानुसार में तथा शब्दों तथा मुहावरों व लोकोक्तियों को पढ़ने में कठिनाई होती है।

(3) उनको अक्षरों, शब्दों तथा आकारों को देखने में कठिनाई होती है।

(4) अल्पावधि तथा दीर्घावधि दोनों प्रकार की स्मृति वाले अधिगम बाधित बालक पढ़ने में कमजोर होते है।

(5) वह वर्तमान तथा भूत के अनुभवों के बीच संबन्ध नहीं कर पाते हैं।

(3) अधिगम बाधित बालकों की वाचन संबन्धी समस्या (Reading Problem of Learning Disabled Children)—लगभग 80 प्रतिशत से 90 प्रतिशत अधिगम बाधित बालक पाठन संबन्धी समस्याओं से ग्रसित होते हैं और उनकी शैक्षिक उपलब्धि बहुत कम होती है। ये समस्याएँ उच्चारण, शब्द के बीच से अक्षरों को छोड़ देने, अन्य अक्षरों को शब्द में जोड़ देने तथा एक शब्द के स्थान पर अन्य शब्दों को बोलने से संबन्धित होती है। यह समस्याएँ स्मृति की समस्या, अक्षरों को तथा शब्दों को उल्टा कर देने की समस्या तथा शब्दों की ध्वनि को मिला देने से संबन्धित हो सकती है, ये समस्या पठन संबन्धी और समझने संबन्धी भी हो सकती हैं।

अधिगम बाधित बालक दृश्य वक्ता तथा श्रव्य वक्ता दो प्रकार के होते हैं—दृश्य वक्ता सही शब्दों को गलत क्रम में लिखता है, तथा श्रव्य वक्ता शब्दों की ध्वनि को बढ़ा देता है या खींच देता है। जैसे—'वह' को 'वे' उच्चरित करता है। वह अक्षरों को छोड़ने व जोड़ने तथा शब्दों, अक्षरों के प्रतिस्थापन संबन्धी त्रुटि भी करता है। ये त्रुटियाँ किशोरावस्था तक जारी रहती हैं तथा अधिगम बाधिता का कारण बन जाती हैं।

(4) वाचन संबन्धी बाधिता (Reading Disability)—यह बाधिता दो प्रकार की होती है यदि यह सामान्य प्रकार की होती है। जिसको वाचन में कठिनाई होती है परन्तु यदि क्षति गम्भीर होती है तो व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाता है। वह शब्द बाधित होते नाम से भी प्रचलित है। सामान्य प्रकार की बाधिता वाले बालक प्राय: सामान्य कक्षाओं में पढ़ते हैं यदि यह समस्या प्रारम्भ में ही पहचान ली जाए तो इस समस्या के समाधान में बालक की सहायता की जा सकती है तथा उसको सरलता से सामान्य बालकों के समान बनाया जा सकता है। गम्भीर रूप से बाधित बालकों को चिकित्सा की आवश्यकता होती है।

(5) लेखन संबन्धी बाधिता (Writing Disability)—लेखन संबन्धी बाधिता से ग्रसित बालक स्वयं तुरन्त लिख नहीं पाता है यह क्षति दो प्रकार की होती है सामान्य तथा गम्भीर। इस बाधिता से सामान्य रूप से प्रभावित बालक साफ-साफ नहीं लिख पाते हैं, वे सामान्य विद्यालयों में पढ़ते हैं यदि उनकी इस समस्या को आरम्भ में ही पहचान लिया जाए और इस समस्या के निराकरण में उन बालकों की सहायता की जाए तो इस समस्या को दूर किया जा सकता है। जो बालक इस बाधिता से गम्भीर रूप से ग्रसित होते हैं वे बिना त्रुटि किए लिख सकते हैं। लेकिन स्वयं तुरन्त नहीं लिख पाते हैं तब ऐसे बालक लिखना नहीं सीख पाते हैं तब उनकी लेखन अयोग्यता की समस्या दिखाई देती है। गम्भीर रूप से लेखन बाधित बालकों को शैक्षिक क्षेत्र के अन्य सामान्य बालकों के समान बनने के लिए चिकित्सीय सुविधाओं की आवश्यकता होती है।

टास्क अधिगम बाधित बालकों की वाचन बोलने संबंधी समस्याएँ बताइए।

नोट

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

रिक्त स्थानों की पूर्ति करें (Fill in the blanks)–

1. .... नई दिल्ली ने व्यवहारिक आकलन के लिए अध्यापकों के प्रयोग हेतु निर्देशिका उपलब्ध कराई है।
2. जिन बालकों में अधिगम बाधित समस्या गंभीर होती है वे पढ़-लिख नहीं सकते। उनकी यह समस्या .... के कारण हो सकती है।
3. अधिकांश अधिगम बाधित बालक .... से सीखते हैं।
4. सामान्य रूप से बाधित बालक प्राय: .... में पढ़ते हैं।

(6) संप्रेषण ग्राह्य करने की समस्या (Problems in Comprehending Communication)–इस प्रकार की बाधिता से संबन्धित बालकों को लिखकर बोलकर तथा पढ़कर संप्रेषण में कठिनाई होती है जो इस समस्या से साधारण रूप से प्रभावित होते हैं उन्हें मौखिक तथा लिखित दोनों प्रकार के शब्दों को समझने में कठिनाई होती है ऐसे बालक चिन्ह तथा संकेत भी नहीं समझ पाते हैं। यदि समय पर ध्यान दिया जाए तो इन बालकों की ज्ञानात्मक संबन्धी समस्या को दूर किया जा सकता है। अन्यथा उच्चारण तथा प्रवाह संबन्धी समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस बाधिता से गम्भीर रूप से बाधित बालक न तो लिखित एवं मौखिक तथ्यों को समझ पाता है और न ही लिख, पढ़ और बोल सकता है। वह संकेतों तथा चिन्हों को भी नहीं समझ पाता है। ऐसे बालकों की समस्या का उपचार कठिन होता है उन्हें सघन सुधार हेतु अभ्यासों की आवश्यकता होती है।

(7) संख्यात्मक योग्यता संबन्धी समस्या (Problems of Numerical Ability)–इस समस्या से प्रभावित बालक संख्याओं को एक-दूसरे से संबन्ध नहीं कर पाते हैं। इस कारण उन्हें गणना में तथा साधारण जोड़ घटाने में भी कठिनाई होती है। संख्यात्मक बाधिता भी दो प्रकार की होती है। (1) सामान्य तथा (2) गम्भीर, संख्यात्मक समस्याएँ कठिन प्रतीत होती हैं परन्तु एक सामान्य बालक उन्हें आसानी से हल कर सकता है। इस समस्या से साधारण रूप से प्रभावित बालक पहले से ही सामान्य कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त करते हैं, प्राथमिक स्तर पर ऐसे बालकों की पहचान नहीं हो पाती है जब वे बालक गिनती सीखते हैं तथा साधारण जोड़ घटाना सीखते हैं तो यह समस्या प्रकट होती है। यदि यह समस्या सही समय पर पहचान ली जाए और इसमें सही संशोधन कर दिया जाए तो वे बालक भी सामान्य बालकों की भाँति सामान्य कक्षाओं में पढ़ सकते हैं। परन्तु यदि समस्या गम्भीर होती है तो बालक गिनतियों तथा उनके बीच संबन्ध को भी नहीं याद रख पाता है तथा उनको भी जोड़ घटाने करने में भी असमर्थ रहता है। संख्या संबन्धी गम्भीर समस्या का निराकरण कठिन होता है इसके निवारण के लिए अत्यधिक सुधार हेतु अभ्यास की आवश्यकता होती है।

17.4 सारांश (Summary)

- जब विद्यालय में बालक के संमुख पढ़ने लिखने समझने तथा संख्यात्मक अयोग्यता संबन्धी समस्याएँ आती हैं तब उनकी अधिगम बाधिता परिलक्षित होती है। ऐसे बालकों को कुछ कहानी सुनने की प्रक्रिया के आधार पर बहुत से परीक्षण किये गए हैं। अधिगम बाधिता तीन संकेतो के आधार पर पहचानी जा सकती है। अधिगम बाधित बालकों को निम्न आधारों पर पहचाना जा सकता है।
- अधिगम बाधित बालक को समय बताने, दिनों को सही महीनों तथा वस्तुओं को याद करने में कठिनाई होती है।
- बालक को अपने कार्य को करने में कठिनाई होती है तथा कक्षा-कार्य को देर से पूरा करता है।
- ऐसा बालक देखने में सुस्त दिखाई देता है तथा प्रश्नों का उत्तर ढंग से नहीं दे पाता है।
- यदि उससे मौखिक अनुदेशों को दोहराने के लिए कहा जाए तो वह उन्हें सही-सही नहीं दोहरा पाता है।
- घर तथा कक्षा में दिए गए अनुदेशों को समझ नहीं पाता है तथा उन्हें दोहराने के लिए कहता है।
- कार्यों में बहुत अनियमितता दिखाता है कभी-कभी प्रतिभावान प्रतीत होता है लेकिन विद्यालय में तथा कक्षा कार्य में उसकी क्रियायें-निम्न स्तर की होती है।

नोट

- बायें तथा दायें के बीच अन्तर करने में भ्रमित हो जाते हैं।
- शब्दों की वर्तनी के अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाने में कठिनाई का अनुभव करता है अधिगम बाधित बालक b/e/g/ तो कह सकता है परन्तु (Beg) नहीं कह पाता है वह (Beg) के स्थान पर (Bed) बोल सकता है।
- स्वयं शब्दों को संकलित करने तथा सही वाक्य बनाने में कठिनाई अनुभव करता है।
- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (NCERT) नई दिल्ली ने अध्यापकों के प्रयोग हेतु व्यवहारिक आकलन के लिए निर्देशिका उपलब्ध कराया है। अधिगम बाधित बालकों की पहचान तथा आकलन करके उनकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण हेतु उन्हें उपयुक्त वातावरण प्रदान किया जाना चाहिये।
- **बालकों में अधिगम असमर्थता के कारण**—अधिगम बाधिता के कारणों की जैविक कारण, वंशानुगत कारण तथा वातावरणीय कारणों से स्पष्ट किया जा सकता है—(1) जैविक कारण; (2) वंशानुगत कारण; (3) वातावरणीय कारण।
- अधिगम बाधित बालकों की व्यवहार संबन्धी विशेषतायें भी भिन्न-भिन्न होती हैं लेकिन उन सबकी बौद्धिक योग्यता तथा उपलब्धि के बीच सामंजस्यता का अभाव होता है। यह समस्या उनकी होती है लेकिन उनके सामने अन्य समस्याएँ जैसे—भावानात्मक तथा प्रारम्भिक कुशलता एवं समाज में पूर्ण रूप से समायोजित न हो पाना, भी होती हैं। इन समस्याओं का वर्णन निम्नलिखित है—(1) अवधान का अभाव; (2) स्मृति समस्या; (3) अधिगम बाधित बालकों की वाचन संबन्धी समस्या; (4) वाचन संबन्धी बाधिता; (5) लेखन संबन्धी बाधिता; (6) संप्रेषण ग्राह्य करने की समस्या; (7) संख्यात्मक योग्यता संबन्धी समस्या।

17.5 शब्दकोश (Keywords)

1. **अपक्रिया**—हानि, अहित।
2. **संमुख**—सामने, आगे, बिल्कुल सीधे।

17.6 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

1. अधिगम असमर्थ बालकों की पहचान कैसे करेंगे? समझाइए।
2. बालकों में अधिगम असमर्थता के क्या कारण हैं?
3. अधिगम असमर्थित बालकों की समस्याओं पर प्रकाश डालिए।

उत्तर : स्व-मूल्यांकन (Answer: Self Assessment)

1. NCERT 2. मंद मस्तिष्क क्रिया 3. मंद गति 4. सामान्य कक्षा

17.7 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

पुस्तकें

1. *शारीरिक रूप से विकलांग बालक*– योगेन्द्र कुमार शर्मा, कनिष्क पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
2. *विशिष्ट शिक्षा*- कुमार संजीव, जानकी प्रकाशन, पटना।
3. *विशिष्ट बालक*– आभारानी बिष्ट, अग्रवाल प्रकाशन, आगरा।
4. *विशिष्ट शिक्षा का प्रारूप*– डॉ. आर. लाल. शर्मा, आर. लाल. बुक डिपो, आगरा।

नोट

इकाई–18: अधिगम असमर्थताः शिक्षण आव्यूह एवं निवारण (Learning Disabilities : Prevention and Teeching Strategies)

अनुक्रमणिका (Contents)

उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तावना (Introduction)

18.1 अधिगम असमर्थ बालकों के लिए शिक्षण आव्यूह (Teaching Strategies for Learning Disable Children)

18.2 अधिगम असमर्थ बालकों की समस्याओं का निवारण (Diagnosis of Learning Disable Children)

18.3 अधिगम असमर्थ बालकों के लिए सुझाव ()

18.4 सारांश (Summary)

18.5 शब्दकोश (Keywords)

18.6 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

18.7 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

उद्देश्य (Objectives)

विद्यार्थी इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् सक्षम होंगे–

- अधिगम असमर्थित बालकों हेतु शिक्षण प्रावधान एवं उनकी समस्याओं के निवारण संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

प्रस्तावना (Introduction)

लर्निंग डिसेबिलिटी अन्य संवेदी असमर्थताओं मसलन मानसिक रूप से मंद सामाजिक, भावनात्मक या वातावरण संबंधी गड़बडियों के साथ भी हो सकती है लेकिन यह अपर्याप्त या अनुचित निर्देशों के परिणामस्वरूप भी देखी गयी है। यही कारण है कि व्यवहार में इनके निदान के मानदण्ड भी भलीभांति स्पष्ट नहीं है। इस मुद्दे पर भी अभी तक मत्यैकता नहीं है कि बच्चों की कमजोरी या पिछड़ेपन का मूल किस हद तक शिक्षणशास्त्रीय है। अधिगम अक्षमता जैसी अवधारणाएँ इन कठिनाईयों की व्यक्तिगत गुण या गड़बड़ी समझने की प्रवृत्ति रखती है, जिनका सामना बच्चे स्कूल में अक्स हाँ करते हैं। ये बच्चे या तो अलग सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के होते हैं या फिर अपने परिवार में स्कूल जाने वाली पहली पीढ़ी के प्रतिनिधि। इसलिए इन मुद्दों की बजाए सभी विषयों और सभी कक्षओं में सीखने के दौरान आनेवाली कठिनाइयों के लिए जाँचना तथा इसके इलाज के तौर पर अभ्यास करने का विचार शिक्षाशात्रियों, मनोवैज्ञानिकों एवं पुनर्वासकर्मियों के बीच अब स्वीकार्य होता जा रहा है।

नोट

18.1 अधिगम असमर्थ बालकों के लिए शिक्षण आव्यूह (Teaching Strategies for Learning Disable Children)

(1) दिवसीय विद्यालय—यहाँ पर अधिगम बाधित बालकों को विशिष्ट शिक्षा दी जाती है। विशिष्ट अध्यापक उसी पाठ्यक्रम को बहुत ध्यान तथा विकास के साथ पढ़ाते हैं यह पृथक रूप में व्यवस्था है।

(2) सामान्य विद्यालय में विशिष्ट कक्षाएँ—यहाँ पर विशिष्ट शिक्षक अधिगम बाधित बालकों को विशेष कक्ष में विशेष अनुदेशन देते हैं। नियमित शिक्षक पाठ्य विषयों के संबन्ध में बालकों की सहायता करते है। इन बालकों को पाठ्य विषयों के साथ-साथ सामाजिक कार्यों के बारे में भी बताया जाता है वह सामान्य बालकों के साथ ही पढ़ते हैं।

(3) मुख्य धारा व समन्वित शिक्षा में अधिगम बाधित बालकों की संख्या अधिक होती है तथा उन्हें जैविक एवं कम बुद्धि स्तर से संबन्धित समस्या नहीं होती है, ए बालक संसाधन कक्षों की सुविधा मुख्यधारा तथा समन्वित शिक्षा की सुविधा से युक्त नियमित कक्षाओं में पढ़ते हैं।

18.1.1 अधिगम बाधित बालकों हेतु भाषा संबन्धी आयाम (Linguistic Teaching Approach for Learning Disabled)

अधिगम असमर्थ बालकों के लिए निम्नलिखित भाषा संबन्धी आयामों का प्रयोग किया जाता है—

(1) नासिक विवर (Nasal) (2) ध्वनिक (Phonics) (3) भाषा संबन्धी (Linguistic) (4) भाषा संबन्धी अनुभव (Language Experiences) (5) अनुभिक्रमित अनुदेशन (Programmed Instruction) (6) बहुइन्द्रीय (Multi Sensory) (7) चित्रों की सहायता (Audio-visual aids), भाषा प्रयोगशाला। उपरोक्त सभी का वर्णन यहाँ इस प्रकार से किया जा सकता है—

(1) नासिक्य ध्वनिक प्रशिक्षण आयाम (Nasal Teaching Approach)

अधिगम बाधित बालकों के सन्दर्भ में इस आयाम के लाभ तथा सीमाएँ होती हैं—

लाभ—(1) समझने में सरल (2) सीमित शब्दावली (3) निपुणता का वर्गीकरण में परिचय (4) निपुणता का पुर्नबलन (5) निदान तथा मूल्यांकन सामग्री उपलब्ध हो जाती है।

सीमाएँ—(1) पाठ्य विधि में सीमित लचीलापन (2) अनुदेशन को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता (3) निपुणता के लिए आवश्यक सामग्री की कमी (4) प्रक्रियाओं के लिए साधनों की कमी (5) श्रव्य अनुदेशन के विश्लेषण तथा संश्लेषण को कोई पसन्द नहीं करता। उन्हीं कहानियों तथा विषयों के बार-बार दोहराने के कारण इस आयाम में अधिगम सफलता नहीं मिल पाती है।

(2) ध्वनियुक्त शिक्षण आयाम (Phonic Teaching Approach)

अधिगम बाधित बालकों के सन्दर्भ में इस आयाम के निम्न लाभ तथा सीमाएँ हैं—

लाभ—(1) यह अच्छी श्रव्यात्मक योग्यता वाले बालकों के लिए प्रभावशाली अर्थापन प्रविधि है।

सीमाएँ—(1) श्रव्यात्मक क्षति वाले विद्यार्थियों के लिए प्रभावशाली नहीं है, (2) पृथक पढ़ाई की जा सकती है, (3) समझाने की प्रक्रिया पर ध्यान नहीं दिया जाता है, (4) अंग्रेजी भाषा में अक्षरों व शब्दों में समानता के कारण से भी भ्रम हो सकता है।

(3) भाषा संबन्धी शैक्षिक आयाम (Linguistic Teaching Approach)

इस आयाम के लाभ व सीमाएँ निम्नलिखित हैं—

लाभ—(1) प्रारम्भिक अवस्था में ही गलत वर्तनी पर नियन्त्रण हो जाता है, (2) धीरे-धीरे श्रव्यात्मकता का परिचय, (3) बार-बार दोहराई तथा अभ्यास किया जाता है।

सीमाएँ–(1) प्रारम्भ में समझने पर कम बल दिया जाता है, (2) सामान्य वस्तुओं के लिए प्रयुक्त शब्दावली का लाभ विद्यार्थियों को शाब्दिक भाषा में नहीं हो पाता है।

(4) भाषा अनुभव शिक्षण आयाम (Language Experience Teaching Approach)

अधिगम बाधित बालकों के सन्दर्भ में इस आयाम का लाभ तथा सीमाएँ होती हैं–

लाभ–(1) कहानियों से विद्यार्थियों को प्रेरणा मिलती है, (2) मौखिक भाषा भी प्रयुक्त होती है, (3) विशिष्ट निपुणता संबन्धी विकास सम्मिलित हो सकता है, (4) भाषा व कला निपुणता का भी इस आयाम के द्वारा प्रयोग किया जा सकता है, तथा (5) अच्छी दृश्यात्मक योग्यता वाले विद्यार्थियों के लिए लाभकारी है।

सीमाएँ–विद्यार्थियों के भाषा स्तर सीमित हो सकता है, (2) निपुणता संबन्धी प्रारूप के लिए व्यवस्थित उपकरण को उपलब्ध नहीं किया जा सकता है।

(5) अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण आयाम (Programmed Instruction)

अधिगम बाधित बालकों के सन्दर्भ में इस आयाम के लाभ तथा सीमाएँ होती हैं–

लाभ–(1) छोटे अनुक्रमबद्ध पद, (2) शीघ्र समझ में आ जाती है, तथा (3) सीधे अनुदेशन की कमी, तत्काल पुनर्बलन दिया जाता है।

सीमाएँ–(1) प्रत्यक्ष अनुदेशन की कमी, (2) प्रारूप की अनिश्चिता के कारण भ्रम हो सकता है।

(6) बहुइन्द्रिय शिक्षण आयाम (Multisensory Teaching Approach)

अधिगम बाधित बालकों के लिए प्रयोग में आने वाली इस पद्धति के लाभ व सीमाएँ निम्नलिखित हैं।

लाभ–(1) इस पद्धति के माध्यम से मस्तिष्क को सूचना पहुँचाने के लिए एक से अधिक इन्द्रियों का प्रयोग होता है तथा (2) इसके अन्तर्गत विश्लेषण तथा संश्लेषण पद्धति का प्रयोग किया जा सकता है।

सीमाएँ–कुछ कार्यक्रमों में अनुक्रमीय निपुणता विकास की कमी होती है, तथा (2) कुछ विद्यार्थियों पर अतिरिक्त इन्द्रिय बोझ पड़ता है।

(7) चित्रों की उपयोग का शैक्षिक आयाम (Review Picture Teaching Approach)

अधिगम बाधित बालकों के लिए प्रयुक्त इस पद्धति के लाभ और सीमाएँ होती हैं–

लाभ–(1) पठन की प्रारम्भिक स्थिति को सरल बनाने के लिए शब्द के स्थान पर चित्र का प्रयोग किया जाता है। (2) इस पद्धति के अन्तर्गत प्रयुक्त किया जाता है, तथा (3) परम्परागत मुद्रित सामग्री का स्थान्तरण किया जाता है।

18.1.2 अधिगम बाधित बालकों हेतु सुधारात्मक आयाम (Remedial Approach for Learning Disabled Children)

इन व्यवस्थाओं से युक्त नियमित कक्षाओं में सामान्य अथवा साधारण रूप से अधिगम बाधित बालक सन्तोषजनक कार्य कर सकते हैं सामान्य कक्षा पाठ्यक्रम में कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। कुछ सामान्य सुधारात्मक प्रविधियाँ यह हैं। परन्तु इन प्रविधियों के साथ-साथ कुछ विशिष्ट सैद्धान्तिक प्रारूप का भी प्रयोग अधिगम बाधित बालक के लिए किया जाना आवश्यक है।

(1) **ज्ञानात्मक प्रक्रिया आयाम** (Cognitive Processing Approach)–ज्ञानात्मक प्रक्रिया आयाम के अन्तर्गत यह पता चल जाता है कि बालक कैसे सीखता है तथा कैसे शिक्षण का प्रारूप प्रस्तुत करता है। विकासात्मक आयाम के लिए क्रमयुक्त आयाम पर ज़ोर देता है। इन आयामों में किए जाने वाले परीक्षणों के माध्यम से अधिगम क्षति के अन्य क्षेत्रों का भी पता चलता है जिनको पढ़ाया जा सकता है।

(2) **विशिष्ट प्रविधियों से युक्त आयाम** (Specialized Techiques Approach)–विशिष्ट प्रविधियाँ इस तथ्य को इंगित करती हैं कि अध्यापक विशेष समय अन्तराल में बताए गए अनुदेशन तथा उपयोग को प्रयोग करेंगे निपुणताओं में विकासात्मक आयामों में निपुणता में बुद्धि विकसित की जा सकती हैं अधिगम बाधित बालकों की चिकित्सा के लिए मुद्रित सामग्री भी प्रयोग की जा सकती है।

(3) **व्यवहार संबन्धी आयाम** (Behavioural Approach)—व्यवहार संबन्धी पद्धति अधिगम संबन्धी वातावरणीय परिस्थितियों को संलग्न करने के लिए व्यवहार में आवश्यक परिवर्तन से संबन्धित है। पठन असफलता का मुख्य कारण शैक्षिक प्रणाली में दोषों अर्थात् अच्छे शिक्षण का अभाव है बालक के अध्यापक के शिक्षण तथा शैक्षिक वातावरण यह दोनों अधिगम बाधित बालक की चिकित्सा में सहयोग दे सकते हैं।

नोट्स पुनर्बलन को लागू करके तथा व्यवहार में परिवर्तन करके व मनो उपचार की पद्धति को प्रयोग करके अधिगम बाधित बालकों की समस्याओं के समाधान में सहायता मिल सकती है तथा अध्यापक एवं विद्यार्थियों के मध्य स्वस्थ शैक्षिक प्रणाली में कमियों से संबन्ध स्थापित हो सकता है।

अधिगम संबन्धी समस्याओं का सुधार

- बालक का विश्लेषण निदान → संज्ञानात्मक प्रक्रिया संबन्धी विकास परीक्षण
- विषय का विश्लेषण व संश्लेषण → विशिष्ट प्रविधियों द्वारा निपुणता में विकास
- वातावरण संबन्धी दशाओं का विश्लेषण → व्यावहारिक तथा मनो-उपचार प्रविधियाँ

सुधार संबन्धी प्रस्तावित उपरोक्त यह साधन एक-दूसरे से पृथक नहीं हैं, एक अध्यापक परिस्थितियों के अनुसार एक या अधिक आयामों को प्रयोग कर सकता है। कोपिज (Koppiz 1973) ने कहा है कि—

"केवल विशिष्ट शिक्षण प्रणाली या प्रशिक्षण प्रविधि के द्वारा अधिगम विकलांगता को समाप्त नहीं किया जा सकता, यह स्पष्ट है कि अध्यापकों के पास बहुत सी अनुदेशनीय प्रक्रियाएँ सहायक सामग्री तथा प्रविधियाँ होती हैं वह कल्पनाशील होते है तथा वे स्वयं उन्हें अपने विद्यार्थियों की विशिष्ट आवश्यकता की पूर्ति तथा समायोजित कर लेते हैं।" शिक्षक स्वभाव लचीला होता है।

"Learning disabilities can not be corrected or cured by a specific teaching method or training techniques. It is imperative that teachers have a wide range of instructional materials and techniques at their disposal and that they are imaginative and flexible enough to adapt these to specific needs of their pupils."

18.1.3 अधिगम बाधित बालकों हेतु शिक्षण सिद्धान्त (Principles of Teaching for Learning Disabled Children)

निम्नलिखित सिद्धान्त सामान्य तथा अधिगम बाधित बालकों को एक साथ पढ़ाने में सामान्य अध्यापकों के लिए निर्देशन का कार्य कर सकते हैं।

—(हेविट तथा फोरनिस, 1984)।

(1) **बालक के अधिगम हेतु आशावान** (Expect the Child with Learn)—बालकों के द्वारा किया गया कार्य अध्यापक की आशा बालकों के प्रति कार्यों में दिखाई देती है।

(2) यह स्वीकार करना होगा कि अध्यापक को बहुत सावधानी से धैर्य पूर्वक अधिगम बाधित बालक पर ध्यान देना चाहिए, ऐसा बालक ऐसा बहाना करता कि वह पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है तथा प्रेरित हो रहा है और उसको अध्यापक की सारे बातें समझ में आ रही हैं परन्तु वास्तविकता में ऐसा नहीं होगा।

नोट

(3) **बहुइन्द्रिय साधन व्यवस्था**—उन अध्यापकों को बहु इन्द्रीय प्रक्रिया का प्रयोग करना चाहिए ताकि बालक को शिक्षण तथा अधिगम की प्रक्रिया में पूर्ण रूप से संबद्ध किया जा सके। दृश्य व श्रव्य इन्द्रियों को क्रियाशील रखा जाए।

(4) **संकेतों का उपयोग**—बालक के स्तर को ध्यान में रखते हुए बालकों को घटनाओं के बारे में बतलाना चाहिए इसके लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ प्रयुक्त करनी चाहिए तथा अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए उन्हें समय-समय पर बदलना चाहिए।

(5) **शिक्षण सजीव बनाएँ**—जो भी बालकों को दिया जाता है उसकी शक्ति को बढ़ाएँ उसे स्थूल करें। अर्थात् वस्तु अथवा चित्र के आकार को बदले, विभिन्न रंगों से रंगे, अधिक कल्पनाशील हों। इसके साथ-साथ अधिक उत्तेजना तथा रूचि हो। अध्यापक कार्य के प्रति समर्पित हों।

(6) **आवश्यकता के अनुसार अनेक बार दोहराएँ**—बालकों के समझने का स्तर का निर्धारण कीजिए/सुनिश्चित कीजिए कि आप बालक के स्तर तक पहुँच चुके हैं। जो बालक को बताया गया है उसके बारे में बालक से कहिए कि वह आपको बताए। अपने कथन को दोहराए। बालकों को शिक्षण दी गई पाठ्यवस्तु दोहराएँ ताकि कार्य में रूचि कम न हो।

(7) **पाठ्यवस्तु को सार्थक बनाएँ**—बालक के परिवेश को समझे, पाठ्य-पुस्तकों में दिए गए उदाहरणों को छोड़ दें। बालकों को ऐसे उदाहरण दीजिए जिनसे बालक परिचित हो अथवा बालकों के पूर्व ज्ञान संबन्धित हो। उदाहरण यदि स्कूल में बाहरी जीवन से संबन्धित हो तो अधिक उपयुक्त होगा। जो भी शिक्षक बालकों के समक्ष विचार या वस्तु प्रस्तुत कर रहे हैं अथवा समझा रहे हैं वे विशिष्ट होनी चाहिए।

(8) **पाठ्यवस्तु मूर्त/स्थूल बनाएँ**—चित्रों, बोले गए शब्दों तथा कैसेटों का प्रयोग करें। इनका प्रयोग अच्छा करना लाभदायक होता है। आप इस स्थिति में रुकें नहीं वरन् आगे बढ़ें। बालकों को वास्तविक वस्तुएँ दिखाएँ। बालकों को अनुभव करने का अवसर दीजिए कि आप उनको क्या दिखा रहें तथा क्या समझा रहे हैं।

(9) **बालकों को आश्चर्यचकित करना**—यदि अचानक कोई वस्तु या घटना किसी के समक्ष आ जाए जिसके बारे में उस व्यक्ति ने कल्पना न की हो तो वह आश्चर्यचकित हो जाता है। बालक को आदर्श अनुभवों से अवगत कराएँ। विभिन्न प्रकार की सामग्री तथा विधियों का प्रयोग करें। बालकों को प्रभावशाली अनुभवों हेतु अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करें।

(10) **क्रियात्मक उपलब्धियाँ/निष्पत्तियाँ**—बालक की त्रुटियों पर ध्यान न दें। बालकों को उसके द्वारा की गई त्रुटियों से अवगत अवश्य कराएँ। परन्तु प्रत्एक दशा में बालक के द्वारा किए गए कार्यों के परिणामों को महत्व दें तथा अन्य बालकों को भी इसके बारे में बताएँ।

(11) **क्रमागत रूप में पढ़ना**—बालक को क्रम से पढ़ाए। एक पद के बाद दूसरा पद ठीक पहले से आगे का ही हो। बीच में कोई पद छोड़कर आगे क्रम में बढ़िए।

(12) **क्रम का पुनः निरीक्षण**—किए गए कार्य पर पुन: विचार कीजिए। उसे ध्यान पूर्वक देखिए कि आपकी कार्यो के प्रति क्या आशाएँ थी तथा उनके परिणाम आशा के अनुरूप किस सीमा तक प्राप्त हुए। आगे बढ़ने की प्रविधि बनाइए। आवश्यकता हो तो शिक्षण सूत्रों में परिवर्तन करें आगे बढ़ने के लिए यथा संभव प्रयास किए जाए।

(13) **अवरोध रहित**—शिक्षण कक्ष से ऐसी वस्तुएँ हटाएँ जो बालकों की शिक्षा में प्रयोग नहीं की जाती हों। शारीरिक वातावरण कक्षा के अन्दर अथवा बाहर तनाव रहित रखें।

(14) **ममत्व का भाव**—बालकों के प्रति माँ के समान प्रेम करें। बालकों पर ध्यान दें यदि ऐसा हुआ तो अपने को शिक्षण में सफल समझें।

(15) **मुक्त व्यवहार**—अपने साथियों को पूर्ण सहयोग दें तथा उनसे सहयोग लें। साथियों में अनुभव करे, साथियों से अनुभव ग्रहण करें तथा अपने अनुभव उन्हें बताएँ अन्य साथियों के अनुभवों से कुछ सीखें।

नोट

18.1.4 अधिगम असमर्थी बालकों के लिए शिक्षा की विधियाँ एवं प्रविधियाँ (Teaching Methods and Techniques for Learning Disabled Children)

यद्यपि ऐसे बालकों के शिक्षण हेतु अलग विधियाँ हैं परन्तु कुछ अनुदेशन प्रविधियाँ सामान्य बालकों की शिक्षा के समान हैं। अधिगम असमर्थ बालकों की शिक्षा हेतु निम्नलिखित प्रविधियाँ संस्तुति की जाती हैं–

(1) छोटे-छोटे बालकों को सुझाव दिए जाने का प्रयोग करें। इनके अनुदेशनों का मुद्रण बड़ा होना चाहिए।

(2) भाषा का प्रयोग करें। संकेत के शब्दों को रंगीन बनाएँ।

(3) अनुदेशन अथवा पद जो बालकों को आप समझा रहे हैं, वे श्यामपट्ट पर लिखें। मुख्य शब्दों को रेखांकित करें।

(4) प्रत्एक पद अथवा अनुदेशन के लिए अलग-अलग रंगों की चाक का प्रयोग करें।

(5) बालकों को अनुदेशन देते समय ध्वनि का स्तर ऊँचा करें।

(6) बालकों के अधिगम हेतु चित्रों का अधिक प्रयोग करें।

(7) पाठ के अन्त में, संपूर्ण पाठ में क्या-क्या बताया गया है? इसके बारे में बालकों को सारांश रूप में दोहराएँ, बालकों से इसके संबन्ध में प्रश्न पूछे। बालकों से पठन सामग्री को पढ़ने, बोलने, याद करने के लिए कहें।

क्योंकि अधिगम असमर्थी बालकों में क्रियात्मक कार्यों तथा उनके संगठन में कठिनाई अनुभव करते हैं अपने बताया जाना चाहिए कि वे दैनिक जीवन में कार्यरत रहें। घटनाओं के कार्यक्रम बनावाएँ तथा समयानुसार कार्य-योजना बनावाएँ। इसके पश्चात् एक सप्ताह के कार्यक्रम का विकास करना चाहिए। ऊँची कक्षा में पढ़ने वाले बालकों के किसी विशिष्ट विषय की पढ़ाई अथवा कार्य से संबन्धित कार्यक्रम बनाना उपयोगी रहता है।

बालकों का मार्ग दर्शन करके सोचने में निपुणता का विकास किया जा सकता है। इसके लिए बालकों से पढ़ने, सुनने, ध्यान से देखने तथा विभिन्न वस्तुओं में भेद करने के लिए आंकड़े एकत्र कर सकते हैं तथा उन आंकड़ों में भिन्नता तथा समानता के आधार पर बालकों की सोचने की शक्ति का विकास संभव हो सकता है।

इन भिन्नता में प्रगति के लिए अध्यापक द्वारा प्रश्न पूछने की प्रक्रिया का प्रयोग किया जा सकता है। बालकों को आंकड़ों को श्रेणीबद्ध करना तथा वर्गीकरण करने के लिए कहा जाए। इसे एक स्तर पर करना महत्वपूर्ण है।

बालक को किसी दूसरे क्रम व आधार पर आंकड़ों को श्रेणी क्रम तथा वर्गीकरण करने के लिए कह सकते है। इस प्रकार बार-बार दोहराने की क्रिया बालक के पास एकत्र सूचनाओं तथा नए अनुभवों के लिए अति आवश्यक है। इस प्रकार बालक में विभिन्न सूचनाओं तथा अनुभवों का एकीकरण संभव है। बालक को स्वयं के द्वारा संभावनाओं का पूर्व अनुमान करने को दिया जाए जिससे वह उसके प्रभाव तथा उनके परिणाम भी समझ पाएगा।

कुछ विशिष्ट प्रविधियों द्वारा बालक की स्मृति में भी विकास किया जा सकता है दृष्टि तथा श्रवण के दोषों में बालक में सुधार किया जा सकता है। मुख के भावों से कुछ विशेष वस्तुओं को पुन: प्राप्त किया जा सकता है। बालक को रटने की आदत से बचाना चाहिए। सुनने तथा देखने से संबन्धित स्मृति में प्रगति लाने हेतु कुछ क्रिया बार-बार दोहराई जा सकती है।

(1) बालक को संकट कालीन सेवाएँ उपलब्ध कराने वाले विभागों के फोन नम्बर तथा पते बार-बार दोहराने के लिए कहा जाए।

(2) शब्दों तथा लय के द्वारा बालकों को गाने सीखने के लिए कहा जाए।

(3) बालकों को ऐसे खेल खेलने के लिए कहें जिसमें एक बालक कुछ कहे, दूसरा बालक पहले बालक द्वारा बोले गए शब्दों को दोहराए तथा अपने कुछ शब्द और जोड़ दे। तत्पश्चात् तीसरा बालक दोनों बालकों के द्वारा बोले गए शब्दों को दोहराए तथा कुछ शब्द अपने जोड़ दे।

(4) बालकों से संबन्धित विषयों पर कविता बनाने के लिए कहें।

(5) मौखिक दिशाएँ जो बालकों को शिक्षण के मध्य दी जाती हैं, उन्हें बार-बार दोहराने के लिए कहें तथा सामूहिक अभ्यास भी कराया जाए।

नोट

(6) विद्यार्थियों को विभिन्न कार्टून चित्र देने चाहिए तथा उन चित्रों को अलग काट लेना चाहिए इससे विद्यार्थी चित्रों को ध्यानपूर्वक देखेंगे तथा उनमें चित्रित वस्तुओं का वर्णन करने को कहा जाए।

(7) विद्यार्थियों को समान शब्दों के आकार के बारे में बताना चाहिए।

(8) विद्यार्थियों को अनुक्रम को दोहराने के लिए कहना चाहिए ताकि उन्होंने जो पढ़ा है वह उसको समझ सके तथा क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत कर सकें।

(9) विद्यार्थियों को एक समय पर अधिक ईकाईयों का प्रयोग करने का अभ्यास कराना चाहिए। उदाहरणार्थ कुछ एक समय में एक विषय-वस्तु को लिखने का प्रयत्न करते हैं। अध्यापक को विद्यार्थियों के दृश्य उद्दीपन की लम्बाई जो लिखते समय उनके मस्तिष्क में रहती है को बढ़ाने का प्रोत्साहन देना चाहिए।

(10) अध्यापक को विद्यार्थियों की आन्तरिक श्रव्यात्मक तथा दृश्यात्मक स्मृति के अभ्यास में सहायता करनी चाहिए जब विद्यार्थी लिखित सूचनाओं का अनुवाद करते हैं उन्हें अक्षरों या शब्दों को बोलने के लिए कहना चाहिए।

(11) श्यामपट्ट पर विभिन्न रंग के चाक से अलग-अलग प्रश्न लिखने चाहिए इससे विद्यार्थियों को उनका स्थान ढूंढ़ने में सहायता मिलेगी।

(12) विद्यार्थियों को दूसरे विद्यार्थी के कार्य से नकल करने के लिए कहना चाहिए कुछ विद्यार्थी अनुकरण करके अच्छा कार्य कर सकते हैं।

अध्यापकों को शिक्षण प्रविधियों को प्रयोग करते समय प्रविधियों में परिवर्तन करते रहना चाहिए क्योंकि अधिगम बाधित बालकों में विषम विशेषताएँ होती हैं इसके लिए निदानात्मक प्रारूप वाले आयामों का प्रयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं व योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्य योजनाओं का प्रयोग करना चाहिए।

18.1.5 अधिगम असमर्थ बालकों की शिक्षा में अध्यापक की भूमिका (Role of Teacher for Learning Disabled Children)

अधिगम बाधित बालकों की समस्याओं का निराकरण करने में अध्यापक निम्नलिखित योगदान दे सकते हैं और इन भूमिकाओं का निर्वाह कर सकते हैं–

अधिगम असमर्थ बालकों का प्रबन्धन (Managing the Learning Disabled Children)–अधिगम बाधित बालकों को उनकी बाधिता के अनुरूप एक या अधिक क्षेत्रों में अध्यापक के शिक्षण तथा मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। विशेषज्ञ अध्यापक की उपस्थिति अनुपस्थिति इस तथ्य पर निर्भर करती है कि नियमित कक्षा अध्यापक अनुदेशनों को किस सीमा तक प्रयोग करते हैं। यह सत्य है कि नियमित कक्षाध्यापक तथा विशेषज्ञ अध्यापक के बीच सहयोगात्मक कार्य संबन्ध होना चाहिए, सामान्य तथा विशेषज्ञ अध्यापक को उनके कार्य क्षेत्र के अनुसार कार्य करना चाहिए। किसको क्या कार्य करना होगा? इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता है, फिर भी सामान्य अध्यापक अधिगम बाधित बालक की समस्याओं को दूर करने में अपना योगदान दे सकते हैं।

कक्षाध्यापक सामान्य तथा बाधित दोनों प्रकार के बालकों का शिक्षण कार्य करता है उन्हें बालकों की व्यवहार संबन्धी विशेषताओं को देखने का अवसर मिलता है, वे अधिगम बाधित बालकों को पहचान सकते हैं तथा पहचान के आधार पर वे अधिगम बाधित बालकों को विशेष अध्यापक की सहायता प्रदान कर सकते हैं तथा उनकी कठिनाइयों एवं समस्याओं को दूर करने में सहायक हो सकते हैं।

यदि अध्यापक को यह ज्ञात हो कि उनकी कक्षा में अधिगम बाधित बालक है तो उन्हें विशेषज्ञ अध्यापक की सहायता व परामर्श से व्यवस्थित तथा अनुकूल अनुदेशन प्रयोग करने चाहिए यदि अध्यापक उपलब्ध न हो तो नियमित अध्यापक को स्वयं अनुदेशनों का प्रयोग करना चाहिए। उन्हें इस तथ्य का ध्यान रखना चाहिए कि अधिगम बाधित बालकों की आधारभूत शिक्षण आवश्यक है। जो शिक्षण अधिगम बाधित बालकों के लिए उपयोगी है वह सामान्य बालकों के लिए भी उपयोगी होगा। सामान्य तथा अधिगम बाधित बालकों के शिक्षण हेतु बहुत से आयाम हैं।

नोट

> *क्या आप जानते हैं* अधिगम बाधित बालक विपरीत विशेषताओं वाले होते हैं उन्हें विकास के भिन्न-भिन्न स्तरों पर अपनी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रविधियों की आवश्यकता होती है।

विद्यालयी स्तर परबालकों की क्षमताओं को बढ़ाने, उन्हें आत्म-निर्भर बनाने तथा स्वयं कार्य करने की क्षमता का विकास करने के लिए उन्हें उचित वातावरण प्रदान करना चाहिए, इस स्तर पर सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए, हानिकारक तथा अत्यधिक शीघ्र टूटने वाली सामग्री को बालकों से दूर रखना चाहिए। पूर्व प्रारम्भिक स्तर पर बालकों की कक्षा शोर रहित, प्रकाश युक्त तथा साफ सुथरी होनी चाहिए। अधिगम बाधित बालकों को हानि रहित वातावरण में सामान्य शिक्षण तथा विशिष्ट शिक्षण दिया जाना चाहिए ऐसे बालकों को कक्षा के मध्य में बैठाया जा सकता है ताकि अध्यापक का ध्यान उन पर केन्द्रित रह सके।

यद्यपि बालकों के छोटे-छोटे समूह व्यक्तिगत रूप में कार्य कर सकते हैं फिर भी साथी की सहायता वाले अनुदेशन कार्य तथा विशेष योजना को भी प्रयोग में लाना चाहिए इसके लिए अध्यापक को अधिगम बाधित बालक के लिए अच्छे सामान्य साथी का चुनाव करना चाहिए।

अधिगम बाधित बालकों के शिक्षण के लिए योजना के प्रारूप तथा अनुदेशनीय प्रक्रिया आवश्यक होती हैं। पाठ्यक्रम को क्रम तथा कार्यक्रम के आधार पर तैयार करना चाहिए ताकि अधिगम बाधित बालक इसको पढ़ सके। इस कार्य के लिए विश्लेषण प्रक्रिया उपयुक्त है। इसके आधार पर अध्यापक कार्यों को छोटे-छोटे खण्डों में बाँट सकते हैं तथा प्रत्एक स्तर पर विद्यार्थियों की सहायता कर सकते हैं।

अध्यापक को प्रत्एक पाठ्य योजना के अन्त में सारांश प्रस्तुति अवश्य देनी चाहिए ताकि अधिगम बाधित बालक अपनी गति से पढ़ सकें। इससे उन्हें पढ़ने में सहायता मिलेगी।

अधिगम बाधित बालकों के खाली समय का सद्उपयोग करने के लिए उपकरणों व सामग्री की सहायता ली जा सकती है ताकि बालकों का समय व्यर्थ न हो तथा वह कुछ सीख सकें। अधिगम बाधित बालकों की शैक्षिक क्षति तथा असफलताओं को दूर करने के लिए विभिन्न विशिष्ट शैक्षिक प्रक्रियाएँ है, इसमें से एक सामान्य पद्धति अधिगम आव्यूह है। इस पद्धति के अन्तर्गत बालकों को अधिगम प्रक्रिया जिसमें स्वए अनुदेशन तथा मौखिक रूप के द्वारा अधिगम करने का अवसर मिलता है।

अधिगम बाधित बालकों में ज्ञानात्मक योग्यताओं का अभाव होता है इसलिए अध्यापक स्वयं महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, लिख सकते हैं तथा स्वयं पढ़ने के लिए कह सकते हैं। अधिगम बाधित बालकों के लिए स्वयं अनुदेशनीय प्रविधियाँ बहुत प्रभावशाली होती हैं।

विश्वसनीय मूल्यांकन शिक्षण मूल्यांकन तथा अनुदेशन में प्रगति की व्यवस्था है। यह एक सीधा, लगातार तथा विद्यार्थियों की प्रगति ज्ञात करने का साधन है। इस परिस्थिति में अध्यापक वृह्त क्षेत्र में विद्यार्थियों का व्यवहार समझ सकता है। अनुदेशनात्मक निर्णय लेने में यह अध्यापक के लिए सहायक होता है।

पाठ्यक्रम तथा अन्य शिक्षण सामग्री के संबन्ध में यह कहा जा सकता है कि यह बालकों के कार्य करने के स्तर के अनुरूप, उपयुक्त तथा प्रेरणादायक होनी चाहिए। यह संकीर्ण नहीं होनी चाहिए। बालकों को दिए गए कार्य को अधिक प्रेरित करने के लिए अध्यापक को बालक की निपुणता तथा रूचि का प्रयोग करना चाहिए। बालकों का ध्यान करने तथा अधिगम को अधिक रूचिकर बनाने के लिए अध्यापकों को विभिन्न रंगों तथा उदाहरणों का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए।

अधिगम असमर्थ बालकों की शिक्षा के लिए बहु इन्द्रिय आयाम का प्रयोग हो सकता है। शब्दों को सुनकर, देखकर, बोलकर आदि के आधार पर फ्रेरानल्ड (1943) में दृश्य, श्रव्य तथा सौंदर्यानुभूति का विकास किया। एक बार यदि शब्द ज्ञान में दक्षता प्राप्त कर ले तो सहायता कर सकता है तथा उनकी प्रगति अथवा कमियों के बारे में बता

नोट

सकता है। इस प्रकार नए शब्दों का शिक्षण किया जा सकता है। बालकों को शब्द अथवा कोई लेखन का संगठन एवं व्यवस्था किस प्रकार किया जाता है तो वह वाक्य तथा कहानी लिखना प्रारम्भ कर देता है तथा धीरे-धीरे पढ़ना भी प्रारम्भ कर देता है। बहुइन्द्रिय कार्य अथवा ज्ञान देने कर अनेक विधियाँ हैं।

सीधे अनुदेशन देने की क्रिया में निर्धारण अनुदेशन तथा मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। शिक्षण एक सीधे अनुदेशन की व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत त्रुटियों की संभावनाएँ कम हैं। इसके माध्यम से पर्याप्त रूप से अभ्यास होता है तथा शीघ्र ही पृष्ठ-पोषण दिया जाता है। शिक्षण में गणित तथा पाठन संबन्धी अंश सम्मिलित रहते हैं। शिक्षण का प्रयोग सर्वप्रथम असुविधात्मक बालकों के लिए किया गया और अब अधिगम असमर्थी बालकों के लिए भी किया जा रहा है। अधिगम आव्यूह का प्रयोग अधिगम असमर्थी बालकों के अधिगम हेतु सहायता देने में प्रयोग किया जा रहा है। स्कूल व्यवस्था के अन्तर्गत प्रबन्धन कर्ताओं की सहायता के लिए कम्प्यूटर प्राप्त अनुदेशनों को भी संमलित किया जा रहा है।

आत्म विश्वास का विकास—अधिगम असमर्थ बालकों की सहायता करने के लिए सबसे उत्तम कार्य बालकों को उनके उत्तरदायित्वों तथा कर्तव्यों का निर्धारण करना और सौंपना है। विशेषत: ऐसे बालकों को जो समस्याओं में उलझे हुए हैं। विद्यार्थियों को पालतू जानवर अथवा पौधे की देखभाल करने का कार्य महत्वपूर्ण है। इस प्रकार बालकों के मस्तिष्क पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है और वे समझेंगे कि उनके लिए विद्यालय की कक्षाओं में उपस्थिति केवल शैक्षिक शक्ति के लिए ही नहीं परन्तु किसी जीव (पालतू पशु अथवा पौधे) के जीवन के लिए भी है। अध्यापक का इस प्रकार का व्यवहार बालकों में आत्मविश्वास एक नाटकीय विधि से ओत-प्रोत होता है।

अधिगम असमर्थी बालकों की कक्षा का प्रबन्धन (Classroom Management of Learning Disabled Children)

विलियम और *हाउन्सेल* (1998) में अपने लेख अधिगम असमर्थी बालकों की शिक्षा आव्यूह में कहा है कि—"अधिकांश अधिगम असमर्थी बालक में शैक्षिक शक्ति सामान्य बालकों के समान होती है परन्तु उनकी शक्तियां छुपी हुई होती हैं जिन्हें उजागर करने के लिए तथा उपलब्धियाँ प्राप्त करने के लिए उन्हें कुछ सहायता की आवश्यकता होती है।"

"Many learning disabled students have the academic potential of non-disabled students but requires some assistance in unveiling their potential and turning it into achievement."

(1) शिक्षण आव्यूह (Teaching Strategy)—शारीरिक व मानसिक रूप से बाधित बालकों के अधिगम के लिए निम्नलिखित आव्यूह है।

(1) अधिगम असमर्थी बालकों के द्वारा सराहनीय कार्य अथवा सफलतापूर्वक किए गए कार्य के प्रति अध्यापक का एक महत्वपूर्ण कर्त्तव्य है कि वह बालकों की सहायता करें तथा उनका ध्यान दें। बालकों पर अधिगम असमर्थी का लेबल न चिपकाएँ जो बालकों के मनोबल को बढ़ाने में सहायक होगा।

(2) प्रविधियों को प्रयोग करना लाभदायक है कम्प्यूटर का यथासंभव प्रयोग करना भी एक अच्छी (सूझ बूझ) बुद्धिमानी का कार्य है। कम्प्यूटर का प्रयोग अधिगम असमर्थी बालकों के इन्द्रिय ज्ञान हेतु महत्वपूर्ण सलाह देने में प्रोत्साहित करता है।

(3) अधिगम असमर्थी बालक विशेषत: दूरदर्शन तथा अन्य दृष्टि से संबन्धित वस्तुओं के ज्ञान को आसानी से ग्रहण करते हैं।

(4) संगीत की आवाज तथा चित्रों के माध्यम से अधिगम असमर्थी बालकों की शिक्षा में सजीवता लाई जा सकती है।

(2) शिक्षा कक्षा का संगठन (Organization of Classroom)—अधिगम असमर्थी बालकों के अध्यापक को कक्षा के समय का निर्धारण कार्य अनुरूप करना चाहिए। समय का निर्धारण कुछ इस प्रकार करना चाहिए कि कड़ी मेहनत करने वाले कार्यों को अधिक समय देकर आराम से किया जा सके। बालक कार्य को आनन्द के साथ चारों ओर घूम-घूमकर कर सके। अध्यापक को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए।

बालकों के बैठने की व्यवस्था (Seating Arrangement)—अधिगम असमर्थी बालकों की कक्षा में बैठने की व्यवथा

नोट

करते समय ध्यान रखना चाहिए।

(1) डेस्क एक स्थान पर गुच्छे के रूप में होने चाहिए अर्थात् दूर-दूर नहीं फैले होने चाहिए, जो बालकों के साथ विचार विमर्श करने अथवा एक साथ मिलकर कार्य करने में सहायक होता है जिससे वे अनुकरण कर सके।

(2) बालकों के लिए नए शब्दों का शिक्षण करते समय शब्दों को बार-बार दोहराना चाहिए जो उन्हें याद करने हैं।

(3) अध्यापक द्वारा बालकों को सौंपे जाने वाले कार्य की योजना बनानी चाहिए तथा उनके द्वारा किए जाने वाले मूल कार्यों पर बल देना चाहिए जिससे बालकों के मस्तिष्क में कार्य के प्रति किसी प्रकार का संशय न हो।

(4) पहले बालक से सीधे तथा सरल कार्य कराने चाहिए। इसके पश्चात धीरे-धीरे कठिन कार्यों को एक के बाद एक जोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जैसे–जैसे विद्यालय का समय व्यतीत होता है उसी के अनुरूप अधिगम असमर्थी बालकों को आसानी से संकीर्ण कार्य की ओर ले जाना चाहिए।

(3) आकलन आव्यूह (Assessment Strategies)—अधिगम असमर्थी बालकों के आकलन आव्यूह निम्नलिखित हैं–

अधिगम असमर्थी बालकों का आकलन करते समय, अध्यापक को कार्य स्पष्ट रूप से करना चाहिए तथा बालकों के शिक्षा से संबन्धित विशेषताओं के रूप गुणों के आधार पर उनको परीक्षाफल के रूप में 'अंक' देने चाहिए। बालकों की परीक्षा के लिए प्रश्न बनाते समय यह विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बहुविकल्प प्रश्न में उपयुक्त उत्तर सुनिश्चित हों।

अध्यापकों को शिक्षा कक्ष की मुख्यधारा को व्यक्तिगत स्तर पर बनाना होता है जहाँ वैयक्तिक अन्तर स्वीकार किए जाते हैं तथा उनका मूल्य होता है। अध्यापक को चाहिए कि वह बालकों का मार्ग दर्शन करें तथा बालकों के अधिगम को अपना व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के रूप में स्वीकार करें। अध्यापकों को बालकों के मध्य सहयोगपूर्ण कार्य करना, बालकों की समस्याओं को हल करना तथा बालकों को स्वेच्छानुसार कार्य करने को बढ़ावा देना चाहिए। अध्यापकों को विशेष रूप से ध्यान रखना होता है–

(1) कक्षा के वातावरण के बारे में बालकों की अनुक्रिया को स्वीकार करना चाहिए।

(2) प्रत्एक बालक को प्रेरित करने के लिए बालकों को विभिन्न विकल्प देने चाहिए।

(3) छोटे-छोटे सामूहिक कार्यों को स्व-निर्भरता के आधार पर करने के लिए बालकों को प्रेरणा देनी चाहिए।

(4) विद्यार्थियों के कर्त्तव्यों, नियन्त्रण तथा उत्तरदायित्वों को बढ़ाए।

(5) औपचारिक तथा अनौपचारिक बैठक करें।

(6) प्रत्एक बालक की प्रगति जानने के लिए बालकों का मूल्यांकन तथा आकलन करे।

सामान्य कक्षाओं में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाए–

(1) नियोजित कार्यक्रम को बचाया जाए अर्थात् न किया जाए।

(2) उदासीन बालकों को मध्य में बैठाया जाए।

(3) साथियों के द्वारा पढ़ाने का उपयोग करें तथा अधिगम असमर्थी बालक को अध्यापन का कार्य करने को दिया जाए।

(4) पढ़ाए गए पाठ्यक्रम के अनुरूप गृह कार्य दिया जाए।

(5) बालकों के माता-पिता अथवा संरक्षकों के साथ घनिष्ठ संबन्ध होने चाहिए।

(6) बालकों की आवश्यकता के अनुसार कार्यक्रम बनाए जाएँ।

(7) कार्यों का विश्लेषण किया जाए तथा बालक को अधिगम हेतु एक क्रम का अनुसरण किया जाए।

टास्क सामान्य अध्यापक अधिगम वाछित बालकों की समस्याओं को दूर करने में किस प्रकार अपना योगदान दे सकते हैं

नोट

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

दिए गए कथनों के सामने सही (✓) अथवा गलत (✗) का निशान लगाएँ–

(State whether the following statements are True or False)

1. अधिगम बाधित बालकों की चिकित्सा के लिए मुद्रित सामग्री का प्रयोग अनपेक्षित माना जाता है। ☐
2. शिक्षक का स्वभाव लचीला होता है। ☐
3. अधिगम असमर्थ बालकों की कमियों को दूर करने का एक मात्र उपाय उनमें माता-पिता है। ☐
4. अधिगम असमर्थ बालक शब्दों की वर्तनी में अधिक गलतियाँ करते हैं। ☐

18.2 अधिगम असमर्थ बालकों के लिए सुझाव (Suggestions for Learning Disabled Children)

अधिगम असमर्थी बालकों के साथ कार्य करने के संबन्ध में कुछ मुख्य सुझाव निम्नलिखित हैं–

(1) सुलेख में सुधार (Improving Hand Writing)–साधारणतः अधिगम बाधित बालकों का सुलेख अच्छा नहीं होता है उसके अनेक कारण होते हैं–बालकों की कमजोर स्मृति, विभेदीकरण की क्षमता का अभाव, शारीरिक अंगों में समुचित सामंजस्य नहीं होता, सुलेख की आदतों का विकास भी नहीं हो पाता है आदि। बालकों की मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाने के लिए इच्छानुसार अभ्यास कराए जा सकते हैं जैसे किसी वस्तु को काटना, मिट्टी की आकृति अथवा वस्तु बनाना आदि। पैन्सिल तथा कागज पर लिखने से पहले चाक से लिखने का अभ्यास कराना चाहिए। लिखने के लिए पैन्सिल हाथ के अंगूठे तथा बीच की उंगली के बीच में होनी चाहिए। तर्जनी उंगली से पैन्सिल अथवा पैन अथवा रंग अर्थात् जो भी वस्तु प्रयोग की जा रही है उस पर दबाव डालना चाहिए। विशिष्ट रूप से कठिनाई का अनुभव करने वाले बालकों को शिक्षा के ग्राफ पेपर का प्रयोग पर्याप्त रूप से उपयोगी होता है। एक सृजनात्मक अध्यापक अधिगम असमर्थी बालकों के हस्त लेखन में निम्नलिखित प्रविधियों का प्रयोग करके सुधार ला सकता है–

(1) फर्श पर अक्षरों को चिपका दें उन्हें रंग बिरंगी चाक का प्रयोग कर दोबारा बनावाएँ, इससे बच्चों को अनुकरण का अवसर मिलता है।

(2) शब्दों को बनाने के लिए बालक को छड़ी और उसके शरीर का प्रयोग करने दें।

(3) कागज पर लाल रंग के मोटे कलम से अक्षर/शब्द लिखें।

(4) दिशा संबन्धी आकृतियाँ जैसे हरे तीर अथवा लाल बिन्दुओं आदि विभिन्न रंगों के माध्यम से बालकों से बनवाएँ।

(5) बालकों को हस्तलिखित शब्द जो कुछ झुके (तिरछे) हों पढ़ाएँ। यह बालकों को बाएँ से दाएँ क्रम में प्रेरित करेगा तथा बालकों के तिरछे शब्द लिखने में सहायक होगा।

(6) बालकों को छोटे अक्षर (a, b, c) एक रेखा के ऊपर लिखवाने से प्रारम्भ किया जाए और अभ्यास भी कराया जाए।

(7) बालकों के द्वारा ऐसे अक्षर, शब्दों को एकत्र करें जिनको पढ़ने में वे कठिनाई का अनुभव करते हैं।

(8) जैसे बालक शब्द/अक्षर लिख रहा हो तो उसे मुंह/होठ का संचालन कराया जाए। इससे श्रवण पुनर्बलन प्राप्त होता है।

सामान्य अध्यापक, संसाधन युक्त अध्यापक तथा शिक्षाविद्ों द्वारा बालक की पढ़ाई में विभिन्न प्रकार के आयामों का प्रयोग किया जाता है। इससे संबन्धित कुछ लाभ हैं तो कुछ हानियाँ भी होती हैं।

(2) वर्तनी में सुधार (Improving Spelling)–अधिगम असमर्थी बालक शब्दों की वर्तनी में अधिक गलतियाँ करते हैं। इसलिए निम्नलिखित कार्य शिक्षण प्रविधि का श्रेणीबद्ध प्रयोग किया जाता है–

शब्द को देखो, शब्द को बोलो, शब्द पर बोलो (शब्द को बालकों को बोर्ड आदि पर दर्शाते हुए), शब्द को ढकें,

नोट

शब्द को लिखें, वर्तनी को जाँचिए–दोहराइए। कुछ सुधार हेतु प्रविधियों में से एक के अनुसार शब्द/अक्षर चाक से लिखिवाएँ, इसके पश्चात् लिखी गई रेखाओं पर उंगलियां घुमवाएँ। जब तक लिखा हुआ अक्षर या शब्द पूर्णतया मिट न जाए इसी क्रिया को भूमि पर भी किया जा सकता है। जब बालक कोई शब्द सुने तो उससे वही शब्द बोलने के लिए कहें। बालक से कहें कि शब्द की वर्तनी को भली प्रकार से बोले तथा प्रत्एक 'स्वर' पर धीमे से ताली बजाए, यदि शब्द को देखकर ऐसा करना संभव हो तो शुद्ध उच्चारण हेतु सामूहिक अभ्यास कराया जाए।

(3) अंकगणित योग्यता में विकास करना (Developing Arthmatic Ability)–अधिगम असमर्थी बालकों के अंक गणित की त्रुटियों के सुधार करने हेतु *ऐशलोक* (1972) ने इस संबन्ध में कुछ क्रमबद्ध विधि से अनुदेशन दिए। कुछ अनुदेशन निम्नलिखित हैं–

कुछ सामान्य वस्तुएँ जैसे बटन तथा छोटे टुकड़ों के माध्यम से बालकों को गिनती पढ़ाएँ। दिखने वाली वस्तुओं का प्रयोग और बालकों को पुनर्बलन दें। कठिनाइयों को कम करने के लिए ग्राफ पेपर का प्रयोग करें। वस्तुओं की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए रंगीन चाक तथा तीर या बिन्दुओं के निशान लगाएँ। कम अथवा अधिगम परिमाण की संख्या को निरूपित करने के लिए अंकों की आकृति अंक के परिमाण के अनुसार छोटा या बड़ा बनाया जाए यथा संभव बालकों के कार्य में उदाहरण कम किए जाए तथा बालक को अनुकरण करने को न कहा जाए। बालकों को पढ़ाते समय, मानचित्र, चार्ट, उपकरण, रंगीन गोलियाँ, गणक यन्त्र आदि का प्रयोग करना लाभदायक है।

(4) पाठ्यक्रम संबन्धी सुझाव (Curricular Conserns)–अधिगम असमर्थी बालक कक्षा में अन्य बालकों की भाँति पढ़ते हैं इस प्रकार के विद्यार्थियों के लाभ हेतु विशिष्ट देखभाल की आवश्यकता है। (1) श्रवण विकास प्रत्यक्षीकरण, (2) दृष्टि विकास प्रत्यक्षीकरण (3) हाथ/पैर अथवा अन्य शारीरिक अंगों के कार्य करने के कौशल तथा (4) सामाजिक क्षेत्र में निपुणता का विकास होना आदि अधिगम असमर्थी बालकों पर विशेष रूप से ध्यान देने वाले क्षेत्र हैं।

18.3 अधिगम असमर्थ बालकों की समस्याओं का निवारण (Diagnosis of Learning Disabled Children)

पूर्व विद्यालयी स्तर पर बालकों के विकास के लक्षणों के आधार पर अधिगम बाधित बालकों की पहचान की जा सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि (2½ से 5¼) वर्ष के बालकों के शारीरिक अंगों का संचालन, सामाजिक प्रत्यय, भाषा संप्रेषण से संबन्धित क्षेत्रों पर आधारित 30 मिनट से भी कम का परीक्षण होता है। ए परीक्षण श्रव्य तथा दृश्य क्रियाकलाप, उत्सुकता, कार्य पर ध्यान देना, सामाजिक निपुर्णता, वस्तुओं की पहचान, रंग, वस्तुओं को अलग-अलग करना, भाषा को ग्रहण तथा व्यक्त करना शब्दों का स्पष्ट उच्चारण आदि से संबन्धित होते हैं।

प्रारम्भिक तथा द्वितीय स्तर पर अधिगम बाधित बालकों की पहचान करना अपेक्षाकृत सरल होता है क्योंकि इस स्तर पर उपकरण, अध्यापकों का पर्यवेक्षण तथा उपलब्धि सूचकांक होते हैं। प्रत्एक अधिगम बाधित बालकों को स्नायु परीक्षण, पठन संबन्धी परीक्षण, जिनमें उसे विभिन्न ज्यामितीय आकार को बनाने, शरीर के अंगों की जानकारी (आदमी का चित्र बनाओ परीक्षण), खोजो (आवाज को पहचानना) और जैव रासायनिक परीक्षण से गुजरना पड़ता है। तथा उपलब्धि से अतिरिक्त अधिगम बाधित बालकों को समस्याओं के निराकरण हेतु ए चिकित्सीय गुण भी आवश्यक हैं। अधिगम बाधित बालकों को निम्न परीक्षणों के आधार पर पहचाना जाता है–

(1) अनौपचारिक शब्द पहचानने का परीक्षण इसके अन्तर्गत शीघ्र पाठन स्तर तथा त्रुटियों पर ध्यान दिया जाता है।

(2) **संप्रेषण पठन**–इसके अन्तर्गत शीघ्र पठन योग्यता, त्रुटियों के प्रकार, न पहचाने जाने वाले व्यवहार संबन्धी विशेषताएँ आती हैं।

(3) अनौपचारिक अंक गणितय परीक्षण।

(4) बालकों के लिए वैस्लर का "बुद्धि परीक्षण"।

नोट

(5) स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण।

(6) शब्दावली परीक्षण।

(7) मनोवैज्ञानिक योग्यता का इलिनोइस परीक्षण।

(8) शारीरिक अंगों के विकास का परीक्षण।

(9) विनलैड सामाजिक परिपक्वता मापनी।

(10) शैक्षिक निर्धारण का काफमैन परीक्षण।

(11) विस्तृत पारस उपलब्धि परीक्षण।

18.3.1 अधिगम असमर्थ बालकों का उपचार (Remediation of LD Children)

अधिगम बाधित बालकों को सुधारात्मक अनुदेशनों से अधिक लाभ मिलता है तथा अधिगम संबन्धी समस्याओं के निराकरण में सहायता मिलती है। उपचारात्मक अनुदेशन के अन्तर्गत अच्छे शिक्षण को सम्मिलित किया जाता है इस शिक्षण के सुनिश्चित तथा विशेष, दो उद्देश्य होते हैं–

अवांछति आदतों को समाप्त करना तथा त्रुटिपूर्ण अधिगम को शिक्षण योग्यता के द्वारा सही करना, इसकी त्रुटियों को सुधारने की अनुदेशन क्रिया को सुधारात्मक कहा जाता है।

बालक को उन आदतों व्यवहार तथा योग्यताओं के बारे में समझना जिनका ज्ञान बालक को नहीं है परन्तु शैक्षिक योग्यता हेतु वे बालकों के लिए आवश्यक है। इसका शिक्षण विकास या कुशलता में वृद्धि के विकास से होता है।

सुधारात्मक अनुदेशन के अन्तर्गत निम्न तथ्यों पर ध्यान दिया जाता है। विद्यालय विशेष विषय के संबन्ध में बालक की योग्यता, कठिनाइयों से उसकी योग्यता को पहचानना, फिर उस प्रक्रिया जिसके अन्तर्गत बालकों को सुधारात्मक अनुदेशन की आवश्यकता है और फिर उसको व्यवस्थित प्रारूप के अन्तर्गत तथा व्यक्तिगत अनुदेशन के द्वारा तथा व्यक्तिगत या छोटे-छोटे समूह में शिक्षण करके तथा समय-समय पर उसकी प्रगति का मूल्यांकन करना यदि आवश्यक हो तो उसे दोबारा पढ़ाना, अभ्यास कराना तथा प्रणालियों एवं सामग्रियों का प्रयोग करना, अधिकांश अधिगम बाधित बालकों को जब संसाधन युक्त कक्षाओं में इन उपचारात्मक अनुदेशनों की सहायता से पढ़ाते हैं तो बालकों के द्वारा किए गए कार्य में सुधार आता है जबकि सामान्य कक्षाओं में यह बहुत कठिन होता है।

संसाधन युक्त कक्षा में दिए जाने वाले चिकित्सीय उपचार कमियाँ तथा प्रशिक्षण की अवधि पर आधारित होते हैं इसलिए यह कार्यक्रम प्रतिदिन दो घण्टे से लेकर अर्ध दिवसीय हो सकते हैं। यहाँ यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि यदि बालकों को प्रारम्भिक स्कूल में ही इन सुधारों हेतु अनुदेशनों की सहायता दी जाए तो बालकों के लिए अपनी कमियों को दूर करने में सहायता मिलेगी तथा यह उनकी उच्च कक्षाओं मं प्रोन्नति में सहायक होगा।

18.3.2 अधिगम असमर्थ बालकों के लिए उपचार आयाम (Treatment Approaches of Learning Disabled Children)

अधिगम बाधित बालकों को दो आधारों पर चिकित्सा तथा व्यवस्था की जा सकती है। वह उपचार आयाम निम्नलिखित हैं–नाड़ी चिकित्सा आयाम तथा मनोशैक्षिक आयाम।

(1) नाड़ी चिकित्सा आयाम (Neurological Approach)–नाड़ी चिकित्सा आयाम के अन्तर्गत अधिगम बाधित बालक को न्यूनतम मानसिक मन्दित क्रियाओं से प्रभावित रोगी असमर्थ समझा जाता है। ऐसे बालक को इस प्रकार चिकित्सा देनी चाहिए जैसे किसी अन्य रोग तथा चोट से प्रभावित रोगी को चिकित्सा प्रदान की जाती है। असमर्थी का मुख्य लक्षण यह होता है कि इसमें बालक भावात्मक होता है। इसलिए यह तर्क संमत है कि बालक की भावुकता में सन्तुलन करने के लिए उसको सहायता प्रदान करनी होगी। भावुकता के लक्षणों में सन्तुलन करने के लिए कुछ औषधियों के उपयोग की भी सलाह दी जाती है। इन औषधियों का बालक के अधिगम पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह तथ्य शोध कार्यों के परिणामों से स्पष्ट नहीं हुआ है। इन औषधियों का बालक के द्वारा कक्षा में किए जाने वाले व्यवहार पर

नोट

सकारात्मक प्रभाव हो सकता है क्योंकि ए दवाएँ बालक की क्रिया स्तर को कम कर देती हैं तथा बालक को अधिक संयत तथा व्यवस्थित बना देती हैं। लेकिन क्या ए औषधियाँ बालक की अधिगम समस्याओं को दूर करने में भी सहायक होती हैं? इसलिए इसके लिए व्यवहार संबन्धी आयाम या मनोशैक्षिक आयाम जो अध्यापक के ऐसे बालकों के साथ कार्य, उन्हें प्रेरित करने तथा उन्हें उपयुक्त अनुदेशन देने में अध्यापक के प्रभाव पर आधारित है।

(2) मनोशैक्षिक आयाम (Psycho-Educational Approach)—मनोशैक्षिक आयाम के अन्तर्गत अधिगम बाधित बालक को रोगी न मानकर ऐसा बालक माना जाता है जो सब कुछ सीख सकता है। मनो शैक्षणिक आयाम के अनुसार अधिगम बाधित बालकों की पहचान प्रारम्भिक स्तर पर ही शीघ्र कर लेनी चाहिए तथा उनकी चिकित्सकीय तथा मनोवैज्ञानिक सहायता के आधार पर पहचान करनी चाहिए ताकि उनकी कठिनाइयों व त्रुटियों को सही प्रकार से समझा जाए तथा उनकी बाधिता के परिमाण के आधार पर उनको नियमित कक्षाओं, संसाधन कक्षा में, विशिष्ट कक्षाओं में तथा विशिष्ट स्कूलों में उपयुक्त अनुदेशन तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सके। अधिगम बाधित बालकों की शिक्षा व प्रशिक्षण से संबन्धित विभिन्न आयाम हैं। इन आयामों को पाँच वर्गों अन्तर्गत विभाजित किया जा सकता है।

(1) प्रशिक्षण प्रक्रिया आयाम (Process Training Approach),

(2) बहु इन्द्रिय आयाम (Multisensory Approach),

(3) वातावरण संबन्धी आयाम (Environmental Approach),

(4) ज्ञानात्मक प्रशिक्षण आयाम (Cognitive Training Approach) तथा

(5) अन्य विशिष्ट आयाम (Other Special Approach)।

(1) प्रशिक्षण प्रक्रिया आयाम (Process Training Approach)—इस तथ्य पर आधारित है कि शैक्षिक विषयों को याद करने के लिए आवश्यक मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को समझने की आवश्यकता होती है। अधिगम बाधित बालक की मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएँ सही क्रम में नहीं होती और मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का यह गलत क्रम उसके समझने में, बोलने में, लिखने में, पढ़ने में तथा गणितीय क्षेत्र में आवश्यक होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि अधिगम बाधित बालक को मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का भी प्रशिक्षण दिया जाए। जो विभिन्न शैक्षिक विषयों के अन्तर्गत करनी होती है। उदारहणार्थ यदि अधिगम बाधित बालक को दृश्य बोध में कठिनाई के कारण वाचन प्रक्रिया में समस्या आ रही है तो उस बालक को दृश्य बोध का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।

(2) बहु इन्द्रियाँ आयाम (Multisensory Approach)—बहुइन्द्रिय आयाम इस तथ्य पर आधारित है कि यदि बालक को एक से अधिक इन्द्रि सीखने के अनुभव में क्रियाशील होगी तो बालक अधिक सीखने का उत्सुक होगा, इस प्रकार की एक प्रणाली को दृश्य श्रव्य विधि कहते हैं। उदाहरणार्थ—अध्यापक बालक से कहानी सुनाने के लिए कहता है, अध्यापक बालक द्वारा कहे गए शब्दों को लिख लेता है फिर अध्यापक उन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखता है और ए शब्द बालक की पढ़ने की क्रिया में सहायक होते हैं। शब्दों को याद करने के लिए, बालक श्यामपट्ट पर लिखे शब्द को देखता है। जब अध्यापक उस शब्द को बोलता है तो बालक उस शब्द को सुनता है तथा शब्द को बोलता है अन्त में बालक शब्द को पहचान लेता है वह समझ लेता है। दूरदर्शन अधिक प्रभावशाली होता है दृश्य-श्रव्य दोनों क्रियाशील रहते हैं।

(3) वातावरण संबन्धी आयाम (Environmental Approach)—अधिगम बाधित बालक सामान्यत: तोड़-फोड़ वाले तथा भावात्मक होते हैं। कुछ शिक्षाविद् ऐसे बालकों के लिए वातावरण संबन्धी आयाम का सुझाव देते हैं। वातावरण संबन्धी आयाम के द्वारा कक्षा के वातावरण से उन अनुपयुक्त उद्दीपन को कम किया जा सकता है जो बालक का अधिगम कार्य से ध्यान हटाती हैं। कक्षा के वातावरण से हानियों को जहाँ तक हो सके दूर करने के लिए कक्षा के वातावरण में सुधार किया जा सकता है।

(1) दीवारों तथा छत की गूँज को ध्वनित नहीं करना (No Echo)।

(2) गलीचा डालना या फर्श डालना।

(3) पारदर्शी खिड़कियों का होना।

नोट

(4) किताब रखने का स्थान तथा अलमारियों की व्यवस्था।

(5) बुलेटिन बोर्ड का सीमित उपयोग करना।

(6) दीवारों पर टंगे हुए कैलेण्डर, चित्र तथा अन्य वस्तुओं को हटा देना।

(7) कक्षा के बाहर के वातावरण को ध्वनि रहित व आकर्षण रहित बनाना।

(8) शिक्षण सामग्री रंगों, आकार व व्यापकता को बढ़ाना।

(4) ज्ञानात्मक प्रशिक्षण आयाम (Cognitive Training Approach)—अधिकांश अधिगम बाधित बालकों की समस्याओं का समाधान करने में कुछ त्रुटियां रह जाती हैं। वे कार्यों का अनुभव न करके, कार्य करते हैं तथा अन्य विकल्पों को बिना सोचे समझे शीघ्रता से किसी भी प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। उनकी दो पद्धतियाँ उपयोगी होती है। ए पद्धतियाँ निम्न हैं।

(अ) ज्ञानात्मक प्रारूप (Cogntive Modelling) तथा

(ब) स्वत: अनुदेशन प्रशिक्षण (Self-Instructional Training)।

(अ) ज्ञानात्मक प्रारूप (Cognitive Modelling)—ज्ञानात्मक प्रारूप को कभी-कभी स्मृति, तथा ज्ञानात्मक व्यवहार परिवर्तन आव्यूह समझ लिया जाता है। इस विधि के आधार पर बालक को इस तथ्य की जानकारी दी जाती है कि लोग कैसे सीखते हैं तथा कैसे याद रखते हैं ज्ञानात्मक प्रारूप के अनुसार अधिगम बाधित बालक के समक्ष उसके सहपाठी का उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। जो उससे अधिक योग्य होता है ताकि वह उस व्यस्क अथवा साथी का अनुसरण कर सके तथा उपयुक्त तथ्य सीख सकें। इस पद्धति के द्वारा अधिगम बाधित बालक को यह सिखाया जाता है कि किसी शब्द को पढ़ने से पहले या किसी प्रश्न का उत्तर देने से पहले थोड़ा रुकना चाहिए। सारे संकेत तथा संभावनाओं को ध्यान से देखना चाहिए तथा फिर ध्यान से किसी प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। याद करने के संबन्ध में बालकों को छोटे-छोटे खण्डों में सूचनाओं को एकत्र करना, इन सूचनाओं को बार-बार उनके संमुख दोहराना तथा उनकी स्मृति को बढ़ाने के लिए साधन का प्रयोग करना सिखाया जाता है। जब अधिगम बाधित बालकों को सीखने तथा याद करने के प्रभावकारी उपाय बताए जाते हैं तो उनमें आवश्यक सुधार किया जाए।

(ब) स्वत:अनुदेशन प्रशिक्षण (Self-Instruction Training)—इस प्रारूप को स्वयं अनुदेशन प्रशिक्षण के अन्तर्गत समायोजित किया जा सकता है। स्वयं अनुदेशन प्रशिक्षण के द्वारा बालक को स्वयं के शाब्दिक व्यवहार पर नियन्त्रण करने के लिए प्रेरित किया जाता है। उदाहरणार्थ—

(1) अध्यापक स्वयं जोर-जोर से बोलकर कोई कार्य करता है जैसे गणित की किसी समस्या को हल करना।

(2) बालक उसी कार्य को अध्यापक के निर्देशन पर अभ्यास करता है।

(3) जब बालक कार्य करता है तो वह अनुदेशनों को स्वयं वाचन करता है, तथा

(4) बालक स्वत: अनुदेशन के द्वारा कार्य करके काम पूरा कर लेता है।

स्वयं अनुदेशन प्रशिक्षण के माध्यम से बालक को सीखने की परिस्थितियों में अपना कार्य कम करने में तथा ज्ञानात्मक कार्यों के लिए उसको स्वयं के आयाम की जानकारी में सहायता मिलती है।

(5) अन्य विशिष्ट आयाम तथा प्रविधियाँ (Other Special Approaches and Techniques)—अधिगम बाधित बालकों में कुछ विशेषताएँ होती हैं उनमें दृष्टि संबन्धी दोष नहीं दिखाई देता है पर उनको दृष्टि बोध, दृष्टि ग्राह्यता, दृश्य संबन्धी वर्णन तथा दृश्य संबन्धी स्मृति में कठिनाई होती है। इसी प्रकार अधिगम बाधित बालकों में श्रवण संबन्धी दोष नहीं होता पर उन्हें श्रव्यात्मक जानकारी, श्रव्यात्मक अन्तर तथा श्रव्यात्मक स्मृति में कठिनाई होती है, उन्हें ध्यान और स्मृति की समस्या का सामना करना पड़ता है यह सब कठिनाइयाँ उनकी भाषा को समझने में बाधक होती हैं तथा उनकी वाचन व लेखन योग्यता एवं सुनने के कौशल में अवरोध उत्पन्न करती है। इसलिए अधिगम बाधित बालकों के लिए इन क्षेत्रों में विशिष्ट प्रशिक्षण बहुत उपयोगी होता है। संसाधन विशेषज्ञ अध्यापक अधिगम बाधित बालकों को संसाधन कक्ष में इस प्रकार का विशेष प्रशिक्षण दे सकते हैं। अधिगम बाधित बालकों के लिए निम्न आयाम तथा क्रियाएँ बहुत उपयोगी है।

(अ) श्रवण का अभ्यास (Listening Exercise)–अधिगम बाधित बालकों को सुनने की समस्या होती है तथा इस समस्या के कारण उनकी श्रव्य संबन्धी योग्यता की प्राप्ति तथा उनके निर्देशनों को अनुकरण करने संबन्धी योग्यता में कठिनाई होती है। ऐसे बालकों के लिए सुनने का अभ्यास लाभकारी होता है। एक अभ्यास के अन्तर्गत कोई व्यक्ति जो उस स्थान पर नहीं दिखाई देता है विभिन्न ध्वनियाँ बोलता है तथा बालकों से उन ध्वनियों को पहचानने के लिए कहा जाता है। जब बालकों का समूह बाहर घूमने के लिए जाता है तो बालकों से सामान्य ध्वनि सुनने के लिए कहा जा सकता है जैसे–दौड़ती हुई गाड़ी, छुक-छुक करती रेल तथा गाती हुई चिड़िया की आवाज। सुनने की समस्या से प्रभावित बालकों को शब्दों को समझने की क्षमता को सुधारने के लिए अध्यापक मौखिक निर्देशन दे सकता है यह निर्देशन छोटे तथा सामान्य होने चाहिए ताकि बालकों की यह कठिनाई कम हो। बालकों की सुनने तथा समझने की शक्ति को बढ़ाने के लिए पहेलियों की भी सहायता ली जा सकती है।

(ब) अधिगम का विभेदीकरण (Discrimination Learning)–अधिगम बाधित बालकों को एक अक्षर से दूसरे अक्षर को अन्तर करने में कठिनाई होती है वे एक शब्द को दूसरे शब्द से तथा एक संख्या को दूसरी संख्या से अन्तर नहीं कर पाते हैं। बालकों की अन्तर संबन्धी समस्या को दूर करने के लिए विभेदीकरण अधिगम सहायक सिद्ध होता है। इस अधिगम के अन्तर्गत बालक को दो अक्षरों, शब्दों तथा संख्याओं के बीच समानता तथा असमानताओं के विषय में बतलाना चाहिए तथा फिर बालक को सही उत्तर बतलाना चाहिए। (जैसे 6-9 तथा 3-8) अधिगम बाधित बालकों को अक्षरों, शब्दों तथा संख्याओं को पढ़ाने के लिए प्रारम्भ में इन अक्षरों को नए कागज पर रंगों में बड़े आकार में लिखना चाहिए, बालक इन अक्षरों को शब्दों को तथा संख्याओं को जोर-जोर से बोलकर रट लेते हैं। इन अक्षरों, शब्दों तथा संख्याओं के लिए श्रव्यात्मक तथा दृश्यात्मक ध्यान आवश्यक है। बालकों की दोहराने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(स) दृश्य ग्राह्यता का प्रशिक्षण (Visual Reception Training)–श्रव्य ग्राह्यता प्रशिक्षण के अन्तर्गत बालक को सामान्य वस्तुओं की पहचान करवाई जाती है उन वस्तुओं का नाम बताकर उनका प्रयोग समझाकर तथा वस्तुओं से संबन्धित अन्य वस्तु के बारे में बताकर सामान्य वस्तुओं की जानकारी दी जाती है। बालकों से संसाधन कक्ष में शीशे के सामने खड़े होने के लिए कहा जाता है तथा उनसे जो कुछ वे शीशे में देखते हैं उसके बारे में बताने के लिए कहा जाता है। बालकों को कोई चित्र दे दिया जाता है तथा बालकों से उस चित्र के अन्तर्गत चित्रित वस्तु तथा रंग, आकार पृष्ठ भूमि तथा अन्य विवरणों के बारे में बताने के लिए कहा जा सकता है।

(द) श्रव्यात्मक-स्मृति प्रशिक्षण (Visual Memory Training)–यदि बालकों के नेत्र बन्द करके अपने वस्त्रों तथा बुलेटिन बोर्ड अथवा अन्य बालकों के बारे में बताने के लिए कहा जाए तो बालकों की श्रव्यात्मक-स्मृति विकसित होती है।

(य) स्थान संबन्धी प्रशिक्षण (Spatial Training)–बालकों से किसी वस्तु की ऊपर, तल तथा पीछे के बारे में पूछकर तथा ऊपर, नीचे, में छोटा, बड़ा, भारी आदि इन अवधारणाओं के बारे में बताया जा सकता है।

(र) श्रव्यात्मक जानकारी प्रशिक्षण (Auditory Awarness Training)–बालकों से ध्वनियों के बारे में पूछकर जिनको वे सामान्यत: सुनते हैं बालकों की श्रव्यात्मक जानकारी बढ़ाई जा सकती है। बालक प्रत्एक ध्वनि को पहचान सकते हैं और इसके बारे में बता सकते हैं। अध्यापक किसी बालक के कान से कुछ दूरी पर हाथ की घड़ी रखता है तथा बालक से घड़ी की आवाज सुनने के लिए कहता है बालक से कहा जाता है कि यदि वह घड़ी की आवाज न सुन पाए तो हाथ ऊपर उठा दें। इसी प्रकार समय-समय पर बालक से विभिन्न ध्वनियों को सुनने के लिए कहा जा सकता है।

(ल) श्रव्यात्मक विभेदीकरण अभ्यास (Auditory Discrimination Exercise)–श्रव्यात्मक अन्तर अभ्यास के अन्तर्गत घड़ी को छिपा दिया जाता है तथा बालक से यह पूछा जाता है कि घड़ी किस दिशा में रखी हुई है। अध्यापक मेज को थपथपा सकता है तथा बालक से सुनने के लिए कहता है तथा फिर स्वयं थपथपाहट को गिनकर बालक से यह

नोट

पूछता है कि उसने मेज को कितनी बार थपथपाया? किसी बालक के नेत्रों पर पट्टी बाँधकर बालक से उसकी कक्षा के सहपाठी की आवाज को सुनकर सहपाठी को पहचानने के लिए कहा जाता है, इस प्रकार के अभ्यास घर में किए जाएँ।

(म) श्रव्यात्मक स्मृति एवं क्रमागत प्रशिक्षण (Auditory Memory and Sequencing Training)–स्मृति तथा अनुक्रम के विकास हेतु बालकों के श्रव्यात्मक अनुदेशनों को, फोन नम्बर को दोहराने के लिए कहा जाता है, वे शिशु कविताएँ तथा गीत याद कर सकते हैं तथा उन बातों को याद रख सकते हैं जो उनसे बाद में पूछी जाएँगी। अध्यापक बालकों को साधारण चुटकले सुना सकते हैं तथा बालकों से उन्हें दोहराने के लिए कह सकते हैं।

18.7 सारांश (Summary)

- अधिगम असमर्थ बालकों के लिए शिक्षण आव्यूह–(1) दिवसीय विद्यालय; (2) सामान्य विद्यालय में विशिष्ट कक्षाएँ।
- **अधिगम बाधित बालकों हेतु सुधारात्मक आयाम**–इन व्यवस्थाओं से युक्त नियमित कक्षाओं में सामान्य अथवा साधारण रूप से अधिगम बाधित बालक सन्तोषजनक कार्य कर सकते हैं सामान्य कक्षा पाठ्यक्रम में कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। कुछ सामान्य सुधारात्मक प्रविधियाँ यह हैं। परन्तु इन प्रविधियों के साथ-साथ कुछ विशिष्ट सैद्धान्तिक प्रारूप का भी प्रयोग अधिगम बाधित बालक के लिए किया जाना आवश्यक है–(1) ज्ञानात्मक प्रक्रिया आयाम; (2) विशिष्ट प्रविधियों से युक्त आयाम; (3) व्यवहार संबन्धी आयाम;
- **अधिगम असमर्थी बालकों के लिए शिक्षा की विधियाँ एवं प्रविधियाँ**–यद्यपि ऐसे बालकों के शिक्षण हेतु अलग विधियाँ हैं परन्तु कुछ अनुदेशन प्रविधियाँ सामान्य बालकों की शिक्षा के समान हैं। अधिगम असमर्थ बालकों की शिक्षा हेतु निम्नलिखित प्रविधियाँ संस्तुति की जाती हैं–

  (1) छोटे-छोटे बालकों को सुझाव दिए जाने का प्रयोग करें। इनके अनुदेशनों का मुद्रण बड़ा होना चाहिए।

  (2) भाषा का प्रयोग करें। संकेत के शब्दों को रंगीन बनाएँ।

  (3) पाठ के अन्त में, संपूर्ण पाठ में क्या-क्या बताया गया है? इसके बारे में बालकों को सारांश रूप में दोहराएँ।
- बालकों का मार्ग दर्शन करके सोचने में निपुणता का विकास किया जा सकता है। इसके लिए बालकों से पढ़ने, सुनने, ध्यान से देखने तथा विभिन्न वस्तुओं में भेद करने के लिए आंकड़े एकत्र कर सकते हैं तथा उन आंकड़ों में भिन्नता तथा समानता के आधार पर बालकों की सोचने की शक्ति का विकास संभव हो सकता है।
- इन भिन्नता में प्रगति के लिए अध्यापक द्वारा प्रश्न पूछने की प्रक्रिया का प्रयोग किया जा सकता है। बालकों को आंकड़ों को श्रेणीबद्ध करना तथा वर्गीकरण करने के लिए कहा जाए। इसे एक स्तर पर करना महत्वपूर्ण है।*
- **अधिगम असमर्थ बालकों की शिक्षा में अध्यापक की भूमिका**–अधिगम बाधित बालकों की समस्याओं का निराकरण करने में अध्यापक निम्नलिखित योगदान दे सकते हैं और इन भूमिकाओं का निर्वाह कर सकते हैं–अधिगम असमर्थ बालकों का प्रबन्धन।
- *विलियम* और *हाउन्सेल* (1998) में अपने लेख अधिगम असमर्थी बालकों की शिक्षा आव्यूह में कहा है कि–"अधिकांश अधिगम असमर्थी बालक में शैक्षिक शक्ति सामान्य बालकों के समान होती है परन्तु उनकी शक्तियां छुपी हुई होती हैं जिन्हें उजागर करने के लिए तथा उपलब्धियाँ प्राप्त करने के लिए उन्हें कुछ सहायता की आवश्यकता होती है।"
- अधिगम असमर्थी बालकों के साथ कार्य करने के संबन्ध में कुछ मुख्य सुझाव निम्नलिखित हैं–

  (1) सुलेख में सुधार–साधारणत: अधिगम बाधित बालकों का सुलेख अच्छा नहीं होता है उसके अनेक कारण होते हैं–बालकों की कमजोर स्मृति, विभेदीकरण की क्षमता का अभाव, शारीरिक अंगों में समुचित सामंजस्य नहीं होता, सुलेख की आदतों का विकास भी नहीं हो पाता है।

  (2) वर्तनी में सुधार–अधिगम असमर्थी बालक शब्दों की वर्तनी में अधिक गलतियाँ करते हैं।

  (3) अंकगणित योग्यता में विकास करना–अधिगम असमर्थी बालकों के अंक गणित की त्रुटियों के

सुधार करने हेतु *ऐशलोक* (1972) ने इस संबन्ध में कुछ क्रमबद्ध विधि से अनुदेशन दिए। कुछ अनुदेशन निम्नलिखित हैं।

(4) **पाठ्यक्रम संबन्धी सुझाव–**अधिगम असमर्थी बालक कक्षा में अन्य बालकों की भाँति पढ़ते हैं इस प्रकार के विद्यार्थियों के लाभ हेतु विशिष्ट देखभाल की आवश्यकता है।

- प्रारम्भिक तथा द्वितीय स्तर पर अधिगम बाधित बालकों की पहचान करना अपेक्षाकृत सरल होता है क्योंकि इस स्तर पर उपकरण, अध्यापकों का पर्यवेक्षण तथा उपलब्धि सूचकांक होते हैं। प्रत्एक अधिगम बाधित बालकों को स्नायु परीक्षण, पठन संबन्धी परीक्षण, जिनमें उसे विभिन्न ज्यामितीय आकार को बनाने, शरीर के अंगों की जानकारी (आदमी का चित्र बनाओ परीक्षण), खोजो (आवाज को पहचानना) और जैव रासायनिक परीक्षण से गुजरना पड़ता है। तथा उपलब्धि से अतिरिक्त अधिगम बाधित बालकों को समस्याओं के निराकरण हेतु ए चिकित्सीय गुण भी आवश्यक हैं।
- अधिगम बाधित बालकों को सुधारात्मक अनुदेशनों से अधिक लाभ मिलता है तथा अधिगम संबन्धी समस्याओं के निराकरण में सहायता मिलती है। उपचारात्मक अनुदेशन के अन्तर्गत अच्छे शिक्षण को सम्मिलित किया जाता है इस शिक्षण के सुनिश्चित तथा विशेष, दो उद्देश्य होते हैं।
- अवांछति आदतों को समाप्त करना तथा त्रुटिपूर्ण अधिगम को शिक्षण योग्यता के द्वारा सही करना, इसकी त्रुटियों को सुधारने की अनुदेशन क्रिया को सुधारात्मक कहा जाता है।
- संसाधन युक्त कक्षा में दिए जाने वाले चिकित्सीय उपचार कमियाँ तथा प्रशिक्षण की अवधि पर आधारित होते हैं इसलिए यह कार्यक्रम प्रतिदिन दो घण्टे से लेकर अर्ध दिवसीय हो सकते हैं। यहाँ यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि यदि बालकों को प्रारम्भिक स्कूल में ही इन सुधारों हेतु अनुदेशनों की सहायता दी जाए तो बालकों के लिए अपनी कमियों को दूर करने में सहायता मिलेगी तथा यह उनकी उच्च कक्षाओं मं प्रोन्नति में सहायक होगा।

18.4 शब्दकोश (Keywords)

- **संश्लेषण–** जोड़ना, मिलाना।
- **पठन–** पढ़ने की क्रिया, पढ़ना।
- **अनुदेश–** शिक्षा, निर्देश, संकेत।

18.5 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

1. अधिगम बाधित बालकों हेतु शिक्षण आव्यूह का वर्णन कीजिए।
2. अधिगम बाधित बालकों के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण सुझावों का उल्लेख करें।
3. अधिगम बाधित बालकों की समस्याओं का निवारण किस प्रकार संभव है? समझाइए।

उत्तर : स्व-मूल्यांकन (Answer: Self Assessment)

1. (✗) 2. (✓) 3. (✗) 4. (✓)

18.10 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

पुस्तकें

1. *शारीरिक रूप से विकलांग बालक–* योगेन्द्र कुमार शर्मा, कनिष्क पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
2. *विशिष्ट शिक्षा–* कुमार संजीव, जानकी प्रकाशन, पटना।
4. *विशिष्ट बालक–* अवधारणा, विकास एवं शिक्षा, के. के. पब्लिकेशंस, नई दिल्ली।

नोट

इकाई–19: प्रतिभाशाली बालकः परिभाषा, प्रकार एवं विशेषताएँ (Gifted Children: Identification, Types and Characteristics)

अनुक्रमणिका (Contents)

उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तावना (Introduction)

19.1 प्रतिभाशाली बालक की परिभाषा (Definition of Gifted Children)

19.2 प्रतिभाशाली बालक की अवधारणा एवं विकास (Concept and Development of Gifted Children)

19.3 प्रतिभासंपन्नता के सिद्धांत (Theories of Giftedness)

19.4 प्रतिभासंपन्नता बालकों की विशेषताएँ (Characteristics of Gifted Children)

19.5 सारांश (Summary)

19.6 शब्दकोश (Keywords)

19.7 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

19.8 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

उद्देश्य (Objectives)

विद्यार्थी इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् सक्षम होंगे–

- प्रतिभाशाली बालक की अवधारणा से परिचित होंगे।
- प्रतिभाशाली बालक की विशेषताओं से अवगत होंगे।

प्रस्तावना (Introduction)

अन्य विशिष्ट बालकों की भाँति ही प्रतिभाशाली बालक भी वर्तमान शिक्षा पद्धति से सामान्य कक्षाओं में लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। कभी-कभी तो ए अपनी विलक्षण बुद्धि व क्षमताओं के कारण सामान्य परिस्थितियों में समायोजित नहीं हो पाते हैं और समस्यात्मक बालक घोषित कर दिए जाते हैं। पिछले कुछ दशकों से अधिकांश पश्चिमी देशों में शैक्षिक रूप से पिछड़े एवं विकलांक बालकों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है किन्तु प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशेष योजनाएँ व शैक्षिक व्यवस्था कहीं-कहीं ही उपलब्ध है।

प्रतिभाशाली बालक प्रायः अपने स्तर के उन सभी कार्यों को बिना किसी की सहायता के कुशलता से कम समय में ही पूरा कर लेते हैं जिनकी उनसे अपेक्षा की जाती है। अपने खाली समय में ए बालक कुछ अधिक व विशिष्ट प्रकार का कार्य करना चाहते हैं जबकि मध्यम स्तर के परिवारों व विद्यालयों में इनको अपनी विलक्षणता को किसी सृजनात्मक व मौलिक रूप में प्रगट या प्रयुक्त करने के अवसर नहीं मिल पाते हैं। फलस्वरूप ए समाज व विद्यालय में कुसमायोजन की समस्या को तो जन्म देते ही हैं, साथ ही उनकी प्रतिभासंपन्नता भी व्यर्थ हो जाती है। कभी-कभी

नोट

अपनी इस विलक्षणता का उपयुक्त उपयोग न हो सकने के कारण ए बालक असामाजिक कार्यों में संलग्न हो जाते हैं और शातिर अपराधी बन जाते हैं।

प्रतिभाशाली बालकों से संबन्धित सभी समस्याओं पर दृष्टिपात करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रतिभाशाली बालकों को विशेष शिक्षा देने व उनकी प्रतिभा को मुखरित करने के लिए विशिष्ट कक्षाओं, अध्यापकों, विद्यालयों व व्यवसायों के प्रशिक्षण की व्यवस्था का होना भी अत्यंत आवश्यक है। इन सभी पहलुओं पर विचार करने व सुझाव देने से पहले यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि प्रतिभाशाली बालक से हमारा क्या आशय है तथा प्रतिभासंपन्नता क्या है?

19.1 प्रतिभाशाली बालक की परिभाषा (Definition of Gifted Children)

विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने प्रतिभाशाली बालकों को उनकी बुद्धि लब्धि के आधार पर परिभाषित किया है और उनके लिए बुद्धि लब्धि (I. Q.) के विभिन्न स्तर निर्धारित किए हैं। उदाहरणार्थ, **टर्मन** ने अपने गूढ़ अध्ययन के आधार पर 140 बुद्धि लब्धि को प्रतिभाशाली बालकों की निम्नतम बुद्धि सीमा बताया है। अन्य मनोविज्ञान शास्त्री 120 से 140 तथा उच्च बुद्धि लब्धि वाले बालकों को प्रतिभाशाली बालक मानते हैं। कुछ बालकों में बुद्धि लब्धि 180 व 190 तक भी पायी गयी है। उदाहरणार्थ, कॉक्स ने उन्नीसवीं शताब्दी के महान् दर्शनशास्त्री जॉन स्टुअर्ट मिल की बुद्धि लब्धि अनुमानत: 190 से 200 के मध्य बतायी है। गालन की बुद्धि लब्धि 200 बतायी गयी है।

प्रतिभाशाली बालक को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न दृष्टिकोणों से परिभाषित किया है। अधिकांश परिभाषाओं का मनोवैज्ञानिक आधार यही है कि 'प्रतिभा' शब्द में बौद्धिक उत्कृष्टता एवं विशेष योग्यता दोनों ही सम्मिलित किए जा सकते हैं। इस मत के अनुसार प्रतिभाशाली बालक वह है जो उच्च सामान्य बौद्धिक स्तर (high level of general intelligence) रखता है अथवा जो उन क्षेत्रों में उच्चकोटि की योग्यता रखता है जिसके लिए उच्च बुद्धि लब्धि का होना आवश्यक है; जैसे–कला, चित्रकारी, नृत्य, यान्त्रिकी, नेतृत्व आदि। यही कारण है कि मानसिक प्रखरता दर्शाने वाले बालकों को मानसिक प्रतिभाशाली (Intellectually gifted) बालक की संज्ञा दी जाती है।

कुछ अन्य विद्वान प्रतिभाशाली बालकों को सांख्यिकीय दृष्टि से परिभाषित करते हैं। उनके अनुसार किसी बुद्धि परीक्षण पर प्राप्त अंकों के आधार पर उच्चतम 2 से 3% तक बालक प्रतिभाशाली बालक होते हैं। **हीहॉन व हेविंघर्स्ट** (De Haan and Havinghurst) ने प्रतिशत के आधार पर ही किसी विद्यालय के उच्चतम उपलब्धि वाले 1% बालकों को अत्यधिक प्रतिभावान (genius) तथा बचे हुए उच्चतम 10% बालकों को प्रतिभावान की श्रेणी में रखा है। यद्यपि यह वर्गीकरण काफी सीमा तक सामान्य समूह पर ही लागू होता है तथा विद्यालय के स्तर, समूह (बालकों) के आर्थिक सामाजिक स्तर सांस्कृतिक पृष्ठभूमि व बौद्धिक स्तर पर निर्भर करता है, शैक्षिक दृष्टि से यह उपयोगी है।

प्राय: देखने में आता है कि बालकों की बुद्धि लब्धि व शैक्षिक उपलब्धि तो सामान्य स्तरीय होती है किन्तु किसी क्षेत्र विशेष जैसे–कला, संगीत, अभिनय यांत्रिकी, नेतृत्व आदि में उनकी योग्यता अभिव्यक्ति उच्चकोटि की होती है। इन बालकों को उस क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि के आधार पर प्रतिभाशाली के रूप में परिभाषित किया जाता है।

उपर्युक्त दृष्टिकोणों के आधार पर प्रतिभाशाली बालकों को (*i*) उच्च मानसिक योग्यता, (*ii*) उच्च शैक्षिक उपलब्धि, (*iii*) सामाजिक प्रतिभा, (*iv*) उच्च गणितीय योग्यता, (*v*) उच्च कलात्मक योग्यता आदि वाले अनेक वर्गों में रखा जा सकता है। **फ्लीगलर** व **विश** के अनुसार, "प्रतिभावान शब्द उन सभी बालकों को शामिल करता है जो शैक्षिक रूप से विद्यालय के उच्च 15 से 20 प्रतिशत उपलब्धि वर्ग से आने के लिए उच्च मानसिक योग्यता व कार्य क्षमता रखते हों या किसी विशेष क्षेत्र जैसे गणित, यांत्रिकी, विज्ञान, कलात्मक अभिव्यक्ति, सृजनात्मक लेखन, संगीत व सामाजिक नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रतिभा व अपनेवातावरण से मुकाबला करने की अनोखी सृजनात्मक योग्यता रखते हैं।" ("The term gifted encompasses those children who possess a superior intellectual potential and functional ability to achieve academically in the top 15 to 20 per cent of the school population and/or tatent of a high order in such special areas as mathematics, mechanics, science, expressive aarts, creative

नोट

writings, music and social leadership and a unique creative ability to deal with their environment.") यह एक व्यावहारिक परिभाषा है जो प्रतिभावान बालक की सभी आवश्यक विशेषताओं की ओर इंगित करती है। "प्रतिभाशाली बालक वे हैं जिनकी क्षमता एवं बौद्धिक शक्तियाँ उत्पादनशील एवं मूल्यांकन संबन्धी दोनों ही प्रकार की वैचारिक प्रक्रिया में इतने उच्च विचारात्मक स्तर की हैं कि ऐसा तर्कपूर्वक माना जा सकता है कि वे पर्याप्त शैक्षिक अनुभवों के मिलने पर भावी संस्कृति के समस्या-विचारक, खोजकर्ता तथा मूल्यांकनकर्ता बन सकेंगे।" ("The gifted children are those whose potential intellectual powers are at such as high identional level in both productive and evaluative thinking that it can be reasonably assumed that they could be future problem solvers, innovators and evaluators of the culture if adequate educational experiences are provided to them.") **ल्यूसिटो** (1963) ने भी प्रतिभाशाली बालक को विस्तृत रूप से परिभाषित किया है।

19.2 प्रतिभाशाली बालक की अवधारणा एवं विकास (Concept and Development of Gifted Children)

प्रतिभासंपन्नता का प्रत्यय (Concept of Giftedness)

प्रतिभासंपन्नता एक ऐसी धनात्मक विशिष्टता (positive exception) है जोकि बालक के व्यक्तित्व में निहित अद्भुत योग्यताओं के कारण उसे सामान्य एवं अन्य प्रकार के विशिष्ट बालकों में भिन्नता दर्शाती है तथा उसके शीघ्र सीखने में सहायक होती है।

प्रतिभासंपन्नता भी किसी अन्य विशिष्टता की भाँति बालक की क्षमता व अनुभव दोनों पर समान रूप से अलम्बित करती है। यह क्षमता जन्मजात विशिष्टता के रूप में बालक में निहित रहती है तथा अनुभव उसे घर, पास-पड़ोस, विद्यालय, समाज व देश के वातावरण में प्राप्त होते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने इस धनात्मक विलक्षणता को अनुकूल वातावरण में संपोषित (nourish) कर प्रतिभासंपन्नता में परिवर्तित करने की बात पर जोर दिया है। **पायने** (Payne) के अनुसार "हम किसी भी प्रकार जन्मजात बौद्धिक क्षमता को वंशानुगतीय रूप से कुशलतापूर्वक परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, किन्तु हम परिवेशीय घटनाओं को कुशलतापूर्वक परिवर्तित करने के योग्य हैं जो अधिगम व चिन्तन (teaming and thinking) को सुगम बना सकते हैं।"

प्रतिभासंपन्नता को परिभाषित करने के लिए किए गए सभी प्रयास संस्कृति से बँधे हुए (culture bound) हैं। दूसरे शब्दों में, प्रतिभासंपन्नता की कोई भी परिभाषा किसी समाज व देश के द्वारा अधिक मूल्यवान माने गए गुणों (highly valued talents) व योग्यताओं को परिलक्षित (reflect) करती है। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक प्रतिभासंपन्नता को परिभाषित करने का यही आधार था। बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में बौद्धिक योग्यता परीक्षणों के विकास के साथ ही एक नयी विचारधारा ने जन्म लिया जिसके अनुसार अत्यधिक उच्च बुद्धि-लब्धि एवं उच्च शैक्षिक उपलब्धि प्रतिभासंपन्नता के मापदण्ड माने जाने लगे। किन्तु कुछ समय पश्चात् ऐसा अनुभव किया जाने लगा कि केवल बुद्धि लब्धि (I. Q.) तथा उच्च शैक्षिक उपलब्धि ही प्रतिभा संपन्नता की कसौटी नहीं है क्योंकि कई अन्य क्षेत्रों जैसे—तकनीकी, कला, संगीत आदि में विशिष्ट योग्यता रखने वाले बालक आवश्यक रूप से उच्च बुद्धि लब्धि व शैक्षिक उपलब्धि वाले नहीं होते हैं। वर्तमान समय में प्रतिभासंपन्नता के विषय में दो मुख्य विचारधाराएँ हैं। प्रथम, परम्परागत विचारधारा—इसके अनुसार प्रतिभा का मूल्यांकन केवल बुद्धि लब्धि के स्तर के सन्दर्भ में किया जाता है। यह विचारधारा अमनोवैज्ञानिक, कम विश्वसनीय व संकीर्ण है क्योंकि यह व्यक्तित्व के केवल एक पक्ष (बुद्धि लब्धि स्तर) को महत्व देती है। द्वितीय, आधुनिक विचारधारा—इसके अनुसार प्रतिभासंपन्नता—

(*i*) बहुआयामी (multi-dimensional) होती है अर्थात् यह किसी भी क्षेत्र में हो सकती है।

(*ii*) सतत् व निरन्तर (Straight and continuous) रेखा द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है। इसे सीमाबद्ध नहीं किया जा सकता है।

(*iii*) इसको पर्याप्त निर्देशन के द्वारा संपोषित (nourish) एवं विकसित (develop) किया जा सकता है।

नोट

प्रतिभासंपन्नता का विकास (Development of Giftedness)

प्रतिभासंपन्नता बालकों की ऐसी योग्यता है जो एक बालक विशेष को अन्य बालकों से अलग करती है। इसका विकास कब और कैसे होता है, इसके विषय में सदैव मनोवैज्ञानिकों में मतभेद रहा है कि कुछ लोग बालकों की विशेष प्रतिभा को दैविक शक्ति भी (devine power) मानते हैं।

दैनिक जीवन में यह भी देखा गया है कि प्रतिभासंपन्नता का विकास वंशानुक्रम पर निर्भर करता है परन्तु वंशानुक्रम से प्राप्त गुणों के विकास के लिए यदि बालक को उचित वातावरण नहीं मिलता है तो उस बालक की प्रतिभा का दमन हो जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रतिभा के विकास में वंशानुक्रम (heredity) व वातावरण (environment) दोनों का परस्पर योगदान है।

रोग विज्ञान शास्त्री यह मानते हैं कि जिन लोगों में प्रतिभासंपन्नता का विकास होता है उनमें किसी न किसी प्रकार की मानसिक व शारीरिक असामान्यता अवश्य होती है।

> *नोट्स* क्रेश्मर का अभिमत है कि विशिष्ट प्रतिभासंपन्न व्यक्ति क्षीणकाय होते हैं, उनमें आत्मानुभूति की प्रवृत्ति होती है, इसी से काव्य, चित्रकला, मूर्तिकला या अन्य क्षेत्रों में असाधारण कार्य कर जाते हैं।

बालकों की प्रतिभा का विकास उन परिवारों में होता है जहाँ पर माता-पिता का सामाजिक आर्थिक स्तर अच्छा होता है। इस संबन्ध में टर्मन ने एक प्रतिदर्श लेकर अध्ययन किया और पाया कि जिन परिवारों का अपना निजी व्यवसाय था वहाँ पर 81.4% बच्चे प्रतिभासंपन्न थे जबकि जो सामान्य से नीचे स्तर के व्यवसाय वाले थे। वहाँ केवल 6.8% बच्चे प्रतिभासंपन्न थे। आज यह अवधारणा इतनी आवश्यक नहीं रह गयी है। कारण, प्रतिभासंपन्नता वातावरणीय कारकों की उपयुक्तता के साथ उनके दोहन पर निर्भर करती है।

इसके साथ ही प्रतिभाओं का विकास वहाँ पर भी होता है जहाँ पर बच्चे के माता-पिता बच्चों की पूरी देखभाल करते हैं व समय-समय पर उनका समय-समय पर पथ-प्रदर्शन भी करते रहते हैं जिससे कि बच्चों में भी कुछ करने की प्रेरणा विकसित हो जाती है। इसके अतिरिक्त यदि प्रतिभासंपन्न बालकों को अपनी प्रतिभा का विकास करने के लिए उचित मार्ग-दर्शन न मिले तो बालक समाज में कुसमायोजन व अनुशासनहीनता को जन्म देते हैं तथा अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को व्यर्थ के कार्यों में व्यय करने लगते हैं।

इस तरह से हम देखते हैं कि बालक में प्रतिभाएँ अपने वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों के सहयोग से प्राप्त होती हैं, क्योंकि वंशानुक्रम से प्राप्त विशेष गुण पर्यावरण एवं प्रशिक्षण से अपनी उच्चतम सीमा पर पहुँच जाते हैं। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति क्षेत्र विशेष में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त कर महान बन जाते हैं और समाज में प्रतिभाशाली बालकों के नाम से जाने जाते हैं।

19.3 प्रतिभासंपन्नता के सिद्धांत (Theories of Giftedness)

प्रतिभासंपन्नता के प्राय: मुख्य सिद्धान्त माने जाते हैं—(*i*) रोगविज्ञानात्मक सिद्धान्त, (*ii*) मनोविश्लेषणात्मक सिद्धान्त, (*iii*) गुणात्मक उत्कृष्टता का सिद्धान्त, तथा (*iv*) मात्रात्मक उत्कृष्टता का सिद्धान्त।

1. **रोगविज्ञानात्मक सिद्धान्त**—इस सिद्धान्त के अनुसार प्रतिभाशाली व्यक्तियों में एक प्रकार की मानसिक रुग्णता (morbid) होती है जो कभी-कभी पागलपन के रूप में परिलक्षित होती है। इसके कारण व्यक्ति के व्यवहार में अनियमितता, अस्थिरता, विचित्रता, अस्थायी कोमलता व कठोरता, हठ आदि दृष्टिगोचर होते हैं। इस रुग्णता को भारतवर्ष में 'आध्यात्मिक उच्छ्वास' माना गया है। ए प्रतिभासंपन व्यक्ति इस पागलपन की अवस्था में कवित्व रचना, भविष्यवाणियाँ, अतीत की सही जानकारी देते हैं। इनकी दैनिकचर्या असाधारण होती है, सामान्यत: ए अर्धविक्षिप्त दिखाई देते हैं। परन्तु इनमें एक दिव्य शक्ति होती है जिसके द्वारा ए कुछ ऐसी

नोट

असाधारण घटनाओं के जनक हो जाते हैं जो इनकी विलक्षण योग्यता या प्रतिभा का परिचय देती हैं।

उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में रोग-विज्ञानात्मक प्रतिभा पर अनेक महत्वपूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित हुए। इटली के प्रसिद्ध मानवशास्त्री **लोम्ब्रोसो,** जो इस सिद्धान्त के प्रतिपादक भी माने जाते हैं, ने अपनी पुस्तक 'दि मैन ऑफ जीनियस' में अनेक प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक रोगों से ग्रस्त किन्तु प्रतिभासंपन्न व्यक्तियों की विशद् व्याख्या की है। यह व्यक्ति अधिकांशत: छोटे कद वाले, सूखा रोग से ग्रस्त, पीला शरीर, क्षीण अपंग, तुतलाना, बामहस्ती आदि रोगों से ग्रस्त पाए गए, किन्तु इनमें कोई न कोई विलक्षणता रही।

प्रतिभा के रोगात्मक सिद्धान्त के प्रतिपादकों में **क्रेश्मर** (Kretschmer) एवं **लेंग इकबॉम** (Lange-Eichbaum) भी प्रमुख रहे हैं। उनके अनुसार–"*यदि मनोरोगमय तत्व का विचार करें तो पैशाचिक बेचैनी (demonic unrest) तथा मनोतनाव (psychic-tension) के मिश्रण को प्रतिभा के संगठन से निकाल दें तो केवल साधारण योग्यता का मानव रह जाएगा।*" क्रेश्मर का अभिमत है कि विशिष्ट प्रतिभासंपन्न पुरुष क्षीणकाय होते हैं। उनमें आत्मानुभूति की प्रवृत्ति होती है। इसी से काव्य, चित्रकला, मूर्तिकला या अन्य क्षेत्र में ए असाधारण कार्य कर जाते हैं।

क्या आप जानते हैं लेंग-इकबॉम ने प्रतिभा व पागलपन में कोई अनिवार्य संबन्ध नहीं बताया है किन्तु साथ ही लिखा है कि शायद ही ऐसा कोई प्रतिभासंपन्न व्यक्ति हो जिसे कभी मानसिक प्रमाद न हुआ हो।

भारतवर्ष के इतिहास में ऐसे अनेकों महापुरुषों का वर्णन मिलता है जो प्रतिभासंपन्न किन्तु किसी न किसी रोग से ग्रस्त रहे हैं। इनके जीवन का अधिकांश भाग एकानतवास व आध्यात्मिक चिन्तन में व्यतीत होता था। ए सामाजिक जीवन व्यतीत नहीं करते थे किन्तु अपनी विलक्षणता के अनुसार भविष्यवाणियाँ, रोगों के उपचार व लोगों को जीने का उपयुक्त एवं सुगम मार्ग बताते थे।

2. **मनोविश्लेषणात्मक सिद्धान्त** (Psycho-analytical Theory)–इस सिद्धान्त के अनुयायियों के अनुसार विलक्षण बुद्धि एक मनोवैज्ञानिक पहेली होती है तथा विलक्षण प्रतिभा वाले व्यक्तियों में उच्चकोटि की योग्यता होती है जो किसी भी प्रकार के प्रश्न, गणितीय गणनाएँ आदि को आसानी से तथा कम समय में ही हल कर लेने में सहायक होती है। इसका कारण तीव्र अभिप्रेरणात्मक उत्तेजना का प्रभावशाली होना है। ऐसे विलक्षण व्यक्ति साधारण व सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं किन्तु अपने विशिष्ट कौशल या बौद्धिक प्रतिभा के उपयोग से ए महान कथाकार, कवि, साहित्यकार, आविष्कार, मूर्तिकार, चित्रकार, कलाकार आदि बन जाते हैं। और उनकी कृतियाँ अमर हो जाती हैं।
3. **गुणात्मक उत्कृष्टत का सिद्धान्त**–इस सिद्धान्त के अनुसार गुणात्मक उत्कृष्टता की प्रतिभा किसी परिस्थिति अथवा संयोग से उत्पन्न होती है। ऐसे पुरुष प्राप्त अवसरों का लाभ उठाकर अपनी प्रतिभा का उपयोग कर किसी महान कार्य में सफल हो जाते हैं। कुछ लोग इसे दैविक शक्ति भी मानते हैं। इन पुरुषों में रहस्यवादी अन्त:दर्शन, अवचेतन, अन्तर्ज्ञान की उपस्थिति भी मानी गई है। **शोपेनहार, कारलाइस, इमरसन** आदि विद्वानों के मतानुसार इन व्यक्तियों में किसी एक अथवा एक से अधिक विशिष्ट गुणों का समावेश होता है जो कि इन्हें सामान्य मनुष्यों से भिन्न बनाता है। ये हीनता की भावना नहीं रखते तथा इनमें आत्मविश्वास की मात्रा बहुत अधिक होती है। ए महत्वाकांक्षी होते हैं तथा अल्पायु में ही किसी महान कार्य में सफल होकर समाज, देश व विश्व में अपना विशिष्ट स्थान बना लेते हैं। अफलातून, नेपोलियन, जोन ऑफ आर्क, झाँसी की रानी आदि ऐसे अनेक विशिष्ट प्रतिभा वाले पुरुषों एवं महिलाओं के उदाहरण इतिहास में मिलते हैं।
4. **मात्रात्मक उत्कृष्टता सिद्धान्त**–प्रतिभा का मात्रात्मक उत्कृष्टतात्मक सिद्धान्त व्यक्तियों में गुणों के नहीं वरन् गुणों की मात्रा के अन्तर को मानता है। इसके अनुसार प्राय: प्रत्एक व्यक्ति में कोई न कोई विशेष गुण या

नोट

प्रतिभा किसी न किसी मात्रा में अवश्य पायी जाती है परन्तु कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जिनमें किसी गुण विशेष की मात्रा बहुत अधिक होती है। अपने इस गुण के कारण के प्रतिभावान व्यक्तियों की श्रेणी में आ जाते हैं। इस प्रकार के विशेष गुण या प्रतिभा का मुख्य कारण वंशानुक्रम एवं बाह्य परिस्थितियों के संयोग का प्रतिफल मात्र है। वंशानुक्रम से प्राप्त विशेष गुण पर्यावरण एवं प्रशिक्षण से अपनी उच्चतम सीमा तक पहुँच जाते हैं। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अपने क्षेत्र विशेष में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त कर महान बन जाते हैं।

टास्क प्रतिभाशाली बालकों की सामाजिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

सही विकल्प चुनिए (Choose the Correct Options)

1. कॉक्स ने उन्नीसवीं शताब्दी के महान दर्शनशास्त्री जॉन स्टुअर्ट मिल की बुद्धि-लब्धि अनुमानत: मानी थी–
   (क) 200 से 210 के मध्य (ख) 190 से 200 के मध्य
   (ग) 180 से 190 के मध्य
2. इटली के प्रसिद्ध मानवशास्त्री लोमब्रोसो ने अपनी किस पुस्तक में शारीरिक मानसिक रोगों से ग्रस्त किंतु प्रतिभाशाली व्यक्तियों की विशद व्याख्या की है–
   (क) जीनियस प्युपिल्स (ख) द इंटेलिजेंट
   (ग) द मैन ऑफ़ जीनियस
3. 'नेतृत्व की विशेष योग्यता' प्रतिभाशाली युवकों की किन विशेषताओं के अन्तर्गत आती है–
   (क) शैक्षिक विशेषता (ख) सामाजिक विशेषता
   (ग) शारीरिक विशेषता
4. प्रसिद्ध मानवशास्त्री 'लोम्ब्रोसो' का संबंध है–
   (क) इटली से (ख) फ्रांस से
   (ग) स्पेन से

19.4 प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएँ (Characteristics of Gifted Children)

प्रतिभाशाली बालक अनेक गुणों एवं व्यवहार में सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। इन भिन्नताओं का मुख्य कारण प्रतिभाशाली बालक की 'प्रतिभा' अथवा 'विलक्षणता' ही है।

प्राचीन विचारधारा के अनुसार प्रतिभाशाली बालक उच्च मानसिक योग्यता वाले, असामाजिक व शारीरिक रूप से कमजोर या अस्वस्थ होते हैं। किन्तु आधुनिक अनुसन्धानों तथा प्रेक्षणों ने इस विचारधारा को निराधार सिद्ध कर दिया है। टर्मन व उसके सहयोगियों ने 1528 प्रतिभाशाली बालकों पर एक गहन कलानुक्रमिक अध्ययन (192 से 1956 तक) किया तथा अपने प्रेक्षणों व परिणामों के आधार पर प्रतिभाशाली बालकों की अनेक मुख्य विशेषताएँ बतायीं, जैसे– औसत प्रतिभा वाले बालक सामान्य बुद्धि वाले बालकों से ऊँचाई, स्वास्थ्य व शारीरिक संरचना आदि में उच्च होते हैं। यह जल्दी चलना, बोलना, बहुत से प्रश्न पूछना, सरलता से शब्दों व विचारों का प्रयोग करना सीख जाते हैं। अधिकांशत: ये बालक उच्च सामाजिक-आर्थिक स्तर के परिवारों से होते हैं।

टर्मन के अतिरिक्त हिल्ड्रेथ, हॉलिंगवर्थ, विटी,स्किनर तथा हैरीमैन आदि ने भी अपने अध्ययनों के आधार पर प्रतिभाशाली बालकों की अनेक विशेषताओं का पता लगाया है। इन सभी विशेषताओं को समन्वित रूप से निम्न वर्गों में रखा जा सकता है–

नोट

1. शारीरिक विशेषताएँ (Physical Characteristics)

(*i*) प्रतिभाशाली बालकों का शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है।

(*ii*) ये प्राय: उत्तम शारीरिकी (physique) वाले होते हैं।

(*iii*) सामान्य बालकों से भार, ऊँचाई व शक्ति में अधिक होते हैं।

(*iv*) जल्दी चलना व बोलना सीख जाते हैं।

(*v*) इनमें ज्ञानेन्द्रिय विकास भी उत्तम एवं शीघ्र होता है।

(*vi*) किशोरावस्था के लक्षण शीघ्र उत्पन्न हो जाते हैं।

(*vii*) ये प्राय: उत्तम स्वास्थ्य वाले बालक होते हैं तथा इनके कद व भार में लगभग उपयुक्त संबन्ध पाया जाता है।

2. मानसिक व बौद्धिक विशेषताएँ (Mental Characteristics)

प्रतिभाशाली बालकों में प्राय: निम्न बौद्धिक लक्षण पाए जाते हैं–

(*i*) व्यवस्था, विश्लेषण, स्मरण, संश्लेषण एवं तर्क की विशेष योग्यता,

(*ii*) सीखने एवं समझने (comprehension) की असाधारण गति,

(*iii*) स्पष्ट आत्म-अभिव्यक्ति,

(*iv*) अमूर्त (abstract) तथ्यों को समझने की क्षमता,

(*v*) उत्तम अन्तर्दृष्टि,

(*vi*) विशाल शब्दकोश एवं वाक्पटुता,

(*vii*) उच्च श्रेणी की सामान्य बुद्धि (common sense) एवं सामान्य ज्ञान,

(*viii*) तीव्र कल्पना शक्ति,

(*ix*) मौलिक चिन्तन एवं नवीनता के प्रति उत्सुकता,

(*x*) सूक्ष्म एवं सटीक निरीक्षण शक्ति

(*xi*) सामान्यत: विज्ञान एवं गणित में दक्ष,

(*xii*) अवधान केन्द्रित करने की व्यापक क्षमता,

(*xiii*) एक अथवा एक से अधिक क्षेत्रों में विशिष्ट योग्यता, जैसे–कला, संगीत, विज्ञान आदि,

(*viv*) उच्च बुद्धि-लब्धि (प्राय: 120 से अधिक)

3. शैक्षिक विशेषताएँ (Educational Characteristics)

(*i*) विद्यालय में नियमित उपस्थिति,

(*ii*) सदैव गृह-कार्य (home-work) करना,

(*iii*) पाठ को पूर्व में तैयार करके आना,

(*iv*) पाठ्यक्रम के अतिरिक्त सहायक पुस्तकों को पढ़ने में रुचि,

(*v*) समाचार पत्र, पत्रिकाएँ आदि को पढ़ने में रुचि,

(*vi*) अध्ययन में अपनी धुन का पक्का,

(*vii*) कक्षा में सर्वाधिक अंक पाना,

(*viii*) अन्य प्रतिभाशाली बालकों से प्रतिस्पर्धा (competition) रखना,

(*ix*) सामान्य बालकों की अपेक्षा कम परिश्रम करके भी अच्छे अंक पाना।

नोट

4. व्यक्तित्व संबन्धी विशेषताएँ (Personality Characteristics)

(*i*) समायोजन की श्रेष्ठ क्षमता,
(*ii*) योजना-निर्माण की उत्तम क्षमता,
(*iii*) प्रभावशाली व्यक्तित्व,
(*iv*) उत्तम चरित्र,
(*v*) उपलब्धि उन्मत (achievement oriented),
(*vi*) वाद-विवाद में भाग लेना,
(*vii*) शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता,
(*viii*) जोखिम के कार्य करने की लालसा,
(*ix*) हास-परिहास में भाग लेना,
(*x*) आत्म-विश्वासी,
(*xi*) प्रत्एक कार्य को जिम्मेदारी से पूर्ण करना,
(*xii*) कभी-कभी भावनात्मक अस्थिरता का प्रदर्शन करना,
(*xiii*) कक्षा में प्राय: उदासीनता का अनुभव करना,
(*xiv*) प्रश्न पूछने में निपुण,
(*xv*) रचनात्मक प्रवृत्ति रखना,
(*xvi*) मृदुभाषी एवं सहनशील प्रकृति
(*xvii*) स्वतन्त्र विचारधारा,
(*xviii*) विभिन्न एवं विषद् रुचियाँ।

5. सामाजिक विशेषताएँ (Social Characteristics)

उच्च प्रतिभासंपन्न बालक प्राय: उच्च सामाजिक व आर्थिक स्तर वाले परिवारों से होते हैं तथा इनमें निम्न सामाजिक विशेषताएँ देखने को मिलती हैं–

(*i*) सामाजिकता का गुण कम,
(*ii*) नेतृत्व की विशेष योग्यता,
(*iii*) अपनी आयु-वर्ग से उच्च वर्ग के बालकों के साथ खेलना व बात करना,
(*iv*) दूसरों का संमान करना,
(*v*) अनुशासन मानना,
(*vi*) लोकप्रिय व्यक्तित्व,
(*vii*) विनम्र एवं आज्ञाकारी
(*viii*) निष्कपटता एवं सामाजिक कार्यों को करने की तत्परता।

6. नकारात्मक विशेषताएँ (Negative Characteristics)

प्रतिभाशाली बालकों में प्राय: कुछ नकारात्मक विशेषताएँ भी देखने को मिलती हैं जो वातावरण में उनकी प्रतिभाा का उचित संपोषण एवं उपयोग न होने तथा उपेक्षा के कारण विकसित हो जाती हैं, जैसे–

(*i*) कभी-कभी अधीरता तथा ध्यान न केन्द्रित होना,
(*ii*) कभी-कभी समूह से पृथक् एकाकी रहना,
(*iii*) पाठ्यक्रम की अपनी योग्यताओं के अनुपात में सरल समझने के कारण आलस्य प्रदर्शित करना,

नोट

(*iv*) ईर्ष्यालु एवं अहं-पूर्ण व्यवहार (egoistic) करना,

(*v*) लापरवाह एवं दोषपूर्ण लेखनी (poor spellings)

(*vi*) अरुचि के विषयों में कक्षा-कार्य की उपेक्षा व अध्यापक के आदेश की अवहेलना,

(*vii*) कभी-कभी आवश्यकता से अधिक बोलना,

(*viii*) हठ करना।

19.5 सारांश (Summary)

- अन्य विशिष्ट बालकों की भाँति ही प्रतिभाशाली बालक भी वर्तमान शिक्षा पद्धति से सामान्य कक्षाओं में लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। कभी-कभी तो ए अपनी विलक्षण बुद्धि व क्षमताओं के कारण सामान्य परिस्थितियों में समायोजित नहीं हो पाते हैं और समस्यात्मक बालक घोषित कर दिए जाते हैं। पिछले कुछ दशकों से अधिकांश पश्चिमी देशों में शैक्षिक रूप से पिछड़े एवं विकलांक बालकों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। किन्तु प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशेष योजनाएँ व शैक्षिक व्यवस्था कहीं-कहीं ही उपलब्ध है।
- विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने प्रतिभाशाली बालकों को उनकी बुद्धि लब्धि के आधार पर परिभाषित किया है और उनके लिए बुद्धि लब्धि (I. Q.) के विभिन्न स्तर निर्धारित किए हैं। उदाहरणार्थ, **टर्मन** ने अपने गूढ़ अध्ययन के आधार पर 140 बुद्धि लब्धि को प्रतिभाशाली बालकों की निम्नतम बुद्धि सीमा बताया है।
- प्रतिभाशाली बालक को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न दृष्टिकोणों से परिभाषित किया है। अधिकांश परिभाषाओं का मनोवैज्ञानिक आधार यही है कि 'प्रतिभा' शब्द में बौद्धिक उत्कृष्टता एवं विशेष योग्यता दोनों ही सम्मिलित किए जा सकते हैं। इस मत के अनुसार प्रतिभाशाली बालक वह है जो उच्च सामान्य बौद्धिक स्तर (high level of general intelligence) रखता है अथवा जो उन क्षेत्रों में उच्चकोटि की योग्यता रखता है जिसके लिए उच्च बुद्धि लब्धि का होना आवश्यक है; जैसे—कला, चित्रकारी, नृत्य, यान्त्रिकी, नेतृत्व आदि। यही कारण है कि मानसिक प्रखरता दर्शाने वाले बालकों को मानसिक प्रतिभाशाली (Intellectually gifted) बालक की संज्ञा दी जाती है।
- प्रतिभासंपन्नता भी किसी अन्य विशिष्टता की भाँति बालक की क्षमता व अनुभव दोनों पर समान रूप से अलम्बित करती है। यह क्षमता जन्मजात विशिष्टता के रूप में बालक में निहित रहती है तथा अनुभव उसे घर, पास-पड़ोस, विद्यालय, समाज व देश के वातावरण में प्राप्त होते हैं।
- प्रतिभासंपन्नता को परिभाषित करने के लिए किए गए सभी प्रयास संस्कृति से बँधे हुए (culture bound) हैं। दूसरे शब्दों में, प्रतिभासंपन्नता की कोई भी परिभाषा किसी समाज व देश के द्वारा अधिक मूल्यवान माने गए गुणों (highly valued talents) व योग्यताओं को परिलक्षित (reflect) करती है। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक प्रतिभासंपन्नता को परिभाषित करने का यही आधार था। बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में बौद्धिक योग्यता परीक्षणों के विकास के साथ ही एक नयी विचारधारा ने जन्म लिया जिसके अनुसार अत्यधिक उच्च बुद्धि-लब्धि एवं उच्च शैक्षिक उपलब्धि प्रतिभासंपन्नता के मापदण्ड माने जाने लगे। किन्तु कुछ समय पश्चात् ऐसा अनुभव किया जाने लगा कि केवल बुद्धि लब्धि (I. Q.) तथा उच्च शैक्षिक उपलब्धि ही प्रतिभा संपन्नता की कसौटी नहीं है क्योंकि कई अन्य क्षेत्रों जैसे—तकनीकी, कला, संगीत आदि में विशिष्ट योग्यता रखने वाले बालक आवश्यक रूप से उच्च बुद्धि लब्धि व शैक्षिक उपलब्धि वाले नहीं होते हैं।
- **प्रतिभासंपन्नता के सिद्धांत**—प्रतिभासंपन्नता के प्रायः मुख्य सिद्धान्त माने जाते हैं—(*i*) रोगविज्ञानात्मक सिद्धान्त, (*ii*) मनोविश्लेषणात्मक सिद्धान्त, (*iii*) गुणात्मक उत्कृष्टता का सिद्धान्त, तथा (*iv*) मात्रात्मक उत्कृष्टता का सिद्धान्त।
- **प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएँ**—प्रतिभाशाली बालक अनेक गुणों एवं व्यवहार में सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। इन भिन्नताओं का मुख्य कारण प्रतिभाशाली बालक की 'प्रतिभा' अथवा 'विलक्षणता' ही है।

नोट

- हिल्ड्रेथ, हॉलिंगवर्थ, विटी,स्किनर तथा हैरीमैन आदि ने भी अपने अध्ययनों के आधार पर प्रतिभाशाली बालकों की अनेक विशेषताओं का पता लगाया है। इन सभी विशेषताओं को समन्वित रूप से निम्न वर्गों में रखा जा सकता है—1. शारीरिक विशेषताएँ; 2. मानसिक व बौद्धिक विशेषताएँ; 3. शैक्षिक विशेषताएँ; 4. व्यक्तित्व संबन्धी विशेषताएँ; 5. सामाजिक विशेषताएँ; 6. नकारात्मक विशेषताएँ;

19.6 शब्दकोश (Keywords)

1. **अवलंबित**—आश्रित, लटकाया हुआ, सत्वर।
2. **संकीर्ण**—तुच्छ, संकरा, छोटा, जो उदार न हो।
3. **रुग्णता**—बीमारी।
4. **क्षीणकाय**—बीमार, दुबला-पतला, कमज़ोर।

19.7 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

1. प्रतिभाशाली बालक से आप क्या समझते हैं। विभिन्न परिभाषाओं के माध्यम से स्पष्ट कीजिए।
2. प्रतिभासंपन्नता के सिद्धांत पर प्रकाश डालिए।
3. प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएँ समझाइए।

उत्तर : स्व-मूल्यांकन (Answer: Self Assessment)

1. (ख) 2. (ग) 3. (ख) 4. (क)।

19.8 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

पुस्तकें

1. *विशिष्ट शिक्षा*– श्याम सिंह गौड़, साहित्य प्रकाशन, आगरा।
2. *विशिष्ट बालक: शिक्षा एवं पुनर्वास*– महेश भार्गव, एच. पी. भार्गव बुक हाउस, आगरा।
3. *विशिष्ट बालक*– आभारानी बिष्ट, अग्रवाल प्रकाशन, आगरा।
4. *विशिष्ट शिक्षा का प्रारूप*– डॉ. आर. लाल. शर्मा, आर. लाल. बुक डिपो, आगरा।

नोट

इकाई–20: प्रतिभाशाली बालक: पहचान, कारण एवं समस्याएँ (Gifted Children— Identification, Causes and Problems)

अनुक्रमणिका (Contents)

उद्देश्य (Objectives)
प्रस्तावना (Introduction)
20.1 प्रतिभाशाली बालक की पहचान (Identification of Gifted Children)
20.2 प्रतिभाशाली बालक– कारण एवं समस्याएँ (Gifted Children—Causes and Problems)
20.3 सारांश (Summary)
20.4 शब्दकोश (Keywords)
20.5 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)
20.6 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

उद्देश्य (Objectives)

विद्यार्थी इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् सक्षम होंगे–

- प्रतिभाशाली बालक की पहचान कर सकेंगे।
- प्रतिभाशाली बालक की समस्याओं एवं उनके कारणों से परिचित होंगे।

प्रस्तावना (Introduction)

ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 120 से उपर होती है, प्रतिभावान होते हैं। यथार्थ रूप से 2% से अधिक बालक विद्यालय में इस श्रेणी में नहीं होते। किंतु कुछ ऐसे बालक हो सकते हैं, जिसकी बुद्धि लब्धि 170 से 190 तक हो सकती है। इस योग्यता के बालक भी हमारे समक्ष समस्या का रूप ले लेते हैं। क्योंकि उनकी स्वयं की समस्याएँ व जिज्ञासाएँ बड़ी-जटिल होती हैं। साथ ही साथ उनके लिए किस प्रकार के विद्यालय का संगठन तथा प्रबंध हो यह निर्णय करना भी कठिन हो जाता है। प्रस्तुत इकाई में ऐसे ही प्रतिभावान बालक की पहचान उसके कारण एवं समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है।

20.1 प्रतिभाशाली बालक की पहचान (Identification of Gifted Children)

किसी भी राष्ट्र के प्रतिभाशाली व्यक्ति/बालक उस राष्ट्र की बहुमूल्य संपत्ति होते हैं जिन्हें पहचान कर उनके उपयुक्त कार्य दक्षता में लगाकर उन्हें विकास की मुख्य धारा में जोड़ा जा सकता है।

1. भारत जैसे विकासशील देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए सुयोग्य औद्योगिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक व नेतृत्व प्रतिभासंपन्न व्यक्तियों की आवश्यकता है। अत: यह आवश्यक है कि भावी नागरिकों में छिपी इन प्रतिभाओं की खोज कर उनका यथासंभव विकास एवं अनुप्रयोग किया जाए।

नोट

2. प्रतिभाशाली बालकों में नवीन तथ्यों की खोज एवं अन्वेषण करने की दुर्लभ प्रतिभा निहित होती है जिसका सदुपयोग समाज के हित में किया जा सकता है।
3. प्रतिभाशाली बालकों की पहचान न होने पर बहुत संभव है कि उनकी ऊर्जा असामाजिक कार्यों में व्यय हो, यह अपराधी व गैरजिम्मेदार व्यक्ति बनकर समाज के विकास में सहायक के बजाए बाधक बन जाएँ।

इनकी मात्र शैक्षिक क्षमता नहीं वरन् इनकी कौशलात्मक क्षमता का आकलन कर इनका उपयोग करना चाहिए। कारण कभी-कभी शैक्षिक क्षमता का व्यावहारिक अनुप्रयोग भ्रामक होता है जैसे– गाँधी, रामानुजम, आइन्सटाइन आदि अपनी शैक्षिक उपलब्धि में बहुत अच्छे न होते हुए भी व्यावहारिक ज्ञान में अद्वितीय थे।

भारत जैसे प्रजातान्त्रिक देश में जहाँ शिक्षा का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की सभी योग्यताओं एवं क्षमताओं का चरम विकास करना है। प्रतिभाशाली बालकों की विशिष्ट प्रतिभा का संपोषण करने व उचित मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए उनकी पहचान करना आवश्यक हो जाता है। समय पर इनकी पहचान न हो सकने पर ये बालक कक्षा एवं समाज में कुसमायोजन व अनुशासनहीनता की समस्याओं को जन्म देते हैं तथा अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को व्यर्थ के कार्यों में व्यय करने लगते हैं। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा पाकर ये प्राय: मानसिक तथा संवेगात्मक रूप से अशांत हो जाते हैं और समस्यात्मक बालक घोषित कर दिये जाते हैं।

प्राय: ऐसा भी देखने में आता है कि किसी विशिष्ट प्रकार की प्रतिभा रखने वाले बालक के परिवार की सीमित आय, अशिक्षित माता-पिता, पास-पड़ोस का नीरस वातावरण, माता-पिता एवं शिक्षकों के द्वारा उसकी प्रतिभा को मान्यता न देना आदि भी उसकी प्रतिभा को मुखरित होने से रोकते हैं। अत: उपर्युक्त सभी कारणों के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिभाशाली बालकों व उनकी प्रतिभा को समय पर पहचान लिया जाना केवल बालक के हित में ही नहीं वरन् समाज, राष्ट्र व विश्व के हित में भी आवश्यक है।

विधियाँ एवं साधन (Methods and Means)

प्रतिभाशाली बालकों की प्रतिभा को मुखरित करने के लिए विशेष शिक्षा का प्रबन्ध करने से पूर्व यह जानना आवश्यक हो जाता है कि उन्हें किस प्रकार पहचाना जाए। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करना एक सामूहिक प्रयास है जिसमें माता-पिता, अध्यापक, संगी-साथी, मनोवैज्ञानिक, शिक्षाशास्त्री, कार्यकर्ताओं आदि का सहयोग अपेक्षित रहता है। प्राय: इन बालकों की पहचान निम्न दो आधारों पर की जाती है–

(*i*) बौद्धिक तथा शैक्षिक रूप से प्रतिभा संपन्न बालक।

(*ii*) जीवन अथवा व्यवसाय हेतु किसी विशेष क्षेत्र में उच्च स्तरीय योग्यता अर्जित करने वाला बालक।

1. बौद्धिक व शैक्षिक रूप से प्रतिभा संपन्न बालकों की पहचान (Identification of Intellectually and Academically Gifted Children)

बौद्धिक व शैक्षिक रूप से प्रतिभासंपन्न बालकों की पहचान करना अपेक्षाकृत आसान है क्योंकि कक्षा में अपने स्तर की सभी समस्याओं को सरलता व शीघ्रता से हल कर लेने व उच्च शैक्षिक उपलब्धि के कारण ये प्राय: शिक्षक की दृष्टि में रहते हैं। विद्यालयों में शैक्षिक दृष्टि से अग्रणी होने के कारण सामूहिक मूल्यांकन पद्धति से भी वे आसानी से पहचाने जा सकते हैं।

कक्षा में इन बालकों को उनकी उपलब्धि, शिक्षकों द्वारा उनकी प्रगति के सूक्ष्म निरीक्षण, मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों पर प्राप्त अंकों या बुद्धि-लब्धि का मापन करने वाले परीक्षणों के उपयोग से पहचाना जा सकता है। वर्तमान समय में प्रयोग में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण बुद्धि परीक्षणों की सूची नीचे प्रस्तुत है–

प्रमुख प्रचलित बुद्धि परीक्षण

1. वैश्लर बालक बुद्धि मापनी (1992)
2. वैश्लर बालक बुद्धि मापनी प्रोसेसिंग इन्स्ट्रूमेन्ट्स (WISE–PI) (1999)

नोट

3. एलेक्जेंडर : पुन:स्मरण क्रियात्मक परीक्षण (1932)
4. रेवेन्स प्रोग्रेसिव (रंगीन) (1938)
5. आर.वी. कैटिल: संस्कृति-मुक्त बुद्धि परीक्षण— g कारक का माप। मापनी I, II तथा III
6. टर्मन तथा मैरिल: स्टैनफर्ड बिने परीक्षण मापनी– तृतीय परिशोधन 1960 का भारतीय हिन्दी अनुकूलन डॉ. एस. के. कुलश्रेष्ठ।
7. सी. एम. भाटिया: निष्पादन बुद्धि परीक्षण माला (1955)
8. आर. के. टण्डन: सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षण (2/70)
9. ओझा एवं रेखा चौधरी: वाचिक बुद्धि परीक्षण (1971)
10. पी. एन. मेहरोत्रा: मिश्रित प्रकार का बुद्धि परीक्षण (1975)
11. चटर्जी एवं मुखर्जी: शाब्दिक बुद्धि अभाषित परीक्षण (1970)
12. प्रमिला पाठक: भारतीय बच्चों के लिए ड्रा ए मैन टैस्ट (1987)
13. ए.एन. मिश्रा: मानव आकृति खींचने का बच्चों के लिए परीक्षण (1970)
14. ए. एन. शर्मा: अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण (1987)
15. ईमितसुगंवा: अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण (2001)
16. आर. पी. श्रीवास्तव एवं किरन सक्सेना : सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण 7 से 11 वर्ष तक के लिए (1986)
17. टी. आर. शर्मा: ड्रा ए बाइसकिल बुद्धि परीक्षण (1976)
18. आई. एस. पी. टी. इन्फैण्ट इण्टेलीजेन्स टेस्ट (1975)
19. एस. जलोटा: मानसिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण '72' (1972)
20. ऊषा खरे: भारतीय बालक बुद्धि परीक्षण (2000)
21. मैकार्थी: मैकार्थी बालक अभिक्षमता मापनी (1972)

बुद्धि लब्धि तथा बौद्धिक स्तर के आधार पर प्रतिभाशाली बालकों को पहचानने के लिए कुछ प्रमुख बुद्धि परीक्षणों का यहाँ संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है।

1. रेवेन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज (Ravan's Progressive Matrices)–रेवेन्स ने अपने इस परीक्षण की रचना 1938 में की। पहले इस परीक्षण के दो प्रतिरूप थे– बालकों के लिए जिसे रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स (coloured progressive matrix) के नाम से जाना जाता है, दूसरा वयस्कों के लिए जिसे स्टैण्डर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज (standard progressive matrices) के नाम से जाना जाता है। अब इसके एक अन्य प्रारूप उच्च प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज (advanced progressive matrices) का भी प्रकाशन हो गया है। रंगीन प्रोगेसिव परीक्षण में 3 उपभाग हैं– A, Ab तथा B तथा प्रत्येक में 12 पद हैं। इस तरह से इसमें कुल 36 पद हैं। ये सब आकृतियाँ रंगीन हैं जिससे बालक की रुचि बनी रहे। उप-निरीक्षण के पद कठिनाई स्तर के अनुसार व्यवस्थित हैं। संपूर्ण परीक्षण के पदों का प्रत्युत्तर देने में लगभग 30 मिनट का समय लगता है। इसके दूसरे प्रतिरूप स्टैण्डर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज में पाँच उपभाग A, B, C, D, E हैं। प्रत्येक में 12 पद हैं, इस तरह से कुल मिलाकर 60 पद आकृतियों में हैं। इसके उपयोग भी कठिनाई स्तर के अनुरूप व्यवस्थित हैं। यह परीक्षण अमूर्त बुद्धि-चिन्तन, तार्किक चिन्तन, विभेदकारी चिन्तन, प्रत्यक्षात्मक तीव्रता, दूरी संबन्धी समझने योग्य शक्ति अर्थात् अमूर्त्त बुद्धि (abstract thinking) के K एवं R रूपों का मापन करता है। यह पूर्णतया अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है जिसे व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों रूपों में प्रकाशित कर सकते हैं। इस परीक्षण के प्रत्येक पद में एक चित्र होता है, उस चित्र में से एक टुकड़ा काटकर उसी माप के अन्य टुकड़ों में गिना दिया जाता है। परीक्षार्थी को इन टुकड़ों में से उस टुकड़े को बताने को कहा जाता है जिसे यदि चित्र में निकले हुए स्थान पर रखा जाऐ तो चित्र पूरा हो जाए।

नोट

इसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक प्रदान किया जाता है तथा फिर इन मूल प्राप्तांकों को संभावित प्राप्तांक तालिका के साथ देखा जाता है जिससे व्यक्ति विशेष के बुद्धि स्तर का पता लगता है। वर्तमान में **रेवेन्स उच्चतर प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज** (Advance Progressive Matrices) भी उपलब्ध है।

> *क्या आप जानते हैं* प्रतिभाशाली बालकों के लिए अमेरिका जैसे अमीर मुल्क भी अभी तक समुचित व्यवस्था नहीं कर सके हैं। भारत जैसे विकासशील देशों में इस प्रकार की शिक्षा का आयोजन और भी मुश्किल है।

2. बेले : शिशु विकास मापनियाँ–(1961) ने शिशुओं की मानसिक एवं क्रियात्मक योग्यताओं का अध्ययन करने के लिए 'शिशु विकास मापनियाँ' (Bayley's Scales of Infant Intelligence) की रचना की। उनकी इस बिन्दु मापनी में दो मापनियाँ निहित हैं– (1) *मानसिक मापनी* (Mental Scale) जिसमें 163 पद हैं जिसके द्वारा शिशुओं की संवेदनशीलता, प्रत्यक्षण, विभेदन तथा इनके प्रत्युत्तर देने की योग्यता, वस्तु स्थैर्य को शीघ्र ग्रहण करना, स्मृति, सीखना तथा समस्या समाधान योग्यता, बोलने का प्रमाप एवं शब्दों का प्रयोग आदि जानने का प्रयास किया जाता है। (2) क्रियात्मक मापनी (Motor Scale) जिसमें 67 पद हैं अर्थात् कुल मिलाकर 230 पद हैं। इसमें शरीर के नियन्त्रण की मात्रा, मांशपेशियों का सामंजस्य तथा हाथों एवं अंगुलियों की कार्यकुशलता का मापन किया जाता है। इसमें से कुछ पद तो क्रमिक प्रकार के हैं तो अन्य स्वतन्त्र प्रकार के। इस मापनी में योग निष्पादन अंकों (total performance scores) को व्यक्त किया जाता है जिन्हें बाद में क्रियात्मक एवं मानसिक लब्धांक में रूपान्तरित कर लिया जाता है जो बालकों के बुद्धि स्तर को बताता है। इसके प्रशासन की प्रक्रिया पद से भिन्न होती है क्योंकि इसके कुछ पद तो सामान्य निरीक्षण से संबन्धित हैं जबकि अधिकांश पदों को अलग-अलग विशिष्ट सामग्री की आवश्यकता होती है। इस परीक्षण मापनी का प्रयोग 1 से 30 महीने ($2\frac{1}{2}$ वर्ष) तक के शिशुओं पर किया जाता है। परीक्षण करने से पूर्व बच्चे के सामान्य स्वास्थ्य को मालूम करने के लिए बाल-चिकित्सक को दिखाना होता है। इसको प्रशासित करने के लिए भी प्रशिक्षित एवं दक्ष परीक्षणकर्त्ता होना चाहिए। इस मापनी का प्रयोग कालानुक्रमिक (longitudinal) शोधों में काफी उपयोगी है।

3. ए. एन. मिश्रा: मानव आकृति खींचने का बच्चों के लिए परीक्षण (1870)– यह परीक्षण प्रारम्भिक स्तर के 6 से 12 वर्ष आयु के बच्चों की साधारण मानसिक योग्यता का मापन करने के लिए बनाया है। इसके अन्तिम रूप में भी 21 बिन्दु निहित हैं जो प्राप्तांक 63 लाते हैं। इसका मानकीकरण 6 से 12 वर्ष के 1,364 पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रारम्भिक विद्यालय के छात्रों पर किया गया। विभिन्न आयु समूहों का मध्यमान 14.2 से 13.2 है तभी सभी वितरण लगभग सामान्य है। फलांकन प्रक्रिया पूर्ण रूप से वस्तुनिष्ठ है। इसके दो विशेषज्ञों के फलांकन में सहसंबन्ध 96 तथा गुडएनफ की फलांकन प्रक्रिया से .92 सहसंबन्ध पाया गया। विभिन्न आयु समूहों का आन्तरिक सह-संबन्ध .75 से .91 तक स्थिर गुणांक .99 पाया गया। वैधता ज्ञात करने के लिए चार कसौटियों का प्रयोग किया गया। साइमन बिने 1937 परिशोधन से .78, पोरटस मेज से .71, परीक्षा प्राप्तांकों से .71 तथा आन्तरिक वैधता गुणांक .99 ज्ञात किया। ग्रामीण तथा शहर में रहने वाले विभिन्न आयु समूहों के लड़के-लड़कियों के लिए तीन प्रकार के T-प्राप्तांक, शतांशीय तथा मानसिक आयु मानक तैयार किये गये।

4. ओझा एवं रायचौधरी: वाचिक बुद्धि-परीक्षण (1971)– यह परीक्षण 13 से 20 वर्ष की आयु के बच्चों की मानसिक योग्यता का मापन करता है। इस परीक्षण के 112 पद आठ उप-परीक्षणों–वर्गीकरण, सादृश्य, पर्याप्त, संख्या, योग्यता, पूर्ण परीक्षण, पैराग्राफ परीक्षण, श्रेष्ठ तर्क तथा साधारण तर्क में विभक्त हैं। प्रत्येक भाग में पदों की संख्या विभिन्न तथा उनका प्रत्युत्तर भी विभिन्न ढंगों से दिया जाता है। विभिन्न भागों के लिए भिन्न-भिन्न समय सीमा निश्चित है तथा

नोट

समस्त रूप से व्यक्ति को प्रत्युत्तर देने में 40 मिनट का समय लगता है। फलांकन विधि में सही प्रत्युत्तर के लिए 1 अंक प्रदान किया जाता है। इसके अन्तिम संशोधित रूप का मानकीकरण 13 से 20 वर्ष तथा 9 से 12 कक्षा वाले 1,500 विद्यार्थियों पर किया गया। विभिन्न उपपरीक्षणों को अर्द्ध-विच्छेद विधि से विश्वसनीयता गुणांक .64 से .87 तथा कूडर-रिचर्डसन सूत्र से .68 से .91 ज्ञात किया गया। उप तथा संपूर्ण परीक्षणों के प्राप्तांकों के मध्य वैधता गुणांक .31 से .51 के मध्य पाया गया। अन्य पाँच मानकीकृत परीक्षणों के साथ भी वैधता गुणांक ज्ञात किया गया। तीन प्रकार के मानकों–आयु के अनुसार शतांशीय एवं T प्राप्तांक तथा वर्गीकरण मानकों को तैयार किया गया।

5. पी. एन. मेहरोत्राः मिश्रित प्रकार का बुद्धि परीक्षण (1975)– हमारे देश में संभवतया यह सबसे पहला प्रयास था कि वेलशर की बुद्धि मापनी पर आधारित ऐसे परीक्षण की रचना हुई जिसमें शाब्दिक तथा निष्पादन दोनों प्रकार के पदों को समान रूप से निहित किया गया। इसकी रचना का मुख्य ध्येय 11 से 17 वर्ष की आयु के (कक्षा 7 से 12 तक के) विद्यालय बालकों तथा बालिकाओं के बुद्धि स्तर को जानना है। इस परीक्षण की शाब्दिक मापनी (Verbal Scale) तथा निष्पादन मापनी (Performance Scale) दोनों में ही पाँच-पाँच उप-परीक्षणों को रखा गया। इस परीक्षण की शाब्दिक मापनी में सादृश्य, संख्या क्रम, वर्गीकरण, शब्द भण्डार और तर्क तथा अशाब्दिक मापनी में अनुरूप व्यवस्था, वर्गीकरण, अंक, चिह्न तथा आकार पूर्ति उप-परीक्षणों को सम्मिलित किया गया। दोनों मापनियों में पचास-पचास कुल मिलाकर 100 पद उत्तरोत्तर कठिनाई क्रम में मिश्रित रूप से रखे गये हैं। प्रत्येक भाग के लिए दस-दस मिनट तथा संपूर्ण परीक्षण के लिए कुल 20 मिनट का समय लगता है। यह एक ऐसी मापनी है जिसके द्वारा तीन प्रकार के प्राप्तांक प्राप्त होते हैं। इसके द्वारा परीक्षार्थी की बुद्धि की श्रेणी ज्ञात की जाती है। इसका मानकीकरण उत्तर प्रदेश के 1,825 बालकों तथा 276 बालिकाओं अर्थात् कुल 2,101 विद्यार्थियों पर किया गया। दोनों भागों एवं संपूर्ण परीक्षण का विश्वसनीयता गुणांक अर्द्ध विच्छेद विधि, कूडर-रिचर्डसन सूत्र 20 तथा पुनर्परीक्षण विधि से ज्ञात किया गया। इसकी वैधता के लिए .01 सार्थक स्तर, कारक वैधता की होटलिंग विधि, जलोटा साधारण योग्यता, भाटिया निष्पादन परीक्षण, अध्यापक की राय विद्यालय अंकों की कसौटी के रूप में माना गया। 11 से 17 वर्ष आयु वाले बच्चों के लिए आयु, श्रेणी, शतांशीय T प्राप्तांक तथा विचलन बुद्धिलब्धि मानकों को ज्ञात किया गया जिनके आधार पर छात्रों के प्राप्तांकों का विवेचन किया जा सके।

6. ए. एन. शर्माः अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण : (g) कारक का मापन : (1987)– यह परीक्षण व्यक्तिकी संस्कृति मुक्ति (culture free) सामान्य मानसिक योग्यता (g) का मापन करता है। इस परीक्षण में इस प्रकार के प्रश्न हैं जैसे–पहले परीक्षार्थी को कतारों की शक्ल को देखना होता है, फिर स्तम्भों की शक्लों को देखना होता है फिर (?) के स्थान से आने वाली शक्ल का पता लगाना होता है। जो शक्ल उसमें आनी होती है उसका नम्बर उत्तर पत्र के प्रश्न के सामने लिखना होता है। इस परीक्षण को करने के लिए परीक्षार्थी को 15 मिनट का समय दिया जाता है। इस परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए यह परीक्षण छठी, आठवीं और दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों पर प्रशासित किया गया। अर्द्ध-विच्छेदित विधि से निकाली गयी विश्वसनीयता क्रमशः .92, .94, .90 प्राप्त हुई और K-R 21 सूत्र से निकाली गयी विश्वसनीयता .77, .78, .75 प्राप्त हुई। इस परीक्षण में कारक वैधता निकाली व दूसरी विधि से वैधता निकालने के लिए इस परीक्षण को रेवेन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स से सह संबन्धित किया। इस परीक्षण पर मानक ज्ञात करने के लिए इसको उपर्युक्त कक्षाओं के विद्यार्थियों पर ही प्रशासित किया। फिर इस परीक्षण पर प्रतिमान प्राप्तांक (Standard Score Norms), स्टेनाइन श्रेणी मानक (Stanine Grades Norms) व शतांशीय मानक (Percentile Norms) ज्ञात किये।

7. प्रमिला पाठक : भारतीय बच्चों के लिए ड्रा-ए-मैन टैस्ट (1987)–यह परीक्षण बालकों के निष्पादन के माध्यम से 4 से 13 वर्ष के बालकों की परिपक्वता अर्थात् बौद्धिक स्तर का मापन करता है। इस परीक्षण में 25 बिन्दु का वर्णन है। इसमें परीक्षार्थी को पैन्सिल की सहायता से विभिन्न बिन्दुओं को अंकित करना होता है जो कि मानव आकृति से संबन्धित होते हैं। इस परीक्षण की विश्वसनीयता पुनः परीक्षण विधि से ज्ञात की गयी जो .87 से .95 तक

नोट

पायी गयी। इसकी वैधता ज्ञात करने के लिए इस परीक्षण को अनेकों परीक्षणों से सह-संबन्धित किया। यद्यपि इसे पूरा करने के लिए कोई समय निश्चित नहीं है फिर भी बालक से शीघ्र करने को कहा जाता है। मानव से संबन्धित आकृतियों का फलांकन भली-भाँति निर्देश समझने वाले के लिए सरल है। इस परीक्षण में परीक्षार्थी की बुद्धि लब्धि निम्न सूत्र से ज्ञात की–$I.Q = M.A./C.A. \times 100$। इसके साथ ही 4 से 15 साल के लड़के-लड़कियों के समूह पर आयु मानक, शतांशीय मानक ज्ञात किये।

इन परीक्षणों के अतिरिक्त **डी. हॉन एवं कॉफ** (De Hann and Kough) ने बौद्धिक व शैक्षिक रूप से प्रतिभासंपन्न बालकों को पहचानने के लिए उनकी कुछ विशेषताओं की एक सूची तैयार की जो कि कार्य में बहुत सहायक सिद्ध हो सकती है। उनके अनुसार प्रतिभाशाली बालक–

(*i*) शीघ्रतापूर्वक आसानी से याद करता अथवा सीख जाता है।

(*ii*) सामान्य बुद्धि और व्यावहारिक ज्ञान का सर्वोत्तम उपयोग कर सकता है।

(*iii*) वस्तुओं से संबन्धित कारणों की खोज करता है, स्पष्ट रूप से सोचता है, संबन्धों की पहचान करता है, अर्थों को समझता है।

(*iv*) जो कुछ सुनता व पढ़ता है उसे चित्रात्मक स्मृति (Photogenic memory) की तरह याद रखता है और अल्प समय में उन्हें अभिव्यक्त करता है।

(*v*) ऐसी बहुत-सी बातों के बारे में जानता है जिन्हें उसके अन्य समवयस्क साथी नहीं कर पाते हैं।

(*vi*) उसका शब्द ज्ञान बहुत अधिक विस्तृत होता है। ज्ञान को वह आसानी से सही-सही उपयोग में ले सकता है।

(*vii*) अपनी कक्षा से दो-तीन वर्ष आगे की कक्षाओं की पुस्तकें पढ़ सकता है।

(*viii*) अत्यन्त कठिन मानसिक कार्यों को संपन्न कर सकने की स्थिति में होता है।

(*ix*) बहुत प्रश्न पूछता है और उसकी रुचियों का क्षेत्र भी विस्तृत होता है।

(*x*) अपनी कक्षा के अन्य बच्चों की अपेक्षा, अपनी उम्र से एक-दो वर्ष आगे के शैक्षणिक कार्यों को कर सकता है।

(*xi*) वह मौलिक चिन्तन कर सकता है और उसके काम के ढंग में भी मौलिकता होती है।

(*xii*) वह चुस्त, सूक्ष्म दृष्टि वाला और शीघ्र उत्तर देने वाला होता है।

टास्क भारत में प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा हेतु सरकार का कुछ महत्त्वपूर्ण सुझाव दीजिए।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

रिक्त स्थान की पूर्ति करें (Fill in the blanks)

1. स्टोक (Stoke) तथा लेहमन (Lehmen) के अनुसार एक प्रतिभावान बालक की बुद्धिलब्धि कम से कम .... होती है।
2. विशिष्ट बाल प्राय: भाषा के विकास तथा .... में उत्तम होता है।
3. विशिष्ट बालक अपनी .... के कारण किसी भी कक्षा से अधिकतम लाभ उठा सकता है।
4. एक प्रतिभावान बालक के विकास में समाज की .... भी एक बाधा के रूप में आती है।

2. किसी विशेष क्षेत्र में उच्च स्तरीय योग्यता वाले बालक की पहचान (Identification of a Gifted Child or Talented in Some Specialized Area)

वे बालक जो बौद्धिक व शैक्षिक रूप से औसत बालकों की श्रेणी में आते हैं किन्तु किसी अन्य क्षेत्र जैसे–कला, संगीत,

नोट

यान्त्रिकी आदि में विशिष्ट प्रकार की योग्यता रखते हैं कक्षा व घर के वातावरण में आसानी से नहीं पहचाने जा पाते हैं। इनकी खोज करने के लिए माता-पिता, शिक्षक, खेल-निरीक्षक, निर्देशक आदि के द्वारा निम्न विधियों को सफलतापूर्वक प्रयोग में लाया जा सकता है–

(i) **विद्यालयीय प्रगति अभिलेख प्रपत्र** (School Progress Record)– इस प्रपत्र के निरीक्षण से पता किया जा सकता है कि कौन-सा बालक किस विषय में अपेक्षाकृत उच्च अंक प्राप्त कर रहा है तथा किन विषयों की वह उपेक्षा करता है।

(ii) **अध्यापक का अभिमत** (Teacher's Opinion)– इसके अतिरिक्त अध्यापक द्वारा बालक के व्यवहार, कार्य-प्रणाली, अधिगम की योग्यता, रचनात्मक प्रवृत्ति, रुचि वे विषय, ज्ञान-स्तर, तर्क-योग्यता, आत्म-विश्वास आदि गुणों के आधार पर भी ऐसे बालकों के विषय में मत प्राप्त करके पहचाना जा सकता है।

(iii) **अध्यापक द्वारा मूल्यांकन** (Evaluation by Teacher)– बालक की रुचि का क्षेत्र, उस क्षेत्र में उसकी योग्यता का स्तर, तर्क-शक्ति, स्मरण-शक्ति आदि को ध्यान में रखते हुए शिक्षक परीक्षण, निरीक्षण तथा साक्षात्कार के आधार पर ऐसे बालकों का चयन कर सकता है।

(iv) **कक्षा-व्यवहार व कार्य-प्रणाली** (Classroom Behaviour and Approach)– जिज्ञासु प्रवृत्ति के होने के कारण ये बालक अपनी रुचि के क्षेत्र में अव्यवस्थित वाद-विवाद में रुचि रखते हैं तथा अज्ञात तथ्यों को जानने के लिए अनेकानेक तर्कसंगत प्रश्न पूछते हैं। अतः कक्षा में छात्रों के व्यवहार एवं प्रणाली से भी उनकी प्रतिभासंपन्नता के क्षेत्र-विषय के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है।

(v) **बुद्धि परीक्षण** (Intelligence Tests)– यद्यपि यह आवश्यक नहीं है कि किसी विशेष क्षेत्र में प्रतिभासंपन्न बालक अत्यधिक उच्च बुद्धि लब्धि (I. Q.) वाले हों फिर भी इनकी बुद्धि लब्धि औसत बालकों से उच्च ही पायी जाती है। अतः बुद्धि लब्धि परीक्षणों पर प्राप्त अंकों या बुद्धि लब्धि के आधार पर इन बालकों को अनुमानतः सामान्य से अलग किया जा सकता है।

(vi) **पुस्तकालयाध्यक्ष की राय** (Opinion of Library Incharge)– पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा भी इस विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि कौन-सा बालक किस विषय की पुस्तकों में अधिक रुचि लेता है तथा उसके द्वारा पढ़ी गयी पुस्तकों का स्तर क्या है।

(vii) **साक्षात्कार** (Interview)– यह एक प्रत्यक्ष विधि है जिसमें बालक से सीधे प्रश्न करके उसकी विशेष रुचियाँ व योग्यताओं के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस विधि से बालक की महत्वाकांक्षाओं, उसकी प्रतिभा को मुखरित करने के मार्ग में आने वाली व्यक्तिगत बाधाओं, जैसे–पारिवारिक स्थिति, के विषय में भी जाना जा सकता है।

(viii) **रुचि एवं अभिक्षमता परीक्षण** (Interest and Aptitude Tests)– उपर्युक्त विधियों से पहचाने गये विशेष क्षेत्र में प्रतिभासंपन्न बालकों में प्रतिभा की मात्रा व क्षेत्र को निश्चित करने के लिए रुचि व अभिक्षमता परीक्षणों का उपयोग भी किया जा सकता है तथा उसके आधार पर उनके लिए विशेष शिक्षा का प्रबन्ध किया जा सकता है। यहाँ कुछ मुख्य रुचि एवं अभिक्षमता परीक्षणों का उल्लेख किया जा रहा है।

1. जे. एस. ओझा: डिफरेंशियल एप्टीट्यूड परीक्षण प्रारूप का भारतीय अनुकूलन (DATB)
2. ए. एन. शर्मा: यांत्रिक अभिक्षमता परीक्षण माला (MATB)
3. किरन गुप्ता: लिपिक अभिक्षमता परीक्षण माला (CATB)
4. के. के. अग्रवाल: वैज्ञानिक अभिक्षमता परीक्षण माला (SATB)
5. सिंह एवं शर्मा: अध्यापन अभिक्षमता परीक्षण माला (TATB)
6. स्वर्ण प्रताप: इंजीनियरिंग अभिक्षमता परीक्षण माला (EATB) from A and from B

प्रमुख रुचि परीक्षण

7. स्ट्राँग का व्यावसायिक रुचि प्रपत्र
8. कूडर प्राथमिकता प्रपत्र
9. एस. चटर्जी: अभाषिक प्राथमिकता प्रपत्र (CNPR)
10. आर. पी. सिंह रुचि प्रपत्र
11. एस. पी. कुलश्रेष्ठ: व्यावसायिक एवं शैक्षिक रुचि प्रपत्र (VIR and EIR)
12. विवेक भार्गव एवं राजश्री: केरियर प्रीप्रेन्स रिकार्ड (CPR)

नोट्स प्रतिभावन बालकों की खोज के लिए आवश्यक है कि अध्यापकों की सामूहिक राय जानने के साथ-साथ बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाए।

20.2 प्रतिभाशाली बालक– कारण एवं समस्याएँ (Gifted Children-Causes and Problems)

अधिकारियों तथा जनता- दोनों ने प्रतिभावान बालकों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया है। फ्रैंक विलसन (Frank Wilson) के अनुसार, "प्रशासकों में प्रतिभावान बालकों को विशेष शिक्षा प्रदान करने के प्रति बहुत कम इच्छा शक्ति है।" इसका कारण यह है कि वे सोचते हैं कि एक विशिष्ट बालक अपनी उत्तम योग्यताओं के कारण किसी भी कक्षा से अधिकतम लाभ उठा सकता है परन्तु विशिष्ट बालक को विशिष्ट शिक्षा इसलिए देना चाहिए क्योंकि–

(1) प्रतिभावान बालक एक साधारण कक्षा से संभवत: उतनी शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता जितना कि एक बालक, क्योंकि एक विशिष्ट बालक साधारण बालक से अलग है।

(2) एक प्रतिभावान बालक, जोकि औसत बालकों के साथ पढ़ता है और अध्यापक का विशिष्ट ध्यान ग्रहण नहीं करता, यह बालक एक पूर्ण व्यक्ति से रूप में कार्य नही करता है। ऐसे बालक अपनी प्रतिभा से बहुत कम प्रतिशत शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं और अपने को असमायोजित अनुभव करते हैं।

(3) प्रतिभावान बालक साधारण बालकों के साथ रहने पर हीन भावना से ग्रस्त हो सकते हैं। कोनकटिकर राज्य शिक्षा विभाग के अनुसार, "प्रतिभावान बालक, जिसे अध्यापक द्वारा पूछे गये प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पता है, को उसके कक्षा-साथी गलत समझ सकते हैं। इस कारण उसमें हीन भावना आ सकती है।"

(4) एक प्रतिभावान बालक उन अबौद्धिक बातों में अपने को हीन समझ सकता है क्योंकि वह शारीरिक योग्यता में अन्य से कम हो सकता है। रूथ स्ट्रेंग (Ruth Strang) के अनुसार, "एक प्रतिभावान बालक बौद्धिक बातें अधिक से अधिक सीख सकता है अपेक्षाकृत बेसबॉल के!"

(5) एक अनुसन्धान में देखा गया कि कुछ प्रतिभावान बालकों में घमण्ड और उच्च भावना आ जाती है। यह इसलिए होता है कि वे अन्य बालकों से भिन्न होते हैं।

(6) एक प्रतिभावान बालक, जो अपनी योग्यता को नहीं पहचान पाता और न ही अध्यापक उसे उसकी योग्यता के विषय में बताता है यह नहीं जान पाता कि उसमें कुछ विशेष योग्यताएँ हैं। अत: वह उनके विकास के लिए आतुर नहीं होता।

(7) एक प्रतिभावान बालक उस वातावरण में जो सामान्य बालकों के लिए बना है, अपने को अपंग अनुभव कर सकता है। इसका कारण गैरीसन तथा ग्रे (Gray) के शब्दों में इस प्रकार है, "शैक्षिक आकांक्षाएँ अपनी योग्यता से काफी निम्न हैं।"

नोट

(8) समाज के अपने बच्चों के प्रति कुछ कर्त्तव्य हैं। अभी तक अक्षम, अन्धे, पिछड़े बच्चों की तरफ तो काफी ध्यान दिया गया है, पर प्रतिभावान बालकों की ओर नहीं दिया गया है। ऑटो (Otto) के शब्दों में, "एक प्रजातन्त्र में राज्य का कर्त्तव्य है, कि प्रत्येक बालक को पूर्ण विकास का अवसर प्रदान किया जाए। प्रत्येक बालक में प्रतिभावान बालक भी शामिल हैं।"

अत: प्रतिभावान बालक के लिए विशेष शिक्षा का आयोजन होना चाहिए। हॉलिंगवर्थ तथा हेक (Hollingworth and Heck) ने कहा है, "प्रतिभावान बालकों के लिए विशेष शिक्षा का आयोजन करने से बहुत-सी समस्याएँ हल हो जाती हैं।"

20.3 सारांश (Summary)

- ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 120 से उपर होती है, प्रतिभावान होते हैं। यथार्थ रूप से 2% से अधिक बालक विद्यालय में इस श्रेणी में नहीं होते। किंतु कुछ ऐसे बालक हो सकते हैं, जिसकी बुद्धि लब्धि 170 से 190 तक हो सकती है। इस योग्यता के बालक भी हमारे समक्ष समस्या का रूप ले लेते हैं। क्योंकि उनकी स्वयं की समस्याएँ व जिज्ञासाएँ बड़ी-जटिल होती हैं।
- **प्रतिभाशाली बालक की पहचान**–किसी भी राष्ट्र के प्रतिभाशाली व्यक्ति/बालक उस राष्ट्र की बहुमूल्य संपत्ति होते हैं जिन्हें पहचान कर उनके उपयुक्त कार्य दक्षता में लगाकर उन्हें विकास की मुख्य धारा में जोड़ा जा सकता है।
- प्रतिभाशाली बालकों की प्रतिभा को मुखरित करने के लिए विशेष शिक्षा का प्रबन्ध करने से पूर्व यह जानना आवश्यक हो जाता है कि उन्हें किस प्रकार पहचाना जाए। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करना एक सामूहिक प्रयास है जिसमें माता-पिता, अध्यापक, संगी-साथी, मनोवैज्ञानिक, शिक्षाशास्त्री, कार्यकर्ताओं आदि का सहयोग अपेक्षित रहता है। प्राय: इन बालकों की पहचान निम्न दो आधारों पर की जाती है–
  - *(i)* बौद्धिक तथा शैक्षिक रूप से प्रतिभा संपन्न बालक।
  - *(ii)* जीवन अथवा व्यवसाय हेतु किसी विशेष क्षेत्र में उच्च स्तरीय योग्यता अर्जित करने वाला बालक।
- अधिकारियों तथा जनता- दोनों ने प्रतिभावान बालकों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया है। फ्रैंक विलसन (Frank Wilson) के अनुसार, "प्रशासकों में प्रतिभावान बालकों को विशेष शिक्षा प्रदान करने के प्रति बहुत कम इच्छा शक्ति है।" इसका कारण यह है कि वे सोचते हैं कि एक विशिष्ट बालक अपनी उत्तम योग्यताओं के कारण किसी भी कक्षा से अधिकतम लाभ उठा सकता है।
- प्रतिभावान बालक एक साधारण कक्षा से संभवत: उतनी शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता जितना कि एक बालक, क्योंकि एक विशिष्ट बालक साधारण बालक से अलग है।
- एक अनुसन्धान में देखा गया कि कुछ प्रतिभावान बालकों में घमण्ड और उच्च भावना आ जाती है। यह इसलिए होता है कि वे अन्य बालकों से भिन्न होते हैं।
- एक प्रतिभावान बालक, जो अपनी योग्यता को नहीं पहचान पाता और न ही अध्यापक उसे उसकी योग्यता के विषय में बताता है यह नहीं जान पाता कि उसमें कुछ विशेष योग्यताएँ हैं। अत: वह उनके विकास के लिए आतुर नहीं होता।

20.4 शब्दकोश (Keywords)

- **स्थैर्य**–स्थिरता।
- **संवेग**–अतिरेक, यनोवेग।
- **निष्पत्ति**–अविर्भाव, उत्त्पत्ति, पूर्णता, उद्देश्य आदि की सिद्धि।

नोट

20.5 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

1. प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कैसे करेंगे?
2. प्रतिभाशाली बालकों की समस्याओं पर विचार कीजिए।

उत्तर : स्व-मूल्यांकन (Answer: Self Assessment)

1. 140, 2. अभिव्यक्ति, 3. योग्यता, 4. अभिवृत्ति।

20.6 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

पुस्तकें

1. *शारीरिक रूप से विकलांग बालक*– योगेन्द्र कुमार शर्मा, कनिष्क पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
2. *विशिष्ट बालक*– अवधारणा, विकास एवं शिक्षा, के. के. पब्लिकेशंस, नई दिल्ली।
3. *विशिष्ट शिक्षा*– श्याम सिंह गौड़, साहित्य प्रकाशन, आगरा।
4. *विशिष्ट बालक*– आभारानी बिष्ट, अग्रवाल प्रकाशन, आगरा।

नोट

इकाई–21: प्रतिभाशाली बालकः शिक्षण आव्यूह (Gifted Children: Teaching Strategies)

अनुक्रमणिका (Contents)

उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तावना (Introduction)

21.1 प्रतिभाशाली बालकों हेतु शिक्षण आव्यूह (Teaching Strategies For Gifted Children)

21.2 प्रतिभाशाली बालक की संस्याओं का निवारण (Problems Prevention of Gifted Children)

21.3 प्रतिभावान बालक व बालिका में अंतर (Diffrence between Gifted boy and girl)

21.4 सारांश (Summary)

21.5 शब्दकोश (Keywords)

21.6 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

21.7 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

उद्देश्य (Objectives)

विद्यार्थी इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् सक्षम होंगे–

- प्रतिभाशाली बालकों हेतु शिक्षण आव्यूह से परिचित होंगे।
- प्रतिभाशाली बालकों की संस्याओं के निवारण से परिचित होंगे।

प्रस्तावना (Introduction)

प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालक से बहुत अधिक योग्य होते है। वे उस कार्य को बहुत शीघ्र कर सकते हैं जो उन्हें दिया जाता है। एक साधारण बालक उतनी तीव्र गति से उस कार्य को नहीं कर सकता। उन्हें कक्षा में साधारण बालकों के साथ रखा जाता है या औसत से भी निम्न बालकों के साथ तो कक्षा उनमें लिए अरुचिपूर्ण हो जाती है तथा कक्षा में पठन-पाठन किया उन्हें कोई प्रेरणा नहीं मिलती है। ऐसे बालक पाठशाला के कार्य से कोई संबंध नहीं रखते और अशोभनीय कार्यों में पड़ जाते हैं। उनके अंदर सुस्ती, बेचैनी, नटखटपन उत्पन्न हो जाता हैं। किर्क के अनुसार प्रतिभावान बालक में कुछ प्रवीणताएँ जैसे-सामाजिक, यांत्रिक, कलात्मक, सांगीतिक, भाषायी, शारीरिक व शैक्षिक अवश्य होती हैं जो उन्हें दूसरों से अलग करती है।

21.1 प्रतिभाशाली बालकों हेतु विशेष आव्यूह (Teaching Strategies for Gifted Children)

प्रतिभावान बालक के शिक्षण के संबन्ध में हम तीन प्रकार के कार्यक्रमों का अयोजन कर सकते हैं, जैसे–गतिवृद्धि, संपन्नीकरण तथा विशिष्ट कक्षाओं में प्रवेश। आमतौर पर शिक्षक गतिवृद्धि को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। उनके विचार में एक पाँचवीं कक्षा का विद्यार्थी जो गतिवृद्धि प्राप्त करके 7वीं कक्षा में प्रवेश पा जाता है, वह उस कक्षा

नोट

के विद्यार्थियों के साथ न संवेगात्मक न ही शारीरिक और न ही सामाजिक रूप से मेल रख पाता है। अतएव उसको पाँचवीं कक्षा में ही रखना सही माना जाता है जबकि क्रास, जार्ज व स्टेनली ने अपने अध्ययनों में सिद्ध किया कि प्रतिभावान बालक को सांयोजन की कोई संस्या नहीं होती अत: निम्न तीनों ही कार्यक्रम प्रतिभावान बालक की शिक्षा के संबन्ध में आवश्यक हैं।

(1) गतिवर्द्धन (Acceleration)– गतिवर्द्धन का तात्पर्य है। बालक का एक अनुदेशन स्तर (Instruction level) से दूसरे अनुदेशन स्तर की ओर सामान्य बालकों की अपेक्षा कम संय में जाना। जैसे जब सामान्य बालक एक साल में एक कक्षा पास करता है, प्रतिभावान बालक दो या तीन कक्षाएँ पास कर लेता है। परन्तु यह केवल तभी संभव है जब बालक प्रथम स्तर पर पूर्णत: कुशलता प्राप्त कर लेता है।

नोट्स गतिवर्द्धन तभी संभव है जब कक्षा में दिये जाने वाले अनुदेशन भिन्न हों अर्थात् प्रतिभावान बालक के अनुरूप हों।

1866 में सर्वप्रथम, एलिजाबेथ (न्यू जरसी) में यह विधि अपनायी गयी। धीरे-धीरे यह विधि अन्य विद्यालयों में भी लागू की गयी। विटी (Witty) विलकिन्स (Wilkins) तथा टरमन (Terman) ने इस विधि को मान्यता दी है। कुछ विद्वानों का मत है कि यदि गतिवर्द्धन विधि का प्रयोग होता हो तो पाठ्यक्रम को अधिक संपन्न करना चाहिए। इस विधि में कुछ कमियाँ भी हैं– एक बालक, जोकि अपनी प्रखर बुद्धि से दो या तीन स्तर एक ही वर्ष में पार कर लेता है, तो वह एक ऐसे आयु-वर्ग के सामानान्तर हो जाता है जो उससे आयु में कहीं अधिक है। अत: वह कुसांयोजित हो सकता है। टोन (Tonn) के अनुसार "एक विशिष्ट (प्रतिभावान) बालक जो मानसिक रूप से उच्च है, सामाजिक व संवेगात्मक रूप से उच्च नहीं होता। अत: एक बालक को, जो विशिष्ट है, अगर 12 साल के 7वीं कक्षा के बालकों के साथ रखा जाता है, तो व्यक्तित्व-संबन्धी संस्याएँ उत्पन्न होंगी; क्योंकि ऐसे बालक का शारीरिक विकास केवल एक तीसरी कक्षा के बालक के सांन है।" ऑटो (Otto) के अनुसार, "इस विधि को केवल व्यक्तिगत मामलों में ही प्रयोग करना चाहिए और तभी प्रयोग करना चाहिए जब शारीरिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जा सके।"

(2) पृथक्कीकरण (Segregation)–18वीं शताब्दी में अमेरिका में अनेक नगरों में विद्यार्थियों को योग्यतानुसार विभिन्न सूंहों में रखा जाने लगा। योग्यता का पता परीक्षा लेकर किया जाता था। वह विधि सर्वप्रथम, संभवत: एलिजाबेथ (न्यू जरसी) में प्रयोग की गयी। विद्यार्थियों की योग्यातानुसार विभिन्न सूंह बना दिये गये और इन सूंहों को पूर्ण रूप से विकास की छुट दे दी गयी। अब विदेशों में अनेक ऐसे स्कूल हो गये हैं जहाँ विशिष्ट कक्षाएँ हैं। पर भारत में इस दिशा में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ है। क्लीवलैंड, ओहिओ (Cleveland, Ohio) में विशिष्ट कक्षा की अति उत्तम व्यवस्था है। 1922 में हॉलिंगवर्थ (Hollingworth) ने 'विशेष अवसर कक्षाएँ' (Special Opportunity Classes) न्यूयार्क में आरम्भ की थीं। फलस्वरूप, वे इस निष्कर्ष पर पहुँचीं कि साधारण कक्षाएँ प्रतिभावान बालकों की आवश्यकता पूरी नहीं कर सकतीं। आजकल न्यूयार्क में विशिष्ट बालकों के लिए 'द्रुत अग्रिम कक्षाएँ' (Rapid Advance Classes) जूनियर एवं सीनियर हाईस्कूल में हैं।

यह विधि बालकों में घमण्ड एवं कुसांयोजन उत्पन्न कर सकती है। साथ ही पृथक कक्षा या विद्यालय बनाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। ऑटो के अनुसार, "बहुत कम विद्यालय ऐसे होंगे जहाँ अतिरिक्त कमरे व जगह होगी, जहाँ पर प्रतिभावान बालकों को सामान्य बालकों से पृथक करके पढ़ाया जा सके।"

टास्क प्रतिभा संपन्न बालकों को सामान्य बालकों से अलग प्रशिक्षित करने के लिए सरकार को कुछ सझाव दीजिए।

नोट

(3) संपन्नता (Enrichment)–आधुनिक युग में विशिष्ट बालकों को पढ़ाने का मुख्य तरीका संपन्नता ही है। यह विधि अधिक प्रचलित है। कारण, इसका आर्थिक दृष्टि से कम खर्चीला होना है। इस विधि में प्रतिभावान बालक उस पाठ्यक्रम को, जिसे सामान्य बालक पढ़ता है, अधिक विस्तृत एवं गूढ़ (Extensive and Intensive) रूप से अध्ययन करता है। कैनकटिकर राज्य शिक्षा परिषद के अनुसार, "यह बालक के लिए विभिन्न स्रोतों एवं अनुभवों का प्रयोग है जिससे शिक्षा को एक नवीन और संपन्न अर्थ प्राप्त होता है। इसें गूढ़ अध्ययन पर बल दिया जाता है।"

यद्यपि यह विधि प्रभावकारी है तथापि इसके लिए अलग पाठ्यक्रम तैयार करना अनिवार्य है। एक ही कक्षा में प्रतिभावान बालक द्वारा और सामान्य बालक द्वारा अलग-अलग पाठ्यक्रम पढ़ना ही अनेक संस्याएँ उत्पन्न कर सकता है।

वास्तव में गतिवर्द्धन, पृथक्कीकरण और संपन्नता–इन तीनों विधियों में जहाँ कुछ अच्छाइयाँ हैं वहीं बुराइयाँ भी हैं। अतः कुछ विद्वान एक विधि का विरोध करते हैं तो कुछ दूसरी विधि का। होरेस मन (Horace Mann) के अनुसार, "जो पृथक्कीकरण के पक्ष में हैं, उनका कहना है कि यह प्रजातान्त्रिक है; जबकि संपन्नता के पक्ष वालों का कहना है कि यह विधि अधिक जीवनदायक (Lively) तथा प्रभावकारी है।" गैलघर (Gallagher) तथा क्रॉउडर (Crowder) ने अपने अनुसन्धान से निष्कर्ष निकाला कि "प्रतिभावान बालक जो साधारण कक्षाओं में पढ़ते हैं उनके सामने अधिक प्रेरणात्मक (Motivational) संस्याएँ होती है।" अतः गतिवर्द्धन, पृथक्कीकरण तथा संपन्नता में किसे महत्त्व प्रदान किया जाय, यह केवल प्रत्येक स्कूल तथा बालक के अनुसार बताया जा सकता है, अर्थात् स्कूल की परिस्थिति व बालक-मनोविज्ञान के आधार पर ही तीनों में से कोई विधि लाभदायक अथवा हानिकारक सिद्ध हो सकती है। बेठोइअन ने एक सांजमिति अध्ययन, जो 743 छठे ग्रेड के बालकों पर 22 कक्षाओं में किया गया था, के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि जो बालक तेज गति से अगली कक्षा में चढ़ा दिये गये थे वे औसत बालकों की तुलना में अधिक स्वीकृत थे। इसके विपरीत कक्षा की औसत आयु से बड़ी आयु वाले अधिकतर वे थे जिन्हें पसंद नहीं किया गया। वारेन्टर के अनुसार, यदि प्रतिभावान बालकों को अपनी आयु वालों के साथ ही चलने को मजबूर किया जाता है तो उनमें व्यक्तिगत और व्यवहार संबन्धी दोष आ जाते हैं। बहुत से शिक्षक यह पसन्द नहीं करते कि प्रतिभावान बालक तेजी से आगे की कक्षाओं में बढ़ा दिए जाएँ। हाब्सन का कहना है कि प्रतिभावान बालकों को किन्डरगार्टन कक्षाओं में अन्य बालकों की अपेक्षा कम आयु में प्रवेश दे देना चाहिए। ऐसा करने से आगे चलकर गतिवृद्धि से कक्षा चढ़ाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बल्कि सांनता के आधार पर निष्कर्ष निकला और ऑग्लेडी व वोर्ग ने अपने अध्ययन में पाया कि सामाजिक व आर्थिक विभेदों के कारण बालकों में घमंड आ जाता है और सीखने की दशाओं में सुधार नहीं होता है।

अन्त में कहा जा सकता है कि प्रतिभावान बालकों के शिक्षण में हमें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। हम गतिवृद्धि, संपन्नता तथा विशिष्ट कक्षाओं संबन्धी कार्यक्रमों में से किसी एक को या तीनों को ही अपना सकते हैं किन्तु जो भी कार्यक्रम अपनाएँ उसके पक्ष और विपक्ष दोनों पहलुओं पर गम्भीर रूप से विचार करके और अनुसंधानों के प्रमाणों का अध्ययन करके ही ऐसा करें।

क्या आप जानते हैं अमेरिका के उन शहरों के नाम लिखें जहाँ प्रतिभाशाली बालकों हेतु विद्यालय में उत्तम व्यवस्था की गई हैं।

21.2 प्रतिभाशाली बालक की संस्याओं का निवारण (Problems Prevention of Gifted Children)

प्रतिभावान बालक को किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए इसके लिए Havighurst ने अपनी पुस्तक *A Survey of the Education of Gifted Children* में लिखा "प्रतिभावान बालकों के लिये शिक्षा का सफल कार्यक्रम तभी हो सकता है, जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो।" इस कथन के अनुसार, प्रतिभावान बालकों के शैक्षिक कार्यक्रम का स्वरूप ऐसा होना चाहिए–

नोट

(1) **सामान्य रूप से पदोन्नति–** कुछ मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि प्रतिभावान बालकों को एक वर्ष में दो बार कक्षोन्नति दी जानी चाहिये जबकि इसके विपरीत दूसरे मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि ऐसा करना, उनको सीखने की प्रक्रिया के क्रमिक विकास के लाभ से वंचित करना है। उनका विचार यह भी है कि यह आवश्यक नहीं है कि उनकी सब विषयों में विशेष योग्यता हो। ऐसी दशा में उच्च शिक्षा में पहुँचकर, उसें असांयोजन उत्पन्न हो सकता है। **क्रो** व **क्रो** का परामर्श है–"प्रतिभावान बालक को सामान्य रूप से विभिन्न कक्षाओं में अध्ययन करना चाहिए।" इनके अनुसार प्रतिभावान बालकों को वर्ष के अन्त उसी प्रकार पदोन्नति दी जानी चाहिए, जिस प्रकार अन्य बालकों को दी जाती है।

(2) **विशेष व विस्तृत पाठ्यक्रम–** एक वर्ष में दो बार उन्नति देने की बजाय प्रतिभावान बालकों के लिये विशेष और विस्तृत पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। इस पाठ्यक्रम के अधिक व कठिन विषय होने चाहिए, ताकि वे अपनी विशेष योग्यताओं के कारण अधिक ज्ञान का अर्जन कर सकें। इस संबन्ध में स्किनर ने लिखा है–"इन बालकों के पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए, जिससे उनकी मौखिक योग्यता, सामान्य मानसिक योग्यता और तर्क, चिन्तन और रचनात्मक शक्तियों का अधिकतम विकास हो सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये उनको खोज, मौखिक और स्वतन्त्र कार्यों, क्रियात्मक और प्रयोगात्मक कार्यों के लिए उत्तम अवसर प्रदान किए जाने चाहिए।"

(3) **शिक्षक का व्यक्तिगत ध्यान–** शिक्षक को प्रतिभावान बालकों के प्रति व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए। उसे उनको नियमित रूप से परामर्श और निर्देशन देना चाहिए। इन विधियो का अनुसरण करके ही वह उनको उनकी विशेष योग्यताओं के अनुसार प्रगति करने के लिए अनुप्रभावित कर सकता है।

(4) **चुनाव व वर्गीकरण–** प्रतिभावान बालकों की उचित शिक्षा हेतु सर्वप्रथम यह पता लगाना आवश्यक है कि किस कक्षा (Class) में कौन-कौन से बालक प्रतिभावान हैं। इन बालकों का चुनाव निम्न आधार पर किया जा सकता है, जैस-बुद्धि परीक्षाएँ, व्यक्तित्व परीक्षाएँ, उपलब्धि व निष्पत्ति परीक्षाएँ, पूर्व कक्षाओ के प्राप्तांक, शिक्षकों एवं माता-पिता की संमतियाँ आदि।

(5) **नेतृत्व का अवसर व प्रशिक्षण–** प्रतिभाशाली बालकों को अन्य बालकों एवं लोगों का नेतृत्व करने का अवसर प्रदान करना चाहिए ताकि वे व्यावहारिक जीवन में प्रवेश कर मानव कल्याण कर सकें। **क्रो** व **क्रो** के शब्दों में–"क्योंकि हम प्रतिभाशाली बालक से नेतृत्व की आशा करते हैं, इसलिए उनको विशिष्ट परिस्थितियों में नेतृत्व का अवसर और प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।" जैसे– मानीटर, स्काउट, कम्पनी हेड आदि।

(6) **संस्कृति की शिक्षा–** बहुत से विद्वानों ने प्रतिभावान बालकों को अपनी संस्कृति और उसके विकास की शिक्षा देने का सुझाव प्रस्तुत किया है। इस संदर्भ में हॉलिंगवर्थ ने अपनी पुस्तक An Enriched Curriculum for Rapaid Learners में लिखा है–"प्रतिभावान बालकों को सभ्य सांज में स्थान देने के लिये यह आवश्यक है कि उन्हें विशेष प्रकार से संस्कृति के उद्भव व विकास के विषय में जो अब तक हो चुका है, बताना चाहिए क्योंकि अब वे संस्कृति को संझने लगते हैं वे उन पर संस्कृति का प्रभाव भी पड़ने लगता है बलिक साधारण, वस्तुओं, भोजन, रक्षा, आवागमन आदि इसी प्रकार की वस्तुएँ संपत्ति हैं। इस माध्यम से उन्हें उत्तेजित किया जा सकता है और उनकी बौद्धिक उत्सुकता को सन्तुष्ट किया जा सकता है।

(7) **सामान्य बालकों के साथ शिक्षा–** कुछ मनोवैज्ञानिकों का मत है कि प्रतिभावान बालकों को सामान्य बालकों से अलग विशिष्ट कक्षाओं और विशिष्ट विद्यालयों में शिक्षा दी जानी चाहिए जबकि इसके विरोध में दूसरे मनोवैज्ञानिकों का मत है कि इससे उनमें घमंड की भावना आ जाती है और वे सबके साथ सांमयोजन नहीं कर पाते। अत: आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें सामान्य व कम बुद्धि के बालकों के साथ मिलने-जुलने का अवसर प्रदान किया जाय, जिससे मधुर संबन्ध बन सकें। ऐसा करने से उनमें न तो अभिमान की भावना आएगी न ही भविष्य में सामान्य लोगों के साथ रहने में कोई परेशानी होगी।

नोट

(8) **विशेष अध्ययन की सुविधाएँ–** प्रतिभावान बालकों की सामान्य विषयों के अध्ययन में विशेष रुचि होती है। उनकी इस रुचि का विकास करने के लिए और उनको अधिक अध्ययन के लिये प्रोत्साहित करने के विचार से विभिन्न विषयों की पुस्तकों से सुसज्जित पुस्तकालय (विद्यालय) होना चाहिए। इस प्रकार की शैक्षिक सुविधाएँ उनके अधिक ज्ञान का अर्जन करने में अपूर्व सहायता दे सकती हैं।

(9) **पाठ्य सहभागी क्रियाओं का आयोजन–** प्रतिभावान बालकों में रुचियों का बाहुल्य होता है। उनकी तुष्टि केवल अध्ययन से ही नहीं हो सकती अत: विद्यालय को अधिक से अधिक पाठ्य सहभागी क्रियाओं का उत्तम आयोजन करना चाहिए, जैसे– सरस्वती यात्राएँ, वाद-विवाद प्रतियोगिताएँ व स्काउटिंग आदि।

(10) **सामाजिक अनुभवों के अवसर–**प्रतिभावान बालकों को सामान्य बालकों की सामाजिक क्रियाओं से पृथक नहीं रखना चाहिए। इन क्रियाओं में भाग लेकर उनको सामाजिक अनुभव प्राप्त हो सकते हैं। ये अनुभव उनको निश्चित रूप से सहायता प्रदान करते हैं ताकि वे अनुभवों से सामाजिक सांयोजन कर सकें। **क्रो** व **क्रो** ने कहा– प्रतिभावान बालक को सामाजिक अनुभव प्राप्त करने के अवसर दिये जाने चाहिए, ताकि वह सामाजिक असांयोजन से अपनी रक्षा कर सके।

(11) **व्यक्तित्व का पूर्ण विकास–** ऐसे बालकों का शारीरिक, मानसिक व सामाजिक विकास के साथ व्यक्तित्व विकास भी तीव्र गति से किया जाय Scheiffle ने अपनी पुस्तक The Gifted Child in the Regular Classroom में लिखा है, "प्रतिभावान बालक की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सदैव उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना होना चाहिए। इस दिशा में परिवार, विद्यालय और सांज को एक-दूसरे को इस प्रकार सहयोग देना चाहिए कि प्रारंम्भिक बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो जाए।"

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

सही विकल्प चुनिए (Choose the Correct Option)

1. 1922 में हॉलिंगवर्थ ने अमेरिका में 'विशेष अवसर कक्षाएँ' शुरु की थीं–
   (क) न्यूजर्सी में (ख) न्यूयॉर्क में
   (ग) वॉशिंगटन में
2. मनोवैज्ञानिक हॉब्स के मतानुसार अन्य बालकों की तुलना में कम आयु में प्रवेश देना चाहिए–
   (क) नर्सरी कक्षाओं में (ख) किण्डरगार्डन कक्षाओं में
   (ग) पहली कक्षा में
3. टरमैन के अनुसार विद्यालय जाने से पूर्व पढ़ने वाली बालिकाओं का प्रतिशत है–
   (क) 43.4% (ख) 33%
   (ग) 25.5%
4. आजकल न्यूयॉर्क में विशिष्ट बालकों के लिए 'द्रुत अग्रिम कक्षाएँ' हैं–
   (क) प्री प्राइमरी में (ख) प्राइमरी में
   (ग) जूनियर एवं सीनियर हाईस्कूल में

21.3 प्रतिभावान बालक व बालिका में अंतर (Difrence Between Gifted boy and girl)

मनोवैज्ञानिकों ने अनेकों अध्ययनों के आधार पर प्रतिभावान बालक व बालिका में अन्तर ज्ञात करने के प्रयास किये हैं। उनके अनुसार दोनों में निम्नलिखित अन्तर पाये जाते हैं–

1. जन्म के संय बालक बालिका से डेढ़ इंच अधिक लम्बा तथा प्राय: डेढ़ पौंड अधिक भारी होता है।

नोट

2. बालिका के दाँत बालक से पहले निकलते हैं।
3. बालिका बालक से जल्दी 'चलना' एवं 'बोलना' सीख लेती है।
4. टरमन के अनुसार 46.4% प्रतिशत ही पढ़ लिख पाते हैं।
5. 11 वर्ष की बालिका की भाषा शक्ति इसी आयु के बालक से अधिक होती है।
6. बालक साहस, बहादुरीपूर्ण एवं रहस्यपूर्ण जीवन पसन्द करते हैं जबकि बालिकाएँ घर के वातावरण में अधिक रुचि रखती हैं।
7. बालक गणित, विज्ञान आदि कठिन विषयों में तेज होते हैं तो बालिकाएँ कला, संगीत या नाटक आदि में अधिक कुशल होती हैं।
8. बालिकाएँ बालकों की अपेक्षा विद्यालय में कम अनुपस्थित रहती हैं।
9. 13 वर्ष की आयु तक बालिकाएँ बालकों से 'बुद्धि' में अधिक तेज़ होती हैं।
10. बालक वीरता एवं साहसपूर्ण कहानियाँ अधिक पसन्द करते हैं। जबकि बालिकाएँ संवेगात्मक पुस्तकें एवं कहानियाँ अधिक पढ़ती हैं।

प्रतिभावान बालक की शिक्षा का आयोजन

गाँवों में– गाँवों में प्रतिभावान बालक संख्या में कम होते हैं व हर आयु वर्ग में मिलते हैं। इन्हें विशेष शिक्षण की आवश्यकता होती है। परन्तु एक साधारण अध्यापक यह शिक्षण नहीं दे सकता और न ही शिक्षण के लिए उपयुक्त सामग्री उपलब्ध करा सकता है। अत: गाँवों में एक विशेष अध्यापक को, जो प्रतिभावान बालकों के शिक्षण पर प्रशिक्षण ले चुका हो, नियुक्त किया जाना चाहिए। उसका कार्य योग्यता वाले बालकों को छाँटना, उन्हें अनुदेशन देना, अन्य अध्यापकों को उनके विषय में ज्ञान देना तथा आवश्यक सामग्री का प्रबन्ध करना हो। वह प्रतिभावान बालकों को उचित शैक्षिक अवसर प्रदान करने में भी सहायक हो सकता है। वह एक विशेष सांयोजित (Special Coordinated) प्रोग्राम भी बना सकता है। गाँवों में इस विषय से संबन्धित पत्रिकाएँ भी भेजी जानी चाहिए। अध्यापक को बालक की प्रत्येक योग्यता तथा बुद्धि से पूर्णतया परिचित होना चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो उन्हें बड़े शहरों में, जहाँ प्रतिभावान बालक की शिक्षा का पूर्ण प्रबन्ध हो, भेजने की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। साथ ही, गाँवों में व्यक्तिगत अनुदेशन (Individualized Instruction) तथा गतिवर्द्धन का आयोजन वांछनीय है।

शहरों में– एक बड़े शहर में, जहाँ पर जनसंख्या 1,00,000 या इससे अधिक है; वहाँ पर प्रतिभावान बालक के लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन हो सकता है। एक प्रतिभवान बालक एक सामान्य पाठ्यक्रम को शीघ्र ही पूरा कर लेता है। अत: उससे अन्य ऐसे कार्य भी कराने चाहिए जिससे वह मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास अपनी क्षमताओं के अनुरूप कर सके। उसके लिये योग्य अध्यापकों की नियुक्ति अनिवार्य हैं।

21.4 सारांश (Summary)

- प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालक से बहुत अधिक योग्य होते है। वे उस कार्य को बहुत शीघ्र कर सकते हैं जो उन्हें दिया जाता है। एक साधारण बालक उतनी तीव्र गति से उस कार्य को नहीं कर सकता। उन्हें कक्षा में साधारण बालकों के साथ रखा जाता है या औसत से भी निम्न बालकों के साथ तो कक्षा उनमें लिए अरुचिपूर्ण हो जाती है तथा कक्षा में पठन-पाठन किया उन्हें कोई प्रेरणा नहीं मिलती है। ऐसे बालक पाठशाला के कार्य से कोई संबंध नहीं रखते और अशोभनीय कार्यों में पड़ जाते हैं। उनके अंदर सुस्ती, बेचैनी, नटखटपन उत्पन्न हो जाता हैं। किर्क के अनुसार प्रतिभावान बालक में कुछ प्रवीणताएँ जैसे-सामाजिक, यांत्रिक, कलात्मक, सांगीतिक, भाषायी, शारीरिक व शैक्षिक अवश्य होती हैं जो उन्हें दूसरों से अलग करती है।
- प्रतिभावान बालक के शिक्षण के संबन्ध में हम तीन प्रकार के कार्यक्रमों का अयोजन कर सकते हैं, जैसे–गतिवृद्धि, संपन्नीकरण तथा विशिष्ट कक्षाओं में प्रवेश। आमतौर पर शिक्षक गतिवृद्धि को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। उनके

नोट

विचार में एक पाँचवीं कक्षा का विद्यार्थी जो गतिवृद्धि प्राप्त करके 7वीं कक्षा में प्रवेश पा जाता है, वह उस कक्षा के विद्यार्थियों के साथ न संवेगात्मक न ही शारीरिक और न ही सामाजिक रूप से मेल रख पाता है। अतएव उसको पाँचवीं कक्षा में ही रखना सही माना जाता है जबकि क्रास, जार्ज व स्टेनली ने अपने अध्ययनों में सिद्ध किया कि प्रतिभावान बालक को सांयोजन की कोई संस्या नहीं होती अत: निम्न तीनों ही कार्यक्रम प्रतिभावान बालक की शिक्षा के संबन्ध में आवश्यक हैं।

- **(1) गतिवर्द्धन–** गतिवर्द्धन का तात्पर्य है। बालक का एक अनुदेशन स्तर (Instruction level) से दूसरे अनुदेशन स्तर की ओर सामान्य बालकों की अपेक्षा कम संय में जाना। जैसे जब सामान्य बालक एक साल में एक कक्षा पास करता है, प्रतिभावान बालक दो या तीन कक्षाएँ पास कर लेता है। परन्तु यह केवल तभी संभव है जब बालक प्रथम स्तर पर पूर्णत: कुशलता प्राप्त कर लेता है।
- **(2) पृथक्कीकरण–** 18वीं शताब्दी में अमेरिका में अनेक नगरों में विद्यार्थियों को योग्यतानुसार विभिन्न सूंहों में रखा जाने लगा। योग्यता का पता परीक्षा लेकर किया जाता था। वह विधि सर्वप्रथम, संभवत: एलिजाबेथ (न्यू जरसी) में प्रयोग की गयी। विद्यार्थियों की योग्यातानुसार विभिन्न सूंह बना दिये गये और इन सूंहों को पूर्ण रूप से विकास की छूट दे दी गयी। आजकल न्यूयार्क में विशिष्ट बालकों के लिए 'द्रुत अग्रिम कक्षाएँ' (Rapid Advance Classes) जूनियर एवं सीनियर हाईस्कूल में हैं।
- यह विधि बालकों में घमण्ड एवं कुसांयोजन उत्पन्न कर सकती है। साथ ही पृथक कक्षा या विद्यालय बनाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है।
- **(3) संपन्नता–**आधुनिक युग में विशिष्ट बालकों को पढ़ाने का मुख्य तरीका संपन्नता ही है। यह विधि अधिक प्रचलित है। कारण, इसका आर्थिक दृष्टि से कम खर्चीला होना है। इस विधि में प्रतिभावान बालक उस पाठ्यक्रम को, जिसे सामान्य बालक पढ़ता है, अधिक विस्तृत एवं गूढ़ (Extensive and Intensive) रूप से अध्ययन करता है।
- यद्यपि यह विधि प्रभावकारी है तथापि इसके लिए अलग पाठ्यक्रम तैयार करना अनिवार्य है। एक ही कक्षा में प्रतिभावान बालक द्वारा और सामान्य बालक द्वारा अलग-अलग पाठ्यक्रम पढ़ना ही अनेक संस्याएँ उत्पन्न कर सकता है।
- **प्रतिभाशाली बालक की संस्याओं का निवारण–**प्रतिभावान बालकों के शैक्षिक कार्यक्रम का स्वरूप ऐसा होना चाहिए– (1) सामान्य रूप से पदोन्नति; (2) विशेष व विस्तृत पाठ्यक्रम; (3) शिक्षक का व्यक्तिगत ध्यान; (4) चुनाव व वर्गीकरण; (5) नेतृत्व का अवसर व प्रशिक्षण; (6) संस्कृति की शिक्षा; (7) सामान्य बालकों के साथ शिक्षा; (8) विशेष अध्ययन की सुविधाएँ; (9) पाठ्य सहभागी क्रियाओं का आयोजन; (10) सामाजिक अनुभवों के अवसर; (11) व्यक्तित्व का पूर्ण विकास।
- **गाँवों में–** गाँवों में प्रतिभावान बालक संख्या में कम होते हैं व हर आयु वर्ग में मिलते हैं। इन्हें विशेष शिक्षण की आवश्यकता होती है। परन्तु एक साधारण अध्यापक यह शिक्षण नहीं दे सकता और न ही शिक्षण के लिए उपयुक्त सामग्री उपलब्ध करा सकता है। अत: गाँवों में एक विशेष अध्यापक को, जो प्रतिभावान बालकों के शिक्षण पर प्रशिक्षण ले चुका हो, नियुक्त किया जाना चाहिए।
- **शहरों में–** एक बड़े शहर में, जहाँ पर जनसंख्या 1,00,000 या इससे अधिक है; वहाँ पर प्रतिभावान बालक के लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन हो सकता है।

21.5 शब्दकोश (Keywords)

- **अपूर्व–** जैसा पहले न हुआ हो, अनूठा, अद्भुत।
- **गतिवर्द्धन–** आगे बढ़ाना।

नोट

21.6 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

1. प्रतिभाशाली बालकों हेतु शिक्षण आव्यूह का वर्णन कीजिए।
2. प्रतिभाशाली बालकों की संस्याओं के निवारण पर विचार कीजिए।

उत्तर : स्व-मूल्यांकन (Answer: Self Assessment)

1. (ख) 2. (ख) 3. (क) 4. (ग)।

21.7 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

पुस्तकें

1. *शारीरिक रूप से विकलांग बालक*– योगेन्द्र कुमार शर्मा, कनिष्क पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
2. *विशिष्ट शिक्षा*- कुमार संजीव, जानकी प्रकाशन, पटना।
3. *विशिष्ट बालक*– अवधारणा, विकास एवं शिक्षा, के. के. पब्लिकेशंस, नई दिल्ली।
4. *विशिष्ट शिक्षा का प्रारूप*– डॉ. आर. लाल. शर्मा, आर. लाल. बुक डिपो, आगरा।

नोट

इकाई–22: पिछड़े एवं अपराधी बालक: परिभाषा, प्रकार एवं विशेषताएँ (Backword and delinquent Children: Definition, Types, Charecteristics)

अनुक्रमणिका (Contents)

उद्देश्य (Objectives)
प्रस्तावना (Introduction)
22.1 पिछड़े एवं अपराधी बालकों का अर्थ एवं परिभाषा (Definition of Backword and Delinquent Children)
22.1.1 यहाँ पिछड़े एवं अपराधी अर्थ एवं परिभाषा (Meaning Definition and of Backword Children)
22.1.2 अपराधी बालक का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition of Delinquent Children)
22.2 पिछड़े एवं अपराधी बालकों के प्रकार (Types of Backword and Delinquent Children)
22.2.1 पिछड़ेपन के प्रकार (Types of Backwardness)
22.2.2 बाल-अपराध के प्रकार (Types of Delinquent acts)
22.3 पिछड़े एवं अपराधी बालकों की विशेषताएँ (Characteristics of Backword and Delinquent Children)
22.3.1 पिछड़े बालकों की विशेषताएँ (Characteristics of Backward Children)
22.4 सारांश (Summary)
22.5 शब्दकोश (Keyworods)
22.6 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)
22.7 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

उद्देश्य (Objectives)

विद्यार्थी इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् सक्षम होंगे–

- पिछड़े एवं अपराधी बालकों प्रकार एवं विशेषताओं से परिचित होंगे।

प्रस्तावना (Introduction)

पिछड़ापन विद्यालयों की गूढ़ व जटिल समस्या है। इस समस्या अधिकांश अध्यापक हल करने का प्रयत्न नहीं करते। जबकि अध्यापकों का इस प्रकार का नकारात्मक रवैय्य उचित नहीं है। क्योंकि यह भी संभव है कि बालक के पिछड़ेपन का कारण बालक की मंद बुद्धि हो। हालांकि सभी पिछड़े बालकों के पिछड़ेपन का कारण मंदबुद्धि नहीं है।

नोट

जो बालक किसी अन्य की अपेक्षा किसी काम मे पिछड़ जाएँ वह पिछड़े हुए बालक कहलाते हैं। जबकि शिक्षा के संदर्भ में पिछड़े बालक वे होते हैं जो किसी तथ्य को बार-बार समझाने के बावजूद नहीं समझते व औसत बालकों के समान प्रगति नहीं कर पाते। ये पढ़ने लिखने में कमज़ोर हैं व कई बार असफल होते हैं मानसिक रूप से मंद बुद्धि सभी बालक पिछड़ेपन का शिकार होते हैं। किंतु अनेक सामान्य बुद्धि के बालक भी शैक्षिक प्रगति में पिछड़ जाते हैं। बर्ट ने लिखा है कि "पिछड़ा बालक वह है जो अपने स्कूल जीवन के मध्यकाल (लगभग 10ऋ वर्ष की आयु में) अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य नहीं कर सकता, जोकि उसकी आयु के लिए सामान्य कार्य है।"

पिछड़े बालक सामाजिक मूल्यों के विपरीत कार्य करते हैं तथा ऐसे बालकों को बाल अपराधी की श्रेणी में रखा जाता है। आज वर्तमान समाज में इस प्रकार के कृत्यों का विस्तार बहुत तेज़ी से हुआ है। इसमें साधारण उद्दण्डता से लेकर हत्या तथा बलात्कार जैसे गंभीर अपराध सम्मिलित हैं

22.1 पिछड़े एवं अपराधी बालकों का अर्थ एवं परिभाषा (Definition of Backword and Delinquent Children)

22.1.1 पिछड़े बालक का अर्थ अर्थ एवं परिभाषा (Meaning Definition and of Backword Children)

अन्य विशिष्टताओं की भाँति पिछड़ापन भी एक सापेक्षिक प्रत्यय है। अत: किसी भी बालक को पिछड़े बालकों की श्रेणी में रखने का आधार उसका पर्यावरण संबन्धी तुलनात्मक पिछड़ापन होता है। इसी कारण विभिन्न विद्वानों ने इसको विभिन्न दृष्टिकोणों से परिभाषित किया है। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अपने समान आयु स्तर के अन्य बालकों से शैक्षिक उपलब्धि में पिछड़ जाने वाला बालक, पिछड़ा बालक है। शॉनेल के शब्दों में, "पिछड़ा बालक वह है जो अपनी ही आय के अन्य बालकों की अपेक्षा उल्लेखनीय शैक्षणिक न्यूनता प्रदर्शित करता है।" (''Back ward pupil is one who when compared with other pupils of the same chronological age, shows marked educational deficiency.'')

अन्य विद्वानों के अनुसार पिछड़ा बालक वह है जो कक्षा में अपनी योग्यताओं एवं क्षमताओं के अनुरूप प्रगति नहीं कर पाता तथा अपनी कक्षा (या उसकी आयु-समूह के लिए सामान्य कक्षा) से एक या दो कक्षा नीचे के कार्यों को करने में भी अपने आपको अक्षम पाता है या कठिनाई का अनुभव करता है। उदाहरणार्थ–बार्टन हॉल के अनुसार, "सामान्यतया पिछड़ेपन का प्रयोग उन बालकों के लिए होता है जिनकी शैक्षिणिक उपलब्धि उनकी स्वाभाभिक योग्यताओं के स्तर से कम हो।" (''Backwardness in general is applied to cases where their educational achievement falls below the level of their natural abilities.'')

बर्ट ने अपनी पुस्तक 'दी बैकवर्ड चाइल्ड' में पिछड़े बालक को निम्न प्रकार परिभाषित किया है–"पिछड़ा हुआ बालक वह है जो स्कूली जीवन के मध्य में अपनी आयु-स्तर की कक्षा से एक सीढ़ी नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो।" (''Backward child is one who in mid school career is unable to do the work of the class next below that which is normal for his age.'')

पिछड़ापन प्राय: बालक की सीखने की मन्द गति का भी द्योतक होता है। यह कभी बालक की सभी शैक्षिक विषयों में उपलब्धि को प्रभावित करता है तो कभी केवल किसी विषय विशेष को। **बर्ट** ने पिछड़े बालकों को साँख्यिकीय रूप से परिभाषित किया है। उनके अनुसार किसी विषय में 85 से कम संप्राप्ति लब्धि (attainment quotient) वाला बालक उस विषय में पिछड़ा बालक कहलाता है जबकि 85 से 155 तक संप्राप्ति लब्धि वाले बालक सामान्य बालकों की श्रेणी में आते हैं। संप्राप्ति लब्धि ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है–

$$\text{A. Q. (Attainment Quotient)} = \frac{\text{विषय में सम्प्राप्ति आयु} \times 100}{\text{वर्षायु}}$$

नोट

किसी विषय में संप्राप्ति आयु (attainment age) जानने के लिए मानक उपलब्धि परीक्षणों को प्रयोग किया जाता है तथा प्राप्तांकों को मानक सारिणी का सहायता से संप्राप्ति आयु में परिवर्तित कर लिया जाता है। सामान्य पिछड़ापन (General backwardness) ज्ञात करने के लिए सभी विषयों की संप्राप्ति आयु का औसत करके सूत्र में रखा जाता है।

उपर्युक्त दृष्टिकोणों के आधार पर शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों को, विस्तृत रूप से, इन शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है। "पिछड़ा बालक वह है जो अपनी योग्यताओं के अनुरूप शैक्षिक प्रगति नहीं कर पाता तथा समान आयु के बालकों से शैक्षिक उपलबिध में पिछड़ जाता है। उसके सीखने की गति प्राय: मन्द होती है और वह शैक्षिक दृष्टि से निश्चित रूप से असफल सिद्ध होता है। अत: एक ही कक्षा में कई वर्षो तक विराजमान रहता है तथा अपनी आयु के अनुसार सामान्य कक्षा से एक या दो कक्षा नीचे के कार्यों को करने में भी अपने आपको असमर्थ पाता है। उसकी मानक उपलब्धि परीक्षणों पर संप्राप्ति लब्धि 85 से कम होती है। वह, आवश्यक रूप से, मन्द बुद्धि बालक नहीं होता।" (A backward child one who does not progress educationally as per his abilities and lags behind the children of the same age in educational achievement. He is usually a slow learner nad proves himself a failure eduacationally. Therefore, remains in the same class for years and finosq himself unable to do the work of the class next or next to next below that which is normal for his age. On standardized achievement tests his Achievement Quotient is below 85. He is not, essentially, a dull Child.,)

चित्र: शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक

यह निश्चित करने के लिए कि कोई कम शैक्षणिक उपलब्धि वाला बालक पिछड़ा हुआ है अथवा नहीं, उस बालक की उपलब्धि की तुलना उसकी स्वाभाविक योग्यता से अथवा समान आयु तथा समान बुद्धि-लब्धि वाले बालक की उपलब्धि से की जानी चाहिए। यह आवश्यक नहीं कि कम, औसत बुद्धि लब्धि या योग्यताओं वाले बालक ही शैक्षिक रूप से पिछड़े हों। प्राय: ऐसा भी देखने में आता है कि विशेष प्रतिभा-संपन्न बालक, यद्यपि अन्य समान आयु के बालकों की तुलना में उच्च स्तरीय उपलब्धि रखते हैं। शैक्षिक क्षेत्र में अपनी क्षमताओं एवं योग्यताओं के अनुरूप प्रगति नहीं कर पाते। ऐसे प्रतिभाशाली बालक भी पिछड़े की श्रेणी में आते हैं। दूसरी ओर, एक मन्द बुद्धि बालक किसी सामान्य बालक के बराबर प्रगति नहीं कर पाता, उसे तब तक पिछड़ा नहीं कहा जा सकता जब तक कि उसकी उपलब्धि की मात्रा उससे कम न हो जितनी कि वह अपनी योग्यता के आधार पर प्राप्त कर सकता है।

22.1.2 अपराधी बालक का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition of Delinquent Children)

बालकों के द्वारा सामाजिक मूल्यों के विपरीत किया गया प्रतयेक कार्य 'बाल-अपराध' कहलाता है तथा इन्हें करने वाले बालक 'बाल-अपराधी' कहलाते हैं। इस प्रकार के कृत्यों का विस्तार बहुत अधिक है। इसमें साधारण उद्दण्डता से लेकर हत्या तथा बलात्कार जैसे गम्भीर अपराध सम्मिलित हैं। क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र तथा समाज के अपने पृथक् सामाजिक मूल्य तथा नैतिक मापदण्ड होते हैं (जो समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं)। 'बाल-अपराधी' तथा

नोट

'बाल-अपराध' को किसी एक सर्वमान्य परिभाषा द्वारा परिभाषित नहीं किया जा सकता है। सामान्य रूप में यह एक कानूनी (Legal) तथा प्रचलित प्रत्यय है। इसके अतिरिक्त, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अपराधशास्त्र तथा कानून भी इनको अपने-अपने दृष्टिकोणों से परिभाषित करते हैं। मनोविज्ञानशास्त्री **बर्ट** (Burt) ने बालक के समाज विरोधी कार्य करने की प्रवृत्ति की गम्भीरता के आधार पर 'बाल-अपराधी' को निम्न शब्दों में परिभाषित किया है–

"शाब्दिक अर्थ में वह बालक अपराधी कहलाता है जिसकी समाज विरोधी प्रवृत्तियाँ इतनी गम्भीर हो जाती हैं कि शासन को उसके विरुद्ध कार्यवाही करनी पड़ती है।" (A child is to be regarded as technically delinquent when his anti-social tendencies appear so grave that he becomes or ought to become the subject of official action.)

हीली (Healy) के शब्दों में, "वह बालक जो व्यवहार के सामाजिक प्रतिमानों से विचलित हो जाता है, अपराधी कहलाता है।" (A child who deviates from the social norms of behaviour is called delinquent.)

वेरेशियस तथा **मिलर** ने बाल-अपराध को विस्तृत रूप से परिभाषित किया है। उनके अनुसार बाल अपराध, "अल्पवयस्क के द्वारा किया गया वह व्यवहार है जो विशेष विधिक प्रतिमानों अथवा किसी सामाजिक संस्थान के आदर्शों को निरन्तर अथवा और गम्भीरता के साथ तोड़ता है जिससे कि व्यवहार करने वाले व्यक्ति अथवा समूह के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही का दृढ़ आधार प्राप्त हो जाता है।" (A behaviour by non adults which violates specific legal norms or norms of a particular societal institution with sufficient frequency and / or serousness so as to provide a firm basis for legal action against the behaving individual or group.)

ऊपर दी गई सभी परिभाषाओं से बाल-अपराध के विषय में निम्नलिखित तीन बातें स्पष्ट होती हैं–

(*i*) बाल-अपराध एक समाज विरोधी व्यवहार है,

(*ii*) यह एक विशेष आयु वर्ग (12 से 21 वर्ष) के बालकों द्वारा किये जाते हैं, और

(*iii*) कानून के द्वारा दण्डनीय होते हैं।

इसके अनुसार बालक को उसके व्यवहार की विशिष्टता के आधार पर निम्न शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है–

"बाल-अपराधी वह अल्पवयस्क है जिससे कि समाज विरोधी व्यवहार अथवा कृत्य, जो यदि वयस्क के द्वारा निष्पादित किए जाएँ तो अपराध समझे जाते हैं और इस प्रकार कानूनी कार्यवाही का विषय होते हैं।"

''A juvenile Delinquent is a youngster whose anti-social behaviour or act which. if performed by an adult, would be a criminal act and, therefore, subject to legal action.''

22.2 पिछड़े एवं अपराधी बालकों के प्रकार (Types of Backword and Delinquent Children)

22.2.1 पिछड़ेपन के प्रकार (Types of Backwardness)

प्रारम्भ से ही पिछड़ेपन के प्रकार के विषय में मनोवैज्ञानिकों में काफी मतभेद रहा है, परन्तु यदि मुख्य रूप से देखें तो हम बालकों के पिछड़ेपन को निम्न रूप से वर्गीकृत कर सकते हैं–

1. **मानसिक रूप से पिछड़े बालक (Mentally Backward Children)**– मानसिक रूप से पिछड़े बालक वह होते हैं जिनका मानसिक विकास पूरी तरह नहीं हो पाता है। इनके पिछड़ेपन का पता इनके व्यवहार द्वारा लगाया जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिक इन्हें मन्द अधिगामी (Slow learner) के नाम से पुकारते हैं।
2. **शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक (Educationally Backward Children)**– शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक वह होते हैं जो किसी विद्यालयी विषय में अयोग्य होते हैं तथा जिनके पढ़ने की निष्पत्ति (achievement) अपनी आयु के बालकों से दो या तीन वर्ष कम होती है। इनके लिए शैक्षिक कार्यक्रम बनाने के लिए पिछड़ेपन पर ध्यान देना पड़ता है। ये निम्न मात्रा के होते हैं–

नोट

(*i*) **निम्न स्तरीय पिछड़ापन (Minor Type)–** इसमें ऐसे बालक आते हैं जिनमें बहुत कम दोष होता है तथा जो सरलता से उपचार द्वारा ठीक हो जाते हैं। ये संख्या में अधिक होते हैं।

(*ii*) **मध्यम स्तरीय पिछड़ापन (Medium Type)–** इसमें ऐसे पिछड़े बालक आते हैं, जिनमें दोष अधिक होते हैं, परन्तु जो विशेष और साधारण अध्यापक द्वारा निरन्तर ध्यान देने व इलाज कराने से ठीक हो सकते हैं। ये संख्या में अपेक्षाकृत कम होते हैं।

(*iii*) **उच्च स्तरीय पिछड़ापन (Major Type)–** इनमें ऐसे बालक होते हैं, जिनका शैक्षिक स्तर इस सीमा तक पिछड़ा होता है कि उन्हें एक ऐसे अध्यापक की आवश्यकता होती है जो पूर्णत: इनकी ओर ध्यान दे और उपचार करे। इनके ठीक होने की संभावना बहुत कम होती है।

22.2.2 बाल-अपराध के प्रकार (Types of Delinquent acts)

बाल-अपराध के प्रकार अथवा प्रकृति को वर्गीकृत करना आसान कार्य नहीं है क्योंकि समय, स्थान, अपराधी की आयु, देश की कानूनी व्यवस्था, सामाजिक मूल्यों, नैतिकता के मानदण्ड तथा नैतिक एवं धार्मिक आचरण व वातावरण के अनुरूप इसकी परिभाषा भी बदल जाती है। भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में बाल-अपराध के अन्तर्गत सभी कार्य-व्यवहार आ जाते हैं जिनसे सामाजिक मूल्यों में बाधा और जानबूझकर अवहेलना होती हो या बाल अधिनियम, 1920, 1924 एवं 1948 का उल्लंघन होता हो। सामान्यत: बाल अपराध को निम्न रूपों में देखा जा सकता है–

1. प्राप्ति की प्रवृत्ति (Acuqisitive Tendency)— बालकों के अपराधी कार्यों में से अधिकांश का लक्ष्य तत्क्षण प्राप्ति की प्रवृत्ति को सन्तुष्ट करना होता है। इस प्रकार के कार्यों में 'चोरी' प्रमुख है जो घर से प्रारम्भ होती है तथा समय पर पता न चलने अथवा ध्यान न देने से अन्य परिस्थितियों जैसे–स्कूल, बाजार, पड़ोस आदि में सामान्यीकृत (generalize) हो जाती है। यह तनाव मुक्ति का एक साधन है, विशेष रूप से किशोरो में लैंगिक तनाव का। वे प्राय: अपने प्रिय विपरीत अथवा समलिंगीय व्यक्ति की (प्रयोग की जाने वाली) वस्तु जैसे–रूमाल, अंगूठी, पैन, पुस्तक आदि की चोरी करते हैं। कभी-कभी चोरी वैमनस्य, घृणा अथवा क्रोध की अभिव्यक्ति भी करती है। किशोरों के गैंग के द्वारा गम्भीर चोरी अपराध दिन-प्रतिदिन की ऐय्याशी की आदतों को पूरा करने के उद्देश्य से भी किए जाते हैं।

2. धोखाधड़ी (Forgery)— किशोरों (प्राय: उत्तम बौद्धिक क्षमता वाले) के द्वारा किए गए अपराधों में धोखाधड़ी भी मुख्य है। वे प्राय: लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसा ठगना, हस्ताक्षर नकल करके बैंक से पैसे निकाल लेना, झूठ बोलाना, आदि अपराध करते पाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त जुआ खेलना, जेब काटना भी धोखाधड़ी के कार्यों में आते हैं।

3. उग्र प्रवृत्तियाँ (Aggressive Tendencies)— अनेक बाल-अपराधों में व्यवहार की उग्रता देखने को मिलती है। इस उग्र व्यवहार की अभिव्यक्ति अनेक रूपों में सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं के प्रति हो सकती है। इस व्यवहार से अपराधी को सुख की अनुभूति होती है। कुछ मुख्य उग्र व्यवहार जो अपराध माने जाते हैं, निम्नलिखित हैं–

- स्कूल, घर अथवा सरकारी संपत्ति की तोड़-फोड़।
- नियमों का उल्लंघन।
- दूसरों को शारीरिक तथा मानसिक कष्ट पहुँचाना।
- मूक पशुओं को आतंकित (torture) करना।
- हत्या करना, तथा
- आत्महत्या आदि

4. लैंगिक अपराध (The Sex Delinquency)— किशोरों में लैंगिक अपराधों की संख्या सबसे अधिक पायी जाती है। ये प्राय: सभी प्रकार के लैंगिक अपराधों में सम्मिलित होते हैं। जैसे–

नोट

- समलिंगीय मैथुन,
- विषमलिंगीय मैथुन,
- हस्त-मैथुन,
- पशुओं से मैथुन,
- अश्लीलता का प्रदर्शन,
- विषमलिंगी के साथ छेड़छाड़,
- दीवारों पर भद्दे चित्र बनाना,
- दीवारों पर अश्लील बातें लिखना
- बलपूर्वक मैथुन,
- अश्लील बातें तथा मजाक करना आदि।

5. भगोड़ापन (Tendency to Escape)— वास्तविकता का सामना करने में असफल बालकों के प्राय: परिस्थितियों से भाग जाने की प्रवृत्ति पायी जाती है। जैसे–

स्कूल से भाग जाना; घर से भाग जाना आदि।

इनके अतिरिक्त मद्यपान करना, भीख माँगना, अनुत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार तथा नशीली दवाओं का सेवन आदि अनेक ऐसे अपराध हैं जो बालकों के द्वारा किये जाते हैं तथा कानूनी रूप से उनको प्रस्तुत किया जाता है।

नोट्स पिछड़े बालक अपनी कक्षा में समान प्रगति करने की अयोग्यता होती है। सामान्य बालकों की तुलना में सोचने-समझने की शक्ति कम रखते हैं।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

दिए गए कथनो के सामने सही (✓) अथवा गलत (✗) का निशान लगाएँ (State whether the followings statements are True or False)—

1. पिछड़े बालकों की अधिगम की गति मंद होती है।
2. पिछड़े बालको का मुख्य कारण माता-पिता द्वारा उस पर ध्यान न दिया जाना है।
3. कानून द्वारा दण्डित करने का भय अपराधी बालक को और उग्र बना देता है।
4. बाल अपराधी को उग्र अभिव्यक्ति से सुख की अनुभूति होती है।
5. मानसिक रूप से पिछले बालक को मन्द अधिगामी (Slow Learning) भी कहा जाता है।

22.3 पिछड़े एवं अपराधी बालकों की विशेषताएँ (Charecteristics of Backword and Delinquent Children)

22.3.1 पिछड़े बालकों की विशेषताएँ (Characteristics of Backward Children)

1. पिछड़े बालकों के अधिगम की गति मन्द होती है।
2. ये बालक जीवन के प्रति निराशा का अनुभव करते हैं।
3. इन बालकों की प्रवृत्ति समाज विरोधी कार्यों को करने की होती है।
4. इनके व्यवहार में विभिन्न समस्याओं की अभिव्यक्ति होती है।
5. इन बालकों में जन्मजात योग्यताओं की तुलना में न्यून शैक्षिक उपलब्धि होती है।
6. पिछड़े बालकों में सामान्य विद्यालयी पाठ्यक्रम से लाभान्वित होने की अक्षमता होती है।
7. ये बालक सामान्य शिक्षण द्वारा शिक्षा ग्रहण करने में असफल होते हैं।
8. मानसिक रूप से अस्वस्थ एवं असमायोजित (maladjusted) व्यवहार करने वाले होते हैं।

नोट

9. इन बालकों की बुद्धि–लब्धि (I. Q.) निम्न होती है अर्थात् (40 से 90 तक) या इससे कम होती है।

अन्त में, हम कह सकते हैं कि पिछड़े बालक वह बालक होते हैं जो सामान्य बालकों को दी जाने वाली सुविधाओं से लाभ नहीं उठा पाते हैं। अत: उनके लिए अलग कक्षा व शिक्षण विधियों की आवश्यकता होती है।

22.3.2 अपराधी बालकों की विशेषताएँ (Characteristics of Delinquent Children)

अपराधी बालक की सामान्य एवं विशिष्ट विशेषताओं का पता लगाने के लिए अनेक शोध किए गए हैं। क्लेरेसस ने अपनी 'अपचारिता–उन्मुखता जाँच सूची' (Delinquency-proneness check list) के उपप्रयोग द्वारा विद्यालयों में 18 तरह की ऐसी विशेषताओं का उल्लेख किया है जिन्हें 'अपराधी बालकों' में प्राय: देखा जा सकता है। यहाँ ध्यान रखना होगा कि अधिकांश युवा–बालक समाज द्वारा नियत कानून का उल्लंघन मामूली या साधारण कोटि का होता है या कुछ मामलों में इसे नहीं मालूम किया जा सकता। इस परिप्रेक्ष्य में विचार करने पर 'अपराधी बालक' की ओधालिखित विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं–

1. विद्यालय के प्रति अरूचि प्रदर्शित करना।
2. विद्यालय की कार्यवाहियों, नियमों एवं मानदंडों के प्रति रोष व्यक्त करना।
3. कई विद्यालयों में प्रवेश ले लेना।
4. सीमित रूप में शैक्षिक एवं व्यावसायिक योजना रखना।
5. विद्यालय की सम्पत्ति या उसमें उपलब्ध सामग्री को हानी पहुँचाना।
6. क्रीड़ा क्षेत्र में निर्दयता या डराने-धमकाने वाला व्यवहार प्रदर्शित करना।
7. कक्षा में क्रोध या चिड़ा-चिड़ापन दिखाता है।
8. ऐसा महसूस करता है कि विद्यालय या कक्षा से उसका कोई संबंध नहीं है।

इन विशेषताओं के अतिरिक्त बाल अपराधियों की भी कुछ मुख्य विशेषताएँ होती हैं जिनके कारण इनको पहचाना जा सकता है क्योंकि सामान्य रूप से बालक झूठ बोलने से प्रारम्भ करके हत्या या बड़ी डकैती तक में संलग्न हो जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल अपराधी की कुछ विशेषताएँ इस प्रकार हैं–

फ्रैश्मर व **गुडविन** के अनुसार ये विशेषताएँ इस प्रकार हैं–

1. गठा हुआ और पुष्ट शरीर।
2. जिद्दी, स्वार्थी, साहसी, बहिर्मुखी, अपराधी, विनाशकारी, आक्रमणकारी।
3. प्रेम, ज्ञान, नैतिकता और संवेगात्मक संतुलन से रहित परिवार का सदस्य।
4. संभोग में क्रूरता, व्यवहार में व्याकुलता और सामाजिक स्थिति प्राप्त करने की उत्सुकता।
5. दूसरों पर संदेह करना, शीघ्र क्रूद्ध होना, दूसरों का विरोध करना।
6. समाज विरोधी कार्य करना, अधिकारियों की आज्ञा न मानना, समस्या को उचित विधि से हल न करना।

एलिस के अनुसार– अध्ययन में मन न लगना, बालकों और बालिकाओं का अनुपात क्रमश: 80 : 20 का होना।

कुप्पूस्वामी के अनुसार– अपराधी बालक के चरित्र की मुख्य विशेषता य है कि वह वर्तमान आनन्द के सिद्धान्त में विश्वास कराता है और भविष्य की चिंता नहीं करता हैं

यहा स्मरण रखना कि उपर्युक्त विशेषताओं को व्यवार के परिसूचक के रूप में उपकल्पित किया गया है। इन्हें अपराधिता संबन्धी भविष्यकथन हेतु आधार मानना भूल होगी। कारण यह है कि इनमें से एक या एक से अधिक विशेषताओं के रहते हुए भी अपराधी बालक 'अपराधिता' की ओर नहीं जा सकता है।

नोट

22.4 सारांश (Summary)

- पिछड़ापन विद्यालयों की गूढ़ व जटिल समस्या है। इस समस्या अधिकांश अध्यापक हल करने का प्रयत्न नहीं करते। जबकि अध्यापकों का इस प्रकार का नकारात्मक रवैय्य उचित नहीं है। क्योंकि यह भी संभव है कि बालक के पिछड़ेपन का कारण बालक की मंद बुद्धि हो। हालांकि सभी पिछड़े बालकों के पिछड़ेपन का कारण मंदबुद्धि नहीं है।
- जो बालक किसी अन्य की अपेक्षा किसी काम मे पिछड़ जाएँ वह पिछड़े हुए बालक कहलाते हैं। जबकि शिक्षा के संदर्भ में पिछड़े बालक वे होते हैं जो किसी तथ्य को बार-बार समझाने के बावजूद नहीं समझते व औसत बालकों के समान प्रगति नहीं कर पाते। ये पढ़ने लिखने में कमज़ोर हैं व कई बार असफल होते हैं मानसिक रूप से मंद बुद्धि सभी बालक पिछड़ेपन का शिकार होते हैं। किंतु अनेक सामान्य बुद्धि के बालक भी शैक्षिक प्रगति में पिछड़ जाते हैं। बर्ट ने लिखा है कि "पिछड़ा बालक वह है जो अपने स्कूल जीवन के मध्यकाल (लगभग 10ऋ वर्ष की आयु में) अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य नहीं कर सकता, जोकि उसकी आयु के लिए सामान्य कार्य है।"
- **पिछड़ेपन के प्रकार–** प्रारम्भ से ही पिछड़ेपन के प्रकार के विषय में मनोवैज्ञानिकों में काफी मतभेद रहा है, परन्तु यदि मुख्य रूप से देखें तो हम बालकों के पिछड़ेपन को निम्न रूप से वर्गीकृत कर सकते हैं–1. मानसिक रूप से पिछड़े बालक; 2. शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक।
- **बाल-अपराध के प्रकार–** सामान्यत: बाल अपराध को निम्न रूपों में देखा जा सकता है–

  प्राप्ति की प्रवृत्ति– बालकों के अपराधी कार्यों में से अधिकांश का लक्ष्य तत्क्षण प्राप्ति की प्रवृत्ति को सन्तुष्ट करना होता है। इस प्रकार के कार्यों में 'चोरी' प्रमुख है जो घर से प्रारम्भ होती है। किशोरों के गैंग के द्वारा गम्भीर चोरी अपराध दिन-प्रतिदिन की ऐय्याशी की आदतों को पूरा करने के उद्देश्य से भी किए जाते हैं।

  धोखाधड़ी– किशोरों (प्राय: उत्तम बौद्धिक क्षमता वाले) के द्वारा किए गए अपराधों में धोखाधड़ी भी मुख्य है।

  उग्र प्रवृत्तियाँ– अनेक बाल-अपराधों में व्यवहार की उग्रता देखने को मिलती है। इस उग्र व्यवहार की अभिव्यक्ति अनेक रूपों में सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं के प्रति हो सकती है। इस व्यवहार से अपराधी को सुख की अनुभूति होती है।

  भगोड़ापन– वास्तविकता का सामना करने में असफल बालकों के प्राय: परिस्थितियों से भाग जाने की प्रवृत्ति पायी जाती है। जैसे– स्कूल से भाग जाना; घर से भाग जाना आदि।
- **पिछड़े बालकों की विशेषताएँ–**
- पिछड़े बालकों के अधिगम की गति मन्द होती है।
- ये बालक जीवन के प्रति निराशा का अनुभव करते हैं।
- इन बालकों की बुद्धि-लब्धि (I. Q.) निम्न होती है अर्थात् (40 से 90 तक) या इससे कम होती है।
- **अपराधी बालकों की विशेषताएँ–** 'अपराधी बालक' की ओधालिखित विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं–
- विद्यालय की कार्यवाहियों, नियमों एवं मानदंडों के प्रति रोष व्यक्त करना।
- विद्यालय की सम्पत्ति या उसमें उपलब्ध सामग्री को हानी पहुँचाना।
- क्रीड़ा क्षेत्र में निर्दयता या डराने-धमकाने वाला व्यवहार प्रदर्शित करना।

  इन विशेषताओं के अतिरिक्त बाल अपराधियों की भी कुछ मुख्य विशेषताएँ होती हैं जिनके कारण इनको पहचाना जा सकता है क्योंकि सामान्य रूप से बालक झूठ बोलने से प्रारम्भ करके हत्या या बड़ी डकैती तक में संलग्न हो जाता है।

नोट

22.5 शब्दकोश (Keywords)

1. **सापेक्षिक प्रत्यय**–अपेक्षित अवधारणा
2. **रोष**–गुस्सा, क्रोध, विरोध प्रकट करना

22.6 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

1. पिछड़े एवं अपराधी बालकों की परिभाषा दीजिए।
2. पिछड़े एवं अपराधी बालकों के प्रकार बताइए।
3. पिछड़े एवं अपराधी बालकों की विशेषताएँ समझाइए।

उत्तर : स्व-मूल्यांकन (Answer: Self Assessment)

1. 2. (✗) 3. 4.

5. (✓)।

22.7 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

पुस्तकें

1. *विशिष्ट बालक*– एल. बी. बाजपेयी, अमिता बाजपेयी, भारत बुक सेंटर, नई दिल्ली।
2. *विशिष्ट शिक्षा*– श्याम सिंह गौड़, साहित्य प्रकाशन, आगरा।
3. *विशिष्ट बालक: शिक्षा एवं पुनर्वास*– महेश भार्गव, एच. पी. भार्गव बुक हाउस, आगरा।
4. *विशिष्ट बालक*– आभारानी बिष्ट, अग्रवाल प्रकाशन, आगरा।
5. *विशिष्ट शिक्षा का प्रारूप*– डॉ. आर. लाल. शर्मा, आर. लाल. बुक डिपो, आगरा।

नोट

इकाई–23: पिछड़े हुए एवं अपराधी बालक: पहचान, कारण एवं समस्याएँ (Identification, Causes, Problems of Backword and Deliuquent Children)

अनुक्रमणिका (Contents)

उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तावना (Introduction)

23.1 पिछड़े एवं अपराधी बालक की पहचान (Identification of Backward and Delinquent Children)

23.1.1 पिछड़े बालकों की पहचान (Identification of Backward Children)

23.1.2 अपराधी बालकों की पहचान (Identification of Delinquent Children)

23.2 पिछड़ेपन एवं अपराधी बालक के कारण (Causes of Backward and Delinquent Children)

23.2.1 पिछड़ेपन के कारण (Causes of Backward Children)

23.2.2 बाल अपराध के कारण (Causes of Delinquency)

23.3 पिछड़े एवं अपराधी बालकों की समस्याएँ (Problems of Backword and Delinquent Children)

23.4 सारांश (Summary)

23.5 शब्दकोश (Keywords)

23.6 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

23.7 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

उद्देश्य (Objectives)

विद्यार्थी इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् सक्षम होंगे–

- यह समझ सकेंगे कि पिछड़े एवं अपराधी बालक की पहचान कैसे करें।
- बालकेां में पिछड़ेपन एवं अपराधिक प्रवृत्तियों के कारणों से परिचित होंगे।
- पिछड़े एवं अपराधी बालकों की समस्याओं से परिचित होंगे।

प्रस्तावना (Introduction)

पिछड़ापन एक सामान्य प्रत्यय है जो किसी भी व्यक्ति की किसी भी क्षेत्र में निम्नस्तरीय उपलब्धि या प्रगति को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, कोई व्यक्ति या बालक शारीरिक, सांवेगिक, सामाजिक अथवा बौद्धिक विकास में अपने आयु समूह के व्यक्ति या बालकों से पिछड़ सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रत्यय

नोट

का प्रयोग विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धि के निम्न स्तर के लिए किया जाता है। यह उपलब्धि का निम्न स्तर कभी एक या दो विषयों में तो कभी सभी विषयों में समान रूप से हो सकता है।

पिछड़ापन चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से, बालक के व्यक्तित्व की एक मनोवैज्ञानिक विशिष्टता है जो उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, यह बालक की बौद्धिक योग्यताओं, सांवेगिक गुणों, क्रियात्मक क्षमताओं, संवेदनाओं, ग्रन्थियों, आदतों व शारीरिक विशेषताओं (जो अनेक अनुभवों से प्रभावित रहती हैं) के विकास के क्रम में जन्मदाता लक्षणों तथा वातावरणीय प्रभावों का एक जटिल समन्वित प्रतिफल मात्र है। शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण भी मूल रूप से मनोवैज्ञानिक होता है। ऐसा बालक प्रायः निराशावादिता और सांवेगिक असन्तुलन के कारण कभी समस्यात्मक बालक बन जाता है तथा कभी उचित शिक्षण एवं निर्देशन के अभाव में संलग्न हो जाता है।

एक प्रजातान्त्रिक प्रणाली वाले राष्ट्र में जहाँ सभी बालकों/व्यक्तियों को अपने आपको पूर्ण रूप से विकसित करने के समान अधिकार प्राप्त हैं, इन पिछड़े बालकों को भी अपनी क्षमता के अनुरूप अधिकतम विकास के अवसर प्राप्त होने चाहिए। पिछड़ेपन के कारण कुछ भी हों, माता-पिता, शिक्षकों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वे ऐसे बालकों को पहचानकर उनको उचित प्रकार से निर्देशित करें। इसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वे यह जानें कि 'पिछड़े बालक' की श्रेणी में कौन-कौन से बालक आते हैं तथा पिछड़ेपन के क्या मूल कारण (Casuses) हो सकते हैं। निर्धारित मूल्यों और मान्यताओं के विरुद्ध किया गया प्रत्येक कार्य अथवा व्यवहार समाज विरोधी अपराध माना जाता है। सदस्य अथवा सदस्य समूह के द्वारा किए गए इस प्रकार के व्यवहार से अन्य सदस्य अथवा समूह को या उसकी संपत्ति को क्षति पहुँचती है। वयस्कों द्वारा किया गया इस प्रकार का अपराध, अपराध की प्रकृति एवं गहनता के अनुसार कानून के द्वारा दण्डित होता है। लेकिन यह समाज विरोधी व्यवहार केवल वयस्कों में ही देखने को नहीं मिलता है। प्रायः बालक (विशेषकर किशोर) भी इस स्तर के अपराध कर जाते हैं जोकि न्यायायल में सूचित किए जाते हैं। यही बालक 'किशोर अपराधी-बालक' या 'किशोर अपराधी' के नाम से जाने जाते हैं। क्योंकि इनके द्वारा किए गए अपराध का मूलभूत कारण मनोवैज्ञानिक होता है, कानून के द्वारा दिए गए दण्ड का उद्देश्य इनमें असामाजिक व्यवहार की प्रवृत्ति को समाप्त करना होता है।

समाज विरोधी व्यवहार के अतिरिक्त कुछ समस्यसात्मक व्यवहार जैसे–भगोड़ापन भी बाल-अपराधी की श्रेणी में आते हैं। पूर्व-किशोरावस्था तथा किशोरवस्था बालक की सामजिक, सांवेगिक तथा नैतिक मूल्यों, रुचियों आदि के विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस समय बालक के समक्ष जो भी वातावरण तथा आदर्श रखा जाता है, उसको वह अपने मानदण्डों के आधार पर मापता है। यदि उसके जीवन मूल्यों व समाज के आदर्श व मूल्यों में टकराहट होती है तो वह कभी छुपकर तो कभी निर्भय होकर समाज विरोधी कार्य करने में भी नहीं चूकता। उचित समय पर उचित निर्देशन व उपचार के द्वारा यदि उसकी इस प्रवृत्ति को समाप्त नहीं कर दिया जाता है तो वह समाज, राष्ट्र व स्वयं अपने भविष्य के लिए समस्या बन सकता है। अतः बाल-अपराध का मनोविज्ञान माता-पिता, शिक्षक एवं समाज सुधारकों के अध्ययन का क्षेत्र बन जाता है जिसके द्वारा वे बाल अपराधियों को विभिन्न विशिष्ट आवश्यकताओं व बाल-अपराध के कारणों को जानकर इसकी रोकथाम व उपचार की व्यवस्था कर सकें।

23.1 पिछड़े एवं अपराधी बालक की पहचान (Identification of Backward and Delinquent children)

23.1.1 पिछड़े बालकों की पहचान (Identification of Backward Children)

पिछड़ेपन के कारणों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि पिछड़ापन व्यक्तिगत एवं परिवेशीय कारणों के फलस्वरूप है। इन दशाओं के कारण बच्चों में विशिष्ट अभिक्षमताओं का पाया जाना स्वाभाविक है जो उन्हें उसी उम्र के अन्य बच्चों से अलग करता है। इसलिए व्यावहारिक मानदण्ड के आधार पर यदि इनकी अभिक्षमताओं (Aptitudes) और

नोट

उनके उपलब्धि परिणामों के मध्य अन्तर देखने का प्रयास किया जाय तो पिछड़ेपन के वास्तविक मापदण्ड का आकलन संभव है जो उनकी कमियों के निदान में सहायक सिद्ध हो सकता है। इस सन्दर्भ में ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि उन्हीं दक्षताओ की उपलब्धि का आकलन करना चाहिए जिनका अभिक्षमता परीक्षण किया गया हो, जैसे यदि बच्चे की गणितीय योग्यता का परीक्षण किया गया तो उसकी उपलब्धि का परीक्षण भी गणितीय होना चाहिए।

पिछड़ेपन के व्यावहारिक अध्ययन हेतु निम्न में से किसी एक अथवा आवश्यकतानुसार अनेक परीक्षणों का उपयोग किया जा सकता है–

1. **एल. एन. दुबे (1972) हिन्दी उपलब्धि परीक्षण–** इस परीक्षण का मानकीकरण मध्य प्रदेश के 10 जिलों के आठवीं कक्षा के 1860 तथा ग्यारहवीं कक्षा के 24 बच्चों पर किया गया है। ये सभी बालक अलग-अलग स्तर के थे। इस परीक्षण में पाँच प्रश्नमाला हैं। प्रत्येक प्रश्नमाला में 20-20 प्रश्न दिए गए हैं जिनके करने के लिए क्रमश: 5, 5, 6 और 7 मिनट का समय दिया जाता है। प्रत्येक सही उत्तर पर परीक्षार्थी को एक अंक दिया जाता है। इस परीक्षण की विश्वसनीयता **"स्पीयरमैन ब्राउन विधि"** (Spearman Brown Method) से ज्ञात की जो कि .78 प्राप्त हुई। इसकी वैधता ज्ञात करने के लिए इस परीक्षण पर प्राप्त अंकों को वार्षिक परीक्षा में प्राप्त अंकों से संबन्धित किया और जिस पर वैधता गुणांक .67 प्राप्त हुआ। परीक्षण पर शतांशीय मान (Percentile norms) ज्ञात किए गए।
2. **सरोज अरोरा (1980) जीव-विज्ञान उपलब्धि परीक्षण–** यह परीक्षण दो भागों मे विभाजित है। दोनों ही भागों में, जन्तु-विज्ञान व वनस्पति-विज्ञान से संबन्धित प्रश्न हैं। यह परीक्षण नवीं कक्षा के विज्ञान-विद्यार्थियों के लिए है। इसका उपयोग तभी संभव है जबकि छात्र उतनी पाठ्य सामग्री पढ़ चुके हों जिस पर मापन होना है। इस परीक्षण को करने के लिए कुल मिलाकर दो घण्टे का समय दिया जाता है। प्रथम भाग 30 अंक का है जिसमें 20 जन्तु-विज्ञान व 10 वनस्पति विज्ञान के अंक हैं। दूसरा भाग 15 अंक का है जिसमें 10 अंक जन्तु-विज्ञान व 5 अंक वनस्पति विज्ञान के हैं। इस परीक्षण के दोनों भागों की विश्वसनीयता **कूडररिचर्डसन विधि** से क्रमश: .76 व .74 प्राप्त हुई और हॉयट विधि से क्रमश: .57 व .75 प्राप्त की गयी। इसकी वैधता ज्ञात करने के लिए पहले इसके दोनों भागों पर प्राप्त अंकों को प्रकीर्ण आलेख से संबन्धित किया और जिससे सहसंबन्ध .69 व .70 प्राप्त हुआ और फिर **हॉल्जिगर** के परीक्षण से सहसंबन्धित करने पर .83 व .77 सहसंबन्ध प्राप्त हुआ।
3. **एस.एन.एल. भार्गव (1983) भौतिक उपलब्धि परीक्षण–** इस परीक्षण का मानकीकरण 1347 माध्यमिक स्कूल के बच्चों पर किया, जिसमें 944 लड़के व 403 लड़कियाँ थीं। इसके प्रतिदर्श में 6 ग्रामीण क्षेत्र व 14 शहरी क्षेत्र के स्कूल सम्मिलित हैं। इस परीक्षण में 45 प्रश्न हैं जिनको करने के लिए परीक्षार्थी को एक घण्टे का समय दिया जाता है। इसके उत्तर परीक्षार्थी को उत्तर पत्र से लिखने होते हैं जिसकी जाँच अंकीकरण कुंजी (scoring key) से की जाती है। इस परीक्षण की विश्वसनीयता पुन: परीक्षण से .86 प्राप्त हुई, और K.R–21 सूत्र से .84 प्राप्त हुई। इसकी वैधता ज्ञात करने के लिए इसे बुद्धि परीक्षण से संबन्धित किया और वैधता .46 प्राप्त की। इस परीक्षण पर शतांशीय मानक (Percentile norms) ज्ञात किए गए।
4. **विद्यावती मलैया, के. सी. मलैया, एल. एन. दुबे (1984) प्रौढ़ शिक्षा उपलब्धि परीक्षण–** यह परीक्षण प्रौढ़ शिक्षा कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रौढ़ों (पुरुष एवं महिलाओं) की उपलब्धियों का मान करने के लिए विकसित किया गया है। इस परीक्षण में कुल 75 प्रश्न हैं जो क्रमश: 5 खण्डों में विभक्त हैं। ये खण्ड हैं–(1) भाषा, (2) गाणित, (3) नागरिक शास्त्र तथा सामाजिक ज्ञान, (4) राजनैतिक ज्ञान, तथा (5) सामान्य ज्ञान। प्रत्येक खण्ड में 15-15 प्रश्न रखे गए हैं। इस परीक्षण को करने के लिए परीक्षार्थी को एक घण्टे का समय दिया जाता है और उत्तर उत्तर-पत्र पर लिखने होते हैं। इस परीक्षण की विश्वसनीयता सम-विषम से ज्ञात की, जो पुरुषों की पाँचों खण्डों में क्रमश: .61, .69, .68, .60 व .80 और स्त्रियों की .69, .61, .62, .65 व .78 प्राप्त हुई। दूसरी विधि में विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए इन्होंने प्रत्येक खण्ड के पास-फेल

नोट

लोगों के अंकों को सहसंबन्धित किया और सहसंबन्ध क्रमशः .60, .78, .69, .80 प्राप्त हुआ। हिन्दी में इस प्रकार का मानकीकृति परीक्षण उपलब्ध नहीं है। यह अपने प्रकार का प्रथम एवं अतुलनीय परीक्षण है। अतएव इस परीक्षण की वैधता परीक्षण प्राप्तांकों का शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को दी गई रेटिंग से तुलनात्मक अध्ययन द्वारा ज्ञात की गयी है।

5. **ए. के. सिंह एवं अपर्णा सेन गुप्ता (1986) सामान्य कक्षा उपलब्धि परीक्षण कक्षा 6 तथा 7 के लिए**–इस परीक्षण की रचना छठी एवं सातवीं कक्षा के इंगलिश, विज्ञान एवं सामाजिक विषयों में सामान्य उपलब्धि जानने के लिए की। इस परीक्षण में इंगलिश में अधिकतम 35, विज्ञान में .35 और सामाजिक विषय में .30 अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसका अंकीकरण फलांकन कुंजी की सहायता से किया जाता है। इस परीक्षण की विश्वनीयता पुनर्परीक्षण विधि से ज्ञात की जो छठी कक्षा पर .82 व सातवीं कक्षा पर .76 प्राप्त हुई। फिर अर्द्ध विच्छेदित विधि से ज्ञात की जो छठी-सातवीं कक्षा पर क्रमशः .67 व .75 प्राप्त हुई। वैधता ज्ञात करने के लिए इस परीक्षण पर प्राप्त अंकों को परीक्षा में प्राप्त अंकों, अध्यसाापक के विचारों तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों से संबन्धित किया और सभी सहसंबन्ध सार्थक पाए गए, साथ ही इस परीक्षण पर शतांशीय मानक (percentile norms) ज्ञात किए।

सामान्य कक्षाओं में मानकीकृत बौद्धिक क्षमता व उपलब्धि के प्रयोग से पहचाने गए पिछड़े बालकों में पिछड़ेपन की पुष्टि कक्षा एवं विषय अध्यापकों के निरीक्षणो के आधार पर कर लेना भी आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त बालक की पूर्व वर्षों की वार्षिक प्रगति का रिकार्ड, खेल के मैदान, पुस्तकालय, प्रयोगशाला कार्य आदि में उसकी सूझ-बूझ, कार्य क्षमता, अवधान क्षमता (learning capacity), नेतृत्व, योजना तथा व्यवस्था आदि भी उसके पिछड़ेपन की प्रकृति, स्तर व कारणों को जानने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

23.1.2 अपराधी बालकों की पहचान (Identification of Delinquent Children)

यद्यपि बाल-अपराध एक व्यावहारिक विचलन है अर्थात् बाल-अपराधियों को मुख्य रूप से उनके व्यवहार के द्वारा ही पहचाना जा सकता है, इस क्षेत्र के अध्ययनकर्ताओं ने अपने अध्ययनों के आधार पर बाल-अपराधियों के कुछ लक्षण बताये हैं–

(*i*) ये औसत शारीरिक संरचना, बहिर्मुखी, उग्र तथा विध्वंसक होते हैं।

(*ii*) स्वाभाव से ये बेचैन, बहिर्मुखी, उग्र तथा विध्वंसक होते हैं।

(*iii*) इनमें शासक अथवा शक्ति के प्रति विरोधी, अविश्वासी तथा असहयोग की अभिवृत्ति पायी जाती है।

(*iv*) इनके व्यक्तित्व में अस्थिरता होती है।

(*v*) दूरदर्शिता का प्रायः अभाव होती है।

(*vi*) इदम्, अहम् तथा पराहम् (id, ego and super-ego) में उचित सन्तुलन नहीं होता है।

(*vii*) किसी समस्या को सुलझाने के लिए किसी व्यवस्थित योजना को पूर्वनिर्धारित नहीं करते हैं।

(*viii*) अवसादग्रस्तता इनके व्यक्तित्व का मुख्य लक्षण होता है। प्रत्येक पाँव अवसाद-ग्रस्त व्यक्तियों में चार अपराधी होते हैं।

वैरेशियस (1959) ने अपनी पुस्तक 'बाल-अपराध' (Juvenile Delinquency) में बाल-अपराधियों में दिखाई देने वाली 18 विशेषताओं की सूची प्रस्तुत की है तथा इस सूची का नाम **'डैलिन्क्वेन्सी चैक लिस्ट'** (Delinquency Proneness Check List) रखा है जो बालकों के अपराध कार्यों की तरफ झुकाव का संकेत करती है। यहाँ अपराधोन्मुख (Delinquency prone) बालक से तात्पर्य सामाजिक रूप से कुसमायोजित बालक से है। उनकी विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं–

नोट

अपराधोन्मुखता प्रमाणक सूची (Delinquency Proneness Check List)

		हाँ	नहीं	अनि.
1.	विद्यालय के प्रति विशिष्ट अरुचि दिखाता है (Shows marked dislike for school.)	....	....	....
2.	विद्यालयी दिनचर्या तथा बन्धनों का विरोध करता है। (Resents school routine and restriction.)	....	....	....
3.	विद्यालय के कार्यक्रमों में अरुचि रखता है। (Disinterested in school programmes)	....	....	....
4.	अनेक विषयों में फेल होता है। (Fails in a number of subjects.)	....	....	....
5.	एक या अधिक कक्षाओं की आवृत्ति कर चुका है। (Has repeated one or more grades.)	....	....	....
6.	मंदित बालकों की विशेष कक्षाओं में उपस्थित रहता है। (Attends special class for retarded pupils.)	....	....	....
7.	अनेकों विद्यालयों में पढ़ चुका है। (Has attended many different schools.)	....	....	....
8.	कानून की स्वीकृति मिलने के बाद शीघ्र से शीघ्र विद्यालय छोड़ देना चाहता है। (Intends to leave the school as soon as the law allows.)	....	....	....
9.	केवल अनिश्चित शैक्षिक तथा व्यावसायिक योजनाएँ रखता है। (Has only vague academic or vocational plans.)	....	....	....
10.	उसकी शैक्षिक योग्यताएँ सीमित हैं। (Has limited academic ability)	....	....	....
11.	एक एसा बालक है जो गम्भीरता तथा निरन्तरता के साथ दुर्व्यवहार करता है (Child who seriously or persistently misbehaves.)	....	....	....
12.	विद्यालय सामग्री तथा संपत्ति को नष्ट करता है। (Destroys school material or property.)	....	....	....
13.	निर्दयी तथा खेल के मैदान में कलह करता है। (Cruel and bullying on the playground.)	....	....	....
14.	कक्षा में क्रोध तथा अवेश दिखाता है। (Has temper tentrums in the classroom.)	....	....	....
15.	विद्यालय जाना तुरन्त बन्द करना चाहता है। (Wants to stop schooling at once.)	....	....	....

नोट

16.	विद्यालय से भाग जाता है (Truants from school.)	....	....	....
17.	आयोजित पाठ्यान्तर क्रियाओं में भाग नहीं लेता है। (Does not participate in organized extra curricular programmes.)	....	....	....
18.	वह कक्षा में अपने आपको असमायोजित अनुभव करता है। (Feels he does not belong in the classroom.)	....	....	....

बाल-अपराध की व्यापकता (Prevalence of Juvenile Delinquency)

समस्यात्मक तथा कुसमायोजित प्रकार के बालकों में से अधिकांश बाल-अपराधी होते हैं। सात से अठारह वर्ष आयु वर्ग में बाल-अपराध की व्यापकता सबसे अधिक होती है। विश्व के विभिन्न स्थानों (देशों) पर हुई विभिन्न सामायिक गणनाओं तथा अध्यनों के द्वारा प्राप्त प्रदत्तों के आधार पर इनकी वास्तविक संख्या का केवल अनुमान मात्र लगाया जा सकता है। **उदयशंकर** (1980) के अनुसार अनुमानत: केवल .02 प्रतिशत बालक, जिनकी आयु अठारह वर्ष से कम है, आधिकारिक कार्यों **(Offcial action)** के लिए रिपोर्ट किए जाते हैं जबकि इनकी वास्तविक संख्या इससे कहीं बहुत अधिक होती है। वेरिशयस (1948-1955) ने अपनी गणनाओं के आधार पर बताया कि सात से सत्तरह वर्ष की आयु वर्ग के 2 प्रतिशत बालक ऐसे बाल अपराधी होते हैं जो वर्ष में एक बार न्यायालय में रिपोर्ट किए जाते हैं।

केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय **(Union Ministry of Education)** वर्तमान में मानव संसाधन विकास मन्त्रालय ने 1951 में पूरे भारतवर्ष में बाल-अपराधियों के ऊपर एक सर्वेक्षण किया जिसके अनुसार 1949 में सभी राज्यों में कुल मिलाकर 18,210 बाल-अपराधी विभिन्न अपराधों के लिए न्यायालय मे मुकदमे के लिए लाए गए थे जबकि 1950 में इनकी संख्या सभी राज्यों में कुल मिलाकर (उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त) 40,119 थी जोकि पहली संख्या से कहीं अधिक थी। इसके विपरीत 1960 तथा 1970 में 'पुलिस रिसर्च ब्यूरो' के सर्वेक्षण के अनुसार बाल-अपराधियों की संख्या भारतवर्ष में क्रमश: 20,165 तथा 27,226 थी। इस प्रकार वर्तमान समय में न्यायालय में रिपोर्ट किए जाने वाले बाल-अपराधों की संख्या वृद्धि की दर के अनुपात में गिरावट प्रतीत होती है जिसका मुख्य कारण समाज में बदलते व नैतिक मापदण्ड भी हो सकते हैं।

उदयशंकर ने 160 बाल-अपराधियों (7 से 19 वर्ष आयु वर्ग) पर एक अध्ययन किया तथा विभिन्न प्रकार के अपराधी कृत्य करने वाले बालकों के प्रतिशत की गणना की। उन्होंने पाया कि छ: अपराधों में से प्रत्येक बालक के द्वारा औसतन 2.8 अपराध किए गए थे अर्थात् यह आवश्यक नहीं कि कोई एक अपराधी बालक किसी एक ही विशेष प्रकार के असामाजिक व्यवहार को अभिव्यक्त करे। एक बालक एक से ज्यादा अपराधी कृत्यों में भी सम्मिलित हो सकता है जैसे—चोरी करना, बोलना, घर तथा विद्यालय से भागना। अपने इस अध्ययन के आधार पर **उदयशंकर** ने विभिन्न 12 प्रकार के बाल-अपराधों को करने वाले बालकों का प्रतिशत ज्ञात किया जो निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया है—

160 बाल अपराधियों के द्वारा किए गए विभिन्न अपराधी कृत्यों पर उनका प्रतिशत

क्रम संख्या	अपराधी कृत्य	बालकों का प्रतिशत
1.	चोरी, राहजनी, ठगी	61%
2.	घर अथवा विद्यालय से भागना	60%
3.	आवारागर्दी	30%
4.	भीख माँगना	20%
5.	जेब काटना	17%
6.	धाखाधड़ी	14%

नोट

7.	जुआ खेलना	13%
8.	अहिंसा, निर्दयता, लड़ाई-झगड़ा, आक्रमण	12%
9.	संपत्ति को नष्ट करना	11%
10.	लैंगिक अपराध–बलात्कार, समलिंगीयता, विषमलिंगीयता, अश्लीलता आदि	11%
11.	कत्ल	3%
12.	नशीले पदार्थों का सेवन	3%

इसके अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमेरिका में बाल-अपराधियों में लड़के तथा लड़कियों के मध्य 4 व 1 का अनुपात पाया गया। भारतवर्ष में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या बाल-अपराधी के रूप में बहुत कम रिपोर्ट की गई है। ऐसा संभत: साँस्कृतिक विभिन्नताओं के कारण होता है। उदयशंकर ने अपने अध्ययन के आधार पर यह भी पाया कि अधिकांश अपराधी बालक निम्न औसत आर्थिक सामाजिक स्तर के परिवारों से होते हैं तथा इनका बुद्धि लब्धि स्तर भी प्राय: सामान्य होता है क्योंकि अपराधी प्रवृत्ति मूल रूप से परिस्थितिजन्य होती है।

23.2 पिछड़ेपन एवं अपराधी बालक के कारण (Causes of Backward and Delinquent children)

23.2.1 पिछड़ेपन के कारण (Causes of Backwardness)

स्वयं के व्यक्तित्व तथा वातावरण में निहित अनेक कारक बालक के शैक्षिक पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। इन विभिन्न व्यक्तिगत (अथवा व्यक्तिगत संबन्धी) व बाह्य (अथवा वातावरणीय) कारणों को निम्न प्रकार सुविधापूर्वक व्यक्त किया जा सकता है–

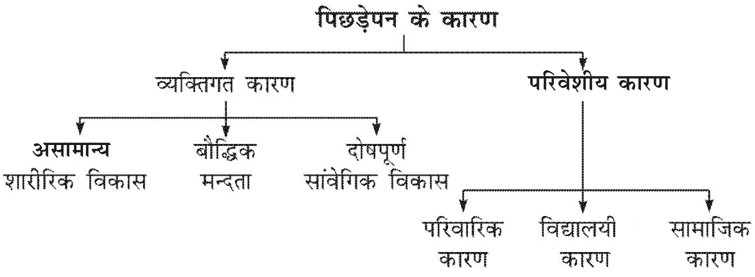

व्यक्तिगत कारण (Causes Lying within the Child)

1. असामान्य शारीरिक व दैहिक विकास (Sub-normal Physical and Physiological Development)– बालकों की शैक्षणिक उपलब्धि काफी सीमा तक उनके भौतिक विकास की अवस्था तथा स्वरूप पर निर्भर करती है। पिछड़े बालकों में प्राय: असामान्य शारीरिक अथवा दैहिक विकास के कारण सीखने की गति सामान्य (normal) बालकों की तुलना में कम होती है। फलस्वरूप वे कक्षा में समान आयु व क्षमता वाले बालकों से शैक्षिक उपलब्धि में पिछड़ जाते हैं। **बर्ट, शॉनेल** तथा अन्य मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययनों के आधार पर असामान्य शारीरिक विकास को शैक्षिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण बताया है। **बर्ट** के अनुसार लगभग 80% पिछड़े बालकों में पिछड़ेपन का कारण मन्द दैहिक विकास ही है जिसके कारण इनमें जीवशक्ति की कमी (lack of vitality), कमजोर मांसपेशी समंजन (Poor muscular co-ordination) तथा अन्य शारीरिक दोष हो सकते हैं।

शारीरिक विकलांगता/अक्षमता जैसे– दृष्टिदोष, ऊँचा सुनना, वाक् दोष, शारीरिक विकृति तथा बायाँपन (left handedness) आदि बालकों की सामान्य कक्षाओं में सामान्य शिक्षण पद्धतियों के प्रयोग से प्रगति में बाधा उत्पन्न

नोट

करती है। इसके अतिरिक्त लम्बे समय की बीमारी अथवा कमजोरी के कारण भी कभी-कभी बालक की शैक्षिक प्रगति रुक जाती है। ऐसे बालक विद्यालय में प्रायः अनुपस्थित रहते हैं, कक्षा एवं गृह कार्य पूरा नहीं कर पाते, कक्षा में असमायोजित रहते हैं तथा पिछड़ जाते हैं। ये दोष प्रायः अज्ञानता के कारण बढ़ जाते हैं। समय पर पहचान व उपचार हो जाने पर बालक को कक्षा में पिछड़ने से बचाया जा सकता है।

2. बौद्धिक मन्दता तथा निम्न सामान्य-बुद्धि स्तर (Mental Retardation and Low Genral-Intelligence)– बौद्धिक मन्दता तथा सामान्य-बुद्धि स्तर शैक्षिक पिछड़ेपन के मुख्य तथा सबसे गम्भीर कारण हैं। जिन बालकों में सामान्य बौद्धिक क्षमता जन्मजात रूप से अथवा मस्तिष्क में आघात के कारण क्षीण हो जाती है, कक्षा में निश्चित रूप से पिछड़ जाते हैं। **बर्ट** के अनुसार पिछड़े बालकों में 15% निश्चित रूप से बौद्धिक मन्दता से प्रभावित रहते हैं तथा 77% अन्य कारणों के साथ-साथ किसी न किसी रूप से मन्द बुद्धि होते हैं। **शोनेल** का मत है कि 65% से 80% तक पिछड़े बालक मन्द बुद्धि होते हैं जबकि बचे हुए 35% से 20% तक अन्य सामाजिक व संवेगात्मक कारणों से कक्षा में पिछड़ जाते हैं। यह बौद्धिक मन्दता बालकों की विषय-वस्तु को समझने तथा अधिक समय तक धारण करने की शक्ति को सीमित बना देती है और उनकी शैक्षणिक उपलब्धि को प्रभावित कर कक्षा में उनकी असफलता का कारण बन जाती है। इसके अतिरिक्त इन बालकों में तर्क-शक्ति, विचार-शक्ति, कल्पना-शक्ति, निरीक्षण व एकता आदि मानसिक शक्तियाँ अच्छी प्रकार विकसित नहीं हो पाती हैं। परिणामस्वरूप, कक्षा में दिन-प्रतिदिन के कार्यों को करने में ये असुविधा अनुभव करते हैं और प्रायः असफलता पाते हैं। इन बालकों की शैक्षणिक उपलब्धि को बढ़ाया नहीं जा सकता। अतः इन्हें उच्च शिक्षा देने के प्रयास करने के स्थान पर व्यावसायिक प्रशिक्षण देना अधिक लाभप्रद हो सकता है।

नोट्स बौद्धिक मंदता तो निश्चित रूप से शैक्षिक पिछड़ेपन का एक कारण हो सकती है किन्तु आवश्यक नहीं कि प्रत्येक शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक मन्द बुद्धि हो।

3. दोषपूर्ण सांवेगिक विकास (Faulty Emotional Development)– दोषपूर्ण संवेगात्मक विकास बालक के पिछड़ेपन का ऐसा व्यक्तिगत कारण है जिसमें वह अपने विकास के क्रम में दोषपूर्ण संवेगात्मक वातावरण से प्रभावित होकर ऐसी ग्रन्थियों व संवेगों से ग्रसित हो जाता है जो उसके कक्षा में एकाग्रचित होकर अपनी क्षमताओं के अनुरूप प्रगति करने में बाधा उत्पन्न करता है। जैसे—हीनता अथवा श्रेष्ठता की भावना, शिक्षा के प्रति विराधी दृष्टिकोण अथवा अज्ञानता। इस प्रकार के दोषपूर्ण संवेगात्मक विकास के लिए प्रायः माता-पिता अभिभावक, शिक्षक व समाज ही उत्तरदायी होते हैं।

परिवेशीय कारण (Causes Lying Within the Environment)

1. पारिवारिक कारण (Causes Related to Family Environment)– परिवार से संबन्धित अनेक कारक ऐसे हैं जो बालक की शैक्षिक उपलब्धि को काफी मात्रा तक प्रभावित करते हैं। निम्न सामाजिक व आर्थिक स्तर के परिवारों में बच्चे प्रायः कमजोर स्वास्थ्य वाले होते हैं। उन्हें सभी आवश्यक शैक्षिक सुविधाएँ प्राप्त नहीं हो पाती हैं और न ही वे अन्य समान क्षमता किन्तु उच्च अथवा मध्यम वर्गीय परिवारों के बालकों के समान अनुभव एवं ज्ञान एकत्रित करने के साधन जुटा पाते हैं। पुस्तकों, अभ्यास पुस्तिकाओं तथा अन्य वाँछित सामग्री के अभाव के कारण ये प्रायः विद्यालय में प्रताड़ित किए जाते हैं। घर की खराब आर्थिक स्थिति के कारण ये कभी-कभी छोटे-मोटे काम-धन्धों में लग जाते हैं तथा गृह-कार्य नहीं कर पाते। इन्हीं सब कारणों से इनका ध्यान पढ़ाई से हट जाता है, परिणामस्वरूप ये परीक्षा में असफल हो जाते हैं।

माता-पिता का बौद्धिक एवं शैक्षिक स्तर भी बालकों की कक्षा में प्रगति को प्रभावित करता है। वे जो भी ज्ञान व अनुभव विद्यालय में अर्जित करते हैं, उसकी पुष्टि व अभ्यास घर पर नहीं पाते हैं और न ही इस दिशा में उचित निर्देशन प्राप्त कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त उनके माता-पिता का शिक्षा के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का न होना तथा बच्चों की शिक्षा

नोट

के प्रति उदासीन रहना भी बालकों के शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण बन जाता है।

परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति व माता-पिता की शिक्षा के अतिरिक्त पारिवारिक संबन्ध, परिवार के सदस्यों का व्यवहार, परिवार का आकार, माता-पिता के संबन्ध आदि भी बालकों की शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करते हैं। घर का तनावपूर्ण वातावरण, बालक पर बहुत अधिक ध्यान अथवा उपेक्षा, माता-पिता के विचारों में भिन्नता आदि बालक की मनोवैज्ञानिक व सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा उत्पन्न करता है। ऐसे वातावरण में बालक में सुरक्षा की भावना का विकास नहीं हो पाता। फलस्वरूप स्नेह व प्रोत्साहन के अभाव में वह शिक्षा की तरफ से अपना ध्यान हटा लेता है और इस प्रकार समान क्षमता वाले अन्य बालकों से कक्षा में पिछड़ जाता है।

2. विद्यालयी कारण (Causes Related to School and School Enviornment)– विद्यालय बालकों की औपचारिक शिक्षा के मुख्य केन्द्र होते हैं। अत: घर के पश्चात् विद्यालय का वातावरण बालक की शैक्षणिक उपलब्धि को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित करता है। बालक का विद्यालय में विलम्ब से प्रवेश (late admission) लेना, निरन्तर अनुपस्थित रहना, सत्र में अनेक स्कूलों में स्थानान्तरण, अध्यापकों को शीघ्रता से बदलना आदि, जिनके फलस्वरूप यह अनेक महत्वपूर्ण पाठों वे कक्षा-कार्यों को क्रमश: पढ़ने व करने से वंचित रह जाता है तथा पढ़ाई में उसकी निरन्तरता (Continuity) भंग हो जाती है, बालक के कक्षा में पिछड़ जाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं।

इसके अतिरिक्त शिक्षकों द्वारा गलत शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग, दोषपूर्ण, अरुचिकर व प्रभावहीन अध्ययन, कक्षा-कार्य व गृह-कार्य को नियमित रूप से न देखना, कक्षा में पक्षापातपूर्ण व्यवहार, बालकों को उनकी उपलब्धि व क्षमता के अनुरूप प्रोत्साहित व प्रेरित न करना आदि तथा अध्यापकों व छात्रों के मध्य तनावपूर्ण संबन्ध भी बालकों के शैक्षिक पिछड़ेपन के कुछ मुख्य कारण हो सकते हैं। प्रतिभासंपन्न बालक प्राय: निम्न आर्थिक स्तर के विद्यालयों में अपने समान आयु व क्षमता वाले बालकों से पिछड़ जाते हैं। इन विद्यालयों में आवश्यक सुविधाओं व उपकरणों का अभाव, दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली, निर्देशन व संवर्द्धित पाठ्यक्रम का अभाव, अनुशासनहीनता व अव्यवस्था आदि कारण इसके लिए उत्तरदायी होते हैं।

3. सामाजिक कारण (Causes Related to Social Environment and Relations)– समाज के वातावरण में निहित कुछ कारक ऐसे भी है जो बालक की शैक्षिक उपलब्धि को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में प्रभावित करते हैं। उदाहरणार्थ– बालक के पास-पड़ोस का वातावरण, संगी-साथियों की आयु, उनका सामाजिक-आर्थिक एवं शैक्षिक स्तर व साँस्कृतिक पृष्ठभूमि, मनोरंजन के उपलब्ध साधन, फिल्में (films), रेडियो व टी.वी. पर प्रसारित कार्यक्रम, उन संस्थाओं तथा क्लबों (Clubs) के उद्देश्य व क्रिया-कलाप जिनका वह बालक सदस्य है, परिवार के सामाजिक संस्थाओं से संबंध तथा समाज में स्थान आदि। इसके अतिरिक्त असामाजिक तत्वों में उठने-बैठने तथा मनोरंजन एवं खेलों में अधिक ध्यान व समय देने वाला बालक प्राय: शिक्षा के प्रति उदासीन हो जाता है और कक्षा में एक बार की असफलता के पश्चात् भी यदि उसके कारणों पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो उसकी असफलता में निरन्तरता आ जाती है और वह पिछड़े बालकों की श्रेणी में शामिल हो जाता है।

23.2.2 बाल अपराध के कारण (Causes of Delinquency)

बाल-अपराध के कारणों की खोज से संबन्धित अनेक अध्यन किए गए हैं तथा मनो-वैज्ञानिकों के इन अध्ययनों के परिणामों के आधार पर बाल-अपराध के अनेक किन्तु पृथक्-पृथक् कारण बताये हैं। समन्वित रूप से देखा जाए तो बालक के व्यक्तित्व तथा व्यवहार को प्रभावित तथा निर्देशित करने वाले ऋणात्मक कारक उसकी अपराधी प्रवृत्ति के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। इनको पाँच वर्गों में रखा जा सकता है–

1. व्यक्तिगत कारक (Personal Factors)

बाल-अपराध के व्यक्तित्व कारण निम्न हो सकते हैं–

(*i*) **वंशानुक्रम (Heredity)–** अनेक वंशानुक्रम विशेषज्ञों तथा अपराधशास्त्रियों ने वंशानुक्रम को बाल-अपराध का मूल कारण माना है। इनमें से **लोम्ब्रोसी, ट्रेडगोल्ड** (Tredgold), **डगडेट** (Dugdate) तथा **हेनरी** आदि के अनुसार बालक, बाल-अपराध की प्रवृत्ति तथा विशेषताएँ माता-पिता से वंशानुक्रम के द्वारा प्राप्त करता

नोट

है अर्थात् यह एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है। किन्तु अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययनों के आधार पर इस विचारधारा को गलत सिद्ध कर दिया है।

क्या आप जानते हैं आधुनिक वैज्ञानिक विचारधारा के अनुसार अपराधी प्रवृत्ति तथा वंशानुक्रम में कोई संबन्ध नहीं होता है।

(*ii*) **शारीरिक कारण (Physical Causes)**– कुछ विद्वानों ने शारीरिक अक्षमता तथा अस्वस्थता व शारीरिक संरचना संबन्धी दोषों को अपराधी व्यवहार से संबन्धित माना है। इनमें **क्रेशमर** (Kretschmer), **शेल्डन** (Sheldon), **ग्ल्यूक्स** (Gluecks) तथा **उदय शंकर** प्रमुख हैं। शेल्डन के अनुसार मांसपेशीय (mesomorphic) अपराधी प्रवृत्ति की ओर जल्दी उन्मुख होते हैं। **उदयशंकर** बाल-अपराधियों की शारीरिक संरचना के विषय में लिखते हैं–*"शारीरिक अस्वस्थता अथवा कमजोरी बहुत छोटी या बहुत लम्बा कद व डीलडौल, शारीरिक अंग, प्रत्यंगों में कोई गम्भीर दोष अथवा खराबी बालक में प्राय:हीन भावना को जन्म देती है।"* (Poor health, short or too big a stature or some physical deformity which may give rise to feelings of inferiority, dispose one to more aggression, as a compensatory reaction for one's inadequacies.) फलस्वरूप अपनी कमियों की क्षति पूर्ति के लिए वह अधिक आक्रामक हो उठते हैं और इस तरह धीरे-धीरे उनमें आपराधिक मनोवृत्ति घर करने लगती है।

(*iii*) **मानसिक कारण (Mental Causes)**– कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बौद्धिक क्षमताओं को अपराधी प्रवृत्ति से संबन्धित माना है। इनमें से मुख्य **गोडार्ड, हीला** व **ब्रोनर** हैं। **हीला** तथा **ब्रोनर** ने बाल-अपराधियों पर किए अपने अध्ययन में पाया कि 37% बाल-अपराधी असामान्य स्तर की बौद्धिक क्षमता रखते हैं। इसके आधार पर **हीला** ने मानसिक न्यूनता वाले व्यक्ति में अपराधी प्रवृत्ति पाये जाने की संभावनाएँ अधिक होती हैं।

इनके विपरीत **बर्ट** के अनुसार मानसिक न्यूनता आवश्यक रूप से अपराधी प्रवृत्ति से संबन्धित नहीं होती है। उन्होंने अपने अध्ययन में अपराधियों की औसत बुद्धि लब्धि 85 पायी थी जिसमें कुछ उत्तम बुद्धि वाले बालक भी शामिल थे। **उदय शंकर** ने भी अपने अध्ययन में मानसिक न्यूनता तथा अपराध में कोई संबन्ध नहीं पाया। इस प्रकार मानसिक न्यूनता अपराधी प्रवृत्ति का एक संभावित कारण हो सकती है किन्तु प्रत्येक अपराधी आवश्यक रूप से निम्न बौद्धिक स्तर वाला नहीं होता है। साथ ही किसी विशेष प्रकार के अपराध को करने वाले व्यक्तियों की बुद्धिलब्धि का विस्तार भी निश्चित नहीं किया जा सकता है।

2. सामाजिक कारक (Social Factors)

अनेक अध्ययनों से यह प्रमाणित हो चुका है कि अपराध कार्य एक असामाजिक व्यवहार है जो जन्मजात न होकर अर्जित (acquired) होता है। अत: सामाजिक पर्यावरण से संबन्धित अनेक कारक इस व्यवहार अथवा प्रवृत्ति के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये अनेक कारक निम्न प्रकार हो सकते हैं–

(*i*) **समाज का भौतिक ढाँचा (Physical Structure of Society)**– औद्योगिक बस्तियाँ, घनी बस्तियाँ, आस-पास का गन्दा तथा गरीबों का वातावरण, अपराधी क्षेत्र आदि अनेक ऐसे कारक हैं जो बालक को अपराधी कार्यों को करने के लिए प्रेरित करते हैं।

(*ii*) **समाज के नैतिक तथा धार्मिक मूल्य (Moral and Religious Values of Society)**– जिस समाज में बालक बढ़ता है तथा विभिन्न सामूहिक व्यवहार और क्रियाकलाप सीखता है, उसका नैतिक स्तर, उसके लोगों के धार्मिक विचार, भेदभाव की भावना, अस्पर्शता आदि उसके पराहम् (Superego) के विकास को प्रभावित करते हैं। उसका कौन-सा कार्य समाज के किस नियम तोड़ता है, तथा क्या वह व्यवहार समाज द्वारा स्वीकृत होगा, इसका निर्णय करने की शक्ति का विकास समाज के द्वारा प्रस्तुत आदर्शों तथा आचरणों के अनुरूप ही होता है। ऐसे समाज में जहाँ नारी को उचित संमान दिया जाता है बालक अपनी लैंगिक इच्छाओं की पूर्ति

नोट

के लिए बलात्कार अथवा छेड़छाड़ जैसे अपराध करने से अपने आपको रोकने में सक्षम बना लेता है जबकि ऐसे समाज में पलने वाला बालक, जहाँ नारी को निम्न तथा तिरस्कृत व्यवहार मिलता है, उनके साथ अश्लील व्यवहार करने से अपने आप में हीनता अथवा अपराध भावना का अनुभव नहीं करता।

(iii) **दूषित समाज (Disintegrated Society)–** विघटित समाज जहाँ, तनाव तथा विभिन्नताओं का वातावरण होता है, बालक प्राय: अपराधी प्रवृत्ति की ओर झुक जाते हैं। समाज में व्याप्त धोखाधड़ी, चोर बाजारी घूसखोरी, व्यभिचार आदि बालकों में इस प्रवृत्ति को विकसित करने वाले सबसे अधिक प्रबल तथा प्रमुख कारक होते हैं।

3. पारिवारिक कारक (Family Factors)

बालकों में आदतों, आचरण, व्यवहार तथा व्यक्तित्व के अन्य आयामों का विकास उनकी पारिवारिक परिस्थितियों को सबसे अधिक प्रभावित करता है। प्राय: अल्पायु में बालक जो भी अपराधी कृत्य जानबूझकर अथवा अज्ञानता में सीख लेते हैं, सबसे पहले घर पर ही व्यवहार रूप में लाते हैं। परिवार के सदस्यों के द्वारा इन पर ध्यान न देने तथा बालक को उचित प्रकार निर्देशित न करने से यही व्यवहार किशोरावस्था तक पहुँकर उसके व्यक्तित्व का एक अंग बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त भी परिवार से संबन्धित अनेक कारक बालक को अपराधी बनाने के लिए उत्तरदायी अथवा सहायक होते हैं–

(i) **विघटित परिवार (Borken Home)–** परिवार में माता-पिता के मध्य संबन्ध, पारिवारिक कलह, लड़ाई-झगड़े तथा असहयोगी प्रवृत्ति आदि बालक के मानसिक स्वास्थ्य को विशेष रूप से प्रभावित करती हैं। साथ ही माता-पिता दोनों का ही नौकरी पर जाना तथा बालक का नौकरों के संरक्षण में पलना भी अपराधी प्रवृत्ति के विकास के लिए उत्तरदायी हो सकता है। ऐसे परिवारों में बालक को जितना संरक्षण, प्रशिक्षण तथा प्यार परिवारीजनों से मिलना चाहिए, नहीं मिल पाता है और बालक का व्यक्तित्व विकृत प्रकार का हो जाता है।

(ii) **आर्थिक दुर्दशा (Poverty)–** घर की आय के सीमित साधन होने पर माता-पिता बालक की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते और प्राय: बालक को उसकी विशेष माँगों पर डाँटते-फटकारते हैं जिससे बालक चोरी करके, झूठ बोलकर, बड़ों का अनादर करके, गाली देकर अपने इस अभाव की पूर्ति का प्रयास कभी भौतिक तथा कभी मानसिक रूप से कर लेता है। उसका यही व्यवहार गम्भीरता तथा निरंतरता ले लेने पर अपराध बना जाता है। कनाडा की कल्याण समिति ने अपने अध्ययन के आधार पर गरीबी तथा अपराध में घनिष्ठ संबन्ध बताया है।

(“Poverty and Crime the terrible twins, go had in hand.”)–

(iii) **निर्योग्य माता-पिता (Disabled Parents)–** माता-पिता की शारीरिक, मानसिक तथा शैक्षिक निर्योग्यताएँ भी बालक में असामाजिक व्यवहार तथा अपराधी प्रवृत्ति के विकास के लिए उत्तरदायी होती हैं। इनके कारण वे अपने बालकों को उचित संरक्षण, प्रशिक्षण तथा निर्देश देने में असमर्थ होते हैं। माता-पिता का आचरण, चरित्र आदि कारक भी इसी वर्ग में आते हैं।

(iv) **उपेक्षित व्यवहार (Behaviour of Rejection)–** बालक को घर में उचित प्यार, संमान, स्थान तथा स्वीकृति न मिलने पर अथवा पक्षपातपूर्ण व्यवहार के कारण बालक अपने आपको घर के वातावरण में समायोजित नहीं कर पाता। फलस्वरूप वह घर से भाग जाने की, भाई-बहनों को कष्ट अथवा हानि पहुँचाने की योजनाएँ बनाता है तथा ऐसे व्यवहार करता है जिससे कि वह अपनी इन सांवेगिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए माता-पिता का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सके।

(v) **वृहद् परिवार (Crowded Homes)–** ऐसे बड़े परिवारों में (विशेषकर बड़े शहरों में) जहाँ अनेक सदस्य एक साथ बहुत कम स्थान अथवा एक ही कमरे में रहते हों, बालक लैंगिक अपराध के विषय में शीघ्र ही बहुत कुछ सीख जाते हैं। साथ ही इन परिवारों में स्थान अभाव के कारण उत्पन्न कलह, विभिन्नताएँ तथा दुराचार भी बालक की मनोवृत्ति तथा दुराचार भी बालक की मनोवृत्ति को प्रभावित करते हैं।

नोट

(*vi*) **अनैतिकता तथा अनुशासनहीनता (Lack of Moral Code and Discipline)**– घर के द्वारा प्राप्त नैतिक शिक्षा बालक के इदम्, अहम् तथा पराहम् में संतुलन की क्षमता का विकास करती है। परिवार में व्याप्त अनैतिकता तथा दोषपूर्ण अनुशासन बालक को अपराधी बनाने में प्रमुख बनाने में प्रमुख कारक होते हैं।

टास्क बाल अपराध वर्तमान समाज की महत्त्वपूर्ण समस्या है। अपके दृष्टिकोण से इसका सबसे महत्त्वपूर्ण कारक क्या है?

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

रिक्त स्थानों की पूर्ति करें (Fill in the blanks)—

1. मनोवैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक बाल अपराध (Juvenile Delinquency) में बाल अपराधियों में दिखाई देनें वाली 18 विशेषताओं की सूची का नाम .... रखा है।
2. बर्ट के अनुसार .... पिछड़े बालकों में पिछड़े पन का कारण मंद दैहिक विकास ही है।
3. पाठ में उदय शंकर द्वारा प्रस्तुत तालिका में नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले बालक .... हैं।
4. बाल अपराध के संदर्भ में कनाडा की कल्याण समिति ने अपने अध्ययन के आधार पर .... में घनिष्ट संबंध बताता है।

23.3 पिछड़े एवं अपराधी बालकों की समस्याएँ (Problems of Backword and Delinquent Children)

पिछड़े बालकों में कई प्रकार की मंदताएँ होने के कारण बालकों को शिक्षा एवं समायोजन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं के परिणामस्वरूप अध्यापक को इन बालकों की शिक्षा एवं समायोजन के लिए विशेष प्रयत्न करने पड़ते हैं। पिछड़े बालकों की मुख्य समस्याएँ इस प्रकार हैं–

(1) विद्यालयी संबंधी समस्याएँ (Problems Related to Schools)— पिछड़े हुए बालक सीखने में मंद होते हैं। वे समस्त कक्षा के बच्चों के सीखने की गति के साथ नहीं चल सकते। सामान्य बालकों को पिछड़े बालकों के साथ अधिगम में कठिनाई अनुभव होती है। शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े बालकों की उपलब्धि हो सकती है, वे उसे उपलब्ध करने में असफल रहते हैं। अपनी आयु के बच्चों से वे पढ़ाई के मामलों में अधिक पीछे रह जाते हैं। कई परिस्थितियों में तो पिछड़े बालक अपने से कम आयु वाले बालकों के साथ भी कार्य नहीं कर सकते। परिणामस्वरूप विभिन्न परीक्षाएँ में अपव्यय होता रहता है।

इसके अतिरिक्त ऐसे पिछड़े बालकों और अध्यापकों के संबंध में दूरी होने के कारण वे उस वातावरण में स्वयं को समायोजित करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। स्कूल और कक्षा में अनुशासनहीनता, विद्यार्थियों को अभिप्रेरणा की कमी, पाठान्तर क्रियाओं का अभाव, अयोग्य अध्यापकों की नियुक्ति, शैक्षणिक निर्देशन का अभाव, अध्यापकों का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, अध्यापकों की ऐसे बालकों के प्रति लापरवाही, अध्यापक द्वारा व्यक्गित ध्यान न देना, कक्षाओं में अन्य सुविधाओं, जैसे फर्नीचर, पुस्तकालय, हवा ताा प्रकाश का प्रबंध, पीने के पानी का प्रबंध, शिक्षण सामग्री का न होना, कक्षाओं का बड़ा आकार, आद कारक पिछड़े हुए बालकों का स्कूल और कक्षाओं में समायोजन करने में बाधाएँ उत्पन्न करते हैं। परिणामस्वरूप बालक शैक्षिक उपलब्धियों के दृष्टिकोण से सामान्य बालकों से पिछड़ जाता है।

(2) संवेगात्मक समस्याएँ (Emotional Problems)— पिछड़े हुए बालकों में कई प्रकार की दुबर्लताओं के कारण हीन भावना का आरम्भ हो जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में और सामाजिक संबंधों में प्रभावहीन या असफल

नोट

रहने से उनके जीवन में निराशा का भाव होना आरम्भ हो जाता है। उनमें संवेगात्मक अस्थिरता आरम्भ हो जाती है। इस कारण उन्हें अपमान भी सहना पड़ता हैं इस स्थिति के जारी रहने से उनका संवेगात्मक संतुलन बिगड़ जाता है। परिणामस्वरूप और कई तरह की समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। उनका मन किसी भी कार्य में नहीं लगता। ऐसे वातावरण में बालक अन्य बालकों की दृष्टि में भी गिर जाता है। उचित स्नेह, प्यार और सुरक्षा नहीं मिलती।

(3) सामाजिक समस्याएँ (Social Problems)— पिछड़े बालकों के समायोजन की समस्याएँ अन्य समस्याओं के कारण बढ़ जाती हैं। वे स्वयं को समाज के अनुसार बदल या अनुभव नहीं बदल सकते। समाज से अलग हो जाते हैं। उनके सामाजिक सम्पर्कों की संख्या भी सीमित रह जाती है। असुरक्षा की भावना के अंतर्गत से कई बार तो असामाजिक तत्वों से मिलकर समाज विरोधी व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं। अपराध प्रवृत्ति के लोगों की पृष्ठिभूमि में उनका पिछड़ापन भी एक महत्त्वपूर्ण तत्व होता है। पिछड़े बालकों की सामाजिक समस्याओं का सामना करना भी अध्यापक के लिए एक चुनौती हो जाता है। लेकिन सामाजिक विकास के लिए पिछड़े बालकों की स्थापना भी अति आवश्यक है।

23.4 सारांश (Summary)

- पिछड़ापन चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, निशचित रूप से, बालक के व्यक्तित्व की एक मनोवैज्ञानिक विशिष्टता है जो उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है।
- शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण भी मूल रूप से मनोवैज्ञानिक होता है। ऐसा बालक प्राय: निराशावादिता और सांवेगिक असन्तुलन के कारण कभी समस्यात्मक बालक बन जाता है तथा कभी उचित शिक्षण एवं निर्देशन के अभाव में संलग्न हो जाता है।
- समाज विरोधी व्यवहार के अतिरिक्त कुछ समस्यसात्मक व्यवहार जैसे–भगोड़ापन भी बाल-अपराधी की श्रेणी में आते हैं।
- उचित समय पर उचित निर्देशन व उपचार के द्वारा यदि उसकी इस प्रवृत्ति को समाप्त नहीं कर दिया जाता है तो वह समाज, राष्ट्र व स्वयं अपने भविष्य के लिए समस्या बन सकता है।
- **पिछड़े बालकों की पहचान–** सामान्य कक्षाओं में मानकीकृत बौद्धिक क्षमता व उपलब्धि के प्रयोग से पहचाने गए पिछड़े बालकों में पिछड़ेपन की पुष्टि कक्षा एवं विषय अध्यापकों के निरीक्षणो के आधार पर कर लेना भी आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त बालक की पूर्व वर्षों की वार्षिक प्रगति का रिकार्ड, खेल के मैदान, पुस्तकालय, प्रयोगशाला कार्य आदि में उसकी सूझ-बूझ, कार्य क्षमता, अवधान क्षमता (learning capacity), नेतृत्व, योजना तथा व्यवस्था आदि भी उसके पिछड़ेपन की प्रकृति, स्तर व कारणों को जानने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं।
- **अपराधी बालकों की पहचान–** यद्यपि बाल-अपराध एक व्यावहारिक विचलन है अर्थात् बाल-अपराधियों को मुख्य रूप से उनके व्यवहार के द्वारा ही पहचाना जा सकता है, इस क्षेत्र के अध्ययनकर्ताओं ने अपने अध्ययनों के आधार पर बाल-अपराधियों के कुछ लक्षण बताये हैं–
  - (*i*) ये औसत शारीरिक संरचना, बहिर्मुखी, उग्र तथा विध्वंसक होते हैं।
  - (*ii*) इनके व्यक्तित्व में अस्थिरता होती है।
  - (*iii*) दूरदर्शिता का प्राय: अभाव होता है।
  - (*iv*) अवसादग्रस्तता इनके व्यक्तित्व का मुख्य लक्षण होता है। प्रत्येक पाँव अवसाद-ग्रस्त व्यक्तियों में चार अपराधी होते हैं।
- **पिछड़ेपन के कारण–** स्वयं के व्यक्तित्व तथा वातावरण में निहित अनेक कारक बालक के शैक्षिक पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं।
- **व्यक्तिगत कारण–** 1. असामान्य शारीरिक व दैहिक विकास; 2. बौद्धिक मन्दता तथा निम्न सामान्य-बुद्धि स्तर; 3. दोषपूर्ण सांवेगिक विकास।

नोट

- **परिवेशीय कारण–** 1. पारिवारिक कारण; 2. विद्यालयीय कारण; 3. सामाजिक कारण
- **बाल अपराध के कारण–** (*i*) वंशानुक्रम; (*ii*) शारीरिक कारण; (*iii*) मानसिक कारण
- **सामाजिक कारक–** (*i*) समाज का भौतिक ढाँचा; (*ii*) समाज के नैतिक तथा धार्मिक मूल्य; (*iii*) दूषित समाज।
- **पारिवारिक कारक–** (*i*) विघटित परिवार; (*ii*) आर्थिक दुर्दशा; (*iii*) निर्योग्य माता-पिता; (*iv*) उपेक्षित व्यवहार; (*v*) वृहद् परिवार; (*vi*) अनैतिकता तथा अनुशासनहीनता।

23.5 शब्दकोश (Keywords)

- **बहिर्मुखी–** बाहर की ओर मुँह किया हुआ, विमुख, विपरीत।
- **अवसादग्रस्त–** थकावट, सुस्ती, उदासी।
- **वाक् दोष–** बोलने में समस्या उत्पन्न होना।

23.6 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

1. पिछड़े बालकों की पहचान कैसे करेंगे?
2. बाल अपराधियों की पहचान हेतु लक्षण बताइए?
3. पिछड़ेपन एवं अपराधी बालकों के कारण समझाइए।
4. पिछड़े बालकों की समस्याओं पर विचार कीजिए।

उत्तर : स्व-मूल्यांकन (Answer: Self-Assessment)

1. (Delinquency Proneness check list)
2. 80 प्रतिशत
3. 3 प्रतिशत
4. गरीबी तथा अपराध

23.7 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

पुस्तकें

1. *शारीरिक रूप से विकलांग बालक–* योगेन्द्र कुमार शर्मा, कनिष्क पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
2. *विशिष्ट शिक्षा–* कुमार संजीव, जानकी प्रकाशन, पटना।
3. *विशिष्ट बालक–* अवधारणा, विकास एवं शिक्षा, के. के. पब्लिकेशंस, नई दिल्ली।
4. *विशिष्ट शिक्षा का प्रारूप–* डॉ. आर. लाल. शर्मा, आर. लाल. बुक डिपो, आगरा।

नोट

इकाई–24: पिछड़े हुए एवं अपराधी बालक: शिक्षण आव्यूह एवं निवारण (Backword and Delinquent Children: Prevention and Teaching Strategies)

अनुक्रमणिका (Contents)

उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तावना (Introduction)

24.1 पिछड़ेपन का निदान एवं पिछड़े बालकों की शिक्षा (Backword Children : Prevention and Teaching Strategies)

24.2 बाल अपराध का निदान एवं अपराधी बालकों की शिक्षा (Delinquent Children : prevention and Teaching Strategies)

24.3 सारांश (Summary)

24.4 शब्दकोश (Keywords)

24.5 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

24.6 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

उद्देश्य (Objectives)

विद्यार्थी इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् सक्षम होंगे–

- पिछड़े बालकों में पिछड़ेपन के निदान एवं उनकी शैक्षिक व्यवस्था से परिचित होंगे।
- बालकों में अपराधी प्रवृत्ति के निदान एवं उनकी शैक्षिक व्यवस्था से परिचित होंगे।

प्रस्तावना (Introduction)

माता-पिता, अभिभावक व शिक्षक प्राय: अनुभव करते हैं कि कुछ बालक कक्षा में अपने आयु-स्तर के अनुरूप प्रगति नहीं कर पाते। इनकी शैक्षणिक उपलब्धि निम्नस्तरीय अथवा सामान्य से एक या दो कक्षा नीचे की होती है। सामान्य कक्षाओं में ये अरुचि का प्रदर्शन करते हैं तथा अपने समान क्षमता वाले बालकों के साथ पाठयेत्तर (Curricular) व पाठयोत्तर (co-curricular) कार्य-कलापों में भी भाग लेना पसन्द नहीं करते हैं। कभी-कभी उनकी यह अरुचि व निम्न उपलब्धि किसी विषय तक ही सीमित रहती है। ये प्राय: सामान्य बौद्धिक क्षमता वाले होते हैं व इनकी निम्न उपलब्धि के कारण ये कभी वातावरण में निहित होते हैं तो कभी स्वयं में। इस प्रकार शिक्षा के या किसी विषय विशेष के प्रति उदासीन तथा निम्न उपलब्धि वाले वे सभी बालक जो अपनी आयु स्तर के समान क्षमताओं वाले बालकों से शैक्षिक रूप से पिछड़ जाते हैं, 'पिछड़े बालक', की श्रेणी में रखे जाते हैं। पिछड़े बालकों तथा उनकी शिक्षा के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डालने से पूर्व यह जानना होगा कि पिछड़ेपन का स्वरूप क्या है और प्रस्तुत सन्दर्भ में 'पिछड़े बालक' शब्दों का प्रयोग विशेष रूप से किन विशिष्ट बालकों के लिए किया गया है।

नोट

पिछड़ेपन का स्वरूप (Nauture of Backwardness)

पिछड़ेपन एक सामान्य प्रत्यय है जो किसी भी व्यक्ति की किसी भी क्षेत्र में निम्न स्तरीय उपलब्धिय या प्रगति को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, कोई व्यक्ति या बालक शारीरिक, सांवेगिक, सामाजिक अथवा बौद्धिक विकास में अपने आयु समूह के व्यक्ति या बालकों से पिछड़ सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रत्यय का प्रयोग विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धि के निम्न स्तर के लिए किया जाता है। यह उपलब्धि का निम्न स्तर कभी एक या दो विषयों में तो कभी सभी विषयों में समान रूप से हो सकता है।

पिछड़ापन चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चय रूप से, बालक के व्यक्तित्व की एक मनोवैज्ञानिक विशिष्टता है जो उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, यह बालक की बौद्धिक योग्यताओं, सांवेगिक गुणों, क्रियात्मक क्षमताओं, संवेदनाओं, ग्रन्थियों, आदतों व शारीरिक विशेषताओं (जो अनेक अनुभवों से प्रभावित रहती हैं) के विकास के क्रम में जन्मदाता लक्षणों तथा वातावरणीय प्रभावों का एक जटिल समन्वित प्रतिफल मात्र है। शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण भी मूल रूप से मनोवैज्ञानिक होता है। ऐसा बालक प्रायः निराशावादिता और सांवेगिक असन्तुलन के कारण कभी समस्यात्मक बालक बन जाता है तथा कभी उचित शिक्षण एवं निर्देशन के अभाव में संलग्न हो जाता है।

एक प्रजातान्त्रिक प्रणाली वाले राष्ट्र में जहाँ सभी बालकों/व्यक्तियों को अपने आपको पूर्ण रूप से विकसित करने के समान अधिकार प्राप्त हैं, इन पिछड़े बालकों को भी अपनी क्षमता के अनुरूप अधिकतम विकास के अवसर प्राप्त होने चाहिए। पिछड़ेपन के कारण कुछ भी हों, माता-पिता, शिक्षकों तथा सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को चाहिए कि वे ऐसे बालकों को पहचान कर उनको उचित प्रकार से निर्देशित करें। इसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वे यह जानें कि 'पिछड़े बालक' की श्रेणी में कौन-कौन से बालक आते हैं तथा पिछड़ेपन के क्या मूल कारण (ब्ंनेमे) हो सकते हैं।

आज के बालक नागरिक जीवन में प्रवेश कर देश व समाज के विकास में सहायक होते हैं। अतः उनका समुचित विकास होना चाहिए। परन्तु कभी-कभी कुछ बालक ऐसे निकलते हैं। अतः उनका समुचित विकास होना चाहिए। परन्तु कभी-कभी बालक ऐसे निकलते हैं जो व्यवहार में दूसरों से भिन्न होते हैं। इन्हें अपराधी बालक कहते हैं। इनके समुचित विकास में अध्यापक और विद्यालय सहायक हो सकते हैं।

24.1 पिछड़ेपन का निदान एवं पिछड़े बालकों की शिक्षा (Backword Children : prevention and Teaching Strategies)

बालकों में शैक्षिक पिछड़ापन, विशेष रूप से सामूहिक पिछड़ापन (Group backwardness) शिक्षाशास्त्रियों व शिक्षाविदों के लिए एक समस्या का विषय है जिसके फलस्वरूप केवल धन एवं समय की ही हानि नहीं होती है वरन् संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल हो जाती है। इस दृष्टि से विशिष्ट बालकों के समूह में पिछड़े बालकों का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। किसी भी विद्यालय में पिछड़े बालकों की संख्या, पिछड़ेपन का क्षेत्र, प्रकृति एवं कारण उस विद्यालय व अध्यापकों के शैक्षिक स्तर एवं समाज में शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक योगदान को परिलक्षित करते हैं। अतः इन बालकों के पिछड़ेपन को अधिकतम संभव सीमा तक दूर करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता होती है। इस सन्दर्भ में पिछड़ेपन की पहचान एवं निदान हो जाने पर उसको दूर करने या उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं।

1. नियमित स्वास्थ्य एवं आवश्यक उपचार (Regular Health Check-up and Necessary Treatment)

जिन बालकों के शैक्षणिक पिछड़ेपन का कारण शारीरिक न्यूनता, अक्षमता, बीमारी अथवा कमजोरी होती है, उनको नियमित डॉक्टरी जाँच व आवश्यक उपचार प्रदान करके उनको स्वाभाविक उपलब्धि स्तर तक लाया जा सकता है। यह प्रयास घर तथा विद्यालय दोनों की तरफ से किया जाना चाहिए। तदनन्तर इसका अनुवर्तन (follow-up) भी किया

जाना चाहिए ताकि बालक में पुनरावर्तन (relapse) के अवसरों को समाप्त किया जा सके। शारीरिक विकलांगता वाले बालकों को आवश्यक सहायक उपकरणों की सहायता से सीखने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

2. बालक को समायोजित करने में सहायता करना (Helping the Child to Adjust)

पिछड़े बालकों में प्राय: घर, स्कूल व साथियों के साथ असमायोजन की स्थिति देखने को मिलती है। घर तथा विद्यालय में प्रताड़ित किए जाने, उपेक्षित होने व आवश्यक लाड-प्यार न मिलने अथवा बहुत अधिक लाड-प्यार मिलने के कारण ही इन बालकों में यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके लिए इनको उचित रूप से प्रोत्साहित करने वाला वातावरण प्रदान किया जाए तथा उन्हें नेतृत्व करने एवं आगे आने के लिए प्रेरित किया जाए जिससे उनके अन्दर से इस हीन भावना को निकाला जा सके कि वे अन्य बालकों से किस प्रकार पिछड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें घर, विद्यालय तथा साथियों के द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए तथा उनके तनाव, कुण्ठा और पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी अन्य भौतिक कारणों जैसे– निम्न-आर्थिक-सामाजिक स्तर व अन्य सामाजिक बुराइयों (जाति व रंगभेद आदि) को दूर करने के प्रयास करने चाहिए।

3. विशेष शिक्षा व्यवस्था (Special Educational Provision)

पिछड़े बालक क्योंकि सामान्य बालकों से शैक्षिक रूप से पिछड़े होने के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में भी किसी न किसी रूप से न्यून होते हैं; अत: सामान्य बालकों के साथ उनकी शिक्षा व्यवस्था करना अनेक दृष्टिकोणों से उचित नहीं है। सामान्य कक्षाओं में प्राय: शिक्षक के पास इतना समय ही नहीं होता है कि वह प्रत्येक पिछड़े बालक को पृथक रूप से पढ़ा सके या विविध शिक्षण विधियों का प्रयोग कर सके इस प्रकार बालक का स्वयं का समायोजन ही सामान्य कक्षाओं में उचित रूप से हो पाता है। इसके लिए उसको पहले सरल व उपयोगी पाठों का अभ्यास भिन्न समय-सारणी (Time-table) के साथ कराने की आवश्यकता होती है। यह भी आवश्यक नहीं कि प्रत्येक शिक्षक इन अलग-अलग प्रकार की कमजोरी रखने वाले बालकों को पूरी दक्षता के साथ पढ़ा सकें। अत: इन विशिष्ट बालकों के लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था करना नितान्त आवश्यक हो जाता है। शिक्षा की व्यवस्था निम्न रूपों में संभव है।

(i) **विशेष कक्षाएँ (Special Classes)**– ऐसी कक्षाओं तथा विषयों में जहाँ पिछड़े बालकों की संख्या अधिक होती है उन्हें सामान्य बालकों के साथ पढ़ाना लाभप्रद नहीं हो सकता है बल्कि निरन्तर असफलता से ये बालक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। अत: इससे पहले कि ये लगातार कक्षाओं में फेल होते रहें उनके लिए पृथक् कक्षाओं की व्यवस्था सामान्य विद्यालयों में ही कर दी जानी चाहिए।

पृथक् कक्षाओं में इन बालकों के समक्ष समायोजन व कुण्ठा जैसी समस्याएँ उत्पन्न नहीं होतीं। अध्यापक भी अब इनकी शैक्षिक प्रगति, आलेख, बौद्धिक क्षमता स्तर व उनकी विशिष्ट कमजोरियों को मद्देनजर रखते हुए शिक्षण सामग्री को विविध एवं सरल तरीकों से उनके समक्ष प्रस्तुत कर सकता है क्योंकि कक्षा में सभी बालकों का शैक्षिक उपलब्धि स्तर लगभग एक-सा होता है। शिक्षक के समक्ष गति की समस्या भी नहीं आती है। वह बालकों की आवश्यकता के अनुसार किसी भी विषय इकाई की कक्षा में पुनरावृत्ति कर सकता है। उनके लिए पृथक् लक्ष्य निर्धारित कर सकता है। इसके अतिरिक्त सामान्य कक्षाओं में इन बालकों को औसत अथवा उच्च क्षमता वाले बालकों में प्रतिस्पर्धा करनी होती है जबकि इन विशेष कक्षाओं में सभी का स्तर लगभग समान होता है। अत: वे अपने आपको अधिक सुरक्षित अनुभव करते हैं। शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिये जाने के कारण ये विषय में रुचि भी लेने लगते हैं।

कुछ शिक्षाविद् पृथक् कक्षाओं की व्यवस्था को उचित नहीं मानते। उनके अनुसार सामान्य बालकों से अलग कर दिये जाने पर उनमें यह भावना घर कर सकती है कि उन्हें पिछड़ा हुआ समझा जाता है तथा सभी बालकों का स्तर निम्न होने के कारण आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन का भी अभाव हो सकता है। इसके अलावा संभव है कि वे समान प्रवृत्ति के बालकों के साथ रहने के कारण समस्यात्मक बालक बन जाएँ।

(ii) **विशेष विद्यालय (Special Schools)**– ऐसे पिछड़े बालकों के सन्दर्भ में जिनमें पिछड़ेपन का कारण बौद्धिक न्यूनता या मन्द अथवा कोई अत्यधिक विषम शारीरिक विकलांगता होती है, विशेष विद्यालयों की व्यवस्था करना

नोट

ही न्यायोचित रहता है क्योंकि उनकी अक्षमता इस स्तर की होती हे कि वे सामान्य रूप से प्रयोग में आने वाली शिक्षण सामग्री द्वारा शिक्षित नहीं किए जा सकते हैं। उनके लिए विशिष्ट प्रकार के शिक्षण, प्रशिक्षण, पाठ्य सामग्री तथा सहायक उपकरणों की आवश्यकता होती है जिन्हें सामान्य विद्यालयों में उपलब्ध कराना संभव नहीं होती है। मानसिक न्यूनता व शारीरिक विकलांगता वाले बालकों के लिए पृथक्-पृथक् विद्यालय होते हैं। मानसिक न्यूनता वाले बालकों को जिन्हें किसी भी प्रकार से शिक्षित नहीं किया जा सकता है, कुछ ऐसे व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे वे समाज पर बोझ न बनें व अपना जीवन-यापन स्वयं कर सकें। इसके अतिरिक्त उन्हें सामाजिकता के सामान्य नियमों व अपने स्वयं के कार्यों के कार्यों को भली प्रकार कर सकने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

शारीरिक रूप से विकलांग बालकों को उनकी विकलांगता की सीमा व प्रकृति के अनुरूप सहायता उपकरणों के उपयोग से शिक्षित किया जाता है। इन्हें भी व्यावसायिक व सामाजिकता का प्रशिक्षण दिया जाता है। विकलांगता के पूर्ण रूप से दूर हो जाने पर (उपचारात्मक तरीकों से) इन बालकों को सामान्य विद्यालयों में स्थानांतरित किया जा सकता है।

(iii) **विशिष्ट पाठ्यक्रम (Specificed Curriculum)–** सामान्य रूप से पाठ्यक्रम का निर्धारण औसत क्षमता वाले बालकों की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है। पिछड़े बालक (विशेष रूप से बौद्धिक न्यूनता वाले बालक) इस पाठ्यक्रम के कुशलता के साथ पूर्ण करने में असफल रहते हैं। अतः उनके लिए सरल एवं छोटे पाठ्यक्रम का, जो उनकी अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं, क्षमताओं व रुचियों के अनुरूप हो, निर्धारण करना उपयोगी रहता है। इन बालकों को विद्वान बनाने की अपेक्षा उपयोगी नागरिक व कुशल कार्यकर्ता बनाना इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य होना चाहिए तथा काष्ठ शिल्प, गृह शिल्प, पुस्तक शिल्प आदि का इनके पाठ्यक्रम में समावेश किया जाना चाहिए।

(iv) **शिक्षण विधियाँ (Teaching Methods)–** न्यून बौद्धिक क्षमता अथवा विषय इकाई के मूल सिद्धान्तों की अज्ञानता के कारण पिछड़े बालक सामान्य रूप से प्रचलित शिक्षण विधियों, जैसे– व्याख्यान-प्रदर्शन आदि से सीखने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। अतः इनके शिक्षण के लिए इन विधियों में पर्याप्त परिमार्जन की आवश्यकता होती है। इन्हें स्थूल (Concrete) सामग्री और प्रत्यक्ष अनुभवों की सहायता लेकर तथा विषय वस्तु की छोटी-छोटी इकाइयों में बाँटकर सरल तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए। पढ़ाई गई इकाइयों की बार-बार पुनरावृत्ति (Drill) व अभ्यास भी बहुत आवश्यक होता है। दृश्य-श्रव्य (audio-visual) सामग्री का आवश्यकतानुसार उपयोग करना चाहिए तथा उन्हें सीखने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए।

नोट्स सांवेगिक अथवा अन्य कारणों से पिछड़ जाने वाले बालकों के लिए अभिनय, प्रोजेक्ट विधि, खेल विधि आदि नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग इस उपचारात्मक शिक्षण में विशेष महत्व रखता है।

(*v*) **विशेष अध्यापक (Special Teachers)–** पिछड़े बालकों के लिए विशेष कक्षाओं, विशिष्ट पाठ्यक्रम व परिमार्जित शिक्षण विधियों को अपनाने का उद्देश्य तभी पूर्ण हो सकता है जबकि शिक्षक इन सब परिवर्तनों को प्रभावी व सफल रूप दे सकें। ऐसा शिक्षक अधिक व्यावहारिक व अनुभवी होना चाहिए। उसे बाल मनोविज्ञान का अच्छा ज्ञान हो, बालकों की विशिष्ट कमियों व कठिनाइयों को समझने की क्षमता व रुचि रखता हो तथा उसमें पर्याप्त धैर्य शक्ति हो ताकि वह बालकों के लगातार असफल होने पर भी अपने आपको निरन्तर सफलता के प्रयास के क्रम में लगाये रखे। पिछड़े बालकों को जिसे प्रोत्साहन, प्रशंसा, लगातार सहायता व सहानुभूति पूर्ण व्यवहार की अत्यधिक आवश्यकता होती है, एक कुशल शिक्षक ही प्रगति के मार्ग पर, स्थायित्व के साथ ला सकता है। इसके अतिरिक्त पिछड़े बालकों के शिक्षण में अत्यधिक आवश्यक है कि शिक्षण के द्वारा अपनायी गई शिक्षण-विधि बाल-केन्द्रित हो।

नोट

(*vi*) **पाठ्यान्तर क्रियाएँ, विविध अनुभव तथा वर्गीकृत पाठ्यक्रम (Co-curricular Activites, Varied Experiences and Diversified Courses)–** विद्यालयों में पाठ्यान्तर क्रियाओं की उचित व्यवस्था का न होना प्राय: सामान्य व उच्च प्रतिभा संपन्न बालकों में भी शिक्षा के प्रति अरुचि उत्पन्न कर देता है। उच्च प्रतिभासंपन्न बालक की अपनी विशेष क्षमताओं व जिज्ञासाओं की सन्तुष्टि के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं; जैसे– पुस्तकालय में उनके स्तर की ज्ञानवर्धक अथवा स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करने वाली पुस्तकों का अभाव, खेल कक्ष में खेल सामग्री का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होना, शैक्षिक उद्देश्य के परिभ्रमण व पिकनिक की व्यवस्था का न होना आदि। इन्हीं सब कारणों से ये बालक कुण्ठित हो जाते हैं; शिक्षा के प्रति अरुचि दिखाते हैं और अपनी क्षमताओं के अनुरूप उपलब्धि का प्रदर्शन नहीं करते। अत: इन्हें भी पिछड़े बालकों की श्रेणी में शामिल कर लिया जाता है। अन्य सामान्य क्षमताओं वाले, शैक्षिक रूप से पिछड़े तथा बौद्धिक न्यूनताओं वाले बालकों के लिए भी पाठ्यान्तर क्रियाओं का इतना ही महत्व होता है। अत: समस्त वर्गों के पिछड़े बालकों के लिए विशिष्ट पाठ्यक्रम के अतिरिक्त खेल-कूद, मनोरंजन व पुस्तकालय आदि की उचित व्यवस्था का होना अति आवश्यक है। साथ ही बालकों का उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुरूप अभिनय, नृत्य, संगीत, कला व नेतृत्व प्रदर्शन के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। संभव हो तो इन्हें अभिव्यक्त कलाओं (expressive arts) का भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। इसके अतिरिक्त इन बालकों को अपनी विशिष्ट क्षमताओं, रुचियों, आयु व बौद्धिक स्तर के अनुरूप वर्कशाप प्रशिक्षण, विभिन्न हस्तकलाओं का प्रशिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, ऑनर्स पाठ्यक्रम, एन. सी. सी., सुरक्षा नियमों, प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण आदि भी प्रदान किए जा सकते हैं। यह व्यवस्था बालकों में इन कलाओं में दक्षता व प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ-साथ उनमें निश्चित रूप से, शिक्षा के प्रति उचित दृष्टिकोण उत्पन्न करने में सहायक होगी।

(*vii*) **समय-सारणी (Time-table)–** पिछड़े बालक प्राय: अधिक समय तक ध्यान केन्द्रित नहीं कर पाते तथा सामान्य बालकों के साथ प्रगति में असमर्थता का अनुभव करते हैं। अत: इनके लिए समय-सारणी का निर्धारण पृथक् रूप से किया जाना उचित रहता है। यह समय-सारणी लचीली (Flexible) होनी चाहिए तथा उसमें पीरिएड्स छोटे होने चाहिए। संभव है कि ये बालक कभी विषय की किसी विशेष समस्या को समझने व सीखने में सामान्य से अधिक समय ले लें अथवा कभी किसी विषय को निर्धारित पीरियड में पढ़ने में अरुचि दिखाएँ। अत: सामान्य कक्षाओं में भी पिछड़े बालकों की समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से समय-सारणी में परिवर्तन करने की स्वतन्त्रता शिक्षक व्यवस्थापकों का होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त समय-सारणी बनाते समय इन बालकों की आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न पाठयेतर व पाठ्यान्तर क्रियाओं को भी उचित महत्व, स्थान व समय मिले इसका ध्यान रखना चाहिए।

(*viii*) **परीक्षा प्रणाली (Examination System)–** कभी-कभी दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली भी बालकों के पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी होती है। जैसे– सभी प्रश्न पत्रों का पूर्ण रूप से आत्मनिष्ठ होना, परीक्षा में पाठ्यक्रम से बाहर की विषय वस्तु पर प्रश्न पूछ लेना, प्रश्न-पत्र की भाषा का अस्पष्ट होना, बालक को प्रत्युत्तर देने के लिए पर्याप्त समय न मिल पाना, परीक्षकों द्वारा उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन में लापरवाही बरतना तथा सभी बालकों के लिए समान मानकों का निर्धारण कर देना आदि। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पिछड़ापन, समान आयु वर्ग व समान क्षमताओं वाले बालकों की उपलब्धि के आधार पर आँका जाना चाहिए न कि कक्षा के सभी विभिन्न आयु वर्गों व क्षमताओं वाले बालकों की उपलब्धि के आधार पर। अत: परीक्षकों को चाहिए कि पिछड़े वर्ग की शैक्षिक उपलब्धि परीक्षा लेते समय इन सब बातों का ध्यान रखें, प्रश्न-पत्रों को अधिक वस्तुनिष्ठ (objective) बनाएँ, सरल भाषा का प्रयोग करें तथा प्रश्न-पत्र में उन सभी पाठ्यांशों से प्रश्न पूछें जिनको वह कक्षा में पढ़ा चुके हैं। प्राय: कुछ धीमी गति से सीखने व प्रत्युत्तर देने वाले बालक प्रश्न-पत्र को पूरा करने में सामान्य से अधिक समय लेते हैं। अत: समय का निर्धारण इन बालकों की गति को ध्यान में रखते हुए करें। साथ ही इन बालकों के मूल्यांकन में प्राप्तांकों के अतिरिक्त उनके शैक्षिक व व्यक्तिगत इतिहास, एनेकडोट्ल आलेख, आख्या, सामूहिक आलेख आदि का समावेश रहना चाहिए।

नोट

परीक्षण प्रणाली व मूल्यांकन के तरीकों में परिमार्जन के अतिरिक्त पिछड़े बालकों की उपलब्धि को बढ़ाने के लिए परीक्षाफल को शीघ्र घोषित करना चाहिए तथा सफल व असफल दोनों ही वर्गों के बालकों को किसी न किसी रूप में प्रोत्साहित करते रहना चाहिए और फीडबैक, पुरस्कार तथा प्रलोभन आदि का प्रयोग करना चाहिए।

टास्क वर्तमान परिदृश्य में बालकों में पनप रही अपराधी प्रवृत्ति पर किस प्रकार रोक लगाई जा सकती है? अपने सुझाव दीजिए।

4. अनुवर्तन व प्रगति का लेखा-जोखा रखना (Follow-up and Progress Recording)

पिछड़े बालकों में पिछड़ेपन का निदान करने व उसके अनुरूप उपचारात्मक विशेष शिक्षण प्रदान कर देने से ही इन बालकों की समस्या का समाधान नहीं हो जाता। उपचारात्मक शिक्षण देने से भी अधिक महत्वपूर्ण व आवश्यक उसके परिणामों का अनुवर्तन (Follow-up) करना है। बालक विशेष को किस विषय में किस प्रकार की कठिनाई व कमज़ोरी थी व उसमें किस सीमा तक सुधार आया है; इससे यह पता चलता है कि हमारा निदान व उपचारात्मक शिक्षण किस सीमा तक प्रभावी हुआ है। बालक की प्रगति का उचित प्रकार से लेखा-जोखा रखने से स्पष्ट रूप से पता चल सकता है कि बालक व शिक्षक दोनों के द्वारा इस क्रिया में किए गए प्रयास कहाँ तक सफल हुए हैं व अब उसकी कमजोरी किस स्तर की रह गई है। अत: अनुवर्तन पिछड़े बालकों की उपचारात्मक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण चरण है।

5. अनुपस्थिति व भगोड़ेपन की प्रवृत्ति की रोकथाम (Cheeking non-attendance and Truancy)

बालकों में भगोड़ेपन की प्रवृत्ति व विद्यालय में लम्बे समय की अनुपस्थिति उसके पिछड़ेपन के मुख्य बाह्य कारणों में से है। कभी ये बालक कक्षा से भागने की प्रवृत्ति व कक्षा में अधिक अनुपस्थिति रहने के कारण पिछड़ जाते हैं तो कभी कक्षा में पिछड़े होने के कारण कक्षाओं में भागते हैं व विद्यालय आने में अरुचि दिखाते हैं और बहाने बनाते हैं। अत: इस प्रवृत्ति की रोकथाम करना उपचारात्मक उपाय (Curative measure) होने के साथ-साथ एक निवारक उपाय (preventive measure) भी है जिसके लिए इन बालकों के अभिभावकों से मिलकर इस समस्या के निवारण हेतु उपाय निर्धारित करने चाहिए।

6. निर्देशन सेवाओं की व्यवस्था (Provision of Guidance Services)

सही विषयों व अन्य क्रियाओं का चुनाव न कर सकने के कारण भी बहुत से बालक उस क्षेत्र में लगातार असफल होते जाते हैं। अत: विद्यालयों में निर्देशन सेवाओं की व्यवस्था भी उपचारात्मक व निवारक दोनों दृष्टिकोणों से आवश्यक है जिससे कि बालक अपनी क्षमताओं रुचियों, अभिवृत्ति व अभिरुचि के अनुरूप ही विभिन्न विषयों, खेलों व अन्य क्रियाओं का चयन कर सकें।

7. वातावरण के नकारात्मक कारकों को नियन्त्रित करना (Controlling Negative Environmental Factors)

बालक की शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धि को प्रभावित करने वाले बहुत से नकारात्मक कारक वातावरण में उपस्थिति रहते हैं। जैसे– पास पड़ोस का गन्दा वातावरण, अशिक्षित संगी-साथी, समाज व सामाजिक परिवेश की रुचियाँ, जीवन-मूल्यों व अभिरुचियों पर प्रतिकूल प्रभाव आदि। अत: इस सबको नियन्त्रित करना पिछड़ेपन के उपचार व रोकथाम के लिए आवश्यक है।

8. अनुभवी शिक्षा-मनोवैज्ञानिक की सहायता लेना (Taking Help from Experienced Educationl Psychologists)

मनोवैज्ञानिक कारणों से पिछड़े बालकों की शिक्षा के संबन्ध में अनुभवी शिक्षा मनो-वैज्ञानिकों की सेवाएँ भी काफी मूल्यवान सिद्ध हो सकती हैं। ये मनोवैज्ञानिक, अध्यापकों व माता-पिता को बालक के लिए व्यक्तित्व व शिक्षा संबन्धी ऐसे तथ्यों से परिचित कराने में सहायक होते हैं जो उनके पिछेड़पन के पूर्ण या आंशिक रूप से जिम्मेदार होते हैं।

नोट

वस्तुत: प्रत्येक उच्चतर विद्यालय में पिछड़े बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु विद्यालयी परामर्शदाताओं अथवा विद्यालयी मनोवैज्ञानिकों की नियुक्ति आवश्यक प्रतीत होती है जो उनकी कमियों एवं कमजोरियों को समझकर उनका निराकरण कर उनका उचित मार्ग-दर्शन कर सके। उनके लिए शिक्षण की सार्थकता इस बात पर निर्भर करती है कि उनकी कमजोरियों को शिक्षक ने कहाँ तक समझा है तथा उनके विकास में उसने क्या योगदान दिया है। मनोवैज्ञानिकों की सेवाएँ लेना उनके निवारण एवं विकास में शिक्षण पद्धति को एक निश्चित दिशा प्रदान कर सकती हैं।

24.2 बाल अपराध का निदान एवं अपराधी बालकों की शिक्षा (Delinquent Children: prevention and Teaching Strategies)

बाल अपराध कें निवारण, निरोध या रोकने के लिए परिवार, विद्यालय, समाज और राज्य अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं, यथा–

परिवार के कार्य

1. परिवार का उत्तम वातावरण
2. बड़े परिवार की वृद्धि पर नियंत्रण
3. बालकों का निर्देशन
4. बालकों का निरीक्षण
5. बालकों के प्रति उचित व्यवहार
6. बालकों के अध्ययन की व्यवस्था
7. बालकों के दैनिक व्यय की पूर्ति
8. बालकों में अच्छी आदतों का निर्माण
9. बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति
10. बालकों में आत्म-निर्भरता का विकास।

विद्यालय के कार्य

1. स्कूल का उत्तम वातावरण
2. बालकों की स्वतन्त्रता
3. नवयुवा गोष्ठियों की स्थापना
4. अच्छे पुस्तकालय की व्यवस्था
5. व्यक्तिगत विभिन्नताओं का विकास
6. उपचारात्मक व व्यावसायिक कक्षाएँ
7. पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था
8. अनुत्तीर्ण होने की समस्या का समाधान
9. वांछनीय सामाजिक दृष्टिकोणों का विकास
10. अच्छी नागरिकता की शिक्षा
11. रुचि व योग्यतानुसार शिक्षा
12. योग्य शिक्षकों की नियुक्ति।

समाज व राज्य के कार्य

1. बालकों की राजनीति से पृथकता

नोट

2. मनोरंजन की व्यवस्था
3. निर्धन बालकों को आर्थिक सहायता
4. चलचित्रों पर नियंत्रण
5. निर्धन परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार
6. सामूहिक संघों का निर्माण
7. गन्दी बस्तियों की समाप्ति
8. अनैतिक कार्यों पर प्रतिबन्ध।

समाज, राज्य, परिवार व विद्यालय मिलकर यदि एकजुट होकर बाल अपराध की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करें तो नि:सन्देह बाल अपराध की समस्या इतनी विकराल होने के बजाए सहज होगी क्योंकि इसे मूल रूप से मनोवैज्ञानिक व वैधानिक उपचार की आवश्यकता है।

बाल अपराध की उपचारात्मक विधियाँ

सर्वप्रथम अध्यापक को अपराधी बालक का पता लगाना चाहिए। प्रत्येक कक्षा के अपराधी बालक की पहचान करके उसके उपचार का प्रयत्न करना चाहिए।

बाल अपराध का उचार करने के लिए दो प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जा सकता है– मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक।

उपचार की छः प्रमुख विधियाँ है–1. वातावरणात्मक, 2. मनोवैज्ञानिक, 3. मनोविश्लेषणात्मक, 4. परिवीक्षा (Probation), 5. सुधार स्कूल (Reformatory schools), 6. बन्दीगृह (Jail) ।

1. वातावरणात्मक विधि– इस विधि में सर्वप्रथम बालक की आवश्यकताओं का पता लगाया जाता है। तत्पश्चात् उन आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में उसके सामाजिक वातावरण में परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया जाता है। इस प्रकार इस विधि में वातावरण में वर्तमान उन बुरे तत्त्वों को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है जो अपराधी बालक को अपराधी बनाने मे सहायक होते हैं। इसमें परिवार की स्थिति को सुधारना, माता-पिता को शिक्षित करना, विद्यालय में उचित व्यवस्था करना, पारिवारिक संबन्धों को ठीक करना आदि बातें आती हैं।

2. मनोवैज्ञानिक विधियाँ– ये विधियाँ अपराधी बालक के सुधार के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों का प्रयोग करती हैं। इनमें पाँच प्रमुख विधियाँ हैं–

(*i*) अनिर्देशात्मक विधि (Non-directive Method)

(*ii*) मन: नाटक विधि (Psycho-drama Method)

(*iii*) समाज-नाटक विधि (Socio-drama Method)

(*iv*) क्रीड़ा विधि (Play Method)

(*v*) अँगुली चित्रण विधि (Finger Painting Method)

(*i*) अनिर्देशात्मक विधि– इस विधि को कार्ल रोजर (Karl Roger) ने जन्म दिया है। इसे अनिर्देशात्मक इसलिए कहा जाता है कि इसमें अपराधी को कोई निर्देश नहीं दिया जाता। इस विधि का मूल सिद्धान्त यह है कि अपराधी में स्वयं अपनी समस्या को हल करने की शक्ति निहित होती है। मानसिक चिकित्सक अपराधी को अपने अपराध को वार्णित करने की स्वतन्त्रता देता है। चिकित्सक का कार्य केवल अपराधी के संवेगों को इस प्रकार प्रतिबिम्बत करना है कि अपराधी अपनी गलती अनुभव करने लगता है। चिकित्सक किसी भी प्रकार का निर्देश अथवा आज्ञा नहीं देता। इसके लिए प्रशिक्षित चिकित्सक की आवश्यकता होती है। अध्यापकों को इसका प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

(*ii*) मन: नाटक विधि– इसे मोरेनो (Moreno) ने जन्म दिया। इसमें चिकित्सक अपराधी बालक के अपराध को जानकर एक नाटक की रचना करते हैं। इसमें दो पात्र होते हैं–(अ) टक्जलरी अहं (Tuxiliary Ego) और

नोट

(ब) प्राथमिक अहं (Primary Ego)। अपराधी बालक के अपराध तथा संवेगों से संबन्धित घटनाओं को प्रतिबिम्बित करता है– प्राथमिक अहं। नैतिकता का चरित्र अभिनीत करता है–टक्जलरी अहं। यह नाटक अपराधी बालक के समक्ष खेला जाता है। कभी-कभी बालक से स्वयं प्राथमिक अहं के पात्र को अभिनीत करने के लिए कहा जाता है। बालक नाटक देखकर यह अनुभव करता है कि अपराध करने से उसे कितनी हानि हाती है तथा ऐसा न करने से उसका व्यक्तित्व कितना अच्छा होगा। इससे वह अपने में सुधार लाने का प्रयत्न करता है।

(iii) **समाज-नाटक विधि–** यह एक तरह से मन: नाटक विधि ही है। अन्तर केवल इतना है कि समाज नाटक विधि में मन: नाटक विधि के समान केवल एक अपराधी बालक का सुधार न करके अनेक अपराधी बालकों के सुधार का प्रयत्न किया जाता है। अत: इसमें अनेक प्राथमिक अहं होते हैं। इनकी संख्या अपराधी बालकों की संख्या के बराबर होती है। इसी प्रकार टक्जलरी अहं भी अनेक होते हैं।

(iv) **क्रीड़ा विधि–** इसमें बालक से इस प्रकार के खेल करावाये जाते हैं जिनसे उसकी रचनात्मक शक्ति का विकास होता है। इससे बालक अपनी समस्त शक्ति रचनात्मक खेल में लगा देता है, क्योंकि रचनात्मक कार्य करने से उसे मानसिक सन्तुष्टि प्राप्त होती है। उसके पश्चात् वह अपना ध्यान अपराध की ओर नहीं ले जाता।

(v) **अँगुली चित्रण विधि–** इसमें बालक अँगुली की सहायता से चित्रण करता है। विभिन्न प्रकार के रंगों से वह अपना कार्य संपन्न करता है। वह मनमाने ढंग से चित्र बनाता है। इस प्रकार चित्र बनवाकर उसे अपने संवेगात्मक तनावों को बाहर निकालने का अवसर दिया जाता है। इस प्रकार संवेगात्मक तनाव जो अपराध का कारण बनते हैं दूर हो जाते हैं और बालक स्वस्थ हो जाता है।

3. मनोविश्लेषणात्मक विधियाँ– ये विधियाँ मनोविश्लेषणवादियों; जैसे फ्रॉयड ने दी है। इसमें अचेतन मन में स्थित इच्छाओं का पता लगाने का प्रयत्न किया जाता है, क्योंकि फ्रॉयड के अनुसार व्यक्ति के व्यवहार का कारण अचेतन में दमित इच्छाएँ हैं। इसके अन्तर्गत दो मुख्य विधियाँ आती हैं–

(i) शब्द साहचर्य विधि (Word Association Method)

(ii) स्वप्न विश्लेषण विधि (Dream Analysis Method)

(i) **शब्द साहचर्य विधि–** इस विधि में अपराधी बालक के सामने कई शब्द रखे जाते हैं। इन शब्दों को सुनकर बालक के मस्तिष्क में जो बात आती है उन्हें वह बताता है। बाद में मनोविश्लेषणवादी उनका विश्लेषण करके बालक की अपराध मनोवृत्ति का कारण बताता है। उन कारणों को दूर करके बालक में सुधार किया जा सकता है। जैसे, समाज शब्द सुनकर बालक हत्या, उपेक्षा, जेल, घृणा शब्द कहता है। उस बालक के जीवन इतिहास से पता चलता है कि बालक के पिता को हत्या के लिए जेल हुई थी। समाज के नियमों से इसीलिए बालक के मन में घृणा उत्पन्न हो गयी और समाज से बदला लेने के लिए वह अपराध करने लगा। ऐसी स्थिति में बालक का उपचार उसके मन में समाज के प्रति स्नेह उत्पन्न करके किया जा सकता है।

(ii) **स्वप्न विश्लेषण विधि–**इसमें अपराधी बालक से उसके स्वप्नों के विषय में पूछा जाता है। उनका विश्लेषण करके अपराध का कारण पता लगाया जाता है। तत्पश्चात् बालक को सुधारने का प्रयत्न किया जाता है। स्वप्नों का विश्लेषण एक प्रशिक्षित व्यक्ति ही कर सकता है।

4. परिवक्षण विधि–यह विधि अमेरिका से प्रारम्भ हुई। इसमें अपराधी बालक को एक परिवीक्षा अधिकारी (Probation Officer) के अधीन रख दिया जाता है। परिवीक्षा को पहली बार अपराध करने वालों के प्रति उदारता दिखाने वाली विधि माना जाता है। वास्तव में इसमें चेतावनी देकर या दण्ड का भय दिखाकर परिवीक्षा अधिकारी बालक के सुधार का प्रयत्न करता है। वह उसकी सभी सामाजिक व मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्न करता है। एक परिवीक्षा अधिकारी के कर्त्तव्य इस प्रकार हैं–

(i) अपराधी बालक के प्रति मित्रता का हाथ बढ़ाना।

(ii) उसके घर की परिस्थितियों का अध्ययन करना।

नोट

(*iii*) उसके घर जाना और उसे अपने घर आमन्त्रित करना।

(*iv*) यह ध्यान रखना कि अपराधी बालक अदालत में दाखिल किए बौंड (Bond) की शर्तों के अनुसार चल रहा है अथवा नहीं।

(*v*) अदालत को अपराधी बालक के संबन्ध में सूचना देते रहना।

(*vi*) बालक को व्यवसाय दिलाना।

(*vii*) उसकी उचित शिक्षा का प्रबन्ध करना।

(*viii*) यह देखना कि शैक्षिक व्यावसायिक रूप से समंजित है अथवा नहीं। परिवीक्षा विधि काफी हद तक सफल सिद्ध हुई है। अमेरिका में **जॉन ऑगस्टस** ने 352 बालकों का सुधार इसी विधि द्वारा किया। भारत में 1938 में प्रथम अपराधी परिवीक्षा अधिनियम (First Offeneder Probation Act) पास हुआ। इसके अनुसार बड़े शहरों में परिवीक्षा अधिकारी नियुक्त किए गये चूँकि वह विधि अपराधी को सुधरने के लिए अवसर प्रदान करती है, अत: अच्छी है।

5. सुधार स्कूल–सुधार स्कूलों में अपराधी बालकों को रखा जाता है। सुधार स्कूल काय उद्देश्य टप्पन (Tappan) के अनुसार इस प्रकार है– "इस व्यवस्था का लक्ष्य चरित्र और नैतिक, मानसिक, शारीरिक तथा व्यवसाय संबन्धी क्षमताओं का विशेष रूप से उत्तरदायित्व तथा आत्म-विश्लेषण के विकास पर जोर देते हुए प्रगति के साथ बढ़ते हुए विश्वास के द्वारा सर्वांगीण विकास करना है।"

भारत में 1897 में सुधार स्कूल अधिनियम (Reformatory School Act) पास किया गया। इस समय कुछ प्रमुख सुधार स्कूल इस प्रकार हैं–

(अ) लखनऊ सुधार स्कूल, (आ) हिसार सुधार स्कूल,

(इ) हजारीबाग सुधार स्कूल, (ई) जबलपुर सुधार स्कूल।

6. बन्दीगृह– बाल-अपराधियों को प्रौढ़ व्यक्तियों के साथ बन्दीगृह में रखना मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दोनों दृष्टि से अनुचित है। अत: अपराधी बालकों के सुधार के लिए बाल-बन्दीगृह की व्यवस्था की जाती है। बन्दीगृह में बालक को तभी भेजना चाहिए जबकि वह बार-बार भयंकर अपराध करने का आदी हो जाता है क्योंकि बन्दीगृह में जाकर बालक में हीन भावना आ सकती है। अत: सर्वप्रथम बालक का सुधार वातावरणात्मक और मनोवैज्ञानिक अथवा मनोविश्लेषणवादी विधियों द्वारा करना चाहिए यदि वह नहीं सुधरता तो उसे परिवीक्षा में रखना चाहिए। तब भी यदि सुधार नहीं आता है तब सुधार स्कूल में भेजना चाहिए। अन्त में बन्दीगृह की शरण लेनी चाहिए। भारत में बाल-बन्दीगृह उत्तर प्रदेश में बरेली, उड़ीसा में अंगुल, बिहार में पटना में हैं।

इनके अतिरिक्त कुछ अन्य उपचार विधियाँ भी हैं जो इस प्रकार हैं–

1. कारावास (Confinement)– बाल अपराध का परम्परागत उपचार है– कारावास। इसमें केवल एक ही लाभ होता है वह यह कि जैसे-जैसे बन्दी की आयु में वृद्धि होती जाती है वैसे-वैसे कारावास में रहे बालक के व्यवहार में परिवर्तन होता जाता है। परिणामत: कारावास से मुक्त होने के पश्चात् उनकी अपराधी प्रवृत्ति निर्बल हो जाती है। (Glueck and Glueck) ने अपने अध्ययनों से सिद्ध किया है कि, "अनेक बाल-अपराधी 40 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अपराधी नहीं रह जाते हैं।" (Medinnus and Johnson) ने लिखा है– "अपराध का संबन्ध युवक से है। अत: अधिकांश किशोर-अपराधी, अपराधी वयस्क नहीं बनते हैं।"

2. किशोर न्यायालय (Juvenile Courts)– जब कोई बालक या किशोर अपराध करता है तब उसे साधारण न्यायालय में न ले जाए जाकर, किशोर न्यायालय में ले जाए जाता है। न्यायालय का वातावरण सहानुभूतिपूर्ण होता है। न्यायाधीश इस बात पर विचार करता है कि बालक का सुधार किस प्रकार किया जा सकता है। वह दो प्रकार की अज्ञाएँ देता है। उनके अनुसार अपराधी को या तो 'परिवीक्षा-अधिकारी' (Probation officer) के पास या सुधार-गृह में भेज दिया जाता है। इस समय भारत में अनेक राज्यों में किशोर न्यायालय हैं, जैसे– दिल्ली, बंगाल, मुंबई, चेन्नई आदि।

3. किशोर बन्दीगृह (Juvenile jails) – ये बन्दीगृह वास्तव में सुधार संस्थाएँ हैं। इनके बन्दियों को अपने परिवार के सदस्यों से मिलने की स्वतन्त्रता होती है। ये बन्दीगृह में सामान्य और औद्योगिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। उसको समाप्त करने के बाद नगर के किसी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा सकते हैं। इस समय हमारे देश में उत्तर प्रदेश में बरेली, उड़ीसा में अंगुल और बिहार में पटना मे किशोर बन्दीगृह है।

4. बोर्स्टल विद्यालय (Borstal Institute)– सर्वप्रथम 1902 में सर रगेल्स ब्राइस (Sir Ruggles Brice) ने इंग्लैण्ड के बोर्स्टल नामक स्थान पर एक गैर सरकारी जेलखाना खोला जिसका उद्देश्य किशोर अपराधियों को सुधारना था। आधुनिक समय में लगभग समस्त सभ्य देशों में बोर्स्टल विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। इनमें 16 से 21 वर्ष तक के अपराधी रखे जाते हैं। इन विद्यालयों का मुख्य सिद्धान्त अपराधी बालक के व्यक्तित्व को इस तरह बनाना है कि जिसमें वह स्वयं अपराधी प्रवृत्ति को त्याग दे। बोर्स्टल विद्यालय भी सुधार गृह के समान मान्यता प्राप्त विद्यालय होते हैं। परन्तु ये एक प्रकार से बन्दीगृह भी होते हैं। यदि इन विद्यालयों में कोई अपराधी नहीं सुधारता है तो उसे बन्दीगृह भेज दिया जाता है। इस समय चेन्नई, मुंबई, मैसूर एवं मध्य प्रदेश, में एक-एक बोर्स्टल विद्यालय स्थापित है जो किशोर अपराधियों को सुधारने में बहुत सफल सिद्ध हुए हैं।

केन्द्रीय सरकार के 'केयर प्रोग्राम' (Care Programme) के अन्तर्गत प्रान्तीय सरकारों ने बाल अपराध की रोकथाम के लिए जो विभिन्न प्रकार की सुधार संस्थाएँ खोली हैं, उनको तालिका द्वारा इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है।

क्रम	राज्य	बाल क्लब	रिमाण्ड होम	बोर्स्टल स्कूल	प्रोबेशन हॉस्टल	सर्टीफाइड स्कूल	किशारे निर्देशन
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	1	1	1	1	1
2.	बिहार	–	2	1	2	–	–
3.	गुजरात	–	1	–	–	1	–
4.	केरल	5	9	1	–	–	–
5.	मध्य प्रदेश	–	2	–	2	2	–
6.	चेन्नई	5	1	–	–	1	–
7.	महाराष्ट्र	–	4	–	–	4	–
8.	मैसूर	–	1	–	1	–	7
9.	राजस्थान	4	1	–	–	1	–
10.	दिल्ली	–	1	–	1	1	1
11.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–	1	–
12.	त्रिपुरा	–	–	–	–	1	–

इन विधियों द्वारा अपराधी बालक का सुधार करके उसे शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देश देना चाहिए।

बाल अपराध के सुधार से संबन्धित महत्वपूर्ण सुझाव

1. अपराध मनोवृत्ति के सुधार में विलम्ब नहीं करना चाहिए। यदि आरम्भ में ही सुधारात्मक प्रयास किए जाएँ तो वह अपराध गम्भीर रूप धारण न कर सकेगा।
2. अपराधी को सुधारने में माता-पिता, अभिभावक, शिक्षक, मनोवैज्ञानिक प्रोबेशन अधिकारी, न्यायाधीश आदि सभी को परस्पर सहयोगपूर्वक कार्य करना चाहिए।
3. अपराध का नहीं अपितु अपराध के मूल कारणों **(Root-Avoid clash Causes)** के निराकरण का प्रयत्न करना चाहिए।
4. प्रत्येक बाल अपराधी का 'व्यक्तिगत रूप' से अध्ययन करना चाहिए।
5. अपराधी बालक के संबन्ध में समस्त प्रकार की सूचनाएँ एकत्रित करनी चाहिए। इसकी शारीरिक, मानसिक,

नोट

संवेगात्मक, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक आदि सभी प्रकार के प्ररिस्थितियों के अध्ययन से अपराध के मूल कारणों का पता चलता है।

6. अपराधी बालकों के सुधार एवं शिक्षा के लिए 'विशेष आवासीय विद्यालयों' (Speicial Residential Schools) की स्थापना की जानी चाहिए जहाँ पर मनोवैज्ञानिक आधार पर उनके सुधार के लिए प्रयास किए जा सकें।

अपराधी प्रवत्ति को रोकने के उपाय

1. विद्यालय में एक सन्तोषजनक वातावरण स्थापित करना चाहिए।
2. पारिवारिक वातावरण में सुधार के लिए माता-पिता/अभिभावकों को सुझाव देने चाहिए।
3. अभिभावक संमेलनों का आयोजन करना चाहिए।
4. अच्छा साहित्य विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना चाहिए।
5. नैतिक शिक्षा देनी चाहिए।
6. धार्मिक उपदेशों से परिचित कराना।
7. बड़े व्यक्तियों को व्याख्यान देने के लिए विद्यालय में आमन्त्रित करना चाहिए।
8. रचनात्मक कार्य करने के अवसर प्रदान करने चाहिए।
9. शैक्षिक टूर पर बालकों को ले जाना चाहिए।
10. अध्यापक को बालकों पर, उनके क्रियाकलापों पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए।
11. शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन व परामर्श प्रत्येक बालक को प्राप्त होना चाहिए।
12. यौन शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए।
13. स्वस्थ मनोरंजन के साधन जुटाने चाहिए।
14. शिक्षण विधि में सुधार लाना चाहिए।
15. शारीरिक अथवा मानसिक दण्ड बिल्कुल नहीं देने चाहिए।
16. ऋणात्मक संवेगों के शोधन (Sublimation) के अवसर प्रदान करने चाहिए।
17. बालकों का अनुशीलन अध्ययन (Follow-up Study) करना चाहिए।
18. अध्यापक, प्रधानाचार्य, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक को आपस में सहयोग से कार्य करना चाहिए और एक-दूसरे को बालक के संबन्ध मे समयानुकूल यथोचित सलाह देनी चाहिए।

यदि इन उपायों का प्रयोग विद्यालय द्वारा किया जाता है तो बालकों को अपराधी बनने से रोकने में अध्यापकों का योगदान सराहनीय होगा।

अपराधी बालकों की शिक्षा

जो बच्चे अपराधी रह चुके हों, उनमें सुधार लाने के लिए किशोर न्यायालय, प्रोबोशन, सुधारगृह व बोर्स्टल स्कूल में लाने के बाद निम्न बातों पर विशेष ध्यान देना होगा ताकि वे बाल अपराधियों को सुधार सकें व उनको सही मायने में शिक्षित करें ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो–

1. बालकों की बुरी आदत के प्रति उचित दृष्टिकोण अपनाना।
2. घर व परिवार के साथ उचित समायोजन होना।
3. बालकों को किसी हस्तशिल्प या कला कौशल में प्रवीणता देना।
4. बालकों को शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन देना।
5. बालकों में पाठशाला व शिक्षा के प्रति निर्देशन का प्रदर्शन।
6. ऐसे बच्चों को कक्षा में शिक्षण के लिए अध्यापकों को अच्छी पद्धति अपनानी चाहिए।
7. पाठशाला में बालकों के स्वस्थ मनोरंजन के साधन भी होने चाहिए।

8. ऐसे बच्चों को उनकी रुचि व योग्यतानुसार शिक्षा दी जाए।
9. बाल अपराधी माने गये बच्चे चाहे सुधारगृह में रहें या बोर्स्टल स्कूल में उनकी शिक्षा की व्यवस्था अवश्य की जाए ताकि वे भविष्य में अच्छी शिक्षा लेकर सफल व्यक्ति बनें।
10. कार्यानुभव के प्रशिक्षण के बाद उनको अनुवर्ती सेवाओं (follow up service) के माध्यम से किसी रोजगार में लगाया जाए, ताकि उनका भूत इसमें बाधा न बने।

अन्त में, बाल अपराध की समस्या का वास्तविक समाधान करने के लिए उपचार की अपेक्षा रोकथाम पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है ताकि बालकों में अपराध प्रवृत्ति का जन्म ही न हो सके। कर्नल थामस के शब्दों में इतना कहना पर्याप्त होगा कि, "बालकों के लिए सुव्यवस्थित चरित्र प्रशिक्षण की आवश्यकता है। प्रत्येक बालक अच्छा बनना चाहता है परन्तु यह तभी संभव है जब उसे एक अच्छा मार्ग-प्रदर्शक प्राप्त हो जाए।"

स्व-मूल्यांकन (Self-Assessment)

रिक्त स्थानों की पूर्ति करें (Fill in the blanks)—

1. पिछड़े बालक प्राय: अधिक समय तक ध्यान नही लगा पाते अत: समय-सारणी लचीली एवं .... छोटे होने चाहिए।
2. .... पिछड़े बालकों की शिक्षा का महत्त्वपूर्ण चरण है।
3. पिछड़े एवं अपराधी बालकों में सुधार के दृष्टिकोण से .... की सेवाएँ लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं।
4. पिछड़े एवं अपराधी बालकों के लिए पढ़े गए अभ्यास की .... बहुत ज़रूरी है।

24.3 सारांश (Summary)

- पिछड़ापन चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चय रूप से, बालक के व्यक्तित्व की एक मनोवैज्ञानिक विशिष्टता है जो उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, यह बालक की बौद्धिक योग्यताओं, सांवेगिक गुणों, क्रियात्मक क्षमताओं, संवेदनाओं, ग्रन्थियों, आदतों व शारीरिक विशेषताओं (जो अनेक अनुभवों से प्रभावित रहती हैं) के विकास के क्रम में जन्मदाता लक्षणों तथा वातावरणीय प्रभावों का एक जटिल समन्वित प्रतिफल मात्र है। शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण भी मूल रूप से मनोवैज्ञानिक होता है। ऐसा बालक प्राय: निराशावादिता और सांवेगिक असन्तुलन के कारण कभी समस्यात्मक बालक बन जाता है तथा कभी उचित शिक्षण एवं निर्देशन के अभाव में संलग्न हो जाता है।
- **पिछड़ेपन का निदान एवं पिछड़े बालकों की शिक्षा–** पिछड़ेपन की पहचान एवं निदान हो जाने पर उसको दूर करने या उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं।
- **1. नियमित स्वास्थ्य एवं आवश्यक उपचार–** जिन बालकों के शैक्षणिक पिछड़ेपन का कारण शारीरिक न्यूनता, अक्षमता, बीमारी अथवा कमजोरी होती है, उनको नियमित डॉक्टरी जाँच व आवश्यक उपचार प्रदान करके उनको स्वाभाविक उपलब्धि स्तर तक लाया जा सकता है।
- **2. बालक को समायोजित करने में सहायता करना–** पिछड़े बालक क्योंकि सामान्य बालकों से शैक्षिक रूप से पिछड़े होने के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में भी किसी न किसी रूप से न्यून होते हैं; अत: सामान्य बालकों के साथ उनकी शिक्षा व्यवस्था करना अनेक दृष्टिकोणों से उचित नहीं है।
- अत: इन विशिष्ट बालकों के लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था करना नितान्त आवश्यक हो जाता है। शिक्षा की व्यवस्था निम्न रूपों में संभव है– *(i)* विशेष कक्षाएँ; *(ii)* विशेष विद्यालय; *(iii)* विशिष्ट पाठ्यक्रम; *(iv)* शिक्षण विधियाँ; *(v)* विशेष अध्यापक; *(vi)* पाठ्यान्तर क्रियाएँ, विविध अनुभव तथा वर्गीकृत पाठ्यक्रम; *(vii)* समय-सारणी; *(viii)* परीक्षा प्रणाली।
- अनुवर्तन व प्रगति का लेखा-जोखा रखना।

नोट

- अनुपस्थिति व भगोड़ेपन की प्रवृत्ति की रोकथाम।
- निर्देशन सेवाओं की व्यवस्था।
- वातावरण के नकारात्मक कारकों को नियन्त्रित करना।
- अनुभवी शिक्षा मनोवैज्ञानिक की सहायता लेना।
- **बाल अपराध का निदान एवं अपराधी बालकों की शिक्षा–** बाल अपराध कें निवारण, निरोध या रोकने के लिए परिवार, विद्यालय, समाज और राज्य अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं।
- बाल अपराध का उचार करने के लिए दो प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जा सकता है– मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक।
- उपचार की छः प्रमुख विधियाँ है–1. वातावरणात्मक, 2. मनोवैज्ञानिक, 3. मनोविश्लेषणात्मक, 4. परिवीक्षा (Probation), 5. सुधार स्कूल (Reformatory schools), 6. बन्दीगृह (Jail)।
- **अपराधी बालकों की शिक्षा–** जो बच्चे अपराधी रह चुके हों, उनमें सुधार लाने के लिए किशोर न्यायालय, प्रोबोशन, सुधारगृह व बोर्स्टल स्कूल में लाने के बाद निम्न बातों पर विशेष ध्यान देना होगा ताकि वे बाल अपराधियों को सुधार सकें व उनको सही मायने में शिक्षित करें ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो–
    1. बालकों की बुरी आदत के प्रति उचित दृष्टिकोण अपनाना।
    2. घर व परिवार के साथ उचित समायोजन होना।
    3. बालकों को किसी हस्तशिल्प या कला कौशल में प्रवीणता देना।
    4. बालकों को शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन देना।
    5. ऐसे बच्चों को उनकी रुचि व योग्यतानुसार शिक्षा दी जाए।
    6. बाल अपराधी माने गये बच्चे चाहे सुधारगृह में रहें या बोर्स्टल स्कूल में उनकी शिक्षा की व्यवस्था अवश्य की जाए ताकि वे भविष्य में अच्छी शिक्षा लेकर सफल व्यक्ति बनें।

24.4 शब्दकोश (Keywords)

- **पुनरावर्तन** – फिर से लौटकर आना।
- **अनेकडॉटल** – जीवन की झाँकियों वाली, चुटकुले वाली।
- **पुनरावृत्ति** – दोहराव, दोहराना।
- **निराकरण** – दूर करना, निरस्त करना।

24.5 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

1. पिछड़े एवं अपराधी बालकों की प्रवृत्ति के निदान एवं शिक्षण आव्यूह पर प्रकाश डालिए।

उत्तर : स्व-मूल्यांकन (Answer: Self Assessment)

1. पीरियड्स 2. अनुवर्तन 3. मनोवैज्ञानिक 4. पुनरावृत्ति।

24.6 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

पुस्तकें

1. *शारीरिक रूप से विकलांग बालक*– योगेन्द्र कुमार शर्मा, कनिष्क पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
2. *विशिष्ट शिक्षा*– कुमार संजीव, जानकी प्रकाशन, पटना।
3. *विशिष्ट बालक*– अवधारणा, विकास एवं शिक्षा, के. के. पब्लिकेशंस, नई दिल्ली।
4. *विशिष्ट बालक*– एल. बी. बाजपेयी, अमिता बाजपेयी, भारत बुक सेंटर, नई दिल्ली।

नोट

इकाई–25: अशक्तता अधिनियम– 1995 (Disability Act— 1995)

अनुक्रमणिका (Contents)

उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तावना (Introduction)

25.1 अशक्तता अधिनियम–1995 (Disability Act— 1995)

25.2 सारांश (Summary)

25.3 शब्दकोश (Keywords)

25.4 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

25.5 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

उद्देश्य (Objectives)

विद्यार्थी इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् सक्षम होंगे–

- सरकार द्वारा विकलांगों हेतु पारित अधिनियम 1995 से परिचित होंगे।

प्रस्तावना (Introduction)

विकलांग व्यक्ति भी समाज का एक अंग है। जिन्हें सहानुभूति नहीं, समान अनुभूति की आवश्यकता होती है। विकलांग व्यक्ति के लिए समग्र कल्याण एवं पुनर्वास सुनिश्चित करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अगस्त, 1995 में विकलांग कल्याण विभाग की स्वतन्त्र रूप से स्थापना की गई है। विभाग द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएँ चलायी जा रही हैं। जिनमें निराश्रित विकलांग भरण-पोषण अनुदान छात्रवृत्ति, कृत्रिम अंग एवं सहायता उपकरण हेतु अनुदान, दुकान निर्माण हेतु आर्थिक सहायता विकलांग व्यक्ति से विवाह करने पर प्रोत्साहन, राज्य स्तरीय पुरस्कार आदि प्रमुख हैं। विभाग द्वारा विकलांग जन समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम-1995 के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया जा रहा है। इस प्रकार के अधिनियम अमेरिका, ब्रिटेन, जैसे देशों में ही लागू हैं। उपरोक्त अधिनियम विकलांग जन समग्र कल्याण हेतु एक राष्ट्रीय संकल्प की भाँति हैं।

25.1 अशक्तता अधिनियम–1995 (Disability Act— 1995)

अशक्तता अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों का सारांश निम्नलिखित है–

अध्याय 1. प्रारंभिक– इस अध्याय में अधिनियम के अन्तर्गत प्रयुक्त शब्दावली की परिभाषाएँ दी गई हैं। इसके अनुसार निम्न 7 प्रकार की विकलांगताओं को चिह्नित किया गया है–

(1) दृष्टि बाधित (2) अल्प दृष्टि (3) कुष्ट रोग से उपचारित (4) श्रवण दोष (5) चलन विकलांगता (6) मानसिक रुग्णता एवं (7) मानसिक मंदिता।

अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों को विकलांग परिभाषित किया गया है जिनकी विकलांगता 40% से कम न हो।

नोट

अध्याय 2. केन्द्रीय समन्वय समिति– अधिनियम के प्रावधानानुसार केन्द्र सरकार के समाज कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय समन्वय समिति गठित किए जाने की व्यवस्था है। केन्द्रीय समन्वय समिति के द्वारा लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु एक केन्द्रीय कार्यकारी समिति के गठित किए जाने की भी व्यवस्था है।

अध्याय 3. राज्य समन्वय समिति– केन्द्रीय समन्वय समिति के अनुरूप प्रत्एक राज्य में एक राज्य समन्वय समिति गठित किए जाने का प्रावधान है। राज्य समन्वय समिति द्वारा लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु एक कार्यकारी समिति गठित किए जाने की व्यवस्था है। उपर्युक्त के परिपालन में प्रदेश सरकार द्वारा राज्य समन्वय समिति एवं राज्य कार्यकारी समिति का गठन करके इसकी नियमित बैठकें कराई जा रही हैं।

क्या आप जानते हैं अशक्तता अधिनियम 1995 विकलांग जन समग्र कल्याण हेतु एक राष्ट्रीय संकल्प की भाँति है।,

अध्याय 4. विकलांगता की रोकथाम तथा समय से पहचान– इस अध्याय के अन्तर्गत सरकारी और स्थानीय प्राधिकरणों को अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं में विकलांगता की रोकथाम एवं समय से पहचान कर निराकरण से संबन्धित प्रचार-प्रसार एवं शिक्षण-प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था की गई है।

अध्याय 5. शिक्षा– अधिनियम की धारा 26 से 31 तक दिए गए प्रावधानों के अनुसार अब तक सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि प्रत्एक विकलांग बच्चे को 18 वर्ष की उम्र तक नि:शुल्क और समुचित शिक्षा मिले। स्थानीय प्राधिकरण भी विकलांग बच्चों के लिए जिन्होंने पाँचवीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी है, अनौपचारिक शिक्षा की सुविधा प्रदान करें। इसी प्रकार 16 वर्ष और उससे ऊपर आयु के विकलांग बच्चों के लिए कार्यात्मक साक्षरण हेतु विशेष अंशकालिक कक्षाओं की भी व्यवस्था अधिनियम में दी गई है। विकलांग बच्चों को अवरोध रहित समुचित शिक्षा प्रदान करने की दृष्टि से उन्हें विशेष पुस्तकों एवं उपकरण आदि नि:शुल्क दिए जाने की भी व्यवस्था है। संबन्धित सरकारों को यह स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि वे विकलांग बच्चों को अवरोध रहित एवं नि:शुल्क तथा आवश्यक शिक्षा प्रदान करने के संबन्ध में एक व्यापक शैक्षिक कार्यक्रम बनाएंगी।

अध्याय 6. रोजगार– इस अध्याय के अन्तर्गत उपर्युक्त प्रकार के पदों का चिह्नीकरण, पदों का आरक्षण, विकलांगों के लिए विशेष सेवायोजना केन्द्र विकलांग व्यक्तियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए योजनाएँ, शिक्षण संस्थाओं में विकलांग व्यक्तियों के लिए सीटों का आरक्षण तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में कम से कम 3 प्रतिशत विकलांगों के आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ यह भी व्यवस्था दी गई है कि विभिन्न सरकारें अपनी आर्थिक क्षमता के अनुरूप सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के ऐसे नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देगी, जिनकी कुल कार्य शक्ति में से 5% अथवा अधिक विकलांग व्यक्ति हों।

उपर्युक्त परिकलन में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मदों का चिह्नीकरण किया जा चुका है एवं दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित तथा चलन में अक्षम व्यक्तियों के लिए आरक्षण विषयक शासनादेश निर्गत किया जा चुका है। साथ ही गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में 3 प्रतिशत का बजट आरक्षित करने विषयक शासनादेश भी ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी किया जा चुका है।

टास्क शारीरिक विकलांगता के अंतर्गत कुल कितने प्रकार की अशक्तता को चिह्नित किया गया है, उनका विवरण दीजिए।

नोट

अध्याय 7. सकारात्मक कार्यवाही– इसके अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है कि सरकार विकलांग व्यक्तियों को सहायता उपकरण उपलब्ध कराएगी। साथ ही विकलांगों को भवन-निर्माण, व्यवसाय एवं विशेष विद्यालयों आदि के लिए रियायती दरों पर प्राथमिकता के आधार पर भूमि का आबंटन किया जाएगा।

अध्याय 8. समभाव– विकलांग व्यक्तियों को अवरोध रहित वातावरण प्रदान करने के दृष्टिकोण से अधिनियम के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों के लिए यातायात के साधनों, सड़कों, भवन एवं राजकीय रोजगार सहित सकारात्मक वातावरण प्रदान किए जाने का प्रावधान है।

अध्याय 9. शोध एवं मानव शक्ति विकास– विकलांगता की रोकथाम के लिए विकलांगों के पुनर्वास के लिए विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक उपकरण के संबन्ध में अनुकूल संरचनात्मक विशेषताओं के विकास के लिए अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहित एवं प्रायोजित करने के संबन्ध में इस अध्याय के अन्तर्गत प्रावधान किया गया है।

अध्याय 10. विकलांग व्यक्तियों के लिए संस्थाओं की मान्यता– इस अध्याय के अन्तर्गत अधिनियम में यह व्यवस्था है कि विकलांगों के लिए प्रतिष्ठान एवं संस्था चलाने वाले व्यक्तियों को संस्था के पंजीकरण की कार्यवाही करनी होगी। राज्य सरकार को निर्देश है कि वे इस हेतु एक सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करें।

उपर्युक्त के परिपालन में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्देशक विकलांग कल्याण को सक्षम प्राधिकारी घोषित किया जा चुका है।

टास्क अशक्तता अधिनियम 1995 द्वारा व्यवस्था दी गई कि विभिन्न राज्यों की सरकारें अपनी आर्थिक क्षमता के अनुरूप सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के ऐसे नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देंगी, जिनकी कुल कार्य शक्ति से 4% अथवा अधिक विकलांग होंगे।

अध्याय 11. गम्भीर रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए संस्थान– अधिनियम में दी गई परिभाषा के अनुसार ऐसे लोग गम्भीर रूप से विकलांग माने जाते, जिनमें 80 प्रतिशत यो उससे अधिक विकलांगता हो। अधिनियम में यह व्यवस्था दी गई है कि विभिन्न सरकारें ऐसे विकलांगों के लिए संस्थानों को स्थापित और संपोषित करेंगी।

अध्याय 12. विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त और आयुक्त– केन्द्र सरकार द्वारा इस अध्याय को लागू करने के लिए एक मुख्य आयुक्त की नियुक्ति करनी होगी। इसी प्रकार राज्य स्तर पर भी एक विकलांग जन आयुक्त की नियुक्ति की भी व्यवस्था इस अध्याय के अन्तर्गत दी गई है। आयुक्त विकलांग जन मुख्य रूप से विकलांगों के अधिकारों के हनन से संबन्धित तथा विकलांगों के अधिकारों के हनन से संबन्धित तथा विकलांगों के कल्याण और अधिकारों की रक्षा के संबन्ध में शिकायत सुनेंगे और राज्य सरकार के कार्य की समीक्षा करके यह सुनिश्चित करेंगे कि विकलांगों को उपलब्ध कराए जाने वाले अधिकार और सुविधाएँ संरक्षित हों।

उक्त के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा आयुक्त विकलांग जन की नियुक्ति की जा चुकी है तथा आयुक्त विकलांग जन का कार्यालय इन्दिरा भवन के दशम तल पर स्थापित है, जहाँ पर उपर्युक्त के अतिरिक्त उनके सहयोगी स्टाफ भी कार्यरत हैं।

अध्याय 13. सामाजिक सुरक्षा– इस अधिनियम में व्यवस्था है कि सरकार अपनी आर्थिक सीमाओं के आधार पर सभी विकलांगों के पुनर्वास का भार उठाएगी और जहाँ तक संभव हो, वहाँ सरकार ऐसे विकलांग बेरोजगारों को विशेष रोजगार भत्ता देगी जो विशेष रोजगार कार्यालय में दो साल से अधिक समय से पंजीकृत हैं और जिन्हें कोई लाभकारी रोजगार प्राप्त नहीं हो सका है। इसी अध्याय में यह भी व्यवस्था है कि सरकार रोजगारशुदा विकलांग व्यक्तियों को और जरूरत पड़ने पर बेरोजगारों के लिए भी बीमा योजनाएँ बनाएँगी।

नोट

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

रिक्त स्थान की पूर्ति करें (Fill in the blanks)

1. अधिनियम 1995 के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों को विकलांग परिभाषित किया गया है, जिनकी विकलांगता .... से कम न हो।
2. विकलांगता अधिनियम 1995 के तहत गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में कम-से-कम .... विकलांगों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
3. आयुक्त विकलांग जन का कार्यालय .... के दशम तल पर स्थित है।
4. अधिनियम 1995 में प्रावधानिक व्यवस्था का दुरुपयोग करने पर दो वर्ष की सजा और .... जुर्माना अथवा दोनों दण्ड दिए जा सकते हैं।
5. विकलांगता अधिनियम 1995 पूरे देश में .... से प्रभावी हो चुका है।

अध्याय 14. विविध– अधिनियम का यह अन्तिम अध्याय है जिसके अन्तर्गत इस अध्याय में प्रावधानिक व्यवस्था के दुरुपयोग करने पर दो वर्ष की सजा और रु. 20,000/- तक का जुर्माना अथवा दोनों दण्ड दिए जाने का प्रावधान है। इसी प्रकार संबन्धित सरकारों को अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए आवश्यक नियम बनाने का अधिकार दिया गया है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि विकलांग जन (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 जो पूरे देश में दिनांक 7.2.96 से प्रभावी हो चुका है, के अन्तर्गत जो व्यवस्थाएँ प्राविधानिक है, यह निश्चय ही समस्त विकलांग बन्धुओं को समुचित अवसर प्रदान कर पूरी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वरदान स्वरूप हैं।

यह बड़े हर्ष का विषय है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधानों को तत्परता से लागू करने के संबन्ध में सार्थक प्रयास किए हैं। तथापि यह हम सबका पुनीत कर्तव्य है कि प्रत्एक विकलांग के प्रति दया की भावना के स्थान पर सहयोग की भावना का विकास करें और प्रत्एक स्तर पर विकलांग बन्धुओं को यथा-वांछित सहयोग प्रदान करें कि वे समाज एवं राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ सकें।

25.2 सारांश (Summary)

- विकलांग व्यक्ति भी समाज का एक अंग है। जिन्हें सहानुभूति नहीं, समान अनुभूति की आवश्यकता होती है। विकलांग व्यक्ति के लिए समग्र कल्याण एवं पुनर्वास सुनिश्चित करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अगस्त, 1995 में विकलांग कल्याण विभाग की स्वतन्त्र रूप से स्थापना की गई है। विभाग द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएँ चलायी जा रही हैं। जिनमें निराश्रित विकलांग भरण-पोषण अनुदान छात्रवृत्ति, कृत्रिम अंग एवं सहायता उपकरण हेतु अनुदान, दुकान निर्माण हेतु आर्थिक सहायता विकलांग व्यक्ति से विवाह करने पर प्रोत्साहन, राज्य स्तरीय पुरस्कार आदि प्रमुख हैं। विभाग द्वारा विकलांग जन समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम-1995 के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया जा रहा है।
- इस अध्याय के अन्तर्गत सरकारी और स्थानीय प्राधिकरणों को अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं में विकलांगता की रोकथाम एवं समय से पहचान कर निराकरण से संबन्धित प्रचार-प्रसार एवं शिक्षण-प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था की गई है।
- अधिनियम की धारा 26 से 31 तक दिए गए प्रावधानों के अनुसार अब तक सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि प्रत्एक विकलांग बच्चे को 18 वर्ष की उम्र तक नि:शुल्क और समुचित शिक्षा मिले। स्थानीय प्राधिकरण भी विकलांग बच्चों के लिए जिन्होंने पाँचवीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी है, अनौपचारिक शिक्षा की सुविधा प्रदान करें। इसी प्रकार 16 वर्ष और उससे ऊपर आयु के विकलांग बच्चों के लिए कार्यात्मक साक्षरण हेतु विशेष अंशकालिक कक्षाओं की भी व्यवस्था अधिनियम में दी गई है।

नोट

- संबन्धित सरकारों को यह स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि वे विकलांग बच्चों को अवरोध रहित एवं निःशुल्क तथा आवश्यक शिक्षा प्रदान करने के संबन्ध में एक व्यापक शैक्षिक कार्यक्रम बनाएंगी।
- विभिन्न सरकारें अपनी आर्थिक क्षमता के अनुरूप सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के ऐसे नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देगी, जिनकी कुल कार्य शक्ति में से 5% अथवा अधिक विकलांग व्यक्ति हों।
- अधिनियम में यह व्यवस्था दी गई है कि विभिन्न सरकारें ऐसे विकलांगों के लिए संस्थानों को स्थापित और संपोषित करेंगी।

25.3 शब्दकोश (Keywords)

- **अंशकालिक कक्षाएँ–** कुछ समय के लिए लगने वाली कक्षाएँ।
- **परिपालन–** पालन-पोषण, लालन-पालन।
- **पुनीत–** उत्तम, पवित्र।
- **निर्गत–** बाहर आया हुआ, निःसृत।

25.4 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

1. विकलांगता अधिनियम 1995 में विकलांगों हेतु पारित प्रावधानों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए।
2. सरकार द्वारा विशिष्ट बालकों के पुनर्वास हेतु किए गए उपायों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर : स्व-मूल्यांकन (Answer: Self Assessment)

1. 40 प्रतिशत
2. 3 प्रतिशत
3. इंदिरा भवन
4. 20,000 रु.
5. 7.2.1996 से।

25.5 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

पुस्तकें

1. *विशिष्ट बालक: शिक्षा एवं पुनर्वास–* महेश भार्गव, एच. पी. भार्गव बुक हाउस, आगरा।
2. *विशिष्ट शिक्षा का प्रारूप–* डॉ. आर. लाल. शर्मा, आर. लाल. बुक डिपो, आगरा।

नोट

इकाई–26: विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा (Integrated Education for Disabled Children (IEDC)

अनुक्रमणिका (Contents)

उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तावना (Introduction)

26.1 विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा (Integrated Education for Disabled Children)

26.2 सारांश (Summary)

26.3 शब्दकोश (Keywords)

26.4 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

26.5 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

उद्देश्य (Objectives)

विद्यार्थी इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् सक्षम होंगे–

- सामान्य बच्चों के साथ किसी भी रूप में अशक्त बच्चों को शिक्षा देने संबंधी सरकार की योजना से परिचित होंगे।

प्रस्तावना (Introduction)

शिक्षा के सार्वजनीकरण का अर्थ (Meaning of Universalization of Education)– शिक्षा मानव मुक्ति का साधन है। कुछ विद्वान इसे विवेक की तीसरी आँख भी कहते हैं। लेकिन आजादी के दशकों बाद भी शिक्षा आमलोगों की पहुँच से बाहर है। सभी के लिए शिक्षा (Education for all) और 'सबको मिले शिक्षा' जैसा नारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया जा रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (1996) ने भी स्वीकार किया कि मनुष्य के वैयक्तिक एवं सामाजिक विकास में शिक्षा एक आधारभूत भूमिका निभाती है। आयोग ने इक्कीसवीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए आजीवन अधिगम (Learning through out Life) को आवश्यक बताया है। साथ ही शिक्षा के चारों स्तम्भों-'लर्निंग टू लर्न' (Learning to Learn), 'लर्निंग टू डू' (Learning to do), 'लर्निंग टू लिव टूगेदर' (Learning to Live Together) और 'लर्निंग टू बी' (Learning to be) को छिपा हुआ खजाना बताया जिसके बगैर समाज की कोई प्रतिभा प्रभावशाली नहीं हो सकती है।

वैसे भी 'सभी के लिए शिक्षा' एक विश्वव्यापी मसला रहा है। मानवाधिकार घोषणा पत्र (1948) में कहा गया कि सभी को शिक्षा पाने का अधिकार है। लेकिन इसके पाँच दशक बाद भी दुनिया के करोड़ों बच्चों और वयस्कों को यह अधिकार मयस्सर नहीं हुआ है। तत्पश्चात् मार्च 1990 में थाईलैंड के जॉमटीन (Jomtien) का शहर में 'सभी

नोट

के लिए शिक्षा' (Education for All) विषय विश्व सम्मेलन में भाग ले रहे 155 देशों के प्रतिनिधि एवं तकरीबन 150 से अधिक सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने वर्ष 2000 तक सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मुहैया कराने एवं उनके बीच की निरक्षरता को कम करने की दिशा में ठोस कदम उठाने पर सहमति जाहिर की है। इस सम्मेलन ने बुनियादी शिक्षा के सार्वजनीकरण और निरक्षरता उन्मूलन को गति प्रदान की है। कालांतर में इस लक्ष्य को निर्देशित करने, कार्य समन्वय, देख-रेख एवं योजना सफलता के मूल्यांकन के लिए यूनेस्को, यूनिसेफ, यू. एन. डी. पी. विश्व बैंक एवं यूनेपा के सहयोग से एक फोरम का गठन किया गया। लेकिन वर्ष 2000 के अंत तक यह योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकें।

वर्ष 1993 में यूनेस्कों ने 'सभी के लिए शिक्षा' विषयक एक शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया। इसमें बंग्लादेश, ब्राजील, चीन, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, मेक्सिको एवं पाकिस्तान सहित कुल नौ देशों ने भाग लिया। दिल्ली घोषणा के जरिये यह तय किया गया। वर्ष 2000 तक निम्नलिखित लक्ष्य को हासिल कर लिया जाए:

(*i*) प्रत्येक बच्चे को स्कूल पहुँचाना।

(*ii*) युवाओं और वयस्कों तक बुनियादी शिक्षा पहुँचाना।

(*iii*) बुनियादी शिक्षा सुलभता के मार्ग की विषमता दूर करना।

(*iv*) बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना।

(*v*) मानव विकास को प्राथमिकता देना।

(*vi*) प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण।

(*vii*) 15-35 वर्ष आयुवर्ग के लोगों के बीच निरक्षरता दूर करना।

(*viii*) महिलाओं के लिए सशक्तितीकरण का अवसर प्रदान करना।

भारत में भी सरकारी और गैर-सरकारी स्तर पर शिक्षा के सार्वजनीकरण की दिशा में अनेक प्रभावकारी प्रयास वर्षों से जारी हैं।

स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा से भारतीय संविधान (26 नवम्बर, 1949) की रचना हुई और शिक्षा को मानव की बुनियादी जरूरत समझा गया। इसलिए आम जन की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार और बदलाव के लिए शिक्षा को भी एक अहम पहलू माना गया। अनुच्छेद 29 (1) में कहा गया कि-"कोई भी नागरिक धर्म, मूल, जाति और भाषायी आधार पर राज्य निधि से सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानो में नामांकन से वंचित नहीं हो सकता।"

No citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the state or receiving aid out of the state funds on grounds only on religion. race, caste, language or any of them'' Article 29 (1)]

इस तरह 1921 से 1976 तक शिक्षा राज्य सूची (State List) का अंग रहा। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के जरिए यह समवर्ती सूची (Concurrent List) में स्थानांतरित कर दिया गया। मूल भारतीय संविधान के भाग 4 ने 'राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व' (Directive Principles of States Policy) के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में सभी बालकों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया कि "राज्य इस संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को चौदह वर्ष की आयु पूरा करने तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए प्रयास करेगा।"

The state shall endeavours to provide within a period of ten years from the commencement of this constitution, for free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years.''

यानि प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के मसले को वर्ष 1950 से ही एक लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया। परंतु वर्तमान 86वें संविधान संशोधन (2002) के माध्यम से इस भावना को मौलिक अधिकार का दर्जा देने के लिए अनुच्छेद

नोट

21 के साथ 21 (क) जोड़ा गया है। अनुच्छेद 21 (क) में कहा गया है कि "राज्य कानून द्वारा निर्धारित पद्धति से 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा।"

> नोट्स विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की योजना सन 1974 में शुरु की गई। इसके अन्तर्गत चयनित सामान्य स्कूलों में विकलांग छात्र-छात्राओं को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है।
> The state shall provide free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years in such a manner as the state may, by law, determine.''

संविधान संशोधन के जरिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (Children with Special Needs) को भी शिक्षा नि:शुलक और अनिवार्य शिक्षा हासिल करने का मौका मिलेगा। ऐसे बच्चों को शामिल किए बगैर शिक्षा का सार्वजनीकरण बेमानी होगा। दूसरी ओर संविधान के अनुच्छेद 51(क) में खंड (J) के बाद (K) जोड़ा गया है। इसमें कहा गया है कि बच्चों को 6-14 वर्ष की आयु के बीच शिक्षा उपलब्ध कराना माता-पिता और अभिभावक का मूल कर्तव्य है। हालाँकि ऐसा न करने वाले माता-पिता या अभिभावकों पर किसी प्रकार के दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। फिर भी संविधान के अनुच्छेद 51 (क) में खंड (J) के बाद (K) जोड़े जाने, यानि बच्चे के माता-पिता या अभिभावक पर शिक्षा के अवसर प्रदान करने की संवैधानिक जिम्मेवारी तय कर दिये जाने के बाद अब बच्चों को स्कूल नहीं भेजे जाने की विफलता के मुख्य कारक के रूप में माता-पिता या अभिभावक को चिह्नित होने का भय है।

इससे पहले भी वर्ष 1993 में यूनीकृष्णन बना। आंध्र प्रदेश राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया था कि शिक्षा पाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अधीन एक मूल अधिकार है और सभी को शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य का उत्तरदायित्व है। किन्तु यह अधिकार 14 वर्ष के बच्चों के लिए ही सीमित है। उच्च शिक्षा के मामले में यह अधि कार राज्य की आर्थिक क्षमता पर निर्भर करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 45 को भाग-3 के अनुच्छेद 21 के साथ जोड़ कर पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत प्रदत्त "प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता" के संरक्षण अर्थात् जीने के अधिकार का ही एक अवयव है

26.1 विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा (Integrated Education for Disabled Children (IEDC))

किसी भी श्रेणी की नि:शक्ततायुक्त बच्चों को समाज में प्रचलित सामान्य विद्यालयों में सामान्य बच्चों के साथ-साथ समन्वित करते हुए एक साथ, एक जैसी शिक्षण पद्धति एवं परिस्थितियों में पढ़ाना ही समेकित शिक्षा कहलाती है।

वास्तव में विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा (IEDC) योजना वर्ष 1974 में शुरु की गई थी। इसके अंतर्गत चयनित सामान्य स्कूलों में विकलांग छात्र-छात्राओं को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। उसके पीछे ऐसी समझ है कि विकलांग बच्चों का मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक एवं ज्ञानात्मक विकास सामान्य बच्चों के साथ-साथ हो सके ताकि बच्चे समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकें। इस योजना के अंतर्गत चयनित स्कूलों के विकलांग छात्रों को पुस्तक एवं लेखन सामग्री, स्कूली पोशाक, परिवहन भत्ता, साथ चलने वाले को आने-जाने का किराया भत्ता, नेत्रहीन छात्रों के लिए पढ़ने वाले को पठन भत्ता, उपकरणों, विकलांग छात्रों को पढ़ाने के लिए नियुक्त शिक्षकों के वेतन आदि सुविध ा प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों तथा गैर-सरकारी संगठनों को शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है। केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री ने 21 मार्च, 2005 को राज्य सभा के पटल पर रखे गये वक्तव्य में विकलांग छात्रों और युवाओं के लिए पूर्व प्राथमिक स्तर से विश्वविद्यालय स्तर तक समेकित शिक्षा प्रदान करने हेतु एक व्यापक कार्ययोजना के निर्णय की घोषणा की। कालांतर में यह योजना इंटेग्रेटेड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन एंड यूथ विथ डिसएबिलिटी (आई. ई. सी. वाई. डी.) के नाम से जानी जाने लगी है।

नोट

समेकित शिक्षा के लक्ष्य–ऐसे नि:शुक्त अथवा विकलांग बच्चों के यद्यपि सामान्य क्रियाकलापों को करने में आंशिक अथवा गंभीर बाधा पेश आ सकती है परन्तु उन्हें बिल्कुल अक्षम समझकर सामान्य प्रचलित शिक्षा से वंचित करना, अन्यायपूर्ण एवं अनुचित है। ऐसे बच्चों में जो सकारात्मक क्षमताएँ विद्यमान हैं उनका विकास करना समेकित शिक्षा का लक्ष्य है। इसके तहत् ऐसे बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करते हुए इनकी आंतरिक प्रतिभा एवं क्षमता को पहचान कर उनका सदुपयोग करना, नि:शक्त बच्चों को स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाना इत्यादि समेकित शिक्षा के महत्त्वपूर्ण लक्ष्य हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)– राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) की धारा 4.9 में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकताओं पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है। इस धारा का मुख्य उद्देश्य शारीरिक और मानसिक विकलांग बच्चों को सामान्य समुदाय के साथ समन्वित करना है ताकि वे भी गरिमा एवं आत्मविश्वास के साथ जीवन जी सकें। इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निम्नलिखित सुझाव दिये गये हैं:

(*i*) जहाँ तक व्यावहारिक है कर्मेन्द्रिय-दोषों और मामूली नि:शक्ताग्रस्त बच्चों की शिक्षा दूसरे बच्चों के यथा संभव साझी होगी।

(*ii*) जहाँ तक संभव हो, संयत नि:शक्तता ग्रस्त बच्चों के लिए छात्रावासयुक्त विशेष विद्यालय उपलब्ध कराया जाएगा।

(*iii*) नि:शक्त बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी।

(*iv*) नि:शक्त बच्चों की विशेष समस्याओं को सुलझाने के लिए अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम (खासकर प्राथमिक शिक्षकों के) का पुनर्गठन किया जाएगा।

(*v*) नि:शक्त बच्चों की शिक्षा के स्वयंसेवी प्रयासों को हर संभव उपाय से प्रोत्साहित किया जाएगा।

संशोधित शिक्षा नीति (1992)

(*i*) नि:शक्त बच्चों के लिए पाठ्य सामग्रियों एवं पाठ्यक्रम में लचीलेपन का विशेष महत्व है। यदि बाल केन्द्रित शिक्षा का व्यवहार किया जाए तो इन बच्चों की विशेष आवश्यकताएँ पूरी की जा सकती हैं।

(*ii*) नि:शक्तता ग्रस्त बच्चों की शिक्षा में एक-दूसरे के लिए बच्चों की आपसी सहायता बड़ी कक्षाओं और बहुश्रेणीय अध्यापन को देखते हुए एक कारगर संसाधन है।

जिला प्राथमिक कार्यक्रम में विकलांग शिक्षा (District Primary Education Programme)– प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने 1994 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (DPEP) के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में वृहद पैमाने पर पहल की थी। इसके तहत देश के 7 राज्यों के ऐसे 42 जिलों का चयन किया गया था जो शैक्षिक पैमाने पर अति पिछड़े माने गये थे। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य था–(क) प्राथमिक शिक्षा की सर्वव्यापित एवं (ख) ठहराव। वर्ष 1997 में समाकलित शिक्षा (IED) को भी इस कार्यक्रम में शामिल किया गया। 1998 आते-आते डीपीईपी राज्यों ने सर्वे, एसेसमेंट कैंप के जरिए डीपीईपी स्कूलों में नामांकित बच्चों को संसाधन सहायता (Resource Support) मुहैया कराने लगे थे। कालांतर में इस कार्यक्रम में कम्यूनिटी मोबिलाइजेशन और विकलांगों की पहचान, सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण, संसाधन सहायता, शैक्षिक सामग्रियों के साथ-साथ विकलांगों के लिए बाधारहित माहौल बनाने पर बल दिया जाने लगा। शुरुआती दौड़ में प्रत्येक डीपीईपी जिलों के एक प्रखंड या संकुल में समाकलित शिक्षा को बतौर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरु किया गया। वर्ष 1998 में देश के चुनिन्दा सौ से अधिक प्रखंडों और कालांतर में 18 राज्यों के कुल 2014 प्रखंडों को इसके दायरे में लाया गया जबकि यह कार्यक्रम गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडू तथा उत्तरांचल के सभी प्रखंडों में चल रहे हैं। डीपीईपी कार्यक्रम के क्रियान्वयन के दौरान बड़ी संख्या में विकलांग बच्चों को चिह्नित कर इसकी परिधि में लाया गया। बाद में महसूस किया जाने लगा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की परिधि में लाए बगैर प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण संभव नहीं है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को कालांतर में सर्व शिक्षा अभियान (SSA) के साथ मिला दिया गया। लेकिन भारतीय पुनर्वास परिषद् ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अनुरोध किया है कि संसाधनसेवी शिक्षकों (Resource Teacher) को आरसीआई द्वारा ही प्रशिक्षित कराएँ।

नोट

> *क्या आप जानते हैं* शिक्षा के चार स्तंभ-लर्निंब टू लर्न (Learning to Learn) लर्निंग टू डू (Learning to do), इ लर्निंग टू लिव टूगेदर (Leaning to line to gather) और लर्निंग टू बी (Learning to be) हैं, जिसके बगैर समाज की कोई प्रतिभा प्रभावशाली नहीं हो सकती।

नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 (Person with Disability Act, 1995)– नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अध्याय-5 (धारा 26) में नि:शक्त बालकों के लिए नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था किये जाने का प्रावधान है। धारा 26 (क) में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि 'समुचित सरकारें और स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक नि:शक्त बालक को अठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक उचित वातावरण में नि:शुल्क शिक्षा प्राप्त हा सके (धारा 26(क))। वे नि:शक्त विद्यार्थियों का सामान्य विद्यालयों में एकीकरण के संवर्धन का प्रयास करेंगे (धारा 26(ख))। उनके लिए जिन्हें विशेष शिक्षा (Special Education) की आवश्यकता है, सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में विशेष विद्यालयों (Special Schools) की स्थापना में ऐसी रीति से अभिवृद्धि करेंगे कि जिनसे देश के किसी भी भाग में रह रहे नि:शक्त (Disabled) बालकों की ऐसी विद्यालयों में पहुँच हो (धारा 26 (ग))। साथ ही नि:शक्त बालकों के लिए विशेष विद्यालयों को व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं से सज्जित करने का प्रयास करेंगे (धारा 26 (घ))।

समुचित सरकारें और स्थानीय प्राधिकारी अधिसूचना के जरिये, (क) ऐसे नि:शक्त बालकों की बाबत, जिन्होंने पाँचवी कक्षा तक शिक्षा पूरी कर ली है, किन्तु पूर्णकालिक आधार पर अपना अध्ययन चालू नहीं रख सके हैं, उनके लिए अंशकालिक कक्षाओं का संचालन करेंगे (धारा 27 (क))। (ख) सोलह वर्ष और उससे ऊपर की आयु समूह के बालकों के लिए क्रियात्मक साक्षरता की व्यवस्था के लिए विशेष अंशकालिक कक्षाओं का संचालन करेंगे (धारा 27 (ख))। (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध जनशक्ति का उपयोग करके उन्हें समुचित अभिविन्यास (Appropriate Orientation) शिक्षा देने के पश्चात् अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करेंगे (धारा 27(ग))। (घ) खुले विद्यालयों (Open Schools) या खुले विश्वविद्यालयों (Open Universities) के माध्यम से शिक्षा प्रदान करेंगे (धारा 27 (घ))। (ङ) अन्यान्य क्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक या अन्य संचार साधनों के माध्यम से कक्षा और परिचर्चाओं (discussions) का संचालन करेंगे (धारा 27 (ङ))। और (च) प्रत्येक नि:शक्त बालक के लिए उसकी शिक्षा के लिए आवश्यक विशेष पुस्तकों और उपस्करों (equipments) की नि:शुल्क व्यवस्था भी करेंगे (धारा 27 (च))।

नि:शक्त अधिनियम में सहायक शिक्षण सामग्रियों के डिजाइनिंग और विकास के लिए अनुसंधान की बात कही गयी है। "समुचित सरकारें, ऐसी नई सहायक युक्तियों, शिक्षा सहाय यंत्रों और विशेष शिक्षण सामग्री या ऐसी अन्य वस्तुओं को, जो किसी नि:शक्त बालक की शिक्षा में समान अवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक हों, डिजाइन और उनका विकास करने के लिए अनुसंधान करेंगी या सरकारी और गैर-सरकारी अभिकरणों द्वारा अनुसंधान कराएँगी (धारा 28)।"

साथ ही समुचित सरकारें पर्याप्त संख्या में, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएँ स्थापित करेंगी और नि:शक्तता में विशेषज्ञता वाले शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विकास करने के लिए, राष्ट्रीय संस्थाओं और अन्य स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान करेंगी जिससे कि नि:शक्त बालकों के विशेष विद्यालयों एवं एकीकृत विद्यालयों के लिए अपेक्षित प्रशिक्षित जनशक्ति उपलब्ध हो सके (धारा 29)।

धारा 30 में स्पष्ट कहा गया है कि पूर्वग्रामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समुचित सरकारें, अधिसूचना द्वारा, एक व्यापक शिक्षा स्कीम तैयार करेंगी जिसमें निम्नलिखित के लिए उपबंध होगा, अर्थात्:

(क) नि:शक्त बालकों के लिए परिवहन सुविधाएँ या उनके माता-पिता या अभिभावकों को वैकल्पिक वित्तीय प्रोत्साहन, जिससे कि उनके नि:शक्त बालक विद्यालयों में जा सकें।

(ख) व्यावसायिक और वृत्तिक प्रशिक्षण देनेवाले विद्यालयों, महाविद्यालयों या अन्य संस्थानों से वास्तु-विद्या-संबंधी बाधाओं को हटाना।

(ग) विद्यालय जानेवाले नि:शक्त बालकों के लिए पुस्तकों, वर्दियों और अन्य सामग्री का प्रदाय करना।

(घ) नि:शक्त विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देना।

(ङ) नि:शक्त बालकों के पुनर्वास की बाबत उनके माता-पिता की शिकायतों को दूर करने के लिए समुचित मंच स्थापित करना।

(च) दृष्टिहीन (Blind) और कम दृष्टि (Low vision) वाले विद्यार्थियों के फायदे के लिए पूर्णतया गणित संबंधी प्रश्नों को हटाने के लिए परीक्षा पद्धति में उपयुक्त परिवर्तन करना।

(छ) नि:शक्त बालकों के फायदे के लिए पाठ्यक्रम की पुन: संरचना करना।

(ज) श्रवण शक्ति के ह्रास (Hearing Impaired) वाले विद्यार्थियों के फायदे के लिए उनके पाठ्यक्रम के भाग के रूप में केवल एक भाषा के लेने हेतु उन्हें सुकर बनाने के लिए पाठ्यक्रम की पुन: संरचना।

इसके अलावा सभी शिक्षण संस्थाओं को नेत्रहीन (Blind) विद्यार्थियों या कम दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए लेखकों की व्यवस्था करने को कहा गया है (धारा 31)।

टास्क (IEDC) योजना भारत में कब शुरु की गई?

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 नियम 2000 (The National Trust Act 1999)– यूँ तो राष्ट्रीय स्वपरायणता प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-नि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (The National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999) का सीधा सरोकार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा से नहीं है फिर भी यह हाशिये के विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। साथ ही सह बाधारहित वातावरण (barrier-free environment) के निर्माण के जरिये नि:शक्त व्यक्तियों में कार्यात्मक कौशल विकास और स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देता है।

राष्ट्रीय न्यास का उद्देश्य नि:शक्त व्यक्तियों के परिवारों को सशक्त बनाना है ताकि वे नि:शक्त व्यक्तियों को परिवार में ही रख सकें। यह न्यास नि:शक्त व्यक्तियों और उनके परिवारों को राहत एवं कई अन्य तरह की सेवाएँ प्रदान करती हैं। ये सेवाएँ सांस्थानिक देखरेख एवं घरों के जरिये मुहैया करायी जाती हैं।

सर्व शिक्षा अभियान (Sarva Shiksha Abhiyan (SSA))– सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वर्ष 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में घोषणा की गयी थी। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु शिक्षा के सार्वजनीकरण तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संसद ने 86वाँ संशोधन किया। जिसके तहत 6-14 आयुवर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा मुहैया कराने के अधिकार का मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। स्त्री-पुरुष असमानता तथा सामाजिक विभेद को पाटकर प्रारंभिक शिक्षा को लोक आधारित बनाना ही इस कार्यक्रम का मिशन है।

सर्व शिक्षा अभियान आरंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की केन्द्र प्रायोजित एक महत्वकांक्षी योजना है। जिसके तहत सभी बस्तियों को स्कूली सुविधा, शत-प्रतिशत नामांकन, ठहराव एवं संतोषप्रद उपलब्धि स्तर सुनिश्चित करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2005 तक सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक विद्यालय, शिक्षा गारंटी केन्द्र, वैकल्पिक विद्यालय, 'बैक टू स्कूल' शिविर आदि उपलब्ध करने का लक्ष्य रखा गया था। वर्ष 2000 में शुरु इस अभियान के तहत यह उम्मीद शब्दबद्ध की गयी कि 2007 तक पूरे देश में यह लक्ष्य हासिल हो जाएगा। लेकिन अब सरकारी पंचवर्षीय योजनाओं के मूल्यांकन रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि वर्ष 2010 तक यह लक्ष्य हासिल हो जाएगा। लेकिन विकलांग बच्चों को इस अभियान में शामिल किये बगैर प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की परिकल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (Children with Special NeeosQ) की शिक्षा को सर्व शिक्षा अभियान में शामिल कर विकलांग बच्चों तक प्राथमिक शिक्षा मुहैया कराने की पहल शुरु की। इस कार्यक्रम के तहत विकलांग बच्चों को सामान्य स्कूली शिक्षा में शामिल करने के लिए बच्चे की दर में सलाना 1200 रु. तक की राशि खर्च किए जाने की प्रावधान है। इसी मानक के तहत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जिला

नोट

योजना का निर्माण सुनिश्चित किया जाना है। साथ ही संसाधन संस्थानों (Resource Institution) की भागीदारी को प्रोत्साहन दिये जाने की बात भी कही गयी है। इस श्रेणी के किसी भी बच्चे को शिक्षा प्राप्ति से मना करने की नीति अपनाने की बात कही गयी है ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा प्रणाली से बाहर नहीं रहे।

सर्व शिक्षा अभियान में इस बात पर बल दिया गया है कि विशेष आवश्यकता वाले सभी सामान्य स्कूलों में एकीकृत एवं समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) प्रदान की जाए साथ ही यह विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों (Children with Special Needs) की शिक्षा के लिए बहुविधि दृष्टिकोणों, विकल्पों और कार्यनीतियों का समर्थन भी किया जाए। इसमें निम्न माध्यमों से दी जाने वाली शिक्षा शामिल है। मुफ्त शिक्षण पद्धति एवं मुफ्त स्कूल, गैर-औपचारिक तथा वैकल्पिक स्कूली शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा तथा अधिगम, विशेष स्कूल जहाँ कहीं भी आवश्यक हो वहाँ गृह आधारित शिक्षा (Home-based Education), भ्रमणशील अध्यापक (Itinerant Teacher), मॉडल उपचारात्मक शिक्षण, अंशकालीन कक्षाएँ, समुदाय आधारित पुनर्वास (Community-Based Rehabilitation) तथा व्यावसायिक शिक्षा और सहकारी कार्यक्रम आदि।

स्व-मूल्यांकन (Self-Assessment)

रिक्त स्थानों की पूर्ति करें (Fill in the blanks)—

1. सामान्य बच्चों के साथ शारीरिक रूप से अशस्त बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा .... कहलाती है।
2. समेकित शिक्षा योजना (IEDC) भारत में सन् .... में शुरु की गई।
3. समेकित शिक्षा का उद्देश्य है कि विकलांग बच्चों का मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक एवं ज्ञानात्मक विकास सामान्य बच्चों के साथ-साथ हो सके ताकि बच्चे समाज की .... शामिल हो सकें।
4. IEDC योजना अब .... के नाम से जानी जाने लगी है।

26.3 सारांश (Summary)

- **शिक्षा के सार्वजनीकरण का अर्थ (Meaning of Universalization of Education)–** शिक्षा मानव मुक्ति का साधन है। कुछ विद्वान इसे विवेक की तीसरी आँख भी कहते हैं। लेकिन आजादी के दशकों बाद भी शिक्षा आमलोगों की पहुँच से बाहर है। सभी के लिए शिक्षा (Education for all) और 'सबको मिले शिक्षा' जैसा नारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया जा रहा है।
- अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (1996) ने भी स्वीकार किया कि मनुष्य के वैयक्तिक एवं सामाजिक विकास में शिक्षा एक आधारभूत भूमिका निभाती है। आयोग ने इक्कीसवीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए आजीवन अधिगम (Learning through out Life) को आवश्यक बताया है। साथ ही शिक्षा के चारों स्तम्भों-'लर्निंग टू लर्न' (Learning to Learn), 'लर्निंग टू डू' (Learning to do), 'लर्निंग टू लिव टूगेदर' (Learning to Live Together) और 'लर्निंग टू बी' (Learning to be) को छिपा हुआ खजाना बताया जिसके बगैर समाज की कोई प्रतिभा प्रभावशाली नहीं हो सकती है।
- **विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा–** किसी भी श्रेणी की नि:शक्ततायुक्त बच्चों को समाज में प्रचलित सामान्य विद्यालयों में सामान्य बच्चों के साथ-साथ समन्वित करते हुए एक साथ, एक जैसी शिक्षण पद्धति एवं परिस्थितियों में पढ़ाना ही समेकित शिक्षा कहलाती है।
- वास्तव में विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा (IEDC) योजना वर्ष 1974 में शुरु की गई थी। इसके अंतर्गत चयनित सामान्य स्कूलों में विकलांग छात्र-छात्राओं को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। उसके पीछे ऐसी समझ है कि विकलांग बच्चों का मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक एवं ज्ञानात्मक विकास सामान्य बच्चों के साथ-साथ हो सके ताकि बच्चे समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकें।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) की धारा 4.9 में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकताओं पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है। इस धारा का मुख्य उद्देश्य शारीरिक और मानसिक विकलांग बच्चों को सामान्य समुदाय

नोट

के साथ समन्वित करना है ताकि वे भी गरिमा एवं आत्मविश्वास के साथ जीवन जी सकें। इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निम्नलिखित सुझाव दिये गये हैं।

- सर्व शिक्षा अभियान में इस बात पर बल दिया गया है कि विशेष आवश्यकता वाले सभी सामान्य स्कूलों में एकीकृत एवं समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) प्रदान की जाए साथ ही यह विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों (Children with Special Needs) की शिक्षा के लिए बहुविधि दृष्टिकोणों, विकल्पों और कार्यनीतियों का समर्थन भी किया जाए। इसमें निम्न माध्यमों से दी जाने वाली शिक्षा शामिल है। मुफ्त शिक्षण पद्धति एवं मुफ्त स्कूल, गैर-औपचारिक तथा वैकल्पिक स्कूली शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा तथा अधिगम, विशेष स्कूल जहाँ कहीं भी आवश्यक हो वहाँ गृह आधारित शिक्षा (Home-based Education), भ्रमणशील अध्यापक (Itinerant Teacher), मॉडल उपचारात्मक शिक्षण, अंशकालीन कक्षाएँ, समुदाय आधारित पुनर्वास (Community-Based Rehabilitation) तथा व्यावसायिक शिक्षा और सहकारी कार्यक्रम आदि।

26.4 शब्दकोश (Keywords)

- **बेमानी–** व्यर्थ।
- **समेकित–** जोड़कर, मिलाकर।

26.5 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

1. समेकित शिक्षा से आप क्या समझते हैं? समेकित शिक्षा के लक्ष्यों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर : स्व-मूल्यांकन (Answer: Self Assessment)

1. समेकित शिक्षा, 2. 1974, 3. मुख्यधारा,
4. Integrated Education for Children and youth with disability.

26.6 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

पुस्तकें

1. *विशिष्ट बालक: शिक्षा एवं पुनर्वास–* महेश भार्गव, एच. पी. भार्गव बुक हाउस, आगरा।
2. *विशिष्ट शिक्षा का प्रारूप–* डॉ. आर. लाल. शर्मा, आर. लाल. बुक डिपो, आगरा।
3. *विशिष्ट शिक्षा–* कुमार संजीव, जानकी प्रकाशन, पटना।
4. *विशिष्ट बालक–* अवधारणा, विकास एवं शिक्षा, के. के. पब्लिकेशंस, नई दिल्ली।

नोट

इकाई–27: मुख्यधारा से जुड़ाव एवं सम्मिलित शिक्षा (Inclusive Education and Mainstreming)

अनुक्रमणिका (Contents)

उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तावना (Introduction)

27.1 विशिष्ट विद्यालय (Special School)

27.2 मुख्यधारा में शामिल करने की अवधारणा (Concept of Mainstreaming)

27.3 मुख्यधारा में शामिल करने के सिद्धांत को लागू करने की रणनीति (Commen Strategies for Implementing the Principle of Mainstreaming)

27.4 मुख्यधारा में शामिल करने की प्रक्रिया (Process of Mainstreaming)

27.5 मुख्यधारा में शमिल करने में अध्यापक की भूमिका (Role of Teacher in Mainstreaming)

27.6 मुख्यधारा में लाने के लाभ (Benifites of Mainstreaming)

27.7 समन्वित विद्यालय एवं सहायक सेवाएँ (Integrated School and Support Services)

27.7.1 संसाधन कक्षा (Resource Room)

27.7.2 संसाधन शिक्षक (Resource Teacher)

27.7.3 अन्य विशेषज्ञ (Other Specialists)

27.7.4 सामान्य शिक्षक (Regular Teacher)

27.7.5 परामर्शदाता (Counellors)

27.7.6 सन्मवय समूह की भूमिका (Role of Peer Group)

27.7.7 परिवार की भूमिका (Role of Family)

27.7.8 समुदाय की भूमिका (Role of Community)

27.8 सारांश (Summary)

27.9 शब्दकोश (Keywords)

27.10 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

27.11 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

उद्देश्य (Objectives)

विद्यार्थी इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् सक्षम होंगे–

- विशिष्ट बालकों को मुख्यधारा में शामिल करने की अवधारणा से परिचित होंगे।
- विशिष्ट बालकों को मुख्यधारा में शामिल करने की रणनीति एवं उसकी प्रक्रिया से परिचित होंगे।

नोट

प्रस्तावना (Introduction)

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताएँ (Special Education Needs) होती है। ऐसी आवश्यकताएँ उन बच्चों की होती हैं जिन्हें अधिगम संबंधी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे मामलों की सिफारिश यह की जाती रही है कि जहाँ तक व्यावहारिक हो, उन बच्चों की शिक्षा के लिए शैक्षिक हस्तक्षेप किए जाएँ, खासकर नियमित विद्यालयों (Regular Schools) में अतिरिक्त सुविधाएँ और सहायक सेवाएँ (Support Services) उपलब्ध कराई जाएँ विकलांग बच्चों की शिक्षा व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार के बीच विकसित खाई को पाटने के लिए शैक्षिक हस्तक्षेप की जरूरत महसूस की गई।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा में हस्तक्षेप की प्रक्रिया एक जटिल एवं चुनौतीपूर्ण पहल है यहाँ उन शैक्षिक हस्तक्षेपों का बिन्दुवार विश्लेषण किया गया है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए जरूरी समझे गए।

27.1 विशिष्ठ विद्यालय (Special School)

अर्थ (Meaning)– विशेष आवश्यकता वाले कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें सामान्य स्कूलों में पढ़ाने से कोई विशेष लाभ नहीं मिलता है। मुख्य धारा के स्कूलों की विशिष्ट कक्षाएँ (Special Class) और अतिरिक्त कक्षाएँ भी उन्हें बहुत लाभ नहीं पहुँचा पाती हैं। ऐसी स्थिति में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण-अधिगम के लिए उन्हें विशिष्ट विद्यालय (Special School) के अलावा कोई वैकल्पिक शैक्षिक उपाय ही नहीं बचता है। विशिष्ट विद्यालय ऐसे विद्यालय हैं जिनमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं (Special Educational Needs) की पूर्ति करने की सामर्थ्य होती है। ए विद्यालय खासतौर पर विकलांग बच्चों के लिए ही बने होते हैं। इनमें विशिष्ट शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के अलावा विकलांग बच्चों के शिक्षण-अधिगम संबंधी जरूरतों के अनुरूप शैक्षिक संसाधन भी उपलब्ध होते हैं। ए विद्यालय विभिन्न प्रकार के विकलांग बच्चों को वैयक्तिक शिक्षण (Individualized Education) सुविधा मुहैया कराते हैं। विकलांग बच्चों की सहायता के लिए चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक (Psychologist), मनोचिकित्सक (Psychiatrist) आदि भी उपलब्ध होते हैं। अमेरिका के प्रोबेशनरी स्कूल (न्यूयार्क), मूरे स्कूल (डेट्रॉयट) एवं माउंटफ्लोर स्कूल (शिकागो) इसके उदाहरण हैं। भारत में भी इस तरह के सैकड़ों स्कूल हैं।

विशिष्ट विद्यालय में निम्नलिखित सुविधाओं का होना जरूरी होता है–

1. शारीरिक उपचार कक्ष (Physio-therapy Room)
2. सर्व सुविधायुक्त व्यायामशाला (Gymnasium)।
3. रोगी कार्यशाला (Patient Workshop)।
4. बाधारहित माहौल (Barrier-free Environment); उदाहरणार्थ–रैम्प, एलिवेटर अथवा अन्य सुविधायुक्त इमारत।
5. विशिष्ट वर्ग कक्ष (Special Class Room)।
6. उपयुक्त फर्नीचर एवं शिक्षण-अधिगम सामग्रियाँ।
7. विश्राम कक्ष (Rest Room)।
8. संवेदी कक्ष (Sensory Room)।
9. आवासीय सुविधा के लिए छात्रावास।
10. विशिष्ट पाठ्यचर्या (Special Curriculum) और पाठ्यक्रम (Syllabus)।
11. विशिष्ट शिक्षा में विशेष योग्यताधारी शिक्षक।
12. विकलांग मित्रवत् पुस्तकालय (Disabled-friendly Library)।

नोट

13. सूचना संप्रेषण तकनीक (Information and Communication Technology) सुविधायुक्त शैक्षिक तकनीकी कक्ष (Educational Technological Room)।
14. खेल एवं मनोरंजन के साधन।
15. तरण-ताल (Swimming Pool)।

वर्तमान समय में विशिष्ट विद्यालय की अवधारणा पुरानी पड़ चुकी है। अब विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए समन्वित अथवा समेकित विद्यालय (Integrated School) और समावेशी विद्यालय (Inclusive School) की वकालत की जा रही है ताकि विभिन्न प्रकार के विकलांग बच्चे मुख्यधारा के स्कूलों में सामान्य वर्ग कक्ष में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षण-अधिगम कर सकें। वैसे भी विशिष्ट विद्यालय में दाखिले के बाद विकलांग बच्चे समाज की मुख्यधारा से कटे रहने के फलस्वरूप उनमें हीन भावना ग्रंथि (Inferiority Complex) का विकास होना लाज़िमी है। लिहाजा अब केन्द्र सरकार ने समावेशी शिक्षण नीति (Inclusive Policy) के तहत समावेशी विद्यालय (Inclusive School) खोलने की सहमति प्रदान कर दी है।

27.2 मुख्यधारा में शामिल करने की अवधारणा (Concept of Mainstreaming)

'मुख्यधारा में शामिल करने' (Mainstreaming) का अर्थ है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (Children with Special Needs) की उन विशेष व्यवस्थाओं के तहत जीने, सीखने तथा काम करने में सहायता करना, जिससे उन्हें अधिक से अधिक स्वतंत्र बन पाने का सबसे ज्यादा अवसर मिले। दूसरे शब्दों में, मुख्यधारा में शामिल करने का मतलब विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य विद्यालयों में समन्वित करना है। यह समस्या वाले बच्चों को नियमित पूर्व स्कूली अनुभव द्वारा जीवन की मुख्यधारा में सम्मिलित होने, सामान्य बच्चों को अपने विकलांग मित्रों की क्षमताओं एवं दुर्बलताओं को अनुभव करते हुए सीखने एवं विकसित होने तथा उन्हें समझने और देखने का अवसर प्रदान करता है।

नोट्स मुख्यधारा में शामिल करने के अंतर्गत केवल समस्याग्रस्त बच्चों को मुख्यधारा के स्कूलों में सामान्य बच्चों के साथ भर्ती कर लेना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि समस्या वाले बच्चे कक्षा की गतिविधियों में सक्रिय एवं पूर्णरूप से भागीदारी करें।

मुख्यधारा में शामिल करना नया नहीं है। शुरू से ही, अन्य कार्यक्रमों में समस्या वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शामिल किया जाता रहा है। 86वें संविधान संशोधनो (2002) के तहत सभी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य बना दी गई है और अनुच्छेद 21 (क) में कहा गया है कि सभी बच्चों को 'निःशुल्क एवं समुचित शिक्षा' प्रदान की जाए। इस तरह, मुख्यधारा में शामिल किया जाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा में एक महत्वपूर्ण तथा व्यापक रूप से मान्य दृष्टिकोण बन गया है।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए– अन्य बच्चों के साथ एक एकीकृत विन्यास में (Integral Setting) अथवा मुख्यधारा परिवेश में समस्या वाले बच्चों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए; तथा समस्या वाले बच्चों की सेवा कर रही अन्य संस्थाओं व संगठनों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़कर काम करना चाहिए, ताकि विकलांग बच्चों की पहचान की जा सके, और बच्चे की विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक सेवाओं की संपूर्ण शृंखला (Full Range) उपलब्ध कराई जा सके।

शोध अध्ययनों के मुताबिक बच्चों के परिज्ञानशील (Cognitive), संचार, सामाजिक तथा भावनात्मक विकास को बाल्यवस्था में सबसे अधिक प्रभावित किया जा सकता है। यदि इस अवस्था में उनकी विशेष आवश्यकताओं की पहचान तथा उनकी पूर्ति कर दी जाए तो विकलांग बच्चों की सक्षम एवं स्वतंत्र वयस्कों के रूप में विकसित होने की संभावना

नोट

कहीं अधिक बढ़ जाती है। यदि विकलांक बच्चों को अन्य बच्चों के साथ खेलने का मौका मिलता है, तो वे अपना तथा दैनिक जीवन के साथ किस तरह तालमेल बैठाया जाय, इसके बारे में अधिक सीख पाते हैं। यह आत्मनिर्भरता विकसित करने की दशा में पहले कदमों में से एक है।

27.3 मुख्यधारा में शामिल करने के सिद्धांत को लागू करने की रणनीतियाँ (Commen Strategies for Implementing the Principle of Mainstreaming)

1. मुख्यधारा के स्कूलों के सामान्य शिक्षकों को विकलांग बच्चों को उन शैक्षिक गतिविधियों से रू-ब-रू कराने के लिए प्रोत्साहित करना जो गैर-विकलांग बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव डालते हों।
2. सामान्य शिक्षकों की सहायता के लिए उन्हें विशिष्ट अध्यापक (Special Educator) की कंसल्टेंट सुविधा मुहैया कराना ताकि वे विकलांग बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से कर सकें।
3. विभिन्न क्षमता स्तर वाले बच्चों के बीच समन्वित अधिगम को बढ़ावा देने वाले वर्ग कक्ष गतिविधियों की रचना करना।
4. वैसे वर्ग कक्ष गतिविधियों की रचना करना ताकि गैर-विकलांग बालक अपनी कक्षा के सहपाठियों के लिए ट्यूटर का काम कर सकें।
5. गैर-विकलांग बालकों में अपने विकलांग सहपाठियों के प्रति स्वस्थ सोच विकसित करने के लिए उपयुक्त पाठ्यचर्या सामग्रियों का उपयोग करना।

27.4 मुख्यधारा में शामिल करने की प्रक्रिया (Process of Mainstreaming)

विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को मुख्यधारा में लाने का काम अनेक प्रकार से किया जा सकता है। शिक्षक जब किसी समस्या वाले बच्चे को मुख्यधारा में लाने का निर्णय लेते हैं तो यह बच्चे की सबलताओं, दुर्बलताओं व आवश्यकताओं एवं माता-पिता, कर्मचारियों व कार्यक्रम एवं समुदाय के उपलब्ध साधनों पर निर्भर करेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रत्एक बच्चे की भिन्न आवश्यकताएँ व क्षमताएँ होती हैं। यह समस्या वाले बच्चों के लिए भी उतना ही सच है। वे नाना प्रकार के आचरणों व क्षमताओं का प्रदर्शन करते हैं।

कुछ समस्या वाले बच्चे सामान्य बच्चों के साथ पूरे दिन के कार्यक्रम में उन्नति कर सकते हैं। अन्य के लिए समेकित शिक्षा के माहौल में कुछ समय तक रहना, विशेष कक्षाओं में उपस्थित होना या शेष समय घर पर रहना सबसे अच्छा रहता है। इसके अलावा हो सकता है कि कुछ अन्य को मुख्यधारा में लाना अधिक सहायतापूर्ण न हो। इसमें इस सिद्धांत का पालन करना चाहिए कि समस्या वाले बच्चों को "कम से कम प्रतिबंधित पर्यावरण" में रखा जाए। इसका मतलब है कि समस्या वाले बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ-साथ उनके पूर्व अनुभव (जहाँ तक संभव हो) सामान्य बच्चों के अनुभवों के समान होने चाहिए।

मुख्यधारा के सम्मिलन में अनेक व्यक्तियों के एक दल के रूप में किए जाने वाले प्रयास सम्मिलित होते हैं—शिक्षक, बच्चे के माता-पिता, कार्यक्रम के कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ता, अन्य विशेषज्ञ, ऐसी संस्थाएँ जो समस्या वाले बच्चों की सेवा करती हैं, और समुदाय के प्राथमिक विद्यालय। इस दल की किसी समस्या वाले बच्चे की आवश्यकताओं की पहचान, विकास एवं उनके समायोजन करने के लिए एक चुनौती भरा व क्रांतिकारी कदम उठाने की आवश्यकता है।

27.5 मुख्यधारा में शामिल करने में अध्यापक की भूमिका (Role of Teacher in Mainstreaming)

विशेष आवश्यता वाले बच्चे को शिक्षा की मुख्यधारा में लाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए—

नोट

1. ऐसे व्यक्तिगत कार्यक्रम को विकसित करके लागू करना जो कक्षा के प्रत्एक बच्चे की आवश्यकताओं की पूर्ति करे व जिसमें किसी समस्या वाले बच्चे की विशेष आवश्यकताएँ भी शामिल हों।
2. समस्या वाले बच्चे के माता-पिता के साथ मिलकर कार्य करना जिससे कि सीखने की अवस्थाओं का घर पर माता-पिता द्वारा प्रबलीकरण किया जा सके।
3. अपने विकलांगता समन्वयकर्ता या सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा यह पता लगाना कि किसी समस्या वाले बच्चे को क्या विशेष सेवाएँ दी जा रही हैं और आप अपनी कक्षा के शिक्षण में सहायता हेतु किसी विशेषज्ञ की सेवाएँ किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं।
4. यदि आप महसूस करते हैं कि किसी बच्चे को कोई ऐसी मान्यता है जो साफ तौर से पहचानी नहीं गई है, तो अपने विकलांगता समन्वयक या सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा उसको सलाह लेने के लिए भेजने की व्यवस्था करना।

27.6 मुख्यधारा में लाने के लाभ (Benifites of Mainstreaming)

(i) **विकलांग बच्चों के लिए लाभदायक** (Beneficial for Disabled Children)– मुख्यधारा कक्षा में भाग लेना विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा देता है और उन्हें नए कौशलों में पारंगत बनाता है। अन्य बच्चों के साथ काम करना तथा खेलना समस्या वाले बच्चों को बड़ी उपलब्धियों हेतु प्रयत्नशील रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। बड़ी उपलब्धियों की दिशा में काम करना, एक स्वस्थ एवं सकारात्मक आत्मविश्वास विकसित करने में उनकी सहायता करता है।

मुख्यधारा में लाया जाना उन समस्याओं के समाधान का मूल्यवान तरीका है, जिनका रोग-निदान नहीं हुआ हो। कुछ समस्याएँ तब तक उजागर नहीं होतीं, जब तक कि बच्चा प्राथमिक स्कूल में दाखिला नहीं ले लेता है लेकिन तब तक सीखने का काफी महत्वपूर्ण समय बेकार हो चुका होता है। ऐसे में यह पूर्व स्कूली बच्चों के लिए काफी उपयोगी साबित होता है।

(ii) **सामान्य बच्चों के लिए लाभदायक** (Beneficial for Non-handicapped Child)– मुख्यधारा में शामिल करने की प्रक्रिया सामान्य बच्चों के लिए भी लाभदायक होती है। इसके जरिए वे लोगों के बीच व्यक्तिगत भेदों को स्वीकार करने तथा उनके साथ सहूलियत से रहना सीख जाते हैं। शोध अध्ययनों के मुताबिक जब सामान्य बच्चों को विकलांग बच्चों के साथ नियमित रूप से खेलने का मौका मिलता है तो विकलांग बच्चों के प्रति उनका रुख और अधिक सकारात्मक बन जाता है। एक मुख्यधारा कक्षा में उन्हें विभिन्न व्यक्तियों के साथ दोस्ती करने का अवसर मिलता है।

(iii) **माता-पिता के लिए लाभदायक** (Beneficial for Parents)– मुख्यधारा में लाना विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के माता-पिता के लिए भी लाभदायक होता है। शिक्षकों, अन्य स्कूली स्टाफ तथा विशेषज्ञों द्वारा किसी बच्चे की शिक्षा में परस्पर योगदान करने से माता-पिता कम अकेलापन महसूस करते हैं। वे अपने बच्चे की सहायता करने के नए तरीके सीख सकते हैं। जब वे अपने बच्चे को सामान्य बच्चों के साथ प्रगति करते और खेलते हुए देखते हैं, तो माता-पिता को अपने बच्चे के बारे में अधिक वास्तविक ढंग से सोच पाने में मदद मिलती है। इस तरह माता-पिता की भावनाएँ अपने व अपने बच्चों के प्रति ज्यादा साकारात्मक हो जाती हैं।

(iv) **शिक्षक के लिए लाभदायक** (Beneficial for Teachers)– मुख्यधारा में लाना शिक्षक के लिए भी लाभदायक होता है। शिक्षक को विकलांग बच्चे पर सार्थक प्रभाव डालने का अवसर प्राप्त होता है। शिक्षक द्वारा विशेष सहायता वाले बच्चों के लिए विकसित की गई तकनीकें उन सामान्य बच्चों के लिए भी उतनी ही लाभदायक होती हैं जिनको उन्हीं क्षेत्रों में थोड़ी बहुत कमजोरी होती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ कार्य करने से शिक्षक के शिक्षण और व्यक्तिगत अनुभवों का विकास भी होता है।

नोट

टास्क विकलांग बच्चों को मुख्यधारा में शामिल करने के क्या लाभ हैं?

27.7 समन्वित विद्यालय एवं सहायक सेवाएँ (Integrated School and Support Services)

ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विकलांग ग्रस्त बच्चे विशेष विद्यालय कहलाने वाले अलग विद्यालयों में शिक्षा पाते रहे हैं। अलग-अलग नि:शक्तताओं के लिए अलग-अलग विद्यालय खोले गए। लेकिन हाल के वर्षों में इस बात की वकालत की गई है कि ऐसे बच्चों को मुख्यधारा के विद्यालयों (Mainstream School) में, उनके गैर-विकलांग हमजोलियों की संगति में शिक्षा दी जाए। ऐसे विद्यालयों को आमतौर पर समन्वित विद्यालय (Integrated School) कहा जाता है। एक सामान्य विद्यालय को समन्वित विद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए कई तरह की सहायता सेवाओं की उपलब्धता अनिवार्य है। यह सहायक सेवाएँ हैं–

(*i*) संसाधन कक्ष (Resource Room)

(*ii*) संसाधन शिक्षक (Resource Teacher)

(*iii*) अन्य विशेषज्ञ (Other Specialists)

(*iv*) सामान्य शिक्षक (Regular Teacher)

(*v*) परामर्शदाता (Counsellors)

(*vi*) समन्वय समूह (Peer Groups)

(*vii*) परिवार (Family)

(*viii*) समुदाय (Community)

27.7.1 संसाधन कक्ष (Resource Room)

समन्वित शिक्षा की परिधि में आने वाले विद्यालयों में संसाधन कक्ष (Resource Room) का होना जरूरी होता है। एक संसाधन कक्ष वैसी विशिष्ट कक्षा है जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पूरी स्कूल अवधि के दौरान आधा से अधिक समय गुजारते हों। संसाधन शिक्षक (Resource Teacher) संसाधन कक्ष के प्रभारी होते हैं। संसाधन कक्ष शिक्षण-अधिगम संबंधी विशिष्ट अनुदेशन सामग्रियाँ (Instructional Materials) से युक्त होता है। इसके अलावा वहीं प्रत्यक्षीकृत प्रशिक्षण (Perceptual Training), भाषाई विकास (Language Development), गत्यात्मक प्रशिक्षण (Motor Training), सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास और कौशल विकास (Skill Development) के लिए वैयक्तिक अनुदेशन सामग्रियाँ भी होती हैं। संसाधन कक्ष का आकार थोड़ा छोटा होता है। अमूमन ऐसे एक कक्ष में शिक्षक और कम से कम 20 विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था होती है। एक सत्र में या तो वैयक्तिक तौर पर एक विद्यार्थी अथवा 5 विद्यार्थियों के एक समूह को शिक्षण-अधिगम का प्रशिक्षण दिया जाता है। सत्र की अवधि सामान्यत: 20 से 45 मिनट की होती है। नियमित वर्ग कक्ष की तुलना में एक संसाधन कक्ष को ज्यादा आरामदायक होना चाहिए। संसाधन कक्ष का क्षेत्रफल करीब 150 वर्ग फुट होना चाहिए। उसमें प्रकाश और वायु के आवागमन की उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए।

कार्य (Functions)

1. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अतिरिक्त उपचारी सहायता (Extra Remedial Assistance) उपलब्ध कराना।
2. उपचारी शिक्षण (Remedial tutoring)—विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को सामान्य कक्षा में शिक्षण-अधिगम में जब कभी परेशानी होती है तो कुशल शिक्षक उन्हें संसाधन कक्ष में लाकर उपचारी शिक्षण सुविधा मुहैया कराते हैं।

नोट

3. कुछ मूलभूत उपकरणों का संचयन करना।
4. संसाधन शिक्षक अथवा सामान्य शिक्षक की सहायता से उन्हें सहायता पहुँचाना।
5. संसाधन एवं सामान्य शिक्षकों की समस्याओं को संयुक्त रूप से सुलझाना।
6. संसाधन शिक्षक के जरिए विशिष्ट शिक्षण-अधिगम सामग्री का निर्माण कराना।
7. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समन्वय पूर्व प्रशिक्षण (Pre-integration Training) देना।
8. माता-पिता एवं अभिभावकों को परामर्श देना।
9. शिक्षक प्रशिक्षण।
10. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अन्य उपयुक्त गतिविधियों का संचालन करना।

27.7.2 संसाधन शिक्षक (Resource Teacher)

संसाधन शिक्षक (Resource Teacher) को 'स्रोत शिक्षक' अथवा 'विशेष शिक्षक' (Special Teacher) के नाम से भी जाना जाता है। ए विशेष शिक्षा (Special Education) में विशिष्ट योग्यताधारी वैसे शिक्षक हैं जो किसी भी माहौल में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (Children with Special Needs) को पढ़ा सकते हैं। ए दृष्टि, श्रवण, चलन एवं मानसिक नि:शक्तता के क्षेत्र में डिग्री (विशेष शिक्षा), डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) अथवा बी. एड. (विशेष शिक्षा) योग्यताधारी होने के साथ-साथ भारतीय पुनर्वास परिषद् (Rehabilitation Council of India) से पंजीकृत विशेष अध्यापक (Special Educator) भी होते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण-अधिगम एवं सामान्य शिक्षकों में ऐसे बच्चों के प्रति संवेदनशील (Sensitive) करने के लिए संसाधन शिक्षकों को जिला संसाधन समूह (Distric Resource Group) के रूप में नियुक्त किया जाता है। इनकी तैनाती भ्रमणशील शिक्षक अथवा परिभ्रामी शिक्षक (Itinerant Teacher) के रूप में प्रखंड संसाधन केन्द्र (Block Resource Centre) अथवा संकुल संसाधन केन्द्र (Cluster Resource Centre) पर भी की जाती रही है।

क्या आप जानते हैं संसाधन शिक्षक (Resource Teacher) को 'स्रोत शिक्षक' अथवा 'विशेष शिक्षक' (Special Teacher) के नाम से भी जाना जाता है।

कार्य (Functions)

1. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समन्वय-पूर्व प्रशिक्षण देना।
2. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करना।
3. बच्चों के कौशल (Skill) की पहचान करना।
4. सहाय्य एवं उपकरणों के उपयोग को सुनिश्चित करना।
5. नामांकन पूर्व विकलांग बच्चों को सामान्य विद्यालय भ्रमण का अवसर उपलब्ध कराना।
6. सामान्य शिक्षकों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण-अधिगम संबंधी परामर्श देना।
7. समस्याग्रस्त बच्चों की शक्तियों एवं कमजोरियों का पता लगाना।
8. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताओं (Educational Needs) को ध्यान में रखकर उनके लिए उपचारात्मक शिक्षा (Remedial Teaching) का उपाय करना।
9. मुख्यधारा में शामिल करने संबंधी गतिविधियों में बढ़-चढ़ कर भाग लेना।
10. बच्चों को विद्यालय में समावेशन (Inclusion) के लिए हर संभव प्रयास करना।
11. व्यक्तिनिष्ठ शैक्षिक योजना (IEP) तैयार करना।

12. पोषक क्षेत्र में अनामांकित नि:शक्त बच्चों की पहचान कर उनका नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना।
13. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रदर्शन का मूल्याँकन करना।
14. नि:शक्त बच्चों के लिए ब्रीज कोर्स का संचालन करना।
15. नि:शक्त बच्चों के सामान्य स्कूलों में दाखिले के लिए कार्यक्रम निर्माण करना।
16. बच्चों को अभिभावकों एवं समुदाय को परामर्श देना।
17. अभिभावक-समुदाय ओरिएँटेशन कार्यक्रम में भाग लेना।
18. संसाधन कक्ष के प्रभारी के रूप में योगदान देना।
19. स्कूली कर्मचारियों को विशेष बच्चों की देखभाल के लिए सलाह देना।
20. सामान्य शिक्षकों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति संवेदनशील बनाना।
21. वैकल्पिक शिक्षण रणनीतियों का डिजाइन बनाना।
22. मानव एवं सामग्री संसाधनों के भरपूर उपयोग के लिए योजना बनाना।

27.7.3 अन्य विशेषज्ञ (Other Specialists)

समेकित शिक्षण पद्धति के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्यधारा के अलावा अन्य विशेषज्ञों की भूमिका अहम होती है। ए तकनीकी विशेषज्ञ हैं–

1. **वाक् एवं भाषा विशेषज्ञ** (Speech-Language Pathologist)– वाक् एवं भाषा विशेषज्ञ संचार संबंधी समस्याग्रस्त बच्चे का परीक्षण निदान और उपचार करते हैं। इसके लिए सबसे पहले ऐसे बच्चों की पहचान और परीक्षण किया जाता है। तत्पश्चात् प्राप्त जानकारी के आधार पर पीड़ित बच्चे के लिए एक चिकित्सा कार्यक्रम की रूप-रेखा बनाकर उसे कार्यान्वित करता है। साथ ही इसके लिए स्कूल शिक्षक को भी सुझाव देता है।
2. **कान विशेषज्ञ** (Audiologist)– श्रवण संबंधी समस्याओं का परीक्षण एवं निदान करता है और श्रवण सम्बन्धी समस्याओं से ग्रसित व्यक्तियों को सुनने में सायक यंत्र या प्रशिक्षण के तरीकों की सलाह देता है।
3. **दन्त विशेषज्ञ** (Dentist)– दाँतों एवं मसूड़ों का परीक्षण, निदान एवं उपचार करता है।
4. **तंत्रिका विशेषज्ञ** (Neurologist)– न्यूरोलॉजिस्ट मस्तिष्क एवं केंन्द्रिय तंत्रिका तंत्र के विकारों का परीक्षण, निदान एवं उपचार करता है।
5. **पोषण विशेषज्ञ** (Nutritionist)– किसी व्यक्ति की भोजन की आदतों एवं उसकी खुराक का मूल्याँकन करता है। यह विशेषज्ञ सामान्य एवं औषधीय पोषण सम्बन्धी सलाह प्रस्तुत करता है और विशेष आहार वाले विशेष साधनों एवं तकनीकों के बारे में जानकारी प्रदान करता है ताकि किसी व्यक्ति के स्वयं आहार करने के कौशलों को बढ़ाया जा सके।
6. **व्यावसायिक चिकित्सक** (Occupational Therapist)– उन बच्चों का मूल्याँकन एवं उपचार करता है जिनकी स्वयं की सहायता करने, खेलने या पूर्व स्कूली गतिविधियों को करने में कठिनाई होती है। उसका उद्देश्य इन क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता एवं स्वतंत्रता को बढ़ावा देना होता है।
7. **नेत्र विशेषज्ञ** (Ophthalmologist)– नेत्र विशेषज्ञ दृष्टि संबंधी रोगों, क्षतियों या जन्मजात विकारों का परीाण एवं निदान करता है।
8. **चश्मा फरोश** (Optician)– दृष्टि में सुधार करने वाले लेन्सों एवं चश्मे के फ्रेम को मिलाकर चश्मा बनाता है। वह फ्रेम के चुनाव हेतु सलाह प्रदान कर सकता है और नेत्र विशेषज्ञ द्वारा सलाह दिए गए लेन्स को उसमें लगाता है। चश्मा फरोश कांटेक्ट लेन्स भी लगाता है।
9. **आँखों की जाँच करने वाला व्यक्ति** (Optometrist)– बच्चे के दृष्टिजन्य विकास का मूल्याँकन करने

नोट

हेतु एवं दृष्टिजन्य समस्याओं एवं आँखों के रोग के बारे में निर्णय करने के लिए आँखों एवं सम्बन्धित संरचनाओं की जाँच करता है।

10. **अस्थि विशेषज्ञ** (Orthopaedist)– वह डॉक्टर जो मांसपेशियों, जोड़ों एवं हड्डियों के रोगों एवं क्षतियों का प्रतिदीप्त परीक्षण व निदान करता है।
11. **नाक, कान एवं गला विशेषज्ञ** (ENT Specialist)– नाक, कान एवं गला विशेषज्ञ, कान, नाक एवं गले के विकारों का परीक्षण व निदान उपचार करता है। इन विशेषज्ञ को आटोलेरिनजोलोजिस्ट भी कहते हैं।
12. **शारीरिक या भौतिक चिकित्सक** (Physio-Therapist)– शारीरिक चिकित्सा के कार्यक्रम का मूल्याँकन करता है और उसकी योजना बनाता है। वह ऐसी गतिविधियों को करने की सलाह प्रदान करता है जिनसे मूल रूप से सकल गति प्रेरक कौशलों से सम्बन्धित, घूमने, बैठने एवं स्थितियाँ को बदलने जैसे कौशलों में सुधार हो सके। वह चलने-फिरने में सहायता स्वरूप उपयोग किए जाने वाले यंत्रों, जैसे पहिए वाली कुर्सियाँ, बँधनी एवं बैसाखी के उपयोग करने में भी व्यक्तियों को सहायता प्रदान करता है।
13. **मनोचिकित्सक** (Psychiatrist)– मनोवैज्ञानिक, संवेदनात्मक, आचरण संबंधी एवं विकासात्मक मनोचिकित्सक या अंगों से सम्बन्धित समस्याओं का परीक्षण व निदान करता है। मनोचिकित्सक किसी प्रकार के औषधीकरण की सलाह प्रदान करने हेतु सक्षम होते हैं।
14. **सामाजिक कार्यकर्ता** (Social Worker)– ऐसे व्यक्तियों एवं उनके परिवारों को सेवाएँ उपलब्ध कराता है जो अनेक प्रकार की संवेदनात्मक या सामाजिक समस्याओं से प्रभावित हों। इसमें किसी व्यक्ति या परिवार को प्रत्यक्ष रूप से सलाह देना, किसी अन्य से सलाह दिलवाना; एवं पूर्वस्कूल कार्यक्रमों, स्कूलों, क्लीनिकों या अन्य सामाजिक संस्थाओं से सलाह करना शामिल होता है।

27.7.4 सामान्य शिक्षक (Regular Teacher)

समन्वित शिक्षा प्रणाली में सामान्य शिक्षकों की भूमिका अहम होती है क्योंकि शिक्षण-अधिगम के दौरान एक शिक्षक दार्शनिक, मार्गदर्शक और मित्र की भूमिका निभाता है। वह न केवल वर्ग कक्ष प्रबंधक (Classroom Manager) होता है बल्कि बच्चों के व्यवहार सुधारने में एक व्यवहार प्रबंधक (Behaviour Manager) की भूमिका भी निभाता है। जिस तरह से कारखानों और औद्योगिक इकाईयों के प्रबंधकों की अकुशलता (Unskillfullness) से उक्त इकाईयों को भारी आर्थिक क्षति होती है उसी तरह शिक्षकों की अकुशलता से बच्चों को कई तरह की व्यवहारगत क्षतियाँ होती हैं। इसलिए एक शिक्षक को हर कौशल में निपुण होना जरूरी है तभी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को स्कूलों में समन्वित (Integrate) कर सकेंगे। शैक्षिक समन्वीकरण के लिए शिक्षक की कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निम्नलिखित हैं–

1. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के माता-पिता को कक्षा अवलोकन एवं कुछ अन्य शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए आमंत्रित करना।
2. एक नियत अंतराल पर बच्चे के अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उद्देश्यों की समीक्षा करना।
3. गम्भीर नि:शक्तताग्रस्त बच्चों एवं उनके माता-पिता से लगातार संपर्क बनाए रखना।
4. बच्चों के माता-पिता की व्यक्तिगत सीमाओं की जानकारी रखना।
5. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान कर, अभिभावकों को उपयुक्त सुझाव देना।
6. विशेष बच्चों को सामान्य बच्चों की तरह स्वीकारना।
7. नि:शक्त बच्चों की मानसिक परेशानियों को दूर करने का प्रयास करना।
8. बच्चों की आवश्यकताओं, रुचियों, अभिरुचियों और क्षमताओं को पहचानना।
9. सामान्य बच्चों को उनके पठन-पाठन में सहयोग देने के लिए प्रोत्साहित करना।
10. वर्ग-कक्ष प्रबंधक के दौरान विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की कठिनाइयों का ध्यान रखना।

नोट

11. बच्चों को बैठने, चलने, पढ़ने-लिखने, खेलने-कूदने एवं अन्य गतिविधियों को सीखने का अवसर प्रदान करना।
12. बच्चे के शिक्षण-अधिगम एवं विकास पर ध्यान केन्द्रित करना।
13. समस्याग्रस्त बालकों के प्रति सकारात्मक सोच रखना।
14. अपनी भावनाओं को पहचानना और उसका सामना करना।
15. अभिभावकों को आश्वासन देना लेकिन सत्यनिष्ठा से काम करना।
16. बच्चों के व्यक्तिगत एवं अधिगम संबंधी समस्याओं के समाधान में उनकी सहायता करना।
17. कमजोर बच्चों के लिए उपचारी शिक्षा (Remedial Teaching) सुविधा उपलब्ध कराना।
18. उनकी सीखने-संबंधी कठिनाइयों (Learning Disabilities) का पता लगाना तथा तदनुरूप उपचार करना।
19. इस बात का ध्यान रखना कि नि:शक्तता के कारण बच्चे की अधिगम-क्षमता बाधित न हो।
20. उनकी छोटी सफलता पर भी उन्हें शाबाशी देना तथा प्रोत्साहित करना।
21. ऐसे बच्चों के प्रति भावुक तथा संवेदनशील होना तथा यथावश्यक उनके अधिगम में विशेष/अतिरिक्त समय देना।
22. इस बात का ध्यान रखना कि इनका भावनात्मक संतुलन बना रहे तथा व्यवहार ठीक हो।
23. अभिभावकों को, इन बच्चों के भावनात्मक एवं संवेगात्मक विकास की ओर विशेष ध्यान देने का सुझाव देना।
24. ऐसे बच्चों की विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं, कमजोरियों तथा उपलब्धियों, से उनके माता-पिता/अभिभावकों को समय-समय पर अवगत कराते रहना।
25. विद्यालय में कराए गए क्रियाकलापों को घर में दुहराने हेतु माता-पिता को सुझाव देना।
26. नि:शक्त बच्चों के लिए पाठ्य-सामग्री बनाने, उन्हें कार्यान्वित करने, उनका मूल्याँकन करने तथा समर्थन देने में दक्ष होना।
27. उपयुक्त शिक्षण/प्रशिक्षण संसाधनों की व्यवस्था करना यथासंभव मूर्त वस्तुओं का उपयोग करना।
28. कक्षा-प्रबंधन इस प्रकार करना कि सीखने के लिए दी जानेवाली सामग्री का बच्चा भरपूर उपयोग कर सके।
29. बच्चों को छोटे समूहों में बाँट कर कार्य कराना तथा सूचनाओं को छोटी इकाइयों में बाँटना इन बच्चों को अपना कार्य पूरा करने हेतु अतिरिक्त समय देना।
30. यह पता करना कि बच्चे किस विधि से अधिक सीखते हैं तथा उन्हें उपयोग में लाना।
31. बच्चों को प्रोत्साहन देना और उन्हें स्पष्ट रूप से बताना कि उन्होंने क्या पूरा कर लिया है तथा किन सुधारों की आवश्यकता है।
32. उनके अन्य गुणों की सराहना करना एवं आगे बढ़ने तथा कुछ कर दिखाने के अवसर उपलब्ध कराना।
33. सतत एवं व्यापक मूल्याँकन प्रक्रिया को अपनाना।
34. यह विश्वास बनाए रखना कि प्रत्एक बच्चा सीख सकता है, इसलिए उन्हें सीखने तथा सफल होने हेतु उपयुक्त अवसर उपलब्ध कराना।
35. सभी क्रियाकलापों में इन बच्चों को शामिल करने का प्रयास करना।
36. इस बात का ध्यान रखना कि इन बच्चों के सीखने का स्तर सामान्य बच्चों के समान हो जाय। संभव हो तो विशेष शिक्षकों/संसाधन शिक्षकों की मदद लेना।
37. नि:शक्त बच्चों से संबंधित सुविधाओं, अधिकारों, साहाय्य एवं उपकरणों तथा संबंधित संस्थाओं की जानकारी रखना।
38. नि:शक्त बच्चों के लिए कार्य कर रही संस्थाओं से संपर्क रखना तथा उनसे अपेक्षित सहयोग प्राप्त करना।
39. नि:शक्तता से संबंधित निम्न प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त करने हेतु सदा उद्यत रहना।

नोट

27.7.5 परामर्शदाता (Counsellors)

प्रत्एक समन्वित विद्यालय में एक परामर्शदाता का होना जरूरी होता है। परामर्शदाता अमूमन मनोविज्ञान एवं परामर्श मनोविज्ञान (Counselling Psychology) के ज्ञाता होते हैं। इन दोनों क्षेत्रों में वे प्रशिक्षित एवं अनुभवी भी होते हैं।

परामर्शदाता के कार्य (Functions of

1. विकलांक बच्चे के स्कूल और परिवार के वातावरण की पूर्ण जानकारी रखना।
2. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का विशेष ख्याल रखना।
3. ऐसे बच्चों की मनोवैज्ञानिक जाँच करना।
4. बच्चों की रुचियों, अभिरुचियों तथा योग्यताओं का वस्तुनिष्ठ मापन करना।
5. बच्चों को व्यावसायिक सूचनाएँ उपलब्ध कराना।
6. बच्चों को स्वयं को समझने में सहायता प्रदान करना।
7. भविष्य के लिए योजनाओं के निर्माण में बच्चों की सहायता करना।
8. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अभिभवकों के संपर्क में रहना।
9. सामान्य शिक्षकों को उपचारात्मक परामर्श देना।
10. परिवार, समाज और स्कूल के बीच सौहार्द्रपूर्ण संबंध कायम रखना।
11. विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों से संबंधित सूचना एकत्र कर इसे बच्चों के सामने परोसना।
12. शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को परामर्श सेवा के बारे में जानकारी देना।
13. परामर्श सेवाओं का मूल्याँकन करना।
14. व्यक्ति-इतिहास का अध्ययन करना।
15. बच्चों के सामूहिक समायोजन के लिए सामूहिक निर्देशन सुविधा उपलब्ध कराना।
16. सांवेगिक समस्याग्रस्त बालकों को विशेषज्ञों के पास भेजना।
17. विद्यालय की विभिन्न समितियों में रुचि लेना।
18. स्कूली कार्यक्रम में सुधार लाना।
19. बच्चों को मूल्याँकन के तौर-तरीकों से अवगत कराना।
20. बच्चों में आत्मनिर्देशित प्रगति करने के लिए उन्हें सहायता देना।
21. स्कूल के बाहर उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाना।

27.7.6 समन्वय समूह की भूमिका (Role of Peer Group)

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्यधारा में लाने के लिए समन्वय समूह की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। समन्वय समूह के सदस्य उनके लिए सहायकों के रूप में कार्य करते हैं। इसका दोहरा लाभ है– इससे उनमें विशेष समस्या वाले व्यक्तियों के प्रति एक सकारात्मक रवैए का विकास करने में मदद मिलती है, और उपयुक्त आचरणों को करने हेतु प्रोत्साहन प्राप्त होता है। जिन तरीकों में समन्वय समूह किसी समस्या वाले बच्चे को मुख्यधारा में लाने में सहायक हो सकते हैं, वे निम्नलिखित हैं–

1. किसी एकांत संबंधी समस्याओं से प्रभावित बच्चे को प्रतिदिन सुरक्षित स्थान के क्षेत्र खोजने में सहायता प्रदान करना।
2. किसी बेचैन बच्चे को हाथ में कैंची पकड़ाकर या गोंद दे कर उसकी अपने सामानों को व्यवस्थित करने में सहायता प्रदान करना।

नोट

3. निर्बल समायोजन वाले (Poor Coordination) किसी बच्चे को खेल के मैदान में झूले पर बैठा कर उसको सहायता प्रदान करना।
4. बस पर जाते समय, किसी सापेक्ष (Spatial Related Problems) समस्याओं से प्रभावित बच्चे को हाथ पकड़ का मदद पहुँचाना।
5. जिस बच्चे का ध्यान विचलित रहता हो उसे यह बताकर सावधान करना कि अब खेल के मैदान पर जाने का समय है।
6. शिक्षक द्वारा दिए गए मौखिक रूप के निर्देशों को बच्चे के लिए दोहराना।
7. जिस बच्चे को निर्देशों का पालन करने में कठिनाई होती हो उसे कार्य विधि का प्रदर्शन समझाना।
8. एक दूसरे के प्रति स्नेहपूर्ण व्यवहार करना।
9. साथ-साथ विद्यालय जाना।
10. कक्षा में एक साथ बैठना।
11. सामान्य गतिविधियों में विकलांग बच्चों की मदद करना।
12. शिक्षण-अधिगम एवं पाठेतर गतिविधियों में इन बच्चों को सहयोग देना।

प्राय: मॉडल सहायकों का उपयोग करते रहना चाहिए, और विकलांग बच्चों को उन क्षेत्रों में शामिल करें, जिनमें वे उत्कृष्ट हों। इस प्रकार सब बच्चे यह सीख जाएँगे कि उनमें से प्रत्एक की सबलताओं एवं दुर्बलताओं के क्षेत्र हैं। वे यह भी सीखेंगे कि सहायता प्राप्त करने का मतलब यह नहीं होता है कि वे असफल हैं या दूसरों से कम योग्य हैं। कक्षा में समन्वय समूह का कोई सामान्य बच्चा (Normal Child) अगर जिम्मेदारीपूर्वक अधिगम अक्षमता वाले बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी लेने में दिलचस्पी दिखाए तो उसे ऐसा करने देना चाहिए बशर्ते कि पूरी प्रक्रिया के दौरान शिक्षक की भूमिका गौण न हो जाए।

27.7.7 परिवार की भूमिका (Role of Family)

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समेकित शिक्षा (Integrated Education) में शामिल करने में उक्त बच्चे के परिवार और खासकर माता-पिता की भूमिका अहम होती है क्योंकि माता-पिता/अभिभावक बच्चों के प्रथम शिक्षक होते हैं। उनको अपने बच्चों की आवश्यकताओं, अक्षमताओं एवं सीमाओं के बारे में अधिक जानकारी होती है। वे अपने बच्चों के समस्याओं के समाधान में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसलिए समेकित शिक्षण पद्धति में माता-पिता अथवा परिवार निम्नलिखित भूमिका निभा सकते हैं—

1. समेकित शिक्षा के लिए अपने बच्चे को तैयार करना।
2. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विविध सामाजिक गतिविधियों में सहभागी बनाना।
3. बच्चों में असामान्य गतिविधियाँ दिखाई देने पड़ने पर पुनर्वास विशेषज्ञ, विशिष्ट शिक्षक चिकित्सक अथवा संसाधन शिक्षक से संपर्क करना।
4. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विद्यालय पहुँचाना एवं स्कूली गतिविधियों में उनकी भरपूर भागीदारी सुनिश्चित करना।
5. बच्चे के औपचारिक मूल्याँकन, निदान एवं विशेष सेवाओं के चयन एवं उसकी व्यवस्था से संबंधित निर्णयों में भाग लेना।
6. बच्चे की प्रगति के बारे में लिए जाने वाले किसी भी निर्णय में भागीदार बनना।
7. बच्चे के लिए वैयक्तिक शिक्षण का प्रबंधन करना।
8. भाषाई कौशल, प्रेरक कौशल, सामाजिकता के कौशल तथा स्वयं सहायता जैसे कौशल क्षेत्रों को समझना।
9. बच्चों में आत्मविश्वास पैदा करना।

नोट

10. विकलांग बच्चों के साथ स्नेहपूर्वक बातें करना।
11. बच्चों की गतिविधियों में सहयोग देना ताकि वे रचनात्मक गतिविधियों में संलग्न रहे।
12. बच्चों की कमियों का पता लगाकर उनको दूर करने की कोशिश करना।
13. बच्चों को उनकी आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों से रू-ब-रू कराना।
14. बच्चों के पालन-पोषण में कोई कसर नहीं छोड़ना।
15. उन्हें आवश्यक सहाय उपकरण उपलब्ध कराना।
16. अच्छे कार्यों के लिए बच्चों की प्रशंसा करना।
17. दिनचर्या के कार्यों में बच्चों से सहयोग लेना।
18. जिम्मेवारियों के प्रति उन्हें सजग करना।
19. घर, विद्यालय तथा समुदाय में सहयोग एवं समन्वयपूर्वक रहने का प्रशिक्षण देना।
20. बच्चे को आत्मनिर्भर बनने हेतु यथासंभव सहायता प्रदान करना।

स्व-मूल्यॉंकन (Self Assessment)

रिक्त स्थानों की पूर्ति करें (Fill in the Blanks)—

1. 86वें संविधान संशोधन (2002) के तहत सभी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा .... बना दी गई।
2. अनुच्छेद 21 (क) में कहा गया है कि सभी बच्चों को .... प्रदान की जाए।
3. समन्वित शिक्षा की परिधि में आने वाले विद्यालयों में संसाधन कक्ष का क्षेत्रफल .... होना चाहिए।
4. परामर्शदाता अमूमन मनोविज्ञान एवं .... के ज्ञाता होते हैं।
5. मनोचिकित्सक किसी प्रकार के .... की सलाह प्रदान करने में सक्षम होते हैं।

27.7.8 समुदाय की भूमिका (Role of Community)

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्यधारा के स्कूलों में समन्वय (Integrate) करने में समुदाय (Community) भी अहम भूमिका निभाती है। ए भूमिकाएँ हैं–

1. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भावनात्मक जुड़ाव।
2. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकताओं की समझ।
3. अभिभावकों को विकलांग बच्चों के प्रति संवेदनशील (Sensitive) बनाना।
4. अभिभावकों को शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक बनाना।
5. स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों (Out of School Children) को स्कूल में नामांकन हेतु अभिभावकों को प्रोत्साहित करना।
6. समन्वय-समूह (Peer Group) को विकलांग बच्चों के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करने के लिए प्रेरित करना।
7. जरूरत पड़ने पर शिक्षकों की सहायता करना।
8. पंचायत स्तर पर नि:शक्त बालकों को मिलने वाली सुविधाओं को हासिल करने में उनकी सहायता करना।
9. पंचायत स्तर पर बनने वाली कार्यान्वयन योजनाओं में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा तथा पुनर्वास का ध्यान रखना।
10. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप सहायता के लिए विशेष क्षेत्रों की पहचान करना एवं उनके अनुसार व्यवस्था करना।

नोट

27.8 सारांश (Summary)

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की कुछ विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताएँ होती हैं। उन शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पहले उन्हें विशेष विद्यालयों में दाखिल किया जाता रहा है। कालांतर में ऐसा महसूस किया जाने लगा कि विशेष विद्यालय असमर्थ बच्चों के लिए लाभदायक साबित नहीं हो पा रहे हैं जिससे वे समाज से कटे-कटे रहते हैं। उन बच्चों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए शैक्षिक हस्तक्षेप की जरूरत महसूस की जाने लगी। सत्तर के दशक में इन बच्चों का समन्वीकरण (Integration) सामान्य विद्यालयों में की जाने लगी। लिहाजा समन्वित विद्यालय की अवधारणा विकसित हुई। सरकारी तौर पर इन समन्वित विद्यालयों में संसाधन कक्ष, संसाधन शिक्षक, अन्य विशेषज्ञ, परामर्शदाताओं आदि की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई और सभी की भूमिकाएँ तय कर दी गईं ताकि सभी विकलांग बच्चे मुख्यधारा में शामिल हो सकें। माता-पिता, अभिभावक, समुदाय, समन्वय तथा शिक्षकों की धनात्मक भूमिकाएँ असमर्थ बच्चों के समुचित एवं अपेक्षित विकास में 'लक्ष्मण बूटी' का कार्य कर रही है।

27.9 शब्दकोश (Keywords)

- **लाज़मी–** अपरिहार्य।
- **अमूमन–** आम तौर पर, प्रायः, अकसर।
- **लिहाज़ा–** इसलिए, अतः।
- **चश्माफ़रोश–** चश्मा बेचने वाला।

27.10 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

1. विशिष्ट बालकों को मुख्यधारा में शामिल करने की अवधारणा समझाइए।
2. विशिष्ट बालकों को मुख्यधारा में शामिल करने की रणनीतिक की प्रक्रिया का विवेचन कीजिए।
3. विशिष्ट बालकों को मुख्यधारा में शामिल करने के लाभ समझाइए।
4. विशिष्ट बालकों को मुख्यधारा में शामिल करने हेतु समन्वित विद्यालय एवं सहायक सेवाओं का विस्तार से वर्णन करें।

उत्तर : स्व-मूल्याँकन (Answer: Self Assessment)

1. अनिवार्य
2. नि:शुल्क एवं समुचित शिक्षा
3. 150 वर्ग फुट
4. परामर्श मनोविज्ञान
5. औषधीकरण।

27.11 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

पुस्तकें

1. *शारीरिक रूप से विकलांग बालक*– योगेन्द्र कुमार शर्मा, कनिष्क पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
2. *विशिष्ट बालक: शिक्षा एवं पुनर्वास*– महेश भार्गव, एच. पी. भार्गव बुक हाउस, आगरा।
3. *विशिष्ट बालक*– आभारानी बिष्ट, अग्रवाल प्रकाशन, आगरा।
4. *विशिष्ट शिक्षा का प्रारूप*– डॉ. आर. लाल. शर्मा, आर. लाल. बुक डिपो, आगरा।

नोट

इकाई–28: विशिष्ट शिक्षा के शीर्ष निकायः भारतीय पुनर्वास परिषद्, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान (Apex Bodies on Special Educaton: RCI, NIMH)

अनुक्रमणिका (Contents)

उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तावना (Introduction)

28.1 विशिष्ट शिक्षा के शीर्ष निकायः भारतीय पुनर्वास परिषद् (Apex Bodies on Special Education: Rehabilatation Council of India)

28.2 विशिष्ट शिक्षा के शीर्ष निकायः राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान (National Institute for the Mentally Handicapped (NIHM))

28.3 सारांश (Summary)

28.4 शब्दकोश (Keyworods)

28.5 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

28.6 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

उद्देश्य (Objectives)

विद्यार्थी इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् सक्षम होंगे–

- भारतीय पुनर्वास परिषद् तथा उसके कार्यों से परिचित होंगे।
- राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान तथा उसकी भूमिका से परिचित होंगे।

प्रस्तावना (Introduction)

सहिसिाहाहिकिसहय

28.1 विशिष्ट शिक्षा के शीर्ष निकायः भारतीय पुनर्वास परिषद (Apex Bodies on Special Education: Rehabilatation Council of India)

भारत सरकार ने 1986 में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1986 के अतंर्गत भारतीय पुनर्वास परिषद् की स्थापना एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में की। तत्पश्चात् इसे दिनांक 31 जुलाई, 1993 से प्रभावी भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनयम के अंतर्गत एक सांविधानिक निकाय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है। यह नई दिल्ली में स्थित है।

परिषद् के उद्देश्य

1. विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्रों में प्रशिक्षण नीतियों और कार्यक्रमों को विनियमित करना।

नोट

2. विकलांग व्यक्तियों से संबंधित व्यावसायिक/कार्मिकों की विभिन्न श्रेणियों के शिक्षण और प्रशिक्षण के न्यूनतम मानक निर्धारित करना।
3. विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्य कर रहे व्यवसायियों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में मानकीकरण लाना।
4. देश में सभी संस्थाओं में समान रूप से इन मानकों को विनियमित करना।
5. नि:शक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में स्नातकोत्तर डिग्री/स्नातक डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा/प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम चलाने वाली संस्थाओं/विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करना।
6. विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं द्वारा डिग्रियों/डिप्लोमा/प्रमाणपत्रों को पारस्परिक आधार पर मान्यता प्रदान करना।
7. मान्यता प्राप्त पुनर्वास योग्यता रखने वाले व्यावसायिकों/कार्मिकों के केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्टर का रख-रखाव करना।
8. भारत और विदेश में कार्यरत संगठनों के सहयोग के द्वारा पुनर्वास के क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण के संबंध में नियमित आधार पर सूचना एकत्र करना।
9. देश और विदेश में कार्यरत संगठनों के सहयोग के द्वारा पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अनुवर्ती शिक्षा को प्रोत्साहित करना।
10. व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों को जनशक्ति विकास केन्द्रों के रूप में मान्यता देना।
11. व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों में कार्यरत व्यावसायिक अनुदेशकों और अन्य कार्मियों को पंजीकृत करना।
12. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय संस्थाओं और शीर्ष संस्थानों में कार्यरत कर्मिकों को पंजीकृत करना।

टास्क राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान की स्थापना कब हुई?

राष्ट्रीय शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् (National Council of Educational Research & Training— NCERT)

भारत सरकार द्वारा सितम्बर 1961 में स्थापित राष्ट्रीय शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् (एन. सी. ई. आर. टी.) स्कूली शिक्षा के अकादमिक मुद्दों शोध एवं प्रशिक्षण की नीति तैयार करने वाली देश की सर्वोच्च संसाधन संस्थान है। यह आकदमिक मसले पर केन्द्र और राज्य सरकार को सलाह एवं सहायता प्रदान करती है। इसके मुख्य कार्य हैं:

1. शिक्षा नीति के निर्माण पर क्रियान्वयन में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सहायता पहुँचाना।
2. शैक्षिक अध्ययन अनुसंधान, प्रयोग, पॉयलट-प्रोजेक्ट, सर्वे एडवांस ट्रेनिंग एवं विस्तार सेवा (extension services) का आयोजन करना।
3. केन्द्र और राज्यों के शिक्षा विभागों के बीच समन्वय कायम करना।
4. उन्नत स्तरीय सेवा-पूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण का संचालन करना।
5. उन्नत शैक्षिक तकनीकों के बेहतर इस्तेमाल के लिए शिक्षित करना
6. पुस्तकों, शोध जर्नलों एवं अन्य शैक्षिक साहित्यों का प्रकाशन करना।

सामान्य शिक्षा तंत्र को करने के लिए एन. सी. ई. आर. टी. ने वर्ष 1987 में यूनीसेफ की सहायता से प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसएबल्ड (Project Integrated Education for Disabled) परियोजना लागू की। यह परियोजना विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा (Integrated Education for Disabled Children) के क्रियान्वयन प्रक्रिया को सशक्त बनाने के लिए डिजाईन किया गया था। इस योजना के तहत सामान्य स्कूलों में विभिन्न क्षमता

नोट

वाले बच्चों (Differently Abled Children) के अधिकाधिक नामांकन और ठहराव पर विशेष बल दिया गया। प्रत्येक परियोजना क्षेत्रों को एक संकुल (Cluster) का दर्जा दिया गया और परियोजना क्षेत्र के सभी स्कूलों में नि:शक्त बच्चों के नामांकन सुनिश्चित करने को कहा गया। संबंधित क्षेत्र स्थित स्कूली शिक्षकों को त्रिस्तरीय प्रशिक्षण दिया गया। प्रथम चरण में परियोजना क्षेत्र के सभी प्राथमिक शिक्षकों को एक सप्ताह का प्रशिक्षण दिया गया। दूसरे चरण में नि:शक्त बच्चों की देख-रेख और शिक्षण के लिए छः सप्ताह का सघन प्रशिक्षण दिया गया। वहीं तीसरे चरण में एन. सी. ई. आर. टी. के अधीन संचालित कॉलेजों के माध्यम से शिक्षकों को एक वर्ष की प्रशिक्षण सुविधा मुहैया करायी गयी।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

सही विकल्प चुनिए (Choost the Correct Options)

1. समानता की अवधारणा में बाधित बालकों के अधिकार भी सम्मिलित हैं जिसे अमेरिका में कानूनी रूप से लाया गया सन्-

   (क) 1949 में (ख) 1975 में

   (ग) 1882 में

2. भारतीय पुनर्वास परिषद् कानून बनाया गया-

   (क) सन् 1912 में (ख) सन् 1925 में

   (ग) 1992 में

3. राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान (NIMH) की स्थापना वर्ष है-

   (क) सन् 1962 में (ख) सन् 1984 में

   (ग) सन् 1986 में

4. राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है-

   (क) आंध्र प्रदेश में (ख) उत्तर प्रदेश में

   (ग) दिल्ली में

28.2 विशिष्ट शिक्षा के शीर्ष निकाय: राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान (National Institute for the Mentally Handicapped (NIHM))

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। यह वर्ष 1984 में एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित हुआ। यह आन्ध्र प्रदेश के सिकन्दराबाद शहर में स्थित है।

संस्थान के उद्देश्य– मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों की देखभाल और पुनर्वास के लिए उपयुक्त मॉडलों का विकास करना जो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल हों।

मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों को सेवाएँ प्रदान करने के लिए जनशक्ति का विकास करना।

मानसिक मन्दता के क्षेत्र में अनुसंधान की पहचान, संचालन एवं समन्वय करना।

मानसिक विकलांगता के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों को परामर्श सेवाएँ प्रदान करना और आवश्यक होने पर उनकी सहायता करना।

मानसिक मन्दता के क्षेत्र में प्रलेखन एवं सूचना केन्द्र के रूप में कार्य करना।

देश भर में मानसिक मन्दता के परिमाण, कारणों, ग्रामीण-शहरी, सामाजिक आर्थिक कारणों आदि का निवारण करने के लिए संबंधित आँकड़े प्राप्त करना।

नोट

देश भर में मानसिक मन्दता से पीड़ित व्यक्तियों के लिए विभिन्न प्रकार की गुणवत्ता सेवाओं के विकास को बढ़ावा देना और उन्हें उत्प्रेरित करना।

28.3 सारांश (Summary)

- **भारतीय पुनर्वास परिषद्**—भारत सरकार ने 1986 में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1986 के अतंर्गत भारतीय पुनर्वास परिषद् की स्थापना एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में की। तत्पश्चात् इसे दिनांक 31 जुलाई, 1993 से प्रभावी भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनयम के अंतर्गत एक सांविधानिक निकाय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है। यह नई दिल्ली में स्थित है।
- **राष्ट्रीय शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण परिषद**—भारत सरकार द्वारा सितम्बर 1961 में स्थापित राष्ट्रीय शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् (एन. सी. ई. आर. टी.) स्कूली शिक्षा के अकादमिक मुद्दों शोध एवं प्रशिक्षण की नीति तैयार करने वाली देश की सर्वोच्च संसाधन संस्थान है। यह आकदमिक मसले पर केन्द्र और राज्य सरकार को सलाह एवं सहायता प्रदान करती है।
- **राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान**—राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। यह वर्ष 1984 में एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित हुआ। यह आन्ध्र प्रदेश के सिकन्दराबाद शहर में स्थित है।

28.4 शब्दकोश (Keywords)

- **निकाय**—समुदाय, निवास स्थान, समूह, झंडु
- **पुनर्वास**—फिर से बसाना
- **अनुवर्ती**—बाद में आनेवाला, अनुसरण करने वाला, आज्ञाकारी

28.5 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

1. भारतीय पुनर्वास परिषद् के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए।
2. राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान का परिचय दीजिए तथा उसके उद्देश्य समझाइए।

उत्तर : स्व-मूल्यांकन (Answer: Self Assessment)

1. (ख) 2. (ग) 3. (ख) 4. (क)।

28.6 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

पुस्तकें

1. *विशिष्ट शिक्षा*– कुमार संजीव, जानकी प्रकाशन, पटना।
2. *विशिष्ट बालक*– एल. बी. बाजपेयी, अमिता बाजपेयी, भारत बुक सेंटर, नई दिल्ली।
3. *विशिष्ट बालक: शिक्षा एवं पुनर्वास*– महेश भार्गव, एच. पी. भार्गव बुक हाउस, आगरा।
4. *विशिष्ट शिक्षा का प्रारूप*– डॉ. आर. लाल. शर्मा, आर. लाल. बुक डिपो, आगरा।

नोट

इकाई–29: विशिष्ट शिक्षा के शीर्ष निकाय: राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान (Apex Bodies on Special Educaton: NIVH, NIOH)

अनुक्रमणिका (Contents)

उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तावना (Introduction)

29.1 विकलांगों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय संस्थान (National Institution of desabled welfare)

29.2 राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान (National Institute for the Visually Handicaped-NIVH)

29.3 राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान (National Institute for the orthopedically Handicapped NIOH)

29.4 सारांश (Summary)

29.5 शब्दकोश (Keyworods)

29.6 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

29.7 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

उद्देश्य (Objectives)

विद्यार्थी इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् सक्षम होंगे–

- राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान के उद्देश्यों से परिचित होंगे।
- राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान के उद्देश्यों से परिचित होंगे।

प्रस्तावना (Introduction)

स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा से भारतीय संविधान (26 नवम्बर, 1949) की रचना हुई और शिक्षा को इंसान की बुनियादी जरूरत समझा गया। इसलिए आम जन की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार और बदलाव के लिए शिक्षा को भी एक अहम पहलू माना गया। अनुच्छेद 29 (1) में कहा गया कि-"कोई भी नागरिक धर्म, मूल, जाति और भाषायी आधार पर राज्य निधि से सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानो में नामांकन से वंचित नहीं हो सकता।"

No citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the state or receiving aid out of the state funds on grounds only on religion. race, caste, language or any of them'' Article 29 (1)।

इस तरह 1921 से 1976 तक शिक्षा राज्य सूची (State List) का अंग रह। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के जरिए यह समवर्ती सूची (Concurrent List) में स्थानांतरित कर दिया गया। मूल भारतीय संविधान के भाग 4 ने 'राज्य के

नीति-निर्देशक तत्त्व' (Directive Principles of States Policy) के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया कि "राज्य इस संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को चौदह वर्ष की आयु पूरा करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए प्रयास करेगा।"

29.1 विकलांगों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय संस्थान (National Institution of desabled welfare)

निःशक्त व्यक्तियों को समावेशन (Inclusion) की बजाए बहिष्करण (Exclusion) का सामना करना पड़ता रहा है। इसी के मद्देनजर केन्द्र सरकार ने 25 सितम्बर, 1985 को कल्याण मंत्रालय का गठन किया। साथ ही निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण मामले को इस मंत्रालय की परिधि में लाया गया। कालांतर में निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण संबंधी नीति निर्माण के लिए नोडल एजेंसी के रूप मे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment) का गठन हुआ। वर्ष 1995 में निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम बनाया गया जो फरवरी 1996 से पूरे देश भर में लागू है। यह अधिनियम निःशक्त व्यक्तियों को शिक्षा, रोजगार और व्यावसायिक प्रशिक्षण, बाधारहित वातावरण, पुनर्वास सेवा, सांस्थानिक सेवाएँ (Institutional Services) और सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने को प्रतिबद्ध है। यह अधिनियम प्रत्येक निःशक्त बालक को अठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक उचित वातावरण में निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित करती है। शारीरिक, मानसिक और बहुविकलांगों के कल्याणार्थ देश भर में कई राष्ट्रीय संस्थान खोले गये। ये संस्थान हैं–

1. राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान;
2. राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान;
3. राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान;
4. राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान;
5. राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान;
6. राष्ट्रीय बहुविकलांगता संस्थान;
7. विकलांग जन संस्थान।

29.2 राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान (National Institute for the Visually Handicapped— NIVH)

राष्ट्रीय दृष्टिबाधिता संस्थान की स्थापना राष्ट्रीय दृष्टिहीन केन्द्र का उन्नयन करके जुलाई 1979 में की गई। इसे अक्टूबर 1982 में पंजीकृत किया गया था। इसने एक स्वायत्त निकाय का दर्जा अक्टूबर 1982 में प्राप्त किया। यह संस्थान देहरादून (उत्तर प्रदेश) में स्थित है।

संस्थान के उद्देश्य– दृष्टिबाधिता की शिक्षा और पुनर्वास के सभी पहलुओं में अनुसंधान करना, उसे प्रायोजित, समन्वित करना व आर्थिक सहायता प्रदान करना।

जैव-चिकित्सा इंजीनियरिंग में अनुसंधान करना, उसे प्रायोजित, समन्वित करना या आर्थिक सहायता प्रदान करना जिससे सहायक यंत्रों या उपयुक्त सर्जिकल या मेडिकल प्रक्रिया का प्रभावी मूल्यांकन या नए सहायक यंत्रों का विकास हो।

मूल्यांकन, दृष्टिबाधिता व्यक्तियों के प्रशिक्षण और पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षार्थियों और शिक्षकों, रोजगार अधिकारियों, मनोवैज्ञानिकों, व्यावसायिक परामर्शकों दाताओं और ऐसे अन्य कार्मिकों, जिन्हें संस्थान द्वारा आवश्यक समझा जाए, के प्रशिक्षण का आरंभ या उन्हें प्रायोजित करना।

प्रोटोटाइप्स के निर्माण को बढ़ावा देना और आर्थिक सहायता प्रदान करना तथा दृष्टिबाधितों की शिक्षा, पुनर्वास या थेरपी के किसी पहलू को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए गए किसी या सभी प्रकार के सहायक यंत्रों के वितरण का प्रबन्ध।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

दिए गए कथनो के सामने सही (✓) अथवा गलत (✗) का निशान लगाएँ—(State whether the followings statements are 'True' or 'False')

1. स्वतंत्रता पूर्व भी नि:शक्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ संबंधित मंत्रालय का गठन किया गया था।
2. 1995 में विकलांगों के लिए जो कानून बनाया गया वह 1996 से पूरे देश में लागू है।
3. राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान सन 1979 से एक स्वायत्र संस्था के रूप में कार्यरत् है।
4. 1995 नि:शक्तता अधिनियम प्रत्येक नि:शक्त बालक को अठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक उचित वातावरण में नि:शुल्क शिक्षा सुनिशिचत करता है।
5. राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान (NIOH) मुबई में स्थित है।

टास्क राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान (NIVH) कहाँ स्थित है?

29.3 राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान (National Institute for the Orthopaedically Hadicapped— NIOH)

राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान की स्थापना गत्यात्मकता, पेशी समन्वय तथा कार्य संचालन क्षमता को बाधित करने वाले विभिन्न विकलांगताओं से पीड़ित विकलांग व्यक्तियों, अस्थि विकलांग बच्चों तथ वयस्कों की शिक्षा, प्रशिक्षण एवं पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में की गई थी। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान को अप्रैल 1982 में एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में पजीकृत किया गया था। इसका मुख्यालय हुगली में स्थित है।

संस्था के उद्देश्य—अस्थि विकलांग जनसंख्या की सेवाएँ प्रदान करने के लिए जनशक्ति का विकास करना जैसे फिजियो थैरपिस्टों, व्यावसायिक थैरापिस्टों, आर्थोटिक एवं प्रोस्थेटिक टैक्निशियनों, रोजगार और स्थापना अधिकारियों, व्यावसायिक परामर्शदाताओं इत्यादि का प्रशिक्षण।

रेस्टोरेटिव सर्जरी, सहायक यंत्र एवं उपकरण व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि के क्षेत्रों में अस्थि, विकलांग जनसंख्या के लिए मॉडल सेवाओं का विकास करना।

अस्थि विकलांग लोगों को विशेष सेवाएँ प्रदान करना।

अस्थि विकलांग लोगों के संपूर्ण पुनर्वास से संबंधित सभी पहलुओं पर अनुसंधान संचालन एवं प्रयोजन करना।

अस्थि विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक यंत्रों एवं उपकरणों को मानकीकृत करना और उनके विनिर्माण और वितरण को बढ़ावा देना।

अस्थि विकलांगता के क्षेत्र में शीर्ष स्तरीय प्रलेखन एवं सूचना केन्द्र के रूप में कार्य करना।

अस्थि विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कार्यरत राज्य सरकारों और स्वैच्छिक संगठनों को परामर्श देना।

नोट

29.4 सारांश (Summary)

- स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा से भारतीय संविधान (26 नवम्बर, 1949) की रचना हुई और शिक्षा को इंसान की बुनियादी जरूरत समझा गया। इसलिए आम जन की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार और बदलाव के लिए शिक्षा को भी एक अहम पहलू माना गया। अनुच्छेद 29 (1) में कहा गया कि-"कोई भी नागरिक धर्म, मूल, जाति और भाषायी आधार पर राज्य निधि से सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानो में नामांकन से वंचित नहीं हो सकता।"
- **विकलांगों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय संस्थान–** नि:शक्त व्यक्तियों को समावेशन (Inclusion) की बजाए बहिष्करण (Exclusion) का सामना करना पड़ता रहा है। इसी के मद्देनजर केन्द्र सरकार ने 25 सितम्बर, 1985 को कल्याण मंत्रालय का गठन किया। साथ ही नि:शक्त व्यक्तियों के कल्याण मामले को इस मंत्रालय की परिधि में लाया गया। कालांतर में नि:शक्त व्यक्तियों के कल्याण संबंधी नीति निर्माण के लिए नोडल एजेंसी के रूप मे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का गठन हुआ। वर्ष 1995 में नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम बनाया गया जो फरवरी 1996 से पूरे देश भर में लागू है।
- **राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान–** राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान की स्थापना राष्ट्रीय दृष्टिहीन केन्द्र का उन्नयन करके जुलाई 1979 में की गई। इसे अक्टूबर 1982 में पंजीकृत किया गया था। इसने एक स्वायत्त निकाय का दर्जा अक्टूबर 1982 में प्राप्त किया। यह संस्थान देहरादून (उत्तर प्रदेश) में स्थित है।
- **राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान–**राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान की स्थापना गत्यात्मकता, पेशी समन्वय तथा कार्य संचालन क्षमता को बाधित करने वाले विभिन्न विकलांगताओं से पीड़ित विकलांग व्यक्तियों, अस्थि विकलांग बच्चों तथ वयस्कों की शिक्षा, प्रशिक्षण एवं पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में की गई थी। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान को अप्रैल 1982 में एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में पजीकृत किया गया था। इसका मुख्यालय हुगली में स्थित है।

29.5 शब्दकोश (Keywords)

- **नि:शक्त–** शारीरिक रूप से, अक्षम, विकलांग।
- **अस्थि विकलांगता–** हड्डियों से संबंधित विकलांगता।

29.6 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

1. राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान के लक्ष्यों का उल्लेख करें।
2. राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए।
3. भारत सरकार द्वारा नि:शक्तों के कल्याणार्थ स्थापित संस्थानों का विवरण दीजिए।

उत्तर : स्व-मूल्यांकन (Answer: Self Assessment)

1. (×) 2. (✓) 3. (×) 4. (✓) 5. (×)।

29.7 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

पुस्तकें

1. *विशिष्ट शिक्षा*– कुमार संजीव, जानकी प्रकाशन, पटना।
2. *विशिष्ट बालक: शिक्षा एवं पुनर्वास*– महेश भार्गव, एच. पी. भार्गव बुक हाउस, आगरा।
3. *विशिष्ट शिक्षा का प्रारूप*– डॉ. आर. लाल. शर्मा, आर. लाल. बुक डिपो, आगरा।

2.

नोट

इकाई–30: विशिष्ट बालकों का पुनर्वासः समाज की भूमिका सरकार की भूमिका (Rehabilitation of Exceptional Children: Role of Community, Role of Government)

अनुक्रमणिका (Contents)

उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तावना (Introduction)

30.1 विशिष्ट बालकों का पुनर्वासः सरकार की भूमिका (Rehabilitation of Exceptional Children: Role of Government)

30.2 विशिष्ट बालकों के सहायतार्थ समाज सेवी संस्थाओं का योगदान (Contribution of Social Institutions for Exceptional Children)

30.3 सारांश (Summary)

30.4 शब्दकोश (Keywords)

30.5 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

30.6 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

उद्देश्य (Objectives)

विद्यार्थी इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् सक्षम होंगे–

- विशिष्ट बालकों के पुनर्वास हेतु सरकार की योजनाओं से परिचित होंगे।
- विशिष्ट बालकों के पुनर्वास में समाजसेवी संस्थाओं की भूमिका से परिचित होंगे।

प्रस्तावना (Introduction)

प्राचीन काल से ही विकलांग अपने जीवन-यापन के लिए परिवारीजनों, समाज की दया या भिक्षा-वृत्ति पर आश्रित रहे हैं।, आज, जब हम विकलांग को एक सामान्य व्यक्ति व देश का स्वतन्त्र नागरिक मानते हैं तो हमारा कर्तव्य मात्र उसको शिक्षित करने अथवा शिक्षा ग्रहण करने में सहायता प्रदान करने से पूरा नहीं हो जाता। उनको स्वावलम्बी बनाने के लिए, उनको शिक्षित करने के साथ-साथ उनकी विकलांगता के स्वरूप, गम्भीरता, समायोजन क्षमता आदि को दृष्टिगत रखते हुए उपयुक्त व्यवसाय के चुनाव व प्रशिक्षण ग्रहण करने में सहायता देना भी अति आवश्यक है।

वर्तमान समय में विकलांगों के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण व विकलांगता 'प्रत्यक्ष' की व्याख्या का स्वरूप बदलने से विकलांगों की रोजगार की समस्याओं पर विशेष ध्यान व बल दिया जा रहा है। इस दृष्टिकोण से शारीरिक विकलांगता व्यक्ति को रोजगार विकलांग नहीं बनाती है। यह संभव है कि किसी विशेष शारीरिक अक्षमता के कारण किसी व्यवसाय विशेष के लिए उपयुक्त न हों किन्तु वही विकलांग व्यक्ति किसी ऐसे कार्य को जिसमें

नोट

उसकी अक्षमता बाधा नहीं बनती है, सामान्य व्यक्तियों से भी अधिक निपुणता व कुशलता से कार्य कर सकता है। उनके इस प्रकार के समायोजन के लिए दया की नहीं वरन् सहानुभूति व समुचित अवसरों को प्रदान करने की आवश्यकता होती है।

30.1 विशिष्ट बालकों का पुनर्वास: सरकार की भूमिका (Rehabilitation of Exceptional Children: Role of Government)

विकलांग व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना एक सामाजिक समस्या है। अनेक वर्षों से यह गलत धारणा बनी हुई थी कि विकलांगता का अर्थ असहाय होता है। इसीलिए उद्योग, व्यवसाय, व्यापार तथा नौकरियों से विकलांग व्यक्तियों को स्पर्धा के लिए कोई अवसर प्रदान नहीं किए जाते थे। जहाँ तक कि सुयोग्य शरीर होने पर भी उन्हें लाभप्रद रोजगार के योग्य नहीं माना जाता था। हममें से कुछ योग्य होते हुए भी कुछ नहीं कर पाते और उन्हें तब भी विकलांग की संज्ञा नहीं दी जाती जबकि विकलांग व्यक्ति उसकी अपेक्षा कुछ योग्यता रखता है अत: उसे उसकी योग्यता को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान किए जाने चाहिए।

भारत सरकार ने राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना में विकलांगों को कमजोर वर्ग (weaker section) का एक भाग माना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 तथा 46 में भी विकलांग व्यक्तियों के कल्याण पर जोर दिया गया है। इन्हीं सब विचारों को ध्यान में रखते हुए छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में सरकार ने विकलांगों के लिए 24.40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना में यह राशि पाँच गुना अधिक बढ़ा दी गई और विकलांगों के कल्याण के लिए 124 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। इसके पश्चात् आज विभिन्न प्रकार के विकलांगों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएँ एवं कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं जिन पर कई करोड़ रुपये की धनराशि व्यय करने की व्यवस्था की गई है।

नोट्स विकलांगों के कल्याण हेतु भारत सरकार ने सर्वप्रथम कदम उठाया कि उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विशेष रोजगार कार्यालयों की स्थापना की जो कि सभी राज्यों एवं प्रमुख नगरों में अब तक 22 हैं, इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकलांगों की सहायता के लिए भी 41 विशेष रोजगार कार्यालयों की स्थापना की।

विकलांगों के कल्याण की दिशा में दूसरा महत्वपूर्ण कदम भारत सरकार के श्रम एवं कल्याण मन्त्रालय (Ministry of Labour and Welfare) के अधीन उठाया गया। उन्होंने युवा विकलांगों (16 से 45 वर्ष तक) को व्यावसायिक एवं आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए सर्वप्रथम 1968 में मुम्बई तथा हैदराबाद में दो 'विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों' की स्थापना की। अब यह केन्द्र 17 हो गए हैं जिनमें से 6 केंद्रों– अहमदाबाद, बंगलौर, हैदराबाद, चेन्नई, मुम्बई तथा त्रिवेन्द्रम में कुशलता प्रशिक्षण कार्यशालाएँ हैं।

नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत विकलांग बालकों को सामान्य शिक्षा की मुख्य धारा (main stream) से जोड़ने के लिए एक योजना तैयार की गई है। प्रौढ़ विकलांग व्यक्तियों को एकीकृत शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने जामिया मिलिया इस्लामिया (नई दिल्ली), राम कृष्ण मिशन विद्यालय (कोयम्बटूर), बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (वाराणसी) तथा उत्कल विश्वविद्यालय (भुवनेश्वर) में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यालय चलाने के लिए कुछ केन्द्रों की स्थापना की योजना बनाई।

इन कार्यक्रमों को निश्चित करने में एन.सी.ई.आर.टी. (N.C.E.R.T.) तथा प्रदेशों में एस.सी.ई.आर.टी. (S.C.E.R.T.) सहायता प्रदान करती है। इसी क्रम में आज देश में विकलांगों की शिक्षा के क्षेत्र में शोध, प्रशिक्षण, मार्ग-दर्शन तथा अन्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार ने विकलांगों के प्रत्येक मुख्य वर्ग के लिए राष्ट्रीय संस्थान (National Institute) स्थापित किए हैं–

नोट

1. राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्थान, देहरादून, 1971
2. राष्ट्रीय अपंग विकलांग संस्थान, कोलकाता, 1984
3. अलीयावर राष्ट्रीय श्रवणहीन विकलांग संस्थान, मुम्बई, 1982
4. राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, हैदराबाद, 1984

व्यावसायिक पुनर्वास एवं रोजगार केन्द्रों की स्थापना (Establishment of Vocational Rehabilitation and Employment Centres)

भारत सरकार ने विकलांगों की अक्षमता व रोजगार समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए पिछले कुछ वर्षों में (अब तक) लगभग 100 विशिष्ट रोजगार सूचना एवं पंजीकरण केन्द्र (Special Employment Information and Registration Centres) स्थापित किए हैं। इसके अतिरिक्त विकलांगों को विशिष्ट रोजगार प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र (Vocational Rehabilitation Centres) भी खोले गए हैं जो कि शारीरिक विकलांगों की भौतिक,सामाजिक, मानसिक एवं व्यावसायिक आवश्यकताओं का मूल्यांकन करते हैं। भारत सरकार के श्रम एवं कल्याण मंत्रालय के रोजगार एवं पुनर्वास विभाग ने अब तक भारत के विभिन्न महानगरों व नगरों– मुंबई, हैदराबाद, नई दिल्ली, कानपुर, जबलपुर, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, लुधियाना, बंगलौर, त्रिवेन्द्रम, गोहाटी, जयपुर, भुवनेश्वर, अगरतल्ला में कुल 15 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना (प्रत्येक प्रदेश में एक केन्द्र के रूप में) की है। दो पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना केवल महिलाओं (women) के लिए बड़ौदा एवं पटना में की गई। इसके पते निम्न प्रकार से दिये गए हैं–

विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र (Vocational Rehabilitation Centres For Handicapped)

1. आई.टी.आई. कैम्पस, कुवेर नगर, अहमदाबाद– 382340 (गुजरात)
2. ए.टी.आई. कैम्पस, सिओन, मुम्बई– 400022 (महाराष्ट्र)
3. 22, होसुर रोड, बंगलौर (कर्नाटक)
4. 38, वदन राथी लेन, वेलियाघाटा, कोलकाता– 700 010 (पश्चिमी बंगाल)
5. आई.टी.आई.कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली– 110012
6. 4, एस.ए.जवाहर नगर, जयपुर– 302004 (राजस्थान)
7. नेपियर टाउन, जबलपुर– 482001 (मध्य प्रदेश)
8. ए.टी.आई. कैम्पस, विद्यानगर, हैदराबाद– 500008 (आन्ध्र प्रदेश)
9. ए.टी.आई. कैम्पस, उद्योग नगर, कानपुर– 208022 (उत्तर प्रदेश)
10. ए.टी.आई. कैम्पस, गिल रोड, लुधियाना– 143003 (पंजाब)
11. सी.टी.आई. कैम्पस, गिडी, चैन्नई– 600032 (तमिलनाडु)
12. रहेवारी, गुवाहाटी– 781008 (असम)
13. नालनचिरा, त्रिवेन्द्रम– 695015 (केरल)
14. एस.आई.आर.डी, कैम्पस, यूनिट VIII, भुवनेश्वर– 751012 (उड़ीसा)
15. द्वारा नियोजन निदेशालय, अगरतला (त्रिपुरा)
16. महिलाओं के लिए सब रीजनल रोजगार दफ्तर, कोठी बिल्डिंग, पहली मंजिल, बड़ौदा- 1 (गुजरात) तथा
17. द्वारा रोजगार कार्यालय, पटना (बिहार)

व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र के उद्देश्य

व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों (बी. आर. सी.) को स्थापित करने के उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

(*i*) विकलांगों का व्यावसायिक दृष्टि से मूल्यांकन करना व उन्हें समायोजन क्षमता प्रदान करना।

(*ii*) व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र पर आए व्यक्तियों की चिकित्सकीय, सामाजिक, रोजगार संबन्धी मनोविज्ञान संबन्धी

नोट

आवश्यकताओं को ज्ञात करना व उनको उन आवश्यकताओं को पूरा कर सकने वाले अस्पताल, सामाजिक संस्थाओं, रोजगार केन्द्रों व मनोवैज्ञानिकों आदि के विषय में सूचना व सलाह प्रदान करना।

(*iii*) विकलांग को अपनी आवश्यकता के अनुसार पुनर्वास योजना बनाने में सहायता करना।

(*iv*) विकलांगता की प्रकृति के आधार पर स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा परीक्षणों (open competitive examinations) के विषय में सूचना देना।

(*v*) रोजगार केन्द्रों को विकलांगों को व्यवसाय देने वाली संस्थाओं से जोड़ना।

(*vi*) पुनर्वास सेवाओं को प्रोत्साहन एवं बढ़ावा देना तथा समुदायों में पुनर्वास योजनाओं के प्रति अनुकूल अभिवृत्ति का विकास करना।

(*vii*) वयस्क विकलांगों का मनोवैज्ञानिक, शारीरिक एवं व्यावसायिक मूल्यांकन के उपरान्त उनके पुनर्वास हेतु नौकरी, प्रशिक्षण, रोजगार तथा शारीरिक पुनर्वास की क्रिया में सहयोग पहुँचाना।

क्या आप जानते हैं प्रत्येक वर्ष मार्च के तीसरे रविवार को विश्व के अनेक राष्ट्रों में विकलांगता दिवस मनाया जाता है।

पुनर्वास केन्द्रों के कार्य तथा क्रिया-कलाप (Functions and Activities of vocational Rehabilitation Centres)

व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों के कार्य तथा क्रिया-कलाप निम्न हैं–

(*i*) विकलांग व्यक्तियों की योग्यता, रुचि, अभिरुचि, अभिवृत्ति, शारीरिक क्षमता, व्यक्तित्व व समायोजन के स्तर को ध्यान में रखते हुए उनका पाँच विभिन्न व्यावसायिक इकाइयों– लेखाकार्य (electrical job)/वाणिज्य (commerce)/ड्राइंग व पेंटिंग, कटिंग-टेलरिंग, रेडियो/टी. वी., मानसिक, लकड़ी काकाम (carpentry)– में मूल्यांकन करना। इसके आधार पर प्रत्येक इकाई के व्यावसायिक प्रशिक्षण व निर्देशक विकलांगों को उनकी स्वयं की व्यावसायिक-संभावनाओं व कौशल-क्षमताओं के विषय में जानकारी देना।

(*ii*) विकलांग व्यक्तियों को क्रमबद्ध निर्देशन व कार्यशाला प्रशिक्षण देना।

(*iii*) प्रत्येक विकलांग (बी. आर. सी. पर आने वाले) की व्यक्तिगत रूप से सफलता, समायोजन व भविष्य की अन्तिम व्यावसायिक योजना पर विचार-विमर्श करना व फॉलो अप देना।

(*iv*) केन्द्र पर आने वाले विकलांगों के लिए उपयुक्त व्यवसाय के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना व सरकार से छात्रवृत्ति दिलवाना।

(*v*) गम्भीर रूप से विकलांग लोगों के लिए 'विकलांग पुनर्वास समिति' के द्वारा अकुशल (unskilled) प्रकार के कार्यों की व्यवस्था करना।

(*vi*) विकलांगों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण परिवर्तित करने के लिए प्रचार करना व विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से सामंजस्य (co-ordiation) रखना।

(*vii*) चिकित्सा विशेषज्ञों के द्वारा इन विकलांगों का समय-समय पर परीक्षण करवाना व उपचारात्मक सामग्री प्रदान करना।

(*viii*) विकलांगों को विशेष सहायता सामग्री प्रदान करना।

(*ix*) अभिभावकों व माता-पिता से मिलते रहना व समय-समय पर उनके विषय में जानकारी लेते व देते रहना।

विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, 1981 (International Year of Physically Handicapped)

यद्यपि विश्व में विकलांगों की समस्याएँ उतनी ही पुरानी हैं जितनी कि इस विश्व में विकलांगों की उपस्थिति; तथापि इनको समझने व इनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए सामूहिक प्रयास का सदा ही अभाव रहा है। जो भी

नोट

प्रयास किए गए वे अधिकांशत: व्यक्तिगत प्रकार के थे।

20वीं शताब्दी से विकलांग वर्ग की समस्याओं को सुलझाने तथा उनके प्रति विश्व, राष्ट्र एवं समाज के कर्तव्यों को पूरा करने के उद्देश्य से अनेक देशों में विभिन्न योजनाएँ प्रारम्भ की गईं। इन योजनाओं के द्वारा विकलांगों की अक्षमताओं को दूर करने व उन्हें प्रतिस्थापित करने के लिए प्रयास किए गए तथा उनके शिक्षण एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था करने के लिए पुनर्वास केन्द्र खोले गए। इन्हीं प्रयासों के क्रम में, विकलांगों की आवश्यकताओं एवं समस्याओं की गहनता एवं विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए यूनेस्को (UNESCO) ने वर्ष 1981 को विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया।

भारत में अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग जनवरी 5 वर्ष को औपचारिक रूप से तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय (श्रीमती) इन्दिरा गाँधी द्वारा प्रारम्भ किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए श्रीमती गाँधी ने जनता से विकलांग 'बहादुरों' के पुनर्वास के लिए सार्वजनिक और निजी माध्यमों द्वारा भी संभव सहायता करने की अपील की तथा भारत सरकार द्वारा इस दिशा में किए जाने वाले प्रयासों पर प्रकाश डाला।

विश्व विकलांगता दिवस

विकलांगों की बहुमुखी समस्याओं एवं आवश्यकताओं के प्रति समस्त विश्व में चेतना लाने के उद्देश्य से 20 सितम्बर, 1959 को ज्यूरिक संमेलन में 'विश्व विकलांग दिवस' प्रारम्भ किया गया। तब से प्रत्येक वर्ष मार्च के तृतीय रविवार को यह दिवस विश्व के अनेक राष्ट्रों में मनाया जाता है। पूरे वर्ष में इस दिशा में हुई उपलब्धियों का अभिलेख रखा जाता है तथा भविष्य में विकलांगों को प्रदान की जा सकने वाली सहायता पर प्रकाश डालना इस संमेलन का मुख्य उद्देश्य रहता है।

भारत में यह दिवस सर्वप्रथम जनरल रीहेबीलिटेशन इन इण्डिया द्वारा प्रारम्भ किया गया। इस वर्ष (1982) में यह दिवस 15 विभिन्न राष्ट्रों में मनाया गया तथा इस वर्ष इसका महत्व अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता वर्ष 1981 की समाप्ति के कारण विशेष था।

इसी वर्ष विकलांग अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की स्मृति के रूप में विकलांगों को विकलांगताओं की मात्रा के अनुसार सहायता सामग्रियों और उपकरणों के वितरण के लिए भारत सरकार ने एक योजना चालू की जिसके अंतर्गत 1288 रुपये प्रतिमास आय वाले विकलांगों को 25 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक के उपकरण नि:शुल्क दिये जाते हैं तथा 1288 रुपये से लेकर 2500 रुपये प्रतिमाह आय वाले विकलांगों को यह उपकरण आधे मूल्य पर प्रदान किए जाते हैं।

इसी वर्ष विभिन्न राज्य एवं केन्द्रीय नौकरियों में भी 3 प्रतिशत आरक्षण (reservation) विकलांगों के लिए स्वीकार किया गया। इनके लिए नौकरियों में 10 वर्ष तक की आयु की छूट (relaxation) दी गई। रेलवे मंत्रालय ने अन्धों को नि:शुल्क तथा विभिन्न प्रकार के विकलांगों को 50 से 75% तक की रियायत (concession) देने का प्रावधान किया है। केन्द्रीय सरकार विकलांगों को उनके मूल वेतन का 10 प्रतिशत वाहन भत्ता के रूप में देती है। विकलांगों को रियायती दर पर पेट्रोल तथा डीजल देने की व्यवस्था भी है। विकास प्राधिकरणों द्वारा बनाये गए मकानों में से 5 प्रतिशत विकलांगों के लिए आरक्षित हैं।

समस्या की बहुपक्षीयता रखते हुए वर्ष 1982 को भारत में राष्ट्रीय विकलांग वर्ग घोषित किया गया था। विकलांगता की समायोजन एवं शिक्षा संबन्धी समस्याओं को केवल शासकीय स्तर के प्रयासों से दूर नहीं किया जा सकता है। इसके लिए समाज एवं राष्ट्र की उन सभी इकाइयों को जो इन क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सहायता दे सकती हैं, सम्मिलित रूप से आगे आकर इसके पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास के लिए करना होगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Policy of Education, 1986) में विकलांगों की शिक्षा के लिए प्रावधान

अपने देश में विकलांगों की संख्या 1 करोड़ 20 लाख है जिनमें 0–4 आयु वर्ग के 14 लाख तथा 4–15 आयु वर्ग के 43 लाख बच्चे हैं। इन बच्चों का मात्र 5 प्रतिशत ही देश के विभिन्न विशेष विद्यालयों जिनकी संख्या 800 से 1000 है, में शिक्षा ग्रहण कर अपने को रोजगार के योग्य बनाते हैं।

नोट

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन बालकों को शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को सामान्य व्यक्तियों के साथ सहभागी के रूप में समन्वय करके उन्हें सामान्य वृद्धि के लिए तैयार करना चाहिये जिससे वह अपनी क्षमताओं को अच्छी तरह से उपयोगी ढंग से विकसित कर सकें। इस दिशा में निम्नलिखित कदम उठाये जाएंगे–

1. जहाँ तक संभव होगा शारीरिक रूप से थोड़े विकलांग बच्चों की शिक्षा व्यवस्था अन्य सामान्य बच्चों के साथ की जाएगी।
2. गम्भीर रूप से विकलांग बच्चों के लिए जिला स्तर पर छात्रावास सहित विशेष विद्यालयों की यथा संभव स्थापना की जाएगी।
3. विभिन्न प्रकार के विकलांगों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण (vocational training) के उपयुक्त प्रबन्ध किए जाएँगे।
4. विकलांग बच्चों की विशेष कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए प्रशिक्षित शिक्षकों (trained teachers) की व्यवस्था प्राथमिक स्तर से ही की जाएगी।
5. विकलांग शिक्षा के क्षेत्र में, स्वैच्छिक प्रयासों को प्रत्येक संभव तरीकों से प्रोत्साहित किया जाएगा।

क्रियान्वयन व्यूह-रचना (Implementation Strategies)

1. विकलांग बच्चों की पूर्व पाठशाला शिक्षा से लेकर उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण तक की विशिष्ट व्यवस्था होनी चाहिए। इन बच्चों की विकलांगता का भली-भाँति निदान किया जाना चाहिये। यदि 20 लाख विकलांग बच्चों के लिए विशिष्ट अच्छे विद्यालयों की व्यवस्था करनी है तो देश में 10 हजार विद्यालयों की आवश्यकता होगी। अन्य बच्चों की तरह 1990 व 1995 तक क्रमश: 6 से 11 वर्ष 6-14 वर्ष के विकलांग बच्चों की प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किया जाना चाहिए।
2. सातवीं पंचवर्षीय योजना के काल में मध्यम रूप से विकलांग बच्चों की सामान्य विद्यालयों में 25 प्रतिशत संख्या बढ़ जाएगी। अत: प्रशासकों का विकलांग शिक्षोन्मुख प्रशिक्षण किया जाए। SCERT और DIET स्तर पर विशेषज्ञता उपलब्धता कराई जाए।
   (*i*) अधिगम सामग्री और अध्यापक संदर्शिकाएँ तैयार की जाएँ।
   (*ii*) जिला स्तर पर मनोवैज्ञानिक सेवाओं की व्यवस्था की जाए।
   (*iii*) निम्नांकित प्रावधान एवं प्रोत्साहनों का प्रस्ताव किया है–
   (क) सहायक यन्त्र एवं उपकरण, (ख) यात्रा भत्ता, (ग) स्कूल रिक्शा, (घ) नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें व पोशाक ड्रेस, (ङ) पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा केन्द्र में (ECE), (च) व्यावसायिक शिक्षा का + 2 स्तर पर सामान्य विद्यालयों में प्रावधान।

विशिष्ट विद्यालय (Special Schools)

1. जिला एवं उप जिला स्तर पर विशिष्ट विद्यालय खोले जाएँगे। इनके साथ ही एक औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र भी खोला जाएगा।
2. लड़के-लड़कियों के लिए पृथक-पृथक छात्रावास होंगे।
3. आठवीं पंचवर्षीय योजना में 5000 विद्यालय और खोले जाएंगे।
4. इन विद्यालयों के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में 400 विद्यालयों के लिए 3500 से 4000 विशिष्ट अध्यापक चाहिए। इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, एन.सी.ई.आर.टी. (N.C.E.R.T.) करेंगे।
5. इन विद्यालयों का पाठ्यक्रम इनकी विशेष समस्याओं को ध्यान में रखकर संशोधित और परिष्कृत किया जाएगा।

6. विकलांगों की शिक्षा पर एन.सी.ई.आर.टी. (N.C.E.R.T.) आई.सी.एस.एस.आर. (I.C.S.S.R.) यू.जी.सी. (U.G.C.) व नेशनल इन्स्टीट्यूट फॉर हैण्डीकेप्ड (National Institute for Handicapped) आदि संस्थाएँ भारतीय परिस्थितियों में अनुसन्धान कराएँ।
7. मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में एकीकृत सूचना प्रणाली की स्थापना की जाए और समय-समय पर शैक्षिक सर्वेक्षण एन.सी.ई.आर.टी. (N.C.E.R.T.) आदि संस्थाओं द्वारा कराया जाए।

विकलांगों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किए गए प्रावधान युक्तिसंगत हैं। विकलांगों के प्रशिक्षण हेतु विभिन्न व्यवसायों में आरक्षण का क्रम तो चल ही रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के अन्तर्गत विशिष्ट विद्यालय योजना पर विस्तार से प्रकाश डाला है परन्तु देश में प्रशिक्षित अध्यापक, उपयुक्त संसाधन एवं सामग्री तथा विशेषज्ञता के अभाव में इस प्रकार के विद्यालयों का बड़े स्तर पर चालू किया जाना सातवीं पंचवर्षीय योजना के समय में संभव प्रतीत नहीं होता। देश में अभी चल रहे विद्यालयों की दशा में भी सुधार की आवश्यकता है। वर्तमान समय में विशिष्ट विद्यालय केवल शहरी क्षेत्रों में हैं जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्थापित किए जाने की आवश्यकता है।

टास्क विश्व विकलांगता दिवस की शुरुआत कब हुई?

स्व-मूल्यांकन (Self-Assessment)

रिक्त स्थानों की पूर्ति करें (Fill in the Blanks)—

1. विकलांगों के कल्याण हेतु भारत सरकार ने सभी राज्यों के प्रमुख .... शहरों में विशेष रोजगार कार्यालयों की स्थापना की तथा ग्रामीण विकलांगों के लिए .... विशेष रोजगार कार्यालय स्थापित किए हैं।
2. श्रम एवं कल्याण मंत्रालय ने युवा विकलांगों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए सर्वप्रथम .... में मुंबई तथा हैदराबाद में विकलांग व्यावसायिक केंद्रों की स्थापना की।
3. विकलांगों को मुख्यधारा में लाने हेतु कार्यक्रमों को निश्चित करने में केंद्र में .... तथा राज्यों में . ... सहायता प्रदान करती है।
4. प्रत्येक मार्च के .... रविवार को विश्व विकलांगाता दिवस मनाया जाता है।

30.2 विशिष्ट बालकों के सहायतार्थ समाज सेवी संस्थाओं का योगदान (Contribution of Social Institutions for Exceptional Children)

विकलांगों को शिक्षा, निर्देशन एवं व्यवसाय प्रदान करने में रोजगार केन्द्रों के अलावा अनेक राज्य स्तर की संस्थाएँ, विभिन्न मिशनरी एवं ऐच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित अन्धविद्यालय, मूक-बधिर विद्यालय, कृत्रिम अंग रोपण केन्द्र भी हैं। विभिन्न समाजसेवी एवं ऐच्छिक (voluntary) संस्थाएँ, जैसे– लायन्स क्लब, रोटरी क्लब, लियो क्लब, जेसीज, इनर व्हील क्लब, महिला क्लब, कृषि नगर महिला क्लब, विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंक जैसे– स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, इलाहाबाद बैंक, महाविद्यालय रोजगार कार्यालय, औद्योगिक संस्थान आदि समय-समय पर विकलांगों को सामाजिक अनुदान जैसे– तीन पहिए की साइकिल, बैसाखियाँ, कृत्रिम अंग, पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति, सिलाई मशीन, नि:शुल्क डॉक्टरी जाँच व इलाज आदि प्रदान करके एक सराहनीय योगदान दे रहे हैं।

नोट

30.3 सारांश (Summary)

- वर्तमान समय में विकलांगों के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण व विकलांगता 'प्रत्यक्ष' की व्याख्या का स्वरूप बदलने से विकलांगों की रोजगार की समस्याओं पर विशेष ध्यान व बल दिया जा रहा है। इस दृष्टिकोण से शारीरिक विकलांगता व्यक्ति को रोजगार विकलांग नहीं बनाती है। यह संभव है कि किसी विशेष शारीरिक अक्षमता के कारण किसी व्यवसाय विशेष के लिए उपयुक्त न हों किन्तु वही विकलांग व्यक्ति किसी ऐसे कार्य को जिसमें उसकी अक्षमता बाधा नहीं बनती है, सामान्य व्यक्तियों से भी अधिक निपुणता व कुशलता से कार्य कर सकता है। उनके इस प्रकार के समायोजन के लिए दया की नहीं वरन् सहानुभूति व समुचित अवसरों को प्रदान करने की आवश्यकता होती है।
- **विशिष्ट बालकों का पुनर्वास: सरकार की भूमिका–** भारत सरकार ने राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना में विकलांगों को कमजोर वर्ग (weaker section) का एक भाग माना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 तथा 46 में भी विकलांग व्यक्तियों के कल्याण पर जोर दिया गया है। इन्हीं सब विचारों को ध्यान में रखते हुए छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में सरकार ने विकलांगों के लिए 24.40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना में यह राशि पाँच गुना अधिक बढ़ा दी गई और विकलांगों के कल्याण के लिए 124 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। इसके पश्चात् आज विभिन्न प्रकार के विकलांगों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएँ एवं कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं जिन पर कई करोड़ रुपये की धनराशि व्यय करने की व्यवस्था की गई है।
- विकलांगों के कल्याण की दिशा में दूसरा महत्वपूर्ण कदम भारत सरकार के श्रम एवं कल्याण मन्त्रालय (Ministry of Labour and Welfare) के अधीन उठाया गया। उन्होंने युवा विकलांगों (16 से 45 वर्ष तक) को व्यावसायिक एवं आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए सर्वप्रथम 1968 में मुम्बई तथा हैदराबाद में दो 'विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों' की स्थापना की।
- भारत सरकार ने विकलांगों की अक्षमता व रोजगार समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए पिछले कुछ वर्षों में (अब तक) लगभग 100 विशिष्ट रोजगार सूचना एवं पंजीकरण केन्द्र (Special Employment Information and Registration Centres) स्थापित किए हैं।
- 20वीं शताब्दी से विकलांग वर्ग की समस्याओं को सुलझाने तथा उनके प्रति विश्व, राष्ट्र एवं समाज के कर्तव्यों को पूरा करने के उद्देश्य से अनेक देशों में विभिन्न योजनाएँ प्रारम्भ की गईं। इन योजनाओं के द्वारा विकलांगों की अक्षमताओं को दूर करने व उन्हें प्रतिस्थापित करने के लिए प्रयास किए गए तथा उनके शिक्षण एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था करने के लिए पुनर्वास केन्द्र खोले गए।
- **विशिष्ट बालकों के सहायतार्थ समाज सेवी संस्थाओं का योगदान–** विकलांगों को शिक्षा, निर्देशन एवं व्यवसाय प्रदान करने में रोजगार केन्द्रों के अलावा अनेक राज्य स्तर की संस्थाएँ, विभिन्न मिशनरी एवं ऐच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित अन्धविद्यालय, मूक-बधिर विद्यालय, कृत्रिम अंग रोपण केन्द्र भी हैं।

30.4 शब्दकोश (Keywords)

- **रियायत–** नरमी, मेहरबानी।
- **निरीह–** इच्छा एवं ऋण से रहित, उदासीन, विरक्त।
- **पोशाक–** वस्त्र।

30.5 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

1. विशिष्ट बालकों के पुनर्वास में समाज एवं सरकार की भूमिका समझाइए।
2. विशिष्ट बालकों के सहायतार्थ स्वयंसेवी संस्थाओं के योदान पर एक टिप्पणी लिखिए।

नोट

उत्तर : स्व-मूल्यांकन (Answer: Self Assessment)

1. 22, 41 2. सन 1968 3. NCERT, SCERT 4. तीसरा।

30.6 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

पुस्तकें

1. *विशिष्ट शिक्षा–* कुमार संजीव, जानकी प्रकाशन, पटना।
2. *विशिष्ट बालक–* अवधारणा, विकास एवं शिक्षा, के. के. पब्लिकेशंस, नई दिल्ली।
3. *विशिष्ट बालक: शिक्षा एवं पुनर्वास–* महेश भार्गव, एच. पी. भार्गव बुक हाउस, आगरा।
4. *विशिष्ट शिक्षा का प्रारूप–* डॉ. आर. लाल. शर्मा, आर. लाल. बुक डिपो, आगरा।

LOVELY PROFESSIONAL UNIVERSITY
Jalandhar-Delhi G.T. Road (NH-1)
Phagwara, Punjab (India)-144411
For Enquiry: +91-1824-300360
Fax.: +91-1824-506111
Email: odl@lpu.co.in